



वार्षिक रिपोर्ट

2013–2014

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
भारत



वार्षिक रिपोर्ट

2013–2014

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
भारत

विषय – वस्तु

अध्याय-1	परिचय	1
अध्याय-2	मुख्य बिन्दु : 2013-2014	3
अध्याय-3	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग : संगठन एवं कार्य	23
अध्याय-4	सिविल एवं राजनीतिक अधिकार	29
	क. आतंकवाद तथा उग्रवाद	29
	ख. हिरासतीय हिंसा तथा यातना	30
	ग. दृष्टांत मामले	31
	क. हिरासतीय मौतें	31
	न्यायिक हिरासत	31
	1. जयपुर, राजस्थान में सवाई मानसिंह अस्पताल में अभियोगाधीन कैदी राधे श्याम की मृत्यु (मामला सं० 168/20/14/09-10-जे.सी.डी.)	31
	2. तिहाड़ जेल, दिल्ली में कैदी द्वारा आत्महत्या (मामला सं० 378/30/9/2011-जे.सी.डी.)	33
	3. उप-कारावास, चित्तूर, आंध्र प्रदेश में अभियोगाधीन कैदी के० यादागिरी गोड की मृत्यु (मामला सं० 269/1/3/2011-जे.सी.डी.)	34
	पुलिस हिरासत	36
	4. जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश में पुलिस यातना के कारण रमाशंकर की मृत्यु (मामला सं० 30182/24/19/2010-ए०डी०, संबंधित फाईलें 30528/19/2010-ए०डी०, 32002/24/19/2010-ए०डी०, 33025/24/19/2010-ए०डी०, 31563/24/19/2010-ए०डी०)	36
	5. बीड, महाराष्ट्र में पुलिस अभिरक्षा में यातना के कारण गणेश ए० भोसले की मृत्यु (मामला सं० 334/13/2006-2007-पी०सी०डी०)	38
	6. पुलिस स्टेशन कदमतला, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में यातना के कारण एस० बारला द्वारा आत्महत्या (मामला सं० 3/26/0/07-08-पी सी डी)	40

7.	दावोह पुलिस स्टेशन, भिंड, मध्य प्रदेश में अजय मिश्रा की मृत्यु (मामला सं० 675/12/7/2112-पी सी डी)	42
	<i>अर्ध-सैनिक/रक्षा बल अभिरक्षा</i>	44
8.	बंगलादेश सीमा के पास सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा एक युवा पर अत्याचार (मामला सं० 134/25/13/2012-पी.एफ.)	44
9.	जिला पश्चिम चम्पारन, बिहार में ग्राम वाल्मिकीनगर में सशस्त्र सीमा बल के कार्मिक द्वारा किए गए अत्याचार के कारण एक युवा की मृत्यु (मामला सं० 2572/4/8/08-09-ए०सी०डी०)	45
10.	त्रिपुरा में बोलरथेपा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल की 19 बटालियन के कार्मिकों द्वारा अकारण की गई गोलीबारी में एक युवा की मृत्यु (मामला सं० 24/23/4/2011-पी एफ)	47
11.	जिला सोनितपुर, असम में अकाबस्ती में असम राईफल्स कार्मिकों के साथ हुई मुठभेड़ में एम०यू०एल०टी०ए० तथा एन०डी०एफ०बी० के पांच तथा कथित कार्यकर्ताओं की मृत्यु (मामला सं० 274/3/16/2011-पी एफ)	48
12.	असम के शिवसागर जिले में 118वीं रेजीमेंट के सैन्य कार्मिक द्वारा घुसपैठ रोधी ऑपरेशन में एक विकलांग लड़के की मृत्यु (मामला सं० 180/3/15/08-09-ए एफ)	51
ख.	सरकारी आश्रयों में मौतें	52
13.	महिलाओं के सरकारी आश्रयालय, फैजाबाद में पुष्पा निषाद की अभिरक्षा में मृत्यु (मामला संख्या 15070/24/24/2013-डी एच)	52
14.	घुमनगंज, उत्तर प्रदेश में किशोर सुधार गृह में चिकित्सीय लापरवाही के कारण एक कैदी की मौत (मामला संख्या 2548/24/4/09-10-डी एच)	54
ग	अवैध गिरफ्तारी, नजरबंदी तथा अत्याचार	55
15.	मेरठ, उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता के पुत्र आसिफ की अवैध गिरफ्तारी (मामला संख्या 981/24/54/2012)	55
16.	दसादा पुलिस स्टेशन, जिला सुरेन्द्र नगर, गुजरात के पुलिसकार्मिकों द्वारा चार अव्यस्क लड़कों की अवैध गिरफ्तारी तथा यातना (मामला संख्या 1052/6/24/2012)	57

17.	जिला सिरसा, हरियाणा में पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता का उत्पीड़न तथा अत्याचार और झूठे मामले में फंसाना (मामला संख्या 1516/7/18/2013)	58
घ.	पुलिस ज्यादातियां	60
18.	पश्चिम बंगाल के बेहरामपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिक द्वारा किए गए शारीरिक प्रहार के कारण एक ट्रेन यात्री की मृत्यु (मामला संख्या 335/25/13/2013)	60
19.	पुलिस स्टेशन अफजलगढ़, बिजनौर, उत्तर प्रदेश के उपनिरीक्षक के कहने पर एक महिला कांस्टेबल द्वारा सामूहिक बलात्कार की पीड़िता को प्रताड़ित किया जाना (मामला संख्या 14412/24/17/2013-डब्ल्यू0सी0)	62
20.	पुल प्रहलाद पुर के ट्रेफिक सिग्नल पर पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता का प्रताड़ित किया जाना (मामला संख्या 377/30/0/2011)	64
21.	देहरादून, उत्तराखंड में चोरी के मामले में एक आरोपी की उसकी गर्लफ्रेंड की उपस्थिति में पुलिस द्वारा पिटाई (मामला संख्या 193/35/5/2012)	66
22.	नौएडा, उत्तर प्रदेश में पुलिस कार्मिक द्वारा शारीरिक हमले से पीड़ितों की गरिमा एवं मानव अधिकारों का हनन (मामला संख्या 15025/24/30/2010)	67
23.	उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता को उत्पीड़न तथा गलत मामले फंसाना (मामला संख्या 43784/24/56/2013)	68
ड)	पुलिस मुठभेड	71
24.	झज्जर, हरियाणा में पुलिस मुठभेड में जसबीर उर्फ जस्साद की मृत्यु (मामला संख्या 2201/7/7/08-09-ई0डी0)	71
25.	देहरादून, उत्तराखंड में पुलिस मुठभेड में चार व्यक्तियों की मृत्यु (मामला संख्या 780/35/2006-2007)	72
26.	पुलिस स्टेशन खजूरी खास, दिल्ली के क्षेत्राधिकार में पुलिस मुठभेड में तथाकथित गैंगस्टर की मृत्यु (मामला संख्या 8323/24/2006-2007, संबंधित फाईल 10824/24/2006-2007, 5193/24/2006-2007, 3718/24/2006-2007, 295/24/2005-2006 तथा 637/30/2006-2007)	75

च)	कारावास की स्थिति	77
27.	जेल में अनियमितता संबंधी शिकायत पर अन्वेषण प्रभाग की टीम का रायपुर जेल का दौरा। (मामला संख्या 323/33/14/2013)	77
छ)	बिजली का करंट लगने संबंधी मामले	79
28.	उत्तराखंड राज्य में सरकारी इंटर कॉलेज, कांडीखाल, देहरादून में बिजली के तार के संपर्क में आने के बाद एक विद्यार्थी स्थायी रूप से अक्षम हो गया। (मामला संख्या 1941/35/11/2012)	79
29.	दक्षिणांचल इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा मरम्मत कार्य के लिए गैर-कानूनी रूप से नियुक्त किए गए व्यक्ति का अंग-भंग (मामला संख्या 41224/24/1/2012)	81
30.	ग्राम भुकरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में बिजली का करंट लगने के कारण एक 10 वर्षीय लड़के के दोनों हाथों का खो जाना (मामला संख्या 169/8/2/2012)	84
ज)	मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक दंगे	86
31.	मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगों के संबंध में आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान (मामला संख्या 34257/24/57/2013)	86
32.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिनांक 25 मई, 2013 को छत्तीसगढ़ में हुए नक्सलवादी हमले की निन्दा की (मामला संख्या 476/33/1/2013)	88
33.	मनरेगा में भ्रष्टाचार (मामला संख्या 547/6/1/2013)	89
ज)	प्राकृतिक आपदाएं	91
34.	उत्तराखंड राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से तबाह संपत्तियां तथा मानव जीवन के नुकसान की महात्रासदी (मामला संख्या 1170/35/0/2013)	91
य)	अन्य मामले	93
35.	अक्षमों के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं तथा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए अपनी टीम के लक्षद्वीप दौरे की रिपोर्ट पर आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान	93

36.	राज्य में हुई चार आत्महत्याओं पर उत्तर प्रदेश के उच्चाधिकारी की टिप्पणियों पर आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान (मामला संख्या 19312/24/69/2013)	97
घ.	कारावासों की स्थिति	97
क)	जेलों का दौरा	97
ख)	कारावास में रह रहे कैदियों का विश्लेषण	99
अध्याय-5	स्वास्थ्य का अधिकार	101
क.	क्लीनिकल ड्रग ट्रायल के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दिशानिर्देश	102
ख.	स्वास्थ्य संबंधी कोर ग्रुप की बैठक	105
ग.	एक मानव अधिकार के रूप में स्वास्थ्य देखभाल – विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन	105
घ.	मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की कार्यपद्धति को बेहतर बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का आवेदन	107
ड.	मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का दौरा करने वाले विशेष प्रतिवेदकों की दौरा रिपोर्टें	108
च.	जनजातीय क्षेत्रों में बेहतर मेडिकल तथा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं	109
छ.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए स्वास्थ्य संबंधी दृष्टांत मामले	110
1.	आंध्र प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में अप्राधिकृत रूप से ड्रग ट्रॉयल्स। (मामला संख्या 765/1/7/2011)	110
2.	सड़क के किनारे पर बच्चे को जन्म दिया क्योंकि महिला को उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया था (मामला संख्या 43614/24/9/2012)	113
3.	असम के मंगलदोई जिला में रक्त चढ़ाने के बाद चार व्यक्तियों को एचआईवी से पीड़ित पाया गया (मामला संख्या 208/3/3/2013)	114
4.	कलावती सरन बाल अस्पताल, दिल्ली में तथाकथित कुप्रबंध एवं चिकित्सीय लापरवाही के कारण पिछले पांच सालों में 9,000 बच्चों की मौत (मामला संख्या 6429/30/1/2012)	115
5.	भद्रक जिला अस्पताल, ओडिशा में गलत खून चढ़ाने की वजह से महिला की मृत्यु (मामला संख्या 1579/18/18/2012)	116

6. टी0बी0 की दवाईयों की गंभीर कमी के कारण पूरे देश में टी0बी0 के लाखों मरीजों का उपचार खतरे में
(मामला संख्या 104/90/0/2013) **118**
7. बिहार और राजस्थान राज्यों में निजी अस्पतालों द्वारा चलाई गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अवांछित गर्भाशयोच्छेदन
(मामला संख्या 2090/4/0/2013) **118**
8. उत्तरी रेलवे के प्लेटफॉर्म पर दूषित पेयजल की आपूर्ति
(मामला संख्या 1146/30/0/2014) **119**
9. मालदा मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, पश्चिम बंगाल में नवजात शिशुओं की मृत्यु
(मामला संख्या 652/25/11/2013) **120**
10. जम्मू एवं कश्मीर के जिला बारामूला में अस्पताल के प्राधिकारियों की लापरवाही के कारण दो नवजात शिशुओं की मृत्यु
(मामला संख्या 370/9/3/2012) **121**
11. ओडिशा के जिला गंजम में सरकारी अस्पताल में बंध्याकरण के कारण एक महिला की मृत्यु
(मामला संख्या 1479/18/5/2011) **122**
12. ओडिशा के जिला गंजम में स्टोन क्रशिंग यूनिटों में कार्यरत मजदूरों के स्वास्थ्य के अधिकार
(मामला संख्या 134/18/5/07-08) **123**
13. राजस्थान के अवैध पत्थर खदानों में काम करने वाले मजदूरों की बिगड़ते हुए स्वास्थ्य के कारण मौत
(मामला संख्या 2204/20/2/2011) **125**

अध्याय-6 भोजन का अधिकार **129**

क. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा भोजन के अधिकार के संबंध में दृष्टांत मामले **132**

1. हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के दूरगामी क्षेत्रों में हजारों गरीब पी डी एस खाद्य सामग्री की कमी के कारण आवश्यक वस्तुओं को खुले बाजार से अधिक मूल्य पर खरीदने के लिए बाध्य
(मामला संख्या 180/8/2/2013) **132**

2. बिहार के जिला सरन में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद नौ बच्चों की मृत्यु हो गई तथा पचास बच्चे बीमार पड़ गए
(मामला संख्या 2467/4/32/2013) 133
3. तमिलनाडु में नेवेली लिग्नाईट कॉरपोरेशन गर्ल्स हॉयर सेकेन्ड्री स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 147 लड़कियां बीमार हो गईं
(मामला संख्या 1197/22/46/2013) 134
4. राजस्थान के जयपुर में नारायणपुर खेड़ा गांव में तथाकथित भुखमरी तथा कुपोषण के कारण दो व्यक्तियों की मृत्यु
(मामला संख्या 815/20/6/2010) 134
5. उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में गंभीर कुपोषण से पीड़ित दो बच्चे
(मामला संख्या 33185/24/69/2012) 136

अध्याय-7 शिक्षा का अधिकार 139

क) शिक्षा के अधिकार के संबंध में उदाहरणार्थ मामले : 140

1. कैथल, हरियाणा में एक कमरे में चलाए जा रहे 400 से ज्यादा विद्यार्थियों के प्राथमिक विद्यालय में सुविधाओं का अभाव
(मामला संख्या 3422/7/9/2014) 140
2. अहमदाबाद, गुजरात में निधि की कमी की वजह से दलित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने से इंकार।
(मामला संख्या 803/6/1/2013) 141
3. जिला फतेहाबाद, हरियाणा में तेरह वर्षीय बलात्कार पीड़िता एवं उसकी दो बहनों को विद्यालय छोड़ने के लिए मजबूर किया जाना।
(मामला संख्या 6/343/7/4/2012) 142
4. राजसमंद, राजस्थान में सरकारी विद्यालय के एक शिक्षक की लापरवाही की वजह से कक्षा II के एक विद्यार्थी को रात भर कक्षा में बंद रहना पड़ा।
(मामला संख्या 594/20/32/2013) 143
5. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुपयुक्त कार्यान्वयन की वजह से कर्नाटक के विद्यालयों में गरीब विद्यार्थियों के लिए जगह खाली रहना
(मामला संख्या 477/10/0/2013) 144
6. बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में दैनिक कक्षाओं में उपस्थित होने से पूर्व विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय परिसर साफ करवाया जाना।
(मामला संख्या 19365/24/18/2013) 144

7. अहमदाबाद, गुजरात के डॉन बॉस्को अंग्रेजी विद्यालय, वेजलापुर के प्रिंसिपल द्वारा छठवीं कक्षा के विद्यार्थी को पेशाब पीने के लिए बाध्य करना। **145**
(मामला संख्या 238/6/1/2014)
8. चिरंग जिला, पश्चिमी असम में सरकार द्वारा चलित आवासीय विद्यालय में वरिष्ठ विद्यार्थियों द्वारा रैगिंग के दौरान बारह नाबालिक विद्यार्थियों पर हमला **146**
(मामला संख्या 267/3/19/2013)

अध्याय-8	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य कमजोर वर्गों के अधिकार	147
क.	भारत के चयनित 28 जिलों में मानव अधिकार जागरूकता एवं इसके मूल्यांकन को सुकर बनाना तथा मानव अधिकार कार्यक्रम का प्रवर्तन	148
ख	सिर पर मैला ढोना एवं स्वच्छता पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	148
ग	बंधुआ मजदूरी प्रणाली	149
घ	सिक्किम में जनजातियों के अधिकार एवं पनान हेप पर प्रभाव तथा तीप्ता जल विद्युत परियोजनाओं पर अनुसंधान अध्ययन	149
ङ.	जोखिम भरे उद्योगों में श्रमिकों के अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए सरकारी चुनौतियों पर अनुसंधान अध्ययन	150
च	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा विचार किए गए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य असुरक्षित समूहों के संबंध में दृष्टांत मामले :	150
1.	पटना, बिहार में पुलिस की उपस्थिति में एक 16 वर्षीय दलित लड़की को पीटना एवं सिगरेट से जलाना (मामला संख्या 2724/4/26/2013)	150
2.	बिहार के रोहतास जिले के बंदी गांव में मंदिर स्थल पर राष्ट्रीय झण्डा फहराने एवं आदेश न मानने के लिए दलित लोगों पर अत्याचार (मामला संख्या 3035/4/28/2013)	151
3.	वाराणसी, उत्तर प्रदेश में नगर पालिका प्राधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों के भवन को तोड़ना (मामला संख्या 34188/24/72/2013)	151
4.	नोएडा, उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पर स्थानीय लोगों द्वारा अनुसूचित जाति से संबंधित सामाजिक कार्यकर्ता महिला का उत्पीड़न (मामला संख्या 3494/24/2030/2013)	152

5. कैथल जिला, हरियाणा के पवनभा गांव में एक उच्च जाति की लड़की के साथ दलित लड़के की शादी के पश्चात् दलितों पर आक्रमण
(मामला संख्या 2795/7/9/2013) **153**
6. पिछले चार वर्षों के दौरान देश में मुख्य शैक्षणिक संस्थाओं में दलित विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या के मामले
(मामला संख्या 1751/13/16/2013) **154**
7. महासुमंड जिला, छत्तीसगढ़ के परसाहीदादर गांव में पुलिस एवं वन विभाग के अधिकारियों द्वारा आदिवासियों पर अत्याचार
(मामला संख्या 113/33/12/2014) **155**
8. गुना जिला, मध्य प्रदेश के मंगवारकुड़ी गांव में नाबालिग आदिवासी लड़की की सामूहिक बलात्कार के मामले में पुलिस द्वारा कथित रूप से कार्रवाई न करना
(मामला संख्या 9296/12/17/2013—डब्ल्यू.सी.) **156**
9. अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में बंधुआ मजदूरों की रिहाई एवं पुनर्वास
(मामला संख्या 36291/24/3/09-10—बी.एल.) **157**
10. जिला जम्मू तवी, जम्मू एवं कश्मीर में बंधुआ मजदूरों की रिहाई एवं पुनर्वास
(मामला संख्या 28/9/5/2012—बी.एल.) **161**
11. जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में बंधुआ मजदूरों की रिहाई एवं पुनर्वास
(मामला संख्या 1732/24/30/2012—बी.एल.) **164**
12. जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में बंधुआ मजदूरों का बचाव, रिहाई एवं पुनर्वास
(मामला संख्या 33229/24/18/09-10—बी. एल.) **165**
13. अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति से संबंधित बंधुआ मजदूरों की रिहाई।
(मामला संख्या 18571/24/51/2013—बी.एल.) **170**

अध्याय—9 महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार **173**

- क. महिलाओं के मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन **174**
- ख. जन्म पंजीकरण : प्रत्येक बच्चे का अधिकार **175**
- ग. सी0ई0डी0ए0डब्ल्यू0 के कार्यान्वयन के संबंध में भारत की संयुक्त चौथी एवं पांचवी आवधिक रिपोर्टों के संबंध में सी0ई0डी0ए0डब्ल्यू0 समिति द्वारा उठाए गए मुद्दों एवं प्रश्नों की सूची के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की प्रतिक्रिया **178**

- घ. तमिलनाडु के कन्याकुमारी, डिंडीगुल, सलेम, मदुरई तथा तिरुवल्लूर जिलों में स्थित बाल आश्रय, सुधार गृह तथा विशेष गृह के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदक की रिपोर्ट **182**
- ड. मिज़ोरम के आईजोल जिले में लड़कों और लड़कियों के लिए प्रेक्षण गृह सह आश्रय गृह के संबंध में विशेष प्रतिवेदक की रिपोर्ट **184**
- च. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों से संबंधित दृष्टांत मामले **185**
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कानून मंत्री तथा उनके समर्थकों द्वारा दिल्ली में एक अफ्रीकी मूल की महिला के साथ विधिविरुद्ध कार्रवाई (मामला संख्या 252/30/8/2014/एफ.सी. तथा एल.एफ. संख्या 957/30/8/2014 और 900/30/8/2014) **185**
 2. इलाहबाद, उत्तर प्रदेश में शिकुती में सरकारी बाल गृह में गार्ड द्वारा तीन लड़कियों के साथ यौन दुर्यवहार (मामला सं० 17781/24/4/2012 तथा एल०एफ० सं० 25206/24/4/2012) **187**
 3. स्वर्गीय श्री बाला साहेब ठाकरे के निधन के बाद मुम्बई में बुलाए गए बंद के संबंध में फेसबुक पर टिप्पणी करने के संबंध में दो लड़कियों की गैर-कानूनी गिरफ्तारी और नजरबंदी (मामला सं० 3069/13/16/2012) **189**
 4. हरियाणा में कन्या भ्रूणहत्या तथा नवजात लड़कियों का परित्याग कर देने की घटनाओं में इजाफा (मामला सं० 3937/7/17/2012) **191**
 5. दिल्ली में किशोर न्याय गृह में ड्रग्स का दुरुपयोग, यौन शोषण तथा शारीरिक यातना/संत्रास (मामला सं० 7095/30/4/2013) **193**
 6. मध्य प्रदेश के शाजापुर जिला में कनाद के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में वार्ड बॉय द्वारा दो वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार (मामला सं० 556/12/42/2013) **196**
 7. आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अपनी बेटी को गुण्डों से बचाते हुए एक महिला की मृत्यु का मामला (मामला सं० 490/1/6/2013—डब्ल्यू०सी०) **197**

8. छत्तीसगढ़ के धमात्री जिले में सरकारी हाई स्कूल में अध्यापक द्वारा छात्रा के साथ तथाकथित बलात्कार 199
(मामला सं० 28/33/4/2013-डब्ल्यू०सी०)
9. ओडिशा के रायगढ़ जिले में एक महिला अध्यापक के साथ उसके वरिष्ठ सहयोगी द्वारा यौन शोषण और प्राधिकारियों द्वारा कुछ कार्रवाई न करना 200
(मामला सं० 2458/18/32/2013-डब्ल्यू०सी०)
10. बिहार के जिला किशनगंज के ग्राम गिल्हाबादी में पंचायत के आदेश के बाद एक महिला चोर का सिर मूंडा गया। 201
(मामला सं० 1332/4/18/2012-डब्ल्यू०सी०)
11. पंजाब के जिला अमृतसर में बलात्कार की पीड़िता द्वारा की गई शिकायत पर पुलिस द्वारा कार्रवाई न करना 202
(मामला सं० 1763/19/1/2012)
12. छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में टोही के शक में 65 वर्षीय वृद्ध महिला के साथ दुर्व्यवहार 205
(मामला सं० 114/33/10/2014-डब्ल्यू०सी०)

अध्याय-10 वृद्धजनों के अधिकार 207

- क. बुजुर्ग व्यक्तियों के संरक्षण एवं कल्याण के लिए कोर समूह की बैठक 209
- ख. वरिष्ठ नागरिकों पर राष्ट्रीय नीति, 2013 पर केन्द्रीय टिप्पणी मसौदे पर टिप्पणियां 212
- ग. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार से संबंधित मामले 213
 1. राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों को लागू न करना 213
(मामला संख्या 85/30/0/2014)
 2. दिल्ली में बेघर लोगों के लिए आश्रय घर की कमी 214
(मामला संख्या 1/30/0/2014)
 3. आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक भूतपूर्व एसोशिएट प्रोफेसर को सेवानिवृत्ति हितलाभ का भुगतान न करना तथा प्रताड़ना 215
(मामला संख्या 6522/30/8/2013)
 4. मृत्यु के 31 वर्षों बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के चतुर्थ श्रेणी के एक कर्मचारी के परिवार को मरणांतक बकाए की अदायगी न करना 216
(मामला संख्या 20804/24/24/2010)

5. उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं सिविल आपूर्ति विभाग के कर्मचारी को सेवानिवृत्ति हितलाभ देने में अत्यधिक देरी (मामला संख्या 42812/24/3/2012)	218
6. मरणांतक हितलाभ निपटारे में अत्यधिक देरी (मामला संख्या 1529/1/2011)	219
अध्याय—11 अशक्त व्यक्तियों के अधिकार	221
क. अशक्तता पर कोर समूह की बैठक	223
ख. कुष्ठ रोग पर जागरूकता कार्यक्रम	223
ग. कुष्ठ रोग के खिलाफ वैश्विक अपील में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष ने जकारता का दौरा किया	224
घ. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा देखे गए अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के मामलों का विवरण	224
1. 55 वर्षीय मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को बिना उपचार जंजीर में बांध कर गांव अंबागुड़ा, जिला नबरंगपुर, ओड़िशा में रखना (मामला संख्या 3847/4/27/2013)	224
2. बिहार के पुरनिया जिले में राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को पीटना (मामला संख्या 3847/4/27/2013)	225
3. राम लाल आनंद कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक विकलांग प्रोफेसर के जीवन, स्वतंत्रता तथा गरिमा से संबंधित मानव अधिकारों का हनन (मामला संख्या 5920/30/4/2013)	226
4. कुपोषण एवं चिकित्सीय सहायता के अभाव में पश्चिम बंगाल के खानाबदोश गृह के 32 निवासियों की पांच माह की अवधि में मृत्यु (मामला संख्या 694/25/13/2013)	226
अध्याय—12 मानव अधिकार शिक्षा, प्रशिक्षण एवं जागरूकता	233
क. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	233
ख. ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अंतःशिक्षता कार्यक्रम	234
ग. लघु प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दौरा	234
घ. स्थापना दिवस का आयोजन	234

ड.	मानव अधिकार दिवस आयोजन	235
च.	भारतीय विधि संस्थान तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया	236
छ.	रेलवे सुरक्षा बल के प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	236
ज.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रकाशन	236
झ.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अंगरेजी जर्नल	237
ञ.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का हिन्दी जर्नल	237
ट.	मीडिया: विचार विमर्श	237
ठ.	हिन्दी में राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ	237
ड.	मानव अधिकारों पर हिन्दी में द्विवार्षिक पुरस्कार योजना	238
ढ.	पुरस्कृत पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद	238
ण.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में हिन्दी पखवाड़ा	238
त.	दलितों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता	238
अध्याय—13	मानव अधिकार समर्थक	239
क.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की भूमिका	240
ख.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए मानव अधिकार समर्थकों के मामलों का विवरण	241
1.	छेड़खानी करने वालों के खिलाफ विरोध के लिए छात्र मानव अधिकार समर्थक का बदमाशों द्वारा उत्पीड़न (मामला संख्या 877 / 25 / 15 / 2013)	242
2.	शिकायत करने के लिए मानव अधिकार कार्यकर्ता को उप-निरीक्षक के साथ आए बदमाशों ने धमकाया (मामला संख्या 891 / 25 / 13 / 2013 — मुख्य फाइल 646 / 25 / 13 / 2013—डब्ल्यू.सी.)	242
3.	मुंबई के भीवंडी इलाके में अनाधिकृत निर्माण पर सूचना मांगने के लिए आर.टी.आई. कार्यकर्ता की हत्या (मामला संख्या 312 / 13 / 16 / 2014)	242

4. गुवाहाटी में पनबिजली बांध के विरोध में हो रहे शांतिपूर्ण विरोध पर पुलिस ने रोक लगाई 243
(मामला संख्या 198/3/12/2012)
5. मानव अधिकार समर्थकों का मनमाना एवं गैर-कानूनी निरोध 244
(मामला संख्या 313/18/6/2014)
6. जिला मुर्शीदाबाद, पश्चिम बंगाल में मानव अधिकार मॉनीटर के निवास में अनाधिकार प्रवेश एवं लूटपाट 244
(मामला संख्या 1739/25/13/2012)
7. मानव अधिकार समर्थक को पुलिस द्वारा जान से मारने की धमकी 245
(मामला संख्या 16023/24/52/2013)
8. मध्य प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेनीमाता के बाहर बच्चे को जन्म देने की घटना का विरोध कर रहे मानव अधिकार समर्थक की गिरफ्तारी 245
(मामला संख्या 1062/12/2/2013 एल एफ 1064/12/2/2013, 1065/12/2/2013, 1066/12/2/2013)
9. उपद्रवी लोगों के खिलाफ शिकायत करने के लिए थाना प्रभारी द्वारा मानव अधिकार समर्थक की प्रताड़ना एवं धमकाना 246
(मामला संख्या 12122/24/24/2013)
10. चेन्नई पुलिस द्वारा मानव अधिकार समर्थकों का गैर-कानूनी निरोध, प्रताड़ना एवं उत्पीड़न 247
(मामला संख्या 61/22/13/2014)

अध्याय—14 अंतरराष्ट्रीय सहयोग 251

- क. आई सी सी -26 की वार्षिक आम बैठक तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के राष्ट्रकूट फोरम की द्विवार्षिक बैठक 251
- ख. राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया प्रशांत मंच के साथ सहयोग 257
- ग. आई.सी.सी. - 27 की वार्षिक आम बैठक तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के राष्ट्रमंडल फोरम की वार्षिक बैठक 259
- घ. द्वितीय सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा सिफारिशों का अनुवर्तन 261
- ड. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की अंतरराष्ट्रीय बैठकों, सम्मेलनों एवं कार्यशालाओं में भागीदारी 262
- च. आयोग में विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के साथ विचार-विमर्श 263

अध्याय—15	राज्य मानव अधिकार आयोग	265
अध्याय—16	अन्य सरचनाएं	269
क.	विशेष संपर्ककर्ता	269
ख.	गैर-सरकारी संगठनों का कोर समूह	270
ग.	सांविधिक पूर्ण आयोग	271
घ.	आयोग की शिविर बैठकें/खुली सुनवाई	271
अध्याय—17	प्रशासन एवं संभारकीय सहायता	273
क.	स्टॉफ	273
ख.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की लाइब्रेरी	273
ग.	सूचना का अधिकार	274
अध्याय—18	मुख्य सिफारिशों और प्रेक्षणों का सार	279
अनुलग्नक		291
1	यह विवरण दिनांक 01/04/2013 से 31/03/2014 तक पंजीकृत मामलों को दर्शाता है	293
2	यह विवरण वर्ष 2013-14 के दौरान मामलों में निपटान को दर्शाता है	294
3	यह विवरण दिनांक 31/3/2014 तक के लम्बित मामलों की संख्या को दर्शाता है	295
4	वर्ष 2013-2014 के दौरान कुल मामलों की संख्या जहां पर रा.मा.अ.आ. द्वारा आर्थिक सहायता की सिफारिश की गई	296
5	वित्तीय राहत/अनुशासनात्मक कार्रवाई/अभियोजन के भुगतान हेतु वर्ष 2011-12 के दौरान रा.मा.अ. आयोग के संस्तुतियों के अनुपालन हेतु लंबित मामलों का विवरण	297
6	आर्थिक सहायता/अनुशासनिक कार्रवाई/अभियोजन के भुगतान के लिए वर्ष 2012-2013 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संस्तुतियों के अनुपालन के लम्बित मामलों का विवरण	312
7	वर्ष 2011-12 के दौरान रा.मा.अ. आयोग द्वारा आर्थिक राहत के भुगतान/अनुशासनिक कार्रवाई/अभियोजन के लिए की गई सिफारिशों के अनुपालन के लिए लंबित मामलों का विवरण	315

8	मानव अधिकार के रूप में स्वास्थ्य देखभार के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिशें	318
9	सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करने की दिशा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की हाल ही की पहलों को उजागर करता हुआ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अग्रेषित विवरण	331
10	मानसिक स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित तेरह मुद्दों पर दिशानिर्देश चाहने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर आवेदन	336
11	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का पुनरीक्षण दौरा (17 – 20 नवम्बर, 2013)	338
12	सिर पर मैला ढोने तथा स्वच्छता के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिशें	355
13	महिलाओं के मानव अधिकारों के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिशें	361
14	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा वर्ष 2013–2014 के दौरान आयोजित किए गए कार्यक्रम	382
15	“विएना घोषणा, पेरिस सिद्धान्तों और आई0सी0सी0 – भविष्य के लिए आयोजना” पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तुतिकरण	390

चार्ट एवं ग्राफ

1.	2012–2013 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में दर्ज किए गए मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या	397
2.	2012–2013 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में हिरासत में मृत्यु से संबंधित दर्ज की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूचना	398
3.	2012–2013 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोगों को हस्तांतरित किए गए मामले।	399
4.	2012–2013 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए रिपोर्ट मामलों का स्वरूप एवं उनका वर्गीकरण	400
5.	2012–2013 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आरंभ में खारिज किए गए मामले जिनकी खारिज दर 2 प्रतिशत से अधिक है	401
6.	2012–2013 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश सहित निपटाए गए मामले जिनका निपटान दर 2 प्रतिशत से अधिक है	402

7.	2012–2013 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए / निपटान के लिए लंबित मामले	403
8.	2011–2012 के दौरान दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोगों को हस्तांतरित किए गए मामले।	404
संक्षिप्तियाँ		405

अध्याय — 1

प्रस्तावना

1.1 यह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन०एच०आर०सी०) की इक्कीसवीं वार्षिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक की अवधि को शामिल किया गया है।

1.2 की गई कार्रवाई संबंधी ज्ञापन तैयार करने तथा “मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993” की धारा 20(2) तथा सितम्बर 2006 में इसमें किए गए संशोधन के तहत परिकल्पित प्रक्रियाओं के अनुसरण में इस ज्ञापन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आयोग की 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 तक की अवधि की बीसवीं वार्षिक रिपोर्ट को दिनांक 13 फरवरी, 2014 को केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

1.3 पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान न्यायविद श्री के०जी० बालाकृष्णन, भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पर बने रहे। न्यायविद श्री बी०सी० पटेल तथा श्री सत्यव्रत पाल भी आयोग के सदस्य बने रहे तथा अपने-अपने कार्यकाल की समाप्ति पर क्रमशः 22 जुलाई 2013 तथा 1 मार्च 2014 को कार्यभार से मुक्त हुए। राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी, भारत सरकार के भूतपूर्व महानिदेशक श्री एस०सी० सिन्हा ने दिनांक 8 अप्रैल 2013 को एक नए सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश न्यायविद श्री सिरियक जोसेफ तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायविद श्री डी० मुरुगेशन अन्य दो सदस्य थे जिन्होंने क्रमशः 27 मई एवं 21 सितम्बर, 2013 को कार्यभार ग्रहण किया।

1.4 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसरण में डॉ० पी०एल० पूनिया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष; डॉ० रामेश्वर ओरॉन, राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग के अध्यक्ष; तथा श्री वजाहत हबीबुल्लाह, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष तथा सुश्री ममता शर्मा, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने आयोग के सदस्य के रूप में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के खंड (ख) से (ज) में निर्दिष्ट कार्यों का निर्वहन करना जारी रखा।

1.5 दिनांक 31 जुलाई 2013 को डॉ० अशोक साहू (आई०ई०एस० : 75) के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद डॉ० परविन्दर सोही बेहुरिआ (आई०आर०एस० : 77) ने दिनांक 8 नवम्बर, 2013 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अपनी नियुक्ति से पहले डॉ० बिहुरिया, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य तथा भारत सरकार के विशेष सचिव के पद पर रह चुके हैं। आप दिनांक 31 मार्च 2014 को सेवानिवृत्त हो गईं। श्रीमती कंवलजीत दियोल, आई०पी०एस० (ए.जी.एम.यू.:77) ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में महानिदेशक (अन्वेषण) के पद पर अपनी सेवाएं देते रहे। श्री ए०के० गर्ग तथा श्री जे०एस० कोचर (आई०ई०एस०:1986) ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में क्रमशः रजिस्ट्रार (विधि) तथा संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) के पद पर कार्य करना जारी रखा।

1.6 आयोग की वार्षिक रिपोर्टें, आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष की जाने वाली समग्र गतिविधियों के बारे में बताने के अलावा देश में मानव अधिकारों संबंधी जानकारी देने वाले प्रमुख स्रोत का भी कार्य करती हैं। वर्तमान

वार्षिक रिपोर्ट में भी आयोग द्वारा मानव अधिकारों संबंधी विविध चिंताओं के साथ-साथ प्राप्त शिकायतों पर तथा आयोग की अन्य महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं तथा उपलब्धियों के बारे में बताया गया है।

1.7 हमारे जैसे विविधता भरे समाज में मानव अधिकारों, चाहे वो सिविल तथा राजनीतिक अथवा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हों, की अविभाज्य तथा अंतःसंबंधी प्रवृत्ति स्वतः स्पष्ट है। भारत के संविधान में भी इस पहलू को काफी महत्व दिया गया है। वास्तविक परिस्थिति काफी अलग है क्योंकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के खिलाफ व्यापक भेदभाव अभी भी विद्यमान हैं। महिलाओं, बच्चों तथा अन्य संवेदनशील वर्गों के संबंध में भी यह बात सत्य है। यह विपथन केवल पीड़ितों के लिए ही नहीं बल्कि समग्र देश के लिए एक गंभीर खतरा है क्योंकि भेदभाव के कारण गंभीर असमानता जन्म लेती हैं और राष्ट्र की समग्र स्वतंत्रता एवं समृद्धि को खोखला कर देती हैं। पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक समूह की समस्याओं तथा चिंताओं पर आयोग द्वारा उचित ध्यान दिया गया है।

1.8 इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों, विशेषतः अभिरक्षा में हुई मृत्यु, अवैध गिरफ्तारी, पुलिस की बदसलूकी, पुलिस फायरिंग तथा मुठभेड़ में मृत्यु और कारावासों की परिस्थितियों सहित हिरासतीय हिंसा एवं प्रताड़ना पर प्रकाश डाला गया है। इसके बाद रिपोर्ट में आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों जैसे कि स्वास्थ्य, भोजन, शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के अधिकार के साथ-साथ महिलाओं, बच्चों, अशक्त व्यक्तियों तथा वृद्ध लोगों सहित अन्य संवेदनशील वर्गों के अधिकारों; मानव अधिकार संबंधी शिक्षा, प्रशिक्षण तथा जागरूकता; भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा मानव अधिकारों के संरक्षकों के प्रयासों के समर्थन में राज्य मानव अधिकार आयोगों तथा गैर सरकारी संगठनों की भूमिका के बारे में बताया गया है। आयोग द्वारा निपटाए गए, अधिकारों की प्रत्येक श्रेणी के अधीन हुए मानव अधिकारों के उल्लंघन के महत्वपूर्ण मामलों को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा ह्यूमन राइट्स काउंसिल, एशिया पेसिफिक फोरम ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन्स तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए सहयोग को भी शामिल किया गया है।



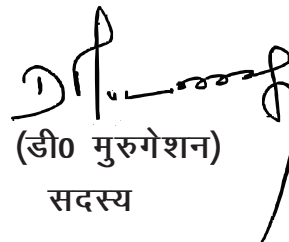
(के0जी0 बालकृष्णन)

अध्यक्ष



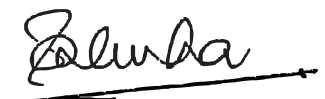
(सिरियक जोसेफ)

सदस्य



(डी0 मुरुगेशन)

सदस्य



(एस0सी0 सिन्हा)

सदस्य

7 मई 2015

नई दिल्ली।

विशेष : 2013—2014

2.1 मानव अधिकार ऐसी सार्वभौमिक विधिक गारंटी है जो व्यक्तियों एवं समूहों को ऐसी कार्रवाईयों एवं चूकों के प्रति संरक्षण उपलब्ध कराती हैं जो मौलिक स्वतंत्रताओं, पात्रताओं एवं मानवीय गरिमा में हस्तक्षेप करती हैं। शांति, विकास तथा लोकतंत्र की वैश्विक प्राथमिकताओं के सतत प्राप्ति के लिए मानव अधिकारों के प्रति सम्मान बहुत ही आवश्यक है। इनकी केन्द्रीयता के मद्देनजर मानव अधिकारों का सुदृढीकरण, संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य राष्ट्रों के कार्यों का मुख्य केन्द्र है। किन्तु सभी लोगों को मानव अधिकारों का भरोसा दिलाना प्रत्येक देश में एक बहुत ही मुश्किल कार्य है, दंडाभाव के चलते विश्व के सभी भागों में इनका उल्लंघन अभी भी जारी है।

2.2 आज भी कई बिलियन लोग बहुत ही गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं और धनी एवं गरीब देशों के बीच की विषमता और अधिक बढ़ती जा रही है। हिंसक संघर्षों में बढ़ोतरी हो रही है, कई बार सम्पूर्ण समुदायों का विनाश करते हुए कई मिलियन लोगों को अपने घरों से दूर जाने पर मजबूर करते हुए, राजनीतिक अतिवाद तथा आतंकवाद अनगिनत मासूम नागरिकों को अपना लक्ष्य बनाता जा रहा है। बेरोजगारी, भेदभाव तथा सामाजिक बहिष्कार का अभिशाप सभी समाजों को कुंठित कर रहा है। हालांकि नूतन सूचना एवं प्रौद्योगिकी सहित वैश्वीकरण ने पूरे विश्व को नजदीक ला दिया है लेकिन इसने मानवीय सुरक्षा तथा मानवीय स्वतंत्रता को नए खतरे भी दिए हैं। इन सभी ने समाज के असामाजिक तत्वों को लाभ पहुंचाया है जिसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार, संगठित अपराध तथा औषधियों, शस्त्रों, जहरीली सामग्री और यहां तक कि मानवों विशेषतः महिलाओं एवं बच्चों की हर प्रकार के शोषण हेतु पारदेशीय अवैध तस्करी में बढ़ोतरी हुई है।

2.3 सभी देशों में सभी लोगों के लिए सारे मानव अधिकार — 21वीं सदी का यही लक्ष्य होना चाहिए। आज के विश्व में इस लक्ष्य को विश्वव्यापी स्तर पर प्राप्त करने की जागरुकता, संसाधन तथा क्षमता है। तथापि, गरिमापूर्ण जीवन की मांग करने वाली इस बढ़ती हुई वैश्विक जनसंख्या की वास्तविक परीक्षा, वो डिग्री है जिस स्तर तक वो बिना किसी भेदभाव के भय के अभाव में स्वतंत्रता का आनंद उठाने के लिए सक्षम हो सके। इसकी प्राप्ति निसंदेह ही ऐसे लोकतंत्र द्वारा हो सकती है जो विस्तृत हो और जिसमें सुशासन एवं मानव अधिकारों की संस्कृति विद्यमान है। विस्तृत लोकतंत्र, सुशासन तथा मानव अधिकार परस्पर रूप से एक-दूसरे का समर्थन करते हैं क्योंकि यह एक-दूसरे की प्राप्ति में सहायक हैं। यदि पोस्ट 2015 एजेंडा की तर्ज पर “सभी के लिए समग्र मानव अधिकार” के मूलभूत लक्ष्य को प्राप्त करना है तो भारत सहित किसी भी देश द्वारा इन पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है।

2.4 इस देश के लोगों के संबंध में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन को सुनिश्चित करने के लिए भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इन बिन्दुओं पर सतत नजर बनाए हुए है। आगामी पैराग्राफों में अप्रैल 2013 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान आयोग द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियों/कार्रवाईयों के बारे में जानकारी दी गई है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपने भवन में स्थानांतरित

2.5 दिनांक 9 सितम्बर, 2013 को आयोग अपने स्वयं के नए भवन अर्थात् मानव अधिकार भवन, आई0एन0ए0, नई दिल्ली में स्थानांतरित हो गया। नए परिसर का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री के0जी0 बालाकृष्णन ने आयोग के गठन से लेकर अब 20 वर्ष की अवधि के बाद स्वयं का भवन होने पर संतोष व्यक्त किया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाई

2.6 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिनांक 12 अक्टूबर, 2013 को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाई जिसमें आयोग के अधिकारियों एवं स्टॉफ ने भी भाग लिया। स्थापना दिवस समारोह के भाग के रूप में बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को तथा हिन्दी में निबंध लेखन के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकार दिवस मनाया

2.7 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हुए मानव अधिकार दिवस मनाया। इस मौके पर भारत के माननीय उप-राष्ट्रपति श्री एम0 हमीद अंसारी मुख्य अतिथि थे। वर्ष 2013 के मानव अधिकार दिवस के मूल विषय – “20 वर्ष : आपके अधिकारों के लिए कार्यरत” के परिप्रेक्ष्य में माननीय श्री अंसारी जी ने “मानव अधिकार तथा मानव उपकार” पर कुछ शब्द कहे। संयोगवश, वर्ष 2013 के मानव अधिकार दिवस पर ही संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय तथा भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की 20वीं वर्षगांठ भी मनाई गई।

आयोग की बैठकें

2.8 पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान पूर्ण आयोग ने 45 बैठकों में मानवाधिकार उल्लंघन के विभिन्न मामलों पर विचार किया और निर्णय दिया। इसके अतिरिक्त दो प्रभागीय पीठों ने 89 बैठकों में 1228 मामलों का विचारण किया। आयोग की तीन मुक्त शिविर बैठकों में अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर भी विचार किया गया। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसरण में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के मानित सदस्यों से युक्त सांविधिक पूर्ण आयोग

ने इन आयोगों में समन्वय तथा अन्य पहलुओं से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए दिनांक 4 फरवरी, 2014 को एक बैठक की।

अनुसूचित जातियों के प्रति अत्याचार संबंधी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की मुक्त सुनवाई

2.9 विगत की तरह ही पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने दो मुक्त सुनवाईयों का आयोजन किया — दिनांक 25 एवं 26 नवम्बर, 2013 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में तथा दूसरी सुनवाई का आयोजन उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर तथा गौतम बुद्ध नगर के जिलों को कवर करते हुए दिनांक 12 दिसम्बर, 2013 को आयोग के परिसर, नई दिल्ली में किया गया। आयोग के संज्ञान में पुलिस की निष्क्रियता, पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई पक्षपातपूर्ण जांच, महिलाओं के प्रति अपराध, यौन उत्पीड़न, सिविल विवाद तथा सिविल मामलों जैसे मामले लाए गए।

छत्तीसगढ़, मणिपुर तथा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की शिविर बैठकें

2.10 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, लंबित शिकायतों के निपटान में तेजी लाने के साथ-साथ आयोग द्वारा विभिन्न मानव अधिकार संबंधी चिंताओं के संबंध में राज्य पदाधिकारियों द्वारा की गई प्रगति की पुनरीक्षा के लिए राज्य की राजधानियों में शिविर बैठकों का आयोजन कर रहा है। आयोग ने विगत में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगलूरु (चार दक्षिण भारतीय राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के लिए), ओडिशा, असम, मेघालय तथा महाराष्ट्र में शिविर बैठकों का आयोजन किया।

2.11 पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने छत्तीसगढ़, मणिपुर तथा उत्तर प्रदेश में तीन शिविर बैठकों का आयोजन किया। पहली शिविर बैठक का आयोजन दिनांक 11 एवं 12 अप्रैल, 2013 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में किया गया। न्यायविद श्री के0जी0 बालाकृष्णन, अध्यक्ष की अध्यक्षता में पूर्ण आयोग तथा प्रभागीय पीठ ने 29 मामलों की सुनवाई की और मानव अधिकारों के उल्लंघन के 21 मामलों में लगभग 20 लाख रु0 की वित्तीय सहायता की सिफारिश की।

2.12 आयोग ने दिनांक 23 से 25 अक्टूबर, 2013 तक इम्फाल, मणिपुर में तीन-दिवसीय शिविर बैठक का आयोजन किया। कुल 46 मामलों का निपटान किया गया, चार मामले पूर्ण आयोग में निपटाए गए, 42 मामले प्रभागीय पीठ द्वारा निपटाए गए। इनमें से कुछ मामले लोकटक झील तथा चूडाचांदपुर जिला अस्पताल से संबंधित थे जिनके संबंध में आयोग ने सिफारिश की कि इन मामलों की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी0बी0आई0) द्वारा कराई जानी चाहिए। आयोग ने पुलिस/सुरक्षा बलों द्वारा किए गए मानव अधिकार उल्लंघन के कारण हुई मौतों के छः मामलों में 32 लाख रु0 की वित्तीय सहायता की सिफारिश की।

2.13 मणिपुर में आयोग की एक टीम जिसमें सदस्यगण न्यायविद श्री सिरियक जोसेफ तथा श्री सत्यव्रत पाल थे, के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने सुश्री इरोम शर्मीला, एक मानव अधिकार कार्यकर्ता, जो सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम (ए एफ एस पी ए) को रद्द करने की मांग को लेकर अनिश्चित काल के उपवास पर थीं, से मिलने के लिए जवाहर लाल नेहरू इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिस का दौरा किया। सुश्री इरोम शर्मीला द्वारा यह घोषणा किए जाने कि जब तक सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम (ए एफ एस पी ए) रद्द नहीं होगा वो उपवास पर रहेंगी, के बावजूद पर भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत मुकदमा चल रहा है, क्योंकि राज्य सरकार के मतानुसार भोजन न करने से निरन्तर इन्कार करना आत्महत्या करने का एक प्रयास है।

2.14 आयोग की तीसरी शिविर बैठक का आयोजन दिनांक 15 से 17 जनवरी, 2014 तक लखनऊ, उत्तर प्रदेश में किया गया। सुनवाई के दौरान पूर्ण आयोग तथा दो प्रभागीय पीठों ने अनुसूचित जातियों पर अत्याचार, बालगृहों में यौन उत्पीड़न, चिकित्सीय उपेक्षा, सिर पर मैला ढोना तथा पुलिस अभिरक्षा तथा मुठभेड में मौत से संबंधित 92 मामलों का निपटान किया।

2.15 आयोग ने 25 मामलों में पीडित/मृतक के निकटतम संबंधी को कुल 1,20,65,000/—रु० का भुगतान करने की सिफारिश की। इसके अतिरिक्त, आयोग ने राज्य सरकार को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया कि पुलिस अभिरक्षा/मुठभेड में हुई मौतों के आठ मामलों में मृतक के निकटतम संबंधी को वित्तीय राहत का भुगतान क्यों नहीं किया जाए। इसके अलावा, आयोग ने पुलिस मुठभेड में मौत के दो मामलों में सी०बी०सी०आई०डी० जांच की सिफारिश की।

मीडिया के साथ संवाद

2.16 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अपने गठन के समय से ही यह मानना रहा है कि मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन में मीडिया इसका भागीदार रहा है। आयोग अपने द्वारा आयोजित की जाने वाली गतिविधियों, किए गए हस्तक्षेपों तथा विभिन्न पणधारियों को अग्रेषित की गई सिफारिशों संबंधी जानकारी को साझा करने के लिए विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करता है। इनमें प्रेस विज्ञप्ति, चुनिन्दा मीडिया ब्रीफिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस तथा अध्यक्षा एवं सदस्यों के साक्षात्कार शामिल हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं तथा अन्य कार्यक्रमों में मीडिया के लोगों को भी आमंत्रित किया जाता है।

2.17 पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने अपने द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों और किए गए हस्तक्षेपों के संबंध में 196 प्रेस विज्ञप्तियों/वक्तव्यों को जारी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस तथा दिन प्रति दिन मीडिया ब्रीफिंग के साथ-साथ देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाली सभी शिविर बैठकों तथा मुक्त सुनवाईयों को कवर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए। इसके अलावा, आम जनता के सुनने एवं देखने के लिए आकाशवाणी तथा दूरदर्शन में 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस तथा अध्यक्ष एवं सदस्यों के 11 साक्षात्कारों का आयोजन किया गया।

शिकायतों की संख्या तथा प्रकृति

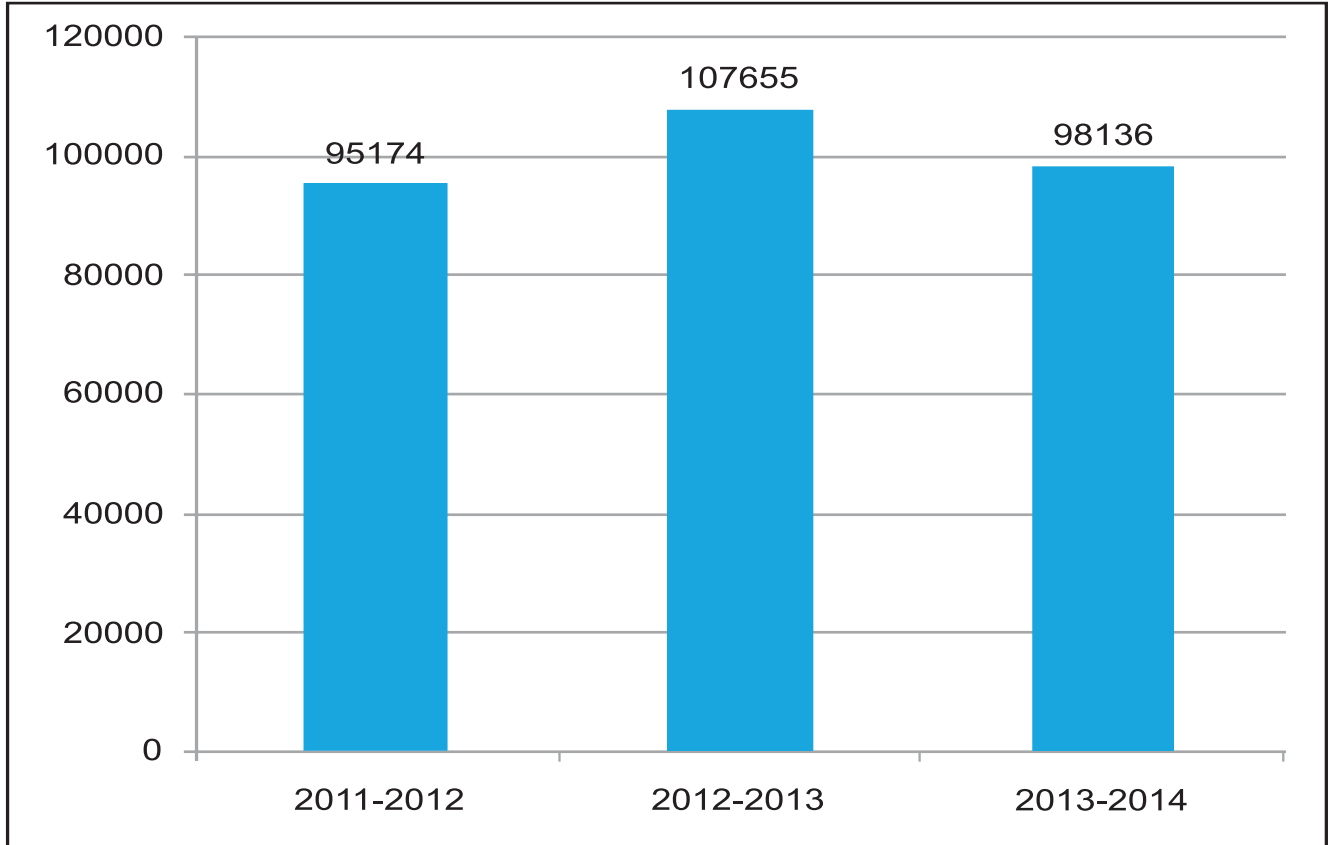
2.18 आयोग को विगत की तरह ही देश के विभिन्न भागों से विभिन्न ऐसे मुद्दों पर शिकायतें प्राप्त होना जारी है जिनमें लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ या ऐसे उल्लंघन को रोकने में लोक-सेवक उदासीन रहे। इन शिकायतों में कथित हिरासतीय मौतों, प्रताड़ना, जाली मुठभेड़, पुलिस की ज्यादती, सुरक्षा बलों द्वारा किया गया उल्लंघन, कारावास संबंधी परिस्थितियां, महिलाओं, बच्चों तथा अन्य संवेदनशील वर्गों पर किए जाने वाले अत्याचार, सामुदायिक हिंसा, बंधुआ एवं बाल मजदूरी, सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान न करना, लोक प्राधिकारियों की लापरवाही आदि से संबंधित मामले शामिल हैं। आयोग, पुलिस मुठभेड़ों तथा पुलिस अभिरक्षा, न्यायिक अभिरक्षा तथा सैन्य/अर्ध-सैनिक बलों की अभिरक्षा में होने वाली मौतों के संबंध में प्राप्त सूचनाओं पर भी संज्ञान लेता है। आयोग, देश के विभिन्न भागों के दौरों के दौरान आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, विशेष प्रतिवेदकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के नोटिस में आने वाले मामलों सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्टों से संबंधित कई घटनाओं को स्वतः संज्ञान में लेता है।

मानव अधिकार उल्लंघन के मामले

2.19 वर्ष 2013-2014 के दौरान आयोग में 98,136 मामले पंजीकृत किए गए (**अनुलग्नक 1**)। आयोग ने 92,292 मामलों का निपटान किया जिसमें पिछले वर्षों के मामले भी शामिल थे। पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोग द्वारा निपटाए गए कुल मामलों में से 49,776 मामलों को 'प्रारंभिक स्तर' पर ही खारिज कर दिया गया था, जबकि 26,964 मामलों में यथोचित प्राधिकारियों को उपचारी उपाय करने संबंधी निदेश देते हुए उनका निपटान किया गया। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य मानव अधिकार आयोगों को कुल 5,787 मामले अंतरित किए गए। वर्ष 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार मामलों का विवरण **अनुलग्नक-2** पर है। रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति अर्थात् 31 मार्च 2014 को आयोग के पास 28,886 मामले लंबित थे। इसमें 2,316 मामले ऐसे थे जिनका प्रारंभिक विचारण प्रतीक्षित था तथा पिछले वर्षों के 26,570 मामले ऐसे थे जिनके संबंध में संबंधित प्राधिकारियों से रिपोर्ट प्रतीक्षित थीं या प्राप्त हो गई थीं लेकिन वो आयोग के भावी विचारण के लिए लंबित थीं (**अनुलग्नक-3**)।

2.20 नीचे दिए गए ग्राफ में वर्ष 2011-2012 से 2013-2014 तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में पंजीकृत हुए कुल मामलों का तुलनात्मक आकलन किया गया है:

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में पंजीकृत कुल मामले (2011-2012 से 2013-2014 तक)

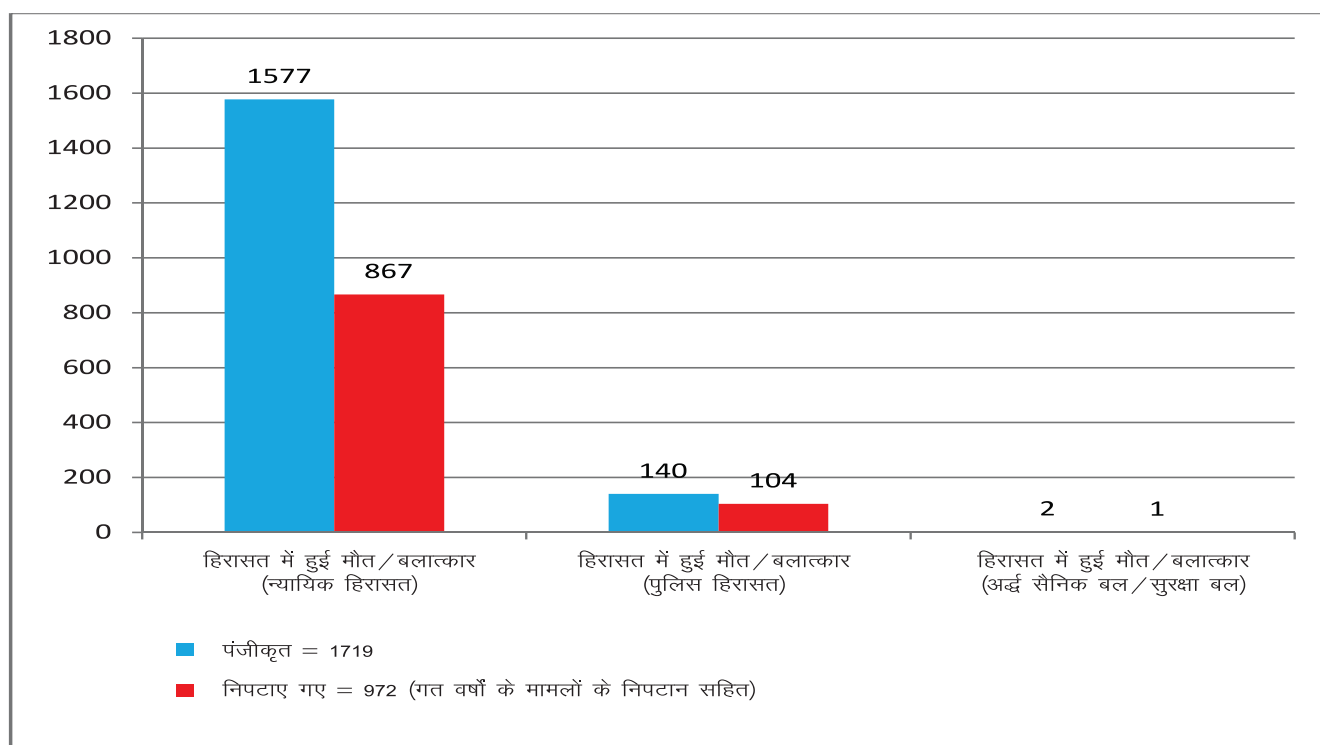


सिविल एवं राजनीतिक अधिकार

हिरासतीय हिंसा निवारण

2.21 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान न्यायिक अभिरक्षा¹ में मृत्यु की 1,557 सूचना, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की 140 सूचना तथा अर्धसैनिक बलों/रक्षा बलों की अभिरक्षा में मृत्यु की दो सूचनाएं प्राप्त हुईं। आयोग ने अभिरक्षा में मौतों के 972 मामलों को निपटाया जिसमें न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु के 867 मामले, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के 104 मामले तथा अर्धसैनिक बलों की अभिरक्षा में मृत्यु का एक मामला शामिल थे। इन आंकड़ों में पिछले वर्ष के मामले भी शामिल हैं। पूर्ण विवरण के लिए नीचे दिए गए ग्राफ को देखें :-

**2013-2014 के दौरान पंजीकृत तथा निपटाए गए
हिरासत में हुई मृत्यु/बलात्कार के मामलों की संख्या**



स्थल निरीक्षण

2.22 वर्ष 2013-2014 के दौरान आयोग के निदेश पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अन्वेषण प्रभाग ने सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के कथित उल्लंघन के

¹ वार्षिक रिपोर्ट में न्यायिक अभिरक्षा का अर्थ है, न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में जेलों में बंद व्यक्ति।

51 मामलों का स्थल निरीक्षण किया। यह स्थल निरीक्षण मुख्यतः हिरासतीय मौतों; अभिरक्षा में प्रताड़ना; झूठे मामलों में फंसाना; अवैध रूप से बंदी बनाना; बंधुआ मजदूरी; अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वंचित वर्गों पर अत्याचार; सरकारी अस्पतालों में चिकित्सीय लापरवाही तथा उचित चिकित्सा सुविधाओं के अभाव; पर्यावरणीय प्रदूषण; सम्मान की रक्षा के लिए हत्या; तथा कारावासों, बाल सुधार गृहों में अमानवीय स्थिति से संबंधित थे। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा डब्ल्यू0पी0 (सिविल) सं0 446/2013 मामले में दिए गए निर्देश पर अन्वेषण प्रभाग द्वारा एक स्थल निरीक्षण किया गया।

वित्तीय सहायता तथा उसके अनुपालन के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिशें

2.23 दिनांक 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 की अवधि के दौरान आयोग ने 443 मामलों में पीडित/मृतक के निकटतम संबंधी को वित्तीय सहायता/मुआवजे के भुगतान के रूप में 15,19,53,086/—रु0 की सिफारिश की। वित्तीय राहत की सिफारिश किए गए कुल मामलों में से केवल 83 मामलों के संबंध में ही अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिनमें पीडित/मृतक के निकटतम संबंधियों को 2,33,95,000/—रु0 की कुल राशि का भुगतान किया गया।

2.24 पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने ऐसे 360 मामलों की अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जिनमें 12,85,58,086/—रु0 की वित्तीय सहायता की सिफारिश की गई थी (**अनुलग्नक-5**)। आयोग एक बार फिर सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से, विशेषतः उत्तर प्रदेश सरकार से सिफारिश की है कि वे उनके पास अनुपालन के लिए लंबित पड़े मामलों पर शीघ्र कार्रवाई करें ताकि प्रत्येक मामले में संस्तुत वित्तीय सहायता तत्काल ही पीडित/निकटतम संबंधी को दी जा सके। अनुलग्नक से स्पष्ट है कि 2013-2014 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के पास कुल 125 मामले, असम सरकार के पास 29 मामले और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पास अनुपालन के लिए 25 मामले लंबित थे जिनमें आयोग द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में क्रमशः 4,39,15,000/—रु0, 1,84,20,000/—रु0 तथा 40,50,000/—रु0 की सिफारिश की गई थी। बिहार (18/ 35,80,000/—रु0), महाराष्ट्र (18/ 62,75,000/—रु0), मध्य प्रदेश (16/ 39,45,000/—रु0), मणिपुर (16/ 84,00,000/—रु0), हरियाणा (13/ 35,55,000/—रु0), राजस्थान (13/ 24,00,000/—रु0), आंध्र प्रदेश (13/ 23,85,000/—रु0), ओडिशा (12/ 45,85,000/—रु0) तथा पश्चिम बंगाल (11/ 37,60,000/—रु0) ऐसे अन्य राज्य अवरोही क्रम में थे जहां काफी संख्या में मामले लंबित थे।

2.25 जहां तक पिछले वर्षों के लंबित मामलों की अनुपालन रिपोर्ट का संबंध है, 105 मामलों में अनुपालन प्रतीक्षित थी, विस्तृत विवरण के लिए **अनुलग्नक 6** एवं **7** देखें। **अनुलग्नक 6** में वर्ष 2012-2013 के वित्तीय सहायता अनुपालन संबंधी लंबित मामलों का विवरण दिया गया है। जैसा कि स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य एक बार फिर से सूची में अव्वल स्थान पर है क्योंकि आयोग को आज की तारीख तक 16 मामलों में भुगतान का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, जिनमें से अधिकांश मामले सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों से संबंधित हैं।

झारखण्ड (5), मध्य प्रदेश (5), पश्चिम बंगाल (4), तमिलनाडु (4), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (4), आंध्र प्रदेश (3), महाराष्ट्र (3), ओडिशा (3), पंजाब (3), कर्नाटक (2), असम (2), बिहार (2), गुजरात (2), राजस्थान (2), जम्मू एवं कश्मीर (1), हरियाणा (1), छत्तीसगढ़ (1), तथा मणिपुर (1) जैसे अन्य राज्यों ने अभी भी इस संबंध में अपनी अनुपालन रिपोर्ट अग्रेषित नहीं की है। सेना/अर्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों द्वारा महिलाओं के यौन उत्पीड़न, महिलाओं का अपमान, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अस्पतालों में अनियमितताएं/कदाचार, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं सहित महिलाओं का अपहरण/बलात्कार तथा पेंशन का भुगतान न करना जैसे कुछेक मामलों को छोड़कर इन राज्यों से संबंधित सभी मामले मुख्यतः सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों से संबंधित थे। इन मामलों का विस्तृत विवरण राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पिछली रिपोर्टों में दिया गया है। आयोग एक बार फिर से उपरोक्त सभी राज्य सरकारों को अपनी अनुपालन रिपोर्ट भेजने के लिए तत्काल कदम उठाने के साथ-साथ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित महिलाओं सहित महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा तथा भेदभाव के कृत्यों को रोकने के लिए विशेष उपायों सहित सिविल, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए व्यापक कदम उठाने की बात दोहराई है।

2.26 अनुलग्नक 7 में आयोग द्वारा 1998-1999 से 2011-2012 की अवधि के दौरान वित्तीय राहत, अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा अभियोजन के लिए की गई सिफारिशों पर किए जाने वाले अनुपालन संबंधी लंबित मामलों का विवरण दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि विनिर्दिष्ट अनुलग्नक में इंगित 41 मामलों में से नौ मामलों में संबंधित राज्य सरकारों ने अपने संबंधित उच्च न्यायालयों में आयोग की सिफारिशों को चुनौती दी है तथा इनमें से अधिकांश मामलों में अंतिम निर्णय प्रतीक्षित है। ये राज्य हैं केरल (3), ओडिशा (3), जम्मू एवं कश्मीर (2) तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (1)। आयोग ने फिर भी इन सरकारों से पुरजोर अपील की है कि वे अपने संबंधित उच्च न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों में तेजी लाएं। आयोग इस बात पर विश्वास करता है कि **अनुलग्नक 7** में सूचीबद्ध अन्य राज्यों की सरकारें भी आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का अनुपालन करेंगी और पीड़ित/निकटम संबंधी को जल्द से जल्द राहत उपलब्ध कराएंगी।

पुलिस स्टेशनों और कारावासों का निरीक्षण

2.27 आयोग के सात विशेष प्रतिवेदकों पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान देश के विभिन्न भागों में स्थित सात पुलिस स्टेशनों, छः उप-कारागारों, 12 जिला कारावासों, 20 सेंट्रल जेलों तथा महिलाओं के लिए एक विशिष्ट जेल का दौरा किया। इनमें से कुछ पुलिस स्टेशनों थे – मध्य प्रदेश में श्यामला हिल्स पुलिस स्टेशन तथा छत्तीसगढ़ में नौघाट पुलिस स्टेशन, हिरी पुलिस स्टेशन, रतनपुर पुलिस स्टेशन तथा आदर्श पुलिस स्टेशन।

2.28 कुछ उप-कारागारों तथा जिला कारावासों का दौरा भी किया गया जो इस प्रकार हैं – हिमाचल प्रदेश में सोलन उप-कारागार, नागालैण्ड में दीमापुर उप-कारागार, गुजरात में गोधरा उप-कारावास, महाराष्ट्र में भंडारा जिला कारावास, पंजाब में होशियारपुर जिला कारावास, बिहार में बेतिया तथा राजस्थान में जैसलमेर।

अन्य जेलों के साथ जिन सेंट्रल जेलों का दौरा किया गया वे त्रिपुरा, मणिपुर, झारखंड, गोवा तथा मिजोरम राज्य में थे। इस वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 4 में उन सभी जेलों का विवरण दिया गया है जिनका दौरा किया गया था। विशेष प्रतिवेदकों के दौरों के आधार पर उनके द्वारा बनाई गई रिपोर्टों को आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उसके बाद आयोग की सिफारिशों को अनुपालन के लिए संबंधित राज्य सरकारों को अग्रेषित कर दिया गया।

छत्तीसगढ़ में हुए नक्सलवादी हमले पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा जारी वक्तव्य

2.29 दिनांक 25 मई, 2013 को छत्तीसगढ़ में हुए बर्बरतापूर्ण नक्सलवादी हमले, जिसमें नक्सलियों द्वारा कई लोगों को मौत के घाट उतारा गया, से भयभीत होकर आयोग ने हमले की निन्दा करते हुए एक वक्तव्य जारी किया और नक्सलवादियों से हिंसा छोड़ने का अनुरोध किया जिसने गांवों के लिए उस मामले को और बदतर बना दिया है जिसके कारण वे समर्थन कर रहे हैं।

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम का लक्षद्वीप दौरा

2.30 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकारियों की एक टीम ने मानव अधिकारों के उल्लंघन के मुद्दों की जांच करने, आयोग की सिफारिशों के अनुपालन की स्थिति की पुनरीक्षा करने तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के अधिकारियों को सुग्राही बनाने के लिए दिनांक 26 से 29 अप्रैल, 2013 तक लक्षद्वीप का दौरा किया। लक्षद्वीप के दौरे के दौरान एक लोक-सुनवाई का भी आयोजन किया गया जहां शिकायतकर्ताओं से सीधे तौर पर प्राप्त हुई मानव अधिकारों के उल्लंघन संबंधी शिकायतों का निपटान किया गया।

2.31 इसके बाद न्यायविद श्री डी0 मुरुगेसन, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अध्यक्षता में एक टीम ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पहली टीम के दौरे के बाद संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों की पुनरीक्षा करने के लिए दिनांक 24 से 28 फरवरी, 2014 तक लक्षद्वीप का दोबारा दौरा किया।

स्वास्थ्य के विषय पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कोर ग्रुप की बैठक

2.32 आयोग में दिनांक 20 जून, 2013 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री एस0सी0 सिन्हा की अध्यक्षता में स्वास्थ्य के विषय पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कोर ग्रुप की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में ऐसे विषयों पर ध्यान केन्द्रित किया गया जिनके बारे में दिनांक 5 से 6 नवम्बर, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले स्वास्थ्य देखभाल संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन में मानव अधिकारों के रूप में विचार-विमर्श किया जाएगा। इसके बारे में विस्तृत जानकारी वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 5 जो “स्वास्थ्य का अधिकार” के बारे में है, में दी गई है।

उत्तराखंड त्रासदी का मौके पर आकलन

2.33 श्रीमती कंवलजीत देयोल, महानिदेशक (अन्वेषण) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की एक टीम ने बड़ी संख्या में जान और माल की तबाही करने वाली प्राकृतिक आपदा के बाद की स्थिति का मौके पर मुआयना करने के लिए दिनांक 15 से 18 जुलाई, 2013 तक उत्तराखंड का दौरा किया। इस टीम ने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देहरादून में एक बैठक आयोजित की। इन्होंने गैर सरकारी संगठनों के साथ भी बैठक की और बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। टीम ने मृतकों की संख्या, राहत शिविर, खाने और पेयजल की सुलभता, प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु प्रबंध, चिकित्सीय सुविधाएं, बचाव तथा सुरक्षोपाय, मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए प्रबंध, अवसंरचना का पुनःनिर्माण, आपदा प्रबंधन प्रणाली, वित्तीय राहत आदि सहित विभिन्न पहलुओं का आकलन किया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा क्लीनिकल ड्रग ट्रॉयल

2.34 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने उक्त प्रयोजन के लिए विशेष रूप से गठित की गई पांच सदस्यों की एक समिति के सुझाव से क्लीनिकल ड्रग ट्रॉयल के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण दिशानिर्देश तैयार किए हैं। यह दिशानिर्देश, आंध्र प्रदेश में महिलाओं पर किए जाने वाले औषधियों के अवैध क्लीनिकल ट्रॉयल के संबंध में आयोग के संज्ञान में लाई जाने वाली शिकायतों का परिणाम थे। इसका विस्तृत विवरण वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 5 में दिया गया है।

अक्षमता के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कोर ग्रुप की बैठक

2.35 दिनांक 20 अगस्त, 2013 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री एस0सी0 सिन्हा की अध्यक्षता में अक्षमता के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कोर ग्रुप की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कोर ग्रुप के सदस्यों ने वर्ष 2012 में तैयार किए गए “अशक्त व्यक्तियों के अधिकार संबंधी विधेयक” की समीक्षा की और उस पर विचार किया। इस संबंध में विवरण वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 11 में दिया गया है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य का विशाखापट्टनम का दौरा

2.36 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री एस0सी0 सिन्हा ने दिनांक 5 से 8 सितम्बर, 2013 तक आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम का दौरा किया। उन्होंने जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें की और राज्य सरकारों द्वारा संचालित किए जा रहे भारत सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पक्ष का मूल्यांकन किया। अपने दौरे के एक भाग के रूप में श्री सिन्हा ने जिले में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए सरकारी अस्पताल, जो दक्षिणी क्षेत्र में स्थापित पहले चार अब्बल मानसिक अस्पतालों में एक है, का निरीक्षण किया।

मानव अधिकारों की चुनौतियों, संवेदनशीलता के मुद्दों तथा 21वीं शताब्दी पर राष्ट्रीय सम्मेलन

2.37 आयोग तथा इन्दौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने दिनांक 12 और 13 सितम्बर, 2013 को उपरोक्त उल्लिखित राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का शुभारम्भ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ० डी०पी० सिंह की उपस्थिति में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री के०जी० बालाकृष्णन द्वारा किया गया। विश्वविद्यालय के छात्रों के अलावा कई विख्यात साहित्यकार तथा मीडिया की हस्तियों के साथ-साथ आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन के दौरान बड़ी संख्या में शोधपत्र पढ़े गए।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम द्वारा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर तथा शामली जिलों का दौरा

2.38 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के दंगा पीड़ित मुजफ्फरनगर तथा शामली जिलों में अपनी अन्वेषण टीम भेजी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य न्यायविद श्री सिरियक जोसेफ टीम के अध्यक्ष थे। इस प्रयास में सदस्य को अन्य लोगों के साथ-साथ श्रीमती कंवलजीत देयोल, महानिदेशक (अन्वेषण) तथा श्री ए०के० गर्ग, रजस्ट्रार (विधि) का सहयोग प्राप्त हुआ। टीम ने वर्तमान स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली राहत तथा पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का आकलन किया। भ्रमणकारी टीम द्वारा किए गए प्रेक्षणों के आधार पर राज्य सरकार से की गई सिफारिशों के अलावा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर तथा आसपास के क्षेत्रों में हुए दंगों के बारे में एक वक्तव्य भी जारी किया।

मानव अधिकार के रूप में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन

2.39 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकार के रूप में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी विषय पर दिनांक 5 से 6 नवम्बर, 2013 को नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ऐसे तरीकों पर विचार करना था जिससे लोक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाया जा सके, विशेषतः स्वास्थ्य देखभाल की सुलभता, वहनीयता और गुणवत्ता के संदर्भ में। आयोग ने सम्मेलन की अंतिम सिफारिशों को अंगीकृत किया और अपेक्षित कार्रवाई करने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सहित सभी प्रतिनिधियों को अग्रेषित किया। राष्ट्रीय सम्मेलन के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 5 का संदर्भ लें।

मानव अधिकारों की भारतीय अवधारणा के संबंध में राष्ट्रीय सम्मेलन : एक संवाद

2.40 आयोग द्वारा दिनांक 5-6 नवम्बर, 2013 तक उक्त सम्मेलन का त्रिपुरा विश्वविद्यालय के सहयोग

से उनके परिसर में आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री के०जी० बालाकृष्णन द्वारा किया गया और विश्वविद्यालय के छात्रों एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकारियों के अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों सहित कई विख्यात विद्वानों ने इसमें भाग लिया। इस दो-दिवसीय सेमिनार के दौरान कई शोधपत्रों का पाठ किया गया।

मानव अधिकारों के संबंध में मीडिया कार्मिकों के लिए कार्यशाला

2.41 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मीडिया के व्यक्तियों के लिए दिनांक 19 दिसम्बर, 2013 को भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से “मीडिया तथा मानव अधिकार : मुद्दे तथा चुनौतियाँ” विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का आयोजन भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के परिसर में किया गया और इसका उद्घाटन आयोग के अध्यक्ष द्वारा किया गया।

वृद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा एवं कल्याण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कोर ग्रुप की बैठक

2.42 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री एस०सी० सिन्हा की अध्यक्षता में दिनांक 20 दिसम्बर, 2013 को आयोग के अंदर उपरोक्त कोर ग्रुप की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वृद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर, अभिभावक तथा वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा की आवश्यकता पर तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए मसौदा राष्ट्रीय नीति पर गंभीरता से विचार किया गया। संबंधित विवरण वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 10 में दिया गया है, यह अध्याय “वृद्ध व्यक्तियों के अधिकार” से संबंधित है।

अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के कार्यान्वयन संबंधी स्थिति रिपोर्ट

2.43 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों से अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के उपबंधों के कार्यान्वयन संबंधी स्थिति रिपोर्ट मांगी है।

2.44 आयोग ने अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की विभिन्न धाराओं ख 7(1), 15, 19, 20(1)(2)(5)] के तहत कार्यान्वयन संबंधी स्थिति रिपोर्ट के संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को नोटिस भी जारी किए हैं।

2.45 वृद्धों की समस्याओं से निपटने के लिए आयोग ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से भी अनुरोध किया कि वे मेडिकल कॉलेजों में “गेरोन्टोलॉजी” पर भी पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम शुरू करने की संभावनाओं पर विचार करें।

मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कोर ग्रुप की बैठक

2.46 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री एस0सी0 सिन्हा की अध्यक्षता में दिनांक 7 जनवरी, 2014 को आयोग में मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में आयोग द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय में, देश में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना को बेहतर बनाने सहित मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों/अस्पतालों में विद्यमान खामियों को दूर करने के संबंध में सी0आर0एल0 एम.पी. सं0 2013 के 8032 के साथ दायर की गई रिट याचिका (सी.आर.एल.) सं0 1981 का 1900 के संबंध में केन्द्र सरकार तथा कुछेक राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाओं पर विचार-विमर्श किया गया।

महिलाओं के अधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन

2.47 आयोग ने दिनांक 18 से 19 फरवरी, 2014 तक नई दिल्ली में महिलाओं के अधिकारों के संबंध में दो-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

2.48 सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे – दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 के आलोक में महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को रोकने तथा समाप्त करने के तरीकों पर विचार-विमर्श करना; महिलाओं एवं लड़कियों की तस्करी को रोकने और समाप्त करने के तरीकों पर ध्यान केन्द्रित करना; सी0ई0डी0ए0डब्ल्यू0, 2000 ट्रंफिकिंग प्रोटोकॉल, अम्मान प्रोग्राम ऑफ एक्शन तथा बच्चों एवं महिलाओं पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करने सहित मानव तस्करी को रोकने और उससे निपटने के लिए एकीकृत योजना को अंतिम रूप देना, जनसंख्या एवं विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आई0सी0पी0डी0) तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाली राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की जनसंख्या नीतियों से भेदभावपूर्ण एवं बाध्यकारी उपायों को दूर करने सहित भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गई द्वितीय सार्वभौमिक आवधिक पुनरीक्षा की सिफारिशों की तर्ज पर महिलाओं के यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संबोधित करना।

2.49 सम्मेलन की सिफारिशों को सभी प्रतिनिधियों तथा संबंधित पणधारियों को अग्रेषित किया गया। “महिलाओं तथा बच्चों के अधिकार” शीर्षक के तहत वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 9 में विस्तृत विवरण दिया गया है।

सिर पर मैला ढोने तथा स्वच्छता के संबंध में राष्ट्रीय सम्मेलन

2.50 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सिर पर मैला ढोने तथा स्वच्छता के संबंध में दिनांक 21 फरवरी, 2014 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य सिर पर मैला ढोना प्रतिबंधित रोजगार देना प्रतिबंधित करने और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के बारे

में जागरुकता फैलाना और सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए उसका उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। सम्मेलन की सिफारिशों को सभी प्रतिनिधियों तथा संबंधित पणधारियों को भेजा गया और उन्हें वार्षिक रिपोर्ट के अनुलग्नक-12 पर देखा जा सकता है।

बंधुआ मजदूरी के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कोर ग्रुप की बैठक

2.51 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य न्यायविद श्री डी0 मुरुगेसन की अध्यक्षता में दिनांक 25 मार्च, 2014 को आयोग में ही बंधुआ मजदूरी से संबंधित कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन तथा इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के संबंध में तैयार किए गए मसौदागत संशोधनों की समीक्षा की गई

प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशालाएं

राष्ट्रीय

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित किए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम

2.52 पुनरीक्षाधीन अवधि 2013-2014 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा देश भर के 77 प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य मानव अधिकार आयोगों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य संस्थानों/संगठनों के सहयोग से कुल 108 प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं तथा सेमिनार आयोजित किए गए। यह एक-दिवसीय मूल कार्यक्रम, दो-दिवसीय अग्रिम प्रशिक्षण या तीन-दिवसीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में थे। आयोजित किए गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में दिनांक 19-20 दिसम्बर, 2013 को आयोजित किया गया रेलवे सुरक्षा बल के प्रोबेशनरी ऑफिसरों के लिए एक अटैचमेंट प्रोग्राम भी था।

मानव अधिकारों के संबंध में राष्ट्रीय कृत्रिम न्यायालय प्रतियोगिता

2.53 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा दिनांक 7 से 9 मार्च, 2014 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय-1 के सहयोग से मानव अधिकारों के संबंध में एक राष्ट्रीय कृत्रिम न्यायालय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में भारत के विभिन्न विधि कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों से कुल मिलाकर अड़तालीस टीमों ने भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय

मिश्रित अध्ययन कार्यक्रम

2.54 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया-पेसेफिक मंच, सिडनी तथा राओल वॉलेनबर्ग संस्थान, स्वीडन ने एशिया-पेसेफिक में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के प्रतिनिधियों के लिए क्षेत्रीय मिश्रित कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें आयोग के दो अधिकारियों नामतः श्री के०एच०सी० रॉव, पुलिस उपाधीक्षक (अन्वेषण) तथा श्री टी० रवीन्द्रन, अनुभाग अधिकारी, समन्वयन ने भाग लिया। कार्यक्रम के एक भाग के रूप में उन्होंने सबसे पहले ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त किया जिसके बाद बैंकॉक में 25 नवम्बर सं 5 दिसम्बर 2013 तक फेस-टू-फेस वर्कशॉप का आयोजन किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां

महिलाओं के प्रति अत्याचार संबंधी संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदकों का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दौरा

2.55 सुश्री राशिदा मंजू, महिलाओं के प्रति अत्याचार संबंधी संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक ने दिनांक 30 अप्रैल, 2013 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा, उसके कारण तथा परिणाम संबंधी मुद्दों तथा इसे रोकने तथा इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिदेश के संबंध में विचार-विमर्श किया।

बंगलादेश के प्रतिनिधिमंडल का दौरा

2.56 बंगलादेश के विधि, न्याय एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री मोहम्मद कमरुल इस्लाम के नेतृत्व में एक 10 सदस्य शिष्टमंडल ने दिनांक 1 मई, 2013 को आयोग का दौरा किया। शिष्टमंडल ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के साथ बातचीत की और आयोग की कार्यपद्धति में गहन रुचि दिखाई विशेषतः महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के संबंध में।

आई०सी०सी०-26 की वार्षिक महासभा तथा मानव अधिकार आयोग संस्थानों के राष्ट्रमंडल मंच की दो वर्ष में एक बार होने वाली बैठक

2.57 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत से न्यायविद श्री के०जी० बालाकृष्णन की अध्यक्षता में तीन सदस्यों के एक शिष्टमंडल ने दिनांक 6 से 10 मई, 2013 को जिनीवा में हुई राष्ट्रीय मानव अधिकार संवर्धन एवं संरक्षण संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति की आई०सी०सी०-26 वार्षिक बैठक तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के राष्ट्रमंडल मंच की दो वर्षों में एक बार होने वाली बैठक में भाग लिया। श्री सत्यव्रत पाल, सदस्य तथा श्री जे०सी० कोचर, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण तथा अनुसंधान), शिष्टमंडल के दो अन्य सदस्य थे।

म्यांमार के संसदीय शिष्टमंडल ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दौरा किया

2.58 महिला सांसदों से युक्त म्यांमार के एक संसदीय शिष्टमंडल ने सामाजिक अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली के तत्वावधान में दिनांक 16 मई, 2013 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दौरा किया। शिष्टमंडल ने आयोग के अध्यक्ष, महासचिव तथा वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की जिन्होंने शिष्टमंडल को आयोग की संरचना, ढांचा, कार्यों, शक्तियों तथा विशेष बिन्दुओं के बारे में जानकारी दी।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष द्वारा लंदन में इंटरनेशनल कांफ्रेंस ऑफ ज्यूरिस्ट में भागीदारी

2.59 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायविद श्री के०जी० बालाकृष्णन ने दिनांक 24 एवं 25 जून, 2013 को लंदन में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट द्वारा आयोजित इंटरनेशनल कांफ्रेंस ऑफ ज्यूरिस्ट में एक अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने “मानव अधिकार तथा आतंकवाद” पर कार्यशील सत्र में एक शोधपत्र भी प्रस्तुत किया।

मानव अधिकार परिषद की विशेष प्रक्रियाओं पर 20वीं वार्षिक बैठक

2.60 श्रीमती कंवलजीत देयोल, महानिदेशक (अन्वेषण) ने दिनांक 24 से 28 जून, 2013 को वियना, ऑस्ट्रिया में हुई मानव अधिकार परिषद की विशेष प्रक्रियाओं पर 20वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया।

सिडनी में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एस०ई०ओ० की वार्षिक गोलमेज बैठक

2.61 एशिया पेसेफिक फोरम ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीच्यूशन्स (ए०पी०एफ०) द्वारा दिनांक 24 और 25 जून, 2013 को सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों की वार्षिक गोलमेज बैठक का संचालन किया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव डॉ० अशोक साहू ने बैठक में भाग लिया। बैठक के छः सत्रों के दौरान बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया जिसमें ‘एस०ई०ओ० की भूमिका एवं जिम्मेदारी’, ‘क्षमता मूल्यांकन का कार्यान्वयन’, ‘सुशासन एवं भ्रष्टाचार’, ‘एस.ई.ओ. तथा मीडिया’, ‘संगठन, डिजाइन तथा विकास’, तथा ‘ए०पी०एफ० अद्यतन तथा विचार-विमर्श सत्र’ शामिल थे।

अजरबैजान गणतंत्र के तृतीय सचिव का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दौरा

2.62 मि० तोघुरुल अलियेव, तृतीय सचिव (आर्थिक कार्य), अजरबैजान गणतंत्र एम्बेसी ने आयोग की कार्यपद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 1 अगस्त, 2013 को आयोग का दौरा किया।

शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के कार्यालय के चीफ ऑफ मिशन

2.63 मि० डोमिनिक बार्टेच्छ, भारत तथा मालदीव में शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के कार्यालय के चीफ ऑफ मिशन ने दिनांक 16 अगस्त, 2013 को आयोग के अध्यक्ष के साथ मुलाकात की। उन्होंने शरणार्थियों के अधिकारों की सुरक्षा करने वाले विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों तथा विधिक ढांचों पर विचार-विमर्श किया और दो संगठनों के बीच की संभावनाओं को तलाशा। चीफ ऑफ मिशन को शरणार्थियों के अधिकारों के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में भी बताया गया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारतीय अधिकारियों ने अफगानिस्तान के स्वतंत्र मानव अधिकार आयोग का दौरा किया

2.64 अफगानिस्तान स्वतंत्र मानव अधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत तथा नेशनल इंस्टीच्यूशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट ऑफ दि युनाईटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, अफगानिस्तान के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन पर अनुवर्ती कार्रवाई के एक भाग के रूप में संयुक्त रजिस्ट्रार (विधि) तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के एक निरीक्षक ने शिकायत पंजीकरण प्रक्रिया, शिकायत पंजीकरण तथा अन्वेषण तकनीक एवं तरीकों के संबंध में प्रौद्योगिकी का प्रयोग जैसे विषय पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दिनांक 27 सितम्बर 2013 से 13 अक्टूबर, 2013 तक काबुल में अफगानिस्तान स्वतंत्र मानव अधिकार आयोग का दौरा किया।

एशिया पेसेफिक फोरम की अठारहवीं वार्षिक बैठक तथा द्विवार्षिकीय सम्मेलन

2.65 एशिया पेसेफिक फोरम की अठारहवीं वार्षिक बैठक तथा द्विवार्षिकीय सम्मेलन का आयोजन दिनांक 1 से 3 अक्टूबर, 2013 तक दोहा, कतर में किया गया। श्री के०जी० बालाकृष्णन, अध्यक्ष तथा श्री एस०सी० सिन्हा, सदस्य सहित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के त्रि-सदस्यीय शिष्टमंडल ने इसमें भाग लिया। फोरम के काउंसलर्स ने वर्ष 2014 में नई दिल्ली में एशिया पेसेफिक फोरम की उन्नीसवीं वार्षिक बैठक की मेजबानी के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के नामांकन को अनुमोदन प्रदान किया।

2.66 द्विवार्षिकीय सम्मेलन में लोकतंत्र के लिए एक शांतिपूर्ण सिलसिले को मूर्तरूप देने में शामिल अवसरों तथा चुनौतियों पर ध्यान केन्द्रित किया गया। प्रतिभागियों ने “राजनीतिक एवं लोकतांत्रिक सुधार में महिलाओं की भूमिका”, “पुलिस तथा सुरक्षा बलों के साथ कार्य करने में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की भूमिका”, तथा “लोकतंत्र एवं सुशासन में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की भूमिका” सहित कई मुद्दों की जांच की।

कनाडा के शिष्टमंडल का दौरा

2.67 मि० दीपक ओबेरॉय, कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों के तथा विदेश मंत्री के संसदीय सचिव ने मि० जिल निकल, कनाडा के उप-उच्चायुक्त तथा मि० पॉल हॉंग, वरिष्ठ नीति परामर्शदाता के साथ दिनांक 19 नवम्बर, 2013 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दौरा किया।

मलेशिया मानव अधिकार आयोग के शिष्टमंडल ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दौरा किया

2.68 मलेशिया मानव अधिकार आयोग (सुहाकम) के दो सदस्यीय शिष्टमंडल ने दिनांक 6 से 20 दिसम्बर, 2013 तक एक अध्ययन कार्यक्रम के भाग के रूप में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दौरा किया।

कुष्ठरोग के खिलाफ वैश्विक अपील में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का जकार्ता दौरा

2.69 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष ने दिनांक 27 जनवरी को कुष्ठरोग से प्रभावित लोगों के खिलाफ भेदभाव तथा इससे जुड़े लांछन को समाप्त करने के लिए 2014 वैश्विक अपील के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया का दौरा किया। वैश्विक अपील को 39 राष्ट्रों तथा क्षेत्रों के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों का समर्थन प्राप्त था। दि निपॉन फाउंडेशन के अध्यक्ष योहेई ससाकावा, लोगों की जागरूकता बढ़ाने तथा विश्व के नेताओं का, कुष्ठरोग से प्रभावित लोगों के प्रतिनिधियों तथा मानव अधिकारों से संबंधित संगठनों का समर्थन प्राप्त करने के लक्ष्य सहित वर्ष 2006 से इन अपीलों का नेतृत्व कर रहे हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष ने भी इस अवसर पर मौजूद जनसमूह को संबोधित किया।

धर्म या आस्था की स्वतंत्रता संबंधी संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक का राष्ट्रीय मानव अधिकार दौरा

2.70 प्रोफेसर हेनर बीलेफल्डट, धर्म या आस्था की स्वतंत्रता संबंधी संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक ने दिनांक 20 फरवरी, 2014 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दौरा किया।

आई0सी0सी0-27 वार्षिक महासभा तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के राष्ट्रमंडल मंच की वार्षिक बैठक

2.71 न्यायविद श्री के0जी0 बालकृष्णन, अध्यक्ष के नेतृत्व वाले एक शिष्टमंडल ने दिनांक 12 से 14 मार्च, 2014 तक जिनीवा में होने वाली मानव अधिकारों के संवर्धन तथा रक्षा के लिए राष्ट्रीय संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति की आई0सी0सी0-27 वार्षिक महासभा तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के राष्ट्रमंडल मंच की वार्षिक बैठक में भाग लिया। न्यायविद श्री सिरियक जोसेफ, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा डॉ0 परविन्दर सोही बेहुरिआ, महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इस शिष्टमंडल का भाग थे।

.....

अध्याय — 3

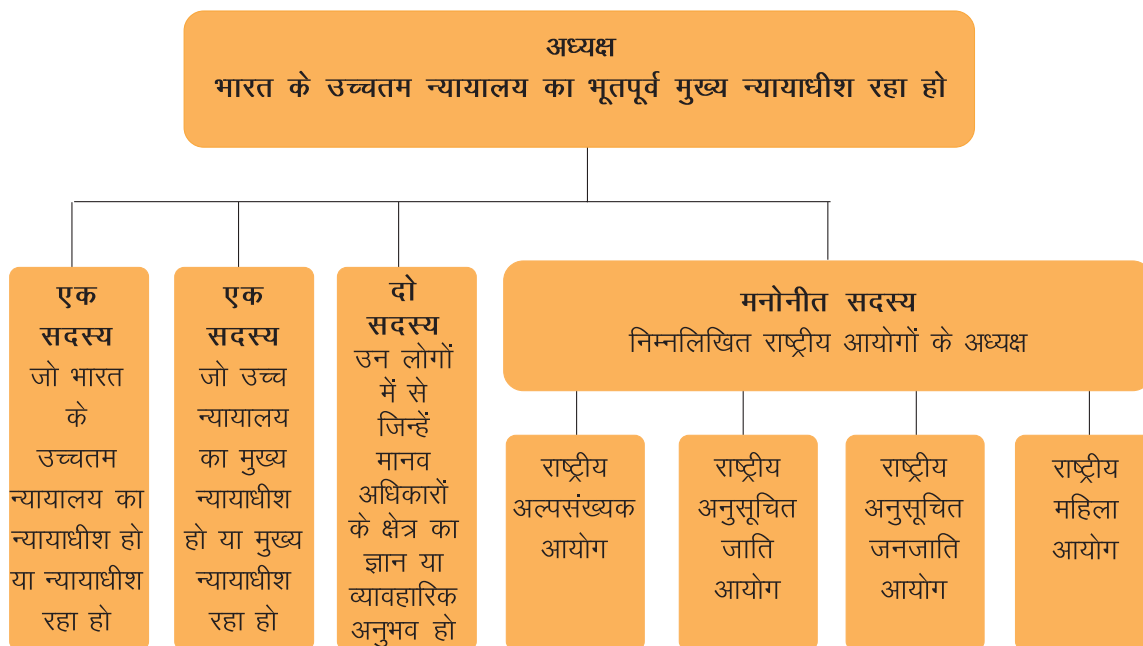
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग : संगठन तथा कार्य

3.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। आयोग का अधिदेश, मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में निहित है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है जिन्हें अक्टूबर 1991 में पेरिस में मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया था तथा दिसम्बर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प 48/134 के रूप में समर्थित किया गया था। यह आयोग, मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति भारत की चिंता का प्रतीक है।

संरचना

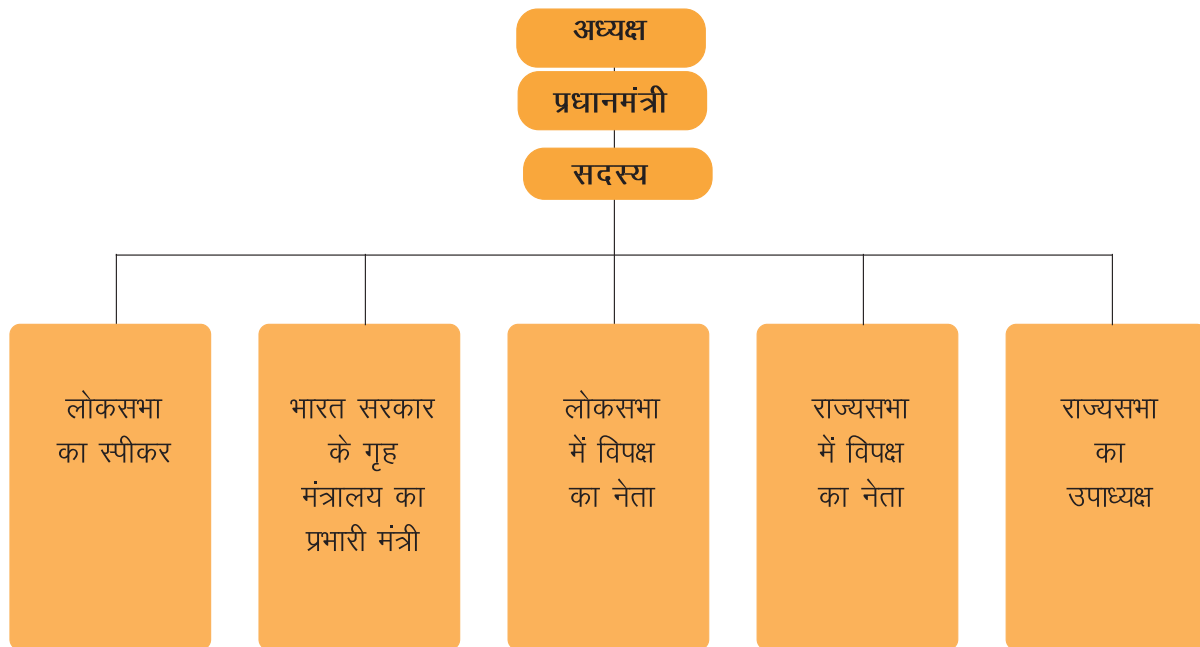
3.2 आयोग में एक अध्यक्ष, चार पूर्ण कालिक सदस्य तथा चार मनोनीत सदस्य हैं। संविधि में आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के लिए उच्च अहर्ताएं दी गई हैं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना



3.3 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा के स्पीकर, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रभारी मंत्री, लोकसभा तथा राज्य सभा में विपक्ष के नेता तथा राज्य सभा के उपसभापति से गठित एक उच्च स्तरीय समिति की सिफाशि पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति



3.4 आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की अहर्ताओं से संबंधित सांविधिक अपेक्षताओं के साथ-साथ एक उच्च स्तरीय एवं राजनीतिक रूप से संतुलित समिति द्वारा किया गया उनका चयन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कार्यप्रणाली को एक उच्च स्तरीय स्वतंत्रता तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित कराता है।

3.5 आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महासचिव होता है जो भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है। आयोग का सचिवालय, महासचिव के समग्र दिशानिर्देशों के तहत कार्य करता है।

3.6 आयोग के पांच प्रभाग हैं अर्थात् (1) विधि प्रभाग, (2) अन्वेषण प्रभाग, (3) नीति अनुसंधान, परियोजना तथा कार्यक्रम प्रभाग, (4) प्रशिक्षण प्रभाग, तथा (5) प्रशासनिक प्रभाग।

3.7 **विधि प्रभाग**, पीड़ित या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी न्यायालय के निदेश या आदेश द्वारा आयोग को मानव अधिकार उल्लंघन के संबंध में की गई शिकायतों का निपटान करता है। प्रभाग को पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु, सेना/अर्ध सैनिक बलों की अभिरक्षा में मौत तथा अभिरक्षा में बलात्कार संबंधी सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं। आयोग द्वारा गंभीर मामलों में लिए गए स्वतःसंज्ञान भी इसी प्रभाग द्वारा निपटाए जाते हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान आयोग को 98,000 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुईं। आयोग को प्राप्त सभी शिकायतों को एक डायरी नम्बर दिया जाता है और उसके बाद शिकायत प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली (सी0एम0आई0एस0) की मदद से उनकी जांच की जाती है, यह सॉफ्टवेयर विशेष रूप से इसीलिए तैयार किया गया है। शिकायतों का रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद उन्हें आयोग के समक्ष उसके निदेशों के लिए प्रस्तुत किया जाता है और तदनुसार प्रभाग द्वारा इन मामलों में उनके अंतिम निपटान तक अनुवर्ती कार्रवाई

की जाती है। महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के मामलों का निपटान पूर्ण आयोग द्वारा किया जाता है तथा पुलिस अभिरक्षा या पुलिस कार्रवाई में हुई मौतों से संबंधित मामलों का विचारण प्रभागीय पीठों द्वारा किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण मामलों का विचारण भी आयोग की मुक्त न्यायालयीय सुनवाई के दौरान किया जाता है। प्रभाग, लंबित शिकायतों के शीघ्र निपटान करने तथा मानव अधिकारों के मुद्दों पर राज्य के अधिकारियों/पदाधिकारियों को सुग्राही बनाने के लिए राज्य की राजधानियों में शिविर बैठकों का आयोजन भी करता है। आयोग, अनुसूचित जातियों के प्रभावित व्यक्तियों के साथ प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करने के लिए देश में अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचार के संबंध में खुली सुनवाई भी आयोजित कर रहा है। इसके अतिरिक्त यह प्रभाग मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण एवं संवर्धन के लिए इसे प्रेषित किए गए विभिन्न विधेयकों/प्रारूप विधायनों पर अपने विचार/प्रेक्षण भी उपलब्ध कराता है। विधि प्रभाग द्वारा "एन0एच0आर0सी0 तथा एच0आर0डी0 : प्रगतिशील सहक्रिया" शीर्षक का प्रकाशन भी किया गया है। मानव अधिकार संरक्षकों के लिए एक फोकल प्वाइंट भी है जो मानव अधिकार संरक्षकों के लिए (i) मोबाईल नंबर 9810298900, (ii) फैक्स नंबर 24651334, तथा (iii) ई-मेल: hrd-nhrc@nic.in के माध्यम से चौबीसों घंटे सुलभ है। प्रभाग का अध्यक्ष एक रजिस्ट्रार (विधि) होता है जिसकी सहायता के लिए एक प्रजेन्टिंग अधिकारी, एक संयुक्त रजिस्ट्रार, बहुत से उप-रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, अनुभाग अधिकारी तथा अन्य सचिवालयीय स्टॉफ होता है।

3.8 अन्वेषण प्रभाग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की ओर से पूरे देश में स्थल निरीक्षण करता है। इसके अलावा यह आयोग को संबोधित की गई विविध शिकायतों के संबंध में तथ्यों को एकत्रित करने, पुलिस तथा अन्य अन्वेषण एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टों की जांच करने तथा हिरासतीय हिंसा या अन्य दुराचारों की रिपोर्टों की जांच-पड़ताल में मदद करता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग पुलिस तथा न्यायिक अभिरक्षा के साथ-साथ पुलिस मुठभेड़ों में हुई मौतों के संबंध में राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं तथा रिपोर्टों का विश्लेषण करता है। यह प्रभाग, पुलिस या सशस्त्र बलों से संबंधित अन्य मामलों पर विशेषज्ञ परामर्श भी देता है। प्रभाग ने तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता वाली शिकायतों के लिए एक रेपिड एक्शन सैल का गठन किया हुआ है। इसके अलावा, यह प्रभाग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12(एच) के अनुसरण में मानव अधिकार साक्षरता का विस्तार करने में प्रशिक्षण प्रभाग को मदद करता है। इस प्रभाग की अध्यक्षता, पुलिस महानिदेशक के स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है और सहायता के लिए पुलिस उपमहानिदेशक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, निरीक्षक, कांस्टेबल तथा अन्य सचिवालयीय स्टॉफ होता है।

3.9 नीति अनुसंधान, परियोजना तथा कार्यक्रम प्रभाग, मानव अधिकारों पर अनुसंधान करता है तथा उनका प्रचार करता है तथा महत्वपूर्ण मानव अधिकार मुद्दों पर सम्मेलन, सेमिनार तथा कार्यशालाएं आयोजित करता है। जब कभी भी आयोग, अपनी सुनवाई, कार्रवाइयों या अन्यथा इस निर्णय पर पहुंचता है कि कोई विशेष विषय महत्वपूर्ण है, तो उसे पी0आर0पी0 एण्ड पी0 प्रभाग से संबंधित एक परियोजना/कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु नीतियों, कानूनों, संधियों तथा प्रवृत्त हुए अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों की पुनरीक्षा करता है। यह प्रभाग, केन्द्र तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्राधिकारियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही आयोग की सिफारिशों की मॉनीटरिंग में

सहायता करता है। यह प्रभाग, मानव अधिकार साक्षरता के विस्तार तथा मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों के बारे में जागरूकता का प्रसार करने में भी सहायता करता है। प्रभाग का कार्य संयुक्त सचिव (कार्यक्रम तथा प्रशासन) तथा संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान), एक निदेशक/उप-सचिव, एक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, अनुसंधान सलाहकार, अनुसंधान एसोसिएट, अनुसंधान सहायक तथा अन्य सचिवालयीय स्टाफ द्वारा देखा जाता है।

3.10 प्रशिक्षण प्रभाग, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकार साहित्य का विस्तार करने की जिम्मेदारी प्रशिक्षण प्रभाग की है। अतः यह प्रभाग मानव अधिकारों के विभिन्न मुद्दों के बारे में राज्य के विभिन्न सरकारी अधिकारियों तथा कार्यकारियों तथा राज्य की एजेंसियों, गैर सरकारी अधिकारियों, सिविल सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देता है और उन्हें सुग्राही बनाता है। इसके अलावा यह प्रभाग, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए इन्टर्नशिप प्रोग्राम भी आयोजित करता है। प्रभाग का अध्यक्ष एक संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) होता है जिसकी सहायता के लिए वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (प्रशि0), एक सहायक तथा अन्य सचिवालयीय स्टाफ होता है।

3.11 प्रशासनिक प्रभाग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की स्थापना, प्रशासनिक एवं संबंधित जरूरतों को पूरा करता है। इसके अलावा, यह प्रभाग कार्मिकों, लेखों, पुस्तकालय तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकारियों तथा स्टाफ के सदस्यों की अन्य जरूरतों को भी पूरा करता है। प्रभाग का अध्यक्ष एक संयुक्त सचिव (कार्यक्रम एवं प्रशासन) होता है तथा उसकी सहायता के लिए एक निदेशक/उपनिदेशक, कई अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी तथा अन्य सचिवालयीय स्टाफ होता है। प्रशासनिक प्रभाग के तहत सूचना एवं लोक संपर्क यूनिट का कार्य प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की गतिविधियों से संबंधित जानकारी का प्रचार करना है। यह प्रभाग 'मानव अधिकार' नामक एक द्विभाषीय मासिक न्यूज़लैटर तथा आयोग के अन्य प्रकाशनों का प्रकाशन करता है। इसके अलावा, यह प्रभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों तथा अपीलों को भी देखता है।

3.12 विशेष प्रतिवेदकों की नियुक्ति तथा कोर एवं विशेषज्ञ समूहों के गठन द्वारा आयोग की पहुंच में काफी विस्तार हुआ है। विशेष प्रतिवेदक, काफी वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले भारत सरकार के सचिव के पदों पर या पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्य किया होता है या फिर मानव अधिकारों से संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया होता है। इन्हें या तो बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, अभिरक्षा न्याय, निःशक्तता आदि जैसे कुछ विशिष्ट विषय दिए जाते हैं या फिर मानव अधिकार उल्लंघनों या प्रयोजनों की जांच के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के समूह से बना एक जोन दे दिया जाता है।

3.13 आयोग द्वारा महत्वपूर्ण मामलों/विषयों पर स्थापित किए गए कोर/विशेषज्ञ समूह, आयोग द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में चाहे वो स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो या अक्षमता आदि हो, अपेक्षित विख्यात व्यक्तियों या विषय संबंधी विशेषज्ञों या सरकार या तकनीकी संस्थानों या गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की मानव अधिकार मुद्दों पर कार्य करने वाले निकायों के प्रतिनिधियों से मिलकर बने होते हैं। यह समूह आयोग

को विभिन्न मुद्दों पर विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध कराते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में गठित कुछेक महत्वपूर्ण कोर/विशेषज्ञ समूह निम्नानुसार हैं:—

- स्वास्थ्य संबंधी कोर परामर्शी समूह
- मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कोर समूह
- निःशक्तता संबंधी कोर समूह
- गैर सरकारी संगठनों संबंधी कोर समूह
- वकीलों के संबंध में कोर समूह
- भोजन के अधिकार के संबंध में कोर समूह
- वृद्धों की सुरक्षा तथा कल्याण के संबंध में कोर समूह
- सिलिकॉसिस के संबंध में विशेषज्ञ समूह
- बंधुआ मजदूरी के संबंध में कोर परामर्श समूह

कार्य

3.14 आयोग के अधिदेश बहुत व्यापक हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 में दिए गए आयोग के कृत्य निम्नानुसार हैं:—

- स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा या किसी न्यायालय के निदेश पर आयोग को प्रस्तुत की गई याचिका पर (1) मानव अधिकारों का किसी लोकसेवक द्वारा अतिक्रमण या दुष्प्रेरण किए जाने की; या (2) ऐसे अतिक्रमण के निवारण में किसी लोकसेवक द्वारा की गई उपेक्षा की शिकायत के बारे में जांच करना।
- किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही में जिसमें मानव अधिकारों के अतिक्रमण का कोई अभिकथन अंतर्वलित है, उस न्यायालय के अनुमोदन से मध्यक्षेप करना।
- तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का, जहां व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध या दाखिल किए जाते हैं, वहां के निवासियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने हेतु वहां का दौरा करना और उन पर सरकार को सिफारिश करना।
- संविधान या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना।

- ऐसी बातों का, जिनके अंतर्गत आतंकवाद के कार्य हैं, और जो मानव अधिकारों के उपभोग में विघ्न डालती हैं, पुनर्विलोकन करना और समुचित उपचारी उपायों की सिफारिश करना।
- मानव अधिकारों से संबंधित संधियों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना।
- मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसका संवर्धन करना।
- समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, संचार विचार, माध्यमों गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरुकता का संवर्धन करना।
- मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और संस्थानों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना।
- ऐसे अन्य कार्य करना, जो मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक हैं।

शक्तियां

3.15 आयोग को, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायतों की जांच करते समय वे सभी शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को प्राप्त होती हैं।

विशेष लक्षण

3.16 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकारों के संस्थानों के लिए अंगीकृत किए गए पेरिस सिद्धांतों का पूर्ण अनुसरण करता है। इसके अधिदेश तथा कृत्य बहुत ही व्यापक हैं। आयोग ने अपने कृत्यों के निष्पादन के लिए पारदर्शी प्रणाली तथा प्रक्रियाओं का विकास किया है। आयोग ने विनियम तैयार करते हुए अपने काम-काज का प्रबंध करने के लिए प्रक्रियाएं तैयार की हैं।

////

सिविल तथा राजनीतिक अधिकार

क. आतंकवाद तथा उग्रवाद

4.1 आज व्यापक रूप से पूरा विश्व तथा विशेषरूप से भारत, आम व्यक्तियों के मानव अधिकारों की सुरक्षा के कार्य में कठिन चुनौतियों का सामना कर रहा है। पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जो आतंकवाद के जहरीले दंश से मुक्त हो। मासूम तथा निस्सहाय लोगों को लगातार अपना शिकार बनाने वाले आतंकवाद के पिशाच के चलते मानव अधिकारों की सुरक्षा का कार्य पूरे विश्व के संस्थानों के लिए और भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है।

4.2 न्याय तथा व्यक्तिगत जवाबदेही, एक शांतिपूर्ण समाज का आधार है। आतंकवाद के विवादास्पद मुद्दे से निपटते हुए न्याय की चिंता बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आतंकवाद से जुड़ी अधिकांश त्रासदियों में मुख्यतः आम आदमी, महिला तथा बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

4.3 आतंकवाद और नक्सलवादी गतिविधियों में हुई बढ़ोतरी ने सुरक्षा बलों की भूमिका को और महत्वपूर्ण बना दिया है। उन्हें बड़े पैमाने पर नागरिक असंतोष को नियंत्रित करने, महत्वपूर्ण स्थलों पर सुरक्षा मजबूत करने तथा आवश्यकता पड़ने पर कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बुलाया जा रहा है।

4.4 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिनांक 17 दिसम्बर, 1979 को एक संकल्प अंगीकृत किया था कि सभी सुरक्षा कार्मिक मानवीय गरिमा का सम्मान एवं रक्षा करेंगे और सभी व्यक्तियों के मानव अधिकारों का समर्थन करेंगे। इस उद्देश्य के लिए उन्हें यातना तथा अन्य क्रूर दंडों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों तथा नजरबंदी, हिरासत एवं प्रत्यर्पण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के सिद्धांतों का अनुपालन करना होगा।

4.5 आयोग का यह मानना है कि मानव अधिकारों का यथोचित अनुपालन; शांति और सुरक्षा के संवर्धन में कोई बाधा नहीं है। बल्कि शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने और आतंकवाद को पराजित करने की उचित रणनीति में यह एक आवश्यक तत्व है। इसलिए, आतंकवादी-रोधी उपायों का उद्देश्य लोकतंत्र के साथ-साथ विधि के न्याय एवं मानव अधिकारों की रक्षा करना होना चाहिए जो हमारे समाज की मौलिक मान्यताएं और संविधान की सबसे महत्वपूर्ण मान्यताएं हैं।

4.6 आयोग समय-समय पर यह दोहराता रहा है कि आतंकवाद एक ऐसे वातावरण का सृजन कर देता है जो लोगों को भयमुक्त जीवन जीने के अधिकार को नष्ट कर देता है। आतंकवाद का लक्ष्य लोकतंत्र के ताने-बाने को नष्ट करना है। आतंकवाद, मानवता के प्रति एक गंभीर खतरा बनकर उभरा है। भारत, आतंकवाद के प्रति वैश्विक युद्ध में एक महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है। भारत लगभग पचास सालों से इस युद्ध

का संचालन कर रहा है और इसकी सफलताओं एवं असफलताओं से बहुत कुछ सीखा है। आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में सहयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे लाना, आयोग का प्रयास रहा है। इसी दौरान आयोग ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि ऐसा करते समय दृष्टिकोण मानवीय, तर्कसंगत तथा धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए।

4.7 आयोग ने आतंकवादी कृत्यों के पीड़ितों के मामलों को हमेशा उठाया है और उन्हें राहत एवं पुनर्वास उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं। आयोग का मानना है कि आतंकवाद के जिम्मेदार सभी व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुरूप कार्रवाई की जानी चाहिए तथा विद्यमान कानून सामान्यतः पर्याप्त हैं। आयोग का मजबूत विचार है कि हालांकि जिन आतंकवादी खतरों का हम सामना कर रहे हैं उनका पैमाना बहुत ही वृहत है लेकिन चूंकि आतंकवाद-रोधी उपायों का मौलिक तर्क मानव अधिकारों एवं लोकतंत्र की सुरक्षा करना है इसलिए आतंकवाद-रोधी उपायों से लोकतांत्रिक मूल्य क्षीण नहीं होने चाहिए, मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और विधि के कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के दौरान राष्ट्र को अपने दृष्टिकोण में चयनशील होने की या लोगों की स्वतंत्रता के प्रति युद्ध शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

ख. हिरासतीय हिंसा तथा यातना

4.8 हिरासतीय हिंसा, मानवीय गरिमा पर किया जाने वाला एक सुविचारित आघात है। आयोग, हिरासतीय मौतों में परिणित होने वाले मानव अधिकारों के घोर उल्लंघनों को समाप्त करने के अपने प्रयासों में सतत एवं सक्रिय रूप से कार्यरत रहा है। हिरासतीय हिंसा को नियंत्रित करने के लिए सुव्यवस्थित प्रयास करना आयोग की प्रमुख वरीयता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने वर्ष 1993 में हुए अपने गठन से लेकर अब तक सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनके अनुसार प्रत्येक जिले के जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक को पुलिस तथा न्यायिक अभिरक्षा में हुई सभी मौतों के बारे में, ऐसी मृत्यु के होने के या ऐसी घटना के पता चलने के 24 घंटों के भीतर आयोग को इसकी सूचना देना अनिवार्य है। ऐसे मामलों के बारे में तत्काल रिपोर्ट करने में असफल रहना इस संभावना को बल देगा कि घटना को दबाने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा, पुलिस कार्रवाई में होने वाली मौतों के सभी मामलों के बारे में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा ऐसी मृत्यु के 48 घंटों के अंदर-अंदर आयोग को सूचित करना होता है। तथापि, इन दिशानिर्देशों के बावजूद आयोग ने पाया है कि कुछ राज्य इनका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। आयोग एक बार फिर से पुलिस कार्रवाई में हुई मौतों के सभी मामलों के संबंध में दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध करता है।

4.9 यह नोट करना प्रासंगिक है कि हिरासतीय मौतों के सभी मामले हिरासतीय हिंसा या चिकित्सीय लापरवाही नहीं होते हैं। ऐसी अधिकांश मौतों का मुख्य कारण प्राकृतिक होता है जैसे कि लम्बे समय से चली आ रही बीमारी तथा उम्रदराज होना। शेष मामलों में चिकित्सीय लापरवाही के कारण बीमारी का बढ़ जाना, लोक सेवकों द्वारा हिंसा या कैदियों के बीच हिंसा, आत्महत्या आदि जैसे कुछ अन्य कारण भी होते हैं।

ग. दृष्टान्त मामले

क) हिरासतीय मौतें

न्यायिक हिरासत

1. जयपुर, राजस्थान में सवाई मानसिंह अस्पताल में अभियोगाधीन कैदी राधे श्याम की मृत्यु (मामला सं० 168/20/14/09-10-जे.सी.डी.)

4.10 आयोग ने दिनांक 29 अप्रैल, 2009 को केन्द्रीय कारागार, जयपुर के अधीक्षक से एक अभियोगाधीन कैदी राधेश्याम सुपुत्र डूंगा राम की मृत्यु के संबंध में प्राप्त सूचना को संज्ञान में लिया। कैदी राधेश्याम को दिनांक 18 अप्रैल, 2009 को कारागार में लाया गया था। दो दिनों के बाद उसे कारागार अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया लेकिन उसकी स्थिति बिगड़ती चली गई और उसे सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में स्थानांतरित किया गया जहां इलाज के दौरान दिनांक 21 अप्रैल, 2009 को उसकी मृत्यु हो गई। आयोग को एक गैर सरकारी संगठन से एक शिकायत भी प्राप्त हुई जिसमें यह दलील दी गई है कि यह पुलिस यातना के कारण हुई मृत्यु का मामला है।

4.11 संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों से यह खुलासा हुआ कि पुलिस ने राधेश्याम से शराब जब्त की थी और उसे गिरफ्तार किया था क्योंकि उसके पास शराब रखने के लिए कोई लाइसेंस या परमिट नहीं था। तथाकथित अपराध के संबंध में दिनांक 17 अप्रैल, 2009 को 2035 बजे एक एफ0आई0आर0 दर्ज की गई थी लेकिन उसमें पीडित की शारीरिक स्थिति के बारे में कुछ बताया नहीं गया था। कैदी रजिस्टर में केवल यह इंगित किया गया कि अभियोगाधीन कैदी की दिनांक 21 अप्रैल, 2009 को मृत्यु हो गई थी और उसे दिनांक 20 अप्रैल, 2009 को रात 11 बजे अस्पताल भेज दिया गया था। इसमें अभियोगाधीन कैदी की स्थिति के संबंध में भी कुछ नहीं बताया गया। रिपोर्ट के अनुसार, अभियोगाधीन कैदी बीमार हो गया था और उसे कारागार अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कारागार प्राधिकारियों ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर के साथ पत्राचार किया लेकिन इसमें मृतक की बीमारी या उसे दिए जाने वाले इलाज के बारे में कुछ बताया नहीं गया था।

4.12 शव परीक्षण रिपोर्ट से पता चला कि मृतक के शरीर पर 10 से अधिक चोट के निशान थे। पैथोलॉजी रिपोर्ट तथा कैमिकल एनेलिसिस रिपोर्ट के साथ-साथ शव परीक्षण रिपोर्ट की जांच करने के बाद तीन डॉक्टरों का एक बोर्ड इस नतीजे पर पहुंचा कि अभियोगाधीन कैदी राधेश्याम की मृत्यु बाहरी चोटों के परिणामस्वरूप लगने वाले सदमें के कारण हुई, जैसा कि शव परीक्षण रिपोर्ट में इंगित किया गया है, जिसमें चोटों को 2 से 3 दिन पुराना बताया गया।

4.13 मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि गवाहों ने बताया था कि अभियोगाधीन कैदी को किस प्रकार पीटा और प्रताड़ित किया गया था और यहां तक कि वाहन में ले जाते हुए भी उसको यातना दी जा रही थी। मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट में यह माना है कि पीडित की मौत, पुलिस कार्मिकों द्वारा की गई पिटाई

के कारण आई चोटों की वजह से हुई। अतः आयोग का यह मानना है कि मृतक की बहुत पिटाई की गई थी और वो जेल अधीक्षक की रिपोर्ट में बताई गई बीमारी से नहीं मरा था।

4.14 आयोग ने रिपोर्टों पर विचार करने के बाद अपनी दिनांक 5 जून, 2013 की कार्रवाई में निम्नानुसार प्रेक्षण किया :

“..... यह मानव अधिकारों के उल्लंघन का स्पष्ट मामला है। जब कोई व्यक्ति, राज्य की अभिरक्षा में था तो पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ जेल अधिकारियों का यह कर्तव्य था कि उसके साथ उचित व्यवहार किया जाए। पुलिस अधिकारियों या सरकारी अधिकारियों से अभिरक्षा में रखे व्यक्ति को चोट पहुंचाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। यह स्पष्ट है कि जब मृतक को गिरफ्तार किया गया था तब उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं थे, एफ0आई0आर0 से भी यही पता चलता है। यदि वह गिरफ्तारी के समय घायल होता तो पुलिस के लिए उसे चिकित्सा अधिकारी के पास ले जाकर उसकी जांच करवाना अनिवार्य हो जाता। यहां तक कि जेल अधिकारियों के लिए भी यह अनिवार्य है कि यदि व्यक्ति घायल/चोटिल है तो चिकित्सा अधिकारी से उसकी जांच करवाई जाए। दृष्टांत मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस तथा जेल प्राधिकारियों ने एक-दूसरे की सहमति से इस तथ्य को दबा दिया कि पीडित के शरीर पर चोट थी। चोटों की प्रकृति ऐसी थी कि उसे कारागार अस्पताल में दाखिल करना पड़ा और उसके बाद बेहतर इलाज के लिए अन्य अस्पताल में स्थानांतरित करना पड़ा। तथापि, दुर्भाग्य से चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अतः यह कुछ और नहीं बल्कि पीडित के मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। ”

4.15 उपरोक्त प्रेक्षणों के आलोक में आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत राजस्थान सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया मृतक राधेश्याम के निकटतम संबंधी को वित्तीय राहत का भुगतान करने की सिफारिश क्यों न की जाए। कारण बताओ नोटिस के संबंध में जवाब देने के लिए राजस्थान सरकार को यथोचित अवसर प्रदान किए गए लेकिन वो जवाब देने में असफल रही।

4.16 आयोग ने दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 को मामले को उठाया जब यह मान लिया गया कि राज्य सरकार के पास मामले के संबंध में आयोग के प्रेक्षण कि – अभियोगाधीन कैदी राधेश्याम की मृत्यु अभिरक्षा के दौरान उन पर लगी चोटों के कारण हुई थी – के संबंध में कहने के लिए कुछ भी नहीं है, तब आयोग ने राजस्थान सरकार को मृतक के निकटतम संबंधी को वित्तीय राहत के रूप में 5,00,000/-₹0 का भुगतान करने का निदेश दिया और मुख्य सचिव से कहा कि वे भुगतान के साक्ष्य के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

4.17 जयपुर के जिला समाहर्ता से प्राप्त जवाब पर आयोग विचार कर रहा है।

2. तिहाड जेल, दिल्ली में कैदी द्वारा आत्महत्या (मामला सं० 378/30/9/2011-जे.सी.डी.)

4.18 आयोग को दिनांक 15 फरवरी, 2011 को केन्द्रीय कारागार सं० 3, तिहाड, नई दिल्ली के अधीक्षक से एक कैदी कल्लू उर्फ वीरु की मृत्यु के बारे में प्राप्त सूचना को संज्ञान में लिया। यह बताया गया कि कैदी ने कारावास में पट्टियों की मदद से अपने आप को फांसी लगाकर दिनांक 25 जनवरी, 2011 को आत्महत्या कर ली थी।

4.19 पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण 'पोस्टमार्टम पूर्व पट्टियों से फांसी लगाने के कारण दम घुटना' बताया गया। जांच करने वाले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने बताया कि कारागार प्रशासन की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई थी। तथापि, मजिस्ट्रेट का यह मत था कि यदि भली-भांति ध्यान रखा जाता तो यह घटना टाली जा सकती थी लेकिन विगत में भी हुई इस प्रकार की घटनाओं के बारे में जानकारी होते हुए भी कारागार प्राधिकारी बहुत लापरवाह रहे।

4.20 मजिस्ट्रेट जांच में यह स्पष्ट हो गया कि आत्महत्या लगभग 3:15 बजे अपराह्न हुई थी और मृतक को आखिरी बार 02:00 से 2:30 बजे के बीच जिन्दा देखा गया था। आयोग ने प्रेक्षण किया कि यदि कारागार में यथोचित निगरानी होती तो कैदी के लिए इस प्रकार आत्महत्या करना संभव नहीं हो सकता था। आयोग, प्रबुद्ध मजिस्ट्रेट के आकलन से पूरी तरह सहमत है कि कारागार में और अधिक ध्यान रखे जाने की जरूरत थी तथा जेल प्राधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद नहीं थे।

4.21 आयोग का हमेशा से यह मानना रहा है कि जब कोई व्यक्ति हिरासत में होता है तो राज्य की यह जिम्मेदारी होती है कि वो यह सुनिश्चित कि हिरासत में रखा व्यक्ति अपने आपको या किसी अन्य को नुकसान न पहुंचा सके। यह तथ्य कि मृतक कल्लू आत्महत्या करने में सफल रहा, अपने आप में ऐसा साक्ष्य है कि राज्य, अभिरक्षा में एक व्यक्ति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहा। आयोग का मानना है कि यह उचित होगा कि राज्य उस लापरवाही की क्षतिपूर्ति करे जिसकी वजह से मृत्यु हुई है। अतः आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को कारण बताने का निदेश दिया कि आयोग, मृतक कल्लू उर्फ वीरु के निकटतम संबंधी को मौद्रिक राहत देने की सिफारिश क्यों न करे।

4.22 आयोग के नोटिस का जवाब देते हुए विशेष सचिव, गृह विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार दलील पेश करते हुए कहा कि मृतक किसी बाहरी चोट के कारण नहीं मरा और यह भी कहा कि मृतक की मृत्यु में कोई गलत बात नजर नहीं आती है। इसके अतिरिक्त, परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया शक भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गलत साबित हुआ और उन कारणों के संबंध में कारागार प्रशासन पर कोई आपराधिक लापरवाही सिद्ध नहीं हुई।

4.23 आयोग ने राज्य की उपरोक्त दलील को स्वीकार नहीं किया और प्रेक्षण किया कि तथ्य यही है कि मृतक की मौत फांसी लगाने से हुई है। आयोग द्वारा सामने रखा जाने वाला प्रश्न यह था कि कारागार

अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही मृतक ने अपने आपको कारागार परिसर में फांसी लगा ली। मजिस्ट्रेट जांच में भी यह खुलासा हुआ कि यदि कारागार अधिकारियों ने सही रूप से देखभाल की होती तो इस घटना को रोका जा सकता था। अतः आयोग ने माना कि कारागार प्रशासन की ओर से चूक हुई है जिसके कारण मृतक ने कारागार में ही अपने आपको फांसी लगा कर आत्महत्या की।

4.24 सरकार द्वारा दी गई दलील का अस्वीकार करते हुए आयोग ने अपनी दिनांक 12 दिसम्बर, 2013 की कार्रवाई में मृतक कल्लू उर्फ वीरु के निकटतम संबंधी को उचित पहचान के बाद 1,00,000/-रु० की राशि का भुगतान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से सिफारिश की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य सचिव से छः सप्ताह की अवधि के भीतर भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

4.25 अनुपालन रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

3. उप-कारावास, चित्तूर, आंध्र प्रदेश में अभियोगाधीन कैदी के० यादागिरी गोड की मृत्यु (मामला सं० 269/1/3/2011-जे.सी.डी.)

4.26 आयोग ने दिनांक 22 मार्च, 2011 को पुलिस स्टेशन, अलीपुरी चित्तूर, आंध्र प्रदेश के प्रभारी से एक अभियोगाधीन कैदी के० यादागिरी गोड, आयु 30 की दिनांक 26 फरवरी, 2011 को हुई मृत्यु के संबंध में प्राप्त सूचना को संज्ञान में लिया। गोड को दिनांक 30 मई 2010 से उप-कारावास-II, चित्तूर, आंध्र प्रदेश में रखा गया था। वह दिनांक 22 फरवरी, 2011 को बीमार हुआ और उसे जिला मुख्यालय अस्पताल, चित्तूर ले जाया गया जहां उसका इलाज एक बहिरंग रोगी की तरह किया गया और उसी दिन उप-कारागार वापिस भेज दिया गया। उसने दिनांक 25 फरवरी, 2011 को फिर बीमारी की शिकायत की और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिनांक 26 फरवरी, 2011 को उसे एस०वी०आर०आर० सरकारी अस्पताल, तिरुपति में भर्ती कराया गया जहां ड्यूटी डॉक्टर ने उसे 'मृत लाया हुआ' घोषित कर दिया।

4.27 पोस्टमार्टम जांच के दौरान चार बाहरी चोट अर्थात् दाहिनी कोहनी, बायीं बाजू तथा बायीं कलाई पर खरोंच तथा बाएं घुटने के पीछे नील के निशान देखे गए। तीन आंतरिक चोट अर्थात् (प) दाहिनी कनपटी के पार्श्विक में नील, (पप) कपाल के पीछे बाएं ओर काफी नील, तथा (पपप) दाहिनी कनपटी के उपर तथा मस्तिष्क के दाहिने पिछले भाग में रक्तस्राव भी पाया गया। तथापि, पोस्टमार्टम करने वाले सर्जनों के बोर्ड का मत था कि आमतौर पर किसी कुंद स्थान पर गिर जाने या किसी हल्के बल से धक्का देने जैसे कारणों से लगने वाली चोट मृत्यु का कारण नहीं हो सकती तथा यह चोटे इसी प्रकृति की थीं। बोर्ड ने मृत्यु का कारण 'गुर्दे का गंभीर अवरोध' बताया।

4.28 राजस्व प्रभागीय अधिकारी, चित्तूर द्वारा अभियोगाधीन कैदी की मृत्यु की मजिस्ट्रेट जांच करवाई गई जिसमें मृत्यु से संबंधित कुछ गलत नहीं पाया गया और यह माना गया कि अभियोगाधीन कैदी की मृत्यु 'गुर्दे के गंभीर अवरोध' के कारण हुई। उन्होंने पोस्टमार्टम सर्जन के बोर्ड द्वारा मृत्यु के कारण का समर्थन किया।

4.29 आयोग ने प्रेक्षण किया कि कारावास में रहने के दौरान मृतक कभी कहीं गिरा नहीं था। आयोग ने पोस्टमार्टम सर्जन के बोर्ड द्वारा दिए गए मृत्यु के कारणों से संतुष्ट न होते हुए डॉ० आदर्श कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट आफ फोरेन्सिक मेडिसिन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, जो इसके पैनल पर फोरेन्सिक विशेषज्ञ हैं, से परामर्श किया।

4.30 घटनाओं के कालक्रम तथा पोस्टमार्टम से पता चली बातों पर विचार करते हुए डॉ० आदर्श कुमार इस निर्णय पर पहुंचे कि उल्लिखित चोट किसी वस्तु या सतह द्वारा लगने वाले गुणज बल के कारण हो सकती है और यह एक बार गिरने से संभव नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि चोटों का ऐसा संयोग, आमतौर पर मृत्यु के लिए पर्याप्त होता है। उन्होंने यह भी कहा कि 'गंभीर गुर्दा अवरोध' एक प्राकृतिक विकास प्रक्रिया नहीं है। तथापि, उन्होंने यह अभिव्यक्त किया कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के उल्लेखानुसार पोस्टमार्टम जांच के परिणामों की पुष्टि करने के लिए पोस्टमार्टम प्रक्रिया की सी०डी० की पुनरीक्षा करने की आवश्यकता है।

4.31 पोस्टमार्टम जांच की सी०डी० की जांच करने के बाद डॉ० आदर्श कुमार ने बताया कि सी०डी० से उनके द्वारा लिए गए निर्णय की पुष्टि होती है कि मृतक के शरीर पर पाए जाने वाली चोट केवल एक बार के गिरने से संभव नहीं हो सकती है तथा आमतौर इस प्रकार की कई चोटों के कारण मृत्यु हो सकती है। डॉ० आदर्श ने विशेषतः यह भी कहा कि इस मामले में गुर्दे का गंभीर अवरोध, इन चोटों की वजह से हुआ न कि किसी प्राकृतिक विकार प्रक्रिया के कारण।

4.32 आयोग ने अपनी दिनांक 2 जुलाई, 2013 की कार्यवाही में प्रेक्षण किया कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि अभियोजनाधीन कैदी की मृत्यु उसे लगी चोटों के कारण कारागार में ही अभिरक्षा के दौरान हुई और राज्य उसके निकटतम संबंधी को मुआवजा देने के लिए बाध्य है। आयोग ने आगे प्रेक्षण किया कि अभियोगाधीन कैदी की मृत्यु के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाने के लिए एक विस्तृत जांच की आवश्यकता है। अतः आयोग ने अभियोगाधीन कैदी की मृत्यु के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाने के लिए महानिरीक्षक (कारागार), आंध्र प्रदेश को एक विस्तृत जांच करने का निदेश दिया। आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत आंध्र प्रदेश सरकार को उनके मुख्य सचिव के माध्यम से एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया कि मृतक के० यादागिरी गोड के निकटतम संबंधी को वित्तीय सहायता की सिफारिश क्यों न की जाए।

4.33 चूंकि मुख्य सचिव से कारण बताओ नोटिस के संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ इसलिए आयोग ने यह मानते हुए कि राज्य सरकार को इस मामले में कुछ और नहीं कहना है, और अपनी दिनांक 24 सितम्बर, 2013 की कार्यवाही के तहत आंध्र प्रदेश सरकार को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से मृतक के० यादागिरी गोड के निकटतम संबंधी को 3,00,000/-रु० के मुआवजे का भुगतान करने की सिफारिश की। मुख्य सचिव को निदेश दिया गया कि वो छः सप्ताह के अंदर भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

4.34 महानिदेशक, कारागार एवं सुधार सेवा, चंचलगुडा, हैदराबाद ने दिनांक 22 अक्टूबर, 2013 को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की लेकिन आयोग इससे संतुष्ट नहीं हुआ और उसने अपनी दिनांक 27 फरवरी, 2014 की कार्यवाही के तहत आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को निदेश दिया कि वो मामले की जांच एक जिम्मेदार स्वतंत्र एजेंसी से करवाएं और 8 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

4.35 महानिदेशक, कारागार एवं सुधार, आंध्र प्रदेश ने अपने दिनांक 29 मार्च, 2014 के पत्राचार के माध्यम से बताया कि मृतक के 0 यादागिरी गोड के निकटम संबंधी को देने के लिए 3,00,000/-रु० का एक ड्राफ्ट, समाहर्ता एवं जिला मजिस्ट्रेट, हैदराबाद को भेज दिया गया है।

4.36 तथापि, भुगतान का साक्ष्य तथा स्वतंत्र एजेंसी की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

पुलिस अभिरक्षा

4. *जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश में पुलिस यातना के कारण रमाशंकर की मृत्यु
(मामला सं० 30182/24/19/2010-ए०डी०, संबंधित फाईलें 30528/19/2010-
ए०डी०, 32002/24/19/2010-ए०डी०, 33025/24/19/2010-ए०डी०, 31563/24/
19/2010-ए०डी०)*

4.37 आयोग ने दिनांक 11 अगस्त, 2010 को एक शिकायत को संज्ञान में लिया कि दिनांक 29 जुलाई, 2010 को प्रातः 8:00 बजे रमाशंकर, एक दलित को सकलदिहा पुलिस स्टेशन, चंदौली, उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी जबरदस्ती उठाकर ले गए थे। बाद में पुलिस की तथाकथित यातना के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई।

4.38 आयोग ने घटना की स्थल निरीक्षण करने के लिए अपनी एक टीम को रवाना किया। अन्वेषण के दौरान अन्वेषण प्रभाग की टीम ने मृतक की पत्नी, उसके संबंधियों तथा कई स्वतंत्र गवाहों के बयानों को रिकार्ड किया। मृतक रमाशंकर की पत्नी श्रीमती हीरावती ने कहा कि उसका दिनांक 29 जुलाई, 2010 को अपनी सास श्रीमती दुलारी देवी के साथ झगडा हो गया था और उस दौरान दुलारी देवी गिर गई और उनके सिर पर चोट आई। दुलारी देवी अपने छोटे बेटे संतोष के साथ सकलदिहा पुलिस स्टेशन गई और एक शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद कुछ पुलिसवाले जीप में आए और उसके पति रमाशंकर को अपने साथ ले गए। उसने देखा कि जब रमाशंकर को पुलिस द्वारा ले जाया जा रहा था तो पुलिसवाले ने राईफल की बट से उसके सिर पर प्रहार किया था। जब वह पुलिस स्टेशन पहुंची तो उसे बताया गया कि उसके पति को इलाज के लिए सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र, सकलदिहा ले जाया गया है। आयोग की अन्वेषण प्रभाग की टीम इस निर्णय पर पहुंची कि जब पुलिस रमाशंकर को जीप में लेकर गई तो वह ठीक था। तथापि, उसे बेहोशी की हालत में सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र, सकलदिहा में भर्ती कराया गया जहां से उसे जिला अस्पताल, चंदौली भेजा गया जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत लाया हुआ घोषित किया।

4.39 पोस्टमार्टम के दौरान खंरोंच, नील तथा सूजन के रूप में चार चोटें पाई गईं। डॉक्टरों का निर्णय था कि सिर और दिमाग में लगी चोट के परिणामस्वरूप कोमा के कारण मृत्यु हुई।

4.40 आयोग की अन्वेषण प्रभाग की टीम इस निर्णय पर पहुंची कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताई गई चोटें हर सूरत में पुलिस अभिरक्षा के दौरान लगी थीं। टीम ने यह भी इंगित किया कि छः अज्ञात पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एफ0आई0आर0 मामला सं0 2010 का 146 दर्ज किया गया और उपनिरीक्षक महेन्द्र राम को निलंबित किया गया, पुलिस स्टेशन सकलदिहा के कांस्टेबल जितेन्द्र खन्ना तथा कांस्टेबल दीपचंद की जांच संतोषजनक रूप से नहीं की गई थी।

4.41 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अन्वेषण टीम तथा पुलिस अधीक्षक, चंदौली द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों पर विचार करने के बाद आयोग ने अपना विचार व्यक्त किया कि यह रमाशंकर पर पुलिस द्वारा किए जाने वाले अत्याचार का एक असाधारण मामला है जिसमें पीडित को पुलिस द्वारा उसके घर से ले जाया जाता है और शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। पुलिस ने मामले को तथ्यों के आलोक में देखा कि पुलिस रमाशंकर को बिना किसी एफ0आई0आर0 के लेकर गई। आयोग ने प्रेक्षण किया कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करना तथा उनमें के कुछेक का निलंबन कर देना, सही दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है लेकिन मामले को अच्छे तथा पेशेवर अन्वेषण द्वारा तर्कसंगत अंत तक ले जाने की आवश्यकता है ताकि जिन छः पुलिस कार्मिकों के खिलाफ मामला पंजीकृत किया गया है उनकी सही पहचान हो सके तथा उपनिरीक्षक महेन्द्र राम, कांस्टेबल जितेन्द्र खन्ना तथा कांस्टेबल दीपचंद के खिलाफ जल्दी से जल्दी विभागीय कार्रवाई हो सके और उन्हें यथोचित दंड दिया जा सके।

4.42 आयोग ने अपनी दिनांक 7 फरवरी, 2011 की कार्यवाही में प्रथम दृष्टया यह प्रेक्षण किया कि यह मानव अधिकारों के उल्लंघन का स्पष्ट मामला है और इसलिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया कि मृतक रमाशंकर राम के निकट संबंधी को वित्तीय राहत प्रदान करने की सिफारिश क्यों न की जाए। आयोग ने उत्तर प्रदेश के सचिव, गृह को भी निदेश दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला सं0 146/2010 पुलिस स्टेशन सकलदिहा, की जांच सी0बी0 सी.आई.डी. द्वारा कराई जाए।

4.43 सी0बी0 सी.आई.डी. को अपनी जांच में पुलिस के खिलाफ कोई फंसानेवाला साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। सी0बी0 सी.आई.डी. की जांच रिपोर्ट इस निर्णय पर पहुंची कि मृतक रमाशंकर राम को पुलिस द्वारा मारा-पीटा नहीं गया था।

4.44 पुलिस अधीक्षक, सी0बी0 सी.बी.आई. द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट की ध्यानपूर्वक जांच करने के बाद आयोग अपनी दिनांक 17 सितम्बर, 2013 की कार्यवाही के तहत इस निर्णय पर पहुंचा कि जांच निष्पक्ष रूप से नहीं हुई और साक्ष्यों का आकलन वस्तुपरक तरीके से नहीं किया गया। अन्वेषण के दौरान उपनिरीक्षक महेन्द्र राम की जांच की गई। उपनिरीक्षक महेन्द्र राम ने बताया कि वह भारतीय दंड संहिता की

धारा 323/504 के तहत एन0सी0आर0 सं0 86/10 के मामले में जांच के लिए रमाशंकर के घर गया था और रमाशंकर राम उसे अपने घर के दरवाजे पर ही मिल गया। जब उसने रमाशंकर से जांच करनी शुरू की तो वह चिल्लाने लगा। अचानक ही उसने अपनी छाती पर हाथ लगा और छाती में दर्द तथा चक्कर आने की शिकायत की और वह पास में रखी एक खाट पर गिरा जिससे उसके सिर पर चोट लग गई। कुछ अन्य गवाहों ने भी इसी प्रकार के बयान दिए। अतः सिर पर लगी जिस गंभीर चोट के कारण रमाशंकर राम की मृत्यु हुई, उसका स्पष्टीकरण यह दिया गया कि वो खाट पर गिरा था। आयोग ने प्रेक्षण किया कि सी0बी0 सी.बी.आई. ने आंख मूंद कर इस स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया। मृतक की पत्नी तथा बेटी और एक स्वतंत्र गवाह फूलवती के बयानों को पूरी तरह से नकार दिया गया। इन सभी गवाहों ने कहा था कि जब रमाशंकर पेशाब कर रहा था तो कांस्टेबल ने उसे लात मारी थी। उनमें से किसी ने भी यह नहीं बताया कि रमाशंकर खाट पर गिरा था। अन्वेषण अधिकारी ने इस संबंध में उनसे कोई भी प्रश्न नहीं किया। आयोग ने यह भी प्रेक्षण किया कि पुलिस अधीक्षक, चंदौली से प्राप्त हुई दिनांक 17 मार्च, 2011 की रिपोर्ट में रमाशंकर राम का खाट पर गिरने का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। उपनिरीक्षक महेन्द्र राम का बयान भी पोस्मार्टम की रिपोर्ट से भिन्न था। आयोग ने सी0बी0 सी.बी.आई. की अन्वेषण रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया और प्रेक्षण किया कि उनके पास आयोग की अन्वेषण टीम द्वारा प्रस्तुत की जांच रिपोर्ट को नजरअंदाज करने का कोई कारण नहीं है।

4.45 चूंकि, राज्य रमाशंकर राम को सिर के पीछे लगी घातक चोट के बारे में कोई विश्वस्नीय स्पष्टीकरण देने में असफल रहा और आयोग के अन्वेषण प्रभाग की टीम द्वारा की गई जांच से यह उजागर हो जाने कि उक्त चोट रमाशंकर को पुलिस स्टेशन ले जाते समय लगी होगी; आयोग ने मृतक रमाशंकर राम के निकटतम संबंधी को वित्तीय राहत के रूप में 5,00,000/—रु० का भुगतान करने की सिफारिश की। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को निदेश दिया गया कि वे आठ सप्ताह के भीतर भुगतान के साक्ष्यों के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

4.46 भुगतान के साक्ष्यों के साथ अनुपालन रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

5. बीड, महाराष्ट्र में पुलिस अभिरक्षा में यातना के कारण गणेश ए० भोसले की मृत्यु (मामला सं० 334/13/2006-2007-पी०सी०डी०)

4.47 आयोग को दिनांक 28 जून, 2006 को पुलिस अधीक्षक, बीड, महाराष्ट्र से सूचना प्राप्त हुई कि 21 वर्षीय गणेश अमेरिका भोसले की पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हो गई है। गणेश तथा चार अन्य लोगों को दिनांक 14 जून, 2006 को पुलिस स्टेशन बीड ने अपराध सं० 107/2006 में गिरफ्तार किया था और उन सभी को 19 जून, 2006 तक पुलिस अभिरक्षा में रिमांड पर रखा गया था। दिनांक 19 जून, 2006 को प्रातः लगभग 06:20 बजे गणेश को सिर पर लगी चोट के कारण सरकारी अस्पताल ले जाया गया और उसी दिन अस्पताल में 01:30 बजे अपराहन उसकी मृत्यु हो गई।

4.48 पुलिस के अनुसार गणेश ने कारागार के दरवाजे की लोहे की छड़ पर अपना सिर दो बार मारा था और उसके सिर पर चोट आई थी। तथापि, एस0डी0एम0 अम्बाजोगई ने पुलिस पर विश्वास नहीं किया और मृत्यु की परिस्थितियों की जांच करवाई। मजिस्ट्रेट के मतानुसार पुलिस अभिरक्षा में गणेश को प्रताड़ित किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि सी0बी0 सी.बी.आई. की प्रारंभिक जांच में भी संबंधित पुलिस कार्मिकों को इस मृत्यु के लिए जिम्मेदार ठहराया गया तथा निरीक्षक आर0डी0 देशमुख द्वारा की गई शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध मामला सं0 157/2006 दर्ज किया गया। तथापि, अपराध मामला सं0 157/2006 की जांच के बाद अन्वेषण एजेंसी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि गलतफहमी की वजह से मामला दर्ज किया गया और दिनांक 26 फरवरी, 2007 को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। न्यायालय द्वारा दिनांक 26 जून, 2009 को अंतिम रिपोर्ट स्वीकार की गई।

4.49 रिपोर्टों के अनुसार इस घटना के समय नौ आरोपी कारागार में थे। उनमें से गणेश सहित पांच आरोपी अपराध मामला सं0 157/2006 से संबंधित थे और वे दीवार के निकट दक्षिण-उत्तरी दिशा में सो रहे थे। गणेश के साथ दीवार के पास सो रहे चार आरोपियों ने जांच के दौरान बार-बार दोहराया कि पुलिस वालों ने गणेश के साथ मार-पीट की थी। अन्य चार ने शुरू में इस संबंध में यह कहते हुए कि हम सो रहे थे, अपनी अनभिज्ञता जाहिर की लेकिन अंत में उन्होंने पुलिस की कहानी का समर्थन किया और कहा कि गणेश ने स्वयं अपना सिर लोहे की छड़ में मारा था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयानों को रिकार्ड भी किया गया। अन्वेषण एजेंसी इन चारों आरोपियों के बयानों पर विश्वास किया। यह भी इंगित किया गया कि पोस्टमॉर्टम के दौरान सिर के विभिन्न हिस्सों में चोट पाई गई और ऐसी चोट किसी एक प्रहार के कारण नहीं हो सकती। तथापि, दीवार के समीप गणेश के साथ सो रहे चारों आरोपियों के बयानों को दरकिनार क्यों कर दिया गया – इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं था।

4.50 इस मामले में पोस्टमार्टम का खुलासा वाकई जोरदार था। मृतक के दायें तथा बाएं तलवे पर नील के निशान थे। इन चोटों ने पुलिस को झूठा साबित कर दिया क्योंकि ऐसी चोट कारागार में सिर को लोहे के छड़ पर मारने से नहीं लग सकती। पोस्टमॉर्टम करने वाले सर्जन के अनुसार हड्डियों के टूटने, गले की हड्डी के जोड़ टूटने के साथ-साथ रीढ़ की हड्डी में रक्तस्राव होने से मृत्यु हुई थी। पोस्टमार्टम करने वाले सर्जन का विचार भी पुलिस के संस्करण से मेल नहीं खाता है।

4.51 विभिन्न रिपोर्टों पर विचार करने के बाद आयोग ने पुलिस के संस्करण को अस्वीकार कर दिया और प्रेक्षण किया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यह इंगित करती है कि गणेश अमेरिक्या भोसले पर पुलिस अभिरक्षा में प्रहार किया गया था। आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत महाराष्ट्र सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि गणेश अमेरिक्या भोसले के निकटतम संबंधी को वित्तीय सहायता क्यों न दी जाए।

4.52 कारण बताओ नोटिस के जवाब में राज्य सरकार ने सूचित किया कि मृतक की पत्नी को मुआवजे के रूप में 1,00,000/-₹0 की राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

4.53 कारण बताओ नोटिस के संबंध में दिए गए जवाब पर विचार करने के बाद आयोग ने अपनी दिनांक 8 अगस्त, 2013 की कार्यवाही के दौरान प्रेक्षण किया कि मानव जीवन की हानि के लिए 1,00,000/-रु० की राशि नितांत अपर्याप्त है। चूंकि गणेश अमेरिक्या भोसले केवल 21 वर्ष का था और पुलिस यातना के कारण भरी जवानी में उसकी मृत्यु हुई इसलिए आयोग ने माना कि राज्य को उसके परिवार को उचित मुआवजा देना चाहिए। परिस्थितियों पर विचार करते हुए, आयोग ने महाराष्ट्र सरकार से गणेश अमेरिक्या भोसले के निकटतम संबंधी पहले से दिए जा चुके 1,00,000/-रु० को समायोजित करते हुए वित्तीय राहत के रूप में 5,00,000/-रु० की राशि का भुगतान करने की सिफारिश की। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव से कहा गया कि आठ सप्ताह के भीतर भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

4.54 भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

**6. पुलिस स्टेशन कदमतला, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में यातना के कारण एस० बारला द्वारा आत्महत्या
(मामला सं० 3/26/0/07-08-पी सी डी)**

4.55 आयोग ने दिनांक 8 जून, 2007 को अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के पुलिस महानिरीक्षक से एक 27 वर्षीय सुप्रियन बारला की दिनांक 17 अप्रैल, 2007 को हुई मृत्यु के बारे में प्राप्त सूचना को संज्ञान में लिया। यह बताया गया कि सुप्रियन बारला को मेरी प्रभा कुजुर की शिकायत पर पुलिस स्टेशन कदमतला में भारतीय दंड संहिता की धारा 324/504/506 के तहत दर्ज अपराध सं० 8/2007 के संबंध में दिनांक 17 अप्रैल, 2007 को लगभग 5:00 बजे सायं गिरफ्तार किया गया था। यह भी बताया गया कि पुलिस स्टेशन कदमतला के एस०एच०ओ० ने मेरी प्रभा कुजुर को अनुमति दी थी कि वो अपनी चप्पल से सुप्रियन बारला की पिटाई करें। और इस अपमान के परिणामस्वरूप सुप्रियन बारला जो पहले से ही मानसिक रूप से परेशान था, ने पुलिस अभिरक्षा से भाग कर अपनी झोपड़ी, जो कि पुलिस स्टेशन से 120 मीटर की दूरी पर थी, में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस स्टेशन कदमतला के एस०एच०ओ० के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302/342/218/201 के तहत एफ०आई०आर० दर्ज की गई।

4.56 आयोग के निदेशों के अनुसरण में संबंधित प्राधिकारियों से संगत रिपोर्टें प्राप्त हुईं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गर्दन के सामने से लेकर दोनों कानों के पीछे तक कुछ बांधे जाने के निशान के साथ-साथ बाएं पैर के नीचे एक छोटा कट के निशान का खुलासा हुआ। कठिका अस्थि भी टूटी हुई पाई गई। जिन सर्जन से पोस्टमॉर्टम किया, उनका मत था कि गर्दन के चारों ओर एक पट्टी के लगातार दबाव के कारण सांस लेने में बाधा उत्पन्न होने के कारण दम घुटने से मौत हुई। उनके अनुसार, फांसी आत्महत्या की प्रवृत्ति की थी।

4.57 मृतक के पिता ने पुलिस रुपांतर को चुनौती दी और उनकी शिकायत पर सेंट्रल क्राईम स्टेशन, पोर्ट ब्लेयर में पुलिस स्टेशन कदमतला के एस०एच०ओ० तथा अन्य पुलिस कार्मिकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302/342/218/201 के तहत मामला सं० 551/2007 दर्ज किया गया।

4.58 मृत्यु की परिस्थितियों की जांच करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट, मायाबुंदेर ने भी आत्महत्या की आशंका से इनकार किया है। मजिस्ट्रेट ने नोट किया कि मृतक का शरीर सीधा खड़ा था और उसके पांव जमीन पर थे और गले के आसपास बंधी हुई पट्टी इतनी जोर से नहीं बंधी थी कि सांस लेने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हुई हो। उन्होंने प्रेक्षण कि कठिका अस्थि भी टूटी हुई नहीं थी, जो कि नियमानुसार फांसी लगने की स्थिति में टूट जाती है। मजिस्ट्रेट के मतानुसार यह पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु का मामला था।

4.59 मामला सं० 551/2007 की जांच के दौरान यह पाया गया कि पुलिस स्टेशन के प्रभारी ने मृतक की अभिरक्षा में बेइज्जती की थी और उसे यातना दी थी। जांच अधिकारी के मतानुसार पुलिस द्वारा की गई बेइज्जती तथा दी गई यातना ने सुप्रियन बारला को आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाने तथा अन्य अपराधों के संबंध में पुलिस अधिकारी पर अभियोग चलाने की सिफारिश की।

4.60 विभिन्न रिपोर्टों पर विचार करने के बाद आयोग ने यह निर्णय लिया कि पुलिस अभिरक्षा में मृतक के साथ दुरागतचर्य के सकारात्मक साक्ष्य मौजूद हैं। यह भी नोटिस किया गया कि सुप्रियन बारला द्वारा पुलिस अभिरक्षा से भाग जाने के मामले में पुलिस ने सावधानी नहीं बरती। अतः आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत मुख्य सचिव, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह सरकार को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया कि मृतक सुप्रियन बारला के निकटतम संबंधी को वित्तीय राहत के रूप में 3,00,000/-₹ की राशि क्यों न दी जाए।

4.61 कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए उपसचिव (गृह), अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह ने आयोग को सूचित किया कि मृतक सुप्रियन बारला के निकटतम संबंधी को वित्तीय राहत के रूप में 3,00,000/-₹ का भुगतान करने में प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं है।

4.62 अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा लिए गए निष्पक्ष निर्णय के आलोक में आयोग ने अपनी दिनांक 5 जून, 2013 की कार्यवाही में सिफारिश की कि मृतक सुप्रियन बारला के निकटतम संबंधी को वित्तीय राहत के रूप में 3,00,000/-₹ का भुगतान किया जाए।

4.63 अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने अपने दिनांक 17 सितम्बर, 2013 के पत्राचार से सूचित किया कि आयोग की सिफारिश के अनुसार मृतक सुप्रियन बारला के पिता श्री पन्ना बारला को 3,00,000/-₹ की राशि का भुगतान कर दिया गया है।

4.64 अपनी सिफारिशों के अनुपालन के आलोक में आयोग ने अपनी दिनांक 6 दिसम्बर, 2013 की कार्यवाही में मामले को बंद कर दिया।

**7. दावोह पुलिस स्टेशन, भिंड, मध्य प्रदेश में अजय मिश्रा की मृत्यु
(मामला सं० 675/12/7/2112-पी सी डी)**

4.65 आयोग ने दिनांक 28 मार्च, 2012 को पुलिस अधीक्षक, भिंड, मध्य प्रदेश से दिनांक 12 मार्च, 2012 को पुलिस स्टेशन दावोह, भिंड, मध्य प्रदेश की अभिरक्षा में अजय मिश्रा की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। यह सूचित किया गया कि तीन आरोपियों अर्थात् विकेश, पंकज तथा अजय मिश्रा को भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के तहत एक अपराध के संबंध में दर्ज एफ0आई0आर0 सं० 24/12 के संबंध में दिनांक 7 मार्च, 2012 को गिरफ्तार किया गया था। दिनांक 11 मार्च को पुलिस स्टेशन दावोह के प्रभारी ने बीमार अजय मिश्रा को लहार के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में भर्ती कराया जहां दिनांक 12 मार्च, 2012 को इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

4.66 आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में प्राधिकारियों से संगत रिपोर्टें प्राप्त हुईं।

4.67 न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा करवाई की जांच में यह पता चला कि मृतक अजय मिश्रा के शरीर पर 12 चोट के निशान थे। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में नौ खंरोचें, दो नील के निशान तथा दाहिनी आंख पूरी तरह से काली थी और मृत्यु का कारण 'हृदय आघात' बताया गया।

4.68 न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा करवाई गई मजिस्ट्रेट जांच में अन्य के साथ-साथ मृतक के पिता का बयान लिया गया जिन्होंने दावा किया कि उनके पुत्र को दिनांक 2 मार्च, 2012 को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि दिनांक 4 मार्च, 2012 को उन्होंने पुलिस स्टेशन दावोह के प्रभारी अधिकारी से अपने पुत्र अजय मिश्रा के बारे में पूछा तो उनके पुत्र को कारागार से निकालकर उनके सामने बेरहमी से पीटा गया। मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि अधिकारी ने उसके बेटे की रिहाई के लिए 50,000/-रु० का भुगतान करने के लिए कहा था लेकिन मांगे गए पैसों का भुगतान करने के बाद भी उसके पुत्र को उसके सामने दोबारा पीटा गया और रिहा भी नहीं किया गया तथा एक बार फिर 50,000/-रु० की मांग की गई। मृतक अजय के पिता ने आगे बताया कि इसके बाद वो एस0डी0पी0ओ0 से मिले जिन्होंने आश्वासन दिया कि उनके पुत्र को मारा-पीटा नहीं जाएगा, लेकिन होली के बाद उसे चार्जशीट किया जाएगा। अजय के पिता को दिनांक 12 मार्च, 2012 को अपना पुत्र मृत हालत में मिला। अन्य गवाहों ने भी मजिस्ट्रेट जांच के दौरान इस बात की पुष्टि की कि अजय मिश्रा को दिनांक 2 मार्च, 2012 को पुलिस स्टेशन दावोह के प्रभारी अधिकारी श्री आर०सी० आर्य द्वारा गिरफ्तार किया गया था। दिनांक 3 मार्च, 2012 को स्थानीय समाचारपत्र में गिरफ्तारी की खबर भी आई थी। आयोग ने प्रेक्षण किया कि मजिस्ट्रेट जांच के निष्कर्षों से यह पता चला कि भिंड के पुलिस अधीक्षक ने आयोग को गलत रिपोर्ट दी थी कि गिरफ्तारी दिनांक 7 मार्च, 2012 को की गई थी।

4.69 मजिस्ट्रेट जांच से इस बात की पुष्टि भी हो गई कि अजय मिश्रा की दिनांक 3 एवं 6 मार्च, 2012 को पुलिस अभिरक्षा में पिटाई की गई थी। उसे दिनांक 7 मार्च, 2012 को गिरफ्तार किया गया दिखाया गया, मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांक 8 मार्च, 2012 को पेश किया गया और 12 मार्च, 2012 तक पुलिस रिमांड में लिया

गया। गवाहों ने मजिस्ट्रेट जांच में इस बात की पुष्टि की कि रिमांड के दौरान उसकी फिर पिटाई की गई थी। मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट के अनुसार अजय मिश्रा की दिनांक 7 मार्च, 2012 की औपचारिक गिरफ्तारी के बाद उसकी चिकित्सा जांच की गई थी और डॉक्टरों ने उसके शरीर पर तीन चोट देखी थीं जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 12 चोटें पाई गईं। आयोग ने प्रेक्षण किया कि यह स्पष्ट है कि उसे पहले अवैध गिरफ्तारी तथा बाद में पुलिस रिमांड की अवधि के दौरान बुरी तरह से पीटा गया था।

4.70 मजिस्ट्रेट इस निर्णय पर पहुंचे कि (i) मृतक अजय शर्मा दिनांक 2 मार्च, 2012 से पुलिस की अभिरक्षा में था जबकि उसे दिनांक 7 मार्च, 2012 को गिरफ्तार किया गया दिखाया गया; (ii) उसे 2 से 7 मार्च तक अवैध रूप से रखा गया; (iii) उसे पूरी अवधि के दौरान पुलिस स्टेशन में पीटा गया; और (पअ) ज्यादा खून बह जाने के कारण हृदय आघात हो जाने से मृत्यु हुई।

4.71 मजिस्ट्रेट जांच में यह स्थापित हो गया कि संबंधित पुलिसकार्मिकों ने बहुत ही गंभीर अपराध किया, पहले तो पांच दिन तक अवैध कारावास में रखा गया और उसके बाद किसी व्यक्ति को यातना देकर उसे मौत के घाट उतार कर सबसे गंभीर अपराध किया। मानव अधिकारों के इन गंभीर उल्लंघनों के लिए आयोग इस निर्णय पर पहुंचा कि राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि मृतक के निकटतम संबंधी को मुआवजा दिया जाए और दोषियों को सजा दी जाए।

4.72 तदनुसार, आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को 1) कारण बताओ नोटिस जारी किया कि मृतक अजय मिश्रा के निकटतम संबंधी को वित्तीय राहत की सिफारिश क्यों न की जाए; 2) मजिस्ट्रेट जांच के निष्कर्षों के आधार पर संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही सहित की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने; तथा 3) मृतक अजय मिश्रा की गिरफ्तारी तथा मृत्यु की परिस्थितियों की सी0बी0सी0आई0डी0 द्वारा तत्काल जांच करने का आदेश देने का निदेश दिया।

4.73 इसके जवाब में मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग के अपर सचिव ने सूचित किया कि उपनिरीक्षक रमेश चंद आर्य तथा कांस्टेबल अशोक कुमार एवं सुरेन्द्र सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 323, 34 के तहत अपराध संख्या 93/13 दर्ज किया गया है।

4.74 चूंकि अपेक्षित रिपोर्ट निर्धारित समयसीमा में प्राप्त नहीं हुई थी इसलिए आयोग ने अपनी दिनांक 10 जनवरी, 2014 की कार्यवाही में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को आठ महीने के अंदर कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए अनुस्मारक जारी करने का निदेश दिया और ऐसा न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि मध्य प्रदेश सरकार को इस मामले में आगे कुछ नहीं कहना है और आयोग रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर यथोचित सिफारिश करेगा। आयोग ने मुख्य सचिव को सी0बी0सी0आई0डी0 रिपोर्ट तथा मजिस्ट्रेट जांच के निष्कर्षों के आलोक में दोषी अधिकारियों के खिलाफ शुरु की गई अनुभागीय कार्यवाहियों संबंधी रिपोर्ट भेजने का भी निदेश दिया। रिपोर्ट प्रतीक्षित हैं।

अर्ध-सैनिक/रक्षा बल अभिरक्षा**8. बंगलादेश सीमा के पास सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा एक युवा पर अत्याचार
(मामला सं० 134/25/13/2012-पी.एफ.)**

4.75 आयोग ने दिनांक 19 जनवरी 2012 को “द हिन्दू” नामक अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित “बंगलादेश सीमा के निकट सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा एक युवा की पिटाई का वीडियो” शीर्षक की रिपोर्ट को स्वतः संज्ञान में लिया। रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता में एक स्थानीय चैनल द्वारा बनाए गए एक वीडियो में एक युवा, जिसको निर्वस्त्र करके बांस के साथ बांधकर सीमा सुरक्षा बल के चार जवानों द्वारा पीटा जा रहा था और वह जमीन पर दर्द के मारे कराह रहा था। आयोग को अन्य लोगों से भी इसी विषय पर शिकायतें प्राप्त हुईं उन्हें इस मामले के साथ दर्ज और टैग कर दिया गया।

4.76 उपमहानिरीक्षक (ऑपरेशन) सी, सीमा सुरक्षा बल, नई दिल्ली ने आयोग के नोटिस का जवाब दिया और एक रिपोर्ट भेजी जिसमें कहा गया कि प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि हैड कांस्टेबल संजीव के०आर० तथा अन्य ने एक अनजान नागरिक, जो बाद में मोहम्मद हबीबुर रहमान (हाबू), सुपुत्र मोहम्मद सईदुर रहमान, निवासी ग्राम सतराशिया, पोस्ट ऑफिस बाबूपुर, पुलिस स्टेशन शिवगांग, छपनवागांग, बंगलादेश के रूप में हुई, के साथ दिनांक 9 दिसम्बर, 2011 को 0600 बजे चारमुराशी सीमा चौकी के ए०सी०पी० संख्या 07 पर दुर्व्यवहार किया गया। इन कार्मिकों से पूछताछ करने पर पता चला कि नागरिक पशुओं की तस्करी करता था जिसे दिनांक 9 दिसम्बर, 2011 की सुबह भारत से बंगलादेश पशु तस्करी करते समय गिरफ्तार किया गया था और दुर्व्यवहार करने के बाद उसे छोड़ भी दिया गया था।

4.77 रिपोर्ट में आगे कहा गया कि इस घटना के संबंध में कार्मिक विभागीय न्यायालय जांच करवाई गई जिसमें यह पता चला कि हालांकि सीमा पर तैनात कंपनियों को सीमा पर मानव अधिकारों के संबंध में विनिर्दिष्ट एस०ओ०पी० का अनुपालन करने के यथोचित स्थायी निर्देश दिए गए हैं, किन्तु हैड कांस्टेबल संजीव के०आर० तथा सात अन्य कांस्टेबलों को बंगलादेशी नागरिक को निर्वस्त्र करके उसकी पिटाई करने का दोषी पाया गया। संक्षिप्त सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। हैड कांस्टेबल को एक रैंक नीचे कर कांस्टेबल बना दिया गया तथा एक महीने का वेतन एवं अन्य भत्ते जब्त कर लिए गए। सात कांस्टेबलों को 89 दिनों के कठोर कारावास का दंड दिया गया।

4.78 सीमा सुरक्षा बल के महाउपनिरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मोहम्मद हबीबुर रहमान, एक बंगलादेशी नागरिक को हैड कांस्टेबल संजीव के०आर० तथा सीमा सुरक्षा बल के अन्य कार्मिकों द्वारा निर्वस्त्र किया गया और मारा-पीटा गया। हालांकि श्री मोहम्मद हबीबुर रहमान एक विदेशी था लेकिन उसके मानव अधिकारों का हनन भारतीय सीमा के अंदर सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा किया गया, आयोग ने यह विचार व्यक्त किया कि पीडित को भारत सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए। अतः आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (क)(i) के तहत

सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया कि पीडित को उचित मुआवजे की सिफारिश क्यों न की जाए।

4.79 गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अनुस्मारक भेजे जाने बावजूद कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया इसलिए तथ्यों एवं परिस्थितियों को मददेनजर रखते हुए आयोग ने अपनी दिनांक 3 जून, 2013 की कार्यवाही के तहत सीमा सुरक्षा बल के हैड कांस्टेबल के हाथों पीडित मोहम्मद सईदुर रहमान को 50,000/-₹0 का भुगतान करने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से सिफारिश की और सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को तीन महीनों के अंदर आयोग को भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करने के साथ-साथ अनुपालन रिपोर्ट भेजने के लिए कहा।

9. जिला पश्चिम चम्पारन, बिहार में ग्राम वाल्मिकी नगर में सशस्त्र सीमा बल के कार्मिक द्वारा किए गए अत्याचार के कारण एक युवा की मृत्यु (मामला सं० 2572/4/8/08-09-ए0सी0डी0)

4.80 आयोग को श्री सुमन कुमार वर्मा से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया गया कि सशस्त्र सीमा बल के कार्मिकों के अत्याचार के कारण उनके पुत्र गौरव कुमार वर्मा की मृत्यु हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि एच0आर0 बरोत जो वाल्मिकीनगर में एस0एस0बी0 की 12वीं बटालियन के कमांडेन्ट के पद पर वहां तैनात थे, सीमापार से तस्करी की गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रहे थे। श्री बरोत के निदेश के तहत नेपाल से भारत में तस्करी की जा रही फर्टीलाइजर्स की एक खेप को ग्राम वासियों ने रोका। शिकायतकर्ता के पुत्र ने इस मामले के अभियोजन में स्वैच्छिक रूप से गवाह बनना स्वीकार किया। श्री बरोत ने उसे हतोत्साहित किया और गंभीर परिणाम की धमकी दी। दिनांक 15 नवम्बर, 2008 को लगभग 09:00 बजे रात्रि को श्री बरोत के नेतृत्व में एस0एस0बी0 की एक टुकड़ी तथा दो वन अधिकारियों ने पीपराकोठी में उनके घर पर छापा मारा और उनके पुत्र गौरव को घसीट कर ले गए। उसे बुरी तरह से पीटते हुए ले जाया गया। एस0एस0बी0 कार्मिकों द्वारा की गई पिटाई से आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई।

4.81 आयोग के नोटिस के जवाब में प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार गौरव वर्मा द्वारा जंगली लकड़ी के अवैध संग्रहण संबंधी एक सूचना प्राप्त हुई। जानकारी प्राप्त होने के बाद दो वन अधिकारियों सहित एस0एस0बी0 की एक सर्च पार्टी ने ग्राम पीपराकोठी में गौरव के घर पर छापा मारा। छापे के दौरान लकड़ी के 121 पल्ले मिले जिन्हें एस0एस0बी0 और वन अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान गौरव वर्मा ने उल्टी कर दी और उसे दस्त भी होने लगे और उसे तत्काल ही वाल्मिकीनगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया। पी0एच0सी0 के डॉक्टरों ने उसकी जांच की और लगा कि उसने जहर खाया है और उसे बगाहा अस्पताल रैफर किया। गौरव वर्मा की बगाहा के रास्ते में ही मृत्यु हो गई। मृतक के पिता सुमन वर्मा ने कमांडेन्ट एच0आर0 बरोत तथा एस0एस0बी0 के अन्य कार्मिकों के खिलाफ पुलिस स्टेशन वाल्मिकीनगर में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/120ख के तहत अपराध संख्या 53/2008 के तहत एफ0आई0आर0 दर्ज की। अन्वेषण अधिकारी ने पाया कि एफ0आई0आर0 में लगाए गए आरोपों को सही पाया।

4.82 पश्चिम बंगाल के जिला मजिस्ट्रेट ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा कि गौरव वर्मा की मृत्यु जहर की वजह से नहीं हुई थी बल्कि उसकी मृत्यु अभिरक्षा में की गई गंभीर पिटाई के कारण हुई थी।

4.83 यह देखा गया कि श्री एच0आर0 बरोत, कमांडेन्ट, 12वीं बटालियन, एस0एस0बी0 ने एस0एस0बी0 के महानिदेशक को एक आवेदन भेजा था और उसमें यह आरोप लगाया गया कि कुछ स्थानीय लोग जिनकी अवैध गतिविधियों पर एस0एस0बी0 ने अंकुश लगाया है, इस मामले की जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद एस0एस0बी0 के महानिदेशक ने बिहार के पुलिस महानिदेशक को अनुरोध करते हुए लिखा कि निष्पक्ष जांच के लिए मामले को राज्य सी0आई0डी0 को हस्तांतरित कर दिया जाए। मामले की जांच एक बार फिर चंपारन रेंज के उपमहानिरीक्षक के हाथ आ गई। उपमहानिरीक्षक ने जांच रिपोर्ट तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निहित विषयों को नोट किया। जांच रिपोर्ट में यह उल्लेख था कि बाएं पैर तथा बाएं हाथ के नाखून क्षतिग्रस्त हालत में थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सिर, सीधे हाथ तथा पीठ पर चोट का उल्लेख किया गया था। नाक तथा मुंह में रक्तरंजित झाग देखे गए। डॉक्टर का मत था कि सांस लेने में तकलीफ के कारण दम घुटने के कारण मृत्यु हुई थी। दस्त या उल्टी का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। सकल जांच के बाद उपमहानिरीक्षक, चंपारन रेंज इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गौरव वर्मा पर तीसरी डिग्री का अत्याचार किया गया और इसी के कारण उनकी मौत हो गई।

4.84 चंपारन रेंज के उपमहानिरीक्षक ने रिपोर्ट में बताया कि एस0एस0बी0 के उन कार्मिकों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, जांच के दौरान जिनके अपराध सिद्ध हो गए थे। चूंकि स्थानीय पुलिस की जांच से यह खुलासा हुआ कि एस0एस0बी0 कार्मिक, गौरव वर्मा की मौत के दोषी थे, आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत गृह मंत्रालय, भारत सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि मृतक गौरव वर्मा के निकटतम संबंधी को 5,00,000/-रु० की वित्तीय राहत का भुगतान क्यों नहीं किया जाए।

4.85 कारण बताओ नोटिस के जवाब में उपसचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने सूचित किया कि स्थानीय पुलिस ने एस0एस0बी0 के दस कार्मिकों सहित संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। यह भी बताया गया कि आयोग द्वारा जारी किये गए कारण बताओ नोटिस पर एस0एस0बी0 की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

4.86 आयोग ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया और अपनी दिनांक 19 जनवरी, 2012 की कार्यवाही में मृतक गौरव कुमार वर्मा के निकटतम संबंधी को पांच लाख रु० की वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए इस मामले को प्रथम दृष्टया सही माना है। आयोग के इस निष्कर्ष के संबंध में जवाब देने के लिए गृह मंत्रालय को एक अवसर दिया गया।

4.87 गृह मंत्रालय ने मृतक के निकटतम संबंधी को वित्तीय राहत दिए जाने या न दिए जाने के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया। आयोग ने प्रेक्षण किया कि यदि आयोग संतुष्ट है कि ऐसी वित्तीय राहत न्याय और मानव अधिकारों के हित में है तो एस0एस0बी0 के कार्मिकों के खिलाफ चार्जशीट दायर करना या न्यायालय में

आपराधिक मामलों को लंबित रखने से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत वित्तीय राहत प्रदान करने से रोका नहीं जा सकता है।

4.88 आयोग ने अपनी दिनांक 21 अगस्त, 2013 की कार्यवाही में गृह मंत्रालय, भारत सरकार को सिफारिश की कि मृतक गौरव कुमार वर्मा के निकटतम संबंधी को 5,00,000/-रु० की वित्तीय राहत का भुगतान किया जाए। सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को छः महीने के अंदर भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश भी दिया गया।

4.89 गृह मंत्रालय से प्राप्त जवाब पर आयोग विचार कर रहा है।

10. त्रिपुरा में बोलरथेपा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल की 19 बटालियन के कार्मिकों द्वारा अकारण की गई गोलीबारी में एक युवा की मृत्यु (मामला सं० 24/23/4/2011-पी एफ)

4.90 आयोग को दिनांक 3 जून, 2011 को एक गैर सरकारी संगठन से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि दिनांक 14 मई 2011 को रात्रि 8:00 बजे जिला पश्चिम त्रिपुरा के सोनपुरा सबडिवीजन के तहत आने वाले सोनापुर गांव के एक 37 वर्षीय अबु हनीफ को, बोलरथेपा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल की 19 बटालियन के कार्मिकों ने गोली मार दी है।

4.91 आयोग के नोटिस का जवाब देते हुए उपमहानिरीक्षक (ऑपरेशन्स) सी, सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने यह इंगित करते हुए कि दिनांक 14 मई, 2011 को रात्रि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक आक्रमण सह पेट्रोलिंग पार्टी तैनात थी, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। एक कांस्टेबल डी०एन० मिश्रा, किसी नागरिक से साईकिल मांगकर गोपनीय प्रयोजन से सोनापुर मदरसा की तरफ गया। उसने मदरसे के निकट 3-4 तस्करों की आवाजाही के बारे में रिपोर्ट दी और उन्हें रुकने की चुनौती दी। तथापि, चेतावनी का नजरअंदाज किए जाने पर उसने अपनी राईफल से तीन राउंड फायर किए और तस्कर अपना सामान जिसमें गांजा था, छोड़कर भाग गए। मामले की जांच कराई गई और यह पाया गया कि हैड कांस्टेबल मिश्रा ने गलत रिपोर्ट दी थी। मृतक की पत्नी श्रीमती छायेरा खातून ने दिनांक 15 मई, 2011 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए एफ०आई०आर० सं० 84/11 दर्ज कराई। सीमा सुरक्षा बल ने भी उसी पुलिस स्टेशन में दिनांक 15 मई, 2011 को भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 149, 353, 307 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एफ०आई०आर० संख्या 86/11 दर्ज कराई और मामले भावी जांच के लिए लंबित पड़े हैं। आयोग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त हुई जिसमें मृत्यु का कारण दो हथियारों से लगी गोली के कारण हुए घावों को बताया गया है।

4.92 विभागीय जांच के स्टॉफ न्यायालय ने कांस्टेबल के कृत्य को जानबूझकर गुमराह करने वाला और अपने उच्चाधिकारियों को पूरी घटना को भ्रामक तथ्यों के साथ रिपोर्ट किया जाने वाला माना। उसे दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अकेले ऑपरेशन करने, अकारण गोली चलाने, और एक नागरिक अर्थात् अबु हनीफ की

हत्या करने का दोषी पाया गया। आगे यह भी रिपोर्ट किया गया कि पोस्ट कमांडर तथा ए0सी0/सी0ओ0वाई0 कमांडर भी चुस्ती से अपनी ड्यूटी न निभाने के दोषी पाए गए क्योंकि वे क्षेत्र की भौतिक खोजबीन करने में असफल रहे थे।

4.93 सीमा सुरक्षा बल तथा स्टॉफ कोर्ट ऑफ इंकवायरी द्वारा वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए आयोग ने यह माना कि पीडित के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इसलिए, आयोग ने अपनी दिनांक 17 अप्रैल, 2013 की कार्यवाही में मृतक अबु हनीफ के निकटतम संबंधी को 7,00,000 /—रु० की राशि का भुगतान करने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से सिफारिश की।

4.94 आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में उपमहानिरीक्षक (ओ पी एस) सी, महानिदेशालय, सीमा सुरक्षा बल, नई दिल्ली ने सूचित किया कि मृतक की पत्नी श्रीमती छायेरा खातून को सात लाख रु० की राशि का भुगतान कर दिया गया है और उन्होंने भुगतान का साक्ष्य भी अग्रेषित किया।

4.95 आयोग की सिफारिशों के अनुपालन के आलोक में मामले को दिनांक 5 दिसम्बर, 2013 को बंद कर दिया गया।

11. जिला सोनितपुर, असम में अकाबस्ती में असम राईफल्स कार्मिकों के साथ हुई मुठभेड़ में एम०यू०एल०टी०ए० तथा एन०डी०एफ०बी० के पांच तथाकथित कार्यकर्ताओं की मृत्यु (मामला सं० 274/3/16/2011—पी एफ)

4.96 आयोग ने असम पुलिस की वेबसाइट पर उनके न्यूजलेटर में देखा कि दिनांक 19 अप्रैल, 2009 को जिला सोनितपुर में रंगापारा पुलिस स्टेशन के तहत अकाबस्ती में असम राईफल्स के कार्मिकों के साथ हुई एक मुठभेड़ में मुस्लिम युनाईटेड लिबरेशन टाईगर्स एसोसिएशन (एम यू एल टी ए) तथा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैण्ड (एन डी एफ बी) के पांच कार्यकर्ता मारे गए।

4.97 आयोग ने घटना को संज्ञान में लेते हुए सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पुलिस महानिदेशक, असम, जिला मजिस्ट्रेट सोनितपुर तथा पुलिस अधीक्षक सोनितपुर को आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार मामले की जांच करने के संबंध में यथोचित कार्रवाई करने और संगत रिपोर्टें प्रस्तुत करने का निदेश दिया। पुलिस महानिदेशक, असम को यह स्पष्ट करने के लिए भी कहा गया कि आयोग को उक्त घटना के बारे में विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार सूचित क्यों नहीं किया गया।

4.98 पुलिस महानिरीक्षक (लॉजिस्टिक), असम ने संगत रिपोर्ट अग्रेषित की और आयोग को विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसरण में उक्त घटना की सूचना प्रस्तुत न करने के लिए क्षमा भी मांगी।

4.99 आयोग को असम राईफल्स से एक विस्तृत रिपोर्ट भी प्राप्त हुई और उसने नोट किया कि रिपोर्ट में दावा किए गए तथ्यात्मक बिन्दुओं और सिविल प्राधिकारियों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के बीच काफी अंतर था।

4.100 रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग ने प्रेक्षण किया कि सर्वप्रथम, असम राईफल्स ने रिपोर्ट किया कि सभी पांच व्यक्ति एक घर से भागे थे, पास के ही खेतों में मुठभेड हुई जिसमें कैप्टन कमल गौतम ने तीन आतंकवादियों को मार गिराया तथा मेजर एम0 जबीउल्ला ने अन्य दो को मार गिराया। तथापि, तीन ग्रामीणों सहित वह महिला जिसके घर में पांच लोगों ने पनाह ले रखी थी, ने मजिस्ट्रेट जांच में बताया कि गोलीबारी घर के अंदर हुई थी। हालांकि दो पड़ोसियों ने कहा कि उन्हें घर तक जाने की अनुमति नहीं दी गई थी इसलिए गोलीबारी कहाँ हुई, वे बता नहीं सकते। श्रीमती जेलेका खातून, जो उस घर की रसोई में थीं को इसकी जानकारी होगी कि गोलीबारी घर से बाहर हुई थी क्या।

4.101 आयोग ने आगे यह प्रेक्षण किया कि यह दिखाने की कोई जरूरत नहीं कि श्रीमती जेलेका खातून, जिनके घर में उस शाम कुछ अजनबी आए हुए थे, एक मासूम गृहणी नहीं थीं। इसलिए, आयोग ने यह माना कि उनका बयान वस्तुनिष्ठ होगा। उन्होंने मजिस्ट्रेट ने यह नहीं बताया कि उन व्यक्तियों के पास हथियार थे या कुछ अन्य सामग्री थी। यह इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि असम राईफल्स ने इन व्यक्तियों से पांच छोटे शस्त्र ही नहीं बल्कि 5 किलोग्राम विस्फोटक, 10 डेटोनेटर्स, एक चीनी ग्रेनेड तथा ए0के0 47 के 140 राउंड बरामद किए थे। यह सब छिपा नहीं रह सकता था।

4.102 आयोग ने यह भी प्रेक्षण किया कि घटना की अगली सुबह अर्थात् 20 अप्रैल, 2009 को प्रातः 10:40 बजे हुई जांच में यह रिकार्ड किया गया कि 1) एक व्यक्ति ने अंडरवीयर और जैकेट पहनी हुई थी; 2) दूसरे व्यक्ति ने लंबी पैंट, एक टी-शर्ट तथा अंडरवीयर पहन रखा था; 3) तीसरे व्यक्ति ने एक बनियान और लुंगी पहन रखी थी; 4) चौथा व्यक्ति नग्न था किन्तु उसने लुंगी लपेटी हुई थी; और 5) पांचवा व्यक्ति पीली रंग की कमीज और अंडरवीयर पहने हुए था।

4.103 आयोग ने आगे प्रेक्षण किया कि केवल आदमी पूरी तरह से कपड़े पहने हुए था, दो लोग केवल अंडरवीयर में थे, एक लुंगी में था तथा एक नगनावस्था में था तो उनके लिए वो सारा असला, गोला-बारुद तथा विस्फोटक आदि उठाकर ले जाना असंभव रहा होगा जिसको जब्त करने का असम राईफल्स ने दावा किया। और यदि यह मान भी लिया जाए कि गर्म मौसम की वजह से यह आम बात है कि आदमी अंडरवीयर पहनकर घूमते हैं तो फिर मुठभेड के बाद एक आदमी पूरी तरह से निर्वस्त्र अवस्था में क्यों पाया गया।

4.104 आयोग ने यह भी नोट किया कि जांच में यह रिकार्ड नहीं किया गया कि कपड़े गीले थे, हालांकि कुछ पर खून भी लगा हुआ था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु है क्योंकि असम राईफल्स ने रिपोर्ट किया था कि मुठभेड के समय भारी बरसात हो रही थी। ग्रामीणों ने अगली सुबह घर के बाहर सडक के किनारे शवों को देखा था। यदि उन्हें खेतों में मारा गया था तो उनके कपड़े गीले और गंदे होते। चूंकि जांच में ऐसी किसी बात को रिकार्ड नहीं किया गया, शवों को खेतों से जब्त नहीं किया गया। आयोग ने प्रेक्षण किया कि असम राईफल्स के दो अधिकारियों द्वारा किया गया दावा कि ये व्यक्ति खेतों में भाग गए थे, जहां “रात में दिखाई न देने वाली परिस्थितियों में” और भारी बारिश में हुई मुठभेड में उन्हें मार गिराया गया – स्वीकार नहीं किया जा सकता।

4.105 आयोग ने आगे प्रेक्षण किया कि उनका वृत्तांत झूठा साबित हो जाता है क्योंकि उन्होंने कहा था कि तथाकथित आतंकवादियों ने घने पेड़-पौधों में कवर लिया था। यदि वो खेत, ग्रामीण घरों के आसपास थे तो उनमें फसल खड़ी होनी थी, क्योंकि अप्रैल के अंत तक सर्दी की फसल पूरी तरह विकसित हो जाती है। यह पूरी तरह से अकल्पनीय है कि इस तरह के भूक्षेत्र में, इतनी घनी फसलों के बीच और तथाकथित भारी बरसात, जिससे जमीन पर कीचड़ हो जाती है, में हुई मुठभेड़ में असम राईफल्स को जिन्दा गोला-बारुद की बड़ी मात्रा के अलावा चलाए गए 21 कारतूस मिले।

4.106 पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने ऐसा कोई परीक्षण नहीं किया जिनका ऐसे आपराधिक अन्वेषण में मानक रूप से किया जाना अपेक्षित होता है। फोरेन्सिक प्रयोगशाला में ऐसा कोई भी परीक्षण नहीं किया गया कि 1) पिस्तौल चालू हालत में थी और फायर उसी से किया गया था; 2) खाली कारतूस इन्हीं पिस्तौलों से चलाए गए थे; 3) पिस्तौल पर पाए गए उंगलियों के निशान मृत व्यक्तियों से मिलते थे, जिससे यह सिद्ध हुआ हो कि हथियारों का प्रयोग उनके द्वारा ही किया गया; और 4) उनकी उंगलियों पर गोली चलाने के बाद बचे अवशेषों से यह स्थापित हो गया कि उन्होंने शस्त्रों का प्रयोग किया था।

4.107 आयोग ने यह माना कि ऐसे किसी भी परीक्षण के अभाव में यह सिद्ध नहीं हो सकता कि उन पांचों में से किसी एक ने भी उन हथियारों को चलाया है जो तथाकथित रूप से घटना स्थल से बरामद किए गए हैं।

4.108 असम राईफल्स की रिपोर्ट को खारिज करते हुए आयोग ने प्रेक्षण किया कि जिस मजिस्ट्रेट ने जांच करवाई है, उसने यह माना है कि पांच में चार व्यक्ति किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े हो सकते हैं, उन्होंने उनकी मृत्यु की परिस्थितियों की जांच नहीं की। यदि उन व्यक्तियों के आतंकवादियों से संबंध थे भी, तो भी असम राईफल्स तथा पुलिस द्वारा भेजी गई रिपोर्टों से इस दावे को स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है कि उन व्यक्तियों की मृत्यु एक वास्तविक मुठभेड़ में हुई थी।

4.109 अतः आयोग ने गृह मंत्रालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि प्रभात बासुमतारी, देथान बासुमतारी, कृष्णा बासुमतारी, जुनीश अली तथा बाबुल अली के निकटतम संबंधितों के लिए वित्तीय राहत की सिफारिश क्यों न की जाए। हालांकि, गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 8 जुलाई, 2013 के पत्राचार में कारण बताओ नोटिस का जवाब देने की समयसीमा को चार सप्ताह और बढ़ाने का अनुरोध किया था लेकिन आयोग को कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

4.110 अतः आयोग ने यह विचार व्यक्त किया कि गृह मंत्रालय के पास आयोग के प्रेक्षणों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं है और आयोग ने अपनी दिनांक 8 जनवरी, 2014 की कार्यवाही में अपने निष्कर्षों की पुष्टि की तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से सिफारिश की कि पांचों मृतकों नामतः प्रभात बासुमतारी, देथान बासुमतारी, कृष्णा बासुमतारी, जुनीश अली तथा बाबुल अली के निकटतम संबंधितों (प्रत्येक) को आठ सप्ताह के अंदर-अंदर 5,00,000/-रु० की राशि का भुगतान किया जाए।

4.111 अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

12. असम के शिवसागर जिले में 118वीं रेजीमेंट के सैन्य कार्मिक द्वारा घुसपैठ रोधी ऑपरेशन में एक विक्लांग लडके की मृत्यु
(मामला सं० 180/3/15/08-09-ए एफ)

4.112 आयोग को एक मानव अधिकार कार्यकर्ता से शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया गया कि दिनांक 30 जनवरी, 2009 को असम से शिवसागर जिले में तिंंगालीबम चाय बागान में 118वीं रेजीमेंट के सैन्य कार्मिक ने विष्णु तंती नाम के एक 18 वर्षीय विक्लांग लडके की उस समय गोली मार कर हत्या कर दी जब वह ईंधन के लिए लकड़ी चुन रहा था।

4.113 आयोग ने शिकायत को संज्ञान में लिया और अपने महानिदेशक (अन्वेषण) से तथ्य एवं संगत रिपोर्ट एकत्रित करने का अनुरोध किया। रिपोर्टें प्राप्त हुईं और आयोग ने उनकी जांच की।

4.114 शिवसागर, असम के अपर उपायुक्त श्री एम० गोगोई की मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट ने बताया कि इस मामले में सेना की जांच चल रही है और वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

4.115 आयोग ने नोटिस के जवाब में गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 15 फरवरी, 2010 के पत्राचार में यह स्पष्ट किया कि विष्णु तंती की मृत्यु एक वास्तविक घुसपैठ रोधी ऑपरेशन के दौरान गलत पहचान के कारण हुई। उसमें ब्यौरा दिया गया कि दिनांक 29 जनवरी, 2009 को सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि सात आतंकवादी सीमा पार करके नागालैण्ड में प्रवेश करने के प्रयास में हैं। सुरक्षा बल तिंंगालीबम चाय बागान पहुंचे, क्षेत्र को चारों तरफ से घेर लिया और खोजी ऑपरेशन चालू कर दिया। ऑपरेशन के दौरान एक दिशा से गोली चलने की आवाज आई और कुछ संदेहास्पद गतिविधि नजर आई। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को बाहर आने के लिए कहा लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने उसी दिशा में जवाबी फायरिंग की। फायरिंग रुकने के बाद सैन्य दल सावधानीपूर्वक उस दिशा की ओर चले जहां से फायरिंग हो रही थी और उन्होंने एक मृत शरीर देखा। बाद में शव की पहचान विष्णु तंती के रूप में हुई। बाद में पता चला कि मृतक एक विक्लांग था और 7, तिंंगालीबम चाय बागान, गार्डन लाईन्स का निवासी था। उसकी टांगें विकृतिपूर्ण थीं। अभिलेख पर रखे साक्ष्यों के अनुसार उसका आतंकवादियों से कोई संबंध नहीं था। मृतक, भागते हुए आतंकवादियों तथा सुरक्षा बलों के बीच आ गया था। भागते हुए आतंकवादियों द्वारा चलाए गए छोटे शस्त्र की आवाज के कारण सेना ने जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाईं जिसके कारण विष्णु तंती की मृत्यु हो गई।

4.116 रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग ने अपनी दिनांक 8 अगस्त, 2013 की कार्यवाही में प्रेक्षण किया कि रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि मृतक विष्णु तंती एक विक्लांग लडका था और उसका आतंकवादियों से कोई संबंध नहीं था। वह सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का शिकार हो गया था। आयोग ने व्यक्त किया कि मृतक के परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए और मंत्रालय ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि उसे वित्तीय राहत प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः आयोग ने रक्षा मंत्रालय,

भारत सरकार से सिफारिश की कि मृतक विष्णु तंती के निकटतम संबंधी को वित्तीय राहत के रूप में पांच लाख रु० की राशि का भुगतान किया जाए। सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को आठ सप्ताह के अंदर अनुपालन रिपोर्ट तथा भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

4.117 अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

ख) सरकारी आश्रयों में मौतें

**13. महिलाओं के सरकारी आश्रयालय, फैजाबाद में पुष्पा निषाद की अभिरक्षा में मृत्यु
(मामला संख्या 15070/24/24/2013-डी एच)**

4.118 आयोग को दिनांक 5 अप्रैल, 2012 को सरकारी महिला आश्रयालय, फैजाबाद की अभिरक्षा में एक महिला कैदी पुष्पा निषाद की चिकित्सा उपचार के दौरान हुई मृत्यु के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा भेजी गई मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त हुई।

4.119 आयोग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए अपनी दिनांक 13 मई, 2013 की कार्यवाही में अपने महानिदेशक (अन्वेषण) से उपलब्ध रिपोर्टों की जांच करने तथा आवश्यकता पड़ने पर अन्य संबंधित प्राधिकारियों से और रिपोर्टें एकत्रित करने का अनुरोध किया।

4.120 मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट तथा अभिलेख पर रखी अन्य सामग्री पर विचार करने के बाद आयोग ने एक जांच करने के लिए अपने अन्वेषण प्रभाग से अधिकारियों की एक टीम भेजी। अन्वेषण प्रभाग की टीम ने निम्नलिखित प्रेक्षण किए :

- (i) पुष्पा निषाद को 16 जुलाई, 2011 को आश्रालय में भर्ती कराया गया था और उसे नियमित रूप से खांसी और बुखार की शिकायत रहती थी। दिनांक 5 दिसम्बर, 2011 तथा 30 जनवरी, 2012 को कराए गए स्पटम टेस्ट नकारात्मक पाए गए थे;
- (ii) श्री राम अस्पताल के डॉक्टर ने 23 नवम्बर, 2011; 28 जनवरी, 2012 तथा 13 मार्च, 2012 को एक्स-रे करने का सुझाव दिया था लेकिन दिनांक 26 मार्च, 2012 को यह संभव हो सका। महिला आश्रालय के अधिकारियों ने एक्स-रे संबंधी इस सुझाव को नजरअंदाज किया, हालांकि इससे प्रारंभिक स्तर पर ही फेंफड़ों के संक्रमण का पता लगाने में मदद मिल जाती।
- (iii) दिनांक 5 अप्रैल, 2012 को सुबह 9:30 बजे उसकी हालत बिगड़ गई और जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज, लखनऊ रैफर कर दिया। महिला आश्रयालय की सहायक अधीक्षक मरीज को लखनऊ स्थानांतरित करने की व्यवस्था करने में असफल रही और मरीज ने फैजाबाद अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि यदि मरीज को जल्दी ही मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है तो उसकी जान बच सकती थी।

- (iv) आश्रयालय की सहायक अधीक्षक (कार्यवाहक) ने अपने बयान में दावा किया कि मरीज के मरने से पहले पुलिस एस्कॉर्ट आश्रयालय नहीं पहुंचा था। तथापि, वह अपने दावे के समर्थन में और यह सिद्ध करने कि उन्होंने एस्कॉर्ट के लिए अनुरोध किया था, कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकीं।
- (v) अन्वेषण प्रभाव द्वारा एक चिकित्सा विशेषज्ञ की सेवाएं ली गईं और उन्होंने सुझाव दिया कि हालांकि पुष्पा निषाद फेंफड़ों की बीमारी के लिए दवाईयां ले रही थीं लेकिन उनका रोगनिदान तथा इलाज पर्याप्त नहीं था।
- (vi) आश्रयालय के अधिकारियों के पास उसके चिकित्सीय इलाज की कोई फाइल नहीं है, इसलिए जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे उनके पास उसकी केस हिस्ट्री नहीं है और यह बहुत से कारणों में से एक कारण है कि उन्हें पर्याप्त उपचार नहीं मिला।

4.121 ये निष्कर्ष, जो यह सिद्ध करते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु राज्य की अभिरक्षा में पर्याप्त चिकित्सा के अभाव के कारण हुई है, के आधार पर आयोग ने अपनी दिनांक 3 फरवरी, 2014 की कार्यवाही में उत्तर प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि मृतक के निकटतम संबंधी को राहत की सिफारिश क्यों न की जाए।

4.122 आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपने अधिकारियों द्वारा कराई गई जानकारी से निकल कर सामने आए निम्नलिखित तीन संबंधित मुद्दों पर कार्यवाही करने का भी निदेश दिया और मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक से की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा :

- (i) फैजाबाद में जिला अस्पताल में एक सुव्यवस्थित पैथोलॉजी डिपार्टमेंट स्थापित किया जाए;
- (ii) जब स्वर्गीय पुष्पा निषाद गंभीर रूप से बीमार पड़ी तो पुलिस एस्कॉर्ट उपलब्ध कराने में विलम्ब हुआ। पुलिस महानिदेशक, सभी संबंधितों को निदेश जारी करें कि सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रकार का विलम्ब, जो किसी की जान के लिए खतरा हो सकता है, जैसा कि इस मामले में हुआ, भविष्य में नहीं हो; और
- (iii) पुष्पा निषाद को अस्पताल में बिना किसी मेडिकल रिकार्ड के भर्ती कराया गया था जिससे उसका इलाज बिना किसी संदर्भ के हुआ। सभी आश्रयों/नजरबंदी गृहों को प्रत्येक कैदी का मेडिकल रिकार्ड रखना चाहिए जिसे संबंधित व्यक्ति के अस्पताल में भर्ती/इलाज के दौरान साथ में रखना चाहिए।

4.123 राज्य सरकार से प्राप्त जवाब पर अभी आयोग विचार कर रहा है।

14. घुमनगंज, उत्तर प्रदेश में किशोर सुधार गृह में चिकित्सीय लापरवाही के कारण एक कैदी की मौत

(मामला संख्या 2548/24/4/09-10-डी एच)

4.124 आयोग को दिनांक 4 अप्रैल, 2009 को सरकारी संरक्षण गृह, इलाहबाद के सहायक अधीक्षक से एक किशोर सुपुत्र जंग बहुदर की दिनांक 7 अप्रैल, 2009 को एम0एल0एन0 अस्पताल, इलाहबाद में हुई मृत्यु के बारे में सूचना प्राप्त हुई। मृतक भारतीय दंड संहिता की धारा 363/366 के तहत एफ0आई0आर0 मामला संख्या 94/09 के संबंध में संरक्षण गृह की अभिरक्षा में था।

4.125 दिनांक 9 अप्रैल, 2009 को श्री जंग बहादुरसे एक अन्य शिकायत प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनका पुत्र रामू पटेल एक लडकी के साथ 10 फरवरी, 2009 को भाग गया था और उसके बाद उसने लडकी के साथ दिनांक 14 मार्च, 2009 को माउ आइमा पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया था। अल्पवयस्क होने के कारण उसके पुत्र को दिनांक 30 मार्च, 2009 को किशोर सुधार गृह, घुमनगंज में डाल दिया गया था। जब वह दिनांक 5 अप्रैल, 2009 को अपने पुत्र से मिलने गया तो उसके पुत्र ने उसे बताया कि लडकी के परिवार वाले किशोर सुधार गृह के स्टॉफ की सांठ-गांठ से उसे मारने की योजना बना रहे हैं। उसने आगे यह आरोप भी लगाया कि दिनांक 7 अप्रैल, 2009 को डॉ0 लल्लन प्रसाद तथा किशोर सुधार गृह के स्टॉफ द्वारा उसके पुत्र की हत्या कर दी गई। मामला संख्या 2548/24/4/09-10 के रूप में शिकायत दर्ज की गई और उसे इस शिकायत के साथ जोड़ दिया गया।

4.126 आयोग के निदेशानुसार अन्वेषण प्रभाग ने संबंधित प्राधिकारियों से संगत रिपोर्टें मंगवाईं। किशोर सुधार गृह के प्राधिकारियों से प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार किशोर की मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी तथा उसके मृत शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट सहित विसरा रिपोर्ट तथा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की जांच की गई। हालांकि मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो सका किन्तु यह निष्कर्ष जरूर निकला कि मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी। रिपोर्टों का और अध्ययन करने पर पता चला कि जब किशोर को दिनांक 6 अप्रैल, 2009 को (मृत्यु से एक दिन पहले) बीमार बताया गया था तो उसे डॉक्टर से परामर्श किए बिना ही किशोर सुधार गृह की नर्स द्वारा कोई दवाई दी गई थी। बाद में जब दिनांक 7 अप्रैल, 2009 की सुबह किशोर की हालत बिगड़ी तो उसे मोती लाल अस्पताल, इलाहबाद ले जाया गया जहां उसे सुबह 6:05 बजे मृत लाया हुआ घोषित कर दिया गया।

4.127 मामले के इन पेचीदा तथ्यों एवं परिस्थितियों, जिनमें एक युवा कैदी किशोर सुधार गृह में एक सप्ताह के अंदर ही मर जाता है और मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है और उपलब्ध कराया गया चिकित्सा उपचार भी शक के घेरे में है, पर विचार करते हुए अन्वेषण प्रभाग ने यह जानने के लिए कि किशोर को सही चिकित्सा उपचार दिया गया था कि नहीं, के लिए विशेषज्ञ फॉरेन्सिक जांच की सिफारिश की। फॉरेन्सिक विशेषज्ञ, सभी दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद ऑन रिकार्ड हुई इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किशोर सुधार गृह के प्राधिकारियों की ओर से चिकित्सा उपचार में स्पष्ट रूप से लापरवाही बरती गई थी क्योंकि बालक को किशोर सुधार गृह में उपयुक्त चिकित्सा उपचार नहीं दिया गया था।

4.128 विशेषज्ञ के निष्कर्ष के आलोक में आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए यह पूछा कि मृतक रामू के निकटतम संबंधी को वित्तीय राहत की सिफारिश क्यों न की जाए। आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से किशोर सुधार गृह के उन अधिकारियों जिन्होंने अपनी अभिरक्षा में एक गंभीर रूप से बीमार किशोर के इलाज में लापरवाही बरती है, के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए भी कहा।

4.129 राज्य की ओर से यह दावा किया गया कि फॉरेन्सिक साइंस लैब की रिपोर्ट नकारात्मक है और भारतीय दंड संहिता की धारा 146/302/120(ख)/201 के तहत दर्ज कराए गए मामला अपराध संख्या 203/2011 में अन्वेषण अधिकारी ने अंतिम रिपोर्ट दर्ज कर दी है। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार रामू की मृत्यु बीमारी के कारण हुई। न्यायालय द्वारा अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था। अतः मृतक के निकटतम संबंधी को वित्तीय राहत का भुगतान करने का कोई औचित्य नहीं है।

4.130 आयोग ने यह प्रेक्षण किया कि बात पर कोई विवाद नहीं है कि किशोर की मृत्यु बीमारी के कारण हुई लेकिन मेडिकल के जानकारों के मतानुसार किशोर सुधार गृह के अधिकारियों की तरफ से चिकित्सीय लापरवाही के स्पष्ट साक्ष्य मौजूद हैं। किशोर सुधार गृह के अधिकारी, रामू को पर्याप्त एवं समय पर उपचार देने में सुस्त रहे थे।

4.131 आयोग ने यह भी माना कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इलाहाबाद द्वारा प्रस्तुत किया गया जवाब नोटिस को रद्द करने के लिए अपर्याप्त था और इसलिए आयोग ने अपने दिनांक 27 सितम्बर, 2013 की कार्यवाही में उत्तर प्रदेश सरकार को मृतक रामू सुपुत्र जंग बहादुर के निकटतम संबंधी को तीन लाख रुपये की राशि का भुगतान करने की सिफारिश की। आयोग ने किशोर सुधार गृह के अधिकारियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निदेश दिया।

ग) अवैध गिरफ्तारी, नजरबंदी तथा अत्याचार

15. मेरठ, उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता के पुत्र आसिफ की अवैध गिरफ्तारी (मामला संख्या 981/24/54/2012)

4.132 आयोग को दिनांक 31.12.2011 को बाबू से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें कहा गया था कि दिनांक 30 दिसम्बर, 2011 को उसके पुत्र आसिफ को पुलिस थाना टी.पी. नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश से पुलिस वालों ने अवैध रूप से घर से उठा लिया और झूठे मामले में उसे फंसाने की धमकी दी थी। उसने निष्पक्ष जांच एवं जाली मामलों से संरक्षण प्राप्त करने हेतु आयोग से हस्तक्षेप करने की मांग की

4.133 आयोग के निर्देशों के जबाव में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि पुलिस थाना टी.पी. नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश के पुलिस कार्मिकों ने चोरी की मोटरसाइकिल बरामद करने के लिए कुछ अन्य लोगों के साथ-साथ शिकायतकर्ता के पुत्र आसिफ को

गिरफ्तार किया था। इस संबंध में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और भारतीय दंड संहिता की धारा 41/102 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 379/411/420/467/468 के तहत एफ.आई.आर. संख्या 02/12 दर्ज की गई और जांच के पूरा होने के बाद दिनांक 26 जनवरी, 2012 को चार्जशीट संख्या 17/12 दायर की गई। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया था कि शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 को अपने पुत्र की गिरफ्तारी के बारे में दर्ज कराई गई शिकायत के संबंध में दिनांक 01 जनवरी, 2012 को जांच की गई थी।

4.134 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ ने यह भी सूचित किया कि शिकायतकर्ता के पुत्र को 2 दिन अर्थात् 31 दिसम्बर, 2011 से 01 जनवरी, 2012 तक पुलिस थाना टी.पी. नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रखा गया और इस संबंध में उप-निरीक्षक सुभाष चंद्र गौतम को दोषी पाया गया और उसके खिलाफ कार्यवाही की गई।

4.135 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ की रिपोर्ट जिसमें उन्होंने शिकायतकर्ता के पुत्र को 2 दिन तक अवैध हिरासत में रखने की बात को स्वीकार किया है, के आलोक में आयोग का यह प्रेक्षण है कि आसिफ के मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए राज्य जिम्मेदार था और इसलिए आयोग ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया कि शिकायतकर्ता के पुत्र आसिफ को वित्तीय राहत का भुगतान करने की सिफारिश क्यों न की जाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को दोषी लोक सेवकों के खिलाफ की गई विभागीय कार्यवाही के परिणाम के संबंध में एक अन्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश भी दिया गया।

4.136 इसके जबाब में आयोग को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई कि उप-निरीक्षक श्री सुभाष चंद्र गौतम जो शिकायतकर्ता के पुत्र आसिफ को दो दिन तक अवैध रूप से बंदी बनाने का दोषी पाया गया था, को सख्त चेतावनी जारी की गई है और यदि उसे कोई अंतिम राहत दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। तथापि, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।

4.137 उपरोक्त रिपोर्टों के संबंध में आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शिकायतकर्ता के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ था जिसके लिए राज्य को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। इसलिए आयोग ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार से पीडित आसिफ को वित्तीय मुआवजे के रूप में दस हजार रुपये का भुगतान करने की सिफारिश की।

4.138 अनुस्मारकों के बावजूद भुगतान के साक्ष्यों सहित अनुपालन रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

**16. दसादा पुलिस स्टेशन, जिला सुरेन्द्र नगर, गुजरात के पुलिसकर्मियों द्वारा चार अव्यस्क लड़कों की अवैध गिरफ्तारी तथा यातना
(मामला संख्या 1052/6/24/2012)**

4.139 आयोग को एक तथाकथित शिकायत प्राप्त हुई कि चार अव्यस्क लड़कों नामतः निजामुद्दीन युसुफभाई लहरिया, नरेशभाई नांजीभाई चौहान, इस्मुद्दीन युसुफभाई लहरिया तथा असलमभाई हाजीभाई दीवान, जिनकी उम्र 8 से 10 साल के बीच थी, को दसादा पुलिस स्टेशन, जिला सुरेन्द्र नगर, गुजरात की पुलिस द्वारा एक चोरी के मामले में सरकारी प्राथमिक विद्यालय से उठा लिया गया था। उन्हें एफ.आई.आर. दर्ज किए बिना तीन दिन तक बंदी बनाए रखा और प्रताड़ित किया गया। दिनांक 24 जून, 2012 को उन्हें छोड़े जाने के बाद उनके खिलाफ विद्यालय परिसर से पानी की टंकियों के ढक्कन चुराने का मामला दर्ज किया गया। इस मामले में जांच करने और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए आयोग से प्रार्थना की गई।

4.140 आयोग के नोटिस के जवाब में पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र नगर ने एक रिपोर्ट भेजी जिसमें खुलासा हुआ कि शिकायत में जिन चार लड़कों का नाम है वो दसादा के निवासी थे। कालूभाई नामक एक षरक्स ने निजामुद्दीन युसुफभाई लहरिया को एक कार से मैमोरी कार्ड चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा और दसादा पुलिस के हवाले किया और पूछताछ के दौरान उसने अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर पानी की टंकियों के ढक्कन, इलैक्ट्रिक वाटर पम्पिंग मोटर तथा डिश एंटीना के दो कैमरा चुराने की बात कबूल की। दिनांक 24 जून, 2012 को भारतीय दंड संहिता की धारा 379/114 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 379/114 के तहत क्रमशः दो आपराधिक मामले 26/12 तथा 27/12 दर्ज किए गए। सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और किशोर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। रिपोर्ट में आगे यह भी बताया गया कि सभी अव्यस्क आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उन्हें न तो गिरफ्तार किया गया था और न ही प्रताड़ित किया गया था। दिनांक 23 जून, 2012 को पीडित बच्चों के मां-बाप उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर गए थे। उनके शरीर पर चोटों के निशान पाए गए थे। जो कि बैटन या हंटर जैसे किसी ठोस हथियार द्वारा किए गए हो। यह सूचना दी गई कि दसादा पुलिस स्टेशन के चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ दिनांक 29 जून, 2012 को भारतीय दंड संहिता की धारा 323/114 के तहत एन.सी.आर. संख्या 3/12 दर्ज की गई थी और पुलिस अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया गया था।

4.141 रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् आयोग का यह मत था कि पीडितों के मानवाधिकारों का हनन हुआ है। चूंकि एम.एल.सी. से पता चला है कि अव्यस्क बच्चों को प्रताड़ित किया गया था, मारा-पीटा गया था इसलिए पुलिस अधीक्षक द्वारा दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की गई थी और उनके खिलाफ एन.सी.आर. भी दर्ज कराई गई थी। अतः आयोग ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत गुजरात सरकार को उनके मुख्य सचिव के माध्यम से एक कारण बताओ नोटिस जारी किया कि पीडितों को अंतरिम राहत का भुगतान किए जाने की सिफारिश क्यों न की जाए। मुख्य सचिव को एन.सी.आर. संख्या 3/12 की स्थिति के संबंध में आयोग को सूचित करने का निदेश भी दिया गया।

4.142 अनुस्मारकों के बावजूद भी राज्य सरकार ने नोटिस के संबंध में कोई जबाब नहीं दिया है।

4.143 चूंकि राज्य सरकार जबाब देने में असफल रही इसलिए आयोग ने अपनी दिनांक 21 मई, 2013 की कार्यवाही में यह माना कि राज्य सरकार को अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है और गुजरात सरकार से सिफारिश की कि प्रत्येक लड़के अर्थात् निजामुद्दीन युसुफभाई लहरिया, नरेशभाई नांजीभाई चौहान, इस्मुद्दीन युसुफभाई लहरिया तथा असलमभाई हाजीभाई दीवान को 10,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाए।

4.144 आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में चारों पीड़ितों को 10,000/-रुपये प्रत्येक का भुगतान हो जाने के साक्ष्य की प्राप्ति के बाद मामलों को 27 अगस्त, 2013 को बंद कर दिया गया।

17. जिला सिरसा, हरियाणा में पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता का उत्पीड़न तथा अत्याचार और झूठे मामले में फंसाना
(मामला संख्या 1516/7/18/2013)

4.145 आयोग को श्री अरिहंत जैन निवासी जिला सिरसा, हरियाणा से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया गया कि उन पर 15 सितम्बर, 2011 को शारीरिक रूप से हमला किया गया था। हालांकि, पुलिस थाना एलनाबाद की पुलिस को मामला रिपोर्ट किया गया लेकिन पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय मामले के संबंध में समझौता करने हेतु उसके साथ ही अभिरक्षा में हिंसा की और झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी। उसने इस मामले में आयोग द्वारा हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है।

4.146 आयोग ने शिकायत को संज्ञान में लेते हुए अपनी दिनांक 06 मार्च, 2013 की कार्रवाई में पुलिस महानिरीक्षक हिसार रेंज से की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट मंगवायी जिसमें आयोग को सूचित किया गया कि दोनों पक्षों के बीच मामले पर समझौता हो गया था और याचिकाकर्ता के आरोपों की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

4.147 उपरोक्त रिपोर्ट पर टिप्पणी करने के लिए उसकी एक प्रति शिकायतकर्ता को भेजी गई। जवाब में शिकायतकर्ता ने पुलिस वृत्तांत का खंडन किया और अपने द्वारा लगाए गए आरोपों को दोहराया। उसने अपने वृत्तांत के समर्थन में कुछेक दस्तावेज भी अग्रेषित किए। उसने आगे यह आरोप भी लगाया कि दोशी पुलिसकर्मियों का बचाव करने के लिए पुलिस रिपोर्ट तैयार की गई थी।

4.148 आयोग ने मामले पर विचार किया और यह प्रेक्षण किया कि शिकायतकर्ता ने पुलिस रिपोर्ट का खंडन किया और कुछेक ऐसे विवरण प्रस्तुत किए जिन्हें नजरअंदाज करना बहुत ही मुश्किल है। मामले की निष्पक्ष जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए शिकायतकर्ता से प्राप्त जवाब की एक प्रति पुलिस महानिदेशक हरियाणा को भेज दी गई। उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया कि जांच में शिकायतकर्ता को भी शामिल किया जाए।

4.149 पुलिस उप-महानिदेशक हरियाणा के कार्यालय में पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) ने पुलिस अपर महानिदेशक की रिपोर्ट को अग्रेषित किया जिसमें कहा गया कि पुलिस उप-अधीक्षक, सी.बी.सी.आई.डी., हिसार, हरियाणा द्वारा की गई जांच में यह खुलासा हुआ कि निरीक्षक महा सिंह तथा हैड कांस्टेबल भाल सिंह ने शिकायतकर्ता के साथ कोई दुर्व्यवहार या कोई हमला नहीं किया था। जांच के दौरान शिकायतकर्ता से पैसे लेने की कोई घटना नहीं पायी गई लेकिन यह पता चला कि निरीक्षक महा सिंह रंगा, पुलिस स्टेशन एलनाबाद के तत्कालीन एस.एच.ओ. और हैड कांस्टेबल भाल सिंह ने अरिहंत जैन को पुलिस स्टेशन बुलाकर उसकी मोटरसाईकिल का चालान किया। तथापि, रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया कि शिकायतकर्ता को इन दोनों पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया गया जिसके लिए इनके खिलाफ विभाग जांच/अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई।

4.150 चूंकि पुलिस उप-अधीक्षक, सी.बी.सी.आई.डी., हिसार, हरियाणा की जांच रिपोर्ट में एलनाबाद पुलिस स्टेशन के दो पुलिस अधिकारियों नामतः महा सिंह रंगा और भाल सिंह द्वारा शिकायतकर्ता अरिहंत जैन को पुलिस स्टेशन में बुलाकर उसकी मोटरसाईकिल का गलत तरीके से चालान बनाकर प्रताड़ित करने का मामला स्पष्ट नजर आ रहा है इसलिए उक्त लोकसेवकों ने शिकायतकर्ता श्री अरिहंत जैन के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है जिसके संबंध में मुआवजा देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इसलिए, आयोग ने हरियाणा राज्य को उनके मुख्य सचिव के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी किया कि राज्य के पुलिस अधिकारियों द्वारा हुए श्री अरिहंत जैन के मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले में उनको मुआवजा क्यों न दिया जाए।

4.151 पुलिस महानिदेशक, हरियाणा को भी निदेश दिया गया कि वे उपरोक्त दो पुलिस अधिकारियों द्वारा अपनी शक्ति एवं कानूनी तंत्र का दुरुपयोग करने के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करें।

4.152 पुलिस उप-महानिदेशक हरियाणा के कार्यालय में पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) ने सूचित किया कि निरीक्षक महासिंह तथा हैड कांस्टेबल भाल सिंह के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई थी, जो अभी भी चल रही है।

4.153 कारण बताओ नोटिस की प्रतिक्रिया में, उपरोक्त रिपोर्ट में पुलिस महानिरीक्षक द्वारा इस संबंध में कोई कारण/स्पष्टिकरण नहीं दिया गया था बल्कि यह कहा गया था कि आयोग, पुलिस कार्मिकों द्वारा किए गए शिकायतकर्ता के मानव अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में यथोचित कार्रवाई कर सकता है।

4.154 मामले की परिस्थितियों में आयोग ने हरियाणा सरकार को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से शिकायतकर्ता श्री अरिहंत जैन को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18(क) के तहत मुआवजे के रूप में जल्दी से जल्दी 50,000/-₹0 की राशि का भुगतान करने की सिफारिश की।

4.155 अनुस्मारक भेजे जाने के बाद भी भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

घ) पुलिस ज्यादातियां**18. पश्चिम बंगाल के बेहरामपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिक द्वारा किए गए शारीरिक प्रहार के कारण एक ट्रेन यात्री की मृत्यु (मामला संख्या 335/25/13/2013)**

4.156 आयोग को श्री आर०एच० बंसल से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप था कि दिनांक 12 मार्च, 2013 को पश्चिम बंगाल के बेहरामपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिक द्वारा किए बल प्रयोग के कारण एक ट्रेन यात्री श्री दिलीप घोष की मृत्यु हो गई।

4.157 आयोग ने शिकायत को संज्ञान में लिया और महानिदेशक, रेलवे सुरक्षा बल, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली; और पुलिस अधीक्षक, मुर्शीदाबाद, पश्चिम बंगाल से रिपोर्टें मंगवाईं।

4.158 पुलिस अधीक्षक, मुर्शीदाबाद ने रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें खुलासा किया गया कि उपरोक्त घटना के संबंध में दिनांक 12 मार्च 2013 को बेहरामपुर जी०आर०पी०एस० में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एफ०आई०आर० सं० 4/2013 के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि दोषी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे यह भी बताया गया कि दोषी पुलिस कांस्टेबल जी०आर०पी० सियालदाह के तहत बेहरामपुर जी०आर०पी०एस० में तैनात था।

4.159 उपनिदेशक/सुरक्षा (अपराध), रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली से एक अन्य रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि दिनांक 12 मार्च, 2013 को लगभग 01:30 बजे जब श्री रीमा घोष, आयु 42 वर्ष अपने पति श्री दिलीप घोष, आयु 50 वर्ष, निवासी जिला 24 परगना (एन), पश्चिम बंगाल के साथ बेहरामपुर कोर्ट रेलवे स्टेशन के दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालय में आराम कर रही थीं तो जी०आर०पी०एस०/बेहरामपुर के जी०आर०पी० कांस्टेबल परितोष बिस्वास उनसे नाम एवं पते की पूछताछ करने लगा। उनके जवाब से संतुष्ट न होने पर वो उन्हें बलपूर्वक जी०आर०पी० स्टेशन ले जाने का प्रयास करने लगा। प्लेटफॉर्म से जी०आर०पी० स्टेशन जाने वाले रास्ते में उक्त जी०आर०पी० स्टाफ ने श्री दिलीप घोष की नाक पर जबरदस्त प्रहार किया और वो रेलवे ट्रैक पर गिर गए जिससे उनके सिर से भी खून निकलने लगा। श्रीमती रुमा घोष अन्य यात्रियों की मदद से उन्हें तत्काल ही बेहरामपुर न्यू जनरल हॉस्पिटल लेकर गईं जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत लाया हुआ घोषित कर दिया। श्रीमती रुमा घोष की शिकायत पर जी०आर०पी०एस०, बेहरामपुर में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दिनांक 12.3.2013 का मामला संख्या 04/13 दर्ज किया गया। आरोपी जी०आर०पी० कांस्टेबल श्री परितोष बिस्वास को गिरफ्तार किया गया और उसी दिन माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेहरामपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

4.160 बाद में यह बताया गया कि उक्त घटना में शामिल आरोपी एक जी०आर०पी० कांस्टेबल है न कि आर०पी०एफ० कांस्टेबल। यह अनुरोध किया गया कि मामले को महानिदेशक रेलवे पुलिस, पश्चिम बंगाल को सौंपा जा सकता है क्योंकि मामला सरकारी रेलवे पुलिस, पश्चिम बंगाल से संबंधित है।

4.161 आयोग ने अपनी दिनांक 24 जून 2013 की कार्यवाही में प्रेक्षण किया कि श्री दिलीप घोष (50 वर्ष) की मृत्यु सरकारी रेलवे पुलिस के कांस्टेबल परितोष विश्वास द्वारा शारीरिक चोट पहुंचाने से हुई। आयोग ने आगे यह प्रेक्षण किया कि उक्त कांस्टेबल को यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया था किन्तु उसने इसके विपरीत एक मासूम व्यक्ति पर ड्यूटी के दौरान हमला किया। आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि श्री दिलीप घोष के मानव अधिकारों का हनन हुआ है और जी०आर०पी० कांस्टेबल के इस आपराधिक कृत्य, जिससे श्री दिलीप घोष की मृत्यु हुई, के लिए स्थानापन्न रूप से राज्य जिम्मेदार है।

4.162 इसलिए आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 18 के तहत पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि मृतक के निकटतम संबंधी को अंतरिम राहत देने की सिफारिश क्यों नहीं की जाए। आयोग ने पुलिस अधीक्षक, रेलवे पुलिस जी०आर०पी० सियालदाह, पश्चिम बंगाल को भी एक नोटिस जारी किया कि वो दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ की गई विभागीय कार्यवाही के विवरण सहित उपरोक्त आपराधिक मामला संख्या 04/13 की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

4.163 कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विशेष सचिव, गृह विभाग (एच०आर०), पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता ने सूचित किया कि राज्य सरकार, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार मृतक दिलीप घोष के निकटतम संबंधी को वित्तीय राहत का भुगतान कर सकती है।

4.164 पुलिस उपाधीक्षक (आर०एच०ए०), (जी०आर०पी०), सियालदाह ने भी रिपोर्ट किया कि पुलिस स्टेशन जी०आर०पी० बेहरामपुर के अपराध संख्या 4/13 की जांच के बाद आरोपी कांस्टेबल परितोष बिस्वास के खिलाफ दिनांक 6 जून, 2013 को एक चार्ज शीट प्रस्तुत की गई। आगे यह भी सूचित किया गया उक्त कांस्टेबल को दिनांक 12 मार्च, 2013 से निलंबित कर दिया गया और उसके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई।

4.165 आयोग ने मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के बाद अपनी दिनांक 23 जनवरी, 2014 की कार्यवाही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को उनके मुख्य सचिव के माध्यम से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18(क)(प) के तहत एक कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए मृतक श्री दिलीप घोष के निकटतम संबंधी/आश्रितों को वित्तीय राहत/अंतरिम मुआवजे के रूप में पांच लाख रु० का भुगतान करने और छः माह के अंदर-अंदर भुगतान के साक्ष्य सहित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सिफारिश की।

4.166 भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

19. पुलिस स्टोन अफजलगढ़, बिजनौर, उत्तर प्रदेश के उपनिरीक्षक के कहने पर एक महिला कांस्टेबल द्वारा सामूहिक बलात्कार की पीड़िता को प्रताड़ित किया जाना (मामला संख्या 14412/24/17/2013-डब्ल्यू0सी0)

4.167 आयोग ने दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को एक अंग्रेजी दैनिक 'दि हिन्दू' के दिल्ली संस्करण में छपी "उत्तर प्रदेश में बलात्कार एक और " शीर्षक की एक खबर का स्वतः संज्ञान लिया। खबर के अनुसार सामूहिक बलात्कार की पीड़ित एक 16 वर्षीय लड़की को पुलिस स्टेशन अफजलगढ़, बिजनौर, उत्तर प्रदेश के उपनिरीक्षक के कहने पर एक महिला कांस्टेबल द्वारा पीटा गया था। यह रिपोर्ट किया गया है कि पीड़िता दिनांक 12 अप्रैल, 2013 से अपने माता-पिता के साथ उन दो लड़कों के बारे में शिकायत दर्ज कराने का प्रयास कर रही थी लेकिन कोई फायदा नहीं बल्कि एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की बजाय उसे उपनिरीक्षक के कहने पर महिला कांस्टेबल द्वारा पीटा गया।

4.168 उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक को रिपोर्ट भेजने संबंधी नोटिस जारी करते समय आयोग ने निम्नलिखित प्रेक्षण किया :

"आयोग, पुलिस अधिकारियों की असंवेदनशीलता से आहत है। एक सप्ताह पहले ही राज्य में एक अन्य बलात्कार पीड़िता को कारावास में अवैध रूप से रखा गया था। जिन लोगों को नागरिकों की जिन्दगी और संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी एवं ड्यूटी सौंपी गई है उनके द्वारा किए जाने वाले इस प्रकार के कृत्यों को पूरी ताकत के साथ दबा देना चाहिए"

4.169 प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों से पता चला कि पीड़िता दिनांक 11 अप्रैल, 2013 को नित्यकर्म हेतु खेतों में गई थी। दो व्यक्तियों नामतः अनीस तथा रशीद ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसे घायल हालत में छोड़ दिया। जब पीड़िता घर नहीं पहुंची तो उसके पिता दिनांक 12 अप्रैल, 2013 को पुलिस स्टेशन अफजलगंज गए। तथापि, पीड़िता को 12 अप्रैल, 2013 को होश आया और उसके बाद उसके अंकल ने उसे ढूंढा। उपनिरीक्षक राज सिंह उसी दिन पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों को पुलिस स्टेशन लाया था।

4.170 स्थानीय पुलिस ने कोई कानूनी कार्रवाई शुरू करने की बजाय पीड़िता और उसके परिवार पर समझौता करने करने का दबाव डाला। इस प्रक्रिया के दौरान पीड़िता को भी एक महिला कांस्टेबल सुखराज कौर द्वारा शारीरिक रूप से यातना दी गई और घर वापिस भेज दिया गया। पीड़िता और उसके परिवार के सदस्य दिनांक 13 अप्रैल, 2013 को एक बाद फिर पुलिस स्टेशन गए लेकिन मामला दर्ज नहीं किया गया। दिनांक 15 अप्रैल, 2013 को पीड़िता के पिता ने अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, बिजनौर से मुलाकात की और उसके बाद पीड़िता की माताजी की शिकायत पर दिनांक 15 अप्रैल, 2013 को पुलिस स्टेशन अफजलगढ़ में दोनों आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376घ, 506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपराध सं0 111/2013 दर्ज किया गया।

4.171 आगे यह भी बताया गया कि मामला दर्ज करने में देरी करने के कारण रामजीलाल, थाना प्रभारी, पुलिस स्टेशन अफजलगढ़; उपनिरीक्षक राज सिंह तथा महिला कांस्टेबल सुखराज कौर के खिलाफ दिनांक 16 अप्रैल, 2013 को भारतीय दंड संहिता की धारा 166क के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक अन्य अपराध सं० 113/2013 भी दर्ज किया गया। तीनों पुलिस कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी शुरू की गई। जांच के दौरान धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 342 भी जोड़ दी गई। आगे यह भी बताया गया कि आपराधिक मामला संख्या 113/2013 में दिनांक 26 मई, 2013 को तीनों पुलिस कार्मिकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 166क, 323, 342 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए चार्जशीट किया गया।

4.172 आयोग ने दिनांक 14 अगस्त, 2013 को मामले पर विचार किया और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को उनके मुख्य सचिव के माध्यम से एक कारण बताओ नोटिस जारी करने का निदेश दिया कि इस मामले में पीडित को अंतरिम राहत प्रदान किए जाने की सिफारिश क्यों नहीं की जाए। इस आयोग ने पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को निदेश दिया कि वो उपरोक्त दोनों आपराधिक मामलों की तथा दोषी पुलिस कार्मिकों के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्यवाही की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

4.173 जवाब में पुलिस अधीक्षक, बिजनौर ने सूचित किया कि बलात्कार के दोनों आरोपियों को चार्जशीट कर दिया गया है तथा दिनांक 25 मई, 2013 को न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया है। मामला सक्षम न्यायालय के विचारणाधीन है। यह भी बताया गया कि पुलिस स्टेशन अफजलगढ़ के तत्कालीन थाना प्रभारी रामजी लाल, उपनिरीक्षक राज सिंह तथा कांस्टेबल सुखराज कौर के खिलाफ दिनांक 26 मई, 2013 को न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504, 342 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए चार्जशीट किया। आगे यह भी सूचित किया गया कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चल रही है। यह भी बताया गया कि राज्य को बलात्कार की पीडिता को अंतरित राहत प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है।

4.174 आयोग ने दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 को मामले पर विचार किया और यह प्रेक्षण किया कि बदनसीब एवं असहाय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और आरोपियों ने उसके बहते हुए खून की परवाह न करते हुए खुले खेत में छोड़ दिया और जब पुलिस को मामले के बारे में बताया गया तो किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस कार्मिकों ने पीडित और उसके परिवार पर समझौता करने के लिए दबाव डाला और पीडिता जिसे कानून प्रवर्तन अधिकारियों की तरफ से सहानुभूति मिलनी चाहिए थी उसे शारीरिक रूप से आहत किया गया। उच्चाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद ही मामला दर्ज किया गया और भावी कार्यवाही हुई, दोषी पुलिस कार्मिकों को निलंबित किया गया, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई।

4.175 चूंकि राज्य सरकार ने पीडित को अंतरिम राहत प्रदान करने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की अतः आयोग ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से पीडित के निकटतम संबंधी को 3,00,000/-रु० का भुगतान करने और मुख्य सचिव को छः माह के अंदर भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करने की सिफारिश की।

4.176 भुगतान के साक्ष्य के साथ-साथ अनुपालन रिपोर्ट और पुलिस स्टेशन अफजलगढ के तीन पुलिस कार्मिकों के खिलाफ शुरु की गई विभागीय कार्यवाही का परिणाम प्रतीक्षित है।

20. पुल प्रह्लाद पुर के ट्रेफिक सिग्नल पर पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता का प्रताडित किया जाना (मामला संख्या 377/30/0/2011)

4.177 आयोग को श्री राजीव कुमार, एक कबाडी से शिकायत प्राप्त हुई कि दिनांक 19 जनवरी, 2011 को जब वह अपशिष्ट पॉलीथिन से भरे वाहन में दिल्ली से फरीदाबाद आ रहा था तो उसे दिल्ली पुलिस की पी०सी०आर० वैन द्वारा पुल प्रह्लाद पुर के ट्रेफिक सिग्नल पर लगभग 10:00 बजे रात को रोका गया। पी०सी०आर० कार्मिक ने दिल्ली में प्रवेश करने के लिए घूस के रूप में 100/-रु० मांगे। शिकायतकर्ता ने घूस देने से मना कर दिया और उसे जाने दिया। तथापि, एक पुलिसवाला मोटरसाईकिल पर पीछे से आया और उससे 500/-रु० की मांग की। शिकायतकर्ता ने इन्कार कर दिया और पुलिस वाले का नाम पूछा। उक्त पुलिस वाले ने शिकायतकर्ता की पिटाई की और उसे प्रह्लाद पुर पुलिस स्टेशन ले गया। यह आरोप भी लगाया गया कि पुलिस वाले ने पुलिस स्टेशन में प्रवेश करने से पहले शिकायतकर्ता की जेब से 3,000/-रु० निकाल लिए थे। पुलिस स्टेशन में उसे थप्पड भी मारे गए और धमकी दी गई।

4.178 आयोग के निदेशों के अनुसरण में अपर पुलिस आयुक्त, दिल्ली ने अपनी रिपोर्ट भेजी और इस बात की पुष्टि की कि शिकायतकर्ता और उसके मित्र रमेश जो एक टेम्पो में फरीदाबाद से आ रहे थे को पुल प्रह्लाद पुर पर लगे ट्रेफिक जाम के कारण पी०सी०आर० स्टॉफ द्वारा रोका गया था। रिपोर्ट के अनुसार कांस्टेबल आदेश ने टेम्पो के ड्राईवर से वाहन को एक तरफ करने के लिए कहा लेकिन शिकायतकर्ता ने घमंडपूर्वक उसका नाम और नंबर पूछा जिससे कांस्टेबल नाराज हो गया। वह शिकायतकर्ता को पुलिस स्टेशन ले गया और उसे उपनिरीक्षक किशोर कुमार के हवाले कर दिया, जिसने तथ्यों की जांच के बाद शिकायतकर्ता को जाने दिया। जांच के दौरान, शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

4.179 आयोग ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर शिकायतकर्ता की टिप्पणियां मांगी।

4.180 शिकायतकर्ता ने अपनी टिप्पणियों में रिपोर्ट को सीडी वास बताय और अपनी शिकायत में लगाए गए आरोपों को दोहराया। शिकायतकर्ता की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद आयोग ने पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली को सतर्कता शाखा के एक राजपत्रित पुलिस अधिकारी द्वारा मामले की जांच कराने का निदेश दिया।

4.181 जवाब में अपर पुलिस आयुक्त, सतर्कता, दिल्ली ने अपर पुलिस आयुक्त, जिला दक्षिण-पूर्वी, दिल्ली को संबोधित अपने पत्र की एक प्रति आयोग का पृष्ठांकित की। इस पत्र के माध्यम से पुलिस उपायुक्त ने

अपर पुलिस आयुक्त को विशेष पुलिस आयुक्त, सतर्कता, दिल्ली द्वारा दोषी पुलिसवालों के खिलाफ सतर्कता जांच रिपोर्ट के आधार पर अनुमोदित कार्यवाही के बारे में बताया जिसे आयोग को नहीं भेजा गया। तथापि, पुलिस उपायुक्त के पत्र से निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आए :

- (i) कांस्टेबल आदेश कुमार ने अपनी ड्यूटी का अतिक्रमण किया और शिकायतकर्ता को पुलिस स्टेशन ले आया जहां उसे कुछ घंटों तक रखा गया।
- (ii) उपनिरीक्षक किशोर कुमार ने प्रक्रियात्मक चूक की।
- (iii) थाना प्रभारी भी अपने स्टॉफ द्वारा किए गए गैर-कानूनी कृत्य के लिए जिम्मेदार है।

4.182 पुलिस विशेष आयुक्त, सतर्कता, ने कांस्टेबल आदेश कुमार को गैर-संवेदनशील यूनिट में स्थानांतरित करने और विभागीय कार्यवाही करने की सिफारिश की। उन्होंने, स्टॉफ को लोगों के साथ सही तरीके से पेश आने के लिए सुग्राही बनाने और निरीक्षण में सुधार लाने के प्रयोजन से उपनिरीक्षक किशोर कुमार के खिलाफ 'रिकार्डिड वार्निंग' तथा थाना प्रभारी के खिलाफ 'एडवाइजरी मीमो' जारी करने की भी सिफारिश की।

4.183 आयोग ने प्रेक्षण किया कि पुलिस उपायुक्त, सतर्कता, दिल्ली से प्राप्त पत्र में शिकायतकर्ता के आरोपों को इस हद तक दोषमुक्त किया गया है कि उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, गैर-कानूनी रूप से कुछ घंटों तक रखा गया और प्रताड़ित किया गया। यद्यपि, घूस मांगने का आरोप सिद्ध नहीं हुआ लेकिन आयोग का मत था कि तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में शिकायतकर्ता के इस आरोप को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह मानव अधिकारों के उल्लंघन का स्पष्ट मामला है और इसलिए दिल्ली पुलिस, शिकायतकर्ता को मुआवजा देने के लिए बाध्य है। आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18(क)(प) के तहत पुलिस आयुक्त, दिल्ली को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया कि शिकायतकर्ता को वित्तीय राहत की सिफारिश क्यों न की जाए। आयोग ने उन्हें दोषी पुलिसवालों के खिलाफ की गई कार्यवाही के बारे में भी सूचित करने के लिए कहा।

4.184 आयोग के निदेशों के अनुसरण में पुलिस उपायुक्त, सतर्कता, दिल्ली ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि शिकायतकर्ता को मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा सकता है क्योंकि दोषी पुलिस कार्मिकों के खिलाफ कार्यवाही की जा चुकी है। चूंकि शिकायतकर्ता को मुआवजा देने के खिलाफ कोई संगत कारण प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए आयोग ने अपनी दिनांक 20 नवम्बर, 2011 की कार्यवाही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को उनके मुख्य सचिव के माध्यम से शिकायतकर्ता को दस हजार रुपये के मुआवजे का भुगतान करने की सिफारिश की।

4.185 अनुस्मारकों के बावजूद भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

**21. देहरादून, उत्तराखंड में चोरी के मामले में एक आरोपी की उसकी गर्लफ्रेंड की उपस्थिति में पुलिस द्वारा पिटाई
(मामला संख्या 193/35/5/2012)**

4.186 आयोग को श्री आर0एच0 बंसल से एक शिकायत प्राप्त हुई कि पुलिस ने चोरी के मामले में एक आरोपी संतोष रावत की दिनांक 05 जनवरी, 2012 को उसकी महिला मित्र की उपस्थिति में पिटाई की। इस घटना को इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा कई चैनलों पर प्रसारित किया गया।

4.187 आयोग के निदेशों के जवाब में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून ने पुलिस उपाधीक्षक, नेहरु कालोनी, देहरादून से प्राप्त रिपोर्ट को अग्रेषित किया। रिपोर्ट से पता चला कि संतोष रावत उर्फ महाते सुपुत्र धीरज सिंह 10 आपराधिक मामलों में शामिल था। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 380 के तहत दर्ज एफ0आई0आर0 संख्या 8/12 और भारतीय दंड संहिता की धारा 454 के तहत दर्ज एफ0आई0आर0 संख्या 9/12 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और न्यायिक हिरासत में भेजा गया। रिपोर्ट में आगे यह उल्लेख किया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 323/506 के तहत दोषी पुलिस कार्मिकों के खिलाफ एक एफ0आई0आर0 मामला सं0 16/12 दर्ज की गई और सी0बी0सी0आई0डी0 द्वारा मामले की जांच की गई।

4.188 देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सूचित किया कि दिनांक 13 सितम्बर, 2012 को एफ0आई0आर0 संख्या 16/12 के संबंध में एक चार्जशीट दायर की गई और मामला न्यायालय में लंबित है। आयोग ने रिपोर्ट के संबंध में शिकायतकर्ता की टिप्पणी मांगी है लेकिन शिकायतकर्ता ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है।

4.189 देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने यह स्वीकार किया कि चोरी के मामले में आरोपी संतोष रावत उर्फ महाते को चार पुलिस कार्मिकों ने पीटा था जिसके संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 323/506 के तहत एफ0आई0आर0 संख्या 16/12 दर्ज की गई थी और जो न्यायालय में लंबित है। आयोग ने प्रेक्षण किया कि प्रथम दृष्टया विधि प्रवर्तन करने वाले लोक सेवकों के गैर-कानूनी कृत्य द्वारा पीड़ित के मानव अधिकारों का हनन हुआ और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत उत्तराखंड सरकार को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया कि पीड़ित संतोष रावत उर्फ महाते को वित्तीय राहत की सिफारिश क्यों न की जाए। पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड सरकार से दोषी पुलिस कार्मिकों के खिलाफ की गई विभागीय कार्यवाही के निष्कर्ष की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया।

4.190 जवाब में पुलिस महानिदेशक, अपराध तथा कानून एवं व्यवस्था, उत्तराखंड सरकार ने उपमहानिरीक्षक, देहरादून रेंज, उत्तराखंड से प्राप्त रिपोर्ट को अग्रेषित किया कि दोषी पुलिस कार्मिकों के खिलाफ कोई प्राथमिक जांच/विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है। तथापि, उनके खिलाफ दर्ज मामला, न्यायालय में लंबित है। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ित को वित्तीय राहत प्रदान करने के संबंध में आयोग द्वारा लिए गए किसी निर्णय पर तदनुसार भावी कार्रवाई की जाएगी।

4.191 आयोग ने दिनांक 5 जून, 2013 को मामले पर विचार किया और उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव को सिफारिश की कि पीडित संतोष रावत उर्फ महाते सुपुत्र धीरज सिंह को वित्तीय मुआवजे के रूप में 10,000/-₹ का भुगतान किया जाना चाहिए।

4.192 आयोग ने भुगतान के साक्ष्य की रसीद प्राप्त हो जाने के बाद अपनी दिनांक 18 अक्टूबर, 2013 की कार्यवाही में इस मामले को बंद कर दिया।

**22. नौएडा, उत्तर प्रदेश में पुलिस कार्मिक द्वारा शारीरिक हमले से पीडितों की गरिमा एवं मानव अधिकारों का उल्लंघन
(मामला संख्या 15025/24/30/2010)**

4.193 आयोग को श्री नंद लाल शुक्ला से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसके साथ दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 का एक समाचार पत्र संलग्न था। उसमें उल्लेख था कि मोहिन्दर सिंह नामक एक व्यक्ति सैक्टर-59, नौएडा में खाने-पीने की दुकान चलाता था। उसमें आरोप लगाया गया कि दिनांक 20 दिसम्बर, 2009 को सुबह 10:00 बजे कांस्टेबल सुखबीर तथा शाहिद ने श्री मोहिन्दर सिंह से खाना पैक करने के लिए कहा। देर हो जाने के कारण उपरोक्त पुलिस कार्मिकों ने उसकी दुकान को अस्त-व्यस्त कर दिया और संजीव, जय राम तथा मोहिन्दर सिंह की पिटाई की। शिकायतकर्ता ने दोषी पुलिस कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आयोग का हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।

4.194 आयोग के नोटिस के जवाब में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ट्रैफिक (नोडल ऑफिसर) (एच आर), जिला गौतम बुद्ध नगर ने सर्किल ऑफिसर, सिटी-II नौएडा से प्राप्त रिपोर्ट को अग्रेषित किया। रिपोर्ट में बताया गया कि कांस्टेबल सुखबीर सिंह तथा शाहिद खान को निलंबित कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतम बुद्ध नगर से प्राप्त एक अन्य रिपोर्ट से पता चला कि उपरोक्त कांस्टेबलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और उनके स्पष्टीकरणों पर विचार करने के बाद उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया गया।

4.195 क्या जांच के दौरान पीडितों का सहयोग लिया गया और क्या उपरोक्त कांस्टेबलों, अखबार की रिपोर्ट के अनुसार जिन्होंने यह शमनीय अपराध किया था, के खिलाफ कोई एफ0आई0आर0 दर्ज की गई थी या नहीं – इस पर रिपोर्ट में कुछ नहीं कहा गया। इसलिए आयोग ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतम बुद्ध नगर को शिकायत में नामित पीडितों को साथ लेकर उपरोक्त पहलुओं के संबंध में एक अन्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

4.196 जवाब में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश ने बताया कि पुलिस कार्मिक द्वारा पीडितों पर शारीरिक प्रहार करने की पुष्टि नहीं हो सकी तथा इसी वजह से उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकी। तथापि, मोहिन्दर सिंह तथा उनके भाई संजीव के साथ के साथ किए गए इस दुर्व्यवहार के कारण दोषी पुलिस अधिकारियों को विभागीय जांच के बाद दंडित किया गया और उनके सर्विस रिकार्ड में प्रतिकूल प्रविष्टि की गई।

4.197 चूंकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया था कि पुलिस कार्मिकों ने मोहिन्दर सिंह तथा उसके भाई संजीव के साथ उनकी दुकान पर दुर्व्यवहार किया था और इसकी वजह से पुलिस की छवि प्रभावित हुई थी जिसके कारण इन पुलिस कार्मिकों की सेवा पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि करके उन्हें दंडित किया गया था – अतः आयोग ने प्रेक्षण किया कि पीडितों की गरिमा एवं मानव अधिकारों का हनन हुआ जिसकी जिम्मेदारी राज्य को लेनी चाहिए। आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया कि श्री मोहिन्दर सिंह और उनके भाई श्री संजीव को वित्तीय राहत का भुगतान किए जाने की सिफारिश क्यों न की जाए।

4.198 यह चेतावनी कि जवाब प्राप्त न होने की स्थिति में आयोग यह मान लेगा कि राज्य को इस मामले में अब कुछ नहीं कहना है और वह यथोचित सिफारिश की कार्यवाही करेगा – सहित अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद राज्य सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया।

4.199 आयोग ने दिनांक 14 नवम्बर, 2013 को मामले में प्रेक्षण किया कि पीडितों की गरिमा एवं मानव अधिकारों का हनन हुआ जिसकी जिम्मेदारी राज्य को लेनी चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को सिफारिश की कि श्री मोहिन्दर सिंह तथा उनके भाई श्री संजीव को 10,000/-रु0 प्रत्येक का भुगतान किया जाए।

4.200 वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहबाद ने दोनों पीडितों को वित्तीय मुआवजे के रूप में भुगतान किए जाने के लिए 10,000/-रु0 प्रत्येक की अनुमोदित स्वीकृति की सूचना दी। तथापि, भुगतान का साक्ष्य अभी प्रतीक्षित है।

23. उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता को उत्पीड़न तथा गलत मामले फंसाना
(मामला में संख्या 43784/24/56/2013)

4.201 आयोग को डॉ0 विभा मलिक से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि दिनांक 17 नवम्बर, 2013 को उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के मझोला पुलिस स्टेशन की पुलिस ने उन पर तथा उनके पति डॉ0 वाई0के0 पुनिया पर बिना किसी कारण या उकसावे के गंभीर प्रहार किए। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्हें पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए प्रहारों के कारण गंभीर चोटें आईं। शिकायतकर्ता तथा उनके पति डॉ0 वाई0के0 पुनिया दोषी पुलिस वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए इधर से उधर भागते रहे लेकिन पुलिस स्टेशन, सिविल लाईन, मुरादाबाद ने उनकी शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया। शिकायत के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद ही एफ0आई0आर0 दर्ज कराई जा सकी। तथापि, दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। यहां तक कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को कमजोर बनाने के लिए

शिकायतकर्ता के खिलाफ एक झूठा आपराधिक मामला भी दर्ज कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने प्रेस की कतरनों की प्रतियां भी संलग्न की जिसमें इंगित किया गया कि उक्त घटना को प्रिंट मीडिया द्वारा विशिष्ट रूप से उजागर किया गया था।

4.202 आयोग ने अपनी दिनांक 19 दिसम्बर, 2013 की कार्यवाही में अपने महानिदेशक (अन्वेषण) से मामले की जांच के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करने और चार सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। टीम को शिकायत में नामित वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की जांच करने के लिए भी कहा गया।

4.203 आयोग के अन्वेषण प्रभाग ने मामले की स्थल जांच की। जांच में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ने पाया कि दिनांक 17 नवम्बर, 2013 को लगभग 2130-2145 बजे डॉ० विभा मलिक और उनके पति डॉ० वाई०के० पुनिया ने एक फोन कॉल सुनने के लिए सड़क के किनारे अपनी कार रोकी। इसी दौरान निरीक्षक सुरेन्द्र पाल सिंह, पुलिस स्टेशन मझोला के तत्कालीन एस०एच०ओ अपने तीन कांस्टेबल के साथ पीछे से आए और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। पुलिसवालों ने शिकायतकर्ता और उनके पति पर भी प्रहार किए जिसके कारण डॉ० मलिक को उनकी नाक पर गंभीर चोट (नाक की हड्डी टूट गई) आई। एम०एल०सी० की रिपोर्ट के अनुसार डॉ० पुनिया को भी कुछ चोटें आईं। बाद में उसी रात को लगभग 2200 बजे निरीक्षक सुरेन्द्र पाल सिंह, पुलिस स्टेशन मझोला ने डॉ० विभा मलिक और उनके पति डॉ० वी०के० पुनिया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353/504/506/279/337 के तहत एफ०आई०आर० सं० 727/2013 लिखते हुए आपराधिक मामला दर्ज कर दिया।

4.204 घटना के बाद शिकायतकर्ता/पीडित, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कुछेक डॉक्टरों के साथ उसी रात मुरादाबाद के सिविल लाईन्स पुलिस स्टेशन, महिला पुलिस स्टेशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आवास तथा उपमहानिरीक्षक के आवास तक गए लेकिन किसी ने उनकी शिकायत नहीं सुनी। अंत में पुलिस अधीक्षक (सिटी) ने पुलिस स्टेशन, सिविल लाईन्स को शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया और दिनांक 18 नवम्बर, 2013 को पुलिस स्टेशन, सिविल लाईन्स में भारतीय दंड संहिता की धारा 323/504/506/392 के तहत थाना प्रभारी श्री सुरेन्द्र पाल सिंह तथा तीन अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफ०आई०आर० मामला सं० शून्य/2013 दर्ज की गई। इसके बाद शिकायतकर्ता एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों के साथ जिला प्रशासन एवं पुलिस की हुई बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि ए०डी०एम० (सिटी) द्वारा इस मामले की जांच की जाएगी तथा शिकायतकर्ता को दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ त्वरित एवं उचित कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया।

4.205 दिनांक 18 नवम्बर, 2013 को एस०एच०ओ० इंस्पेक्टर सुरेन्द्र पाल सिंह को पुलिस उपमहानिरीक्षक ने निलंबित कर दिया। तथापि, दिनांक 24 नवम्बर, 2013 को उसे पुनः बहाल कर दिया गया। एफ०आई०आर० मामला संख्या 727/2013 में जांच के दौरान शिकायतकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पुष्ट करने संबंधी कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। अतः संबंधित न्यायालय के समक्ष समापन रिपोर्ट दर्ज की गई जिसमें

रिपोर्ट को समाप्त करने के संबंध में साक्ष्य के अभाव का हवाला दिया गया। समापन रिपोर्ट का दर्ज करना यह दर्शाता है कि शिकायतकर्ता के खिलाफ सबूतों के बिना ही मामला दर्ज कर दिया गया था।

4.206 फरवरी, 2014 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम के पहुंचने तक शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किए गए आपराधिक मामले की जांच चल रही थी और मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई थी। यहां तक कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई प्रारंभिक जांच भी पूरी नहीं की गई थी और पुलिस अधीक्षक (देहात), मुरादाबाद के पास लंबित पड़ी है।

4.207 ए0डी0एम0 (सिटी) ने अपनी अंतरिम प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि डॉ0 पूनिया ने शराब पी हुई थी और डॉ0 विभा मलिक के मेडिकल रिकार्ड के अनुसार उनके चेहरे पर चोट आई थी। ए0डी0एम0 (सिटी) के अनुसार प्रथम दृष्टया यह शिकायतकर्ता पर हमला करने का मामला था। तथापि, ए0डी0एम0 (सिटी) ने बताया कि पुलिस अधिकारियों के बयानों को रिकार्ड नहीं किया गया; अतः इसे अंतरिम जांच रिपोर्ट समझा जाए। जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद ने ए0डी0एम0 (सिटी) से जांच पूरी करने और जल्द से जल्द अंतिम जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। तथापि, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम को जांच में यह पता चला कि ए0डी0एम0 (सिटी) की जांच अभी लंबित है।

4.208 घटना के बाद दोषी पुलिस निरीक्षक सुरेन्द्र पाल सिंह ड्यूटी पर नहीं आया और चिकित्सीय आधार पर अनुपस्थित रहा। यहां तक कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्पोर्ट जांच के दौरान निरीक्षक एस0पी0 सिंह भी उपस्थित नहीं हुआ। इस संबंध में उसे दो नोटिस जारी किए गए कि वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सामने उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करे लेकिन वह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद से दिनांक 5/2/2014 का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया था कि निरीक्षक एस0पी0 सिंह ड्यूटी से अनुपस्थित था और उससे मोबाईल पर भी संपर्क नहीं हो सका।

4.209 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ने प्रेक्षण किया कि तीन महीने से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी जिला एवं पुलिस प्रशासन अपनी प्रारंभिक जांच पूरा करने में असफल रहे और पुलिस कार्मिकों के खिलाफ दर्ज मामले की जांच भी लंबित थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जांच टीम द्वारा की गई सिफारिशों के आलोक में आयोग ने पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को निदेश दिया कि पुलिस स्टेशन सिविल लाईन्स, मुरादाबाद में दर्ज एफ0आई0आर0 सं0 727ए/13 की जांच का कार्य सी0बी0सी0आई0डी0, उत्तर प्रदेश को जल्द से जल्द जांच समाप्त करने के निर्देश के साथ हस्तांतरित किया जाए। इसके अतिरिक्त, जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शुरु की गई प्रारंभिक जांच को पूरा करने का निदेश दिया। डॉ0 विभा मलिक तथा उनके पति की शिकायत पर एफ0आई0आर0 दर्ज करने से मना करने के संबंध में पुलिस स्टेशन सिविल लाईन्स के पुलिस कार्मिकों के खिलाफ विभागीय जांच शुरु करने और शिकायतकर्ता डॉ0 विभा मलिक और उनके पति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को निदेश दिया गया।

4.210 आयोग अभी मामले पर विचार कर रहा है।

ड) पुलिस मुठभेड

24. झज्जर, हरियाणा में पुलिस मुठभेड में जसबीर उर्फ जस्साद की मृत्यु (मामला संख्या 2201/7/7/08-09-ई0डी0)

4.211 आयोग ने दिनांक 18 दिसम्बर, 2008 को पुलिस अधीक्षक, झज्जर, हरियाणा से प्राप्त एक सूचना को संज्ञान में लिया जिसमें दिनांक 12/13 दिसम्बर, 2008 की रात को पुलिस स्टेशन झज्जर, हरियाणा के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र में हुई एक पुलिस मुठभेड में जसबीर उर्फ जस्साद की मृत्यु के बारे में बताया गया है।

4.212 घटना के संबंध में पुलिस वृत्तांत के अनुसार जसबीर उर्फ जस्साद ने पुलिस टुकड़ी पर गोली चलाई जिसमें कांस्टेबल अशोक को गोली लग गई। जसबीर के भाई सोमबीर पर भी हेड कांस्टेबल अशोक पर गोली चलाने का आरोप है। मृतक की माताजी बीरमती की शिकायत पर पुलिस के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304/34 के तहत आपराधिक मामला संख्या 341/2009 दर्ज किय गया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने तीन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दायर की।

4.213 यह भी सूचित किया गया कि जसबीर की माताजी श्रीमती बीरमती ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दर्ज कराई जिसमें उन्होंने यह अनुरोध किया कि एफ0आई0आर0 संख्या 341/2009 की जांच किसी अन्य एजेंसी को सौंप दी जाए। उच्च न्यायालय ने दिनांक 18 जून, 2010 को उक्त याचिका इस प्रेक्षण के साथ खारिज कर दी थी कि तीन पुलिस वालों के खिलाफ जांच के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के तहत रिपोर्ट को पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

4.214 आयोग ने पुलिस अधीक्षक, झज्जर को निदेश दिया कि वो पुलिस स्टेशन झज्जर में दर्ज अपराध संख्या 341/2009 की जांच के बाद न्यायालय में एक चार्जशीट दायर करें।

4.215 चार्जशीट पर विचार करने के बाद आयोग ने पाया कि कांस्टेबल अशोक कुमार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 तथा उपनिरीक्षक सतबीर सिंह और हेड कांस्टेबल अशोक कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 202/203/218 के तहत अभियोजित किया गया था।

4.216 आयोग ने दिनांक 8 दिसम्बर, 2011 को मामले पर विचार करते हुए प्रेक्षण किया कि मजिस्ट्रेट जांच तथा पुलिस जांच से यह पता चला है कि जसबीर उर्फ जस्साद की मृत्यु के लिए पुलिस जिम्मेदार थी। आयोग ने अपना मत व्यक्त किया कि राज्य द्वारा मृतक के परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए और आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 18 के तहत हरियाणा सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि मृतक जसबीर उर्फ जस्साद के निकटतम संबंधी को वित्तीय राहत का भुगतान क्यों न किया जाए।

4.217 कारण बताओ नोटिस के जवाब में पुलिस महानिरीक्षक, रोहतक रेंज ने कहा कि वित्तीय राहत प्रदान करने के मामले को एफ0आई0आर0 संख्या 341/09, पुलिस स्टेशन झज्जर संबंधी कार्यवाही पूरी हो जाने तक रोका जाना चाहिए।

4.218 कारण बताओ नोटिस के जवाब में राज्य सरकार से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद आयोग ने अपनी दिनांक 6 दिसम्बर, 2013 की कार्यवाही में राज्य सरकार के दावे को अनुचित पाते हुए प्रेक्षण किया कि आयोग के समक्ष जो मुद्दा है वो आपराधिक अभियोजन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे से पूर्णतः भिन्न है। आयोग ने यह भी प्रेक्षण किया कि दांडिक न्यायालय संबंधित पुलिस वालों की दांडिक जवाबदेही पर निर्णय लेगा जबकि मानव अधिकार आयोग प्राथमिक रूप से मानव अधिकारों के उल्लंघन के बारे में चिंतित है। आयोग ने यह भी प्रेक्षण किया कि आयोग तथ्यों पर प्रथम दृष्टया अपनी सिफारिश करता है क्योंकि आयोग द्वारा अपेक्षित साक्ष्यों का स्तर उतना सख्त नहीं होता जितना कि दांडिक न्यायालय में आवश्यक होता है। इसलिए आयोग ने व्यक्त किया कि दांडिक अभियोजन में विलम्ब के चलते उन्हें वित्तीय राहत की सिफारिश करने से रोका नहीं जा सकता है। तदनुसार, आयोग ने अपने दिनांक 06 सितम्बर, 2013 की कार्यवाही में हरियाणा राज्य सरकार से सिफारिश की कि वो मृतक जसबीर उर्फ जस्साद के निकटतम संबंधी को 5,00,000/—रु0 की वित्तीय राहत का भुगतान करें और छह महीने के अंदर भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

4.219 राज्य सरकार ने मृतक जसबीर उर्फ जस्साद के निकटतम संबंधी को 5,00,000/—रु0 की वित्तीय राहत का भुगतान करने के लिए राज्य सरकार के अनुमोदन की सूचना दे दी है। तथापि, भुगतान का साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

25. देहरादून, उत्तराखंड में पुलिस मुठभेड में चार व्यक्तियों की मृत्यु
(मामला संख्या 780/35/2006-2007)

4.220 आयोग ने दिनांक 7 सितम्बर, 2006 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून से प्राप्त सूचना को संज्ञान में लिया जो दिनांक 24 अगस्त, 2006 को हुई एक पुलिस मुठभेड में दो अनजान व्यक्तियों की मृत्यु के बारे में थी। सूचना के अनुसार जब वसंत विहार, देहरादून की निवासी श्रीमती संगीता चालना सुबह की सैर कर रही थीं तब दो अनजान व्यक्तियों ने उनके गले की चेन छपटी थी। श्रीमती चालना ने वसंत विहार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया और पुलिस ने अपराधियों की खोज शुरू कर दी। लगभग 04:45 बजे सांय दो व्यक्ति सहारनपुर रोड पर पुलिस स्टेशन आशा रोडी की ओर एक मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उनका पीछा किया। पुलिस को देख कर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और प्रतिरक्षा में पुलिस ने भी उन पर गोलीबारी की। परिणामस्वरूप उनकी मोटरसाइकिल फिसल गई और वे नीचे गिर गए। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवक मारे गए और उनसे शस्त्र एवं गोलाबारुद भी बरामद हुआ। श्रीमती संगीता ने मृतक व्यक्तियों की पहचान उन्हीं चेन झपटमारों के रूप में की, उनसे श्रीमती संगीता का सामान भी बरामद हुआ। उपरोक्त घटना के संबंध में पुलिस स्टेशन क्लेमेंट टाउन में भारतीय दंड संहिता की

धारा 307 के तहत मामला संख्या 59/06 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत मामला सं० 61/06 दर्ज किया गया।

4.221 आयोग के निर्देशों के अनुसरण में संबंधित प्राधिकारियों ने आयोग को संगत रिपोर्टें अग्रेषित कीं। पुलिस के वृत्तांत के अनुसार दो अपराधियों ने दिनांक 24 अगस्त, 2006 को सुबह 8:50 बजे एक मजिला की सोने की चेन झपटी थी। महिला ने पुलिस स्टेशन वसंत विहार, देहरादून में एक शिकातय दर्ज कराई थी कि मोटरसाईकिल पर सवार दो व्यक्तियों ने उनकी सोने की चेन लूटी थी। पुलिस को लगभग सांय 4:45 बजे टर्नर रोड पर एक मोटरसाईकिल दिखाई दी। पुलिस ने उसका पीछा किया और एक मुठभेड हुई जिसमें दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।

4.222 लूट की घटना और तथाकथित मुठभेड के बीच की समयावधि पर विचार करते हुए आयोग ने अपना विचार व्यक्त किया कि एक विस्तृत जांच की आवश्यकता है। आयोग ने अपने अन्वेषण विभाग की एक टीम को निदेश दिया कि वो देहरादून जाए और श्रीमती संगीता चालना जिन्होंने पुलिस स्टेशन वसंत विहार, देहरादून में सोने की चेन के झपटे जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। टीम को, दो मृत व्यक्तियों के परिवारवालों से भी पूछताछ करने के निदेश दिए।

4.223 जांच दल को पता चला कि मुठभेड में हुई रामदर्शी और जितेन्द्र की मौत संदिग्ध थी। जांच दल को यह भी पता चला कि मुठभेड में हुई रामदर्शी तथा जितेन्द्र की मौत के दस घंटे बाद पुलिस मुठभेड में दो मौतें (सुंदर सुपुत्र जनार्दन तथा परविन्दर उर्फ परवीन सुपुत्र जीतराम) और हुई थीं। जांच दल को यह भी पता चला कि चारों मृतक एक ही गांव के थे और तथाकथित मुठभेड से पहले चारों एक-साथ देखे गए थे।

4.224 अन्वेषण प्रभाग की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग ने अपनी दिनांक 9 मार्च, 2011 की कार्यवाही में इस घटन की सी०बी०आई० जांच कराने के लिए केन्द्र सरकार की सहमति प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्री को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

4.225 केन्द्र सरकार ने दोनों घटनाओं की सी०बी०आई० जांच के लिए अनुमति प्रदान की। तथापि, उत्तराखंड सरकार ने कहा कि स्थानीय पुलिस द्वारा दोनों मामलों में समापन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं और न्यायालय ने उन्हें स्वीकार भी कर लिया है। राज्य सरकार ने यह भी इंगित किया कि दोनों मामलों में मजिस्ट्रेट जांच में पुलिस की कार्यवाही को सही करार दिया गया। इन आधारों पर राज्य सरकार ने कहा कि सी०बी०आई० द्वारा नए सिरे से जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

4.226 आयोग ने दिनांक 25 जनवरी, 2012 पर विचार किया और इंगित किया कि सी०बी०आई० ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संदर्भों के आधार पर दो प्रारंभिक जांच रजिस्टर की। सी०बी०आई० द्वारा की गई प्रारंभिक जांच से दोनों घटनाओं के संबंध में पुलिस वृत्तांत में खामियां दिखाई दी। राज्य सरकार, संभवतः सी०बी०आई० द्वारा प्रस्तुत की गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट से अवगत नहीं थी और सी०बी०आई० द्वारा जांच का विरोध करने का यही एक कारण था।

4.227 अतः आयोग ने इस आशा के साथ उत्तराखंड सरकार को सी0बी0आई0 की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की एक प्रति भेजने का निदेश दिया कि राज्य सरकार सी0बी0आई0 की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर सही प्रकार से विचार करेगी और दोनों घटनाओं के संबंध में सी0बी0आई0 द्वारा की गई जांच से अपनी आपत्तियां वापिस ले लगी। दोनों मामलों में सी0बी0आई0 जांच के लिए अपनी सहमति प्रेषित करने तथा दो महीनों के अंदर-अंदर डी0एस0पी0ई0 एक्ट की धारा 5 एवं 6 के तहत अपेक्षित अधिसूचना जारी करने के लिए भी उत्तराखंड सरकार को निदेश दिए गए।

4.228 तथापि, राज्य सरकार ने सी0बी0आई0 जांच के लिए अपनी सहमति देने से मना कर दिया लेकिन यह सूचना दी कि आयोग द्वारा मानवीय आधार पर वित्तीय राहत प्रदान करने की सिफारिश पर राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

4.229 उत्तराखंड सरकार द्वारा लिए गए निर्णय तथा सी0बी0आई0 द्वारा प्रस्तुत की गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आलोक में आयोग ने अपनी दिनांक 27 जून, 2013 की कार्यवाही में उत्तराखंड सरकार से मृतक रामदर्शी, जितेन्द्र, सुंदर तथा प्रवीन के निकटतम संबंधियों को वित्तीय राहत के रूप में पांच लाख रुपये की राशि (प्रत्येक को) का भुगतान करने की सिफारिश की।

4.230 जवाब में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एच0आर0), उत्तराखंड ने दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 के पत्राचार के माध्यम से सूचित किया कि आयोग की सिफारिश की अनुसार मृतक सुंदर के पिता को पांच लाख रु0 का भुगतान कर दिया गया है। भुगतान का साक्ष्य भी भेजा गया। प्रवीन, जितेन्द्र तथा रामदर्शी के संबंध में राज्य सरकार ने आयोग से निदेश मांगे कि वित्तीय राहत का भुगतान किसे किया जाए क्योंकि इनमें से किसी के भी माता-पिता जीवित नहीं हैं।

4.231 उपरोक्त के जवाब में आयोग ने अपनी दिनांक 29 जनवरी, 2014 की कार्यवाही में तीनों मृतकों के संबंध में भुगतान करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एच0आर0), उत्तराखंड को निम्नलिखित निर्देश दिए :

- (i) मृतक प्रवीन जो अविवाहित था के संबंध में वित्तीय राहत का भुगतान उसके भाई को किया जाए जो कि जीवित निकटतम संबंधी है।
- (ii) मृतक जितेन्द्र भी अविवाहित था, वित्तीय राहत का भुगतान उसके बड़े भाई को किया जाए जो कि जीवित निकटतम संबंधी है।
- (iii) मृतक रामदर्शी के मामले में मुआवजे का भुगतान उसकी पत्नी श्रीमती जानकी देवी को किया जाना चाहिए।

4.232 अनुपालन रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

26. पुलिस स्टेशन खजूरी खास, दिल्ली के क्षेत्राधिकार में पुलिस मुठभेड में तथाकथित गैंगस्टर की मृत्यु

(मामला संख्या 8323/24/2006-2007, संबंधित फाईल 10824/24/2006-2007, 5193/24/2006-2007, 3718/24/2006-2007, 295/24/2005-2006 तथा 637/30/2006-2007)

4.233 आयोग को दिल्ली पुलिस की तथाकथित नकली मुठभेड में अयूब, असल, मनोज, संजय तथा शहजाद बाबू की मृत्यु के संबंध में बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायतकर्ताओं ने दावा किया कि पुलिस अयूब, असलम, मनोज, संजय तथा शहजाद बाबू को दिनांक 5 मई, 2006 को उठाकर ले गई थी और पुलिस स्टेशन खजूरी खास, दिल्ली के क्षेत्राधिकार में एक नकली मुठभेड में उनकी हत्या कर दी। संजय कुमार की विधवा श्रीमती प्रभा जाटव ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके पति को घर से उठाया और एक नकली मुठभेड में उनकी हत्या कर दी। श्री जमील अहमद ने अपनी दो अलग-अलग शिकायतों में आरोप लगाया कि उनके पुत्र असलम को पुलिस स्टेशन बुलंदशहर की पुलिस ने उठाया और मार डाला। पुलिस उपाधीक्षक, स्पेशल सैल, दिल्ली ने भी कुख्यात अयूब एवं असलम गैंग के साथ दिनांक 5 मई, 2006 को हुई गोलीबारी के बारे में जानकारी दी।

4.234 पुलिस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस के स्पेशल सैल को घटना वाले दिन लगभग 8:00 बजे रात्रि को एक गोपनीय जानकारी मिली जिसमें कुख्यात अयूब-असलम गैंग के आने का समय तथा स्थान बताया गया। खजूरी खास के सहायक पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में 41 अधिकारियों का एक छापामार दल तैयार किया गया। पुलिस के बयान के अनुसार इस पुलिस पार्टी के पास एक सरकारी क्वालिस, पांच निजी वाहन तथा 3 मोटरसाईकिलें थी। टाटा सूमो, जिसमें तथाकथित गैंग सदस्य थे, को देखकर सहायक पुलिस आयुक्त ने उन्हें समर्पण करने के लिए कहा। पुलिस और अपराधियों के बीच गोलीबारी का पहला चरण लगभग 15-20 मिनट तक चला। गोलीबारी रुकने पर 4 गैंगस्टर मृत पाए गए और शेष की खोजबीन की गई। गोलीबारी का दूसरा चरण जो 5 मिनट तक चला था, की शुरुआत तब हुई जब शेष दो अपराधियों ने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी की। इस गोलीबारी में एक गैंगस्टर घायल हुआ और दूसरा अंधेरे में भाग निकला। इस गैंग से बड़ी मात्रा में गोला-बारुद बरामद हुआ और इतनी भारी गोलीबारी में न तो पुलिस के किसी वाहन और न ही अपराधियों द्वारा प्रयोग में लाए गए वाहन को कोई नुकसान हुआ। कोई पुलिस कार्मिक भी घायल नहीं हुआ।

4.235 खजूरी खास के थाना प्रभारी के बयान के अनुसार घटनास्थल पर गोलियों के कोई निशान नहीं थे, तथापि, स्थल से बड़ी मात्रा में बरामद हुए खाली कारतूस, भारी मात्रा में गोलीबारी की पुष्टि करते हैं।

4.236 आयोग ने प्रेक्षण किया कि छापे के साथ-साथ घटना स्थल से बरामद उपकरणों की फोरेन्सिक जांच में कई खामियां हैं। घटना स्थल के अलावा 'खादर' क्षेत्र जो कि काफी खुला और सुनसान इलाका है, में कोई पुलिस पार्टी तैनात नहीं की गई थी और ऐसे महत्वपूर्ण इलाके में तैनाती न करने का कोई स्पष्टीकरण स्पेशल सैल के पास नहीं था।

4.237 पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार सभी मृतकों के शरीर पर किसी ठोस चीज से किए गए प्रहार, किसी ठोस जगह पर पटकने के कारण या लाठी के प्रहार के कारण कई चोटें थीं और पत्थर जैसी किसी ठोस जगह पर घसीटने जैसे निशान थे। एम0ई0आर0 ने इशारा किया कि पोस्टमॉर्टम डॉक्टर के अनुसार मृतकों को पुलिस की गोलियों से मारने से पहले उन्हें शारीरिक रूप से मारा-पीटा गया था।

4.238 मुठभेड़ की जांच के संबंध में आयोग ने प्रेक्षण किया कि मृतकों द्वारा प्रयोग में लाई गई टाटा सूमो के स्वामित्व का पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया और मृतकों के परिवार के सदस्यों के बयान रिकार्ड करने के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया गया। एक ओर मृतकों के परिवार वालों ने अन्वेषण अधिकारी तथा स्पेशल सेल के अधिकारियों से मुलाकात का दावा किया वहीं दूसरी ओर इन लोगों ने ऐसी किसी मुलाकात का खंडन किया।

4.239 आयोग ने आगे यह प्रेक्षण किया कि मामले की जांच एस0डी0एम0 द्वारा नहीं बल्कि खजूरी खास की स्थानीय पुलिस द्वारा की गई थी। पोस्टमॉर्टम के नमूनों को एक साल बाद, जब खजूरी खास पुलिस स्टेशन ने मामले के संबंध में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तक भी फॉरेन्सिक साइंस लेबोरेटरी में नहीं भेजा गया था। घटना के 3 साल बाद वर्ष 2009 में नमूनों को जांच के लिए भेजा गया।

4.240 एम0ई0आर0 में जांच अधिकार इस निर्णय पर पहुंचा कि घटना की जांच में किसी तथ्य या परिस्थितियों पर यथोचित ध्यान नहीं दिया गया बल्कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सैल द्वारा दर्ज कराई गई एफ0आई0आर0 में लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के प्रयास किए गए। इस उचित प्रक्रिया का व्युत्क्रमण पोस्टमॉर्टम के दौरान भी हुआ जिसमें केवल 3 मृतकों का हैण्ड स्वेब लिया गया और असलम तथा शहजाद उर्फ बाबू का नहीं, जिसके संबंध में डॉक्टरों द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

4.241 जांच अधिकारी ने मुठभेड़ की वास्तविकता पर शंका व्यक्त की और एक सी0बी0आई0 जांच की सिफारिश की जिसे तथापि, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने भी इसी तर्ज पर सी0बी0आई0 जांच की अनुमति देने से इन्कार कर दिया।

4.242 आयोग ने यह पता लगाने के लिए निदेश दिए कि दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल ने सी0बी0आई0 जांच से इन्कार क्यों किया। आयोग ने टोपोग्राफी तथा ज्यॉस्पॉट विसिट के लिए भी निर्देश दिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या मृतकों की मृत्यु इसी जगह पर गिरने के कारण हुई थी।

4.243 गृह मंत्रालय ने आयोग की जांच कि सी0बी0आई0 जांच इन्कार करने के पीछे क्या कारण थे, पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह इस मामले में दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल के साथ सहमत है और सी0बी0आई0 जांच की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उक्त अपराधी इस तथाकथित मुठभेड़ से पहले 74 दिनो में अपराधों में शामिल थे।

4.244 आयोग ने हिचकिचाते हुए इस इन्कार को स्वीकार करते हुए गृह मंत्रालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि मृतक के निकटतम संबंधी को वित्तीय मुआवजे का भुगतान क्यों न किया जाए। आयोग ने

किसी भी मुठभेड़ के परिणामों (जीवन की हानि सहित) की मजिस्ट्रेट जांच कराने के संबंध में वर्ष 2003 में तैयार किए गए दिशानिर्देशों का भी हवाला दिया, जिसका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को छोड़कर सभी राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन किया गया, जबकि दिल्ली पुलिस ने इन निर्णयों के संबंध में असाधारण वीटो का प्रयोग करते हुए मजिस्ट्रेट जांच का हमेशा विरोध किया है।

4.245 गृह मंत्रालय ने मुआवजे के भुगतान का इस आधार पर विरोध किया कि मारे गए व्यक्तियों का गंभीर आपराधिक रिकार्ड रहा है तथा ऐसे दुर्दांत अपराधियों के निकटतम संबंधियों को राहत उपलब्ध कराना इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा और समाज में एक गलत संदेश जाएगा।

4.246 आयोग ने अपनी दिनांक 5 फरवरी, 2014 की कार्यवाही में मंत्रालय को याद दिलाया कि कानून के तहत अपराधियों को ऐसे ही मौत नहीं दी जाती है। इस बात की पुष्टि करना पुलिस का काम था कि अपनी रक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए उन व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा गया था, लेकिन वे ऐसा करने में असफल रहे। मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क कि “ऐसे दुर्दांत अपराधियों के निकटतम संबंधियों को राहत उपलब्ध कराना इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा और समाज में एक गलत संदेश जाएगा” को अस्वीकार करते हुए आयोग ने मंत्रालय को याद दिलाया कि इस मामले में एकमात्र आपराधिक कृत्य सामने आया है और वह है कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियुक्त किए गए पुलिस कार्मिकों द्वारा पांच व्यक्तियों की हत्या।

4.247 आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ इसलिए आयोग ने मृतक अयूब, शहजाद, बाबू, संजय, असलम तथा मनोज (प्रत्येक के) के निकटतम संबंधियों को 1,00,000/-₹0 का मुआवजा देने की सिफारिश की।

4.248 भुगतान का साक्ष्य अभी आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है।

च) कारावास की स्थिति

27. जेल में अनियमितता संबंधी शिकायत पर अन्वेषण प्रभाग की टीम का रायपुर जेल का दौरा (मामला संख्या 323/33/14/2013)

4.249 आयोग को अभियोगाधीन राजनीतिक कैदी पुरुन्दू शेखर मुखर्जी तथा वी0 सुब्रामणियम से रायपुर सेंट्रल जेल में भीड़भाड़; साफ-सफाई; मच्छर; पानी, भोजन की गुणवत्ता; खाना पकाने; चिकित्सीय सुविधाएं; संबंधियों एवं अधिवक्ताओं के साथ बातचीत आदि संबंधी शिकायतें प्राप्त हुईं।

4.250 आयोग ने अपनी दिनांक 23 अप्रैल, 2013 की कार्यवाही में शिकायत को संज्ञान में लिया और अपने महानिदेशक (अन्वेषण) से तथ्यों को एकत्रित करने और आयोग के विचारार्थ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

4.251 आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में आयोग के अन्वेषण प्रभाग की एक टीम ने दिनांक 16/12/2013 से 19/12/2013 तक सेंट्रल जेल, रायपुर का दौरा किया और वहां की परिस्थितियों की जांच-पड़ताल की। आयोग की टीम ने जेल के दौरे के बाद निम्नलिखित प्रेक्षण किए :

1. सेंट्रल जेल, रायपुर (छत्तीसगढ़) में बहुत अधिक भीड़-भाड़ थी। इसमें केवल 1190 कैदियों को रखने की जगह है लेकिन वर्तमान में यहां 284 तक अधिक कैदियों की भीड़ है।
2. इस जेल में वर्तमान में रह रहे कैदियों के लिए शौचालयों की संख्या अपर्याप्त है। जेल के मैनुअल के अनुसार शौचालय एवं कैदियों का अनुपात 1:5 का होना चाहिए जबकि यहां का वर्तमान अनुपात 1:10 पाया गया।
3. कैदियों को मच्छरों की वजह से कठिनाई हो रही थी। जेल परिसर में कराई गई फोगिंग अधिक प्रभावी नहीं रही।
4. टीम ने प्रेक्षण किया कि बिना ब्लेड का उस्तरा, जिसे सामान्यतः कैदियों की दाढ़ी बनाने के प्रयोग में लाया जाता है, उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था। कैदियों की दाढ़ी बनाने के लिए डिस्पोजेबल ब्लेड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
5. कैदियों को खुले में स्नान करना पड़ता है क्योंकि जेल में पर्याप्त संख्या में स्नानगृह नहीं हैं।
6. टीम ने प्रेक्षण किया कि कैदियों को रैफरल मामलों में उच्च संस्थानों में भेजने में विलम्ब हुआ। वर्ष 2013 में कुल 5301 मामलों (बीमार कैदी) को उच्च केन्द्रों में रैफर किया गया और बीमार कैदियों की सुरक्षा के लिए जेल अस्पताल द्वारा की गई इतनी ही संख्या में पुलिस गार्ड की मांग की गई लेकिन केवल 1888 बीमार कैदियों को ही उच्च केन्द्रों तक ले जाया गया उनमें से केवल 166 को ही पुलिस गार्डों द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई, शेष 1722 को जेल के प्रहरियों द्वारा ही सुरक्षा उपलब्ध कराई गई।

4.252 जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव को निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में निदेश दिए जाएं :-

- 1) जेलों में बढ़ती हुई भीड़-भाड़ को नियंत्रित करने के लिए यथोचित उपाय किए जाएं।
- 2) जेल में पुरुष कैदियों के लिए पर्याप्त संख्या में स्नानगृहों का निर्माण किया जाना चाहिए।
- 3) कैदियों की दाढ़ी बनाने के लिए डिस्पोजेबल ब्लेड्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- 4) मच्छरों की समस्या से निजात पाने के लिए जेल के अंदर निकासी की खुली नालियों को ढका जाना चाहिए।

- 5) कैदियों की बढ़ती हुई संख्या के अनुसार कैंटीन तथा टेलीफोन सुविधाओं का भी विस्तार किया जाना चाहिए।
- 6) खेल के मैदान बनाए जाने चाहिए ताकि कैदी उसका प्रयोग कर सकें।
- 7) राज्यों के सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि जेल प्राधिकारियों को पुलिस एस्कॉर्ट उपलब्ध कराएं ताकि कैदियों को सुनवाई की तारीख पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके तथा बीमार कैदियों को समय पर उच्च चिकित्सीय संस्थानों में ले जाया जा सके।

4.253 अन्वेषण प्रभाग की रिपोर्ट आयोग के विचाराधीन है।

छ) करंट लगने संबंधी मामले

**28. उत्तराखंड राज्य में सरकारी इंटर कॉलेज, कांडीखाल, देहरादून में बिजली के तार के संपर्क में आने के बाद एक विद्यार्थी स्थायी रूप से अक्षम हो गया।
(मामला संख्या 1941/35/11/2012)**

4.254 शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मिस्टर संदीप पंवार, आठवीं कक्षा का छात्र, सरकारी इंटर कॉलेज, कांडीखाल में पड़ी बिजली की एक नंगी तार के संपर्क में आ गया और वो करंट लगने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल ही दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, देहरादून में भर्ती कराया गया लेकिन अस्पताल के प्राधिकारियों ने उसे सही इलाज उपलब्ध न कराते हुए डिस्चार्ज कर दिया। डॉक्टरों ने 99 प्रतिशत अक्षमता की संभावना व्यक्त की और उसका गरीब परिवार उसे अपेक्षित चिकित्सीय सहायता उपलब्ध नहीं करा सका।

4.255 आयोग ने शिकायत को संज्ञान में लिया और जिला मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड तथा सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखंड सरकार से रिपोर्ट मांगी।

4.256 जिला मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल ने सूचित किया कि आठवीं कक्षा का विद्यार्थी संदीप पंवार बिजली की तार के संपर्क में आ गया था और उसके इलाज के दौरान उसके दाहिने हाथ को काटना पड़ा। पीडित के परिवार के सदस्यों द्वारा या किसी अन्य विभाग द्वारा कोई एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं कराई गई क्योंकि किसी कर्मचारी की तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई थी। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया था कि बिजली का खम्भा परिसर के अंदर सरकारी इंटर कॉलेज, कांडीखाल की दीवार के पास था। कक्षा छठी से कक्षा बारहवीं तक 215 विद्यार्थी यहां पढ़ते थे। कालेज के प्रधानाचार्य ने इस बात पर बल दिया कि ऐसी घटना से बचने के लिए बिजली के खम्भे तथा तारों को स्थानांतरित करना आवश्यक था। रिपोर्ट में आगे यह उल्लेख किया गया कि बच्चे को निशुल्क चिकित्सा सहायता दी गई तथा पीडित के इलाज के लिए कॉलेज के बच्चों एवं कर्मचारियों द्वारा एकत्रित की गई 7500/-रु0 की राशि पीडित के परिवार के सदस्यों को दी गई थी।

बिजली के खंभे को स्थानांतरित करने के लिए तथा पीडित को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभाग को आवश्यक दिशानिर्देश दिए गए। आयोग को मिडिल स्कूल एजुकेशन, उत्तराखंड के निदेशक से भी एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बच्चे के पिता को वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा 11 किलोवाट की लाईन को स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई थी।

4.257 आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया और प्रेक्षण किया कि यह मानव अधिकारों के उल्लंघन का स्पष्ट मामला है चूंकि राज्य प्राधिकारियों ने स्वीकार किया कि संदीप पंवार बिजली की नंगी तार के संपर्क में आया था और इलाज के दौरान उसकी दाहिनी बांह को काटना पड़ा था। आयोग ने उत्तराखंड सरकार को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत एक कारण बताओ नोटिस जारी किया कि पीडित संदीप पंवार को वित्तीय राहत का भुगतान किए जाने की सिफारिश क्यों न की जाए। आयोग ने कॉलेज के परिसर से बिजली के खंभे को स्थानांतरित करने के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी।

4.258 जवाब में राज्य सरकार ने सूचित किया कि परिवार को 90,000/-रु० की वित्तीय सहायता का भुगतान कर दिया गया है।

4.259 आयोग ने वित्तीय सहायता को अपर्याप्त पाया और प्रेक्षण किया कि राज्य ने स्वीकार किया कि एक विद्यार्थी बिजली की तार के संपर्क में आया जो एक बिजली के खंभे से निकला हुआ था और उस खंभे को वहां से हटाया भी गया। इसकी वजह से युवा लड़के की दाहिनी बाजू काटनी पड़ी। इससे उसे केवल शारीरिक पीड़ा और स्थायी अक्षमता ही नहीं हुई बल्कि शिक्षा आदि समाप्त करने के बाद उसकी आजीविका अर्जन की क्षमता भी गंभीर रूप से आहत हुई है। उसके अधिकारों का गंभीर, यहां तक कि क्रूरता से उल्लंघन हुआ है।

4.260 संगत कानूनों के अंतर्गत बाजू का कट जाना स्थायी अक्षमता माना जाता है तथा आयोग के अनुसार राज्य द्वारा पीडित को दी जाने वाली राहत, उस शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा जो पीडित ने झेली है या इस अक्षमता के कारण होने वाली आय की संभावित हानि के आनुपातिक होनी चाहिए। आयोग ने यह भी प्रेक्षण किया कि इस अक्षमता का अर्थ है कि इस बच्चे के लिए कुशल श्रम संबंधी अवसर समाप्त हो गए हैं। उसकी अकुशल कार्य करने की क्षमता को भी काफी हानि हुई है। इसके लिए आयोग का मानना है कि और आयोग आश्वस्त है कि राज्य सरकार इस बात से सहमत होगी कि मासूम पीडित को हर्जाना दिया जाना चाहिए।

4.261 वर्कमेन्स कम्पेनसेशन एक्ट जो इस मामले में लागू नहीं होता है लेकिन इस प्रकार की परिस्थिति में यथोचित मुआवजे के मापदंड उपलब्ध कराता है, के तहत 16 साल से कम की आयु के पीडितों के लिए 228.54 का गुणांक दिया गया है। यदि यह भी मान लिया जाए कि यह बच्चा ऐसे क्षेत्र में कार्य करता जो इसे न्यूनतम भत्ते देता, आयोग के अनुसार उत्तराखंड में लगभग 200/-रु० प्रतिदिन, तो भी अधिनियम के तहत इस स्थायी अक्षमता के लिए यह बच्चा 13,71,240/-रु० के मुआवजे का हकदार है।

4.262 आयोग ने सिफारिश की कि उत्तराखंड सरकार, संदीप पंवार को 10,00,000/-₹0 की अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करे। चूंकि पीडित एक अवयस्क था इसलिए आयोग ने निदेश दिया कि राशि को उसके नाम पर सावधि जमा खाते में डाल दिया जाए और उसके माता-पिता को उसकी देखभाल के लिए इस राशि पर मिलने वाले ब्याज को निकालने हेतु प्राधिकृत किया जाए। उसके वयस्क हो जाने पर मूल राशि, ब्याज सहित (यदि कोई है) उसके खाते में जमा कर दी जाएगी।

4.263 जवाब में उत्तराखंड पॉवर कॉरपोरेशन ने मुआवजे की राशि के संबंध में कुछेक आपत्तियों सहित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पक्ष में दस लाख रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट भेजा।

4.264 आयोग ने उत्तराखंड पॉवर कारपोरेशन द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार किया और प्रेक्षण किया कि वो आशा करते हैं कि कॉरपोरेशन उन्हें रैफर किए गए मामलों तथा वर्तमान मामले के अंतर को समझेगा।

4.265 आयोग ने आगे निदेश दिया कि उत्तराखंड पॉवर कारपोरेशन द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पक्ष में जारी किए गए दस लाख रुपये के डिमांड ड्राफ्ट का वापिस किया जाए ताकि उक्त राशि का एक अन्य डिमांड ड्राफ्ट पीडित के पक्ष में जारी किया जा सके और उसे प्रेषित किया जा सके। उत्तराखंड पॉवर कारपोरेशन, देहरादून ने आयोग की सिफारिश को उत्तराखंड के माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी तथा मामला न्यायालय के विचारणाधीन है।

29. दक्षिणांचल इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा मरम्मत कार्य के लिए गैर-कानूनी रूप से नियुक्त किए गए व्यक्ति का अंग-भंग (मामला संख्या 41224/24/1/2012)

4.266 आयोग को श्रीमती पुष्पा देवी से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 को उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग, अतमदपुर के कर्मचारी प्रमोद तथा शेरसिंह ने उनके बेटे अमन को एक कार्य के लिए बुलाया। उसके कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि उनके बेटे को करंट लगने के कारण गंभीर रूप से जलने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि उनके पुत्र को दो व्यक्तियों ने एक ट्रांसफार्मर ठीक करने के लिए बुलाया था और ट्रांसफार्मर ठीक करते समय उसे बिजली का झटका लगा। अपने पुत्र की चोटों की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने अपने पुत्र को बेहतर अस्पताल में भर्ती कराया जिसके लिए उन्हें ऋण लेना पड़ा। इलाज के दौरान शिकायतकर्ता के पुत्र के हाथ को काटना पड़ा।

4.267 आयोग के नोटिस के जवाब में पुलिस अधीक्षक (देहात), जिला आगरा ने सूचित किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 279/337/338 के तहत शेरसिंह एवं प्रमोद के खिलाफ एक एफ0आई0आर0 सं0 273/13 दर्ज की गई।

4.268 दक्षिणांचल विद्युत वितरण कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुख्य अभियंता ने भी रिपोर्ट किया कि जिला मजिस्ट्रेट, आगरा के एक आदेश के अनुपालन में 80,000/-रु0 की राशि का भुगतान शिकायतकर्ता को किया जा चुका है क्योंकि उनका पुत्र पूरी तरह से अक्षम हो गया है।

4.269 आयोग ने अपनी दिनांक 22 नवम्बर, 2013 की कार्यवाही में प्रेक्षण किया कि “भुगतान की गई राशि, 18 वर्ष की आयु के लड़के को हुई स्थायी अक्षमता के लिए अपर्याप्त थी। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण कॉरपोरेशन के कर्मचारियों के कहने पर कार्य करते समय तथा उनकी लापरवाही के कारण उसे चोट आई। आयोग ने आगे प्रेक्षण किया कि वर्कमेन्स कम्पेनसेशन एक्ट के तहत :

- i) वर्कमैन “अनुसूची II में विनिर्दिष्ट किसी क्षमता में नियुक्त व्यक्ति है, चाहे नियुक्ति का अनुबंध इस अधिनियम के पारित होने से पहले या बाद में हुआ हो और चाहे अनुबंध मौखिक या लिखित रूप में विवक्षित हो”।
- ii) अनुसूची II में सूचीबद्ध व्यवसायों में “विद्युत उर्जा का सृजन, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसमिटिंग और वितरण.....” आता है
- iii) राहत की गणना के लिए अंगच्छेदन, या दोनों हाथों के प्रयोग से वंचित होने या कट जाने को स्थायी अक्षमता कहा जाता है;
- iv) स्थायी अक्षमता के संबंध में राहत की गणना के आधार के रूप में प्रयोग की जाने वाली इकाई है मजदूर के मासिक भत्ते का 60 प्रतिशत, रु0 4000/- को अधिकतम सीमा माना जाता है;
- v) 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति के लिए गुणांक 226.38 है।

4.270 आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने शिकायतकर्ता के पुत्र के साथ वर्कमेन्स कम्पेनसेशन एक्ट के तहत अनुसूची II में सूचीबद्ध कार्यों के निष्पादन के लिए अनुबंध किया था। ट्रांसफॉर्मर संबंधी कार्य को बहुत ही कम दर्जे का अर्द्ध-कुशल कार्य कहते हैं जिसके लिए अक्टूबर, 2012 में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम भत्ता 205.07 रु0 प्रतिदिन था।

4.271 आयोग ने आगे प्रेक्षण किया कि जिला मजिस्ट्रेट ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण कॉरपोरेशन लिमिटेड को जिस मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया था उसकी गणना स्पष्ट रूप से उन निष्कर्षों के आधार पर की गई थी इन दोनों कर्मचारियों के कृत्यों की संभाव्य देनदारी क्या होगी। आयोग ने इस आकलन पर सहमत व्यक्त की लेकिन यह निर्णय भी लिया कि कॉरपोरेशन, पीडित की चोट की गंभीरता और उसके अधिकारों के हनन के अनुपात में पीडित को मुआवजा देने के लिए बाध्य है।

4.272 आयोग ने इंगित किया कि वर्कमेन्स कम्पेनसेशन एक्ट में दिया गया फार्मूला उस मुआवजे, जिसके लिए शिकायतकर्ता का पुत्र हकदार है, की गणना करने का वस्तुनिष्ठ आधार प्रदान करता है। एक ऐसा कार्य

जिसे अर्द्ध-कुशल माना जाता है, को निष्पादित करने के लिए वो एक महीने में 5000/-रु0 से अधिक का हकदार है लेकिन अधिनियम में निर्धारित सीमा 4000/-रु0 की है इसलिए दी जाने वाली राहत या मुआवजा $4000 \times 60 \text{ प्रतिशत} \times 226.38 = 5,43,312/-रु0$ होगा।

4.273 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 में प्रावधान है कि जब आयोग द्वारा की गई जांच में “किसी लोक सेवक द्वारा किए गए मानव अधिकारों के उल्लंघन का या मानव अधिकारों के उल्लंघन की रोकथाम में लापरवाही का खुलासा” हो जाने पर आयोग “संबंधित सरकार या प्राधिकारी से, शिकायतकर्ता या पीडित या उसके परिवार के सदस्यों – जैसा आयोग को उचित लगे – को मुआवजे या हर्जाने का भुगतान करने की सिफारिश कर सकता है”।

4.274 आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शिकायतकर्ता के पुत्र को उसकी स्थायी अक्षमता के लिए कम से कम वर्कमैन्स कम्पनसेशन एक्ट में दिए गए स्तर के अनुसार मुआवजा दिया जाना चाहिए। आयोग ने आगे यह कहा कि शिकायतकर्ता का पुत्र, लोक सेवाओं की लापरवाही के कारण अपने अधिकारों के गंभीर उल्लंघन की वजह और अधिक राहत का हकदार है। आयोग ने माना कि इस मामले में कुल 6,00,000/-रु0 का भुगतान बिलकुल सही रहेगा। अतः आयोग ने अपनी दिनांक 22 नवम्बर, 2013 की कार्यवाही में कॉरपोरेशन से कहा कि वो पीडित को पहले दिए जा चुके 80,000/-रु0 के अलावा पांच लाख बीस हजार रु0 की अतिरिक्त राशि का भुगतान करे। आयोग ने कॉरपोरेशन को इस संबंध में दिनांक 24 जनवरी, 2013 तक एक रिपोर्ट भेजने का भी निदेश दिया।

4.275 आयोग ने पुलिस अधीक्षक (देहात) जिला आगरा को भी निदेश दिया कि वो एफ0आई0आर0 संख्या 273/13 से संबंधित जांच के परिणाम के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

4.276 जवाब में अधिशासी अभियंता (प्रशा0) दक्षिणांचल विद्युत वितरण कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आयोग को सूचित किया कि मामले की जांच की जा रही है तथा उन्हें एक महीने का अतिरिक्त समय चाहिए।

4.277 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा ने सूचित किया कि पुलिस स्टेशन अतमदपुर में भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338 के तहत दर्ज मामला अपराध संख्या 275/13 में एक चार्ज शीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई।

4.278 आयोग ने अपनी दिनांक 10 फरवरी, 2014 की कार्यवाही में अधिशासी अभियंता (प्रशा0) के अनुरोध को स्वीकार किया और उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष को आठ महीने के अंदर 5,20,000/-रु0 के भुगतान (पीडित अमन) का साक्ष्य प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

4.279 अनुपालन रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

**30. ग्राम भुकरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में बिजली का करंट लगने के कारण एक 10 वर्षीय लड़के के दोनों हाथों का खो जाना
(मामला संख्या 169/8/2/2012)**

4.280 आयोग के संज्ञान में दिनांक 12 जून, 2012 के 'ट्रिब्यून दिल्ली' में 'पॉवर बोर्ड ने चोट के दर्द के साथ बेइज्जती भी दी – बोर्ड की लापरवाही के कारण अपने दोनों हाथों को गंवाने वाले लड़के को केवल 5,000/—रु० का भुगतान' छपी एक खबर आई। रिपोर्ट के अनुसार ग्राम भुकरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के एक दस वर्षीय लड़के रोहित ने दिनांक 18 मार्च, 2012 को अपने ग्राम के निकट के खेतों में खेलते हुए झाड़ियों में पड़े एक नंगी तार से करंट लग जाने के बाद दोनों हाथ गंवा दिए। रिपोर्ट में आगे यह कहा गया कि विभाग ने उसके संताप और इस त्रासदीपूर्ण घटना के प्रति सहृदयता दिखाते हुए उसे 5000/—रु० की आंशिक क्षतिपूर्ति प्रदान की थी। पीड़ित के पिता ने यह आरोप भी लगाया कि वह अपने बेटे को नूरपुर के सरकारी अस्पताल में ले गया जहां डॉक्टरों ने रोहित का ऑपरेशन किया और उसे विकलांग बनाते हुए उसकी दोनों बाजुएं काट दीं। उसने यह आरोप भी लगाया कि बिजली विभाग से कर्मचारी आए और उन्हें 5000/—रु० दिए और उन्होंने इस बच्चे की जिन्दगी को नष्ट करने वाली त्रासदी की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हुए हमसे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि कार्यकारी अभियंता, हिमाचल प्रदेश, राज्य बिजली बोर्ड, चम्बा को इस घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं।

4.281 आयोग ने प्रेस रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए अपनी दिनांक 14 जून, 2012 की कार्यवाही में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को इस मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया। आयोग ने इसके अलावा अधिशासी अभियंता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को इस घटना से संबंधित जांच की स्थिति का ब्यौरा प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

4.282 आयोग के निदेशों के अनुसरण में अधिशासी अभियंता, ऑपरेशन सर्किल, हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एच पी एस ई बी एल) ने इस मामले की जांच करने के लिए गठित की गई 3 सदस्यों की समिति की जांच रिपोर्ट सहित अपनी रिपोर्ट भी अग्रेषित की। जांच समिति के निष्कर्ष निम्नानुसार थे :

4.283 “सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि चट्टान के उपर चढ़ने के बाद तार/कंडक्टर की उंचाई 5 फुट ग्यारह इंच थी जो किसी बच्चे की प्रत्यक्ष पहुंच से बाहर है, हो सकता है कि बच्चा बिना कुछ सोचे समझे चट्टान के उपर चढ़कर किसी चीज के प्रयोग से 11 किलोवाट की हाई टेंशन तार/कंडक्टर के संपर्क में आया होगा या उसने अर्थ वॉयर को खींचने का प्रयास किया होगा जो करंट वाली तार के साथ जुड़ गई होगी और उसके परिणामस्वरूप करंट लगा होगा। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि धरातल से चट्टान की उंचाई 8 फुट 11 इंच है और धरातल से कंडक्टर की कुल उंचाई 14 फुट 10 इंच है।”

4.284 जांच समिति ने जांच के दौरान पाया कि खेतों के उपर से जा रही 11 किलोवाट हाई टेंशन लाईन की एक तार, सिंगल पोल स्ट्रक्चर के टेडा हो जाने और इंसुलेटर से बंधे कंडक्टर के ढीला हो जाने के कारण नीची हो गई थी अर्थात चट्टान से केवल 5 फुट 11 इंच रह गई थी। मास्टर रोहित चट्टान के पास बेहोशी की हालत में तथा दोनों हाथ गंभीर रूप से जली हुई अवस्था में मिला था। वह चट्टान हाई टेंशन लाईन के नीचे थी।

4.285 जांच समिति की रिपोर्ट में घटना की एफ0आई0आर0 का उल्लेख है। तथापि, एफ0आई0आर0 की प्रति रिपोर्ट के साथ संलग्न नहीं थी। पुलिस अधीक्षक, चम्बा को यह सूचित करने का निदेश दिया गया कि यदि प्रश्नगत घटना की एफ0आई0आर0 दर्ज की गई थी तो की गई जांच का निष्कर्ष भी चार सप्ताह के अंदर-अंदर एफ0आई0आर0 की प्रति सहित आयोग को अग्रेषित की जाए।

4.286 पुलिस अधीक्षक, चम्बा ने दिनांक 17.9.12 के पत्राचार से सूचित किया कि ग्राम भुकराई इस क्षेत्र में स्थित नहीं है और ऐसी कोई एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की गई थी।

4.287 हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव से भी एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि विद्युत बोर्ड ने पीडित के परिवार को दिनांक 19 जून, 2012 को 1,50,000/-रु के मुआवजे का भुगतान कर दिया था। यह भी सूचित किया गया कि उपायुक्त, चम्बा ने बच्चे के परिवार को अलग से 50,000/-रु की राशि प्रदान की थी।

4.288 आयोग ने तीन सदस्यों की समिति की रिपोर्ट की जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह रिपोर्ट अनुमान एवं कल्पना पर आधारित थी। चट्टान के पास ऐसे किसी साक्ष्य का पता नहीं चला जिसका प्रयोग बच्चे ने अनजाने में किया होगा। इसके अलावा रिपोर्ट में ही यह उल्लेख किया गया कि सिंगल पोल स्ट्रक्चर के टेडा हो जाने तथा इंसुलेटर से बंधे कंडक्टर के ढीला हो जाने के कारण ट्रांसमिशन लाईन नीची हो गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रांसमिशन लाईन का रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा था और लापरवाह अधिकारी को बचाने के लिए समिति ने मामले को दबाने का प्रयास किया है। इसलिए, आयोग इस बात से पूर्णतः संतुष्ट है कि लापरवाही की जवाबदेही राज्य की है।

4.289 करंट लगने के कारण बच्चा स्थायी रूप से अक्षम हो गया और करंट लगने के बाद का यह दुख उसके साथ सारी जिन्दगी रहेगा। उसके परिवार को दिया गया 2,00,000/-रु का मुआवजा अपर्याप्त है। सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए आयोग ने अपनी दिनांक 15 अप्रैल, 2013 की कार्यवाही में हिमाचल प्रदेश सरकार से पूर्व में भुगतान की गई राशि को समायोजित करते हुए पीडित को 5,00,000/-रु की राशि का भुगतान करने की सिफारिश की।

4.290 आयोग के निदेशों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव ने सूचित किया कि पीडित नवल कुमार उर्फ रोहित कुमार ने उचित मुआवजे के लिए तथा हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में उसके मुआवजे के मामले को जारी रखने के लिए हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्ल्यू0पी0

संख्या 475/2013 दर्ज की थी। तथापि, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने पीडित को मुआवजे रूप में भुगतान करने के लिए 5,00,000/-रु० की राशि हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में जमा करा दी थी।

4.291 चूंकि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने मुआवजे की राशि पहले ही माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में जमा कर दी थी इसलिए आयोग ने अपनी दिनांक 22 जुलाई, 2013 की कार्यवाही में मामले को बंद कर दिया।

ज) मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक दंगे

31. मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगों के संबंध में आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान (मामला संख्या 34257/24/57/2013)

4.292 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के बारे में निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया :

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर तथा आसपास के इलाकों में हुए दंगों से बुरी तरह से आहत है। आयोग इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से उबरने के लिए समाज के सभी वर्गों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील करता है।

दंगों के कारण सबसे ज्यादा तकलीफ आम आदमी को होती है क्योंकि लोगों को अपनी आम सुविधाएं जैसे कि भोजन, पानी, स्वास्थ्य आदि जुटाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। सरकारी एजेंसियां परिस्थिति को नियंत्रित एवं सामान्य बनाने का प्रयास कर रही हैं और आयोग भी इस पर नजर बनाए हुए है।

आयोग, सरकारी एजेंसियों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता है कि इस प्रक्रिया में लोगों के मानव अधिकारों का हनन न हो। आयोग उन सभी पीडित परिवारों के प्रति सहानुभूति रखता है जिन्होंने इस हिंसक संघर्ष में अपने करीबी लोगों को खोया है। आयोग आशा करता है कि राज्य सरकार पीडितों तथा उनके परिवारों को यथोचित मुआवजा देने और दोषियों को सजा देने के लिए यथोचित कार्रवाई करेगी। राज्य सरकार को स्थिति को नियंत्रित करके तथा समाज में सांप्रदायिक सौहार्द एवं शांति बहाल करके सख्त उपाय भी करने होंगे ताकि जान और माल का कोई भावी नुकसान न हो। ”

4.293 आयोग ने मामले को स्वतः संज्ञान में लिया और उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित इलाकों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विस्थापित व्यक्तियों के राहत एवं पुनर्वास हेतु किए गए प्रबंधों, इसके अतिरिक्त उठाए जाने वाले अपेक्षित कदम तथा सरकारी तंत्र की ओर से हुई खामियों का आकलन करने के लिए एक टीम भेजने का निर्णय लिया।

4.294 तदनुसार, अन्वेषण प्रभाग की एक टीम ने दिनांक 7 एवं 8 जनवरी, 2014 को शामली एवं मुजफ्फरनगर जिलों के राहत शिविरों का दौरा किया और निम्नलिखित निष्कर्षों सहित एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की :

- i) यह एक सच्चाई है कि तीन राहत शिविरों — एक राहत शिविर जिला मुजफ्फरनगर में नामतः लोई राहत शिविर तथा दो राहत शिविर शामली जिले में नामतः कांदला ईदगाह राहत शिविर तथा तैमूरशाह ईदगाह राहत शिविर क्रमशः 31 दिसम्बर, 2013; 2 जनवरी, 2014 तथा 5 जनवरी, 2014 को बंद कर दिए गए थे।
- ii) राहत शिविरों को हटाने या बंद करने में जिला प्रशासन द्वारा किसी उपरी दबाव का प्रयोग दिखाई नहीं देता। तथापि, यह पाया गया कि जिला प्रशासन, राहत शिविर में रहने वालों को अपने निवास स्थान वापिस लौटने के लिए मनाने में सक्रिय रूप से लिप्त था।
- iii) पहले टूटे-फूटे राहत शिविरों में रहने वाले परिवार, शिविरों को छोड़ने के बाद आसपास के गांवों में स्थापित हो गए थे या फिर अपने पैतृक गांवों में चले गए थे।
- iv) विद्यमान शिविरों में रहने वाले लोगों द्वारा राहत सामग्री में कमी या अभाव के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई।
- v) वर्तमान में जिला शामली में केवल 8 राहत शिविर कार्यशील हैं लेकिन जिला मुजफ्फरनगर में कोई राहत शिविर नहीं

4.295 दिनांक 15 से 17 जनवरी, 2014 तक लखनऊ में हुई आयोग की शिविर बैठक के दौरान मामले को उठाया गया। चर्चा के दौरान राज्य सरकार के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर तथा शामली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों और शिविरों में रह रहे विस्थापित व्यक्तियों के राहत एवं पुनर्वास हेतु उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में बताया। आयोग ने राज्य सरकार से निम्नलिखित के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा :

- i) अभी भी चलाए जा रहे राहत शिविरों की संख्या तथा उनमें रह रहे सदस्यों की संख्या। क्या जिला प्रशासन के पास उन प्रभावित व्यक्तियों के बारे में जानकारी है जो दंगों के बाद शिविरों तथा अपने आवासों को छोड़ कर चले गए हैं।
- ii) बलात्कार एवं यौन हिंसा के मामलों सहित आपराधिक मामलों के संबंध में हुई प्रगति। जांच कार्रवाई, गिरफ्तारी आदि के बारे में स्थिति।
- iii) मृत्यु, चोट तथा यौन अपराधों के संबंध में मुआवजा। स्थिर तथा अस्थिर संपत्ति को हुए नुकसान तथा उसके संबंध में दिए गए मुआवजे के आकलन की स्थिति।
- vi) शिविरों में मारे गए बच्चों सहित प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान।

4.296 मामला अभी आयोग के विचाराधीन है।

i) छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी हमला

32. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिनांक 25 मई, 2013 को छत्तीसगढ़ में हुए नक्सलवादी हमले की निन्दा की
(मामला संख्या 476/33/1/2013)

4.298 “राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 25 मई को छत्तीसगढ़ में हुए इस बर्बर आक्रमण जिसमें नक्सलवादियों द्वारा कई लोगों की हत्या की गई, कुछ को वो जीवित ले गए, से आहत है। आयोग इस क्रूरता की निन्दा करता है और नक्सलवादियों से अनुरोध करता है कि वे हिंसा को त्याग दें जिससे उन ग्रामवासियों की स्थिति और भी बदतर बन गई है जिनके समर्थन में वे लडने का दावा करते हैं।

4.299 आयोग ने छत्तीसगढ़ में हो रही घटनाओं का अनुसरण किया। सालवा जुदुम तथा राहत शिविरों जिसमें इस हिंसा के विस्थापित व्यक्तियों को आश्रय दिया गया था, के बारे में उच्चतम न्यायालय को दी अपनी रिपोर्ट के बाद आयोग के विशेष प्रतिवेदकों एवं अधिकारियों ने राज्य का अनुवर्ती दौरा किया। अध्यक्ष के नेतृत्व में आयोग के सभी सदस्य अप्रैल 2013 में छत्तीसगढ़ गए और रायपुर में एक शिविर बैठक आयोजित की जहां अन्य बातों के साथ-साथ हिंसा से बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों के प्रतिवेदन को सुना गया। आयोग के अधिकारियों के साथ दो सदस्यों ने बस्तर क्षेत्र, जहां सबसे गंभीर नुकसान हुआ, में हो रहे विकास का प्रथम दृष्टया अनुमान लगाने के लिए दांतेवाड़ा का दौरा किया।

4.300 आयोग को यह स्पष्ट था कि नक्सलवादियों ने अब जरूरतमंदों तक सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की पहुंच को पूरी तरह असंभव बना दिया है। निर्धनों तथा सबसे संवेदनशील की दशा, जिनकी ओर से नक्सलवादी शस्त्र उठाने का दावा करते हैं, और भी बदतर हो गई है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधाएं दुर्लभ ही उपलब्ध कराई जाती हैं; केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ही कार्य करने की अनुमति है क्योंकि इसी खाद्य आपूर्ति का एक भाग नक्सलवादियों का भी पोषण करता है। इन गरीब, भूखे, अनपढ़ परिवारों के बच्चे एक ऐसा पोखर हैं जहां से नक्सलवादी अपने कैडर की भर्ती करते हैं। इसलिए, नक्सलवादियों के लिए हिंसा उपयोगी है। ऐसा कोई उचित कारण नहीं है जिसके लिए वो हिंसा का इस्तेमाल करते हैं।

4.301 आयोग इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित है कि नक्सलवादियों के इस हमले से हिंसा का स्तर एक बार फिर से बढ़ जाएगा क्योंकि राज्य, दोषियों को गिरफ्तार करने या मारने का प्रयास करेगा। पुलिस अधिकारियों ने आयोग को इस बात की पुष्टि की है कि जब नक्सलवादी कहीं घिर जाते हैं तो वे अपने हितैषी गांववालों का प्रयोग मानव कवच के रूप में करते हैं। अन्य ग्रामीणों के पास नक्सलवादियों के आदेशों को मानने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता है, लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें नक्सलवादियों का समर्थक बताती है और उन्हें परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अतः आयोग ने केन्द्र एवं राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि क्षेत्र के बेगुनाह ग्रामीण, जो पहले से ही इस हिंसा से पीड़ित हैं, नक्सलवादियों के खिलाफ होने वाली जवाबी कार्रवाई में और पीड़ा नहीं सहेंगे।”

4.302 आयोग ने ओडिशा उच्च न्यायालय के अधिवक्ता निशिकांत मिश्रा से प्राप्त शिकायत का संज्ञान लिया। निशिकांत मिश्रा ने आरोप लगाया कि दिनांक 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बड़ी संख्या में सशस्त्र माओवादियों के हमले के कारण कांग्रेस पार्टी के कुछेक वरिष्ठ नेताओं सहित 30 व्यक्ति मारे गए तथा 30 अन्य घायल हो गए। आरोप लगाया गया कि यह हमला सरकार की अन्वेषण एजेंसियों की असफलता तथा अपर्याप्त सुरक्षा प्रबंधों का नतीजा था। इसी घटना के बारे में दो अन्य शिकायतें प्राप्त हुईं और उन्हें इसी मामले के साथ जोड़ दिया गया।

4.303 आयोग ने अपनी दिनांक 28 मई 2013 की कार्यवाही में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ तथा सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली से इस मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।

4.304 नोटिस के जवाब में अवर सचिव, गृह विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार ने यह कहते हुए डी0आई0जी0, सी.आई.डी., पुलिस मुख्यालय, रायपुर की रिपोर्ट अग्रेषित की कि राज्य सरकार ने जांच के लिए बिलासपुर स्थित उच्च न्यायालय के न्यायविद श्री पी0के0 मिश्रा की अध्यक्षता में एकल आयोग गठित किया है। यह भी कहा गया कि रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

4.305 अवर सचिव, गृह विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार ने आगे यह भी सूचित किया कि जांच आयोग के कार्यकाल को छः माह के लिए अर्थात् दिनांक 28 फरवरी, 2014 से 27 अगस्त, 2014 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

4.306 आयोग द्वारा अभी मामले पर विचार किया जा रहा है।

33. मनरेगा में भ्रष्टाचार

(मामला संख्या 547/6/1/2013)

4.307 आयोग को ग्राम पंचायत, मेलज, वीरमघाम तालुक, जिला अहमदाबाद, गुजरात के एक भूतपूर्व सदस्य श्री अजमलभाई देसाई से एक शिकायत प्राप्त हुई कि उन्हें आर0टी0आई0 के माध्यम से गांव में मनरेगा में भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विष्णुभाई ठाकुर तथा चार अन्य लोगों ने उन्हें और उनके बेटे पर हमला किया और उनके बेटे के सिर पर गंभीर चोटें आईं। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि उनकी शिकायत पर वीरमगांव देहात की पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की उचित धाराओं के तहत एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की गई और यह कि वी0एस0 जनरल अस्पताल, अहमदाबाद के डॉक्टरों ने इलाज उपलब्ध कराने में उचित ध्यान नहीं दिया। इसके अतिरिक्त, विष्णुभाई ठाकुर की शिकायत पर पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उनके उपर एक झूठा मामला भी दायर कर दिया गया।

4.308 आयोग के निदेशों के अनुसरण में अन्वेषण विभाग द्वारा मामले का स्पॉट निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान अन्वेषण प्रभाग की टीम ने मनरेगा के एक कार्य जो तथाकथित रूप से मेलज ग्राम में किया जा रहा है, में भारी मशीनों (ट्रेक्टर तथा जे0सी0बी0) का प्रयोग और मशीनरी के प्रयोग के लिए नकद भुगतान करता हुआ पाया गया जो कि मनरेगा स्कीम के दिशानिर्देशों में निहित उपबंधों का उल्लंघन है।

4.309 टीम ने प्रेक्षण किया कि वर्ष 2011-12 के दौरान ग्राम मेलज तथा कादीपुर में किए गए सभी 14 मनरेगा कार्यों के संबंध में समापन प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किए गए थे, यहां तक कि जिला अधिकारियों द्वारा निरीक्षण और अनिवार्य सोशल ऑडिट भी नहीं किया गया था। विष्णुभाई कनाबभाई ठाकुर तथा चार अन्यो ने शिकायतकर्ता और उसके पुत्र पर दिनांक 29 अगस्त, 2012 को हमला किया था। इस अपराध के संबंध में उपयुक्त धाराएं नहीं लगाई गईं, हालांकि यह पाया गया कि शिकायतकर्ता के पुत्र प्रागभाई अजमलभाई देसाई के सिर के पिछले हिस्से में फ्रेक्चर था और वी0एस0 अस्पताल की एम0एल0सी0 रिपोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि की। यहां तक कि पुलिस ने भी टीम का दौरा किए जाने की तारीख तक दस्तावेजीय साक्ष्य एकत्रित नहीं किए थे।

4.310 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जांच टीम ने पाया कि शिकायतकर्ता ने अपने खिलाफ पुलिस स्टेशन सानन्द में दिनांक 28 सितम्बर, 2012 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दर्ज कराई गई झूठी मामला एफ0आई0आर0 संख्या 198/12 में फंसाने का जो आरोप लगाया था – वो सही था। शिकायतकर्ता जिसके साथ एफ0आई0आर0 के मुखबिर की पुरानी रंजिश थी, के खिलाफ बेबुनियाद रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसके अलावा, एफ0एस0एल0 रिपोर्ट ने भी मुखबिर के वृत्तांत का समर्थन नहीं किया। इसके अतिरिक्त, एफ0आई0आर0 संख्या 198/12 में तथाकथित आरोपी (राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को शिकायत करने वाला) ने भी इंगित किया कि घटना वाले दिन (अर्थात 28 सितम्बर, 2012) को वह गांधी नगर में था और घटना के समय वो उस क्षेत्र के आसपास भी नहीं हो सकता जहां तथाकथित घटना घटी थी।

4.311 जांच से भी यह बात सामने आई कि मनरेगा निधियों का दुरुपयोग किया गया।

4.312 जांच टीम के निष्कर्षों के आधार पर आयोग ने अपनी दिनांक 24 जून, 2013 की कार्यवाही में निम्न निदेश दिए :

- i) पुलिस महानिदेशक, गुजरात से पुलिस स्टेशन सानन्द में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दर्ज मामला सी0आर0 संख्या 2012 का 198 को तथा पुलिस स्टेशन वीरमगांव में पंजीकृत एफ0आई0आर0 संख्या 2012 का 93 की जांच को सी0बी0सी0आई0डी0, अहमदाबाद को हस्तांतरित करने या पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद को सौंपने के लिए कहा गया।
- ii) प्रथम-दृष्टया साक्ष्यों – कि मनरेगा की निधियों का दुरुपयोग हुआ है, के आलोक में सच्चाई का पता लगाने और दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच कराई जानी चाहिए।

यह निधियां केन्द्र सरकार की हैं इसलिए राज्य सरकार से पूछा जाना चाहिए कि इसकी जांच सी0बी0आई0 के सुपुर्द क्यों नहीं की जाए।

- iii) वर्ष 2011-12 और उसके बाद जिला अहमदाबाद में वीरमगांव तालुक में मनरेगा के तहत किए गए सभी कार्यों का ऑडिट दिशानिर्देशों के 13.5.4 तथा 13.5.5 के उपबंधों के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखाकार (सी0ए0जी0), गुजरात द्वारा किया जाएगा।
- iv) चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, गुजरात को, जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण (डी आर डी ए) के दिनांक 20 दिसम्बर, 2012 और 19 फरवरी, 2013 के पत्र द्वारा सामने लाई गई पोस्टल विभाग के कार्यों में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

4.313 अनुस्मारकों के बावजूद प्राधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं।

ज) प्राकृतिक आपदाएं

34. उत्तराखंड राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से तबाह संपत्तियां तथा मानव जीवन के नुकसान की महात्रासदी
(मामला संख्या 1170/35/0/2013)

4.314 आयोग ने उत्तराखंड राज्य में बाढ़ तथा भूस्खलन के कारण नष्ट हुई संपत्ति तथा मानव जीवन की हानि संबंधी हुई महात्रासदी के बारे में विभिन्न रिपोर्टों का संज्ञान लिया। इसी विषय पर कुछ शिकायतें भी प्राप्त हुई और उन्हें पंजीकृत करके मुख्य फाईल अर्थात् मामला संख्या 1170/35/0/2013 के साथ लिंक कर दिया गया।

4.315 दिनांक 24.6.2013 को मामले को संज्ञान में लेते हुए आयोग ने उत्तराखंड में बाढ़ और भूस्खलन से हुए संपत्ति के नुकसान और मानवीय जीवन की हानि की इस महात्रासदी संबंधी रिपोर्टों पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग ने सुरक्षा बलों तथा अन्य एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की जो हजारों प्रभावित व्यक्तियों को बचाने के लिए मुश्किल भू-भागों तथा कठिन परिस्थितियों में भी प्रशंसनीय रूप से कार्य कर रहे थे। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बाढ़ के कारण हजारों की संख्या में ऋद्धालू तथा पर्यटक जहां-तहां फंसे हुए थे और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग बेघर हो गए थे और उन्हें भोजन एवं आवास की तत्काल जरूरत थी। आयोग ने आशा की कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार इन अभागे लोगों को बचाने और इनके पुनर्वास के लिए यथोचित कदम उठाएगी।

4.316 आयोग ने उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव को निम्नलिखित के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया –

- 1) सभी फंसे हुए लोगों के बचाव एवं उन्हें बाहर निकालने के संबंध में की गई कार्रवाई तथा अब तक हुई प्रगति;

- 2) बाढ़ के कारण विस्थापित और बेघर हुए लोगों के लिए सरकार द्वारा आश्रय, भोजन, चिकित्सा सहायता तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं कराने के संबंध में उठाए जा रहे कदम;
- 3) जिन लोगों के घर एवं आजीविका आदि के साधन नष्ट हो गए हैं उन्हें पुनर्वासित करने के लिए उठाए जा रहे कदम;
- 4) जिन लोगों की मृत्यु हो गई है या जो घायल हो गए हैं उनके लिए किसी प्रकार की वित्तीय राहत, यदि कोई है;
- 5) भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने या उनसे बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित कदम।

4.317 आयोग ने अपने विचार व्यक्त किए कि राज्य सरकार को इस मुश्किल परिस्थिति से पार पाने में भारत सरकार के पूर्ण समर्थन की आवश्यकता है। अतः भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को उत्तराखंड सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पहले किए गए उपायों तथा प्रस्तावित उपायों का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

4.318 आयोग ने प्रेक्षण भी किया कि जरूरी सतत राहत एवं पुनर्वास प्रयासों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन तथा बुनियादी वास्तविकताओं पर एक स्वतंत्र रिपोर्ट भी आवश्यक होगी। इसलिए आयोग ने परिस्थिति के स्थल मूल्यांकन के लिए महानिदेशक को एक टीम गठित करने का निदेश दिया। टीम को राज्य सरकार के पदाधिकारियों से लेकर परिस्थिति का आकलन करने के लिए कहा गया और इस आकलन के बाद टीम को राहत केन्द्रों का दौरा करने और बाढ़ एवं भूस्खलन के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं का, प्रभावित व्यक्तियों के लिए जरूरी राहत का तथा लोगों के पुनर्वास के संबंध में वास्तविक रूप से उठाए गए कदमों का अध्ययन करने के लिए राज्य के तीन सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों का दौरा करने के लिए कहा गया। टीम को क्षेत्र में सक्रिय गैर सरकारी संगठनों की सहायता को भी सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया।

4.319 पूर्ण आयोग की बैठक में उपस्थित सदस्यों, रजिस्ट्रार (विधि), डी0आई0जी0 तथा संयुक्त रजिस्ट्रार (विधि) ने अपना एक दिन का वेतन राज्य सरकार के राहत कोष में जमा करने का निर्णय लिया। आयोग के अन्य पदाधिकारियों, अधिकारियों तथा स्टॉफ को भी इसी प्रकार का अंशदान करने का अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।

4.320 इसके जवाब में उपसचिव (आपदा प्रबंधन 1), गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन विभाग), नई दिल्ली ने उत्तराखंड सरकार के प्रयासों का समर्थन देने के लिए किए गए उपायों के संबंध में एक संक्षिप्त नोट अग्रेषित किया। भारत सरकार के अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली ने भी दिनांक 26 जून, 2013 के पत्राचार की प्रति पृष्ठांकित की।

4.321 दिनांक 15 से 18 जुलाई 2013 तक उत्तराखंड राज्य के दौरे के बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ने अपने दिनांक 5 अगस्त 2013 के नोट द्वारा अपनी सिफारिशों के साथ-साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

4.322 आयोग ने सचिव, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन विभाग), नई दिल्ली तथा मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार को आवश्यक उपचारात्मक कार्य/उपाय करने तथा स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया। आयोग ने रिपोर्ट की एक प्रति राज्य मानव अधिकार आयोग को सूचनार्थ प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया।

4.323 आयोग, उत्तराखंड सरकार से प्राप्त जवाब पर विचार कर रहा है।

य) अन्य मामले

35. *अक्षमों के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं तथा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए अपनी टीम के लक्षद्वीप दौरे की रिपोर्ट पर आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान*

4.324 आयोग ने अक्षमों के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं तथा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए मुक्त जन सुनवाई आयोजित करने के लिए संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप का दौरा करने का निर्णय लिया। श्री ए0के0 पराशर, संयुक्त रजिस्ट्रार (विधि) ने दिनांक 23 अप्रैल 2013 से 30 अप्रैल 2013 तक लक्षद्वीप का दौरा किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने तीन मुख्य बिन्दुओं पर अपनी जांच को केन्द्रित किया अर्थात् –

1. अक्षम व्यक्तियों के संबंध में
2. लोक स्वास्थ्य के संबंध में
3. पुलिस (कानून एवं व्यवस्था) के संबंध में

4.325 टीम ने दौरे के बाद विस्तृत प्रेक्षणों एवं सिफारिशों के साथ माननीय सदस्य न्यायविद श्री बी0सी0 पटेल, जिन्हें पूर्व में लक्षद्वीप का दौरा करने वाले आयोग के शिष्टमंडल का अध्यक्ष नामित किया गया था, को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। माननीय सदस्य ने निदेश दिया कि रिपोर्टों के आधार पर मामला दर्ज किया जा सकता है। तदनुसार, तीन मामले अर्थात् 24/31/0/2013, 25/31/0/2013 तथा 26/31/0/2013 दर्ज किए गए और संबंधित प्राधिकारियों को सम्मन जारी किए गए।

4.326 इन मामलों को दिनांक 11 जुलाई 2013 को उठाया गया जब निम्नलिखित अधिकारी, आयोग के समक्ष उपस्थित हुए –

1. श्रीमती स्तुति काकेर, सचिव, अक्षमता मामले विभाग, भारत सरकार
2. श्री वी0सी0 पाण्डेय, सचिव, सामाजिक कल्याण, संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप
3. श्री परमादित्य, पुलिस अधीक्षक, संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप
4. श्री वी0के0 एस. रॉव, निदेशक, अक्षमता मामले विभाग, भारत सरकार
5. श्री असरपाल सिंह, उप-आवासीय आयुक्त, संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप

4.327 अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद आयोग ने सचिव, सामाजिक कल्याण और पुलिस उपाधीक्षक, संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप को छह माह के अंदर आयोग को की गई कार्रवाई संबंधी एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करने का निदेश दिया। आयोग ने विचार-विमर्श के दौरान उपस्थित अधिकारियों को तीन महीने के बाद की गई कार्रवाई की पुनरीक्षा करने के लिए एक बार फिर लक्षद्वीप का दौरा करने का निदेश दिया।

4.328 आयोग के निदेशानुसार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की एक टीम ने अपने माननीय सदस्य न्यायविद श्री डी0 मुरुगेसन की अध्यक्षता में दिनांक 24 से 28 फरवरी, 2014 तक संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित प्रेक्षण एवं सिफारिशों की –

प्रेक्षण / निष्कर्ष

4.329 स्थल दौरे, मुक्त लोक सुनवाई तथा अधिकारियों के साथ हुए संवाद के आधार पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम द्वारा किए गए प्रेक्षण / निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

- (क) निम्नस्तरीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संबंधी बहुत सी शिकायतें एवं मुद्दे हैं। लक्षद्वीप प्रशासन के बड़े-बड़े वादों के बावजूद भी चिकित्सा सुविधाएं संतोषजनक नहीं हैं। आर0जी0 स्पेशियलेटी हॉस्पिटल, अगाती की कार्यप्रणाली एवं प्रबंधन में बहुत खामियां नजर आईं।
- (ख) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ने आंगनवाडी केन्द्रों की कार्यप्रणाली में रजिस्टर एवं रिकार्ड के अनुचित रखरखाव सहित बहुत अधिक मात्रा में अनियमितता, खामिया तथा विषमता का उल्लेख किया।
- (ग) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अप्रैल 2013 के पिछले दौरे के दौरान दिए गए सुझावों का अभी तक अनुपालन नहीं हुआ। अलग-अलग तरह से अक्षम व्यक्तियों तथा स्वास्थ्य विभाग संबंधी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिशों का अभी तक पूरी तरह से अनुपालन नहीं हुआ।

- (घ) लक्षद्वीप में 10 छोटे-छोटे द्वीप हैं और इसकी कुल जनसंख्या 64,000 है लेकिन प्रशासन और स्थानीय निवासियों के बीच विश्वास की कमी साफ नजर आती है। यह भी प्रेक्षण किया गया कि अधिकारीगण अपने अधीन आने वाली स्थापनाओं का निरीक्षण नहीं करते हैं। जिसके परिणामस्वरूप बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिनका समाधान हो सकता था, लंबित पड़े हैं और नागरिकों का संतुष्टि स्तर बहुत कम है। आयोग ने आंगनवाडी तथा आर0जी0 स्पेशियलेटी हॉस्पिटल की कार्यप्रणाली में अधिवीक्षण का अभाव भी देखा।
- (ङ) आयोग ने यह महसूस किया कि अगर स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक जो आर0जी0 स्पेशियलेटी हॉस्पिटल के प्रशासनिक प्रभारी और अगाती के उपायुक्त हैं द्वारा उचित अधिवीक्षण एवं नियमित निरीक्षण किया गया होता तो आर0जी0 स्पेशियलेटी हॉस्पिटल से संबंधित बहुत से समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता था। उनकी तरफ से निम्नस्तरीय अधिवीक्षण के कारण अस्पताल का प्रबंधन निम्नस्तरीय रहा और चिकित्सा सेवाओं की आपूर्ति भी निम्नस्तरीय रही।
- (च) वर्ष 2013 के दौरान किए गए पिछले दौरे के दौरान भी प्रशासक उपलब्ध नहीं थे। आयोग के वर्तमान दौरे के दौरान प्रशासक उपलब्ध नहीं थे इसलिए द्वीपसमूह से संबंधित मपदों से निपटने के लिए आयोग को उनकी सहायता प्राप्त नहीं हुई। इसके अलावा, मुक्त जन सुनवाई के लिए प्रशासन द्वारा उचित प्रचार-प्रसार भी नहीं किया गया।
- (छ) आयोग की सहायता के लिए कवरत्ती में श्री जे. अशोक, आई0ए0एस0, उपायुक्त सह विकास आयुक्त ही इकलौते वरिष्ठतम अधिकारी थे। उन्होंने लक्षद्वीप के मामलों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी और आयोग के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। ब्रीफिंग सत्र के दौरान भी उन्होंने शिकायतों को नोट किया और आयोग को आश्वासन दिया कि इनके संबंध में उचित एवं त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
- (ज) कवरत्ती में मुक्त जन सुनवाई के दौरान भूमि अधिग्रहण, भुगतान में विलम्ब, मुआवजे के भुगतान में भेदभाव तथा अनियमितताओं संबंधी बहुत सारी शिकायतें संज्ञान में आईं। प्रशासन को भूमि अधिग्रहण की शिकायतों से निपटने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है।
- (झ) प्रशासन ने स्वयं भी विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वयता के अभाव के कारण मनरेगा योजना के उचित कार्यान्वयन की असफलता को स्वीकार किया।
- (ण) निःशक्तजनों के लिए निर्धारित 75 रिक्तियों को प्राथमिक आधार पर भरने की आवश्यकता।
- (य) आई0जी0 अस्पताल में यह पाया गया कि वहां अस्थायी कार्मिकों की समस्या है जिन्हें स्थायी प्रकृति के रोजगार पर सतत आधार पर नियुक्त किया जाता है। यहां तक कि 16 मेडिकल डॉक्टर भी अनुबंध आधार पर कार्य कर रहे हैं।

- (र) अप्रैल 2013 में आयोग के पिछले दौर के दौरान कवरत्ती में जिला एवं सत्र न्यायालय के रिक्त पद का मुद्दा भी उठाया गया था। प्रशासन की अनुवर्ती कार्रवाई के कारण यह पता चला कि श्री बी0 रमाकांत को कवरत्ती का जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। प्रशासन द्वारा इस संबंध में एक पत्र आयोग को प्रस्तुत किया गया।

सिफारिशें

- (i) अस्पताल के अधिप्रापण एवं प्रशासन के विभिन्न पहलुओं में खामियों, कमियों तथा अनियमितताओं को सूचीबद्ध करते हुए उनके सुधार के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए आर0जी0 स्पेशियलेटी हॉस्पिटल का गहन ऑडिट करने की आवश्यकता है।
- (ii) स्थायी प्रकृति के रोजगार की पहचान करने की एक प्रक्रिया की शुरुआत की जानी चाहिए ताकि इन कार्यों को कर रहे अस्थायी कार्मिकों को अतिरिक्त पदों का सृजन करके नियमित किया जा सके।
- (iii) अनियमितताओं को दूर करने तथा आंगनवाडी केन्द्रों की कार्यशीलता के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही नियत करने के लिए आंगनवाडी का गहन सामाजिक ऑडिट तथा विभागीय ऑडिट सह निरीक्षण किया जाना चाहिए।
- (iv) बच्चों को उपलब्ध कराया जाने वाला मिड-डे मील का साप्ताहिक मीनू को आंगनवाडी केन्द्रों पर दर्शाया जाना चाहिए।
- (v) जल मार्ग के माध्यम से संपर्क बनाने के लिए 'एक्वेटिक एम्बुलेंस' के प्रावधान को अपनाया जाना चाहिए ताकि आर0जी0 स्पेशियलिटी अस्पताल, अगाती तक मरीजों को लाया जा सके।
- (vi) भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवादों/शिकायतों के निपटान के लिए, दावों के त्वरित एवं सस्ता समाधान सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से लोक अदालत संचालित की जानी चाहिए।
- (vii) निःशक्तजन के लिए नियत 75 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए।
- (viii) दौरे के दौरान आयोग को प्राप्त हुई याचिकाओं/शिकायतों पर उचित कार्रवाई करने तथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए लक्षद्वीप के प्रशासक को नोटिस जारी किए जाने चाहिए।

4.330 रिपोर्ट को माननीय अध्यक्ष के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया।

4.331 मामला वर्तमान में पूर्ण आयोग के विचाराधीन है।

36. राज्य में हुई चार आत्महत्याओं पर उत्तर प्रदेश के उच्चाधिकारी की टिप्पणियों पर आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान (मामला संख्या 19312/24/69/2013)

4.332 आयोग के समक्ष दिनांक 23 मई 2013 के 'दि इंडियन एक्सप्रेस' में 'उनकी टिप्पणी ने विवाद को जन्म दिया, उत्तर प्रदेश में उच्चाधिकारियों का स्थानांतरण' शीर्षक समाचार आया। इस खबर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसमें एक व्यक्ति ने दिनांक 22 मई 2013 को जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में अपने तीन बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली थी, का संदर्भ देने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव (गृह) की टिप्पणी का वर्णन किया गया। सचिव (गृह) से मीडिया के लोगों ने प्रश्न किया था कि एक व्यक्ति और उसके तीन बच्चों की आत्महत्या के पीछे क्या कारण है तो उन्होंने बिना किसी पीडा और संवेदनहीन तरीके से कुछ टिप्पणी की। उन्होंने दिनांक 22 मई, 2013 को राज्य के सोनभद्र जिले में आत्महत्या की।

4.333 उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अनुक्रम में एक उंचे पद पर आसीन उपरोक्त अधिकारी द्वारा अन्य मनुष्यों के प्रति मानवीय गरिमा एवं सहानुभूति के संबंध में दर्शाई गई असंवेदनशीलता तथा असम्मान की भर्त्सना करते हुए आयोग ने प्रेस रिपोर्ट को संज्ञान में लिया और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी। आयोग ने उस समाचार को भी नोट किया कि अधिकारी को सचिव (गृह) के पद से स्थानांतरित कर दिया गया है।

4.334 अनुस्मारकों के बावजूद भी राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

ख. कारावासों की स्थिति

क) जेलों का दौरा

4.335 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12(ग) के प्रावधान के तहत आयोग, कैदियों के रहने की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए, राज्य सरकार के अधीन किसी भी जेल या अन्य संस्थान का दौरा कर सकता है जहां व्यक्तियों को इलाज, सुधार या संरक्षण के लिए नजरबंद या रखा जाता है। तदनुसार, आयोग द्वारा नियुक्त किए गए विशेष प्रतिवेदक देश में विभिन्न जेलों का दौरा करते हैं और वहां पर व्याप्त परिस्थितियों का प्रेक्षण करने के बाद सुझाव एवं सिफारिशें करके आयोग को अपनी संवेदनशील एवं चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में मदद करते हैं।

4.336 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च 2014 तक की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा नियुक्त किए गए विशेष प्रतिवेदकों द्वारा निम्नलिखित जेलों का दौरा किया गया :

क्र०सं०	जेल/संस्थान का नाम	दौरे की तारीख	दौरा करने वाला
1	उप-कारावास, सोलन, हिमाचल प्रदेश	29 अप्रैल 2013	श्रीमती एस० जलाजा, विशेष प्रतिवेदक
2	केन्द्रीय जेल, हिमाचल प्रदेश	30 अप्रैल 2013	श्रीमती एस० जलाजा, विशेष प्रतिवेदक
3	केन्द्रीय जेल, आगरा, उत्तर प्रदेश	2-3 मई, 2013	श्री एस०के० तिवारी, विशेष प्रतिवेदक
4	उप-कारावास, दीमापुर, नागालैण्ड	11 जून 2013	श्री अनिल प्रधान, विशेष प्रतिवेदक
5	केन्द्रीय जेल, दीमापुर, नागालैण्ड	11 जून 2013	श्री अनिल प्रधान, विशेष प्रतिवेदक
6	जिला कारावास, कांकेड (बस्तर), छत्तीसगढ़	11-13 जून 2013	श्री पी०पी० माथुर, विशेष प्रतिवेदक
7	जिला कारावास, कोहिमा, नागालैण्ड	12 जून 2013	श्री अनिल प्रधान, विशेष प्रतिवेदक
8	जिला कारावास कांकर, छत्तीसगढ़	12 जून 2013	श्री पी०पी० माथुर, विशेष प्रतिवेदक
9	अमृतसर एवं गुरदासपुर की केन्द्रीय जेल तथा होशियार पुर, पंजाब की जिला जेल।	25 जून .27 जून, 2013	श्रीमती एस० जलाजा, विशेष प्रतिवेदक
10	महिला जेल, अगरतला, त्रिपुरा	15 जुलाई 2013	श्री अनिल प्रधान, विशेष प्रतिवेदक
11	केन्द्रीय जेल, मुम्बई	26-27 जुलाई 2013	श्री एस० रमानी, विशेष प्रतिवेदक
12	केन्द्रीय जेल, अगरतला, त्रिपुरा	29 जुलाई 2013	श्री अनिल प्रधान, विशेष प्रतिवेदक
13	मणिपुर केन्द्रीय जेल, इम्फाल	27 अगस्त 2013	श्री एस० नारायण, विशेष प्रतिवेदक
14	मणिपुर केन्द्रीय जेल, सजीवा	29 अगस्त 2013	श्री अनिल प्रधान, विशेष प्रतिवेदक
15	उप-कारावास, खुन्टी	10 सितम्बर 2013	श्रीमती एस० जलाजा, विशेष प्रतिवेदक
16	जिला कारावास, सिंहभूम	11 सितम्बर 2013	श्रीमती एस० जलाजा, विशेष प्रतिवेदक
17	केन्द्रीय जेल, जमशेदपुर	12 सितम्बर 2013	श्रीमती एस० जलाजा, विशेष प्रतिवेदक
18	बलाघाट जिला कारावास (मध्य प्रदेश)	24 सितम्बर 2013	श्री पी०पी० माथुर, विशेष प्रतिवेदक
19	जिला कारावास, भंडारा, महाराष्ट्र	26 सितम्बर, 2013	श्री पी०पी० माथुर, विशेष प्रतिवेदक
20	केन्द्रीय कारावास, जुली, इटानगर	30 सितम्बर 2013	श्री अनिल प्रधान, विशेष प्रतिवेदक

क्र०सं०	जेल/संस्थान का नाम	दौरे की तारीख	दौरा करने वाला
21	एक्वाडा केन्द्रीय कारावास, गोवा तथा उप-कारावास एवं न्यायिक हिरासत, साडा वासो	10-12 अक्टूबर 2013	श्री एस० रमानी, विशेष प्रतिवेदक
22	केन्द्रीय कारावास, जमशेदपुर, जिला कारावास, सिंहभूम तथा उप-कारावास, खुंटी	10-12 नवम्बर 2013	श्रीमती एस० जलाजा, विशेष प्रतिवेदक
23	केन्द्रीय जेल, भोपाल, केन्द्रीय जेल, इन्दौर केन्द्रीय जेल, इन्दौर तथा जिला कारावास हरदा तथा शिमला हिल्स पुलिस स्टेशन, भोपाल जिला, महेश्वर पुलिस स्टेशन, खारगांव जिला तथा रॉवजी बाजार पुलिस स्टेशन, इन्दौर जिला	11-21 दिसम्बर 2013	श्री एस० नारायण, विशेष प्रतिवेदक
24	केन्द्रीय जेल, मुजफ्फरनगर, केन्द्रीय जेल मोतीहारी तथा जिला बेतिआहा	26-28 दिसम्बर 2013	श्रीमती एस० जलाजा, विशेष प्रतिवेदक
25	गोधरा उप-कारावास, जिला पंचमहल, गुजरात तथा चालवेदा, गोखुम्बा तालुक, पंचमहल जिला	8 जनवरी 2014	श्री पी०पी० माथुर, विशेष प्रतिवेदक
26	केन्द्रीय जेल, जोधपुर तथा जिला कारावास जैसलमेर	11-13 फरवरी 2014	श्री अजय कुमार, विशेष प्रतिवेदक
27	केन्द्रीय जेल, आईजॉल, मिजोरम	12 फरवरी 2014	श्री अनिल प्रधान, विशेष प्रतिवेदक
28	बिलासपुर केन्द्रीय जेल तथा नौघाट पुलिस स्टेशन, हिरी पुलिस स्टेशन, रतनपुर पुलिस स्टेशन तथा आदर्श कोतवाली पुलिस स्टेशन, बिलासपुर	17-20 फरवरी 2014	श्री एस० नारायण, विशेष प्रतिवेदक

4.337 रिपोर्टें आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई हैं तथा आयोग की सिफारिशों को अनुपालन हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

(ख) कारावास में रह रहे कैदियों का विश्लेषण

4.338 आयोग, कैदियों की दयनीय स्थिति तथा अन्य सुविधाओं जो कि समस्याओं से ग्रस्त हैं जैसे कि बड़ी संख्या में भीड़भाड़ – के बारे में बहुत चिंतित है। आयोग, कारावास में भीड़भाड़, स्वास्थ्य, निकासी, साफ-सफाई

आदि की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए देश में कैदियों की जनसंख्या के संबंध में आंकड़े एकत्रित करता है और उनका विश्लेषण करता है। यह कार्य प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के कारागार मुख्यालय से प्रत्येक छह माह में एक निर्धारित प्रारूप में आंकड़े एकत्रित करके किया जाता है।

4.339 भिन्न-भिन्न के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं जैसे कि जेलों की संख्या, जेलों की क्षमता, दोषसिद्धियों की संख्या, अभियोगाधीनों की संख्या, कैदियों का स्वास्थ्य संबंधी प्रोफाईल आदि। इसके बाद उपरोक्त उल्लिखित चरों की प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण दर्शाता है कि अधिसंख्य राज्यों में कारावासों में अधिक भीड़-भाड़ की समस्या देखी गई। विशेषरूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा तथा छत्तीसगढ़ में भीड़-भाड़ अधिक देखी गई।

4.340 आगे यह भी प्रेक्षण किया गया कि कारावास में होने वाली भीड़-भाड़ का मुख्य कारण नियमित रूप से अभियोगाधीन कैदियों की संख्या का बढ़ना और लम्बे समय तक कारावास में रहना है। कुछ मामलों में यह पाया गया कि अभियोगाधीन कैदी, किए गए अपराध के संबंध में दांडिक कानून के तहत निर्धारित समय-सीमा से अधिक समय जेलों में सड़ते हुए गुजार देते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा तथा ओडिशा जैसे राज्यों से प्राप्त आंकड़ों से इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है क्योंकि यहां पर अभियोगाधीन कैदियों का प्रतिशत सबसे अधिक है।

4.341 उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु तथा झारखंड राज्य में महिला कैदियों की संख्या भी काफी अधिक हैं।

4.342 कारावास सांख्यिकी का तुलनात्मक विश्लेषण सभी राज्यों में कारावास की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गंभीर कदम उठाने की सतत आवश्यकता को दर्शाता है। कारावास में भीड़ को कम करने के लिए जेलों की क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ जेलों के संबंधित अधिकारियों द्वारा सांविधिक प्रावधानों (पैरोल, जमानत, अवकाश, अल्पकालिक अवकाश तथा अपील याचिका आदि) का उदारतापूर्वक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उपरोक्त प्रक्रिया को पूरा करने में जेल प्राधिकारियों की मदद के लिए कैदियों के प्रतिनिधियों वाली जेल समितियां भी गठित की जानी चाहिए।

स्वास्थ्य का अधिकार

5.1 प्रत्येक मनुष्य गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए उपयोगी साध्य स्वास्थ्य मानकों के आस्वादन का हकदार है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारियों का न होना ही नहीं बल्कि किसी भी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक तथा भावात्मक रूप से स्वस्थ होना है। अन्य मानव अधिकारों की कवायद के लिए यह अधिकार अपरिहार्य है। सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य का संवर्धन, संरक्षण तथा परिरक्षण करना राज्य का दायित्व है। भारत के संविधान में भी 'स्वास्थ्य के अधिकार' को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है।

5.2 स्वास्थ्य के मानव अधिकार को कई अंतरराष्ट्रीय प्रपत्रों में स्वीकार किया गया है। उनमें से आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा, 1966 में अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून में स्वास्थ्य के अधिकार पर सर्वाधिक व्यापक अनुच्छेद उपलब्ध कराता है। इस प्रसंविदा का अनुच्छेद 12.1 इस बात की पुष्टि करता है कि राज्य पक्षकारों को "प्रत्येक व्यक्ति के उच्चतम प्राप्त शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के स्तर के उपभोग के अधिकार" को अवश्य मान्यता देनी चाहिए, जबकि अनुच्छेद 12.2 में उदाहरण के तौर पर "राज्य पक्षकारों द्वारा इस अधिकार की पूर्ण प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कई कदमों" को बताया गया है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य के अधिकार को अन्य बातों के साथ-साथ सभी प्रकार के नस्लीय भेद-भाव के उन्मूलन संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा 1965 के अनुच्छेद 5(च), (पअ) महिलाओं के प्रति हर प्रकार के भेद-भाव के उन्मूलन संबंधी प्रसंविदा, 1979 (सी ई डी ए डब्ल्यू) के अनुच्छेद 11.1 (छ) तथा 12 एवं बच्चों के अधिकार संबंधी प्रसंविदा, 1989 (सी आर सी) के अनुच्छेद 24 में मान्यता दी गई है।

5.3 स्वास्थ्य के अधिकार को वियना घोषणापत्र तथा कार्य योजना 1993 में भी घोषित किया गया है। साथ ही, 1994 में काहिरा में जनसंख्या एवं विकास पर आयोजित किए गए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के कार्य योजना तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों यथा बीजिंग में 1995 में महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन के घोषणा पत्र तथा कार्य योजना में भी घोषित किया गया है।

5.4 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकारों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। सभी के लिए स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करना इस प्रतिबद्धता का एक सर्वोत्कृष्ट पहलू है। इसलिए, आयोग स्वास्थ्य के अधिकार की इसकी सुलभता, वहनीयता तथा उपलब्धता की तर्ज पर गहन मॉनीटरिंग कर रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का हमेशा से यह मानना रहा है कि भारत के संविधान में स्थापित तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा यथाविवेचित मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, की परिणति उन उपायों को सुदृढ़ बनाने में होनी चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि इस देश के लोग, विशेषतः समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर तथा अधिक व्यापक स्वास्थ्य सेवा सुविधा सुलभ हो सके।

5.5 विगत दो दशकों के दौरान स्वास्थ्य के अधिकार के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आयोग के प्रयासों से अंतर्समाहित उपायों की एक श्रृंखला विकसित हुई है। हाल ही के वर्षों में इसका केन्द्रबिन्दु — स्वास्थ्य सेवाओं

तक पहुंच, उनकी उपलब्धता, गुणवत्ता और वहनीयता; महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे; स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैतिक मुद्दे और अवैध प्रैक्टिस; बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वच्छ पेयजल, निकासी एवं साफ-सफाई का महत्व; व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, कुष्ठरोग तथा मानसिक स्वास्थ्य रहे हैं। इस अध्याय में आयोग द्वारा इन क्षेत्रों में किए गए कार्य पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

क. क्लीनिकल ड्रग ट्रायल के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दिशानिर्देश

5.6 जैसा कि वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 2 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने उक्त प्रयोजन के लिए विशेषरूप से गठित की गई पांच सदस्यों की समिति की मदद से क्लीनिकल ड्रग ट्रायल के संबंध में महत्वपूर्ण दिशानिर्देश तैयार किए हैं। यह दिशानिर्देश, आयोग के नोटिस में लाई गई उन शिकायतों का परिणाम हैं जिनमें आंध्र प्रदेश में गरीब औरतों के उपर परिणामी दुष्परिणामों के लिए पर्याप्त चिकित्सीय देखभाल के अभाव में अवैध रूप से क्लीनिकल ड्रग ट्रायल के माध्यम से कुछ पैसों के लिए उनका शोषण किया गया था।

5.7 दिशानिर्देश तैयार करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में नियुक्त समिति ने नोट किया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में प्रो० रंजीत रॉय चौधरी की अध्यक्षता में ड्रग रेग्यूलेशन और क्लीनिकल ट्रायल्स में सुधार के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की समिति ने यह भी नोट किया कि ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट (1940) एण्ड रूल्स (1945) में समय-समय पर निम्नलिखित सहित अधिसूचना, नियम एवं विनियम, जोड़ना या विलोपन आदि जारी किया जाता है :

- क्लीनिकल ट्रायल के दौरान चोट या मृत्यु की स्थिति में मुआवजा, 30.1.2013 का नियम 122-डी0ए0बी0
- नैतिक समिति का पंजीकरण, 8.2.2013 का नियम 122 डी डी, और
- क्लीनिकल ट्रायल करने के लिए अनुमति, 1.2.2013 का नियम 122 डी ए सी.

5.8 राष्ट्रीय मानव अधिकार समिति ने सिफारिश की कि सभी संस्थान और नैतिक समिति, अधिनियम में विनिर्दिष्ट समयसीमा के अंदर कार्यान्वयन करेंगी। अधिनियम तथा नियमों में यह और इस प्रकार के परिवर्तन, समय-समय पर किए जाते हैं।

5.9 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की समिति ने आगे निम्नलिखित सुझाव दिए –

- (i) मनुष्य पर अध्ययन करने वाले सभी संस्थानों में नैतिक समिति का गठन होना चाहिए और वह समिति, अधिनियम के अनुसार पंजीकृत होनी चाहिए।

- (ii) प्रचलित गुड क्लीनिकल प्रैक्टिस, सी0डी0एस0सी0ओ0, आई0सी0एम0आर0, मानव प्रतिभागियों पर बायोमेडिकल रिसर्च के लिए नैतिक दिशानिर्देश, अधिनियम तथा नियमों के आधार पर सभी क्लीनिकल ट्रायल/क्लीनिकल स्टडीज में मानक संचालन प्रक्रियाएं (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) लिखित रूप में होने चाहिए और उनका अनुपालन होना चाहिए।

मानक संचालन प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए प्रभावी तंत्र होना चाहिए।

- (iii) अधिनियम, नियम तथा विनियमों के अनुसार नैतिक समितियों का गठन किया जाना चाहिए। नैतिक समितियों के सभी सदस्यों को क्लीनिकल ट्रायल्स के लिए अपने आपको नैतिक दिशानिर्देशों के विभिन्न पहलुओं तथा अधिनियम, नियमों आदि के प्रावधानों से अवगत कराना चाहिए।
- (iv) किसी क्षेत्र/राज्य को आबंधित नैतिक समितियों के साथ क्षेत्रीय/राज्य प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना और अध्ययन के लिए न्यूनतम साझा पाठ्यक्रम आवश्यक है। संस्थागत नैतिक समितियों के सदस्य चुने जाने के पात्र बनने के लिए व्यक्तियों के लिए अध्ययन में उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। इन केन्द्रों में नैतिकता पर सतत शिक्षा कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने चाहिए और आई0ई0सी0 सदस्यों के लिए भागीदारी अनिवार्य होनी चाहिए। इन अध्ययनों में उपस्थिति के लिए इन समितियों के गैर-शासकीय सदस्यों की यात्रा आदि को समर्थित करने के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान की आवश्यकता होगी।

कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग की जानी चाहिए।

- (v) सुविज्ञ सम्मति प्रक्रिया का मानकीकरण करना चाहिए और उसे सरल करना चाहिए। मरीज को दी जाने वाली जानकारी में अद्यतन जानकारी के अनुसार निहित जोखिम का विवरण शामिल होना चाहिए। इसमें अधिनियम एवं नियमों, विनियमों के अनुसार अध्ययन के दौरान चोट या मृत्यु के मामले में प्रतिभागी को मिलने वाले मुआवजे के अधिकारों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए।

मरीज संबंधी लिखित जानकारी शीट के अतिरिक्त, अन्वेषणकर्ता द्वारा एक ज्ञानप्रद ऑडियो-वीडियो सी0डी0 भी बनाई, दिखाई जानी चाहिए और प्रतिभागियों को उनके द्वारा देखे जाने और प्राप्त किए जाने के साक्ष्य के साथ दी जानी चाहिए विशेषतः जब अध्ययन किसी अनपढ़ पर किया जा रहा हो।

- (vi) ट्रायल के लिए प्रतिभागियों/स्वैच्छिकों की भर्ती की प्रक्रिया को मानक संचालन प्रक्रिया में प्रलेखित किया जाना चाहिए। प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देशों को यथोचित विचार-विमर्श तथा चर्चा के बाद और बायोमेडिकल रिसर्च के लिए नैतिक दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए।
- (vii) अन्वेषक को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कोड ऑफ एथिक्स का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए, विशेषतः अनुसंधान के लिए – जैसा कि अध्याय 7 में और मानव अधिकारों के लिए अध्याय 6 में कहा गया है।

- (viii) क्लीनिकल ट्रायल के प्रतिभागियों को प्रोटोकॉल में विनिर्दिष्टानुसार, अध्ययन में नामांकित होने के समय से लेकर अध्ययन की अवधि तक तथा उसके बाद भी चिकित्सीय देखभाल उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्रतिभागी के निवास के निकट सहित यह कहां और कैसे उपलब्ध होगी, इसके बारे में मरीज की जानकारी शीट पर विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
- (ix) क्लीनिकल ट्रायल की परिभाषा, ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट एण्ड रूल्स के अलग-अलग नियमों, अनुसूचियों तथा परिशिष्टों में भिन्न-भिन्न है।

मुआवजे के लिए दिनांक 30.1.2013 की अधिसूचना, नियम 122 डी0ए0बी0 को 122 डी0ए0ए0 के बाद जोड़ा था। यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि क्या नियम 122 डी0ए0बी0 केवल नई ड्रग्स के क्लीनिकल ट्रायल से ही संबंधित है।

ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक रूल्स, 1945 के अनुसार भाग X-A में क्लीनिकल ट्रायल या मार्केटिंग के लिए नई ड्रग्स का आयात या विनिर्माण, 122 डी0ए0ए0 में क्लीनिकल ट्रायल को नई ड्रग्स के सुव्यवस्थित अध्ययन (नए रसायनिक तत्व, नए संकेत, नए सूत्र आदि) के रूप में परिभाषित किया गया है। अनुसूची वाई, नई औषधियों से संबंधित है।

तथापि, परिशिष्ट XXXIII क्लीनिकल ट्रायल रजिस्ट्री स्पष्ट रूप से यह बताती है कि सभी मध्यवर्ती ट्रायलों को पंजीकृत किया जाना चाहिए। (भारत में किए गए सभी मध्यवर्ती क्लीनिकल ट्रायल तथा शामिल भारतीय प्रतिभागियों को पंजीकृत करने की आवश्यकता। एक मध्यवर्ती क्लीनिकल ट्रायल किसी भी प्रकार का अनुसंधानात्मक अध्ययन (निवारक देखभाल, ड्रग्स, सर्जिकल प्रक्रिया, व्यवहार उपचार आदि) है जो स्वास्थ्य संबंधी परिणामों पर ट्रायल के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए लोगों को एक या उससे अधिक स्वास्थ्य संबंधी मध्यवर्ती को भावी रूप से नियत करता है। अतः पहले किए गए या बाद में किए गए, मार्केटिड या गैर-मार्केटिड उत्पादों का ट्रायल, आकस्मिक या गैर-आकस्मिक ट्रायल – सभी को पंजीकृत किया जाए।)

परिशिष्ट XXXVIV, भारत में क्लीनिकल ट्रायल के लिए जी0सी0पी0 दिशानिर्देश तथा परिशिष्ट XXXVII, बी0ए0/बी0ई0 के लिए दिशानिर्देश, अध्ययनों में क्लीनिकल ट्रायल (क्लीनिकल अध्ययन) का फार्मासूटिकल उत्पादों का मानवों पर ऐसा सुव्यवस्थित अध्ययन – (चाहे मरीज या गैर – मरीज स्वैच्छिक) – ताकि किसी प्रकार का क्लीनिकल, फार्मासूटिकल और/या प्रतिकूल प्रभाव का पता लगाया जा सके।

- (X) किस प्रकार के क्लीनिकल अध्ययन को क्लीनिकल ट्रायल समझा जाएगा – इसके बारे में एक सार्वभौमिक परिभाषा की आवश्यकता है।

ख. स्वास्थ्य संबंधी कोर ग्रुप की बैठक

5.10 आयोग में स्वास्थ्य संबंधी एक कोर परामर्शी ग्रुप है जो आयोग को समय-समय पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर परामर्श देता है। स्वास्थ्य संबंधी कोर परामर्शी ग्रुप की आयोग में पिछली बैठक दिनांक 20 जून, 2013 को हुई थी। बैठक का मुख्य एजेंडा, चिन्ता के ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना था जिन्हें आयोग, एक मानव अधिकार के रूप में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन के लिए उठा सकता था। कोर ग्रुप ने निम्नलिखित चार मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने की सलाह दी –

- (i) स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता, उपलब्धता, गुणता तथा वहनीयता;
- (ii) महिला एवं बाल स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे;
- (iii) स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता एवं साफ-सफाई; तथा
- (vi) व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा।

5.11 आयोग, राज्य पदाधिकारियों को लगातार जोर दे रहा है कि वो इन अधिकारों की पूर्ति करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए बाध्य हैं। आयोग ने स्वास्थ्य के अधिकार को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों के संबंध में लगातार बैठकें आयोजित की, चर्चाएं की और सिफारिशें पेश कीं।

ग. एक मानव अधिकार के रूप में स्वास्थ्य देखभाल – विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन

5.12 स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता, उपलब्धता, गुणता और वहनीयता; महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों; नैतिक मुद्दों तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अवैध कार्यपद्धतियां; बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ पेयजल, साफ-सफाई एवं स्वच्छता का महत्व; तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी चिन्ताओं को प्रकाश में लाने के उद्देश्य से आयोग ने दिनांक 5 एवं 6 नवम्बर, 2013 को स्वास्थ्य देखभाल-एक मानव अधिकार विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

5.13 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य (i) ऐसे उपायों के बारे में चर्चा करना था जिससे लोक स्वास्थ्य प्रणाली को मानव अधिकारों – विशेषतः समुदाय को शामिल करते हुए तथा बेहतर कार्यपद्धतियों को साझा करते हुए स्वास्थ्य सेवा की सुलभता, वहनीयता तथा गुणता के संबंध में, सुदृढ़ बनाया जा सके; (ii) ऐसे उपायों के बारे में चर्चा करना जिससे महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान किया जा सके; (iii) अवैध कार्यपद्धतियों को नियंत्रित करने के दृष्टिकोण सहित यथोचित विनियमन के माध्यम से नैतिक मुद्दों पर विचार करना; (iv) लोगों के स्वास्थ्य के स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य सहित स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता तथा साफ-सफाई की सुविधा को बेहतर बनाने की रणनीति पर चर्चा करना; और (v) व्यावसायिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों जैसे कि सिलिकोसिस आदि पर चर्चा करना और इसमें शामिल कार्यकर्ताओं के अधिकारों को सुनिश्चित करना है।

5.14 सम्मेलन में भाग लेने वालों में लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ तथा स्वास्थ्य वैज्ञानिक, विधिक विशेषज्ञ, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, उपभोक्ता समूहों सहित सिविल समाज के प्रतिनिधि, तकनीक संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, नीति निर्माता तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज, उपभोक्ता मामले, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ एवं मध्यम स्तरीय अधिकारी तथा विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य आयोग आदि शामिल थे।

5.15 सम्मेलन में निम्नलिखित मौलिक मुद्दों पर चार सत्रों में चर्चा की गई :

- भारत में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता, सुलभता, गुणवत्ता तथा वहनीयता – सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता;
- महिला एवं बाल विकास – महत्वपूर्ण मुद्दे;
- साफ पेयजल, स्वच्छता एवं साफ-सफाई – बेहतर स्वास्थ्य देखभाल की ओर एक कदम; तथा
- व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

5.16 'भारत में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता, सुलभता, गुणवत्ता तथा वहनीयता – सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता' के सत्र में, भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के नूतन उपायों, भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति तथा पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान के लिए मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने आदि को शामिल किया गया। इसके बाद राज्यों ने प्रस्तुति दी। हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के संबंधित सचिवों ने यह प्रस्तुति दी। 'महिला एवं बाल स्वास्थ्य – महत्वपूर्ण मुद्दे' नामक सत्र में मां एवं बच्चे के स्वास्थ्य पर मानव अधिकारों, मातृत्व मृत्यु दर तथा रुग्णता की रोकथाम के लिए मानव अधिकार आधारित पद्धति के इस्तेमाल, मां एवं बच्चे के स्वास्थ्य देखभाल के लिए संस्थागत प्रबंधों को सुदृढ़ बनाने तथा देश में विद्यमान मातृत्व एवं बाल कुपोषण के मद्देनजर पौष्टिक शिक्षा तथा क्षमता विकास की आवश्यकता के दृष्टिकोण से ध्यान केन्द्रित किया गया।

5.17 'साफ पेयजल, स्वच्छता एवं साफ-सफाई – बेहतर स्वास्थ्य की तरफ एक कदम' सत्र में ऐसे वक्ता थे जिन्होंने पेयजल, स्वच्छता तथा साफ-सफाई की मानव अधिकारों के रूप में सुलभता के बारे में बुनियादी परिदृश्य प्रस्तुत किया। इसके अलावा इस सत्र में निर्मल भारत अभियान सहित जल एवं स्वच्छता मुद्दों पर भारत सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों के बारे में विचारों का आदान-प्रदान किया गया। 'व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा' सत्र में व्यावसायिक तथा अन्य कार्य संबंधित बीमारियों तथा तकनीक तथा क्षमता निर्माण के उपयोग के माध्यम से व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के प्रबंधन के बारे में बात की गई। इसके बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल साइंसिस, मुम्बई को सौंपे गए 'गवर्नेन्स चैलेन्ज्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्कर्स राइट्स इन हॅंजरडस इंडस्ट्रीज़ : ए स्टडी ऑफ अलांग-सोसिया शिप ब्रेकिंग यार्ड, गुजरात' शीर्षक अनुसंधान अध्ययन पर एक प्रस्तुति हुई।

5.18 उपरोक्त चार महत्वपूर्ण मुद्दों पर सत्रों में हुई चर्चा के अलावा सम्मेलन में इन मुद्दों से संबंधित कार्य समूहों ने भी चर्चा की। प्रत्येक कार्य समूह की अध्यक्षता आयोग के सदस्य द्वारा की गई। प्रत्येक कार्य समूह द्वारा की गई सिफारिशों को सम्मेलन के समापन सत्र में प्रस्तुत किया गया और उन्हें अंतिम रूप दिया गया। यह सभी सिफारिशें वार्षिक रिपोर्ट के अनुलग्नक-8 पर दी गई हैं। बाद में, इन सिफारिशों को सभी प्रतिभागियों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालयों के संबंधित सचिवों को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित किया गया कि वे इसका अनुपालन करें और अपनी की गई कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करें।

5.19 वार्षिक रिपोर्ट लिखे जाते समय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से एक जवाब प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने आयोग को सम्मेलन का आयोजन करने की जिम्मेदारी उठाने और सिफारिशों के आदान-प्रदान के लिए धन्यवाद दिया है क्योंकि इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपेक्षित हस्तक्षेप करने में सहायता मिलेगी। जवाब के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की प्राप्ति की दिशा में अपनी कुछ हाल ही में की गई पहलों तथा उपलब्धियों को दर्शाते हुए एक लेख अग्रेषित किया। यह अनुलग्नक-9 पर दिया गया है। तथापि, आयोग पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के जवाब का इंतजार कर रहा है।

घ. मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की कार्यपद्धति को बेहतर बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का आवेदन

5.20 आयोग की पिछली वार्षिक रिपोर्ट (2012-2013) में उल्लेख किया गया था कि भारत उच्चतम न्यायालय द्वारा 1997 में दिए गए निर्देशों के अनुसरण में आयोग, सरकार द्वारा संचालित तीन मानसिक रोग अस्पतालों अर्थात् आगरा, ग्वालियर तथा रांची की कार्यपद्धति की मॉनीटरिंग कर रहा है। इन तीन अस्पतालों के अतिरिक्त, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12(ग) के तहत आयोग को दिए गए अधिदेश के अनुसार आयोग पूरे देश में सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे अन्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की मॉनीटरिंग भी कर रहा है। इन तीन मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालों में हुई प्रगति के बावजूद भी चिंता के कुछ ऐसे विषय हैं जिनका समाधान करना जरूरी है, विशेषतः इन अस्पतालों की भौतिक अवसंरचना, मानव संसाधन प्रबंधन तथा वित्तीय स्रोतों के संबंध में। अन्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के संबंध में भी यह बात उतनी ही सत्य है, अधिकांश संस्थान औपनिवेशिक काल के पुराने एवं जर्जर भवनों में हैं। मनुष्य, सामग्री तथा वित्तीय स्रोतों के सीमित होने की वजह से उनकी समस्याएं तथा अवरोधों को संबोधित नहीं किया गया है।

5.21 वर्तमान में व्याप्त अभावों के आलोक में आयोग ने भारत के उच्चतम न्यायालय के महासचिव को संबोधित अपने दिनांक 13 मई 2010 के पत्र के माध्यम से एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की और अनुरोध किया कि इसे यथोचित निदेशों एवं आदेशों के लिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। बाद में दिनांक 7 मार्च, 2011 को एक अनुस्मारक जारी किया गया जिसके जवाब में सहायक रजिस्ट्रार, पी0आई0एल0 (रिट)

ने अपने दिनांक 17 मार्च, 2011 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि रिट याचिका संख्या 1900/1981 (डॉ० उपेन्द्र बख्शी) का निपटान करते समय माननीय न्यायालय ने प्रेक्षण किया कि “यदि आयोग को आवश्यकता होती है या जब भी आयोग को जरूरी लगता है कि न्यायालय की सहायता या मदद चाहिए तो वह एक यथोचित आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है”। उक्त पत्र में आगे यह कहा गया कि ‘अतः आपसे अनुरोध है कि अपेक्षित दिशानिर्देशों, यदि कोई हैं, के लिए इस माननीय न्यायालय के समक्ष यथोचित आवेदन दर्ज करें’।

5.22 उपरोक्त पत्राचार के अनुसरण में आयोग ने वर्ष 2013 में अनुलग्नक-10 में रखे गए तेरह महत्वपूर्ण मुद्दों पर यथोचित दिशानिर्देश प्राप्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय में डब्ल्यू0पी0(सी आर एल) सं० 1981 का 1900, डॉ० उपेन्द्र बख्शी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के संबंध में एक आवेदन (सी आर एल एम पी सं० 8032/2013) किया। दिनांक 8 जुलाई, 2013 को मामले की सुनवाई पर उच्चतम न्यायालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा सभी राज्य सरकारों को निदेश दिया कि वे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तुत आवेदन के जवाब में राष्ट्रीय एवं जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन के विस्तार, प्राप्त निधियों तथा इन कार्यक्रमों पर उपयोग की गई निधियों सहित अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत दर्ज करें। वार्षिक रिपोर्ट के लिखे जाने के समय पर उच्चतम न्यायालय को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा कुछ राज्यों के जवाब प्राप्त हुए। हालांकि मामला अभी भी उच्चतम न्यायालय के विचारणाधीन है, आयोग सभी राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रशासनों से अनुरोध करता है कि वे इस मामले में अपना पूर्ण सहयोग दें।

ड. मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का दौरा करने वाले विशेष प्रतिवेदकों की दौरा रिपोर्टें

5.23 वर्ष 1997 में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार आयोग, सरकार द्वारा संचालित तीन मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालों अर्थात् आगरा, ग्वालियर तथा रांची की कार्यपद्धति की मॉनीटरिंग कर रहा है। आयोग को इन तीन अस्पतालों के अतिरिक्त मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12(ग) के तहत दिए गए अधिदेश के अनुसार सरकार द्वारा देश भर में चलाए जा रहे अन्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की मॉनीटरिंग कर रहा है। यह मॉनीटरिंग मुख्यतः आयोग के विशेष प्रतिवेदकों द्वारा इन संस्थानों में आवधिक दौरों के द्वारा की जाती है। प्रत्येक दौरे के बाद संबंधित विशेष प्रतिवेदक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की कार्यपद्धति में सुधार लाने के लिए उचित सुझावों एवं सिफारिशों के साथ आयोग को अपनी विस्तृत दौरा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। आयोग इन रिपोर्टों की गहनता से जांच करता है और आयोग के निदेशों के अनुसार विशेष प्रतिवेदकों द्वारा दिए गए सुझाव तथा सिफारिशों को कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों को अग्रेषित किया जाता है और उनसे की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी जाती है। कुछ मामलों में आयोग के विशेष प्रतिवेदकों द्वारा या अध्यक्ष या सदस्यों या वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पुनः दौरा किया जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आयोग के विशेष प्रतिवेदकों द्वारा निम्नलिखित मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का दौरा किया गया:

- (i) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदक श्री दामोदर सारंगी द्वारा दिनांक 3 अप्रैल, 2013 को पावलोव अस्पताल, कोलकाता का दौरा।
- (ii) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदक श्री अनिल प्रधान द्वारा दिनांक 27 मई, 2013 को मेघालय इंस्टीच्यूट ऑफ मेंटल हैल्थ एण्ड न्यूरोलॉजिकल साइंसिज़ (एम आई एम एच ए एन एस), लॉमली, शिलांग का दौरा।
- (iii) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदक श्री अजय कुमार द्वारा दिनांक 27-28 मई, 2013 को मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल, अहमदाबाद का दौरा।
- (iv) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदक श्री अजय कुमार द्वारा दिनांक 8-12 सितम्बर, 2013 को साइकिएट्रिक सेंटर, जयपुर का दौरा।

च. जनजातीय क्षेत्रों में बेहतर मेडिकल तथा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं

5.24 आयोग ने देश के जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की बेहतर सुलभता सुनिश्चित करने के लिए अवैध चिकित्सीय प्रैक्टिस तथा स्वास्थ्य देखभा सुविधाएं विषय पर नई दिल्ली में सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के गृह सचिवों की एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया। बाद में इस बैठक में हुई चर्चा से निकल कर आई महत्वपूर्ण सिफारिशों को की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ सभी मुख्य सचिवों तथा पणधारियों को अनुपालन के लिए अग्रेषित कर दिया गया। आयोग की वर्ष 2010-2011 की वार्षिक रिपोर्ट में इन सिफारिशों का उल्लेख किया गया था। चूंकि केवल आंध्र प्रदेश, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मिजोरम तथा पश्चिम बंगाल ने अपनी की गई कार्रवाई की रिपोर्ट अग्रेषित की थी इसलिए शेष सभी मुख्य सचिवों को 2010 में तथा रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान अनुपालन एवं की गई कार्रवाई रिपोर्ट के लिए अनुस्मारक भेजे गए। की गई कार्रवाई रिपोर्ट के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं जनजातीय मंत्रालय के सचिवों को भी अनुस्मारक भेजे गए।

5.25 इस वार्षिक रिपोर्ट के लिखे जाने तक उपर उल्लिखित सात राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के अलावा जिन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने बार-बार किए गए अनुरोधों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, वो इस प्रकार हैं – पंजाब, छत्तीसगढ़, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, मेघालय तथा कर्नाटक। इसके अलावा, आयोग को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा दिल्ली मेडिकल काउंसिल से भी जवाब प्राप्त हुए। हालांकि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा अनुस्मारक जारी किए जाने के एक महीने के अंदर ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जवाब प्राप्त हो गए थे लेकिन उन्होंने कुछ सिफारिशों पर सीधे-सीधे जवाब नहीं दिया। ऐसी दो सिफारिशें हैं – “अवैध चिकित्सकों तथा झोलाछापों की समस्या को समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को एक एंटी-क्वेकरी बिल लाना होगा जिसमें ऐसी चिकित्सीय दुराचारों में शामिल लोगों के लिए सख्त सजा का प्रावधान हो” और “कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के कुछेक जनजातीय क्षेत्रों में

उपलब्ध मानकीकृत स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को कुछ अन्य जनजातीय क्षेत्रों में दोहराने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालय इस प्रक्रिया में सहयोग करें। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय मामले मंत्रालय तथा शेष सभी राज्य सरकारों एवं संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से एक बार फिर कहा गया कि वे हर प्रकार से पूर्ण अपनी अनुपालन रिपोर्ट को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।

छ. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए स्वास्थ्य संबंधी दृष्टांत मामले

1. आंध्र प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में अप्राधिकृत रूप से ड्रग ट्रायल्स। (मामला संख्या 765/1/2011)

5.26 एक शिकायतकर्ता ने आयोग का ध्यान “विमेन आर गीनिया पिग्स हेयर” शीर्षक की एक समाचार रिपोर्ट तथा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में 25 गरीब महिलाओं पर कैंसर की औषधियों के परीक्षण के संबंध में छपी “आंध्र प्रदेश की छः महिलाओं को अप्राधिकृत ड्रग ट्रायल के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया” रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया। यह आरोप लगाया गया कि गरीब महिलाओं को ड्रग ट्रायल के लिए थोड़े से पैसे का लालच दिया गया था। आयोग ने एक अन्य अखबार की रिपोर्ट “भारत – सस्ते औषधि परीक्षणों के लिए एक आसान लक्ष्य” को भी नोटिस किया जिसमें इस बात का खुलासा किया गया कि भारत में क्लीनिकल ट्रायल्स को प्रभावी तरीके से मॉनीटर करने के लिए कोई कानून नहीं है और यह उन मुख्य कारणों में से एक कारण है कि जिसकी वजह से भारत उन विदेशी ड्रग कंपनियों जो अपने उत्पादों के परीक्षण के लिए बेझिझक होकर सभी नियम एवं कानून का उल्लंघन कर रही हैं, के लिए एक हॉटस्पॉट के रूप में उभरा है। बाद में ड्रग ट्रायल के संबंध में दस और मामले आयोग में पंजीकृत कराए गए। इन सभी मामलों को इसी मामले के साथ जोड़ दिया गया।

5.27 एक मामले में यह रिपोर्ट किया गया कि आंध्र प्रदेश की छः महिलाओं को अप्राधिकृत ड्रग ट्रायल के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह रिपोर्ट किया गया कि आंध्र प्रदेश सरकार ने इस घटना के संबंध में जांच के आदेश दिए और अधिकारियों को उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए जिन्होंने गरीब महिलाओं पर अवैध रूप से क्लीनिकल ट्रायल किए थे।

5.28 आयोग के अन्वेषण प्रभाग की एक टीम को तथ्यों की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। टीम ने बताया कि हैदराबाद के एक्सिस क्लीनिकल्स लिमिटेड ने उन औरतों को परीक्षण की प्रकृति के बारे में जानकारी दिए बिना ही उनके उपर बी0ए0/बी0ई0 परीक्षण किए। आगे यह भी बताया गया कि परीक्षण के बाद किसी प्रकार की देखभाल नहीं की गई जिसके कारण परीक्षण के बाद कुछेक महिलाओं का स्वास्थ्य बुरी तरह से बिगड़ गया था। जांच रिपोर्ट में यह भी पता चला कि हैदराबाद में ऐसी आठ प्रयोगशालाएं और थीं जिन्होंने क्लीनिकल परीक्षण किए थे। आयोग के अन्वेषण प्रभाग की टीम ने निम्नलिखित प्रेक्षण किए :

- (i) आंध्र प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य सचिव को पिदुगुरुल्ला के ग्रामीणों, जो बी0ए0/बी0ई0 परीक्षण से प्रभावित हुए थे, की स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन करने का निदेश दिया जाना चाहिए और उन्हें एक्सिस क्लीनिकल्स लिमिटेड की ओर से पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाने के साथ-साथ यथोचित स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- (ii) सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को निदेश दिया जाना चाहिए कि भारत के विभिन्न भागों में, विशेषतः दक्षिण भारत में उन प्रयोगशालाओं का अध्ययन किया जाए जिन्होंने क्लीनिकल ट्रायल किए थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रयोगशालाओं ने सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (सी डी एस सी ओ) के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया था कि नहीं।
- (iii) जिन लोगों ने स्वेच्छा से इन परीक्षणों को अपने उपर करने के लिए हामी भरी थी उन्हें दी गई राशि बहुत ही कम थी। परीक्षण करने वाली प्रयोगशालाओं को उन्हें पर्याप्त राशि का भुगतान करना चाहिए जिसकी मॉनीटरिंग सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की जानी चाहिए।

5.29 इसके अतिरिक्त, आयोग ने स्वास्थ्य सचिव, भारत सरकार; सचिव, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आई सी एम आर); तथा भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल से निम्नलिखित प्रश्न किए :

- (क) ड्रग ट्रायल करने और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल में नैतिक समितियों का गठन करने हेतु क्या दिशानिर्देश और विनियमन हैं?
- (ख) भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल द्वारा प्रस्ताव पारित किए गए जाने के बाद ड्रग ट्रायल को पारित करने के लिए नैतिक समितियों द्वारा अपनाए जाने वाले दिशानिर्देश क्या हैं?
- (ग) नैतिक समितियां सही तरह से कार्यशील हैं या नहीं, सुनिश्चित करने के लिए क्या सुरक्षोपाय हैं?
- (घ) क्या भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल के कार्यालय की अवसंरचना, भारत में ड्रग ट्रायल की अनुमति के आवेदनों से निपटने के लिए पर्याप्त है?
- (ङ.) भारत के विभिन्न राज्यों में ड्रग ट्रायल के दौरान हुई व्यक्तियों की मृत्यु के मामले के कारणों तथा खामियों, यदि कोई है, का पता लगाने के लिए प्राधिकारियों द्वारा क्या अध्ययन किए गए हैं?
- (च) क्या प्राधिकृत या अप्राधिकृत ड्रग ट्रायल्स के दौरान मरने वालों के निकटम संबंधियों या पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की कोई नीति है?
- (छ) इस तथ्या को ध्यान में रखते हुए कि कई ड्रग्स का परीक्षण कहीं अन्य जगह हो सकता है, देश में परीक्षण किए जाने वाली ड्रग्स की प्रकृति के संबंध में भारत सरकार की क्या नीति है?

5.30 भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि क्लीनिकल ट्रायल्स को सी0डी0एस0सी0ओ0, महानिदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी "गुड

क्लीनिकल प्रैक्टिस (जी सी पी) दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। रिपोर्ट की जांच करने पर आयोग ने नोटिस किया कि आयोग के अन्वेषण प्रभाग की टीम की सिफारिशों पर न तो कोई टिप्पणी की गई और न ही उनके द्वारा किए गए किसी प्रश्न का उत्तर दिया गया। इस कार्यपद्धति को प्रशासित करने वाला कानून – ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट एण्ड रूल्स हैं।

5.31 समिति ने सुझाव दिया कि :

- मनुष्यों पर अध्ययन करने वाले सभी संस्थानों में नैतिक समितियों का गठन किया जाना चाहिए और उन्हें अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए।
- प्रचलित गुड क्लीनिकल प्रैक्टिस दिशानिर्देशों के आधार पर सभी क्लीनिकल ट्रायल/क्लीनिकल स्टडीज में मानक संचालन प्रक्रियाएं (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) लिखित रूप में होने चाहिए और उनका अनुपालन होना चाहिए।
- किसी क्षेत्र/राज्य को आबंटित नैतिक समितियों के साथ क्षेत्रीय/राज्य प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना और अध्ययन के लिए न्यूनतम साझा पाठ्यक्रम आवश्यक है। संस्थागत नैतिक समितियों के सदस्य चुने जाने के पात्र बनने के लिए व्यक्तियों के लिए अध्ययन में उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। इन केन्द्रों में नैतिकता पर सतत शिक्षा कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने चाहिए और आई0ई0सी0 सदस्यों के लिए भागीदारी अनिवार्य होनी चाहिए।
- सुविज्ञ सम्मति प्रक्रिया का मानकीकरण करना चाहिए और उसे सरल करना चाहिए। मरीज को दी जाने वाली जानकारी में अद्यतन जानकारी के अनुसार निहित जोखिम का विवरण शामिल होना चाहिए। इसमें अधिनियम एवं नियमों, विनियमों के अनुसार अध्ययन के दौरान चोट या मृत्यु के मामले में प्रतिभागी को मिलने वाले मुआवजे के अधिकारों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए।
- ट्रायल के लिए प्रतिभागियों/स्वैच्छिकों की भर्ती की प्रक्रिया को मानक संचालन प्रक्रिया में प्रलेखित किया जाना चाहिए। प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देशों को यथोचित विचार-विमर्श तथा चर्चा के बाद और बायोमेडिकल रिसर्च के लिए नैतिक दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए।
- अन्वेषक को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कोड ऑफ एथिक्स का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए, विशेषतः अनुसंधान के लिए।
- क्लीनिकल ट्रायल के प्रतिभागियों को प्रोटोकॉल में विनिर्दिष्टानुसार, अध्ययन में नामांकित होने के समय से लेकर अध्ययन की अवधि तक तथा उसके बाद भी चिकित्सीय देखभाल उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्रतिभागी के निवास के निकट सहित यह कहाँ और कैसे उपलब्ध होगी, इसके बारे में मरीज की जानकारी शीट पर विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

- क्लीनिकल ट्रायल की परिभाषा, ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट एण्ड रूल्स के अलग-अलग नियमों, अनुसूचियों तथा परिशिष्टों में भिन्न-भिन्न है। किस प्रकार के अध्ययन को क्लीनिकल ट्रायल समझा जाएगा, इसके बारे में एक सार्वभौमिक परिभाषा का होना आवश्यक है।

5.32 आयोग ने ड्रग्स के क्लीनिकल ट्रायल्स संबंधी मसौदा दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया और भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक शपथपत्र दायर किया। इसके बाद आयोग ने अपनी दिनांक 20 जनवरी, 2014 की कार्रवाई में मामले को बंद कर दिया।

2. *सड़क के किनारे पर बच्चे को जन्म दिया क्योंकि महिला को उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया था* (मामला संख्या 43614/24/9/2012)

5.33 आयोग के संज्ञान में “अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया, महिला ने सड़क किनारे बच्चे को जन्म दिया” शीर्षक एक रिपोर्ट आई। प्रेस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिला श्रावस्ती में छिरय्या ग्राम के निवासी श्री ननकू की पत्नी श्रीमती इन्द्राकली को डिलीवरी के लिए उत्तर प्रदेश के बहराइच के जिला अस्पताल ले जाया गया। आरोप के अनुसार, अस्पताल ने डॉक्टर उपलब्ध न होने का बहाना बनाकर उसे भर्ती नहीं किया था। इन्द्राकली ने नर्सिंग होम ले जाया गया वहां भी उसे चिकित्सीय मदद देने से मना कर दिया गया। इससे पहले कि वो किसी अन्य नर्सिंग होम तक पहुंच पाती उसने आस-पास के लोगों की मदद से सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया।

5.34 स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सुविधाओं की सुलभता में आम आदमी द्वारा झेली जा रही परेशानियों पर तथा एक गर्भवती महिला को सरकारी अस्पताल द्वारा चिकित्सीय सहायता न देने पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से मामले पर रिपोर्ट मांगते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया।

5.35 आयोग के निर्देशों के अनुसरण में बहराइच के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने एक रिपोर्ट अग्रेषित की जिसके अनुसार मैटरनिटी ओपीडी में श्रीमती इन्द्राकली की जांच डॉ० योगिता जैन द्वारा की गई थी और उनकी सलाह पर इन्द्रावती को अस्पताल में भर्ती भी किया गया था। तथापि, ड्यूटी पर मौजूद डॉ० अंजू श्रीवास्तव ने मरीज को अपने कमरे में नहीं पाया।

5.36 बाद में श्रीमती इन्द्राकली, एक एम्बुलेंस में बहराइच के जिला अस्पताल के ओपीडी में आई और उन्हें दोबारा भर्ती किया गया। उनकी जांच की गई तथा डॉ० अंजू द्वारा उनका इलाज किया गया। मरीज का प्लेसेंटा निकाला गया। दिनांक 4 दिसम्बर, 2012 को मरीज के पति के अनुरोध पर उन्हें जननी सुरक्षा योजना के उपबंधों के तहत 1400/-₹ के भुगतान के बाद छुट्टी दे दी गई। रिपोर्ट में यह निष्कर्ष दिया गया कि श्रीमती इन्द्राकली को बहराइच के जिला अस्पताल में उपलब्ध सभी सुविधाएं दी गई थी।

5.37 आयोग ने लखनऊ में अपनी शिविर बैठक के दौरान इस मामले पर विचार किया। राज्य के प्रतिनिधियों ने आयोग को जानकारी दी कि मामले के संबंध में अपर निदेशक (स्वास्थ्य) स्तरीय जांच के आदेश दिए गए।

जांच इस निष्कर्ष पर पहुंची कि डॉक्टर के स्तर पर कुछ लापरवाही रही थी और तदनुसार डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की आवर्ती को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा सामान्य निर्देश भी जारी किए गए। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया कि उक्त घटना के बाद गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रभावी एम्बुलेंस सेवाएं भी शुरू की गईं।

5.38 सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद आयोग ने कहा कि यह स्पष्ट है कि डॉक्टर की तरफ से कुछ लापरवाही रही थी और विभाग ने भी लापरवाह मेडिकल ऑफिसर्स के खिलाफ कुछ कार्रवाई की। मेडिकल ऑफिसर्स की ओर से हुई इस स्वीकार्य लापरवाही के कारण आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से मरीज को राहत के रूप में 15,000/-₹ की राशि का भुगतान करने और भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सिफारिश की। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

3. असम के मंगलदोई जिला में रक्त चढ़ाने के बाद चार व्यक्तियों को एच0आई0वी0 से पीड़ित पाया गया
(मामला संख्या 208/3/3/2013)

5.39 आयोग के समक्ष "असम: सरकारी अस्पताल में एच0आई0वी0 संक्रमण के चलते तीन निलंबित" शीर्षक वाली एक प्रेस रिपोर्ट आई। यह आरोप लगाया गया कि अस्पताल प्राधिकारियों की लापरवाही के कारण मंगलदोई के जिला अस्पताल में रक्त चढ़ाने के बाद चार व्यक्तियों को एच0आई0वी0 संक्रमण हो गया। जांच में पता चला कि चारों मरीज जो एच0आई0वी0 संक्रमित पाए गए थे, ने सीधे ही दानकर्ताओं से खून लिया था। तथापि, इनके मामले में अस्पताल के संबंधित स्टॉफ ने दान किए गए रक्त का यथोचित परीक्षण नहीं किया और रक्त चढ़ा दिया। यह आरोप भी लगाया गया कि अस्पताल के स्टॉफ का एक वर्ग अवैध पेशेवर रक्तदाताओं के साथ मिला हुआ है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि एक सरकारी डॉक्टर सहित तीन अधिकारियों को निलंबित किया गया।

5.40 आयोग ने प्रेस रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए असम सरकार से मामले के संबंध में रिपोर्ट मांगी। राज्य सरकार को मरीजों का नाम तथा उनके स्वास्थ्य की स्थिति और मुआवजे की राशि, यदि उन्हें दिए जाने के लिए कोई राशि प्रस्तावित की गई है, के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए गए। राज्य से दोषी लोक सेवकों के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया।

5.41 राज्य द्वारा यह सूचित किया गया कि मामले की जांच करने और इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए श्री पी0पी0 वर्मा, अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को नियुक्त किया गया। आयोग को अग्रेषित की गई रिपोर्ट के अनुसार तीन मरीज नामतः मोहम्मद रफीकुल हक, सुश्री तस्लीमा बेगम तथा सुश्री अजूफा खातून का इलाज चल रहा था और कोई शिकायत नहीं थी। राज्य सरकार ने तीनों पीड़ितों को मुआवजे के तौर पर 5,00,000/-₹ (प्रत्येक को) का भुगतान किया। बाद में यह भी बताया गया

कि मंगलदोई सिविल अस्पताल में ब्लड बैंक के प्रभारी डॉ० जितेन्द्र कुमार सहरिया तथा लेबोरेटरी टेक्नीशियन को निलंबित कर दिया गया।

5.42 मामला अभी भी आयोग के विचाराधीन है।

4. कलावती सरन बाल अस्पताल, दिल्ली में तथाकथित कुप्रबंध एवं चिकित्सीय लापरवाही के कारण पिछले पांच सालों में 9,000 बच्चों की मौत (मामला संख्या 6429/30/1/2012)

5.43 अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार निगरानी परिषद के महासचिव श्री आर०एच० बंसल ने आयोग के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की और कलावती सरन बाल अस्पताल, दिल्ली में बच्चों की उच्च मृत्यु दर की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने इंगित किया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान अस्पताल में 9,000 से अधिक बच्चों की मौत हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल में कुप्रबंधन तथा चिकित्सीय लापरवाही की वजह से बच्चों की मौत हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि अस्पताल में बहुत से वेंटीलेटर खराब पड़े हैं। आयोग ने मामले की जांच के लिए अस्पताल में अपनी टीम को नियुक्त किया। अन्वेषण टीम द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव को निम्नलिखित सुझाव दिए :

- अस्पताल में बाल मृत्यु की उच्च दर की जांच के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन करना।
- अस्पताल में इलाज के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे मरीजों के मददेनजर कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली में अतिरिक्त स्थान/बिस्तर उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कदम उठाना।
- वेंटीलेटर्स जैसे जीवन रक्षक उपकरणों की समयबद्ध रूप से मरम्मत, रिपेयर करना तथा बदलना।

5.44 मंत्रालय को की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट भी आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

5.45 जांच के दौरान आयोग की अन्वेषण टीम ने अकस्मात रूप से मृत्यु के 20 मामलों को चुना। इन मामलों से संबंधित मेडिकल रिकार्ड को आयोग के पैनल के एक विशेषज्ञ को भेजा गया जिन्होंने बिस्तरों की अनुपलब्धता, गंदा परिवेश तथा रक्तचाप नापने के उपकरणों की अनुपलब्धता जैसी कई समस्याओं पर प्रकाश डाला लेकिन विशेषज्ञ को 19 मामलों में चिकित्सीय लापरवाही का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला।

5.46 तथापि, साढ़े चार साल की एक लड़की – जानवी, के मामले में विशेषज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उसकी मौत के लिए अस्पताल प्रशासन जिम्मेदार था। बच्ची को दिनांक 20 फरवरी, 2009 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह सात दिनों से पीलिया से पीड़ित थी और उसे आलर्टर्ड सेन्सोरियम विकसित हो गया था। बच्ची के रोग की पहचान “गुर्दे की खराबी के साथ-साथ ग्रेड पअ का मस्तिष्क विकास और उसके

साथ गंभीर वायरल हेपेटाइटिस” के रूप में हुई। उसे इसी अस्पताल के पी0आई0सी0यू0 में रैफर किया गया। तथापि, उसे आई0सी0यू0 नहीं ले जाया गया और “बिस्तर की अनुपलब्धता” कारण बताया गया। अगले दिन भी आई0सी0यू0 से बातचीत की गई लेकिन “बिस्तर अनुपलब्ध” था। इसी दौरान बच्ची की तबीयत बिगड़ती चली गई। बच्ची को अंत में बेहोशी की हालत में गंभीर हाईपोटेंशन तथा दर्दनाक उत्तेजकों के प्रति बिना किसी संवेदना के दिनांक 21 फरवरी, 2009 को 11:45 रात्रि को आई0सी0यू0 में ले जाया गया। अंततः दिनांक 24 फरवरी, 2009 को बच्ची की मृत्यु हो गई।

5.47 विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत किए गए निष्कर्षों पर विचार करने के बाद आयोग ने प्रेक्षण किया कि जब जानवी को अस्पताल में पहली बार भर्ती कराया गया था तब वह गंभीर रूप से बीमार थी। उसे आई0सी0यू0 में रैफर किया गया लेकिन अगले 30 घंटों तक वह आई0सी0यू0 नहीं पहुंच सकी। यह 30 घंटे बहुत की महत्वपूर्ण साबित हुए। अंत में जब उसे 30 घंटों के बाद आई0सी0यू0 में भर्ती किया गया तो वह बेहोशी की हालत में थी और दर्दनाक उत्तेजकों के दिए जाने के बावजूद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रही थी। अस्पताल के स्टॉफ की इस उदासीनता के कारण बच्ची की मृत्यु हो गई।

5.48 जहां तक जानवी के मामले का संबंध है, अस्पताल प्रशासन तथा डॉक्टरों की लापरवाही और उदासीनता साफ नजर आती है। आयोग का यह मत है कि सरकार द्वारा कुछ वित्तीय सहायता की जानी चाहिए ताकि उस बच्ची के माता-पिता को कुछ सात्वना मिल सके। अतः आयोग ने सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि वित्तीय राहत क्यों न दी जाए।

5.49 इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जो आयोग के विचाराधीन है।

5. भद्रक जिला अस्पताल, ओडिशा में गलत खून चढ़ाने की वजह से महिला की मृत्यु (मामला संख्या 1579/18/18/2012)

5.50 आयोग को एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया गया था कि श्रीमती राजलक्ष्मी बारिक, धर्मपत्नी श्री राजेन्द्र बारिक को भद्रक जिला अस्पताल में एक बच्चे को जन्म देने के बाद बी रक्त दिया गया था जबकि उनका रक्त समूह ए था। जैसे ही उनकी तबीयत खराब होने लगी और गंभीर हो गई, उन्हें एस0सी0बी0 मेडिकल कॉलेज, कटक ले जाया गया जहां दिनांक 28 जून, 2012 को उनकी मृत्यु हो गई।

5.51 आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में ओडिशा सरकार ने प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन तथा हैड ऑफ दि डिपार्टमेंट ऑफ दि ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की रिपोर्टें अग्रेषित की। रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया गया कि स्वर्गीय श्रीमती राजलक्ष्मी को जिला मुख्यालय अस्पताल में ए रक्त समूह का मरीज होने के बावजूद भी बी रक्त समूह का एक यूनिट रक्त चढ़ाया गया था। आगे यह भी बताया गया कि उन्हें दिनांक 4 मई, 2012 को

“पोस्ट पार्टम – पोस्ट ट्रांसप्यूज़न रीनल फेलियर विद अनीमिया” का मामला होने के कारण उन्हें एस0सी0बी0 मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका उचित उपचार किया गया और उनकी स्थिति में सुधार भी आया जिसके बाद उन्हें दिनांक 25 मई, 2012 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। लेकिन उन्हें एक बार फिर दिनांक 7 जून, 2012 को ‘पुएरपेरल सेपसिस एण्ड एन्ट्रिक फीवर’ के मामले में भर्ती कराया गया, उपचार किया गया और छुट्टी दे दी गई। अंततः उन्हें एक बार फिर “पुएरपेरलसेपसिस विद ए0आर0एफ0 एण्ड सी0आर0एफ0, पॉसिबली एस0एल0ई0 नेफरोपैथी” के मामले में अस्पताल में भर्ती किया गया और दिनांक 27 जून, 2012 को उनकी मृत्यु हो गई। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि उनकी मृत्यु बेमेल रक्त के कारण नहीं हुई थी बल्कि मृत्यु का कारण ए0आर0एफ0, सेकेन्ड्री टू पुएरपेरल सेपसिस, सुपरइम्पोज़ड ऑन एस0एल0ई0 नेफरोपैथी प्रतीत होता है।

5.52 चूंकि हैड ऑफ दि डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में मेडिकल शब्दावली का प्रयोग हुआ है इसलिए आयोग ने इस रिपोर्ट के संबंध में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं ली, विशेषतः यह जानने के लिए कि भिन्न रक्त समूह चढ़ाए जाने से जटिलताएं और बढ़ी थीं और अंततः मरीज की मृत्यु हो गई थी।

5.53 चिकित्सा विशेषज्ञों ने विशेषरूप से कहा कि इस मामले में बेमेल रक्त चढ़ाना, मृत्यु का कारण प्रतीत नहीं हो रहा है क्योंकि मरीज को अन्य गंभीर व्याधियां थीं जैसे कि पोस्ट-पार्टम सेपसिस, मायोकार्डिटिस और रीनल फेलियर।

5.54 रिपोर्टों तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों के निष्कर्षों पर विचार करने के बाद आयोग ने प्रेक्षण किया कि मृतका को बेमेल रक्त चढ़ाया गया था जिसके कारण मरीज की जटिलताएं बढ़ गई थीं और स्थिति बिगड़ गई थी। आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18(क)(प) के तहत ओडिशा सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि आयोग द्वारा मृतका के निकटतम संबंधी को मौद्रिक राहत का भुगतान करने की सिफारिश क्यों न की जाए।

5.55 राज्य सरकार की तरफ से कारण बताओ नोटिस के संबंध में कोई जवाब नहीं आने पर आयोग ने यह माना कि राज्य सरकार को इस मामले में आगे कुछ नहीं कहना है और आयोग ने अपनी दिनांक 20 जनवरी, 2014 की कार्यवाही में ओडिशा सरकार से मृतका के निकटतम संबंधी को 2,00,000/-रु० के मुआवजे का भुगतान करने और भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सिफारिश की।

5.56 ओडिशा सरकार से अनुपालन रिपोर्ट तथा भुगतान का साक्ष्य अभी तक प्रतीक्षित है।

6. टी0बी0 की दवाईयों की गंभीर कमी के कारण पूरे दो में टी0बी0 के लाखों मरीजों का उपचार खतरे में
(मामला संख्या 104/90/0/2013)

5.57 आयोग के संज्ञान में “टी0बी0 की औषधियों की गंभीर कमी, भारत संकट की स्थिति में” शीर्षक वाली

एक प्रेस रिपोर्ट आई। प्रेस रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले कुछ सप्ताह से पूरे देश में टी0बी0 के लाखों मरीजों का इलाज खतरे में आ गया है क्योंकि भारत में टी0बी0 की औषधियों की गंभीर कमी हो गई है। टी0बी0 उपचार कार्यक्रम के तहत औषधि खरीदने और उसे राज्यों में वितरित करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। स्टॉक समाप्त हो जाने की यह स्थिति, कभी न समाप्त होने वाले उन मुद्दों का परिणाम है जिसने औषधि अधिप्रापण को जकड़ रखा है। रिपोर्ट में आगे यह भी उल्लेख किया गया कि विशेषज्ञों के मतानुसार जब तक सरकार तत्काल हस्तक्षेप नहीं करेगी, इस प्रकार की कमी खतरनाक साबित हो सकती है।

5.58 प्रेस रिपोर्ट पर स्वतःसंज्ञान लेते हुए आयोग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से तथा सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के स्वास्थ्य सचिवों से रिपोर्टें मांगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सभी राज्यों में टी0बी0 की औषधियों की उपलब्धता की स्थिति के बारे में जानकारी देने के साथ-साथ केन्द्र सरकार द्वारा दो श्रेणियों – पीडरिआटिक तथा ड्रग रजिस्ट्रेंट टी0बी0 या डी0आ0 – टी0बी0 के टी0बी0 औषधियों की गंभीर कमी से निपटने के लिए पहले से उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने का निदेश दिया।

5.59 अब तक प्राप्त हुए जवाबों पर आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है। जिन राज्यों से अभी तक रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं, आयोग द्वारा उन्हें अनुस्मारक जारी किए गए हैं।

7. **बिहार और राजस्थान राज्यों में निजी अस्पतालों द्वारा चलाई गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अवांछित गर्भाशयोच्छेदन** (मामला संख्या 2090/4/0/2013)

5.60 आयोग के संज्ञान में "वूमस एण्ड वूल्फ" शीर्षक वाली एक प्रेस रिपोर्ट आई। प्रेस रिपोर्ट में इस बात को उजागर किया गया कि किस प्रकार गरीबों के लिए वरदान साबित होने वाली कल्याणकारी योजनाएं, कुछ बेशर्म डॉक्टरों के लालच के चलते एक श्राप में परिवर्तित हो जाती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर एस बी वाई), गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को 30,000/-रु0 प्रति वर्ष तक निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराती है। तथापि, रिपोर्ट ने बिहार के जिला समस्तीपुर तथा राजस्थान के जिला दौसा में निजी अस्पतालों ने छोटी-मोटी परेशानी जैसे कि पेट में दर्द या मासिक धर्म संबंधी आदि के कारण अस्पताल में जाने वाली महिलाओं के गर्भाशय को निकाल देने संबंधी घटनाओं की ओर इशारा किया। संयोगवश, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत की जाने वाली प्रक्रियाओं में से गर्भाशय निकालने की लागत सबसे अधिक है। इसी कारण लालची डॉक्टरों द्वारा लोक-धन को हड़पने के लिए बिना किसी समस्या के महिलाओं का गर्भाशय निकाला जा रहा है।

5.61 रिपोर्ट के अनुसार बिहार के जिला समस्तीपुर में वर्ष 2010 और 2012 के बीच राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत किए गए कुल 14,851 ऑपरेशनों में से 5,503 में गर्भाशय निकाला गया था। इतनी बड़ी संख्या में गर्भाशय निकालने के मामले पर जिला मजिस्ट्रेट ने इसके पीछे का सच जानने के लिए पांच दिवसीय चिकित्स शिविर लगाया और पाया कि गर्भाशय निकालने के 2,600 मामलों में से 717 मामले अवांछित थे, 124

सर्जरी उम्र से पहले कर दी गई थीं, 320 मामले मूडने-लूटने के तथा 23 मामले गैर-सर्जरी के थे। जिला मजिस्ट्रेट ने जांच में पाया कि कई मामलों में अस्पताल ने केवल आर0एस0बी0वाई0 कार्ड को स्वाइप किया था और कुछ उपचार आदि नहीं किया था।

5.62 रिपोर्ट किया गया कि राजस्थान के दौसा जिले में डॉक्टरों के खिलाफ बहुत सी एफ0आई0आर0 दर्ज की गई हैं। एक शिकायतकर्ता को तो पुलिस ने ही मामले को आगे न बढ़ाने की तथाकथित धमकी दी। यह कहा गया कि डॉक्टरों के प्रति दौसा के पुलिस अधिकारियों का दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। रिपोर्ट में इस ग्रामीण क्षेत्रों स्वास्थ्य केन्द्रों के स्वास्थ्य चिकित्सकों और निजी अस्पतालों के बीच की मिली-भगत का भी खुलासा किया जिसमें सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों से निजी अस्पतालों को रैंफर करने पर कमीशन मिलने की बात सामने आई है। सरकारी अस्पतालों के कर्मचारी, मरीजों को निजी क्लीनिकों तक ले जाने वाले एजेंटों का कार्य करते हैं।

5.63 प्रेस रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए आयोग ने अपनी दिनांक 17 जून, 2013 में प्रेक्षण किया कि इससे सरकार को केवल वित्तीय हानि नहीं हुई है। चेतनत्व तथा कामेच्छा के अभाव ने महिलाओं के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है, वास्तव में वे ही असली पीड़ित हैं। इन हालातों ने आयोग को बाध्य किया कि इस बारे में बिहार और राजस्थान सरकार से तत्काल की रिपोर्ट मांगी जाए, विशेषतः यह जानने के लिए कि इस बारे में उन्होंने क्या कार्रवाई की है। बिहार सरकार ने इस संबंध में रिपोर्ट अग्रेषित कर दी है किन्तु राजस्थान सरकार से अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

5.64 अतः राजस्थान सरकार को एक अनुस्मारक भेजा गया जिसमें उन्हें आठ सप्ताह के अंदर-अंदर रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया, और ऐसा न होने पर आयोग को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13 के तहत सख्त कार्रवाई करनी होगी। प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार से भी विस्तृत रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है।

5.65 बिहार और राजस्थान राज्य सरकारों से रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित हैं तथा आयोग द्वारा मामले पर विचार किया जा रहा है।

8. उत्तरी रेलवे के प्लेटफॉर्म पर दूषित पेयजल की आपूर्ति (मामला संख्या 1146/30/0/2014)

5.66 उत्तरी रेलवे के प्लेटफॉर्म पर दूषित पेयजल की आपूर्ति संबंधी एक न्यूज़ रिपोर्ट आयोग के संज्ञान में आई। रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से एकत्रित किए गए नमूनों में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, जो बहुत सी गंभीर जल प्रसारित बीमारियों को फैलाते हैं, की काफी अधिक मात्रा पाई गई थी और यह पीने के लिए असुरक्षित पाए गए। इसी प्रकार मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से एकत्रित किए गए पानी के 59 प्रतिशत नमूने भी दूषित पाए गए जबकि अम्बाला स्टेशन से एकत्रित किए गए 94 प्रतिशत नमूने भी दूषित थे। यह भी रिपोर्ट किया गया कि इतने अधिक स्तर के संदूषण का मुख्य कारण इन स्टेशनों पर जल प्रशोधन प्लांट

का न होना था। जहां कहीं भी जल प्रशोधन प्लांट स्थित थे वहां उनकी स्थिति तथा रखरखाव असंतोषजनक था और यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यह भी बताया गया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के जल प्रशोधन प्लांट का रखरखाव या पानी में क्लोरीन डालने का कार्य एक प्राइवेट कंपनी को सौंपा गया है और जब उत्तरी रेलवे के वरिष्ठ इंजीनियर ने निरीक्षण किया और कंपनी से प्लांट के रखरखाव के बारे में पूछा तो कंपनी ने उन्हें न्यायालय में ले जाने की धमकी दी।

5.67 जैसे ही इस समाचार से कई मिलियन यात्रियों के स्वास्थ्य के अधिकार के गंभीर उल्लंघन के बारे में चिंता सिर उठाने लगी तो आयोग ने मामले के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए और अपनी दिनांक 27 फरवरी, 2014 की कार्रवाई में उत्तरी रेलवे के संबंधित प्राधिकारियों को इस मामले में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किए।

5.68 आयोग के नोटिस के जवाब में उत्तरी रेलवे के मुख्य अभियंता (मुख्यालय), नई दिल्ली ने अपना जवाब देने के लिए 15 दिन का समय मांगा। आयोग अभी भी मामले पर विचार कर रहा है।

9. मालदा मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, पश्चिम बंगाल में नवजात शिशुओं की मृत्यु (मामला संख्या 652/25/11/2013)

5.69 “मालदा में एक बार फिर नवजात शिशुओं की मौत, 24 घंटे के अंदर 8 और बच्चों की मृत्यु” शीर्षक वाली प्रेस रिपोर्ट ने आयोग का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। प्रेस रिपोर्ट में कहा गया कि पश्चिम बंगाल में मालदा मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल (एम.एम.सी.एच.) में 24 घंटों के अंदर-अंदर 8 नवजात शिशुओं की मृत्यु हो गई। इन बच्चों की मृत्यु से इनके माता-पिता के अंदर खलबली और घबराहट घर कर गई है। प्रेस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुछ अभिभावकों (माता-पिता) ने इस अस्पताल में भर्ती अपने बच्चों को इस आधार पर छुट्टी देने के लिए कहा है कि यहां उन्हें बेहतर इलाज नहीं मिल रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि नवजात शिशुओं की मृत्यु के मामले की जांच करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी, मालदा की अध्यक्षता में सात सदस्यों की एक जांच समिति का गठन किया गया है।

5.70 प्रेस रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने प्रेक्षण किया कि प्रेस रिपोर्ट की विषय वस्तु ने नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के अधिकार के उल्लंघन के संबंध में गंभीर चिंता का प्रश्न उठाया और पश्चिम बंगाल की सरकार को तथा जिला मजिस्ट्रेट, मालदा, पश्चिम बंगाल को इस मामले में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।

5.71 संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों पर आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

10. जम्मू एवं कश्मीर के जिला बारामूला में अस्पताल के प्राधिकारियों की लापरवाही के कारण दो नवजात शिशुओं की मृत्यु (मामला संख्या 370/9/3/2012)

5.72 आयोग को जिला बारामूला में अस्पताल के प्राधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई दो नवजात शिशुओं की मृत्यु के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत में यह आरोप लगाया गया कि बिजली की आपूर्ति नहीं होने पर अस्पताल ने जेनरेटर चालू नहीं किया था। इसके कारण दो नवजात शिशु जो वेंटीलेटर पर थे, की मृत्यु हो गई।

5.73 आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस के जवाब में बारामूला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। उनकी रिपोर्ट में बताया गया कि दो नवजात शिशुओं को बारामूला के जिला अस्पताल में वेंटीलेटर पर रखा गया था और रात में बिजली चली गई और सुबह तक यह परिस्थिति बनी रही। सामान्यतः अस्पताल के प्राधिकारी विकल्प के तौर पर बिजली की आपूर्ति के लिए जेनरेटर चलाते हैं। किन्तु ऐसा नहीं किया गया जिसके कारण एक नवजात शिशु की बारामूला अस्पताल में ही मृत्यु हो गई तथा दूसरे नवजात शिशु को श्रीनगर रैफर किया गया जिसने पत्तन के निकट दम तोड़ दिया। किसी प्रकार की शिकायत के अभाव में पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया।

5.74 जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने आयोग को कश्मीर के स्वास्थ्य सेवा (मुख्यालय) के उपनिदेशक द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट अग्रेषित की। रिपोर्ट से पता चला कि जांच समिति द्वारा तैयार की गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर दो चिकित्सा अधिकारियों तथा तीन पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई और उनके खिलाफ चार्जशीट भी दर्ज की गई।

5.75 सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद आयोग ने प्रेक्षण किया कि लापरवाह चिकित्सा अधिकारी तथा पैरामेडिकल स्टाफ प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए और उन्हें चार्जशीट भी किया गया। दोनों नवजात शिशु घोर लापरवाही की वजह से मारे गए, जो उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन था। अतः आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत जम्मू एवं कश्मीर सरकार को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया कि दोनों मृतक बच्चों के निकटतम संबंधियों को अंतरिम राहत का भुगतान करने की सिफारिश क्यों न की जाए। मुख्य सचिव को भी निदेश दिया गया कि वो दोषी चिकित्सा अधिकारियों तथा पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ शुरु की गई विभागीय कार्रवाई का परिणाम भी सूचित करें।

5.76 चूंकि अभी तक कारण बताओ नोटिस तथा संबंधित अनुस्मारक का कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए आयोग ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार से चिकित्सा अधिकारियों एवं स्टाफ की लापरवाही के कारण हुई दो नवजात शिशुओं की मौत, जो कि उनके जीवन जीने के मानव अधिकारों का उल्लंघन था, के मुआवजे के रूप में प्रत्येक बच्चे के माता-पिता को को 3,00,000/-₹0 की दर से मुआवजे का भुगतान करने की सिफारिश की।

5.77 आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों पर जम्मू एवं कश्मीर सरकार की अनुपालन रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

11. ओडिशा के जिला गंजम में सरकारी अस्पताल में बंध्याकरण के कारण एक महिला की मृत्यु

(मामला संख्या 1479/18/5/2011)

5.78 आयोग को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई कि 28 वर्षीया श्रीमती महादेई रेड्डी का ओडिशा के जिला गंजम के पतापुर ब्लॉक के सरकारी अस्पताल में बंध्याकरण प्रक्रिया हुई थी तथापि, कुछ जटिलताओं के कारण श्रीमती महादेई की मृत्यु हो गई। शिकायत में यह आरोप लगाया गया कि डॉ० पी. कुरुमेय, आंख के विशेषज्ञ ने प्रक्रिया को अंजाम दिया था और मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी (सी०डी०एम०ओ०) डॉ० सूर्य किरण पटनायक द्वारा उन्हें ऑपरेशन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी।

5.79 आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में ओडिशा सरकार ने सूचित किया कि मृतक बच्चों के कानूनी उत्तराधिकारी 50,000/-रु० के मुआवजे के पात्र हैं तथा उन्हें इतनी धनराशि का भुगतान करने संबंधी कदम उठाए जा रहे हैं।

5.80 आयोग ने यह भी प्रेक्षण किया कि इस प्रकार के आरोप भी लगाए गए थे कि जिनस डॉक्टर ने यह प्रक्रिया की थी वह ऐसा करने में सक्षम नहीं था और उसकी लापरवाही एवं अयोग्यता के कारण श्री महादेई की मृत्यु हुई। इस कारण से इस मामले में यथोचित कार्रवाई जरूर की जाएगी।

5.81 दूसरी तरफ मृतक महिला की पोस्टमार्टम जांच से पता चला कि आंतों में छिद्र हो जाने के कारण जटिलता बढ़ गई। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि डॉक्टरों की तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई थी। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण मामलों में 50,000/-रु० के इंश्योरेंस का प्रावधान विद्यमान है तथा गंजम के मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी इंश्योरेंस कम्पनी के साथ मृतक के परिवार को राशि का भुगतान कराने की कोशिश कर रहा था। जिस डॉक्टर ने यह प्रक्रिया की थी उसे भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी दी गई।

5.82 रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग ने प्रेक्षण किया कि रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि बंध्याकरण के ऑपरेशन के बाद आंतों में छिद्र हो जाने की वजह से होने वाली जटिलताओं के चलते श्री महादेई की स्थिति और गंभीर हो गई थी जिसके कारण अंततः उनकी मृत्यु हो गई। अतः प्रथम दृष्टया, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर मरीज की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था जिसे काफी हद तक अपर निदेशक ने भी स्वीकार किया है और उन्होंने इस सर्जन को भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी भी दी है। आयोग का मानना है कि इस मामले में यह चेतावनी बहुत ही नम्र और कम है।

5.83 आयोग ने आगे प्रेक्षण किया कि मृतक महिला जो सिर्फ 28 वर्ष की थी, के परिवार के सदस्यों या निकट संबंधी को केवल 50,000/-रु० का प्रस्तावित मुआवजा पूरी तरह से अपर्याप्त एवं अनुचित है।

5.84 आयोग ने अपनी दिनांक 3 जून, 2013 की कार्रवाई में मृतका के बंध्याकरण ऑपरेशन के दौरान हुई

लापरवाही तथा प्रथम दृष्टया मृतका के मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए ओडिशा सरकार से सिफारिश की कि मृतका श्रीमती महादेई रेड्डी के निकटम संबंधी को अतिरिक्त मुआवजे के रूप में 2,50,000/-₹0 की राशि का भुगतान किया जाए।

5.85 सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिशा सरकार को भी निदेश दिया गया कि मामले की गहराई से जांच कराई जाए तथा इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले डॉक्टर तथा मेडिकल स्टॉफ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए।

5.86 इस मामले में मृतका के परिवार के सदस्यों को मुआवजे के भुगतान के साक्ष्य सहित की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई। राज्य सरकार से प्राप्त जवाब पर आयोग अभी विचार कर रहा है।

12. ओडिशा के जिला गंजम में स्टोन क्रशिंग यूनिटों में कार्यरत मजदूरों के स्वास्थ्य के अधिकार

(मामला संख्या 134/18/5/07-08)

5.87 आयोग को श्री टी0 दुर्योधन रेड्डी से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने ओडिशा के जिला गंजम में स्टोन क्रशिंग यूनिट में कार्यरत मजदूरों के स्वास्थ्य अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। मामले को संज्ञान में लेते हुए आयोग ने संबंधित प्राधिकारियों से रिपोर्ट तलब की। आयोग को समाहर्ता एवं जिला मजिस्ट्रेट, गंजम, ओडिशा तथा पुलिस अधीक्षक, बेरहमपुर, ओडिशा की रिपोर्टें प्राप्त हुई। दोनों ही रिपोर्टों में इस आरोप को खारिज किया।

5.88 आयोग ने इन रिपोर्टों को असंतोषजनक मानते हुए गंजम के समाहर्ता एवं जिला मजिस्ट्रेट को संबंधित क्रशिंग यूनिटों में निरीक्षण करने तथा आयोग को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए श्रम विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात करने का निदेश दिया।

5.89 जवाब में गंजम के समाहर्ता एवं जिला मजिस्ट्रेट ने सहायक श्रमायुक्त, बेरहमपुर की एक रिपोर्ट को अग्रेषित किया जिसमें यह बताया गया कि स्टोन क्रशिंग यूनिटों में कार्य करने वाले मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है और यह स्टोन ब्रेकिंग एवं क्रशिंग इंडस्ट्री – न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत एक अनुसूचित रोजगार के रूप में अधिसूचित है और न्यूनतम मजदूरी को पिछली बार 13 जुलाई, 2009 को अधिसूचना संख्या 972 द्वारा संशोधित किया गया था। सहायक श्रमायुक्त की रिपोर्ट में आगे कहा गया कि मजदूरों की आवधिक जांच के लिए न तो कोई दिशानिर्देश विद्यमान हैं और न ही स्टोन क्रशिंग यूनिट में काम करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य बीमा के लिए कोई प्रावधान है।

5.90 आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया और ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव से निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कहा :

- (क) क्या ओडिशा राज्य में सभी स्टोन क्रशिंग यूनिटों, विशेषतः गंजम जिले में संचालित की जा रही और शिकायत में उल्लिखित स्टोन क्रशिंग यूनिट को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाणपत्र मिला है।
- (ख) स्टोन क्रशिंग यूनिटों का पर्यावरण कानूनों के उपबंधों के अनुरूप स्थापन एवं संचालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?
- (ग) स्टोन ब्रेकिंग तथा क्रशिंग यूनिट में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम भत्ते संशोधित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है, क्योंकि इस प्रकार का संशोधन वर्ष 2009 में किया गया था।
- (घ) क्या सरकार के पास स्टोन क्रशिंग यूनिटों में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए स्वास्थ्य बीमा शुरू करने के लिए कोई योजना है।

5.91 जवाब में प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, ओडिशा सरकार ने निम्नलिखित सूचना देते हुए एक अंतरिम रिपोर्ट अग्रेषित की :

- (क) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत कानूनी अपेक्षताओं को पूरा न करने वाली स्टोन क्रशिंग यूनिटों को बंद करने की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ख) क्रशिंग यूनिटों के लिए न्यूनतम भत्तों संबंधी संशोधन हेतु आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करते हुए श्रम एवं ई0एस0आई0 विभाग द्वारा न्यूनतम भत्तों में संशोधन संबंधी प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी गई है और आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20 जून, 2012 थी तथा इसके बाद आपत्तियों/ सुझावों पर विचार करने के बाद निर्याणक अधिसूचना जारी की जाएगी ।
- (ग) कम से कम 10 कर्मचारियों वाली स्थापनाओं तथा स्टोन क्रशर सहित फैक्टरियों के लिए ई0एस0आई0 अधिनियम, 1948 मान्य है और इसलिए स्टोन क्रशिंग यूनिटों में अधिनियम द्वारा कवर किए गए कर्मचारियों को चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराई जाती है और ई0एस0आई0 स्कीम तीन केन्द्रों अर्थात् गंजम, बेरहामपुर तथा अस्का में कार्यान्वित की गई है। इसके अलावा, गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आने वाले मजदूरों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीम योजना के तहत कवर किया गया है।

5.92 इसके बाद आयोग को ओडिशा सरकार के गृह विभाग के संयुक्त सचिव से एक अन्य रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें यह बताया गया था कि राज्य सरकार ने स्टोन ब्रेकिंग या स्टोन क्रशिंग यूनिटों में काम करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम 126/—रु0 प्रतिदिन का भत्ता अधिसूचित किया हुआ है। निदेशक, पर्यावरण सह

विशेष सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, ओडिशा सरकार ने भी सूचित किया कि ओडिशा राज्य में चल रही कुल 1932 स्टोन क्रशर यूनिटों में से 772 को बोर्ड की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा अनुमति चाहने वाले 407 आवेदन प्रक्रिया में हैं। 361 यूनिटों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 392 स्टोन क्रशर यूनिटों को बंद करने के निदेश जारी किए जिनमें से 159 यूनिटों को जिला प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया। जहां तक स्टोन क्रशर यूनिटों पर ई0एस0आई0 अधिनियम, 1948 के मान्य होने का संबंध है, संयुक्त सचिव, श्रम एवं ई0एस0आई0 विभाग, ओडिशा सरकार ने उपनिदेशक (आर ई वी – 1), राज्य कर्मचारी बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, ओडिशा के दिनांक 27 सितम्बर, 2013 के पत्र की एक प्रति अग्रेषित की जिसमें खुलासा किया गया कि राज्य के सात जिलों में न्यूनतम दस कर्मचारियों वाली 63 यूनिटों को ई0एस0आई0 अधिनियम के तहत कवर किया गया था।

5.93 इसके बाद आयोग ने दिनांक 21 जनवरी, 2014 को मामले पर विचार किया और निदेशक, पर्यावरण सह विशेष सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, ओडिशा सरकार से मामले के संबंध में और स्थिति रिपोर्ट मांगी। मुद्दा अभी भी आयोग के विचारणाधीन है।

13. राजस्थान के अवैध पत्थर खदानों में काम करने वाले मजदूरों की बिगड़ते हुए स्वास्थ्य के कारण मौत

(मामला संख्या 2204/20/2/2011)

5.94 आयोग को श्री संजीव कुमार चड्ढा से एक शिकायत प्राप्त हुई कि अलवर में खदान एवं स्टोन क्रशर माफिया तथा माईनिंग इंजीनियर श्री जे0पी0 जाखड़ के बीच तथाकथित गठबंधन है जिसके कारण अरावली की पहाड़ियों में किसी तकनीकी निदेश के बिना अवैध रूप से खनन जारी है जिसके कारण खदानें नियमित रूप से गिर रही हैं और गरीब मजदूरों की अप्राकृतिक रूप से मौत हो रही है। शिकायतकर्ता ने दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका में (25 एवं 26 अगस्त, 2011) प्रकाशित हुई न्यूज रिपोर्ट का भी संदर्भ दिया जो राजस्थान के जिला अलवर की तहसील तिजारा के ग्राम कहरानी में खदानों के ढह जाने के कारण झारखंड से चार विस्थापित मजदूरों तथा नेपाल से आए दो मजदूरों की मृत्यु हो जाने के बारे में थी। उन्होंने आगे यह भी आरोप लगाया कि यह तिजारा में पिछले 10 महीनों के दौरान असुरक्षित, अवैध खनन के कारण हुई तीसरी दुर्घटना थी जिसमें 25 से भी अधिक गरीब विस्थापित मजदूर मारे गए।

5.95 आयोग ने शिकायत संज्ञान में ली और राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव से इस संबंध में एक रिपोर्ट मांगी।

5.96 जवाब में उपसचिव, गृह विभाग (मानव अधिकार), राजस्थान सरकार ने जिला मजिस्ट्रेट, अलवर की रिपोर्ट को अग्रेषित किया। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि कहरानी गांव में अवैध रूप से खनन कार्य चल रहा था और दिनांक 24 अगस्त, 2011 को खदानों के ढह जाने के कारण छः मजदूरों की मृत्यु हो गई तथा तीन अन्य घायल हो गए। इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत एफ0आई0आर0 संख्या 315/11 दर्ज की गई जिसमें तीन व्यक्तियों का नाम रिपोर्ट में था और उन्हें गिरफ्तार किया गया और जांच

अभी लंबित है। चूंकि कोई भी मृतक या घायल व्यक्ति स्थानीय निवासी नहीं था इसलिए उन्हें किसी प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई। रिपोर्ट में आगे यह भी उल्लेख किया गया कि अवैध खनन को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

5.97 जिला मजिस्ट्रेट, अलवर द्वारा अग्रेषित की गई रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग ने प्रेक्षण किया कि उक्त रिपोर्ट में शिकायतकर्ता के उन विशिष्ट आरोपों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जिसमें उसने उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए लगातार हो रहे अवैध खनन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का नाम लिया है। इसके बाद आयोग ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को अवैध खनन को रोकने के लिए उठाए गए कदम तथा की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, पर प्रकाश डालते हुए एक अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया। मुख्य सचिव को क्षेत्र में अवैध खनन के कारण हुई दुर्घटनाओं के साथ-साथ जान की हानि तथा मृतक और घायल के निकटतम संबंधी के पुनर्वास का विवरण प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया।

5.98 आयोग के निदेशों के जवाब में अपर निदेशक, खान ने दिनांक 7 मई 2013 को अलवर जिले के एक खनन अभियंता की एक रिपोर्ट अग्रेषित की जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान अवैध खनन को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को इंगित किया गया है। रिपोर्ट में यह खुलासा भी किया गया कि उठाया गया मुद्दा एस0एल0पी0 संख्या 19628-29/09 की विषय वस्तु है जिसमें दिनांक 14 दिसम्बर 2011 के आदेशानुसार एक केन्द्रीय कार्यकारी समिति गठित की गई और उसने दिनांक 4 जनवरी, 2012 को उच्चतम न्यायालय में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। केन्द्रीय कार्यकारी समिति ने रिकार्ड पर खनन अभियंता श्री जे0पी0 जाखड़ की प्रशंसा की है जिनके खिलाफ आरोप लगाए गए थे। तथापि, रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया कि दिनांक 24 अगस्त, 2011 को हुई घटना, जिसमें छः मजदूर मारे गए थे और चार अन्य घायल हो गए थे, के संबंध में पुलिस स्टेशन भिवाड़ी, फेस-ए में एक एफ0आई0आर0 संख्या 315/11 दायर की गई। इसके अतिरिक्त यह रिपोर्ट किया गया कि उसी जगह पर दिनांक 16 अक्टूबर, 2011 को तीन अन्य मजदूरों की मृत्यु हो गई थी तथा एक और एफ0आई0आर0 संख्या 39/11 दर्ज कराई गई थी तथा वन विभाग द्वारा कार्रवाई की गई थी।

5.99 आयोग ने दिनांक 16 सितम्बर, 2013 को मामले पर विचार किया और प्रेक्षण किया कि रिपोर्ट में एफ0आई0आर0 संख्या 315/11 और एफ0आई0आर0 संख्या 39/11 की जांच के बारे में तथा मृतकों एवं घायलों के निकटतम संबंधियों के पुनर्वास के संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया। तदनुसार, राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को चार सप्ताह के अंदर उपरोक्त मुद्दों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

5.100 राजस्थान सरकार के खनन विभाग के उप-सचिव ने सूचित किया कि एफ0आई0आर0 संख्या 315/11 में चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई है और एस0एल0पी0 संख्या 19628-29/09 के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में 25 स्टोन क्रशर्स को सील कर दिया गया। 27 खनन

क्षेत्रों में भी कार्य रोक दिया गया। वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान राज्य ने तिजारा तहसील के 15 स्टोन क्रशर्स से 62,96,00,000 /-रु० की मांग की। अवैध खनन को रोकने के लिए भी कदम उठाए गए। अलवर के खनन अभियंता श्री जे०पी० जाखड़ के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी।

5.101 आयोग ने दिनांक 21 जनवरी, 2014 को रिकार्ड पर रखे गई सामग्री पर विचार किया और प्रेक्षण किया कि मृतकों तथा घायलों के निकटतम संबंधियों के पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों के बारे में नहीं बताया गया। तदनुसार, राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव से मृतक मजदूरों के परिवार के सदस्यों के पुनर्वास के स्तर से संबंधित एक अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। राज्य सरकार की संबंधित रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

भोजन का अधिकार

6.1 वर्ष 1948 में मानव अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के अनुच्छेद 25 में तथा वर्ष 1966 में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में भोजन के अधिकार को संहिताबद्ध करने के बावजूद भी 1970 के दशक तक मानव अधिकार के प्रवर्तकों के लिए भी भोजन को मानव अधिकार के रूप में समझना अनिश्चित और कठिन रहा। “अधिकारों” की सोच में एक मुख्य वैचारिक बदलाव आया जब भोजन के अधिकार के विधिक अंतर्वस्तु पर संयुक्त राष्ट्र के लिए तैयार किए गए एक अध्ययन में राज्य के दायित्वों के तीन स्तरों के विस्तार : मानव अधिकारों का सम्मान, रक्षा तथा पूर्ति — एक ऐसी अवधारणा जिसे अब मानव अधिकार संबंधी कार्यों में नियमित रूप से प्रयोग में लाया जाता है — को शामिल किया गया। “पर्याप्त भोजन का अधिकार” की सोच एवं समझ की दिशा में हुए इस विकास ने सभ्य समाज के ठेकेदारों को वर्ष 1996 में रोम में हुए विश्व खाद्य सम्मेलन में इसे मौलिक मानव अधिकार बनाने के लिए आंदोलन करने पर बाध्य किया।

6.2 इसके परिणामस्वरूप विश्व खाद्य सुरक्षा संबंधी रोम घोषणापत्र के रूप में महत्वपूर्ण प्रगति हुई जिसने “प्रत्येक को पर्याप्त भोजन के अधिकार तथा भूख से मुक्ति के मौलिक अधिकार के अनुरूप सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की सुलभता का अधिकार” को एक बार फिर दृढ़तापूर्वक दोहराया। वर्ष 1996 की उपलब्धियों से मिलने वाली गति के चलते वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार समिति ने 12 सामान्य वक्तव्यों को अंगीकृत किया। इसने “पर्याप्त भोजन का अधिकार” के संबंध में निर्देशात्मक अंतर्वस्तु तथा राज्य के संबंधित दायित्वों का स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया।

6.3 इसके अतिरिक्त, भोजन के अधिकार को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानकों में प्रतिपादित किया गया, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा अंगीकृत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (पर्याप्त भोजन का अधिकार संबंधी दिशानिर्देश) के संदर्भ में पर्याप्त भोजन के अधिकार के क्रमिक बोध के समर्थन में स्वैच्छिक दिशानिर्देश। “पर्याप्त भोजन का अधिकार” संबंधी दिशानिर्देशों को राज्यों के व्यवहार्य औजारों के रूप में विकसित किया गया जो राज्यों को आई0सी0ई0एस0सी0आर0 के अनुच्छेद 11 के तहत घरेलू स्तर पर अपने दायित्वों के कार्यान्वयन में मदद कर सकें। इन दिशानिर्देशों ने एक मानव अधिकार के रूप में “पर्याप्त भोजन का अधिकार” तथा पोषण के बारे में जागरुकता को बढ़ाने में काफी मदद की है। यह दिशानिर्देश, राष्ट्रीय विधिक ढांचे में भोजन के अधिकार के महत्व को पहचानने के प्रसार में भी बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। विशेषरूप से दिशानिर्देश 7, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में “पर्याप्त भोजन का अधिकार” के क्रमिक बोध को सुकर बनाने के लिए राज्यों को संवैधानिक या विधायी पुनरीक्षा के लिए आमंत्रित करता है। राज्यों को, “विशेषतः कमजोर वर्गों के सदस्यों को पर्याप्त, प्रभावी तथा त्वरित सुलभ उपचार उपलब्ध कराने के लिए प्रशासनिक, अर्ध-न्यायिक तथा न्यायिक तंत्र” की अभिकल्पना करने का भी सुझाव दिया गया।

6.4 “पर्याप्त भोजन का अधिकार” संबंधी दिशानिर्देशों की मुख्य उपलब्धियों में से एक है – भोजन के अधिकार को मानव अधिकार के रूप में मान्यता देना। ऐसी मान्यता जो धर्मार्थ आधारित मॉडल्स से परे है और व्यक्तियों एवं समुदायों को पर्याप्त, सुलभ तथा उपलब्ध भोजन का हकदार बनाती है तथा राज्यों को भोजन के अधिकार की पूर्ति करने और उसकी रक्षा एवं सम्मान के लिए बाध्य करती है। इसके अलावा, इस आदर्शवादी परिवर्तन के माध्यम से भोजन तथा पोषण के संबंध में एक नही सहमति विकसित हो गई। इस आदर्शवादी परिवर्तन ने भोजन और उर्जा, वित्त, अर्थव्यवस्था तथा पारिस्थितिक संकटों के बीच अंतःसंबंधन भी देखा। आज, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण के संबंध में मूल्य असंतुलन, खाद्य सट्टेबाजी, वृहत विकास परियोजनाएं, द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संधियां, तथा कठोर मितव्ययिता उपायों जैसी आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों के असाधारण प्रभावों के बारे में बहुत अधिक जागरुकता है। इसके चलते बहुत से सरकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने इन क्षेत्रों तथा भोजन एवं पोषण के बीच नीतिगत सम्बद्धता के महत्व को पहचाना। भूमि सुलभता, मजदूरों के अधिकार, पानी के अधिकार, शिक्षा, कृषि नीतियां आदि जैसे क्षेत्रों के साथ भोजन के अधिकार के अंतःसंबंध और इन क्षेत्रों के बीच नीतिगत सम्बद्धता के महत्व के संदर्भ में भी इसी प्रकार की पहचान बनी है।

6.5 इस आदर्शवादी परिवर्तन ने लोगों को बेहतर तरीके से समझाया है कि लोग भूख क्यों रहते हैं। आज, इस बारे में जागरुकता है कि लिंग-संबंधी भेदभाव – भूख एवं कुपोषण के महत्वपूर्ण कारणों में से एक है और भोजन एवं पोषण की सुरक्षा के लिए निर्णय लेने में उनकी सहभागिता तथा नेतृत्व और उत्तराधिकार सहित प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधनों तक उनकी समान पहुंच बहुत ही महत्व रखती है। सामाजिक बहिष्कार के अन्य रूप जैसे कि अक्षमता तथा संवेदनशीलता के अन्य रूप भी आज, भूख के कारणों में देखे जा सकते हैं।

6.6 इस आदर्शवादी परिवर्तन ने “पर्याप्त भोजन का अधिकार” के संबंध में सभी स्तरों अर्थात् वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर सफलतापूर्वक योगदान दिया है। भारत में भी भोजन का अधिकार – जीवन के अधिकार का एक आवश्यक घटक है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। तदनुसार, भारत सरकार; एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई सी डी एस) योजना, मिड डे मील योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी भोजन, आजीविका तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जो कमजोर वर्ग के लोगों को सहायता देती है ताकि उन्हें मूल जरूरतें विशेषतः भोजन सुलभ हो सके।

6.7 भारत के उच्चतम न्यायालय ने पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम भारत संघ एवं अन्य मामला, आज की तारीख तक “न्यायालय द्वारा भोजन के अधिकार की रक्षा किए जाने का सबसे असाधारण मामला है”। वर्ष 2001 में शुरू हुए इस मामले ने भूख तथा भुखमरी से होने वाली मौतों का समाधान करने में सरकार की असफलता को चुनौती दी। मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष जारी है लेकिन पिछले दशक में न्यायालय ने खाद्य असुरक्षा, गरीबी तथा बेरोजगारी के वृहत सर्वांगी मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अपने मूल क्षेत्राधिकार को बढ़ाया। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार से उत्पन्न होने वाले भोजन के संवैधानिक अधिकार को पहचानते हुए, कई योजनाओं को विधिक पात्रता के रूप में पहचानते हुए,

तथा एम0डी0एम0एस0, आई0सी0डी0एस0 तथा पी0डी0एस0 जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन के संबंध में निर्देश उपलब्ध कराते हुए अंतरिम आदेशों की एक श्रृंखला जारी की। उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय के आदेशों के अनुपालन को मॉनीटर करने तथा रिपोर्ट करने के लिए जवाबदेही के एक नए तंत्र जैसे कि आयुक्त, का सृजन करने का भी आदेश दिया।

6.8 उपरोक्त मामले ने भारत में भोजन के अधिकार के कार्यान्वयन पर इतना अधिक प्रभाव डाला कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 पारित कर दिया जिसमें प्रत्येक पात्र परिवार बहुत मामूली मूल्य (चावल, गेहूँ तथा मोटे अनाज के लिए क्रमशः 3रु0, 2रु0 तथा 1रु0) पर प्रति व्यक्ति, प्रति माह एक निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न पाने का हकदार है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को भोजन के अधिकार के पूर्णतावादी दृष्टिकोण की तर्ज पर न होते हुए एक बेहतर खाद्य पात्रता कानून होने के कारण काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। स्पष्टतः, यह आलोचना की गई कि इस कानून में उत्पादन संबंधी मुद्दों की सीधे ही संबोधित नहीं किया गया है, किसानों के लिए कोई राहत नहीं है, पोषण के प्रश्न का सही प्रकार से संबोधित नहीं किया गया है और गरीबी एवं भूख के बुनियादी कारणों का समाधान न करते हुए सार्वजनिक वितरण पर अधिक बल दिया गया।

6.9 संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपने गठन के समय से ही भोजन के अधिकार के मुद्दे को यथोचित महत्व दिया है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने देश भर के विशेषज्ञों के समावेश से भोजन के अधिकार संबंधी कोर ग्रुप का गठन किया। अपनी पूर्ववर्ती वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार, आयोग ने ओडिशा के कालाहांडी, बोलंगीर तथा कोरापुट जिलों में भुखमरी से होने वाली मौतों को संज्ञान में लिया क्योंकि भुखमरी – जीवन जीने के अधिकार की वंचना तथा घोर उल्लंघन है।

6.10 पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोग ने भारत के चुनिन्दा 28 जिलों में मानव अधिकार जागरुकता तथा सुकर मूल्यांकन एवं मानव अधिकार प्रवर्तन कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में सिक्किम के मंगन के पिछड़े जिले का पुनः दौरा किया। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार परिषद जो 2012 में शुरू हुआ था, के द्वारा सार्वभौमिक आवधिक पुनरीक्षा के द्वितीय चक्र के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत अपनी तरफ से “खाद्य सुरक्षा” के मुद्दे को भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई एक सिफारिश “खाद्य सुरक्षा को संवर्धित करने की रणनीति” की शुरुआत के रूप में देख रहा है। इसका आशय देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन का निरीक्षण करते हुए इस सिफारिश को मॉनीटर करना है। इस प्रयोजन के लिए इसने भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गई सभी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एक ढांचा तैयार किया है। इस ढांचे को अन्य पणधारियों के साथ विचार-विमर्श करके तैयार किया गया है तथा इस वार्षिक रिपोर्ट को लिखते समय तक, आयोग संबंधित मंत्रालयों के सचिवों/संयुक्त सचिवों बैठक आयोजित कराने की प्रक्रिया में था जिसका आशय क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर के विचारार्थ अनुवर्ती कार्रवाई करना था।

क. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा भोजन के अधिकार के संबंध में दृष्टांत मामले

1. हिमाचल प्रदेश में चम्बा जिले के सुदूर क्षेत्रों में पी.डी.एस. खाद्य सामग्री की कमी के कारण हजारों गरीब लोग अधिक मूल्य पर खुले बाजार से आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए बाध्य

(मामला संख्या 180/8/2/2013)

6.11 “अमर उजाला” नामक एक हिन्दी दैनिक में “तीसा में 64 डिपो में राशन नहीं” शीर्षक वाली रिपोर्ट प्रकाशित हुई। प्रेस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के उप-मंडल तीसा में पिछले तीन महीने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी की बहुत कम आपूर्ति की गई। चीनी के 1414 क्विंटल कोटे के तुलना में केवल 140 क्विंटल चीनी की आपूर्ति की गई। रिपोर्ट में आगे यह भी बताया गया कि एक महीने तक सरसों के तेल की आपूर्ति नहीं हुई थी तथा पी0डी0एस0 डिपो को 21000 लीटर की तुलना में केवल 6000 लीटर सरसों के तेल की आपूर्ति की गई। इन आवश्यक वस्तुओं की कम आपूर्ति ने दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले हजारों गरीब लोग दैनिक आवश्यकता की इन वस्तुओं को खुले बाजार से मंहगी दरों पर खरीदने के लिए मजबूर हो गए।

6.12 आयोग ने प्रेस रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित जिला प्राधिकारियों से मामले के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी।

6.13 चम्बा के उपायुक्त ने यह कहते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम के चम्बा दौरे के दौरान जिला चम्बा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले जिला नियंत्रक द्वारा एक जांच की गई थी जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि सितम्बर, 2013 के दौरान तीसा की 62 उचित मूल्य की दुकानों ने हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (एच पी एस सी एस सी एल) थोक गोदाम से आवश्यक वस्तुएं उठाई थीं। इन वस्तुओं में गेहूँ, मूँग दाल, उड़द दाल, चीनी, चावल तथा नमक शामिल था। अक्टूबर, 2013 के दौरान 64 उचित मूल्य की दुकानों ने हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (एच पी एस सी एस सी एल) थोक गोदाम तीसा से आवश्यक वस्तुएं उठाई थीं। वस्तुओं तथा मात्रा का विवरण रिपोर्ट में दिया गया है।

6.14 उपायुक्त ने आयोग को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में आगे यह बताया कि अमर उजाला के रिपोर्टर ने नवम्बर, 2013 तक आवश्यक वस्तुओं की कमी रहने का उल्लेख किया है। तथापि, चीनी, दाल, खाद्य तेल तथा नमक जैसी सब्सिडीकृत आवश्यक वस्तुएं जिनकी पूर्व में कमी आपूर्ति हो रही थी के संबंध में आपूर्ति निविदाएं पूर्ण हो जाने के बाद नवम्बर, 2013 में उनकी उपलब्धता आधिक्य में हो गई और चूंकि गेहूँ, आटा तथा चावल आदि केन्द्र द्वारा प्रायोजित लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना के तहत आ गए तो यह उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध हो गए।

6.15 उन्होंने आगे यह भी बताया कि आवश्यक वस्तुओं को वरीयता आधार पर उपलब्ध कराने के लिए एच0एस0सी0एस0सी0एल0 चम्बा के जिला नियंत्रक के साथ-साथ क्षेत्रीय प्रबंधक भी मुख्यालय के संपर्क में रहे। अलग-अलग उचित मूल्य की दुकानों पर सप्लाई की गई वस्तुओं की सूची संलग्न है।

6.16 आयोग द्वारा मामले पर अभी भी विचार किया जा रहा है।

**2. बिहार के जिला सरन में एक सरकारी प्राईमरी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद नौ बच्चों की मृत्यु हो गई तथा पचास बच्चे बीमार पड़ गए
(मामला संख्या 2467/4/32/2013)**

6.17 दिनांक 17 जुलाई, 2013 के एक अंग्रेजी दैनिक 'दि हिन्दू' में "बिहार में मिड डे मील खाने के बाद नौ बच्चों की मौत, 50 बीमार" शीर्षक से प्रकाशित एक खबर ने आयोग का ध्यान आकृष्ट किया। प्रेस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि बिहार में सरन जिला के मशरख ब्लॉक, जजौली पंचायत में गांदामान प्राईमरी स्कूल में परोसे गए मिड डे मील को खाने के बाद नौ बच्चों की मृत्यु हो गई तथा लगभग 50 बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए। रिपोर्ट के अनुसार तीन से बारह वर्ष की आयु के बच्चों को चावल, दाल, आलू तथा सोयाबीन की सब्जी परोसी गई थी। रिपोर्ट में आगे यह उल्लेख किया गया कि घटना के संबंध में एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश किए गए और राज्य सरकार ने प्रत्येक मृत बच्चे के परिवार को 2,00,000/-रु० का मुआवजा देने की घोषणा की।

6.18 आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि इस घटना के संबंध में प्रभारी प्रधानाचार्य श्रीमती मीना कुमारी के खिलाफ एक मामला अपराध संख्या 154/13 दर्ज किया गया था। आगे यह भी कहा गया कि निदेशक, एफ0एस0एल0 की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य तेल में तथा उसके बर्तन में "मोनोक्स्टोफोस" नामक एक ऑर्गेनोहोसफोरस जो कि बहुत विषैला होता है, के नमूने पाए गए। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि श्रीमती मीना कुमारी को गिरफ्तार किया गया और वह न्यायिक अभिरक्षा में हैं। उनके उपर पोलीग्रॉफ टेस्ट भी किया गया। मामले की जांच करने के लिए आठ सदस्यों की एक विशेष अन्वेषण टीम का गठन किया गया।

6.19 पुलिस अधीक्षक, सरन, चम्पारन ने अपनी दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 की रिपोर्ट में सूचित किया कि आरोपी व्यक्तियों अर्थात् मीना कुमारी तथा अर्जुन राय उर्फ अर्जुन प्रसाद यादव के खिलाफ दिनांक 19 अक्टूबर, 2013 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/307/328/201/120-बी/34 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(प)/3(2)(अ) के तहत चार्जशीट संख्या 187/13 दायर की गई और एक अन्य आरोपी ध्रुव प्रसाद यादव को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं।

6.20 आयोग ने अपनी दिनांक 24 फरवरी, 2014 की कार्यवाही में सरन के जिला मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया कि क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,

1995 के तहत या अन्यथा मृतक बच्चों के निकटतम संबंधियों या पीड़ित को किसी प्रकार की मौद्रिक राहत का भुगतान किया गया है या नहीं।

6.21 आयोग, संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों की जांच कर रहा है।

**3. तमिलनाडु में नेवेली लिग्नाईट कॉरपोरेशन गर्ल्स हॉयर सेकेन्ड्री स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 147 लड़कियां बीमार हो गईं
(मामला संख्या 1197/22/46/2013)**

6.22 दिनांक 19 जुलाई, 2013 के एक अंग्रेजी दैनिक 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में "तमिलनाडु के स्कूल में खाना खाने से 147 लड़कियां बीमार पड़ीं" शीर्षक से प्रकाशित एक खबर ने आयोग का ध्यान आकृष्ट किया। प्रेस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि नेवेली लिग्नाईट कॉरपोरेशन गर्ल्स हॉयर सेकेन्ड्री स्कूल की कक्षा छः से कक्षा नौ तक की 147 लड़कियों ने दोपहर 1:00 बजे से 1:30 बजे के बीच भोजन करने के बाद तत्काल ही उलटी और जी मिचलाने की शिकायत की। उन्हें स्कूल वैन तथा एम्बुलेंस में स्कूल से दो किलोमीटर दूर एल0एल0सी0 अस्पताल ले जाया गया। सभी को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई।

6.23 आयोग ने प्रेस रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए यह माना कि मामले में विद्यार्थियों के भोजन के अधिकार का घोर उल्लंघन हुआ है और आयोग ने अपनी दिनांक 24 जुलाई, 2013 की कार्यवाही के तहत तमिलनाडु सरकार के प्रधान सचिव (शिक्षा) तथा पुलिस अधीक्षक, कुददालोर, तमिलनाडु को इस मामले में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया।

6.24 तमिलनाडु सरकार के प्रधान सचिव (शिक्षा) तथा पुलिस अधीक्षक, कुददालोर, तमिलनाडु से रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं और आयोग उन पर विचार कर रहा है।

**4. राजस्थान के जयपुर में नारायणपुर खेड़ा गांव में तथाकथित भुखमरी तथा कुपोषण के कारण दो व्यक्तियों की मृत्यु
(मामला संख्या 815/20/6/2010)**

6.25 आयोग को दिनांक 11 मई, 2010 को एक अधिवक्ता राधाकांता त्रिपाठी से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आयोग का ध्यान ग्राम नारायणपुर खेड़ा में लम्बे समय से कुपोषण के कारण हुई बीमारियों के चलते दो व्यक्तियों नामतः नन्दा भील और कमला भील की मृत्यु की ओर आकृष्ट किया गया था। यह बताया गया कि जिला प्रशासन के कहने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने दिनांक 8 मई, 2010 को गांव का दौरा किया था और 18 मरीजों को गंभीर कुपोषण के कारण अस्पताल भेजा था। उप-मंडलीय अधिकारी ने बताया कि 24 व्यक्ति अभी भी कुपोषण के लक्षणों सहित अस्पताल में हैं।

6.26 आयोग के निदेशों के अनुसरण में राजस्थान सरकार ने सूचित किया कि दिनांक 7 मई, 2010 को कमला भील की मृत्यु बीमारी के कारण उसके घर में ही हुई थी न कि कुपोषण के कारण। दिनांक 27 और 30

अप्रैल, 2010 को महात्मा गांधी अस्पताल के डॉक्टर द्वारा उसकी चिकित्सीय जांच की गई थी और चिकित्सीय परामर्श के अनुसार उसका इलाज चल रहा था। वह त्वचा की बीमारी और श्वास की समस्या से पीड़ित थी।

6.27 रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जिला अधिकारियों के साथ-साथ एक मेडिकल टीम ने दिनांक 8 मई, 2010 को ग्रामीणों की जांच की थी और आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया था। उन्नीस मरीज त्वचा की बीमारी से पीड़ित थे। चूंकि ग्रामीणों ने अस्पताल में अपने इलाज की इच्छा जाहिर की थी इसलिए 20 मरीजों को त्वचा विशेषज्ञ द्वारा इलाज कराने के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

6.28 चिकित्सीय उपचार के अलावा रिपोर्ट भी यह कहती है कि मनरेगा स्कीम के तहत सात परियोजनाएं शुरू की गईं और 509 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। 143 परिवारों को जॉब कार्ड जारी किया गया और पात्र व्यक्तियों को पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई।

6.29 आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया और प्रेक्षण किया कि रिपोर्ट में कहीं भी यह इंगित नहीं किया गया है कि जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के बारे में, उनकी नियमित चिकित्सा जांच तथा उन्हें बी0पी0एल0 कार्ड उपलब्ध कराने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है या नहीं। रोजगार के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या, पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या तथा वास्तविक लाभार्थियों की संख्या के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। जिला प्राधिकारियों को इन पहलुओं को कवर करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

6.30 इसके जवाब में जिला मजिस्ट्रेट ने सूचित किया कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया। जिले में 80 चिकित्सा स्थापनाओं पर बी0पी0एल0 कार्डधारकों के लिए विशेष काउंटेर्स हैं। रिपोर्ट में जारी किए गए जॉब कार्ड की संख्या तथा उनके आधार पर मनरेगा स्कीम के तहत रोजगार प्राप्त कर चुके सभी व्यक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट की गई। यह उल्लेख भी किया गया कि राज्य द्वारा विधवा पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन दिए जाने वाली स्कीम के तहत प्राप्त आवेदनों की जांच की गई और उसके बाद 56,616 पात्र लोगों को विभिन्न स्कीमों के तहत पेंशन स्वीकृत की गई। तथापि, रिपोर्ट में मृतकों के निकटतम संबंधियों को मुआवजे के भुगतान के बारे में कुछ नहीं कहा गया।

6.31 जिला मजिस्ट्रेट ने सूचित किया कि कमला और नन्दा भील की मृत्यु के बाद मृतक के निकटतम संबंधी को गेंहू की एक बोरी उपलब्ध कराई गई थी।

6.32 आयोग ने भीलवाड़ा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को संबोधित रिपोर्ट जिसमें यह खुलासा किया गया था कि मरीजों की आम शिकायत हाथ और पांव में जलन, कमजोरी, रंजकता तथा त्वचा पर कुछ दिनों से लेकर 2-3 महीनों तक दाद आदि की थी – सहित रिकार्ड पर रखी सामग्री पर विचार किया। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि इलाज के दौरान पीड़ित को पौष्टिक अनुपूरक (मल्टीविटामिन इंजेक्शन और गोलियां) दिए जाने चाहिए और दीर्घकालिक पौष्टिक भरण-पोषण की सिफारिश की। आयोग ने प्रेक्षण किया कि पीड़ित व्यक्ति कुपोषण का शिकार थे और उसके बाद हुई जटिलताओं के कारण उनकी मृत्यु हुई। आयोग

ने राजस्थान सरकार को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत एक कारण बताओ नोटिस जारी किया कि मृतकों के निकटतम संबंधियों को मौद्रिक राहत का भुगतान करने की सिफारिश क्यों न की जाए।

6.33 आयोग को कारण बताओ नोटिस के संबंध में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ और आयोग ने अपनी दिनांक 22 फरवरी, 2013 की कार्यवाही में इस बात की पुष्टि की कि दो व्यक्तियों के मानव अधिकारों का हनन हुआ है और उसने मृतक कमला और नन्दा भील के निकटतम संबंधियों को राहत के रूप में 3,00,000/—रु० की राशि (प्रत्येक को) का भुगतान करने के लिए राजस्थान सरकार से सिफारिश की।

6.34 आयोग के निर्देशों के अनुसरण में जिला समाहर्ता ने यह सूचित किया कि मृतक कमला के मंगू को 3,00,000/—रु० तथा मृतक नन्दा भील की पत्नी लाली भील को भी 3,00,000/—रु० की राशि का भुगतान कर दिया गया है।

6.35 सिफारिशों के अनुपालन के बाद आयोग ने अपनी दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 की कार्यवाही में इस मामले को बंद कर दिया।

5. उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में गंभीर कुपोषण से पीड़ित दो बच्चे (मामला संख्या 33185/24/69/2012)

6.36 शिकायतकर्ता ने अपनी दिनांक 3 सितम्बर, 2012 की शिकायत में अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया कि कि सोनभद्र जिले के रौप नामक ग्राम के निवासी शिव कुमार का पुत्र मास्टर चन्द्र शेखर, आयु 2 वर्ष तथा पुत्री कुमारी मंदोदरी, आयु 7 वर्ष गंभीर कुपोषण से पीड़ित थे। शिकायतकर्ता ने इस मामले में यथोचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

6.37 आयोग के पत्राचार के अनुसरण में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट ने एस0डी0एम0, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, जिला कल्याण अधिकारी तथा अन्य द्वारा की गई संयुक्त जांच की एक विस्तृत रिपोर्ट अग्रेषित की।

6.38 रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया कि मास्टर चन्द्र शेखर तथा कुमारी मंदोदरी कुपोषण का शिकार थे। रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 23 नवम्बर, 2012 को हुई बच्चों की चिकित्सीय जांच में पता चला कि मंदोदरी रक्त की कमी तथा तिल्ली के अनावश्यक रूप से बढ़े होने के साथ-साथ कुपोषण से पीड़ित थी। चन्द्र शेखर भी कुपोषण से पीड़ित था।

6.39 उन दोनों को पोषण पुनर्वास केन्द्र, सोनभद्र में भर्ती कराया गया तथा उनका उपचार किया गया। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि बिटानी अपने पति से अलग होकर अपने बच्चों के साथ घसिया बस्ती में अपने पिता के घर रह रही थी जो जिला अस्पताल से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है। पोषण पुनर्वास केन्द्र भी उक्त जिला अस्पताल में है जहां पौष्टिक भोजन की निःशुल्क आपूर्ति की जाती है। उसके पति के नाम

पर जारी अंतोदय राशन कार्ड, उसे सौंप दिया गया ताकि वो सब्सिडीकृत मूल्य पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न, चीनी तथा अन्य वस्तुएं ले सके।

6.40 इसके अतिरिक्त यह पता चला कि घसिया बस्ती के अन्य बच्चे स्कूल जा रहे हैं, छात्रवृत्ति, वर्दी, किताबें तथा मिड डे मील ले रहे हैं। घसिया बस्ती के वरिष्ठ नागरिकों तथा विधवाओं को वृद्धावस्था पेंशन तथा विधवा पेंशन भी दी गई। रिपोर्ट में यह उल्लेख भी किया गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत घसिया बस्ती के निवासियों को 69 जॉब कार्ड जारी किए गए और बितानी के पास ऐसा जॉब कार्ड था। प्रत्येक जॉब कार्ड धारक को प्रतिदिन 142/-₹0 की राशि दी जाती है यदि वो स्कीम के तहत अपनी सेवाएं देने का इच्छुक हो तो।

6.41 आयोग ने राज्य सरकार से प्राप्त हो गई रिपोर्टों के परिप्रेक्ष्य में अपनी दिनांक 5 अगस्त, 2013 की कार्यवाही में मामले को बंद कर दिया।

शिक्षा का अधिकार

7.1 वर्ष 2002 में संविधान के 86 वीं संशोधन में अनुच्छेद 21 ए, 51 ए (के) एवं अनुच्छेद 45 का संशोधन करते हुए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। सम्मिलित अनुच्छेद 21 ए यह घोषणा करता है कि “राज्य छः से चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा इस तरीके से प्रदान करेगा कि राज्य विधि द्वारा इसका संकल्प कर सके।” अनुच्छेद 51 (के) यह दर्शाता है कि “भारत के हर एक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह माता-पिता या अभिभावक होने पर छः से चौदह वर्ष के बीच अपने बेटे या बेटी को शिक्षा का अवसर प्रदान करा सके। इसके अनुरूप ही, संशोधित अनुच्छेद 45 “सभी बच्चों को छः वर्ष की आयु पूरी होने तक देख-रेख एवं शिक्षा” प्रदान करता है।

7.2 उपरोक्त संशोधन को ध्यान में रखते हुए तथा संवैधानिक आज्ञा की पूर्ति एवं बच्चों के अधिकारों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय परिसंवादों के आदेशों के तहत, वर्ष 2009 में बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का अधिनियम पारित किया गया। अंततः यह 1 अप्रैल, 2010 को क्षमता में आया। इस अधिनियम ने अधिकार आधारित ढांचे की शुरुआत की जिसमें छः से चौदह वर्ष तक सभी बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक ऐतिहासिक कानूनी प्रावधान है।

7.3 कथित अधिनियम :

- बच्चों को पड़ोस के विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का आदेश देता है।
- स्पष्ट करता है कि ‘अनिवार्य शिक्षा’ का अर्थ संबंधित सरकार द्वारा मुफ्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने एवं विद्यालयों में अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति तथा छः से चौदह वर्ष तक सभी बच्चों के प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति के दायित्व से है। ‘मुफ्त’ का अर्थ है कि कोई भी बच्चा किसी प्रकार की शुल्क या प्रकार या खर्चों का देय नहीं होगा जो उसे प्राथमिक शिक्षा पाने या पूर्ण करने पर रोकता हो।
- विद्यालय में प्रवेश न पाने वाले बच्चों को उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश करवाने का प्रावधान बनाना।
- मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में संबंधित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी एवं माता-पिता के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों को विनिर्दिष्ट करता है एवं केन्द्र एवं राज्य सरकारों के मध्य वित्तिय एवं अन्य दायित्व साझा करता है।

- छात्र शिक्षक अनुपात, भवन, आधारभूत संरचना, विद्यालय कार्य दिवस, शिक्षक-कार्य घण्टे के साथ-साथ मानदण्डों एवं मानकों को निर्धारित करता है।
- राज्य या जिला या ब्लॉक के लिए औसत संख्या की बजाय प्रत्येक विद्यालयों में छात्र एवं शिक्षक के अनुपात को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की अतिरिक्त तैनाती करवाना ताकि शिक्षकों की तैनाती पर ग्रामीण या शहरी तैनाती पर कोई असंतुलन न रहे। यह जनगणना, स्थानीय चुनाव, राज्य विधान मण्डलों एवं संसद तथा आपदा राहत के अलावा गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों की तैनाती को निषेध करता है।
- उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित शिक्षक अर्थात् अपेक्षित प्रविष्टि या शैक्षिक अर्हता के साथ शिक्षकों की नियुक्ति प्रदान करना।
- निषेध करता है : क) शारीरिक दंड एवं मांसिक उत्पीड़न ख) बच्चों की भर्ती के लिए छानबीन की प्रक्रिया ग) प्रतिव्यक्ति शुल्क घ) शिक्षकों द्वारा ट्यूशन प्रदान करना ड.) बगैर मान्यता के विद्यालय चलाना।
- संविधान में निहित मूल्यों के आधार पर पाठ्यक्रम का विकास जिससे बच्चों का समग्र विकास, बच्चों के ज्ञान का विकास, अन्तःशक्ति एवं प्रतिभा, बच्चों को निर्भय, मानसिक आघात एवं चिन्ता से दूर रखना एवं बाल हितैषी एवं बाल केन्द्रीय शिक्षा के तहत बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है।

7.4 हालांकि इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुवीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को एक अभिकरण के तौर पर नामोदिष्ट किया गया है, फिर भी अपने मानव अधिकार जागरूकता एवं लोगों तक इसकी सुकर पहुंच तथा भारत के चयनीत 28 जिलों में मानव अधिकार कार्यक्रम के प्रवर्तन के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इस अधिनियम के परिपालन का अनुवीक्षण कर रहा है जैसा कि इसमें वंचित समूहों जैसे बाल श्रमिकों, आप्रवासी बच्चों, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों अथवा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषिक लिंग या संबंधी वंचित लोगों या अन्य किसी कारणों के साथ भारत सरकार के अन्य पलैगशीप कार्यक्रम जैसे सर्व शिक्षा अभियान एवं मध्य दिवसीय भोजन योजना इत्यादि के लिए विशिष्ट प्रावधान समाहित है।

क) शिक्षा के अधिकार के संबंध में उदाहरणार्थ मामले :

1. **कैथल, हरियाणा में एक कमरे में चलाई जा रही 400 से ज्यादा विद्यार्थियों के प्राथमिक विद्यालय में सुविधाओं का अभाव**
(मामला संख्या 3422/7/9/2014)

7.5 दैनिक अंग्रेजी अखबार 'द ट्रिब्यून' द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2014 को एक "412 विद्यार्थियों के लिए एक कमरे का विद्यालय" शीर्षक द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया

कि कैथल, हरियाणा के एक जिला मुख्यालय शहर के शक्ति नगर सरकारी प्राथमिक विद्यालय में कक्षा I से V तक पढ़ने वाले 412 बच्चों के लिए केवल एक ही कक्षा थी। उसी कमरे का इस्तेमाल वर्षा ऋतु या किसी भी बारीश के दिन में मध्य-दिवसीय भोजन बनाने के लिए किया जाता था। खुला मैदान एवं बरामदे में कक्षाएं रखी जाती थीं एवं कुछ कक्षाएं विद्यालय से 300 से 400 यार्ड दूर स्थित हो अलग चौपालों में रखी जाती थीं।

7.6 प्रेस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि विद्यालय में केवल एक ही शौचालय था जिसका इस्तेमाल शिक्षकों, विद्यालय के कर्मचारियों (पुरुष एवं महिला) एवं विद्यार्थियों (लड़कियों एवं लड़कों) द्वारा किया जाता था। पूर्ति के घण्टों के दौरान पेय जल को एक टैंक में संचित किया जाता था लेकिन पेय जल के अभाव में विद्यालय के नजदीक वाले लैंड या विमज्जनी पंपों द्वारा लाना पड़ता था। अखबार में यह भी रिपोर्ट की गई कि विद्यालय भवन की हालत इतनी खराब थी कि इसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया था। हालांकि कुछ महिने पहले, एक कमरे की जगह का प्रयोग 200 कुर्सियों एवं 80 बेंचों को संचित करने के लिए किया जाता था।

7.7 रिपोर्ट की स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने अपने दिनांक 19.03.2014 की कार्यवाही में यह पाया कि प्रेस रिपोर्ट की विषय वस्तु बच्चों, कर्मचारी सदस्यों एवं विद्यालय के शिक्षकों के मानव अधिकार उल्लंघन एवं इन लोगों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मुद्दा है। आयोग ने इस संबंध में नोटिस जारी कर हरियाणा सरकार को इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा इस मामले में अब तक कोई उत्तर नहीं मिला है।

2. अहमदाबाद, गुजरात में निधि की कमी की वजह से दलित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने से इंकार।

(मामला संख्या 803/6/1/2013)

7.8 श्री वासुदेव चरुपा ने अहमदाबाद, गुजरात में 3,105 दलित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति न देने के मामले में आयोग का ध्यान आकर्षित किया। यह आरोप लगाया कि छात्रवृत्ति के संबंध में 1,613 विद्यार्थियों के आवेदन लम्बित थे एवं प्रयाप्त निधि की कमी की वजह से 1,512 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने से इंकार किया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि दलित विद्यार्थियों के लिए लगभग 3 करोड़ रुपये निकाले गए।

7.9 आयोग ने इस संबंध में स्वतः संज्ञान लेकर दिनांक 6 जून, 2013 को गुजरात सरकार से रिपोर्ट की मांग की।

7.10 आयोग की निर्देशों के उत्तर में, प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण विभाग, गुजरात सरकार ने यह सूचना दी कि 3,125 विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति के लिए लम्बित प्रस्तावों में से संबंधित विद्यालयों या महाविद्यालयों के 1,512 विद्यार्थियों के लिए चेक जारी किया गया था। अपेक्षित विवरण एवं प्रस्तावों के सत्यापन के पश्चात् शेष 1,613 विद्यार्थियों के आवेदन लम्बित थे जैसे कि उनका आवेदन अपूर्ण था। देय अनुपालन के पश्चात्, संबंधित संस्थाओं के शेष 1,613 विद्यार्थियों के लिए चेक जारी किए गए थे अतः छात्रवृत्ति

सभी 3,125 छात्रों को दी गई थी। उसके पश्चात् यह उल्लेख किया गया वर्ष 2012-2013 के लिए उच्चतर माध्यमिक छात्रवृत्ति योजना के तहत सम्पूर्ण राज्य के लिए रु0 80 करोड़ के प्रावधानों की तुलना में रु0 109.86 करोड़ रुपये के अनुदान को आबंटित किया गया। इसके पश्चात् यह उल्लेख किया गया कि कुछ 16.39 करोड़ रुपये की राशि अहमदाबाद जिले को आबंटित की गई एवं निधि की कमी की वजह से छात्रवृत्ति के भुगतान में कोई नहीं आई।

7.11 राज्य सरकार द्वारा फाइल की गई उपरोक्त रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि वितरित कर दी गई एवं विलम्ब इस वजह से हुआ कि कुछ आवेदन सही तरीके से फाइल नहीं की गई थी, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने मामले को बंद कर दिया।

**3. जिला फतेहाबाद, हरियाणा में तेरह वर्षीय बलात्कार पीड़िता एवं उसकी दो बहनों को विद्यालय छोड़ने के लिए मजबूर किया जाना।
(मामला संख्या 61343/7/4/2012)**

7.12 “बलात्कार पीड़िता के पिता की सभी तीनों लड़कियों को विद्यालय में वापसी की मांग” शीर्षक प्रेस रिपोर्ट पर आयोग की नजर पड़ी। इसमें यह आरोप लगाया गया कि जिला फतेहाबाद, हरियाणा के रवाई गांव में एक तेरह वर्षीय बच्ची का सेक्स जिनारियन द्वारा पांच महीनों से ऊपर तक बलात्कार किया गया। बच्ची के पिता ने यह आरोप लगाया कि उन्हें इस मामले को दबाने एवं उनकी तीनों बेटियों को विद्यालय से छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है। विद्यालय, जहां उनकी तीनों बेटियां पढ़ती थी, वहां से उन्हें सूचित किया गया कि उन्हें उस विद्यालय में विध्याध्ययन की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई जांच पर यह बात सामने आई कि पीड़िता के पिता द्वारा हस्ताक्षर किए गए एक आवेदन के विरुद्ध लड़कियों के लिए विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

7.13 इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए, आयोग ने हरियाणा सरकार के जिला मजिस्ट्रेट, फतेहाबाद एवं शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर उनसे रिपोर्ट मांगी है।

7.14 उपरोक्त निदेशों के अनुपालन में, उपआयुक्त, फतेहाबाद एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा से रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्टानुसार, दोषी सोहन लाल ऊर्फ सोनु के खिलाफ एफ.आई.आर. पंजीकृत कर, उसे न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया लेकिन इस बात नकारा गया कि सरपंच एवं पंचायत के सदस्यगण इस मामले को दबाने या श्री कौशल चंद की तीनों बेटियों को सरकारी मिडील स्कूल, रवाई से निकालने के लिए जोर दिया जा रहा है।

7.15 प्राप्त रिपोर्ट से यह साबित नहीं है कि क्या कौशल चंद का इस मामले पर जांच की गई। अतः आयोग ने उप आयुक्त, फतेहाबाद को नोटिस जारी कर, उनके बयान को रिकॉर्ड कर उसकी एक प्रति को आयोग में प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

7.16 श्री कौशल चन्द की उपस्थिति में रिकॉर्ड किए गए कथन की प्रति को उप-आयुक्त, फतेहाबाद को अग्रेषित किया गया। कथन में यह बात सामने आई कि श्री कौशल चंद नंगल गांव में स्वइच्छा से रह रहे थे एवं मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्यरत थे एवं उनकी बेटियाँ नंगल विद्यालय में शिक्षाध्ययन कर रही थी। विद्यालय एवं मकान के बीच जयादा दूरी की समस्या की वजह से, उन्होंने अपनी बेटियों को रवाई एवं बोडा विद्यालयों से नंगल विद्यालय में प्रवेश करवा दिया। बिना किसी के दवाब के वह नंगल गांव में रह रहा था। उसने यह उल्लेख कि कि लड़के के बड़े हो जाने पर वह अपने गांव धानी चला जाएगा। इसके पश्चात् रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि प्रशासन की सहयोगिता से शिकायतकर्ता संतुष्ट था।

7.17 सहयोगिता से शिकायतकर्ता का संतुष्ट होने के फलस्वरूप, आयोग ने अपने दिनांक 5 अगस्त, 2013 की कार्यवाही में मामले को बंद कर दिया।

**4. राजसमंद, राजस्थान में सरकारी विद्यालय के एक शिक्षक की लापरवाही की वजह से कक्षा II के एक विद्यार्थी को कक्षा में बंद रहना पड़ा।
(मामला संख्या 594/20/32/2013)**

7.18 आयोग ने श्री आर. एच बंसल से एक शिकायत प्राप्त की जिसमें राजस्थान में एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक की लापरवाही की वजह से एक आठ वर्षीय कक्षा II के विद्यार्थी को कक्षा में बंद करने का आरोप लगाया गया एवं उस बच्चे को अगले दिन बाहर निकाला गया।

7.19 आयोग ने इस संबंध में संज्ञान लेते हुए विद्यालय शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

7.20 राज्य के प्राथमिक शिक्षा विभाग ने निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, जिला शिक्षा अधिकारी, राजसमंद एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की गई जांच रिपोर्ट को आयोग में अग्रेषित किया। रिपोर्ट के अनुसार, विद्यालय में शिक्षा सहयोगी के रूप में कार्यरत गोपाल लाल गमेटी की लापरवाही की वजह से सुरेश गमेटी नामक कक्षा II के विद्यार्थी को पूरी रात बंद रहना पड़ा। कथित कर्मचारी, जो संविदा के आधार पर कार्यरत था, उसे सेवा से निकाल दिया गया।

7.21 रिपोर्ट पर विचार करते हुए, आयोग ने यह महसूस किया कि विद्यालय शिक्षक की लापरवाही की वजह से सुरेश नामक कक्षा-II के असहाय एवं अभागे बच्चे को कक्षा में एक रात बिताने से मानसिक पीड़ा एवं अन्य तकलीफों का सामना करना पड़ा। आयोग ने यह विचार रखा कि इस मामले में पीड़ित के मानव अधिकार का हनन हुआ है। अतः दिनांक 8 अक्टूबर, 2013 की कार्यवाही में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर उनसे यह कहा कि पीड़ित को रुपए एक लाख की आर्थिक सहायता क्यों न प्रदान की जाए।

7.22 कारण बताओ नोटिस के जवाब में, संयुक्त सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान सरकार ने यह रिपोर्ट की कि जहां पर यह घटना घटी वहां केवल एक ही शिक्षक को तैनात किया गया था। विद्यार्थी जमीन में दरी पर सो रहा था तथा कक्षा को बाहर से बंद करने के समय वह सोया ही रह गया। अतः कक्षा के अन्दर किसी ने ध्यान नहीं किया एवं इसे बाहर से बंद कर दिया गया। अगले दिन उसे बाहर निकाला गया। कक्षा में विद्यार्थी को बंद करने के पीछे किसी भी शिक्षक या कर्मचारी द्वारा जानबूझ कर कोई कार्रवाई नहीं की गई अतः क्षतिपूर्ति के अनुदान के लिए कोई आधार नहीं था।

7.23 राज्य सरकार द्वारा भेजा गया उत्तर आयोग के विचाराधीन है।

**5. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सटिक परिपालन न करने की वजह से कर्नाटक के विद्यालयों में गरीब विद्यार्थियों के लिए जगह खाली रहना
(मामला संख्या 477/10/0/2013)**

7.24 “कर्नाटक : आर. टी. आई. के तहत 34 सीटें खाली” नामक अखबार रिपोर्ट पर आयोग का ध्यान आकर्षित हुआ जिसमें यह रिपोर्ट की गई कि राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उचित परिपालन के अभाव में कर्नाटक के विद्यालयों में 37,000 सीट सहित 34: सीट खाली पड़े थें।

7.25 समाचार रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए, आयोग ने यह विचार रखा कि समाचार रिपोर्ट शिक्षा का अधिकार खासकर समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के गंभीर मुद्दे को उजागर करता है। आयोग ने अपने दिनांक 30 अगस्त, 2013 की कार्यवाही में कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी कर, उनसे इस मामले में रिपोर्ट मांगी है।

7.26 इस संबंध में निदेशक (प्राथमिक शिक्षा), कर्नाटक सरकार से प्राप्त रिपोर्ट आयोग के विचाराधीन है।

**6. बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में दैनिक कक्षाओं में उपस्थित होने से पूर्व विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय परिसर साफ करवाया जाना।
(मामला संख्या 19365/24/18/2013)**

7.27 “उ0 प्र0 के छात्रों का कक्षा से पूर्व फर्श साफ करना” नामक विचलित करने वाली समाचार रिपोर्टों की ओर आयोग का ध्यान गया। इस रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया कि दैनिक कक्षा में उपस्थित होने से पूर्व प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय परिसर की सफाई करवाई जाती थी। यहां तक कि बच्चों को गाड़ी खिंचकर, मध्य दिवसीय भोजन को ढोने के कार्य में भी लगाया जाता था। रिपोर्ट के अनुसार बुलंदशहर जिले के गंगेरूआ, पहासू एवं भुजापुर में सरकारी विद्यालयों में विद्यालय के बच्चों से दासोचित कार्य करवाए जाते थे।

7.28 समाचार रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए, आयोग ने यह पाया कि समाचार रिपोर्ट की विषय वस्तु, विद्यार्थियों के शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उजागर करता है एवं दिनांक 31 मई, 2013 की अपनी कार्यवाही में आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर, इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। आयोग ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में चलायी जा रही प्राथमिक, मध्य एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यालय परिसरों की सफाई के लिए क्या सफाई कर्मचारियों या कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी, इस बारे में भी राज्य सरकार को सूचित करने का निर्देश दिया गया।

7.29 राज्य सरकार द्वारा प्राप्त उत्तर आयोग में विचाराधीन है।

7. *अहमदाबाद, गुजरात के डॉन बॉस्को अंग्रेजी विद्यालय, वेजलापुर के प्रिंसीपल द्वारा छठवीं कक्षा के विद्यार्थी को पेशाब पीने के लिए बाध्य करना।
(मामला संख्या 238/6/1/2014)*

7.30 “प्रिंसीपल द्वारा 11 वर्षीय बच्चे को पेशाब पीने के लिए बाध्य करना” नामक एक अखबार रिपोर्ट पर आयोग का ध्यान गया। अखबार रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया कि डॉन बॉस्को अंग्रेजी विद्यालय, वेजलपुर, अहमदाबाद में एक छठवीं कक्षा के विद्यार्थी को विद्यालय प्रिंसीपल द्वारा पेशाब पीने के लिए बाध्य किया गया जब उसे प्लास्टिक बोतल में पेशाब करते हुए पाया गया। बाद में लड़के ने अपनी माँ से कहा कि विद्यालय के कर्मचारी ने उसे कक्षा में पेशाब करते हुए पाया एवं उसके बाद उसे प्रिंसिपल के पास ले गया जिसने उसे पेशाब पीने के लिए बाध्य किया।

7.31 अखबार में इसके पश्चात् यह बात सामने आई आई कि उस विद्यार्थी की कक्षा जिस तल में अवस्थित था वहां एक भी शौचालय की व्यवस्था नहीं थी यहां तक कि विद्यालय में आवश्यकता से कम शौचालय थे। वह बच्चा अपना अल्प आहार का बक्सा कक्षा में ही भूल आया था अतः कक्षा में वापस आया एवं तत्काल पेशाब करने की चाह में, वह कक्षा में ही पेशाब कर दिया।

7.32 अखबार रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले को वेजलपुर पुलिस थाने ले जाया गया। पुलिस के ब्यान के अनुसार, बच्चे के माता-पिता ने आवेदन देकर यह कहा है कि वह इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहते जैसा कि उनके बीच समझौता हो गया है एवं समझौते के तौर पर प्रिंसीपल ने अपना त्यागपत्र दे दिया है।

7.33 अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए, आयोग ने अपने दिनांक 14.02.2014 की कार्यवाही में शिक्षा निदेशक, शिक्षा विभाग, गुजरात लरकार एवं पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर उनसे रिपोर्ट की मांग की है।

7.34 अनुस्मारक भेजने के बावजूद, संबंधित प्राधिकारी से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

8. चिरंग जिला, पश्चिमी असम में सरकार द्वारा चलिा आवासीय विद्यालय में वरिष्ठ विद्यार्थियों द्वारा रैगिंग के दौरान बारह नाबालिग विद्यार्थियों पर हमला (मामला संख्या 267/3/19/2013)

7.35 “रैगिंग की वजह से 12 नाबालिक घायल” नामक समाचार रिपोर्ट की ओर आयोग का ध्यान आकर्षित हुआ। समाचार में प्रकाशित रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया कि पश्चिमी असम के चिरंग जिले में सरकार द्वारा चलिा आवासीय विद्यालय में वरिष्ठ विद्यार्थियों द्वारा 7वीं एवं 8 वीं कक्ष के 12 नाबालिक विद्यार्थियों को बुरी तरह पीटा गया जिससे चार लोगों की हड्डियाँ टूट गईं। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि 29 जुलाई की रात को, “रैगिंग सत्र” को टालने की वजह से उन बच्चों की बांस के डंडों एवं तख्तों से पीटा गया। पीड़ितों के माता-पिता ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर. दर्ज कराई।

7.36 समाचार रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए, आयोग ने अपने दिनांक 05.08.2013 की कार्यवाही में सचिव, प्रारम्भिक एवं विद्यालय शिक्षा, असम सरकार, जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, चिरंग को नोटिस जारी कर, उनसे रिपोर्ट मांगी है।

7.37 जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त रिपोर्ट, आयोग के विचाराधीन है। हालांकि, सचिव, प्रारम्भिक एवं विद्यालय शिक्षा, असम सरकार से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

.....

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के अधिकार

8.1 अनुसूचित जाति, एवं अनुसूचित जन जाति समाज में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सबसे पिछड़ी जाती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इन समूह की निर्धनता में कमी आई है लेकिन इनके एवं अन्य जनसंख्या के बीच की सामाजिक-आर्थिक अन्तर अन्वरत जारी है। उनके लिए कई वर्षों के रक्षात्मक विधायन हैं किन्तु उनके खिलाफ होने वाले अत्याचार एवं अपराध अभी भी जारी हैं। वह हर क्षेत्र खासकर स्वास्थ्य देखरेख, शिक्षा, रोजगार के समान अवसर एवं न्याय तंत्र में भेद-भाव के शिकार होते हैं।

8.2 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत देश में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए की गई एवं अपनी स्थापना काल से ही यह भारतीय समाज के कमजोर वर्गों की ओर अपना ध्यान केन्द्रित कर रखा है जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है।

8.3 इसके विरुद्ध किए गए अत्याचारों के खिलाफ या इन समुदायों को हो रही समस्याओं पर स्वतः संज्ञान लेकर, इसके खिलाफ प्राप्त मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायतों एवं अन्य मुख्य पणधारियों के साथ-साथ इनके लिए कार्य कर रही गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर इनकी शिकायतों का निवारण कर इन्हें न्याय दिलाने से संबंधित कार्यों में आयोग विशेष ध्यान रखता है।

8.4 इन समुदायों के खिलाफ अत्याचार, भेदभाव एवं मानव अधिकारों के हनन की रोकथाम को सुनिश्चित करने के लिए आयोग इसके लिए अनुसंधान, नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशाला, पुस्तिकाओं का प्रकाशन कर सभी पणधारियों को साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है।

8.5 अपनी इस प्रयास में, आयोग के अध्यक्ष, सदस्यगण एवं वरिष्ठ अधिकारी, इन समुदायों के लोगों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों एवं विशिष्ट योजनाओं के परिपालन का हमेशा अनुवीक्षण करते हैं। अनुसूचित जाति पर हो रहे अत्याचारों की प्रकृति एवं इसकी रोकथाम के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने वर्ष 2000 में भी श्री के. बी. सक्सेना, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) द्वारा एक जाँच की शुरुआत की।

8.6 श्री सक्सेना द्वारा प्रस्तुत "अनुसूचित जाति पर अत्याचारों की रोकथाम पर रिपोर्ट" पर मुख्य सिफारिशें यह थीं कि आयोग को वर्ष में कम से कम एक बार जन सूचनावाई का आयोजन करनी चाहिए जिसमें मुख्य अत्याचारों के पीड़ित लोग, सरकारी एजेंसियाँ तथा मनव अधिकार निकाय/गैर सरकारी संगठन/सामाजिक

कार्यकर्ता से न्याय मांगने के लिए अपने अनुभवों एवं शिकायतों को प्रस्तुत कर तथा अपने समक्ष आई समस्याओं से अवगत करवा सकें। सिफारिशों के अपने प्रयास के परिपालन में, आयोग ने अपनी पहली सुनवाई दिनांक 8 से 10 अप्रैल, 2012 को पुरी, ओड़िशा में आयोजित की। अब तक इसने, गुजरात, तमिलनाडू, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश में जन सुनवाई का आयोजन कर चुका है। इन सभी सुनवाइयों में, राज्य/जिला के अधिकारियों की उपस्थिति में पीड़ितों को सुना जाता है एवं स्थल पर हो उनके अधिकारों की रोकथाम पर सुनवाई एवं उन्हें राहत प्रदान की जाती है।

क) भारत के चयनीत 28 जिलों में मानव अधिकार जागरूकता एवं इसके मूल्यांकन को सुकर बनाना तथा मानव अधिकार कार्यक्रम का प्रवर्तन

8.7 आयोग ने पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की पिछड़ी क्षेत्र अनुदान निधि का लाभ उठाने वाले एवं तत्कालीन योजना आयोग द्वारा पृष्ठांकित चयनित जिलों की सूची से प्रत्येक राज्य से एक जिले का चयन किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चयनीत जिलों में मानव अधिकारों से संबंधित मुख्य मुद्दों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, रोजगार, स्वच्छता, राजनीतिक एवं सिविल अधिकार इत्यादि पर लोगों को जागरूक करना था। आयोग ने अब तक 16 जिलों का दौरा किया है एवं वयानद एवं चम्बा जिलों में समीक्षा दौरा किया है।

8.8 समीक्षा अवधि के दौरान, मानव अधिकार जागरूकता एवं इसकी सुकर निर्धारण तथा मानव अधिकार कार्यक्रम के प्रवर्तन के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने श्री एस. सी. सिन्हा, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 17 से 20 नवम्बर, 2013 को चम्बा, हिमाचल प्रदेश का पूरा दौरा किया। चम्बा में समीक्षा दौरे की प्रक्रिया के दौरान की गई अवलोकन एवं सिफारिशों का विवरण **संलग्नक -11** में सूचीबद्ध है। हिरासतीय न्याय, स्वास्थ्य, विद्यालय शिक्षा एवं मीड-डे-मील, एककृत बाल विकास सेवा योजना, मनरेगा के तहत परियोजनाएं, भोजन एवं लोक वितरण प्रणाली एवं अन्य संबंधित मुद्दों पर अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए इन सिफारिशों को मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश शासन एवं उपायुक्त, चम्बा जिला को अग्रेषित की गई। चम्बा के निवासियों की रहन-सहन में सहायता प्रदान करने में वहां के लोक प्राधिकारियों को सुकर बनाने के लिए, कथित अवलोकनों एवं सिफारिशों की प्रति को संबंधित सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास, महिला एवं बाल विकास एवं भोजन एवं लोक वितरण विभाग को अग्रेषित की गई। यह वार्षिक रिपोर्ट लिखते वक्त, आयोग में ऊपर उद्धृत मंत्रालयों से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है। आयोग दोबारा सभी मंत्रालयों से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहता है ताकि की गई अनुवर्ती कार्रवाई का निर्धारण किया जा सके।

ख) सिर पर मैला ढोना एवं स्वच्छता पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

8.9 सिर पर मैला ढोने की प्रथा की खत्म करने के लिए सिर पर मैला ढोने वालों की रोजगार प्रतिषेध एवं उनकी पूर्णवास अधिनियम, 2013 के यथासंभव व्यापक एवं समयपूर्व परिपालन के उद्देश्य से श्री के. जी.

बालाकृष्णन की अध्यक्षता में दिनांक 21 फरवरी, 2014 को विज्ञान भवन में 'सिर पर मैला ढोला एवं स्वच्छता' विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी के दौरान की गई सिफारिशें **संलग्नक-12** में हैं।

8.10 इन सिफारिशों को सभी संबंधित केन्द्र एवं राज्य/संघ क्षेत्रों को अग्रेषित कर अपेक्षित कार्रवाई की मांग की गई।

ग) बंधुआ मजदूरी प्रणाली

8.11 दिनांक 11 नवम्बर, 1997 के सर्वोच्च न्यायालय की रिट याचिका (सिविल संख्या 3922) 1985, के निर्देशों के अनुपालन में, आयोग देश में बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करना जारी रखा है। इस कार्य की पूर्ति बंधुआ मजदूरों की पहचान, रिहाई एवं उनके पूर्ववास पर केन्द्रित होकर अर्द्धवार्षिक आधार पर राज्य या संघ क्षेत्रों से सूचना की मांग द्वारा की जाती है। समीक्षा अवधि के दौरान, अरुणाचल प्रदेश, छत्तसगढ़, गोवा, हरियाणा, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ओडिशा, उत्तराखण्ड, चण्डीगढ़, पंजाब एवं दमन तथा दीव, ये 14 राज्यों ने आयोग की विहित आरूप पर अपनी प्रतिक्रिया जाहीर की। बंधुआ मजदूरी पर दिए गए प्राचल के संबंध में सभी राज्य एवं संघ क्षेत्रों ने कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है।

बंधुआ मजदूरी पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कोर समूह की बैठक

8.12 समय-समय पर आयोग बंधुआ मजदूरी पर सदस्यों के साथ कोर समूह की बैठक आयोजित करना भी जारी रखा है। इसी तरह की एक बैठक 25 मार्च, 2014 को न्यायमूर्ति श्री डी. मुरुगेशन, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अध्यक्षता में रखी गई। इस बैठक में बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई एवं इस अधिनियम के तहत संशोधनों का मसौदा तैयार किया गया।

घ) सिक्किम में जनजातियों के अधिकार एवं पनान हेप पर प्रभाव तथा तीश्ता IV जल विद्युत परियोजनाओं पर अनुसंधान अध्ययन

8.13 उपरोक्त अनुसंधान की शुरुआत फरवरी, 2013 में कोलकाता आधारित इनदेव पर्यावरण एवं विकास समाज से की गई। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य जोंगू लेपचा रिजर्व, सिक्किम में दो पूर्व कथित जल विद्युत परियोजनाओं का सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव का मूल्यांकन है। अनुसंधान अध्ययन के इस कार्य की शुरुआत मई, 2013 में इनडेव द्वारा की गई। यह अध्ययन एक वर्ज की अवधि के दौरान पूरी हो जानी है।

ड. जोखिम भरे उद्योगों में श्रमिकों के अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए सरकारी चुनौतियों पर अनुसंधान अध्ययन

8.14 इस अनुसंधान परियोजना की शुरुआत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा मार्च 2013 में टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (टी.आई.एस.एस.), मुंबई में की गई इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य—अलंग—सोसीया भावनगर के जोखिम भरे कारखानों में श्रमिकों के अधिकारों के मुद्दों के साथ—साथ कार्य करने की दशाओं के संबंध में विकास एवं सूचना साझा करने के लिए ताकि पोत उद्योगों में श्रमिकों के अन्दर असुरक्षा की भावना को कम किया जा सके; संस्थागत तंत्र का विकास एवं श्रमिकों के कार्य स्थिति में सुधार की सिफारिश एवं अलंग—सोसीया में पोत उद्योगों की वजह से पर्यावरण पर इसके प्रभाव को कम करना: एवं अलंग—सोसीया, भावनगर में पोत—उद्योगों से जुड़े हुए पणधारियों के नेटवर्क के निर्माण के लिए एक मॉडल का विकास था। इस अध्ययन की शुरुआत टी.आई.एस.एस. द्वारा अप्रैल, 2013 में की गई एवं एक वर्ष के अन्दर इसकी पूरी होने की संभावना है।

च) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा विचार किए गए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य असुरक्षित समूहों के संबंध में मामले :

1. *पटना, बिहार में पुलिस की उपस्थिति में एक 16 वर्षीय दलित लड़की को पीटना एवं सिगरेट से जलाना*
(मामला संख्या 2724/4/26/2013)

8.15 दिनांक 06.08.2013 को 'हिंदु' अखबार में प्रकाशित 'दलित लड़की को पीटते एवं सिगरेट से जलते हुए पुलिस का देखना' नामक शीर्षक रिपोर्ट पर आयोग का ध्यान आकर्षित हुआ। प्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया कि जून, 2013 में सिंह परिवार (अ.पी. वर्ग) की एक लड़की, 16 वर्षीय पीड़ित लड़की रितू (दलित एवं परिवर्तित नाम) के भाई के साथ भाग गई। इस घटना ने काफी तूल पकड़ा। 31 जुलाई, 2013 को पुलिस ने रितू को पकड़कर पटना के शास्त्री नगर पुलिस थाने ले आई। वहां से, उसे बेला (पटना से 70 कि० मी०) के लिए तीन पुलिस कार्मिकों के साथ तलाश अभियान में ले जाया गया। पुलिस बल के साथ लड़की की माँ एवं उसका भाई, सिंटू सिंह भी शामिल था। फरार जोड़े की वे रात भर तलाश करते रहे। रास्ते में, सिंटू सिंह ने पुलिस वालों को 10,000/— रुपये तथा शराब की दो बोतल पकड़ा दी एवं इसके पश्चात् उसके रितू की सलवार कमीज फाड़कर उसके हाथ एवं पैरों को सिगरेट से जला दिया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस दल केवल हंसता रहा। इसके बाद, खोजी दल ने फरार जोड़े को रात को 2 बजे तलाश कर लिया एवं पुलिस स्टेशन वापस आ गई।

8.16 इसके पश्चात् इस रिपोर्ट में यह उद्धृत किया गया कि लड़की के परिवार जनों के खिलाफ एफ.आई.आर. फाइल की गई थी। हालांकि पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो कथित अत्याचार की घटना के पक्ष में थे।

8.17 प्रेस रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए, आयोग ने अपने दिनांक 8 अगस्त, 2013 की कार्यवाही में यह पाया कि प्रेस रिपोर्ट की विषय-वस्तु दलित लड़की के मानव अधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मुद्दा है अतः इसने इस संबंध में पुलिस महानिदेशक एवं वरिष्ठ पुलिस महानिदेशक, पटना को नोटिस जारी कर उनसे इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। उन्हें आयोग को यह भी सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि पुलिस हिरासत में संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा पीड़ित को अवैध नजरबंद करने के साथ-साथ पीड़ित पर अत्याचारों की रोकथाम पर आरोपियों को न रोकने से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 4 की अवहेलना के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा क्या अनुशासनिक कार्रवाई की गई है।

8.18 पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त रिपोर्ट आयोग में विचाराधीन है।

**2. बिहार के रोहतास जिले के बंदी गांव में मंदिर स्थल पर राष्ट्रीय झण्डा फहराने एवं आदेश न मानने के लिए दलित लोगों पर अत्याचार
(मामला संख्या 3035/4/28/2013)**

8.19 NDTV.com में एक खबर प्रसारित की गई कि पटना से 160 कि० मी० दूर बिहार के रोहतास जिले के बंदी गांव में मंदिर स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने एवं आज्ञा न मानने से एक दलित को पत्थर मारकर हत्या कर दी एवं महिला एवं बच्चों समेत कम-से-कम 40 लोग धायल हो गए। कथित तौर पर दलितों पर उच्च श्रेणी के लोगों द्वारा हमला किया गया।

8.20 इस रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए, आयोग ने अपने दिनांक 24 अगस्त, 2013 की कार्यवाही में यह पाया कि रिपोर्ट की विषय-वस्तु समाज के कमजोर वर्गों के मानव अधिकार उल्लंघन का एक गंभीर मुद्दा उठाता है एवं चार सप्ताह के भीतर मुख्य सचिव, बिहार सरकार एवं पुलिस महानिदेशक, बिहार को नोटिस जारी कर उनसे रिपोर्ट मांगी है।

8.21 संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट आयोग में विचाराधीन है।

**3. वाराणसी, उत्तर प्रदेश में नगर पालिका प्राधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों के भवन को तोड़ना
(मामला संख्या 34188/24/72/2013)**

8.22 वाराणसी, उत्तर प्रदेश में शिकायतों पर जान सुनवाई करने के लिए आयोग ने अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों से शिकायतें आमंत्रित की जिनके पास लोक सेवक द्वारा किए गए अत्याचार या अत्याचार की रोकथाम में लोक सेवक द्वारा की गई लापरवाही के संबंध में शिकायत थी।

8.23 शिकायतकर्ता, होरीलाल ने अपने दिनांक 14 सितम्बर, 2013 की शिकायत पर यह आरोप लगाया कि वे मलिन बस्ती के निवासी थे उनका मकान नगर निगम के अधिकारियों द्वारा तोड़ दिया गया। उनका परिवार अभी निराश्रित है एवं कोई उनकी बात नहीं सुन रहा।

8.24 आयोग ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी एवं उायुक्त, नगर निगम, वाराणसी को नोटिस जारी कर उन्हें इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

8.25 दिनांक 26 नवम्बर, 2013 को जन सुनवाई के दौरान, जिला मजिस्ट्रेट के प्रतिनिधियों, वाराणसी एवं शिकायतकर्ताओं को सुना गया। शिकायतकर्ताओं ने यह आरोप लगाया कि बिना किसी नोटिस के उनके मकानों को तोड़ दिया गया। दूसरी तरफ, नगर निगम प्राधिकारियों ने यह कहा कि उनके मकान एक तालाब को भरकर बनाए गए थे एवं अतः सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मकानों को तोड़कर, उन्हें बेदखल कर दिया गया।

8.26 दोनों पक्षों को सुनने के बाद, आयोग ने यह निर्णय लिया कि मकानों को तोड़ने से पहले, शिकायतकर्ता को कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया एवं इन मकानों को नियमों को ताक में रखकर तोड़ा गया। हालांकि, नगर निगम प्राधिकारियों द्वारा यह दलिल रखी गई कि शिकायतकर्ता को नगर पालिका प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के बारे में पता था एवं उसे व्यक्तिगत तौर पर बुलाकर समझाया भी गया था।

8.27 आयोग ने यह भी विचार प्रस्तुत किया कि प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई पर्याप्त नहीं था जैसा कि उन मकानों में रहने वाले निवासियों को लिखित में नोटिस नहीं दी गई थी जो कानून के मुताबिक होना चाहिए था। अतः आयोग ने पीड़ित चार निवासियों के लिए 50,000/- देने की सिफारिश की एवं आयोग ने यह भी पाया कि अनाधिकर प्रवेश की राकथाम के लिए नियमानुसार यह प्राधिकारियों पर निर्भर करता था। आयोग ने क्षतिपूर्ति की राशि को चार सप्ताह के भीतर एवं अनुपालन रिपोर्ट को छः सप्ताह के भीतर आयोग में भेजने का निर्देश दिया।

8.28 अनुस्मारक भेजने के बावजूद, अनुपालन रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं हुई है।

4. नोएडा, उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पर स्थानीय लोगों द्वारा अनुसूचित जाति से संबंधित सामाजिक कार्यकर्ता महिला का उत्पीड़न (मामला संख्या 3494/24/2030/2013)

8.29 आयोग ने अनुसूचित जाति से संबंधित सुश्री सुमित्रा चौहान नामक एक महिला से शिकायत प्राप्त किया। शिकायतकर्ता, एक सामाजिक कर्मचारी एवं गौतम नगर, नोएडा, सेक्टर 20 में अवस्थित बाल्मिकी मंदिर की सचिव ने कथित तौर पर यह आरोप लगाया कि स्थानीय लोगों के एक समूह ने जाति के नाम पर उनका उत्पीड़न एवं जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसके पश्चात् उन्होंने यह आरोप लगाया कि दिनांक 10.09.2013 को प्रतिवादी, जिनके खिलाफ शिकायत की गई, उसने उन पर जान से मारने के इरादे से हमला किया।

8.30 हालांकि शिकायतकर्ता ने यह उद्धृत नहीं किया कि वह पुलिस या किसी अन्य राज्य प्राधिकारी से संपर्क किया है, आयोग ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश से मामले में रिपोर्ट की मांग करना उचित पाया।

8.31 मेरठ मण्डल से प्राप्त शिकायतों की सुनवाई के लिए आयोग ने दिनांक 26.11.2013 को अपने प्रंगण में एक जन सुनवाई आयोजित की।

8.32 शिकायतकर्ता ने आयोग में प्रस्तुत होकर, याचिका की विषय वस्तु को दोहराया। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि दिनांक 10 सितम्बर, 2012 को जब यह घटना घटी, उन्होंने पुलिस को एक लिखित शिकायत प्रस्तुत किया, जिसे उनके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जो वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने इस बात की स्वीकार की कि यह संबंधित पुलिस अधिकारी के तरफ से गलती थी।

8.33 रिकॉर्ड यह दर्शाता है कि आयोग में की गई शिकायत या इसके निर्देशों के पश्चात्, पुलिस ने जांच आरम्भ की। इस लेटलतीफी जांच की शुरुआत नहीं की जा सकी जैसा कि वास्तव में उन पर हमला हुआ था एवं इस घटना के कई सप्ताह बाद भी आयोग ने यह पाया कि शिकायतकर्ता पर जो बीती एवं उन्होंने जो बखान किया। इसकी जांच करना संभव नहीं है।

8.34 आयोग ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) की धारा 4 के अंतर्गत पुलिस को, दायित्वों का निर्वहन के लिए, गलत ठहराया एवं लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ तत्काल जांच करने के लिए एवं आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया।

8.35 प्रथम दृष्टया अवलोकन के पश्चात्, यह साफ हो गया कि उनकी शिकायत पर पुलिस द्वारा संज्ञान लेने एवं शिकायतकर्ता को संरक्षण देने जिसकी वह हकदार थी, से इन्कार करना, उनके अधिकारों के उल्लंघन का कारण बना। अतः आयोग ने अपने दिनांक 19.12.2013 की कार्यवाही में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को कारण बताओं नोटिस जारी कर उनसे अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत उन्हें आर्थिक सहायता क्यों न प्रदान की जाए, जिनका वह हकदार है, के बारे में जानकारी मांगी है।

8.36 कारण बताओं नोटिस का उत्तर अब तक प्राप्त नहीं हुआ है।

**5. कैथल जिला, हरियाणा के पवनभा गांव में एक उच्च जाति की लड़की के साथ दलित लड़के की शादी के पश्चात् दलितों पर आक्रमण
(मामला संख्या 2795/7/9/2013)**

8.37 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' के दिल्ली संस्करण में 16 अप्रैल, 2013 को "अन्तर्जातीय विवाह के लिए दलितों पर हमला, हरियाणा के गांव से पलायन" नामक शीर्षक से खबर छपी। अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, कैथल जिला, हरियाणा के पवनभा गांव का एक दलित लड़का, सूर्यकांत, राड़ समुदाय की एक उच्च जाति की लड़की के साथ भाग कराया। इसकी वजह से नाराज होकर, उच्च जाति के लोगों ने दलित समुदाय के लोगों पर हमला कर, उन्हें गांव छोड़ने के लिए विवश कर दिया। इस हमले में 7 पुलिस वाले समेत 10 लोग घायल हो गए।

8.38 आयोग ने इस रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेकर, कैथल, हरियाणा के जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर उन्हें गांव छोड़ने के लिए विवश कर दिया। इस हमले में 7 पुलिस वाले समेत 10 लोग घायल हो गए।

8.39 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में, उप-आयुक्त, कैथल ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने यह सूचित किया कि राड़ जाति, पवनया के पृथ्वी सिंह ने पुलिस थाना, घांड में दलित समुदाय के सूर्यकांत के खिलाफ शादी का दिलासा देकर उनकी बैठी को भगाने का आरोप लगाया। उनकी शिकायत पर, दिनांक 09.04.2013 को घांड पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत मामला संख्या 36 दर्ज किया गया। मामले की जाँच के दौरान, यह बात सामने आई कि मीना देवी, पुत्री पृथ्वी सिंह ने सूर्यकांत के साथ दिनांक 08.04.2013 को गुरु रविदास मंदिर, सेक्टर-53, चंडीगढ़ में विवाह कर लिया एवं माननीय उच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा से पुलिस संरक्षण मांगी। उनके निवेदन पर, माननीय उच्च न्यायालय ने पुलिस को उन्हें संरक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया। इसके पश्चात् रिपोर्ट में यह बात कही गई कि 13/14.04.2013 की रात को राड़ समुदाय के लगभग 300/400 लोगों ने दलित समुदाय के 15/20 घरों पर हमला कर उनके जरूरी सामानों एवं सम्पत्ति को बर्बाद कर दिया।

इस घटना के दौरान, दलित समुदाय के तीन लोग एवं पुलिस कार्मिकों के सात लोग घायल हो गए। यह भी रिपोर्ट की गई कि राड़ समुदाय के 50 लोग एवं 300/400 अनजान लोगों के खिलाफ घांड पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 149, 323, 427, 452, 307, 395, 120-323, 353, 186 एवं 25/54/59 शस्त्र अधिनियम एवं 3 (1) 10, 15(2), 5, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत एफ.आई.आर. संख्या 39 पंजीकृत किया गया। रिपोर्टानुसार, पुलिस ने 34 आरोपियों को गिरफ्तार की है एवं स्थिति पर काबू पाने के लिए एक पुलिस चौकी की भी स्थापना की गई थी।

8.40 इस पश्चात् यह रिपोर्ट की गई कि दलितों की सम्पत्ति को हुई क्षति का मुआयना करने के लिए तहसीलदार पुंडरी की अध्यक्षता में एक चार-सदस्यीय समिति का गठन किया गया जिसने प्रभावित परिवारों को कुल रु0 8,19,386/- की राशि की संस्तुति की।

8.41 आयोग को यह सूचित किया गया कि पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से रु0 1,30,79,000/- की पेशकश की गई एवं निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1959 के तहत रु0 12,20,000 की राशि को मंजूरी दी गई।

8.42 रिपोर्ट आयोग में विचाराधीन है।

6. पिछले चार वर्षों के दौरान देश में मुख्य शैक्षणिक संस्थाओं में दलित विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या के मामले

(मामला संख्या 1751/13/16/2013)

8.43 शिकायतकर्ता ने दिनांक 24 मई, 2013 को एक ऑनलाइन न्यूज़ रिपोर्ट से इमेल के माध्यम से आयोग

में शिकायत कर आयोग का ध्यान आकर्षित किया जिसमें पिछले चार वर्षों के दौरान भारत के मुख्य शैक्षणिक संस्थाओं में दलित विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या के मामले सामने आए। इस समाचार रिपोर्ट में आई.आई.टी., बॉम्बे, आई.आई.एस बैंगलुरु, आई.आई.टी.; कानपुर, एम्स नई दिल्ली एवं अन्य विभिन्न संस्थाओं में विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या के 18 मामले प्रकाश में सामने आए एवं यह आरोप लगाया गया कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में सदियों से चले आ रहे इस भेदभाव का नतीजा है।

8.44 “दलित हॉस्टल में हिंसा लेकिन पटना यूनिवर्सिटी का इसे अन्य रूप देना” शीर्षक से “द हिन्दू” नामक अखबार में दिनांक को 06.02.2013 को एक समाचार पर आयोग का ध्यान आकर्षित हुआ। जिसमें रिपोर्टनुसार जनवरी, 2013 के अंतिम सप्ताह के दौरान भीमराव अम्बेडकर कल्याण हॉस्टल में भयावह हिंसा देखी गई।

8.45 आयोग ने यह पाया कि इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जातिगत भेदभाव देश में सभी रूप में अभी भी विद्यमान है। भारतीय संविधान ने जातिगत भेदभाव तथा दलितों के उत्थान एवं सकारात्मक कार्यों से उनका सशक्तीकरण बनाने के लिए कई प्रावधान बनाए हैं। शिक्षा एक महत्वपूर्ण हथियार है जिसके द्वारा दलित एवं समाज के कमजोर वर्गों को सशक्तीकरण एवं उनको समाज में एक गरिमापूर्ण स्थान में लाने में मदद मिल सकती है।

8.46 मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए, आयोग ने अपने दिनांक 05 जून, 2013 की कार्यवाही में यह पाया कि उपरोक्त समाचार रिपोर्ट, अगर सत्य है, तो यह देश भर के शैक्षणिक संस्थाओं में दलितों के खिलाफ फैले भेदभाव को दर्शाता है जो उन लोगों को भयानक कदम उठाने के लिए बाध्य कर रहा है, जो मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। इसके पश्चात् आयोग ने यह पाया कि राज्य की यह जिम्मेदारी एवं कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करें कि शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा की एक उपयुक्त वातावरण तैयार हो सके जिसमें सभी जाति, भाषा एवं धर्म के भेदभाव के अपना अध्ययन जारी रख सकें। आयोग ने इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव को नोटिस जारी कर उनसे रिपोर्ट मांगी है।

8.47 आयोग द्वारा भेजी गई नोटिस का अब तक कोई जवाब नहीं मिला है।

7. महासुमुंड जिला, छत्तीसगढ़ के परसाहीदादर गांव में पुलिस एवं वन विभाग के अधिकारियों द्वारा आदिवासियों पर अत्याचार (मामला संख्या 113/33/12/2014)

8.48 “घर तोड़ मरने के लिए छोड़ा आदिवासियों को” शीर्षक नामक दिनांक 15.02.2014 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट पर आयोग का ध्यान आकर्षित हुआ। प्रेस रिपोर्ट पर यह आरोप लगाया गया कि छत्तीसगढ़ के महासुमुंड जिले के प्रसाहीदादर गांव में, 70 आदिवासी परिवारों को बेघर कर उनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया। वन विभाग अधिकारियों एवं पुलिस वालों ने आदिवासियों को बंधक बना कर पीटा एवं पिटाई से बचने के लिए उन्हें भागने के लिए बाध्य किया गया। 63 गांव वालों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पिटाई एवं गिरफ्तारी से बचने के लिए 250 लोग जंगल में भटक रहे थे। वन विभाग ने यह दावा किया

कि यह जमीन उनकी थी एवं प्रशासन ने गांव वालों पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया। हालांकि, आदिवासियों ने यह दावा किया कि भूतपूर्व एम.एल.ए. श्री प्रितम दिवान द्वारा विकसित इस क्षेत्र में रहते आ रहे थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि रायपुर में 23 महिलाएं एवं महासमुंड में जेल में 26 लोगों को नजरबंद किया गया। माता-पिता से अलग हुए 14 बच्चों को बाल निरीक्षण गृह, रायपुर में रखा गया।

8.49 प्रेस रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए, आयोग ने अपने दिनांक 20.02.2014 की कार्यवाही पर समाचार रिपोर्ट की विषय-वस्तु पर आदिवासियों के मानव अधिकार उल्लंघन का गंभीर मुद्दा पाया एवं इस संबंध में मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़, सरकार को नोटिस जारी कर उनसे तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। निराश्रित 70 आदिवासी परिवारों की राहत एवं पुर्नवास के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में भी उन्हें आयोग को सूचित करने का निर्देश दिया गया है।

8.50 राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट आयोग में विचाराधीन है।

8. गुना जिला, मध्य प्रदेश के मंगवारकुड़ी गांव में नाबालिग आदिवासी लड़की की सामूहिक बलात्कार के मामले में पुलिस द्वारा कथित रूप से कार्रवाई न करना
(मामला संख्या 9296/12/17/2013-डब्ल्यू.सी.)

8.51 दिनांक 14 जनवरी, 2013 को गुना जिला, मध्य प्रदेश में दो लोगों द्वारा एक नाबालिग लड़की की बलात्कार के मामले में, शिकायतकर्ता एक मानव अधिकार कार्यकर्ता ने आयोग का हस्तक्षेप एवं उपयुक्त कार्रवाई की मांग की। शिकायत में किए गए आरोप के अनुसार, पीड़िता सुबह 9 बजे खेत में गई हुई थी जब इमरात लोधी एवं धर्मेन्द्र लोधी नामक दो आरोपियों ने उनका सामूहिक बलात्कार किया यह क्षेत्र पुलिस स्टेशन, कैंट, जिला गुना, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है।

8.52 आयोग के निदेशों के उत्तर में पुलिस अधीक्षक, गुना ने एक रिपोर्ट भेजी जिससे पता चला कि दो नामित अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस स्टेशन कैंट, गुना, मध्य प्रदेश में उपरोक्त घटना के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3 (2-5) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (जी)/506 के तहत अपराध संख्या 33/13 दर्ज किया गया था। अन्वेषण के दौरान दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। जांच के बाद दिनांक 28 जनवरी, 2013 न्यायालय में दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। मामला न्यायालय के समक्ष लंबित था।

8.53 यह सूचना की गई कि पीड़िता को कुल 25,000/- रु० की आर्थिक सहायता की संस्वीकृति की गई। हालांकि, पीड़िता को भुगतान किए गए आर्थिक सहायता का प्रमाण प्रदान नहीं किया गया।

8.54 उपरोक्त रिपोर्ट की एक प्रति शिकायतकर्ता को भेजी गई जिसने अपनी टिप्पणियों में राज्य सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति की शेष राशि का भुगतान एवं पीड़िता एवं उनके परिवार वालों को सुरक्षा प्रदान करने को सुनिश्चित करने के लिए निवेदन किया।

8.55 आयोग ने इस मामले पर दिनांक 22 दिसम्बर, 2013 को विचार किया एवं पाया कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 के अधिसूचना द्वारा यथा संशोधित अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 की नियमावली 12 (4) के **संलग्नक -1** के निहित पैमाने को ध्यान में रखते हुए रु0 25,000/- की आर्थिक सहायता पर्याप्त नहीं है। संशोधित अधिसूचना के अनुसार मद संख्या 17 के तहत बलात्कार की पीड़िता को रु0 1,20,000/- की कुल राशि देय होनी चाहिए। जिसमें से 50 प्रतिशत अर्थात् रु0 60,000/- पीड़िता की चिकित्सीय जांच एवं मुख्यतः आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र जमा करने के पश्चात् की जानी चाहिए। शेष रु0 60,000/- आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध या मामले का निर्णय आने पर दी जानी चाहिए।

8.56 अतः आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट, गुना, मध्य प्रदेश को पीड़ित लड़की के लिए रु0 60,000/- के भुगतान के प्रमाण के साथ छः सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। आयोग ने अनुसूचित 12 (4) के संलग्न-1 के मद संख्या 21 के तहत स्वीकार्य राहतों को घटना के तीन माह के भीतर यथाशिघ्र पीड़िता को प्रदान करने का निर्देश किया।

8.57 आयोग ने इसके पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, गुना, मध्य प्रदेश को पीड़िता एवं उनके परिवार की सुरक्षा को पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

8.58 जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक गुना से प्राप्त रिपोर्ट आयोग में विचाराधीन है।

9. अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में बंधुआ मजदूरों को बरिहाई एवं पुनर्वास (मामला संख्या 36291/24/3/09-10-बी.एल.)

8.59 आयोग ने किसी महीपाल, सुपुत्र छत्तरपाल, निवासी गांव गोरीपुरा, थाना घनाटी, जिला बदायूँ, उत्तर प्रदेश से एक शिकायत प्राप्त किया जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनको, उनके परिवार वालों एवं अन्य लोगों को किसी अमर सिंह, निवासी चंदीयाना, थाना पाली, तहसील अरटौली, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के मासिक ईंट भट्टे के मालिक द्वारा बंधुआ मजदूर के रूप में बंदी बनाकर रखा गया है। इसके पश्चात् उन्होंने यह आरोप लगाया कि ईंट भट्टा के मालिक न तो उन्हें मजदूरी दे रहे हैं और नहीं वह काम छोड़ने की इजाजत दे रहे हैं। उन्होंने आयोग से इस मामले में हस्तक्षेप का कथित भट्टा मालिक द्वारा बंधुआ मजदूर के रूप में रखे कथित लोगों को छोड़ने एवं उनकी मजदूरी दिलवाने का निवेदन किया है।

8.60 आयोग ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए, जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ (उ0 प्र0) को सक्षम अधिकारी की तैनाती करवाकर, घटना स्थल पर जांच एवं बंधुआ मजदूर, अगर कोई हो, तो उनकी पहचान करवाने का निर्देश दिया। इसके पश्चात् आयोग ने यह कहा कि यदि किसी को बंधुआ मजदूर के रूप में पाया जाता है, तब उनकी रिहाई के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए एवं की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग में प्रस्तुत की जाए।

8.61 जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें यह दर्शाया गया कि नायक तहसीलदार, अहरौली, पाली पुलिस थाना के प्रभारी, मुकीमपुर एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने ईंट भट्टे का दौरा किया। इस

दल ने केवल 10 श्रमिकों को मूल्डर के रूप में कार्य करते हुए पाया एवं सभी शिकायतकर्ताओं ने अपना हिसाब का बंदोबस्त करने के बाद, अपने परिवार वालों के साथ भाग गए। मूल्डरों ने सूचना दी कि प्रति हजार ईंटों को सांचे में ढालने के लिए उन्हें रु0 225/- दिया जा रहा था। न्यूनतम मजदूरी रजिस्टर को जांच के लिए नहीं रखा गया था। किसी भी बाल श्रमिक या अर्न्तराज्य अप्रवासी सैनिकों को वहां कार्य करते हुए नहीं पाया गया। उस जिले में कोई भी सतर्कता समिति कार्यरत नहीं थी।

8.62 आयोग ने रिपोर्ट को संतुष्टीपूर्वक नहीं पाया एवं यह महसूस किया कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ईंट भट्टा के वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए कोई गंभीर कदम नहीं उठाए गए। आयोग ने यह विचार किया कि आयोग में प्राप्त शिकायतों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन को यह बात समझनी चाहिए थी कि बंधुआ मजदूरी की प्रथा किसी भी प्रशासन के लिए एक धब्बा है। इस प्रथा के उन्मूलन के विपुल हो राज्य द्वारा संवैधानिक दायित्वों को मानना दर्शाती है। हाल के वर्षों में आयोग में प्राप्त शिकायतें यह दर्शाती हैं कि गरीबों के लिए किसी को परवाह नहीं है एवं अतः अधिकारियों को संवेदनशील होने की आवश्यकता है ताकि संसद द्वारा पारित विभिन्न कानूनों के प्रावधानों का सही एवं गंभीरता से पालन एवं गरीब मजदूरों को हो रही समस्याओं का समाधान हो सके। इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट की मुख्य भूमिका रही एवं बंधुआ मजदूरी के क्षेत्र में उच्च प्राथमिकता देकर बंधुआ मजदूरी के प्रावधानों के संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देशित करें।

8.63 आयोग ने यह पाया कि जब किसी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा उन्हें बलात् मजदूरी या बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य करने एवं अधिकारी द्वारा उनके कर्तव्य निर्वहन में जान बुझकर लापरवाही की शिकायत प्राप्त होती है तब उस समय कानूनों के प्रावधानों को आकर्षित किया जा सकता है एवं उन्हें आवश्यक आवास, जलापूर्ति, किफायती जनरल स्टोर, शिक्षा एवं अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा, मनोरंजन इत्यादि सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक हो जाता है।

8.64 कानून यह अधिदेशित करता है कि नियोक्ता रजिस्ट्रारों का रख-रखाव एवं उनके यहां नियुक्त कर्मचारियों को विवरण के साथ-साथ उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य, मजदूरी एवं प्राप्त रसिदों का रिकॉर्ड रखेगा। जब ईंट भट्टों का मालिक यह दावा करता है कि वह मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी चुकाता है तब उनकी यह जिम्मेवारी बनती है कि भुगतान के प्रमाण को दर्शाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करे कि वह विधि के अनुसार ही मजदूरी देता है। इस कार्य की पूर्ति हेतु उन्हें मास्टर पर्ची का रख-रखाव करने की आवश्यकता होती है। अगर नियोक्ता लेखा संबंधी उपरोक्त बहीयों को प्रस्तुत करने में असफल होता है तब जिला मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकारियों को यह पूर्वानुमान करना चाहिए कि श्रमिकों को बंधुआ मजदूर के रूप में रखा गया था।

8.65 आयोग ने यह पाया कि बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम की धारा 13 प्रत्येक जिला एवं उप-मण्डलीय स्तर पर एक सतर्कता समिति का निर्माण एवं समिति के सदस्यों एवं उनके अनुपस्थिति में गैर सरकारी संगठनों की सहायता ली जाए ताकि इस तरह की स्वतंत्र अभिकरणों की उपस्थिति में किसी भी नियोक्ता के तहत काम करने वाले कर्मचारी अपनी मांग को खुल कर रख सके। प्राप्त रिपोर्ट में इस तथ्य

का कोई तथ्य साबित नहीं होता। अतः आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ को निम्नलिखित बिन्दुओं पर टिप्पणी करने को कहा :

1. जब ईट भट्टे का मालिक लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहा तब यह पूर्वानुमान क्यों नहीं लगाया गया कि श्रमिकों को बंधुआ मजदूर के रूप में रखा गया है?
2. बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम की धारा 13 के अनुसार क्या कोई सर्तकता समिति गठित की गई है एवं नहीं, तो इसका कारण बताया जाए?
3. प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के अनुसार प्रदूषण कानूनों के तहत जिले की कितने ईट भट्टे ने अनुमति ली थी, अगर इस तरह की अनुमति प्राप्त नहीं की गई, इसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?
4. श्रमिकों को नियमानुसार मजदूरी (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम/मजदूरी अधिनियम भूगतान नियम एवं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम) दी जा रही है या नहीं इसकी जांच के लिए कलेक्टर के तहत कार्य कर रहे विभाग द्वारा कितने ईट भट्टा का दौरा/जाँच की गई।
5. रिपोर्ट में विशिष्ट रूप से यह दर्शाया नहीं गया कि श्रमिकों को एक दिन की छूट्टी दी जाती थी एवं इसका पालन न करने पर क्या कार्रवाई की जाती थी?

8.66 जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह दर्शाया गया कि तहसीलदार, अटरौली, पुलिस थाना प्रभारी, पाली एवं श्रम प्रवृत्तन अधिकारी, अलीगढ़ सम्मिलित एक दल ने ईट भट्टे को जांच की। शिकायतकर्ता सहित 11 अन्य परिवारों ने अपना हिसाब करवाकर ईट भट्टे को छोड़ चुके थे एवं इस संबंध में कोई शिकायत नहीं की गई एवं अतः वे बंधुआ मजदूर नहीं थे। 48 ईट भट्टा मालिकों ने प्रदूषण नियंत्रक मण्डल से प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं एवं 25 ईट भट्टा मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है जिनकी आवेदनों को रद्द कर दिया गया।

8.67 आयोग ने इस रिपोर्ट पर विचार करते हुए इस पर कुछ सवालिया निशान लगाए जैसा कि यह जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा पूर्व में भेजे गए रिपोर्ट का पूनः प्रस्तुतीकरण प्रतीत होता था। लेखा बही, मास्टर रोल, मजदूरी भुगतान रजिस्टर एवं हाजिरी रजिस्टर इत्यादि का पता लगाने के लिए इस दल द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया एवं श्रमिकों के उत्पीड़न की आशंका को खारीज नहीं किया जा सकता।

8.68 कानून यह अधिदेष्टित करता है कि नियोक्ता रजिस्ट्रों का रख-रखाव एवं उनके यहां नियुक्त कर्मचारियों को विवरण के साथ-साथ उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य, मजदूरी एवं प्राप्त रसिदों का रिकॉर्ड रखेगा। जब ईट भट्टे का मालिक यह दावा करता है कि वह मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी चुकाता है तब उनकी यह जिम्मेवारी बनती है कि भुगतान के प्रमाण को दर्शाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करे कि वह विधि के अनुसार ही मजदूरी देता है। इस कार्य की पूर्ति हेतु उन्हें मास्टर पर्ची का रख-रखाव करने की आवश्यकता होती है। अगर नियोक्ता लेखा संबंधी उपरोक्त बहियों को

प्रस्तुत करने में असफल होता है तब जिला मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकारियों को यह पूर्वानुमान करना चाहिए कि श्रमिकों को बंधुआ मजदूर के रूप में रखा गया था।

“प्रत्येक नियोजन को फॉर्म ‘X’ में रजिस्टर का रख-रखाव करने की आवश्यकता है। मजदूरी अवधि के संबंध में प्रविष्टियों को पूर्ण करने के पश्चात् व मजदूरों के विवरण को उसमें उद्धृत करेगा। नियोजन द्वारा उनके यहां कार्यरत प्रत्येक मजदूर को फॉर्म के ‘XI’ के रूप में मजदूरी पर्ची जारी की जाएगी। मजदूरी रजिस्टर या मजदूरी पर्ची पर वह हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेगा। इन प्रविष्टियों को उनके या उनके बेल सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। प्रत्येक नियोजन द्वारा कार्यक्षेत्र, पर फॉर्म ‘IX’ के रूप में एक मस्टर पत्रक का रख-रखाव किया जाएगा एवं कार्य की घड़ी शुरुआत होने से तीन घण्टों के अन्दर प्रत्येक कर्मचारी की हाजिरी को रिकॉर्ड किया जाएगा। आयोग द्वारा यह पाया गया कि ईट भट्टे में जाँच के लिए आए दल ने विधि नियोजन द्वारा विधि द्वारा अधिदेशित इन रिकॉर्डों के रख-रखाव में सत्यापन करने की तकलीफ नहीं की। इन लेखा बहियों के अभाव में जिला मजिस्ट्रेट को मान लेनी चाहिए थी कि शिकायत में लगाए गए आरोप सत्य है उन्हें बंधुआ मजदूर के रूप में रखा गया है।”

8.69 उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से शिकायत में उद्धृत सभी लोगों को बंधुआ मजदूर के रूप में घोषित कर उनका विमोचन प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया। उन्हें विमुक्त श्रमिकों के पूनर्वास के लिए विमोचन प्रमाण पत्र को जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ को अग्रेषित करने का निर्देश दिया।

8.70 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में, जिला मजिस्ट्रेट अलीगढ़ ने यह सूचित किया कि उन श्रमिकों को बंधुआ मजदूर के रूप में घोषित कर उनके पूनर्वास के लिए विमोचन प्रमाण पत्रों को जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ एवं मुरादाबाद को हस्तांतरित कर दी गई है।

8.71 आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद एवं बदायूँ को नोटिस जारी कर विमुक्त बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों के बारे में सूचित करने को कहा है।

8.72 जिला मजिस्ट्रेट, सम्भल ने यह सूचित किया कि सम्भल जिले से संबंधित 11 श्रमिकों का पुनर्वास किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ ने यह सूचना दी कि शेष दो विमुक्त बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास किया जा रहा है। वित्तीय राहत की विहित राशि भी आयोग में अग्रेषित की गई।

8.73 आयोग ने दिनांक 03.12.2013 को इस मामले पर विचार कर यह पाया कि जिला सम्भल एवं जिला बदायूँ में 13 विमुक्त बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास कर, लापरवाह नियोजनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की गई थी। अतः किसी अन्य कार्यवाही की अपेक्षा रही थी। रिपोर्टों को रिकॉर्ड कर, मामले को बंद कर दिया गया।

10. जिला जम्मू तवी, जम्मू एवं कश्मीर में बंधुआ मजदूरों की रिहाई एवं पूर्ववास (मामला संख्या 28/9/2012-बी.एल.)

8.74 गांव राजबाला, तहसील अखनौर, जिला जम्मू तवी, जम्मू एवं कश्मीर में शिकायतकर्ता का परिवार एवं अन्य श्रमिक कथित रूप से श्रम ठेकेदार छतराम द्वारा अंशु उर्फ काकू के इंट भट्टे में ईंट मूल्डर के रूप में कार्य करने के लिए भर्ती करवाया गया। एक सप्ताह कार्य करने के पश्चात् जब श्रमिकों ने अपनी मजदूरी मांगी तब मालिक ने उनसे एक कागज पर हस्ताक्षर करवाकर उनसे कहा कि मजदूरी केवल ठेकेदार द्वारा ही दी जाएगी एवं उसने ठेकेदार को सौदे के अनुसार मजदूरी का भुगतान कर दिया है। वह केवल रसोई से संबंधित खर्चों के लिए 300/- से 400/- चुकाने के लिए सहमत हुआ। जब श्रमिकों ने ठेकेदार से संपर्क करने की कोशिश की तब उन्होंने पाया कि वह अपने परिवार के साथ भाग गया है। श्रमिकों को यह बात स्पष्ट हो गई कि ठेकेदार ने उन लोगों को ईंट भट्टा मालिक के पास बंधक बना दिया है। इसके पश्चात् शिकायतकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया कि श्रमिकों को बगैर मजदूरी के एवं डरा धमकाकर काम करवाया जा रहा था यहां तक कि छूट्टी लेने की इजाजत नहीं थी।

8.75 आयोग ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर, जिला मजिस्ट्रेट, जम्मू को नोटिस जारी कर उन्हें किसी जिम्मेवार अधिकारी को तैनात कर घटना स्थल पर जाँच एवं अगर कोई बंधुआ मजदूर पाया जाता है, तो उनका विमोचन कर, की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

8.86 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में, अवर जिला मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट भेजते हुए यह दर्शाया कि वे श्रमिक अप्रवासी श्रमिक थे वे इस तरह के श्रमिक अपने मुखिया/समाचार के तह ईंट भट्टा के मालिकों से कोई अग्रिम राशि नहीं लेते। इसके पश्चात् इस रिपोर्ट में यह बात कही गई कि लगभग सभी मामलों में, सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी से ऊपर मजदूरी दी जाती है।

8.77 आयोग ने यह पाया कि यह रिपोर्ट प्रचलित एवं साधारण प्रकृति की है तथा श्रमिकों की रिहाई के संबंध में इसमें कुछ नहीं कहा गया एवं अतः इसने बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 में सम्मिलित प्रावधानों के अनुसार शिकायत में लगाए गए आरोपों के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, जम्मू को जांच करवाने की मांग की।

8.78 उप आयुक्त, जम्मू ने दिनांक 19.01.2013 को एक रिपोर्ट भेजी जो पूर्व रिपोर्ट से अलग नहीं थी। यह रिपोर्ट प्रचलित थी जैसे कि इसमें न्यूनतम मजदूरी दर एवं मजदूरी की सहमत दरों के बारे में कुछ भी व्याख्यान नहीं दिए गए थे। इसमें श्रमिकों द्वारा अर्जित मजदूरी के बारे में भी उद्धृत नहीं था एवं सीधे यह घोषित कर दिया गया कि शिकायतकर्ता मजदूर अपना सौझाया साफ करके बहुत पले ही चले गए हैं। अर्न्तराज्य मजदूर (रोजगार विनियम एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के तहत आवेदन में उन्होंने एक निम्न बेतुका ब्यान दिया :

8.79 "अर्न्तराज्य आप्रवास मजदूर (रोजगार विनियम एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1976 के तहत कथित ठेकेदार/जमींदार को घरेलू राज्य से अनुज्ञप्ति पत्र प्राप्त करनी चाहिए थी, जहां से इन श्रमिक ने प्रयास

किया। ठेकेदार/जमींदार के तरफ से अनुपालन न करना कानूनी कार्रवाई की मांग करता है। इसके पश्चात् ही मेजबान राज्य (जहां ईट भट्टा स्थित होता है) की भूमिका अहम हो जाती हैं। जैसा कि आम तौर पर, ये इन जमींदार/ठेकेदारों को पड़ोसी राज्यों से अनुज्ञप्ति नहीं मिलती, अतः इस अधिनियम के अंतर्गत मेजबान राज्य के लिए अनुवर्ती कार्रवाई एवं विनियम का पालन करना कठिन हो जाता है।”

8.80 आयोग ने यह पाया कि उप आयुक्त ने यह बयान देकर अर्न्त राज्य प्रवास मजदूरी (रोजगार विनियम एवं सेवा शर्त) अधिनियम की अनदेखी की है। इस अधिनियम की धारा 1 (4) के अनुसार यह अधिनियम प्रत्येक संस्था के लिए अनुप्रयुक्त होती है जिसमें पांच या उससे ज्यादा प्रवासी मजदूरी कार्य करते हों या जो बारह महिनो में से किसी भी दिन वहां कार्य किए हों। इस अधिनियम की धारा 6 के तहत, किसी भी संस्था का प्रधान नियोक्ता जिनके लिए यह अधिनियम अनुप्रयुक्त होती है, जब तक किसी अर्न्तराज्य अप्रवास श्रमिकों को नियुक्त नहीं कर सकता जब तक उस संस्था के संबंध में पंजीकरण प्रमाण नहीं मिल जाता। अतः उपआयुक्त का यह कहना पूरी तरह गलत है कि अगर ठेकेदार अपने घरेलू राज्य से अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं करते हैं तो मेजबान राज्य इस मामले में कुछ नहीं कर सकता।

8.81 आयोग ने इसके पश्चात् यह पाया कि उप आयुक्त की दो रिपोर्टों से यह प्रतीत होता है कि पूर्व प्रथा के अनुसार मजदूरों ने ईट भट्टा के मालिक से अग्रिम प्राप्त की थी एवं उप आयुक्त के दिनांक 19.01.2013 की रिपोर्ट में यह दर्शाया गया कि मजदूरों ने उनकी मजदूरी से ज्यादा राशि प्राप्त कर ली थी। उप-आयुक्त से प्राप्त दो रिपोर्टों से आयोग ने यह पाया कि आवेदन मजदूर अप्रवासी मजदूर एवं कुछ ठेकेदार द्वारा उन्हें ईट भट्टे में अग्रिम राशि प्राप्त करने के बाद लाया गया। आवेदक मजदूरों द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि ठेकेदार ने ईट भट्टे के मालिक के पास किसी रख दिया।

8.82 जैसा कि उप-आयुक्त इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में असफल रहा कि शिकायत कर्ता मजदूरों ने कब और कैसे ईट भट्टा को छोड़ा, आयोग ने यह पाया कि सांविधिक रिकॉर्डों के अभाव में जिसको विभिन्न श्रम कानून के तहत रखना आवश्यक था, इस बात की पुष्टि नहीं करती कि शिकायतकर्ता मजदूरों को जिस दर से मजदूरी दी गई वह न्यूनतम नहीं थी। सहमत मजदूरी की दर श्रमिकों द्वारा अर्जित मजदूरी प्रमाणिक नहीं थीं। यह भी साफ नहीं थी कि मजदूरों को उनकी अर्जित मजदूरी का भुगतान किया गया। इस संबंध में किसी साक्ष्य के अभाव में, मजदूरों से बलात् मजदूरी ली जाती थी, यह भी प्रमाणित हो जाती है एवं ये कारक उन्हें बंधुआ मजदूरी की परीधी में लाती है।

8.83 आयोग ने यह भी कहा कि बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1976 के उपबंध (घ), (च) (ज) (प) एवं (पअ) तथा खण्ड 2 के उपबंध (1) को साथ में पढ़ने से यह विचार मिलता है कि किन्हें बंधुआ मजदूर समझा जाए।

8.84 आयोग ने कहा कि ‘बंधुआ मजदूर’ का अर्थ उन मजदूरों से हैं जो या तो बंधुआ ऋण लेते हैं या इसे बंधुआ ऋण लेते हैं या इसे बंधुआ ऋण समझा जाता है जिसका अर्थ बंधुआ मजदूर प्रणाली के अनुसार कुछ

राशि अग्रीम ली जाती है। “बंधुआ मजदूरी प्रणाली” बलात् मजदूरी की वह प्रणाली है जिसके तहत कर्जदाता एवं ऋणदाता के बीच एक समझौते के तहत प्राप्त की गई अग्रीम राशि के बदले कर्जदाता, ऋणदाता को निर्दिष्ट अवधि या अनिश्चित अवधि तक मजदूरी के बगैर या सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी के बदले अपनी सेवा प्रदान करता है।

8.85 आयोग ने इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों का हवाला दिया। पी.यू.डी.आर. बनाम संघ सरकार, ए.आई.आर. 1982 एस. सी. 1473, जो ‘एशियाड मजदूर’ मामले के नाम से जाना जाता है, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह बयान दिया कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना बलात् मजदूरी है।

8.86 बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 1984 एस.सी. 802 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक कदम आगे बढ़कर ‘बंधुआ मजदूरी’ की कल्पना की। सर्वोच्च न्यायालय के संगत निरीक्षण निम्न है :

8.87 “जब कभी भी यह बात सामने आती है कि किसी मजदूर को बलात् मजदूरी करने के लिए बाध्य किया जाता है तब न्यायालय यह मान लेगी कि वह किसी अग्रीम राशि या आर्थिक सहायता के बदले वह ऐसा कार्य कर रहा है अतः वह एक बंधुआ मजदूर है। नियोक्ता उपयुक्त सामग्री प्रदान करने के पश्चात् न्यायालय की धारणा को हटा सकता है अन्यथा न्यायालय इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत श्रमिकों के लिए हकदार सुविधाओं पर कार्यवाही करेगी।”

8.88 नीरज चौधरी बनाम मध्य प्रदेश शासन, ए.आई.आर. 1984 , एस.सी. 1099, के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत दिए गए “बंधुआ मजदूर” की परिभाषा को पूनः परिभाषित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न बात कही :

8.89 “जब भी किसी मजदूर को बगैर मजदूरी के मजदूरी करते हुए पाया जाता है, तब उसे बंधुआ मजदूर के रूप में मान लिया जाएगा, अन्यथा नियोक्ता या राज्य सरकार इस मान्यता को नकारने के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत कर सकें।”

8.90 मामले की तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं इस विषय पर कानून को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने यह पाया कि शिकायतकर्ता मजदूर निश्चित ही “बंधुआ मजदूर” की सीमा में आते हैं एवं उप आयुक्त, जम्मू ने उन्हें बंधुआ मजदूर घोषित करने में असफल रहे, जिसकी वजह से उनके मानव अधिकारों का हनन हुआ। अतः आयोग ने अपने दिनांक 11.06.2013 की कार्यवाही में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (क) (i) के तहत मुख्य सचिव, जम्मू एवं कश्मीर सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे यह प्रश्न किया कि शिकायतकर्ता मजदूरों को बंधुआ मजदूर क्यों न घोषित कर, कानून के अनुसार उनका पूर्णवास किया जाए।

8.91 राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है।

**11. जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में बंधुआ मजदूरों की रिहाई एवं पूर्नवास
(मामला संख्या 1732/24/30/2012-बी.एल.)**

8.92 आयोग ने किसी रमेश से एक शिकायत प्राप्त किया जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि गांव चचुला, जिला गौतम बुद्ध नगर में कुछ श्रमिक ईंट मूल्डर के रूप में कार्य कर रहे थे। इसके लिए मजदूरी की दर रु0 450 प्रति हजार ईंट निर्धारित की गई थी लेकिन अर्जित मजदूरी के आर पर उन्हें मजदूरी नहीं दी जाती थी एवं कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता था। उन्होंने जब अपनी मजदूरी के रूप में सौझाया राशि रु0 75,000/- की मांग की तब उन्हें डराया धमकाया गया एवं उन्हें काम छोड़ने की इजाजत नहीं दी गई।

8.93 आयोग ने इस मामले पर संज्ञान लेकर, जिला मजिस्ट्रेट, गौतम बुद्ध नगर को एक जिम्मेवार अधिकारी को तैनात करवाकर इस मामले की घटना स्थल जाँच एवं अगर कोई बंधुआ मजदूर पाया जाता है, तो उनकी रिहाई करवाने के संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

8.94 जिला मजिस्ट्रेट, गौतम बुद्ध नगर ने आयोग के नोटिस पर उत्तर भेजते हुए यह रिपोर्ट की कि दिनांक 05.12.2012 को जिला अधिकारियों के एक दल ने ईंट भट्टे का दौरा किया एवं इसे बंद पाया। केवल ईंट भट्टे का मालिक, उसका मूंशी एवं कुछ अन्य मजदूर, जो काम की तलाश में आए थे, वहीं वहां पर उपस्थित पाए गए। मालिक ने इस संबंध में कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में असफल रहा एवं मालिक एवं अन्य लोगों के मौखिक साक्ष्य के आधार पर, जांच दल ने यह मान लिया कि शिकायकर्ता मजदूर अक्टूबर, 2011 में ईंट मोल्डर के रूप में कार्य करने के लिए वहां आए एवं 26.12.2011 तक कार्य किया। श्रमिकों को अग्रिम भुगतान कर दिया गया था एवं अग्रिम भुगतान के संबंध में कटौती के पश्चात् पंद्रह दिनों के अंदर भुगतान कर दिया गया। जांच के दौरान मालिक ने यह दर्शाया कि रु0 370 प्रति हजार ईंट की दर से मजदूरी दी जाती थी। हालांकि, इस संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रदान नहीं किया गया। न्यूनतम मजदूरी को उद्धृत किए बिना, जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि पाई गई न्यूनतम मजदूरी, सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी से अलग नहीं थी।

8.95 आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर शिकायतकर्ता के प्रतिक्रिया मांगी लेकिन शिकायतकर्ता से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

8.96 इसी बीच, जिला मजिस्ट्रेट ने आयोग को यह सूचना दी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एवं मजदूरी अधिनियम भूगतान के तहत अभियोजन फाइल किया गया है। हालांकि जांच रिपोर्ट को देखते हुए, ईंट भट्टा के मालिक को दण्डित नहीं किया गया।

8.97 आयोग ने इस मामले पर दिनांक 11.06.2013 को विचार किया एवं पाया कि यह बात स्पष्ट थी कि शिकायतकर्ता मजदूरों को अग्रिम राशि दी गई थी एवं यह भी प्रमाणित हो गया था कि ईंट भट्टा मालिक ने इस पर कोई रिकॉर्ड नहीं रखा था जैसा कि विभिन्न श्रम कानूनों के तहत आवश्यकता होती है। जिला मजिस्ट्रेट, गौतम बुद्ध नगर ने जांच दल द्वारा प्राप्त मौखिक प्रमाण के आधार पर ही अपनी रिपोर्ट भेजी थी

एवं शिकायतकर्ता मजदूर इस जांच में संबंधित नहीं थे। जिला मजिस्ट्रेट ने यह बात जानने की कोशिश नहीं की कि कब और कैसे शिकायतकर्ता मजदूर ईंट भट्टा छोड़ कर गए।

8.98 इसके पश्चात् आयोग ने यह पाया कि किए गए कार्य की प्रमाण एवं भुगतान की गई मजदूरी के अभाव में जिला मजिस्ट्रेट यह दावा नहीं कर सकता कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी दर से भी कम दर पर मजदूरी दी गई थी। यहां तक उनके द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर भी उद्धृत नहीं की गई थी। शिकायतकर्ता, मजदूरों ने यह दावा किया कि मजदूरी की सहमति दर रु0 450/— थी। हाँलाकि, मालिक के मौखिक प्रमाण के अनुसार, मजदूरी दर रु0 370/— प्रति हजार ईंट थी। रिकार्डों के अभाव में, यह मुद्दा एवं मजदूरी के सीझा राशि के भुगतान का समाधान नहीं हो सका।

8.99 आयोग ने यह भी पाया कि सांविधिक रिकॉर्डों के अभाव में, यह मानव लिया गया कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दर से भुगतान नहीं की गई एवं इस 'जबरन मजदूरी' का मामला मान लिया गया जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पी.यू.डी.आर. बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 1982 एस.सी. 1473 में ठहराया गया था। स्वीकार्य रूप से, शिकायतकर्ता, मजदूरों को अग्रिम भुगतान की गई थी। अतः यह बात दृष्टिगोचर थी कि उनकी भुगतान राशि समाप्त होने तक उन्हें छोड़ने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। यह तथ्य निश्चित रूप से शिकायतकर्ता मजदूरों को 'बंधुआ मजदूरी' के सीमा क्षेत्र में लाएगा। इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 1984 एस.सी. 802 भी अनुप्रयुक्त होती है।

8.100 मामले का तथ्य एवं परिस्थितियों एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विहित कानून पर विचार करते हुए, आयोग ने यह विचार रखा कि शिकायतकर्ता मजदूर बंधुआ मजदूरों की परीधी में आते हैं एवं उन्हें बंधुआ मजदूर घोषित करने तथा विमोचन प्रमाण पत्र जारी करने में जिला मजिस्ट्रेट, गौतम बुद्ध नगर द्वारा असफलता उनके मानव अधिकारों के उल्लंघन का कारण बना। अतः आयोग ने अपने दिनांक 11.06.2013 की कार्यवाही में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (क) (ii) के तहत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर उन्हें कारण बताने को कहा कि आयोग यह सिफारिश क्यों न करे कि शिकायतकर्ता मजदूरों को बंधुआ मजदूर घोषित एवं उनका पूर्णवास किया जाए।

8.101 राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है।

12. *जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में बंधुआ मजदूरों की रिहाई, विमोचन एवं पूर्णवास (मामला संख्या 33229/24/18/09-10-बी. एल.)*

8.102 आयोग ने एक शिकायत प्राप्त की, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि अनुसूचित जाति से संबंधित शिकायतकर्ता एवं अन्य, उदरावली गांव, जिला बुलंदशहर से एवं ईंट भट्टे में करीब 2) महीने से मजदूर के रूप में कार्य कर रहे थे। शिकारपुर निवासी, देवदत्त नामक ईंट भट्टा मालिक द्वारा प्रति मजदूर को 1000 ईंटों के लिए हर 15 दिनों में 190 रु0 दिया जाना था। उनके बीच यह भी करार हुआ कि नियेक्ता उन्हें

रहने के लिए जगह, भोजन बनाने के लिए लकड़ी एवं दवाएं इत्यादि प्रदान करेगा। 2) महीने कार्य करने के बावजूद, नियोक्ता ने न तो भोजन खर्च के पैसे दिए और न ही उनके वेतन का भुगतान ही किया गया। जब मजदूरी की मांग की गई तब श्रमिकों को गाली दी गई एवं उन्हें पीटा गया। शिकायतकर्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि वे भुख से पीड़ित थे एवं उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाती थी। नियोक्ता ने अपने ठेकेदार, कल्याण सिंह से यह भी देखने को कहा कि कहीं मजदूर दूसरे ईंट भट्टे में काम तो नहीं कर रहे एवं उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती थी। इस शिकायत में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया गया।

8.103 आयोग ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए इस मामले पर तत्काल एवं उपयुक्त कार्यवाही हेतु महानिदेशक (अन्वेषण) को सक्षम अधिकारियों को तैनात करने का निर्देश दिया। आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर को एक अधिकारी तैनात करवाकर, बंधुआ मजदूरों की पहचान, अगर कोई पाया जाता है तो उनके पूर्णवास संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।

8.104 जिला श्रम अधिकारी के प्रतिनिधित्व में एक दल ने कई मजदूरों एवं नियोक्ता के संयुक्त बयानों के साथ-साथ अन्य रिपोर्ट संग्रह किया।

8.105 केवल एक के अलावा सभी मजदूर अशिक्षित थे एवं सभी ने अंगुठा का निशान लगाया था। संयुक्त बयान से पता चलता है कि वे लोग दिनांक 7 अक्टूबर, 2009 को काम करने के लिए आए तथा उनकी दर 190 रु0 प्रति हजार ईंट के रूप से तय की गई थी। वे लोग 20 अक्टूबर, 2009 से काम करने लगे एवं ईंट भट्टे के मालिक उन लोगों को आवास, भोजन बनाने के लिए लकड़ी तथा आवश्यकतानुसार दवाएं प्रदान कर रहा था। बयानों से यह पता चलता है कि मजदूरों के बीच आपस में कोई अच्छे संबंध नहीं थे। उनके बीच विवाद होने के अलावा, ईंट बनाने के लिए कच्चा माल अर्थात् मिट्टी अच्छी नहीं थी अतः वे काम करने को तैयार न थे। इसके पश्चात् यह सुझाव दिया गया कि मजदूर गैर सामाजिक तत्वों से काफी भयभीत थे अतः वे तनिक भी काम करना नहीं चाहते थे।

8.106 मजदूरों को यह डर था कि नियोक्ता उन्हें काम छोड़कर जाने नहीं देगा। उन्होंने यह सुझाव दिया कि नियोक्ता या उनके किसी दलाल द्वारा किसी प्रकार की दुर्व्यवहार नहीं किया जाता था एवं वे कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र थे तथा उन्हें बंधुआ की तरह नहीं रखा जाता था। दिनांक 5 नवम्बर, 2009 को श्रमिकों को मजदूरी दी गई एवं वे सभी अपने-अपने घर जाना चाहते थे।

8.07 इस मामले पर आयोग द्वारा विचार किया गया एवं इसने पाया कि श्रम अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड की गई बयान अनुज्ञेय नहीं है जैसा कि बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 में शामिल प्रावधानों के तहत वह कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है।

8.108 श्रम अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में यह दर्शाया कि किसी को बंधुआ मजदूर के तौर पर नहीं रखा गया। इस तरह के बंधुआ मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा उनके कल्याण के लिए इस अधिनियम

की धारा 11 के तहत यह तो जिला मजिस्ट्रेट को एक जांच की फिर उन्हें किसी अधिकारी को विनिर्दिष्ट करनी चाहिए थी। धारा 10 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करवानी या फिर उनके अधीनस्थ किसी अधिकारी को विनिर्दिष्ट करवानी चाहिए थी। इस मामले में यह दर्शाने के लिए कुछ नहीं है श्रम अधिकारी उनका अधीनस्थ था एवं इस अधिनियम के तहत उन्होंने उसे शक्तियों के प्रयोग के लिए विनिर्दिष्ट किया था।

8.109 आयोग ने यह पाया कि यह बात साबित नहीं की जा सकती कि घटना स्थल पर पहुंचने पर अधिकारी को श्रम कल्याण विधान की जानकारी थी।

8.110 नियोक्ता के अनुसार, वे लोग 20 अक्टूबर, 2009 को कार्य की शुरुआत की। हालांकि, वे 7 अक्टूबर, 2009 को ही आ गए थे। इन दिनों उन्हें क्या प्रदान किया गया इसे साबित करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। ईट भट्टा में कार्य न करने के लिए, मजदूरों ने आपसी सहयोग ठीन न रहना, कच्चा माल जैसे मिट्टी ठीक न रहना, अन्य ईट भट्टा के मालिक द्वारा अन्य मजदूरों का पक्ष लेना तथा असामाजिक तत्वों द्वारा भय बतलाया।

8.111 इन तथ्यों को विवरण में छुपाया गया, जिससे यह साबित होता है कि मजदूरों द्वारा नहीं बल्कि किसी के द्वारा इन तथ्यों को छुपाया गया। अगर कोई विवाद था तब अधिकारी द्वारा साधारणतः इसके प्रकृति के बारे में पूछनी चाहिए थी, आखिर विवाद क्यों और किसके साथ था। अतः आयोग ने नियोक्ता द्वारा श्रम अधिकारी को प्रस्तुत किए गए तथ्यों को स्वीकार नहीं किया।

8.112 आयोग ने यह पाया कि नियोक्ता ने यह दर्शाया था कि एक ठेकेदार ने मजदूरों को लाया था, लेकिन श्रमिकों के बयान में, यह दर्शाया गया कि वे स्वयं काम करने के लिए आए थे। मजदूर एवं नियोक्ता के बयानों में विरोधाभास था।

8.113 यह भी पाया गया कि यह भी समझना कठिन था जब अधिकार ने दिनांक 5 नवम्बर, 2009 को स्थल का दौरा किया तब श्रमिकों ने क्यों कहा कि वे काम करना नहीं चाहते?

8.114 आयोग ने इसके पश्चात् यह पाया कि वर्तमान आर्थिक तंगी के माहौल में, यदि मजदूरों को उसी मजदूर से अन्य सुविधाओं के साथ मजदूरी दी जाती जिसमें वे संतुष्ट थे, तब उन्हें काम छोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती। अगर वे मन-मुताबिक जगह जाने के लिए स्वतंत्र होते, तब अधिकारी के आने से पूर्व ही वे लोग जगह छोड़ कर चले गए होते। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दी गई एवं बंधुआ मजदूर के रूप में रखा गया।

8.115 आयोग ने यह मंशा जाहीर की कि श्रम अधिकारी द्वारा अपने सर्वोच्च अधिकारी की तरफ से कलक्टर को प्रेषित रिपोर्ट से कोई विश्वास पैदा नहीं होता। यह आरोप था कि मजदूरों को ईट भट्टा से बाहर

जाने की इजाजत नहीं दी जाती थी, उन्हें धमकी दी जाती थी तथा वे लोग अनुसूचित जनजाति से संबंधित थे। मजदूरों को अभिभाषित करने के लिए नियोक्ता द्वारा जो शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसा कि शिकायत में उद्धृत है, वह दण्ड संहिता के प्रावधानों के अलावा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में सम्मिलित प्रावधानों को आकर्षित करेगा। नियोक्ता द्वारा कथित रूप से किए गए इस संज्ञेय अपराध के लिए, पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करवानी चाहिए थी।

8.116 नियोक्ता ने किसी प्रकार की लेखा पुस्तिका, मास्टर पंजी, संगत रजिस्टर एवं मजदूरी पर्ची प्रस्तुत नहीं कर सका। विधि के प्रावधानों के अनुपालन में इसके सत्यापन को ध्यान में रखते हुए सभी पहलूओं पर रूची नहीं दिखलाई।

8.117 इस तरह की दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में, आयोग ने यह पाया कि नियोक्ता के बयान को स्वीकार नहीं किया जा सकता तथा नियोक्ता एवं मजदूरों के बयानों में विभेद को ध्यान में रखते हुए, नियोक्ता के खिलाफ ही यह आरोप लगाया जा सकता था। अधिकारी यह जानने की तकलीफ नहीं की कि क्या नियोक्ता के पास करखाना अधिनियम एवं अन्य विधानों के तहत अपेक्षित अनुज्ञप्ति, अनुमति या अधिकार पत्र था।

8.118 आयोग ने यह बात रखी कि शिकायतकर्ता के बयान से यह बात साफ थी कि यह एक जबरन नजरबन्दी का मामला था जिसमें पुलिस को संज्ञान लेने की आवश्यकता थी।

8.119 तैयार बयान, जिसमें अंगुठा निशान लिया गया था, वह नियोक्ता के बयान से भिन्न था। नियोक्ता का कानून न मानना इस बात की पुष्टि करता है कि मजदूर बंधुआ मजदूर थे। अतः कलक्टर को विधि के विभिन्न प्रावधानों के तहत कार्यवाही करनी चाहिए थी। यह देखना उनका कर्तव्य था कि मजदूरों का पुर्नवास हुआ हो ताकि इस तरह के मालिक उनको दूसरा बंदी न बना सके। आयोग ने कलक्टर को प्रमाण पत्र एवं बंधुआ मजदूरों के पुर्नवास कर विधि के अनुरूप कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

8.120 जिला मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर से प्राप्त उत्तर यह दर्शाता है कि दिनांक 6 मई, 2010 को जय गौरी ईंट भट्टा की जांच करते समय कोई भी बंधुआ मजदूर वहां कार्य करते हुए नहीं पाए गए। इसके पश्चात् यह दर्शाया गया कि इस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि मजदूरों को बंधुआ मजदूर के रूप में रखा गया था।

8.121 ईंट भट्टा मालिक द्वारा दूसरे मजदूरों को ज्यादा सुविधा प्रदान करने से कुधेनी गांव के श्रमिक उपेक्षित महसूस किए। उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि ऐसा प्रतीक्षा होता है कि इससे आहत होकर ही शिकायत की गई। ईंट भट्टा में कार्य कर रहे कुधेनी गांव के अन्य मूल्डरों ने यह शिकायत नहीं की कि उन्हें बंधुआ मजदूर के रूप में रखा गया था।

8.122 आयोग ने मामले पर दूसरा विचार किया एवं पाया कि कानून यह अधिदेष्टित करता है कि नियोक्ता रजिस्ट्रारों का रख-रखाव एवं उनके यहां नियुक्त कर्मचारियों को विवरण के साथ-साथ उनके द्वारा किए

जाने वाले कार्य, मजदूरी एवं प्राप्त रसिदों का रिकॉर्ड रखेगा। जब ईट भट्टों का मालिक यह दावा करता है कि वह मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी चुकाता है तब उनकी यह जिम्मेवारी बनती है कि भुगतान के प्रमाण को दर्शाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करे कि वह विधि के अनुसार ही मजदूरी देता है। इस कार्य की पूर्ति हेतु उन्हें मास्टर पर्ची का रख-रखाव करने की आवश्यकता होती है। अगर नियोकता लेखा संबंधी उपरोक्त बहियों को प्रस्तुत करने में असफल होता है तब जिला मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकारियों को यह पूर्वानुमान करना चाहिए कि श्रमिकों को बंधुआ मजदूर के रूप में रखा गया था।

8.123 यदि नियोक्ता उपरोक्त लेखा बहियों को प्रस्तुत करने में असफल रहता है तब जिला मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के यह मान लेनी चाहिए कि मजदूरों को बंधुआ मजदूर के रूप में रखा गया था।

8.124 आयोग ने यह पाया कि बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम की धारा 13 प्रत्येक जिला एवं उप-मण्डलीय स्तर पर एक सर्तकता समिति का निर्माण एवं समिति के सदस्यों एवं उनके अनुपस्थिति में गैर सरकारी संगठनों की सहायता ली जाए ताकि इस तरह की स्वतंत्र अभिकरणों के उपस्थिति किसी भी नियोक्ता के तहत काम करने वाले कर्मचारी अपनी मांग को खुल कर रख सके। प्राप्त रिपोर्ट में इस तथ्य का कोई तथ्य साबित नहीं होता। अतः आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट, को निम्नलिखित बिन्दुओं पर टिप्पणी करने को कहा :

- जब ईट भट्टे का मालिक लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहा तब यह पूर्वानुमान क्यों नहीं लगाया गया कि श्रमिकों को बंधुआ मजदूर के रूप में रखा गया है?
- बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम की धारा 13 के अनुसार बच्चों कोई सर्तकता समिति गठित की गई है एवं नहीं, तो इसका कारण बताया जाए?
- प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के अनुसार प्रदूषण कानूनों के तहत जिले की कितने ईट भट्टे ने अनुमति ली थी, अगर इस तरह की अनुमति प्राप्त नहीं की गई, इसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई :-
- श्रमिकों को नियमानुसार मजदूरी (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम/मजदूरी अधिनियम भुगतान नियम एवं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम) दी जा रही है या नहीं इसकी जांच के कंसक्ट्रेट के तहत कार्य कर रहे विभाग द्वारा कितने ईट भट्टा का दौरा/जाँच की गई।
- रिपोर्ट में विशिष्ट रूप से यह दर्शाया नहीं गया कि श्रमिकों को एक दिन की छूट्टी दी जाती थी एवं इसका पालन न करने पर क्या कार्रवाई की जाती है?

8.125 जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त उत्तर का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि, ईट भट्टा मालिक द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत भुगतान करने के संबंध में रिकॉर्ड प्रस्तुत की गई थी। वह मजदूरों द्वारा ईटों का हिसाब भी रखता था। इसके पश्चात् दर्शाया गया कि जिन सांचे में ढाली गई ईट भट्टों के पास प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया, उन्हें बंद करने का नोटिस जारी किया जा रहा है। मजदूरी अधिनियम के भुगतान, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सहित अन्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन न करने वाले विभिन्न ईट भट्टा मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बंधुआ मजदूरी की कोई घटना नहीं घटी।

8.126 आयोग ने इसके पश्चात् इस मामले पर विचार किया एवं पाया कि प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, ईट भट्टा मालिक लेखा-जोखा रखता था एवं कार्य करने के लिए मजदूरों को मजदूरी दी जाती थी। कथित लेखा-जोखा साधारण कागज पर तैयार किया गया, विहित प्रारूप में नहीं। आयोग ने यह पाया कि इस लेखा-जोखा को बाद की तारीख में तैयार करने की बात से नकारा नहीं जा सकता। ईट भट्टा मालिक को अपनी लेख बही को विहित प्रारूप में तैयार करवानी चाहिए थी। मजदूरों के अशिक्षित होने के कारण उनके शोषण की आशंका को नकारा नहीं जा सकता।

8.127 आयाग ने जिला मजिस्ट्रेट को शिकायत में उद्धृत सभी लोगों को बंधुआ मजदूर के रूप में घोषित कर एवं उनके रिहाई का प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया। उनके पूर्णवास के लिए, रिहाई प्रमाण पत्रों को जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ को अग्रेषित करने का भी उन्हें निदेश दिया गया। इसके उत्तर में, जिला मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर ने मजदूरों की सूची की एक प्रति अग्रेषित की जिनके नाम से उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर को नोटिस जारी की गई।

8.128 आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर को नोटिस जारी कर बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए उठाए गए कदम के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया। उन्होंने समन जारी होने के पश्चात् आयोग को सूचित किया कि बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए संस्वीकृति राशि का भुगतान चेक द्वारा कर दिया गया है। जैसा कि सभी 15 छुड़ाए गए बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास कर दिया गया अतः आयोग ने इस मामले को दिनांक 28.10.2013 को बंद कर दिया।

13. अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति से संबंधित बंधुआ मजदूरों की रिहाई। (मामला संख्या 18571/24/51/2013-बी.एल.)

8.129 आयोग ने जल देवी पत्नी सोनपाल (जाटव), निवासी गांव भोपटपुर, थाना मद्रक, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से एक शिकायत प्राप्त की। शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति से संबंधित रिहा किए गए तीन बंधुआ मजदूरों को दिनांक 14.03.2013 को ईट भट्टा मालिक के साथियों ने अपहरण कर लिया। उन लोगों को ए.डी.एम. के निर्देशों से जिलों में स्थित ईट मार्का डी.के.वी. के ईट भट्टा मालिक श्री दिनेश कुमार यादव से छुड़ाया गया। इसके पश्चात् शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया कि ईट भट्टा मालिक दिनेश कुमार यादव, मैनपुरी में भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग में परियोजना निदेशक के पद पर कार्यरत थे एवं उनका कुछ उच्च राजनीतिक संबंध था। शिकायत में तीन बंधुआ मजदूरों सोनपाल, पुरन एवं छत्रपाल को ईट भट्टा मालिक के चंगुल से छुड़ाने का निवेदन किया गया।

8.130 आयोग के दिनांक 29.05.2013 के अनुपालन में, इस मामले में अन्वेषण विभाग के एक दल ने घटना स्थल पर जांच की। जांच की प्रक्रिया के दौरान ईट भट्टा मालिक, पुलिस कार्मिक, जिला अधिकारी एवं अन्य साक्षियों की गवाही लेकर संगत रिकॉर्डों को इकट्ठा किया गया।

8.131 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जांच दल ने निम्न बातें पाई :

- i) शिकायतकर्ता श्रीमती जल देवी एवं उनके अन्य परिवार के सदस्यगण ईट भट्टा के मजदूर थे एवं पिछले 10 वर्षों से ईट भट्टा में ईट को सांचे में ढालने के कार्य में लगे थे।
- ii) वर्ष 2012 में दिवाली के समय वे डी के वी ईट भट्टा में कार्य करने के लिए गए एवं वहां कार्य किया। सहमति शर्तों में बदलाव की वजह से शिकायतकर्ता एवं अन्य मजदूर वहां काम करना नहीं चाहते थे। इसके बाद, ईट भट्टे में कार्य कर रहे कुछ मजदूर वहां से भाग गए तथा ईट भट्टा मालिक के विरुद्ध जिला प्रशासन, इटावा के पास शिकायत कर दी।
- iii) किसी दिनेश कुमार निवासी नेम सिंह, डी.के.वी. भट्टा की शिकायत पर ए.डी.एम. इटावा ने श्रम विभाग को जांच करने के लिए कहा। तदनुसार, दिनांक 14.03.30213 को सहायक श्रम आयुक्त की अध्यक्षता में जिला अधिकारियों के एक दल ने ईट भट्टा के मालिक की सहमति से 22 मजदूरों को रिहा करवाया। हालांकि जांच के दौरान, तत्कालीन वरिष्ठ जिला मजिस्ट्रेट, भरथाना जो बंधुआ मजदूरों की रिहाई के लिए सक्षम प्राधिकारी थे, उन्होंने श्रम प्रवर्तन दल का साथ नहीं दिया।
- iv) डी.के.वी. भट्टा में मजदूरों को अग्रिम राशि देने की प्रथा तथा मजदूरी के संबंध उचित रिकॉर्डों को न रखने की प्रथा के संबंध में शिकायत प्राप्त होने के बावजूद भी, जिला प्राधिकारी, इटावा ने बंधुआ मजदूरी अधिनियम के तहत कोई उचित कार्रवाई नहीं की एवं ईट भट्टा मालिक द्वारा प्रदान किए गए ट्रेक्टर एवं ट्रॉलियों से मजदूरों को उनके निवास स्थान तक जाने दिया।
- v) जांच में यह पाया गया कि जैसा कि मजदूरों ने अग्रिम राशि ली थी, ईट भट्टा मालिक ने जांच दल के आने तक अक्टूबर, 2012 से मजदूरों को उनके गृह नगर जाने की इजाजत नहीं दी थी।
- vi) जिला प्राधिकारियों द्वारा न तो कोई विमोचन प्रमाण पत्र जारी किया गया और न ही ईट भट्टा मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई की शुरुआत की गई।
- vii) सोनपल, नामक कथित शिकायतकर्ता ने अपनी पत्नी जल देवी (राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में शिकायतकर्ता) की शिकायत को दोहराते हुए कहा कि किसी ने क्रासिंग से उसका अपहरण कर लिया गया तथा ईट भट्टा के मालिक के पास उसे काम करने के लिए बाध्य किया गया। अन्य दो पीड़ित पुरन एवं छत्रपाल, कई प्रयासों के बावजूद भी आयोग के सम्मुख प्रस्तुत नहीं हुआ। हालांकि, उन लोगों ने अपना एफिडेवीट भेजकर यह कहा कि ईट भट्टा मालिक के खिलाफ जल देवी द्वारा की गई शिकायत झुठी है एवं मजदूरी के उनके घर सावधानी से भेज दिया गया था। उपरोक्त स्थिति में, इसका प्रथम दृष्टया अवलोकन करने पर, आयोग की जांच दल ने यह मान लिया कि वकील दो पीड़ित ईट भट्टा मालिक के प्रलोभन में निश्चित रूप से आ गए होंगे, जैसा कि आयोग में प्रस्तुत होने के बजाए, उनके (पुरन एवं छत्रपाल) द्वारा एफिडेवीट प्रस्तुत कर दिया गया। ईट भट्टा मालिक के लिए पैसा खर्च कर एफिडेविट तैयार करना काफी असामान्य था।
- viii) शिकायतकर्ता जलदेवी ने भी दिनांक 02.04.2013 को जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में शिकायत की

थी। इस संबंध में शिकायत पर कार्यवाही करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, मनीपुरी द्वारा एस.डी. एम. भागोन, सी. ओ. भागोन एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी, मनीपुरी का एक दल गठित किया गया था। हालांकि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दल के दौरे की तिथि तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

- ix) दिनेश कुमार याद को वास्तविक डी.के.वी. ईट भट्टे का मालिक पाया गया एवं उसके परिवार के सदस्यगण (पत्नी, बेटा एवं बेटी) को कानूनी तौर पर मालिक पाया गया। ईट भट्टे के चार साझेदारों में से, तीन को उसके परिवार का सदस्य पाया गया। सरकारी सेवक होने की वजह से, उसे स्वयं को इस प्रकार का व्यवसायिक क्रिया कलाप में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था।
- x) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने यह भी पाया कि रिहा किए गए 72 मजदूरों में से, एक मजदूर लड़की थी जिसका नाम कुमारी मालती, पुत्री सोनपल (पीड़ित) निवासी गांव भोपटपुर, थाना क्यास्सी, अलीगढ़ी, उत्तर प्रदेश था। आयोग के दल ने उसके बयान का रिकॉर्ड किया जिसमें उसने अपनी आयु 12 वर्ष बतायी। शक्ल-सूरत से भी वह अवयस्क लग रही थी। श्रम विभाग, इटावा के दल ईट भट्टे से मजदूरों को रिहा करवाते वक्त उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था।

8.132 संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार तथा जांच दल द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने निम्न निर्देश दिए :

8.133 बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के तहत जिला प्रशासन, इटावा द्वारा रिहा किए गए 22 मजदूरों के रिहाई के प्रमाण पत्र जारी करने के साथ-साथ मजदूरों को बंधक बनाने के लिए ईट भट्टा मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में आयोग ने डी.एम./ए.डी.एम. को निर्देश दिया।

8.134 कुमारी मालती के संबंध में बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियम) अधिनियम, 1956 के कथित उल्लंघन के लिए जिला मजिस्ट्रेट इटावा ईट भट्टा, डी.के.वी. के मालिक के खिलाफ जांच करने को कहा।

8.135 शिकायकर्ता के पति एवं अन्य दो के अपहरण के आरोप के संबंध में डी.जी.पी., यू.पी., लखनऊ सी. बी. सी.आई.डी. से जांच करवाई।

8.136 यह मामला अब भी आयोग में विचाराधीन है।

महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार

9.1 भारत की जनसंख्या में 70 प्रतिशत से अधिक भाग महिलाओं और बच्चों का है। देश के समग्र विकास एवं प्रगति में महिलाओं एवं बच्चों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के महत्व को पहचानते हुए भारत के संविधान में उनकी उत्तरजीविता, विकास, संरक्षण, भागीदारी तथा सशक्तिकरण के लिए उपबंध समाविष्ट हैं। यह मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक दायित्वों में शामिल हैं। यह, महिलाओं एवं बच्चों के हित में सकारात्मक हस्तक्षेप के उपाय अपनाने में राज्य को शक्ति प्रदान करते हैं। भारत ने महिलाओं एवं बच्चों को समान अधिकार दिलाने वाले विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों तथा मानव अधिकार दस्तावेजों की अभिपुष्टि की है। इसमें एक सुरक्षित तथा दो घोषणात्मक वक्तव्यों सहित वर्ष 1993 का महिलाओं के प्रति होने वाले हर प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन संबंधी अभिसमय तथा एक घोषणात्मक वक्तव्य सहित वर्ष 1992 का बच्चों के अधिकार संबंधी अभिसमय शामिल है।

9.2 इन प्रतिबद्धताओं के बावजूद एक अनुमान के अनुसार भारत में बहुत बड़े अनुपात में महिलाएं और बच्चे मुश्किल या संवेदनशील परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, जहां एक तरफ वर्ष 2001 के लिंगानुपात (933) के मुकाबले 2011 के लिंगानुपात (943) में प्रशंसनीय बढ़ोतरी हुई है वहीं वर्ष 2001 के बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष) जो 927 था वो 2011 में घटकर 914 रह गया जो कि चिंता का विषय है। यह गिरावट विशेषरूप से इसलिए भी तकलीफदेह है क्योंकि यह नकद स्थानांतरण तथा प्रोत्साहन योजनाओं, विभिन्न मीडिया एवं संदेश प्रयासों सहित सशक्त विधिक एवं नीतिगत ढांचे के बावजूद हो रहा है। यदि यह नहीं रुका तो इससे जनसांख्यिकी परिवर्तन होगा, लिंग न्याय, सामाजिक तानाबाना तथा मानवीय विकास प्रभावित होगा। पुरुष एवं महिला शिशु मृत्यु दर के बीच के अंतर — 46 लड़कों के मुकाबले 49 लड़कियां — के संबंध में भी काफी चिंता है। भारत में पांच वर्ष से कम आयु की लड़कियों की मृत्यु दर (1000 पर 64) लड़कों की मृत्यु दर (1000 पर 55) की तुलना में बहुत अधिक है। पांच वर्ष से नीचे की बाल मृत्यु दर में 10 बिन्दु या अधिक का अंतर राजस्थान (19), उत्तर प्रदेश (16), झारखंड (14), हिमाचल प्रदेश (14), तथा पंजाब (10) राज्य में देखा गया। यह स्पष्ट रूप से लड़कियों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता की ओर ध्यान आकृष्ट करता है।

9.3 हालांकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, लिंग संबंधी कई सूचकांकों में सुधार हुआ है। प्रजनन दर में कमी आई है और कई राज्यों में यह स्थानापन्न दरों तक भी पहुंच गई है; मातृ मृत्यु दर में सुधार हो रहा है, वर्ष 2003 के 100,000 पर 301 की तुलना में यह 212 तक आ गई है (एस.आर.एस. 2007-2009); शिशु मृत्यु दर अभी भी थोड़ी ज्यादा है लेकिन वर्ष 2010 में यह भी 1000 पर 47 तक आ गई है।

9.4 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, सभी को मानव अधिकार सुनिश्चित करने की भारत की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। अक्टूबर, 1993 में हुए अपने गठन से लेकर अबतक महिलाओं तथा बच्चों के अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण संबंधी इसके प्रयास पिछले दो दशकों के दौरान महिलाओं और बच्चों के प्रति भेदभाव, महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ हिंसा, महिलाओं के यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सहित महिलाओं और बच्चों की मौलिक स्वास्थ्य चिंताएं, महिलाओं और बच्चों की शिक्षा, किशोर न्याय का प्रशासन तथा बाल श्रम सहित महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष सुरक्षोपाय संबंधी मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए विभिन्न प्रकार के परस्पर संबद्धी तरीकों में विकसित हुए हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग ने वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद द्वारा जिनीवा में आयोजित द्वितीय सार्वभौमिक आवधिक पुनरीक्षा में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के एक भाग के रूप में उपरोक्त पैरा 9.2 तथा 9.3 में उजागर की गई चिंताओं पर कार्रवाई की मांग की है।

9.5 नीचे के पैराग्राफों में महिलाओं तथा बच्चों के अधिकारों के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है।

क. महिलाओं के मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन

9.6 आयोग द्वारा दिनांक 18 और 19 फरवरी, 2014 को नई दिल्ली में महिलाओं के मानव अधिकारों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य— (i) दांडिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 तथा इस अधिनियम में शामिल न की गई सिफारिशों और न्यायविद वर्मा समिति द्वारा तैयार किए गए “बिल ऑफ राइट्स” के विशेषतः ‘जीवन, सुरक्षा तथा शारीरिक अखंडता’ अध्याय के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को रोकने तथा समाप्त करने के उपायों पर विचार करना; (ii) महिलाओं और लड़कियों के अवैध मानव व्यापार को रोकने के उपायों पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा, सहायता तथा उनकी समस्याओं के समाधान करना और सी0ई0डी0ए0डब्ल्यू0, अवैध मानव व्यापार नयाचार (2000), बच्चों तथा महिलाओं पर विशेषरूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए अवैध मानव व्यापार से लड़ने तथा उसे रोकने की कार्रवाई संबंधी एकीकृत योजना तथा अम्मान प्रोग्राम ऑफ एक्शन के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना; (iii) महिलाओं को प्रभावित करने वाली राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की जनसंख्या नीतियों के भेदभावपूर्ण तथा कठोर उपायों के उन्मूलन सहित भारत सरकार द्वारा स्वीकृत आई0सी0पी0डी0 तथा द्वितीय सार्वभौमिक आवधिक पुनरीक्षा की तर्ज पर महिलाओं के यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना, और (iv) महिला सशक्तिकरण तथा लिंग समानता सुदृढीकरण संबंधी रणनीति पर विचार करना।

9.7 इस दो-दिवसीय सम्मेलन में योजना आयोग, केन्द्र तथा राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभागों तथा गृह मंत्रालयों के, तकनीकी संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर-सरकारी तथा सिविल समाज के संगठनों के वरिष्ठ एवं मध्यम स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, राज्य मानव अधिकार आयोगों, अन्य राष्ट्रीय आयोगों तथा राज्य आयोगों के अध्यक्षों, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सम्मेलन में भाग लिया।

9.8 सम्मेलन में चार कार्य समूहों के निम्नलिखित मौलिक मुद्दों पर चर्चा की :

- कार्य समूह – 1 छोटे परिवारों के मानदंडों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित या हतोत्साहित करने वाले प्रावधानों सहित महिलाओं के यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी अधिकार
- कार्य समूह – 2 महिलाओं और लड़कियों के प्रति हिंसा
- कार्य समूह – 3 महिला सशक्तिकरण तथा लिंग समानता
- कार्य समूह – 4 महिलाओं एवं लड़कियों का अवैध मानव व्यापार

9.9 उपरोक्त कार्य समूहों से सामने आने वाली विस्तृत सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया गया और सम्मेलन के अंतिम सत्र में अंतिम रूप दिया गया। अपने-अपने कार्य समूहों की अध्यक्षता करने वाले संबंधित सदस्यों द्वारा इन सिफारिशों को और बेहतर बनाया गया। यह सभी सिफारिशें **अनुलग्नक-13** पर हैं। बाद में, इन सिफारिशों को सभी प्रतिभागियों को अग्रेषित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संबंधित सचिवों/निदेशकों को तथा सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों तथा पुलिस महानिदेशकों को भी अनुपालनार्थ अग्रेषित किया गया और उनसे अतिशीघ्र ही की गई कार्रवाई रिपोर्ट भेजने के लिए भी कहा गया ताकि आयोग को उपरोक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन के स्तर के बारे में अवगत कराया जा सके। आयोग ने सभी पणधारियों से इन सिफारिशों का ईमानदारी से अनुपालन करने और आयोग को संबंधित अनुपालन रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया। इससे आयोग को बीजिंग 20 में महिलाओं के अधिकारों के संबंध में हुई प्रगति के बारे में रिपोर्ट करने में सुविधा होगी क्योंकि वर्ष 2015 में महिलाओं के चौथे विश्व सम्मेलन एवं बीजिंग घोषणापत्र अभिग्रहण एवं कार्रवाई मंच की 20वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है।

ख. जन्म पंजीकरण : प्रत्येक बच्चे का अधिकार

9.10 जन्म पंजीकरण, “किसी देश की विधिक अपेक्षाओं के अनुरूप जन्म संयोग एवं वैशिष्ट्य का सिविल रजिस्ट्री में सतत, स्थायी एवं सार्वभौमिक रिकार्ड” सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है और सभी आधुनिक सरकारों का मूल दायित्व है। इसमें दो तत्व शामिल हैं : सरकारी रिकार्ड में बच्चे के जन्म के विवरण की प्रविष्टि करना (अन्य संगत जानकारी सहित) और जन्म की तारीख एवं स्थान, माता-पिता का नाम तथा अन्य जानकारी जैसे कि राष्ट्रीयता आदि सहित बच्चे माता-पिता को ‘जन्म प्रमाणपत्र’ जारी करना।

9.11 संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय के अनुच्छेद 7 में जन्म पंजीकरण का अधिकार निहित है जो कहता है कि “बच्चे के जन्म तुरंत बाद उसका पंजीकरण किया जाना चाहिए और उसके पास जन्म से ही नाम का, राष्ट्रीयता और जहां तक हो सके अपने माता-पिता द्वारा ध्यान रखे जाने का अधिकार होना चाहिए”। इसके साथ-साथ अपने आप में एक अधिकार होने के साथ-साथ जन्म पंजीकरण को बहुत से अन्य अधिकारों तथा लाभों के साथ भी जोड़ा गया है जैसे कि आवश्यक सेवाओं तक बच्चे की पहुंच को सुनिश्चित करना और

बच्चे को अनुचित व्यवहार एवं शोषण से सुरक्षित रखना। एक सम्पूर्ण एवं विशुद्ध सिविल पंजीकरण प्रणाली के एक भाग के रूप में जन्म पंजीकरण को अधिक प्रभावी बाल अधिकार योजना तथा शासन के साथ और अधिक व्यापक रूप से सामाजिक एवं आर्थिक विकास का प्रचार-प्रसार के साथ जोड़ा गया है।

9.12 जन्म पंजीकरण के संभाव्य लाभों के दायरे के वृहत विस्तार की संभावना के चलते भारत में उपलब्ध अनुभवमूलक अनुसंधान, जो जन्म पंजीकरण के प्रभावों और व्यवहार में बच्चों को किस प्रकार लाभांशित करता है, यदि करता है तो, की जांच करता है – का अभाव है। इस पहलू की जांच करने के लिए, विशेषतः भारत में सार्वभौमिक जन्म पंजीकरण तक पहुंच में बाधा – की जांच करने के लिए मानव अधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय (ओ0एच0सी0एच0आर0) से सुश्री लॉरिस लीज़ा ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से जानकारी मांगी है। इस संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराई –

भौगोलिक – भारत में जन्म पंजीकरण संबंधित सबसे स्पष्ट भौगोलिक बाधा है जन्म पंजीकरण संबंधी सुविधा का दूर होना। पंजीकरण के केन्द्र की दूरी जितनी अधिक होगी, माता-पिता के लिए अवसरों तथा यात्रा लागत में उतनी अधिक वृद्धि होती है। इसके अलावा, कार्यालय के खुलने और बंद होने के अनियमित या असुविधाजनक समय, स्टॉफ की अनुपस्थिति, पेपर तथा अन्य सामग्री की कमी के कारण माता-पिता को कई बार आना-जाना पड़ता है। अवस्थिति तथा भू-भाग, अवसंरचना की स्थिति जैसे कि रोड तथा सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता भी पहुंच को प्रभावित करती है। देखा जाए तो भौगोलिक मुद्दे, सार्वभौमिक जन्म पंजीकरण की राह में बहुत बड़ी बाधा है। पहाड़ी क्षेत्र अपनी स्थलाकृति एवं मौसम की वजह से अधिक चुनौतियां उत्पन्न करते हैं और जन्म पंजीकरण को प्रभावित करते हैं।

सामाजिक– इसे सार्वभौमिक रूप से मौलिक अधिकार नहीं माना गया है जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक स्तर पर कम वरीयता दी गई है। समाज के एक बड़े भाग को या आर्थिक कठिनाईयां झेल रही सरकार द्वारा या अपने दिन प्रति दिन के संघर्ष से लड़ते परिवारों को पंजीकरण महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं होता। तात्कालिक तथा गोचर प्रवृत्ति की समस्याओं के आगे इसके महत्व को अक्सर नकार दिया जाता है और ऐसी समस्याओं को दूर करने के जन्म पंजीकरण के दीर्घकालिक सामर्थ्य को नजरअंदाज किया जाता है। इसे सामान्यतः चिकित्सा सेवाओं तथा शिक्षा सेवाओं तक पहुंच सहित बच्चों के विकास के लिए कम आवश्यक एक कानूनी कार्रवाई से अधिक नहीं माना जाता है। अंतिम परिणाम, जन्म पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय एवं स्थानीय प्राधिकारियों से समर्थन का अभाव तथा आम जनता, जो इसके महत्व से अनभिज्ञ है, से बहुत कम मांग होता है।

आर्थिक –जन्म पंजीकरण की दिशा में आर्थिक बाधाओं के दो समूह हैं : राष्ट्रीय एवं व्यक्तिगत। राष्ट्रीय स्तर पर कम बजट और प्रतिस्पर्धी मांग से जूझ रही सरकार, एक प्रभावी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के सृजन हेतु अपने कम संसाधनों को विपथित करने से संकोच

कर सकती है। भारत में संसाधनों की कमी के कारण कुशल, पूर्णकालिक कार्मिकों तथा मूलभूत सामग्री की कमी सहित पंजीकरण सुविधाओं का अभाव है। व्यक्तिगत स्तर पर, जन्म पंजीकरण की दर में कमी का कारण गरीबी है। गरीब परिवार इसे एक प्राथमिकता नहीं समझते हैं।

विधिक एवं राजनीतिक — भारत में सिविल पंजीकरण को संबोधित करने के लिए विशिष्ट कानून हैं तथा पंजीकरण से संबंधित मुद्दों को सिविल संहिता या परिवार, व्यक्तिगत पहचान, राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली से संबंधित अन्य कानूनों में शामिल किया जा सकता है। भारत में जन्म पंजीकरण से संबंधित कानून का नाम जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 है। इस कानून के तहत पंजीकरण प्रणाली के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी को राज्य सरकारों को विकेन्द्रित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप व्यापक असमानता हो गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो, हालांकि जन्म पंजीकरण का कानून विद्यमान है लेकिन पंजीकरण की राह में व्यवहार्य बाधाएं हैं। कुछ मामलों में कानून, भौगोलिक परिस्थितियों तथा पंजीकरण सुविधाओं की उपलब्धता के मद्देनजर, पंजीकरण के लिए पर्याप्त समय नहीं देता है। कुछ मामलों में बाधाओं से पार पाना आसान नहीं है क्योंकि ये राज्य द्वारा प्रवर्तित हैं और यह केवल भौतिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी हैं। ऐसे अवरोध विस्थापितों, नृजातीय अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं सहित अधिकांश समूहों को अनुपातहीन रूप से प्रभावित करते हैं।

जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाएं — भारत में प्रशासनिक संरचना बहुत ही जटिल है। प्रक्रियाएं बहुत की अस्पष्ट तथा पेचीदा हैं और इन्हें सरल बनाने की आवश्यकता है।

सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक परम्पराएं — संगत विधायनों से समर्थित एक विद्यमान सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी स्थानीय समुदायों की संस्कृति तथा दैनिक वास्तविकताओं को पहचानने में असफल हो जाने के कारण अवरुद्ध हो सकता है। पंजीकरण की राह में गंभीर भाषायी अवरोध हो सकता है। जनसंख्या के बीच पंजीकरण के महत्व के बारे में सही जानकारी न होना, एक अन्य अवरोध हो सकता है। भारत के पिछड़े क्षेत्रों में लिंग भेदभाव जो महिलाओं को इस पूरी प्रक्रिया से अलग रखता है, के कारण जन्म पंजीकरण प्रभावित हो रहा है। ऐसी स्थिति में पिता की अनुपस्थिति में पंजीकरण में और अधिक विलम्ब होने की संभावना होती है। लिंग संबंधी भेदभाव जो लड़कियों को स्कूल से दूर रखता है, का भी जन्म पंजीकरण पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है।

संसाधनों, जागरुकता तथा प्रोत्साहन का अभाव — ये कुछ ऐसे कारक हैं जो देश में सार्वभौमिक जन्म पंजीकरण प्रणाली की पहुंच की राह में अवरोधकों की भूमिका निभाते हैं।

9.13 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने जन्म पंजीकरण में सुधार हेतु तथा जन्म पंजीकरण के महत्व संबंधी जागरुकता सुनिश्चित करने के लिए बेहतर कार्यपद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया जो कि निम्नानुसार हैं :

- 1 राज्यों को जन्म पंजीकरण को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करना।
- 2 जन्म पंजीकरण के लिए जिम्मेदार सरकारी संस्थानों की क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना।
- 3 रिकार्ड को कम्प्यूटरीकृत रूप में रखना शुरू करना।
- 4 सरकार तथा जनता के बीच भागीदारी को सुगम बनाना।
- 5 सार्वभौमिक जन्म पंजीकरण संबंधी जन अभियान आयोजित करना।

9.14 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, वर्ष 2012 में जिनिवा में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के तत्वावधान में आयोजित द्वितीय सार्वभौमिक आवधिक पुनरीक्षा में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करके अपने स्तर पर देश में जन्म पंजीकरण के मुद्दे की जांच कर रहा है। इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गई सभी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एक मॉनीटरिंग ढांचा तैयार किया है। इस ढांचे को अन्य पणधारियों के साथ विचार-विमर्श करके तैयार किया गया है तथा इस वार्षिक रिपोर्ट के लिखे जाने के समय तक आयोग ऐसे संबंधित मंत्रालयों के सचिवों/संयुक्त सचिवों के साथ बैठके आयोजित करने की प्रक्रिया में थाजिनकी क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर की विचारगोष्ठियों की जांच की जानी थी।

ग. सी0ई0डी0ए0डब्ल्यू0 के कार्यान्वयन के संबंध में भारत की संयुक्त चौथी एवं पांचवी आवधिक रिपोर्टों के संबंध में सी0ई0डी0ए0डब्ल्यू0 समिति द्वारा उठाए गए मुद्दों एवं प्रश्नों की सूची के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की प्रतिक्रिया

9.15 भारत की संयुक्त चौथी एवं पांचवी आवधिक रिपोर्टों (सी0ई0डी0ए0डब्ल्यू0 / सी / भारत / प्रश्न / 4-5) के संबंध में सी0ई0डी0ए0डब्ल्यू0 समिति द्वारा उठाए गए मुद्दों एवं प्रश्नों की सूची में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने तीन चिंताओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी :

- (i) राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान, विशेषतः अधिदेश तथा कार्रवाई के बीच परस्पर संबंध साथ-साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के बीच सहयोग का प्रसार;
- (ii) अवैध मानव व्यापार तथा वेश्यावृत्ति का शोषण, विशेषतः बच्चों एवं महिलाओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए अवैध मानव व्यापार को रोकने तथा उससे लड़ने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत द्वारा विकसित एकीकृत कार्य योजना संबंधी जानकारी; और
- (iii) सी0ई0डी0ए0डब्ल्यू0 का वैकल्पिक प्रोटोकॉल तथा सी0ई0डी0ए0डब्ल्यू0 के पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 20 में संशोधन ।

(i) अधिदेश तथा कार्यवाही के बीच परस्पर संबंध साथ-साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के बीच सहयोग का प्रसार

9.16 उपरोक्त पहलू पर ध्यान देते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने कहा कि मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 3(3) के अनुसार “राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, धारा 12 के खंड (ख) से (ज) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए आयोग के सदस्य समझे जाएंगे”। यह कार्य निम्नानुसार हैं :

- (ख) किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही में जिसमें मानव अधिकारों के अतिक्रमण का कोई अभिकथन अंतर्वलित है, उस न्यायालय के अनुमोदन से मध्यक्षेप करना;
- (ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का, जहां व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध या दाखिल किए जाते हैं, वहां के निवासियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए, निरीक्षण करना और उन पर सरकार को सिफारिश करना;
- (घ) संविधान या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना;
- (ङ) ऐसी बातों का, जिनके अंतर्गत आतंकवाद के कार्य हैं, और जो मानव अधिकारों के उपभोग में विघ्न डालती हैं, पुनर्विलोकन करना और समुचित उपचारी उपायों की सिफारिश करना;
- (च) मानव अधिकारों से संबंधित संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना;
- (छ) मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसका संवर्धन करना;
- (ज) समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों तथा अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरुकता का संवर्धन करना;
- (झ) मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना;
- (ञ) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक समझे जाएं।

9.17 तदनुसार, भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सामूहिक चिन्ता के प्रासंगिक मुद्दों पर राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ मिलकर काम करेगा। शादियों का पंजीकरण तथा महिलाओं एवं लड़कियों का अवैध व्यापार – जैसे कुछेक मुद्दों पर दोनों आयोगों ने मिलकर कार्य किया।

(ii) अवैध मानव व्यापार तथा वेश्यावृत्ति का शोषण, विशेषत बच्चों एवं महिलाओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए अवैध मानव व्यापार को रोकने तथा उससे लड़ने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत द्वारा विकसित एकीकृत कार्य योजना संबंधी जानकारी

9.18 इस मुद्दे पर भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने रिपोर्ट किया कि उसने यू0एन0आई0एफ0ई0एम0 तथा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल साइंसिज़, नई दिल्ली के सहयोग से वर्ष 2002 में महिलाओं और बच्चों के अवैध मानव व्यापार संबंधी एक कार्य अनुसंधान किया था। अनुसंधान के निष्कर्षों को वर्ष 2004 में सार्वजनिक किया गया था।

9.19 बच्चों एवं महिलाओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए अवैध मानव व्यापार को रोकने तथा उससे लड़ने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा यूनीसेफ ने सितम्बर, 2006 में संयुक्त रूप से निर्णय लिया और एक एकीकृत कार्ययोजना तैयार की। उस समय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यह सोचा था कि एक बार बच्चों एवं महिलाओं पर ध्यान केन्द्रित करने सहित अवैध मानव व्यापार को रोकने तथा लड़ने संबंधी एकीकृत कार्य योजना तैयार हो जाने के बाद वे भारत सरकार द्वारा इसे अंगीकृत करने और महिलाओं एवं बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण तथा अवैध व्यापार से लड़ने संबंधी 1998 की कार्य योजना के स्थान इसे प्रतिस्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

9.20 सभी संबंधितों के फील्ड अनुभवों पर विचार करने के बाद एक मसौदा आई0पी0ओ0ए0 तैयार किया गया। संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया गया कि आई0पी0ओ0ए0 को अंतिम रूप देने से पहले सभी पण्डितारियों के साथ विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। तदनुसार, गुवाहाटी, हैदराबाद और गोवा में तीन क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं और उसके बाद नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। तीन कार्यशालाओं का आयोजन वर्ष 2006–2007 के दौरान किया गया था और राष्ट्रीय कार्यशाला वर्ष 2007 में आयोजित की गई थी। इन कार्यशालाओं ने ऐसे गुणात्मक एवं परिमाणात्मक लक्ष्यों की पहचान करने में सहायता की जो एक बार आई0पी0ओ0ए0 को अंतिम रूप देने के बाद उसके उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित कर सकें।

9.21 इसके बाद आई0पी0ओ0ए0 को अंतिम रूप देने के लिए भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग, यूनीसेफ तथा कुछेक गैर सरकारी संगठनों के संबंधित प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें कीं।

9.22 इसके अतिरिक्त, आयोग ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग, यूनीसेफ तथा अवैध व्यापार को रोकने तथा उससे लड़ने के लिए बुनियादी स्तर पर कार्य करने वाले कुछ गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से एक कार्य बल गठित किया।

9.23 आयोग ने, बच्चों एवं महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए अवैध मानव व्यापार से लड़ने और उसे रोकने के लिए एकीकृत कार्य योजना को, अपनी तरफ से अंतिम रूप दे दिया और उसे इस मामले में भावी अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित कर दिया। अब, जबकि एकीकृत कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है, आयोग ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से दोबारा कहा है कि वो इस प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा अंगीकृत किए जाने और महिलाओं एवं बच्चों के व्यावसायिक शोषण तथा अवैध मानव व्यापार से लड़ने के लिए 1998 की कार्य योजना के स्थान पर इसे प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तुत करें।

(iii) सी0ई0डी0ए0डब्ल्यू0 का वैकल्पिक प्रोटोकॉल तथा सी0ई0डी0ए0डब्ल्यू0 के पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 20 में संशोधन।

9.24 भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने दिनांक 19 सितम्बर, 2013 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया था कि वो सी0ई0डी0ए0डब्ल्यू0 के वैकल्पिक नयाचार पर हस्ताक्षर करने और अभिपुष्टि करने के संबंध में आवश्यक कदम उठाएं। मंत्रालय ने निम्नलिखित जवाब दिया –

“भारत सरकार ने भारत की सार्वभौमिक आवधिक पुनरीक्षा के दौरान शिष्टमंडलों द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध में वर्ष 2008 से यह निर्णय लिया कि “भारत के संविधान में किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के हनन के समाधान के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय तक पहुंचने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, ऐसे उल्लंघनों को संबोधित करने के लिए हमारे पास राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोगों जैसे बहुत से अन्य सांविधिक तंत्र हैं। महिलाओं के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग तथा राज्य महिला आयोग हैं जिन्हें अन्य बातों के साथ-साथ महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों को संबोधित करने का अधिदेश प्राप्त है। अतः भारत में उल्लंघन के व्यक्तिगत मामलों को संबोधित करने के लिए प्रभावी विधिक एवं संवैधानिक ढांचा विद्यमान है।”

9.25 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिए गए उपरोक्त जवाब की एक प्रति को भी विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित कर दिया गया था। आयोग ने अपनी तरफ से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से अनुरोध किया कि वो द्वितीय सार्वभौमिक आवधिक पुनरीक्षा में भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों के आलोक में अपने वर्ष 2008 में लिए गए निर्णय की पुनरीक्षा करें।

घ. तमिलनाडु के कन्याकुमारी, डिंडीगुल, सलेम, मदुरई तथा तिरुवल्लूर जिलों में स्थित बाल आश्रय, सुधार गृह तथा विशेष गृह के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदक की रिपोर्ट

9.26 जैसा कि इस वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 3 और 16 में उल्लेख किया गया है, आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 द्वारा दिए गए अधिदेश के अनुसार अपने कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष प्रतिवेदकों को नियुक्त करने की प्रणाली को इजाजत दिया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान दक्षिणी जोन-1 (तमिलनाडु, पुद्दुचेरी, केरल तथा लक्षद्वीप) के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदक डॉ० के.आर. श्यामसुंदर ने कन्याकुमारी, डिंडीगुल, सलेम, मदुरई तथा तिरुवल्लूर जिलों के बाल गृहों, सुधार गृहों तथा विशेष गृहों की कार्यपद्धति का निरीक्षण करने के लिए सितम्बर से नवम्बर, 2013 तक तमिलनाडु का दौरा किया। आयोग को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में विशेष प्रतिवेदक द्वारा किए गए प्रेक्षणों एवं सिफारिशों का सार नीचे दिया गया है :

कन्याकुमारी जिले में बाल सुधार गृह

- क. कुल 107 बाल सुधार गृहों में से 40 पंजीकृत थे और 65 बिना पंजीकरण के संचालित किए जा रहे थे। हालांकि उनके द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। तथापि, दो गृह ऐसे थे जिन्होंने पंजीकरण के लिए आवेदन भी नहीं किया था।
- ख. 40 पंजीकृत सुधार गृहों में से नौ के पास मूल अवसंरचनात्मक सुविधाएं भी नहीं थीं; 13 के पास यथोचित भवन तो थे लेकिन अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव था। केवल 18 गृह ऐसे थे जिनके पास यथोचित भवन और अन्य सुविधाएं थीं।
- ग. पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले 65 सुधार गृहों में से 16 के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं थीं, 33 के पास ठीकठाक भवन थे किन्तु अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं नहीं थीं। केवल 16 के पास यथोचित भवन और अन्य सुविधाएं थीं।
- घ. तमिलनाडु का एक छोटा सा जिला होने के बावजूद भी कन्याकुमारी में बाल सुधार गृहों की संख्या बहुत अधिक थी। अधिकांश गृहों की स्थापना राज्य सरकार से मिलने वाली सहायता प्राप्त करने के लिए की गई प्रतीत होती है।
- ड. क्या जिले के सभी बाल सुधार गृह मान्यताप्राप्त हैं और क्या उनके पास यथोचित भवन एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं हैं – यह पता लगाने के लिए जिला समाहर्ता ने जोनल अधिकारियों/ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज विभागों के सहायक निदेशकों की विशेष समितियां गठित कीं।
- च. जिला प्राधिकारियों ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2000 के तहत मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण नौ बाल सुधार गृहों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की

और पर्याप्त एवं संगत अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी के चलते 16 अन्य सुधार गृहों, जिन्होंने पंजीकरण के लिए आवेदन कर रखा था, को रद्द करने की सिफारिश भी की।

- छ. कई बाल सुधार गृहों ने यह बताया कि प्रत्येक बालक के रखरखाव हेतु जो राशि दी जाती है वो पर्याप्त नहीं है। कुछेक ने ऐसा महसूस किया कि अध्यापकों पर बहुत अधिक खर्च किया गया है किन्तु अध्यापकों के साथ हुए संवाद से अन्यथा ही उजागर हुआ। अधिकांश सुधार गृह, विशेषतः गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित किए जा रहे सुधार गृहों ने जांच के लिए अपनी वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हिचकिचाहट प्रकट की।
- ज. इन गृहों द्वारा निधियों के दुरुपयोग तथा बच्चों के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार को रोकने के लिए नियमित आधार पर औचक निरीक्षण किए जाने की आवश्यकता है। इन गृहों को विदेशी निधियों सहित अन्य स्रोतों के साथ-साथ राज्य से मिलने वाली सहायता के संबंध में भी एक विस्तृत जांच किए जाने की आवश्यकता है।
- झ. जिन सुधार गृहों ने पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है उन्हें कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

डिन्डीगुल, सलेम, मदुरै तथा तिरुवल्लूर में बाल सुधार गृह

- क. डिन्डीगुल जिले में गांधीग्राम ट्रस्ट नामक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाए जा रहे बाल सुधार गृह (सौभाग्य इलम) में 156 बच्चे (49 लड़के तथा 107 लड़कियां) हैं। इसमें शौचालयों एवं स्नान गृहों की पर्याप्त संख्या सहित यथोचित सुविधाएं हैं। परिसर साफ-सुथरा एवं स्वच्छ था और बच्चे भी इसमें काफी खुश नजर आ रहे थे।
- ख. जिला सलेम में लड़कियों के लिए चलाए जा रहे बिन्दा बाल सुधार गृह को लाईफ-लाईन ट्रस्ट नामक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित किया जा रहा है। दौरे वाले दिन यहां पर 14 लड़कियां थीं। इनमें से 5 टूटे हुए परिवारों से थीं, 6 लड़कियों के एकल अभिभावक थे, 2 लड़कियों के विस्थापित माता-पिता थे एक लड़की अनाथ थी।
- ग. जिला सलेम का फातिमा बाल सुधार गृह एक गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाया जा रहा था। इसमें 112 बच्चे थे और ये सभी फातिमा स्कूल में ही पढ़ रहे थे।
- घ. जिला सलेम का प्रेक्षण गृह न्यायालय के परिसर में ही स्थित था। भवन की छत से पानी टपक रहा था। लिखित अनुरोधों के बावजूद भी बच्चों को प्रेक्षण गृह से थिरुवन्नामलाई और वेल्लोर में किशोर न्याय बोर्ड तक ले जाने के लिए एस्कॉर्ट उपलब्ध नहीं कराया गया।
- ड. जिला मदुरै का बाल सुधार गृह एक सरकारी गृह था जो एक कॉरपोरेशन बिल्डिंग से संचालित किया जा रहा था। भवन बहुत ही पुराना था और उसे मरम्मत की आवश्यकता थी।

- (i) इस गृह में हैड मिस्ट्रेस और डिप्टी वार्डन के पद रिक्त थे और उन्हें जल्द ही भरने की आवश्यकता है।
 - (ii) इसमें कुल 167 बच्चे थे जिसमें से 5 अवयस्क लड़के थे तथा शेष लड़कियां थीं। बच्चे अपनी मासिक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे।
 - (iii) एक तहसीलदार, दसवीं कक्षा के बच्चों को कोचिंग देता हुआ पाया गया।
- (च) चेन्नई के तिरुवल्लूर जिले में एक विशेष गृह था जिसमें किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2000 के तहत ऐसे बच्चों को रखा गया था जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया हो।
- (i) यथोचित स्टॉफ की कमी के कारण इस विशेष गृह में पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करने में समस्याएं आ रही थीं।
 - (ii) भवन काफी पुराना और जर्जर अवस्था में था जिसे बड़े पैमाने पर मरम्मत की आवश्यकता थी।
- (छ) विभिन्न गृहों के दौरों की रिपोर्टों के आधार पर विशेष प्रतिवेदकों ने उप-निरीक्षक से लेकर पुलिस महानिदेशक स्तर तक के अधिकारियों और संबंधित राज्य सरकार के गृह सचिव को भी सुग्राही बनाने की आवश्यकता का सुझाव दिया।

9.27 विशेष प्रतिवेदकों द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों की आयोग द्वारा जांच की गई और उन पर अपेक्षित कार्रवाई करने तथा की गई कार्रवाई रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भेजने के निदेश सहित उन्हें तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव को अग्रेषित किया गया।

ड. मिजोरम के आईजोल जिले में लड़कों और लड़कियों के लिए प्रेक्षण गृह सह आश्रय गृह के संबंध में विशेष प्रतिवेदक की रिपोर्ट

9.28 भारत के पूर्वोत्तर जोन को कवर करने वाले आयोग के विशेष प्रतिवेदक श्री अनिल प्रधान ने फरवरी, 2014 में मिजोरम के आईजोल जिले में लड़कों एवं लड़कियों के लिए प्रेक्षण सह आश्रय गृह का दौरा किया। आयोग के निदेशानुसार, उपरोक्त गृह के दौरे के दौरान विशेष प्रतिवेदक द्वारा की गई सिफारिशों को मिजोरम सरकार के मुख्य सचिव को इस निदेश के साथ अग्रेषित कर दिया गया कि की गई कार्रवाई रिपोर्ट को अतिशीघ्र ही आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। मुख्य सिफारिशें – जे0जे0बी0 सी/सं0 12/2013; जे0जे0बी0 सी/सं0 93/13; जे0जे0बी0 सी/सं0 5/14 सहित कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों के लंबित मामलों के संबंध में हैं। इस वार्षिक रिपोर्ट के लिखे जाने तक आयोग को मिजोरम सरकार से की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। आयोग ने मिजोरम सरकार से एक बार फिर कहा है कि वो आयोग की सिफारिशों पर अपेक्षित कार्रवाई करें और अपनी की गई कार्रवाई रिपोर्ट को अग्रेषित भी करें।

च. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों से संबंधित दृष्टांत मामले

1. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कानून मंत्री तथा उनके समर्थकों द्वारा दिल्ली में एक अफ्रीकी मूल की महिला के साथ विधि विरुद्ध कार्रवाई**
(मामला संख्या 252/30/8/2014/एफ.सी. तथा एल.एफ. संख्या 957/30/8/2014 और 900/30/8/2014)

9.29 आयोग ने दिनांक 18 जनवरी, 2014 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित एक खबर पर स्वतः संज्ञान लिया। यह खबर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के तत्कालीन कानून मंत्री और उनके समर्थकों द्वारा खिड़की एक्सटेंशन, नई दिल्ली में एक अफ्रीकी महिला के साथ तथाकथित जातीय भेदभाव एवं विधि-विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में थी। मंत्री और उनके समर्थक का दावा कर रहे थे कि वो महिला, इस क्षेत्र में चल रहे सैक्स रैकेट और ड्रग्स तस्करी से जुड़ी हुई है। 'आई फील वॉयलेटिड, सेज़ नाईजीरियन एन्वॉय' शीर्षक वाली एक अन्य रिपोर्ट में घटना का वर्णन किया गया जिसमें कुछ अफ्रीकी महिलाओं को तथाकथित रूप से टैक्सियों में कई घंटों के लिए बंदी बना लिया गया था और उन्हें नई दिल्ली के एक अस्पताल में चिकित्सीय जांच कराने के लिए बाध्य किया जा रहा था। भारत में नाईजीरिया के उच्चायुक्त ने इस कृत्य के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

9.30 आयोग को इस मुद्दे के संबंध में दो शिकायतें प्राप्त हुईं, एक कर्नल डॉ० शिव प्रताप सिंह से तथा दूसरी श्री आर० एच० बंसल से। यह शिकायतें मामला संख्या 957/30/8/2014 और 900/30/8/2014 के रूप में रजिस्टर की गई थी और आयोग के मामला सं० 252/30/8/2014/एफ०सी० में एक साथ जोड़ दी गई थीं।

9.31 किसी जाति, रंग, नृजाति, लिंग आदि के प्रति भेदभाव के कृत्य की निन्दा करते हुए आयोग ने इस मामले में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव; पुलिस आयुक्त, दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की।

9.32 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने आयोग को सूचित किया कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने कानून मंत्री श्री सोमनाथ भारती द्वारा पुलिस अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों की जांच करने के आदेश दिए। यह जांच दिल्ली के सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री बी०एल० गर्ग द्वारा की गई। उप सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने श्री बी०एल० गर्ग की जांच रिपोर्ट, आयोग को भी अग्रेषित की।

9.33 आयोग ने दिनांक 3 फरवरी, 2014 को मामले पर विचार किया और निदेश दिया कि दिनांक 15/16 जनवरी, 2014 की रात को हुई घटनाओं के क्रम की जांच करने के लिए और आठ सप्ताह के अंदर-अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अन्वेषण टीम को तैनात किया जाए।

9.34 अन्वेषण टीम द्वारा आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया कि राजनीतिक परिदृश्य के चलते, जांच के दौरान कानून मंत्री श्री सोमनाथ भारती और उनके समर्थकों का बयान रिकार्ड नहीं किया जा सका। तथापि, टीम उक्त घटना की पीड़ित अफ्रीकी महिला का बयान रिकार्ड करने में सफल रही। टीम ने पुलिस अधिकारियों तथा निष्पक्ष गवाहों के बयान भी रिकार्ड किए जिससे अफ्रीकी महिला के मानव अधिकारों के हनन संबंधी आरोपों की पुष्टि हुई।

9.35 अन्वेषण टीम ने निम्नलिखित तथ्य उजागर किए :

- “ सुश्री स्टेला नोन्टोन्गो तथा सुश्री शिल्लाह एनिमबमबाजी को गैर-कानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया, धमकाया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, हमला किया गया और बलपूर्वक पी0सी0आर0 वैन में ले जाया गया।
- तीन विपरीतलिंगी व्यक्तियों नामतः निहारिका, एंजेल तथा सपना को गैर-कानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया और उनके शारीरिक अंगों की जांच करके उन्हें अपमानित किया गया।
- मंत्री के नेतृत्व में भीड़ ने बलपूर्वक दफाने नेनियालो, शेला कैथरीन तथा सैण्ड्रा के घर अर्थात एस-9, खिड़की एक्सटेंशन में प्रवेश किया, उनके कमरों की गैर-कानूनी रूप से तलाशी ली, जातीय टिप्पणियां की उन्हें वेश्या कहा और उनके साथ दुर्व्यवहार किया।
- कार नंबर डी0एल0 3बी0वी0 2948, जिसमें सुश्री मरियम ननसुसुबुगा, सुश्री नामूकासा मिली, सुश्री एनेट पीमा और सुश्री नाबॉवांगा सफर कर रही थीं, को भीड़ द्वारा गैर-कानूनी तरीके से रोका गया और उन्हें अवैध रूप से बंदी बनाया गया, जातीय टिप्पणियां की गई और डराया-धमकाया गया।”

9.36 दिल्ली के सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री बी0एल0 गर्ग की जांच रिपोर्ट ने खुलासा किया कि दिनांक 15/16 जनवरी, 2014 की रात को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तत्कालीन कानून मंत्री अपने समर्थकों के साथ खिड़की एक्सटेंशन पहुंचे और पी0सी0आर0 वैन के पुलिस कर्मियों से कहा कि वे अफ्रीकी/युगांडा मूल की महिलाओं के वाहनों को रोके और उनकी जांच करें क्योंकि वे औरतें सैक्स रैकेट और ड्रग्स की तस्करी में शामिल हैं। कानून मंत्री ने कुछेक विदेशी महिलाओं को पी0सी0आर0 में बिठाने के लिए भी कहा और उन्हें मूत्र त्याग करने की अनुमति भी नहीं दी गई जिसके परिणामस्वरूप उन महिलाओं को बलपूर्वक गाड़ी से नीचे उतरना पड़ा और गाड़ी के समीप ही मूत्र त्याग करना पड़ा। जांच ने यह भी खुलासा किया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में महिला डॉक्टर द्वारा इन अफ्रीकी मूल की महिलाओं की व्यक्तिगत तलाशी ली गई किन्तु उनसे किसी प्रकार की ड्रग्स इत्यादि बरामद नहीं हुई। गवाहों के बयानों तथा अन्य रिपोर्टों पर विचार करने के बाद जांच अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दिनांक 15/16 जनवरी, 2014 की रात को कानून मंत्री और उनके समर्थक वाहन को गैर-कानूनी तरीके से रोककर यह देखना चाहते थे कि क्या उस वाहन में अफ्रीकी मूल के नागरिक बैठे हैं या नहीं। अफ्रीकी महिलाओं को गलती से रोका गया और उनके साथ उनकी गलती न होते हुए भी दुर्व्यवहार किया गया। न तो उनके पास से, न ही उनके वाहन

जिससे वो यात्रा कर रही थी जिसका नंबर डी0एल0 3सी बी0वी0 2984 से कोई ड्रग्स बरामद हुई। उन्होंने यह भी कहा कि उस रात मंत्री के नेतृत्व में भीड़ ने खिड़की एक्सटेंशन, नई दिल्ली के एस-9 के परिसर में बिना किसी कानूनी प्राधिकार के बलपूर्वक प्रवेश किया और लाठियों एवं लकड़ियों से अलग-अलग दरवाजों को पीटना शुरू कर दिया। इस आपराधिक संत्रास तथा बलपूर्वक प्रवेश के परिणामस्वरूप, मंत्री के नेतृत्व में भीड़ ने कई अफ्रीकी महिलाओं के कमरों में गैर-कानूनी ढंग से प्रवेश किया और जातीय टिप्पणी की, उन्हें वेश्या कहा और उनके साथ मारपीट, दुर्व्यवहार किया और उन्हें गंभीर परिणामों की धमकी दी। इस पूरी घटना में पुलिस की भूमिका के संबंध में जांच अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने तत्कालीन कानून मंत्री के आदेशों का पालन किया और उन चार अफ्रीकी महिलाओं को महिला डॉक्टर द्वारा चिकित्सीय जांच एवं व्यक्तिगत जांच के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले गए। जांच अधिकारी ने अंत में यह कहा कि कानून मंत्री के हस्तक्षेप के परिप्रेक्ष्य में पुलिस की प्रतिक्रिया पूरी तरह से कानून के दायरे में थी लेकिन कानून मंत्री की भूमिका कानून के प्रावधानों के अनुकूल नहीं थी क्योंकि उन्होंने 'संवैधानिक पद' पर होते हुए प्रथम दृष्टया कानून के उपबंधों का उल्लंघन किया।

9.37 सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री बी0एल0 गर्ग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अन्वेषण प्रभाग की टीम की जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग का यह मत था कि प्रथम दृष्टया यह सिद्ध होता है कि इस मामले में अफ्रीकी महिलाओं के मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ है। कानून मंत्री ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर अफ्रीकी महिलाओं को न केवल अपमानित किया बल्कि 15/16 जनवरी, 2014 की रात को उन्हें इस आधार पर गैर-कानूनी ढंग से वाहन में बंदी बनाए रखा कि वो सैक्स रैकेट और ड्रग्स की तस्करी में शामिल हैं, लेकिन जब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की महिला डॉक्टर द्वारा उनकी जांच की गई तो कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई। आयोग, इस घटना को अफ्रीकी महिलाओं के मानव अधिकारों के उल्लंघन का सही मामला मानता है। अतः आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि सभी पीड़ितों नामतः स्टेला नॉनटोंगों, शेला एनेमबमबाजी, निहारिका, एंजेल, सपना, दफने नेनिआलो, शीला कैथरीन, सैन्ड्रा, मरियम ननसुसुबुगा, नामुकासा मिली, एन्नेट पीमा तथा नबावांगा को मौद्रिक राहत की सिफारिश क्यों न की जाए।

9.38 यह मामला अभी भी आयोग के विचाराधीन है।

2. **इलाहबाद, उत्तर प्रदेश में शिवकुटी में सरकारी बाल गृह में गार्ड द्वारा तीन लड़कियों के साथ यौन दुर्व्यवहार**

(मामला सं0 17781/24/4/2012 तथा एल0एफ0 सं0 25206/24/4/2012)

9.39 आयोग के समक्ष दिनांक 7 अप्रैल, 2012 के 'राष्ट्रीय सहारा' में प्रकाशित 'बालगृह में बालिकाओं के साथ दुराचार' शीर्षक वाली प्रेस रिपोर्ट आई। प्रेस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि विद्याभूषण ओझा नामक एक गार्ड ने इलाहबाद में शिवकुटी में राजकीय बालगृह में तीन लड़कियों के साथ यौन दुराचार किया। पुलिस जांच के दौरान आरोपी ने बाल गृह में रहने वाली इन तीनों लड़कियों के साथ बलात्कार करने संबंधी आरोप को स्वीकार किया। रिपोर्ट में आगे यह उल्लेख किया गया कि आरोपी को सेवा से निलंबित कर दिया गया।

9.40 आयोग ने प्रेस रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अपनी दिनांक 6 जून, 2012 की कार्रवाई में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक से इस मामले में रिपोर्ट तलब की। आयोग ने उन्हें यह भी सूचित करने का निदेश दिया कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावर्ती न हो उसके लिए प्रशासन ने कौन से उपचारी कदम उठाए हैं।

9.41 आयोग के निदेशों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार के अपर पुलिस महानिदेशक (मानव अधिकार) ने अपनी रिपोर्ट अग्रेषित की जिसमें कहा गया कि उक्त घटना के संबंध में विद्याभूषण ओझा के खिलाफ पुलिस स्टेशन शिवकुटी, इलाहबाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत एफ0आई0आर0 संख्या 64/12 दर्ज हैं। जांच के दौरान इस अपराध में नौ अन्य लोगों के शामिल होने की बात सामने आई। भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(ग)/376(2)(च)/323 तथा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2000 की धारा 23 के तहत आरोपी विद्याभूषण के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। उसने रिपोर्ट किया कि अन्य आरोपी व्यक्तियों के अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी।

9.42 आयोग ने रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया और अपनी दिनांक 8 जनवरी, 2013 की कार्रवाई में प्रेक्षण किया कि रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया यह सिद्ध हो गया है कि इलाहबाद के सरकारी बालगृह की तीन लड़कियों के साथ गार्ड एवं अन्य आरोपी लोगों द्वारा बलात्कार किया गया था। आयोग ने यह भी प्रेक्षण किया कि यह तीन अवयस्क लड़कियों के मानव अधिकारों के उल्लंघन का बहुत ही स्पष्ट मामला है। फलस्वरूप, पीड़ितों को मुआवजा देने की जिम्मेदारी राज्य की है। अतः आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18(क)(प) के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को उनके मुख्य सचिव के माध्यम से एक कारण बताओ नोटिस जारी किया कि तीनों पीड़िताओं को मौद्रिक राहत का भुगतान करने की सिफारिश क्यों न की जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को यह निदेश भी दिए गए कि वो बाल गृह के दोषी कर्मचारियों के खिलाफ की गई विभागीय कार्रवाई के बारे में आयोग को सूचित करें।

9.43 उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को अन्य आरोपी व्यक्तियों के अभियोजन के लिए स्वीकृति की स्थिति के बारे में आयोग को सूचित करने का निदेश भी दिया गया।

9.44 चूंकि राज्य सरकार ने कारण बताओ नोटिस के संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं की इसलिए आयोग ने अपनी दिनांक 15 जुलाई, 2013 की कार्रवाई में उत्तर प्रदेश सरकार से सिफारिश की कि तीनों अवयस्क पीड़िताओं के माता-पिता को 5,00,000/-रु0 (प्रत्येक को) की राशि का भुगतान किया जाए। उक्त राशि में से प्रत्येक लड़की के नाम पर राष्ट्रीयकृत बैंक में 4,00,000/-रु0 सावधि जमा खाते में डाले जाएं, जब तक कि वे बालिग नहीं हो जातीं और इस राशि पर मिलने वाले ब्याज को प्रतिवर्ष उनके माता-पिता को दिया जाए ताकि वे अपनी पीड़ित बेटियों का पालन-पोषण कर सकें। शेष 1,00,000/-रु0 की राशि का भुगतान संबंधित लड़कियों के माता-पिता को तत्काल ही कर दिया जाए और छः सप्ताह के अंदर-अंदर भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट, आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाए। जिला प्राधिकारियों को भी निदेश दिया गया कि वे बाल गृहों की लड़कियों की सुरक्षा के संबंध में उठाए जाने वाले प्रस्तावित निवारक कदमों के संबंध में छः सप्ताह के अंदर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

9.45 आयोग ने दिनांक 15 जनवरी, 2014 को लखनऊ में आयोजित की गई शिविर बैठक के दौरान इस मामले को उठाया था जिसमें यह सूचित किया गया कि यथोचित पर्यवेक्षण तंत्र सुनिश्चित करने के लिए बाल गृह में सुरक्षा के मुद्दे से निपटने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया।

9.46 यह भी रिपोर्ट किया गया कि आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार तीनों पीड़ित लड़कियों के नाम पर पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक लड़की के खाते में 4,00,000/—रु० का सावधि जमा करा दिया गया है। तथापि, उनके माता-पिता को 1,00,000/—रु० (प्रत्येक को) का भुगतान नहीं किया जा सका क्योंकि उनके माता-पिता का पता नहीं चला पाया। आयोग ने राज्य सरकार को निदेश दिया कि 1,00,000/—रु० की शेष राशि को उन लड़कियों के नाम पर ही जमा कर दिया जाए और आयोग के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

9.47 आयोग ने यह भी निदेश दिया कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में बाल गृहों की सुरक्षा संबंधी तैयार किए गए निवारण दिशानिर्देशों की एक प्रति आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाए ताकि जिन अन्य राज्यों से इस प्रकार की घटनाएं रिपोर्ट हो रही हैं वहां भी इन दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

9.48 राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टें, आयोग के विचाराधीन हैं।

3. स्वर्गीय श्री बाला साहेब ठाकरे के निधन के बाद मुम्बई में बुलाए गए बंद के संबंध में फेसबुक पर टिप्पणी करने पर दो लड़कियों की गैर-कानूनी गिरफ्तारी और नजरबंदी (मामला सं० 3069/13/16/2012)

9.49 आयोग ने दिनांक 21 नवम्बर, 2012 के 'दि हिन्दू' में प्रकाशित 'अनफ्रेन्ड द थॉट पुलिस' शीर्षक की प्रेस रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया। प्रेस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि पुलिस ने मुम्बई में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया जिन्होंने एक बाहुबली राजनीतिज्ञ स्वर्गीय श्री बाल ठाकरे की अन्त्येष्टि के लिए भारत की वित्तीय राजधानी को बंद करने के खिलाफ फेसबुक पर टिप्पणी की थी। प्रेस रिपोर्ट में आगे कहा गया कि दोनों महिलाओं को गिरफ्तार करना, कानून का स्पष्ट दुरुपयोग था और यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करने का प्रयास था। आयोग ने महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक से रिपोर्टें तलब कीं।

9.50 संबंधित प्राधिकारियों से रिपोर्टें प्राप्त होने पर यह पता चला कि शाहीन धादा, आयु 21 वर्ष तथा रेनू श्रीनिवासन, आयु 20 वर्ष को दिनांक 19 नवम्बर, 2012 को इस आधार पर गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 295(क) के तहत अपराध किया है। इन दोनों महिलाओं के उपर यह आरोप था कि बाला साहेब ठाकरे के निधन के बाद जो 'बंद' था उस पर उन्होंने और उनकी सहेली रेनू श्रीनिवासन ने टिप्पणी करते हुए आपस में कुछ संदेशों का आदान-प्रदान किया था जिससे पालघार मंडल के कुछ शिव सेना कार्यकर्ता नाराज हो गए थे। शाहीन धादा द्वारा की गई टिप्पणी में प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हुआ कि उसमें किसी वर्ग या धर्म या धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की कोई दुर्भावना थी। उनकी मित्र

द्वारा की गई टिप्पणी में केवल यह इंगित किया गया था कि दिवंगत नेता को सम्मान देने के लिए 'बंद' की आवश्यकता नहीं थी और यह भी कहा कि शहर सम्मान के चलते बंद नहीं था बल्कि डर के कारण बंद था। स्वभावतः, जब निरीक्षक ने जांच की तो उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 505(2) अधिरोपित कर दी।

9.51 आयोग ने प्रेक्षण किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 505(2) केवल तब ही लगाई जा सकती है जब किसी जनश्रुति या संत्रासकारी समाचार अंतर्विष्ट करने वाले किसी कथन या रिपोर्ट को, इस आशय से कि, या जिससे यह संभाव्य हो कि, विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं, धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवासस्थान, भाषा, जाति या समुदाय या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर पैदा या संप्रवर्तित हो, को लिखा जाए या प्रकाशित किया जाए।

9.52 आयोग ने दिनांक 20 दिसम्बर, 2013 को मामले पर विचार करते हुए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत महाराष्ट्र सरकार को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया कि दोनों लड़कियों को अवैध तरीके से गिरफ्तार करने और पुलिस स्टेशन में बंदी बनाने के एजव में उन्हें यथोचित मौद्रिक राहत का भुगतान करने की सिफारिश क्यों न की जाए। अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद भी राज्य सरकार की तरफ से कारण बताओ नोटिस के संबंध में कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।

9.53 आयोग ने दिनांक 4 नवम्बर, 2013 को मामले को उठाया और निम्नलिखित प्रेक्षण किया :

“आयोग का यह मत है कि पुलिस ने दोनों लड़कियों को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 505(2) लगाना गलत था क्योंकि इन दोनों लड़कियों द्वारा की गई टिप्पणियों से वर्गों के बीच में किसी प्रकार की दुश्मनी, वैमनस्य, दुर्भावना की आशंका नहीं थी। वास्तव में इन दोनों लड़कियों ने फेसबुक पर निम्नलिखित टिप्पणियां की थीं :—

“प्रति दिन हजारों लोग मरते हैं..... लेकिन दुनिया ऐसे ही चलती रहती है...सिर्फ एक राजनीतिज्ञ के मर जाने के कारण... प्राकृतिक मृत्यु होने के कारण..... हर कोई पागल हो गया है... उन्हें समझना चाहिए.... हम यह डर के कारण कर रहे हैं पंसद से नहीं..... हम लोगों में से किसने षहीद भगत सिंह, आजाद, सुखदेव या ऐसे किसी भी व्यक्ति जिसके कारण हम आजाद भारतीय हैं, के प्रति पिछली बार सम्मान या 2 मिनट का मौन कब रखा था..... सम्मान कमाया जाता है दिया नहीं जाता और बलपूर्वक तो बिलकुल नहीं। आज..... मुम्बई डर के कारण बंद है सम्मान के कारण नहीं!!!!”

उपरोक्त टिप्पणियों का आशय वर्गों के बीच में किसी प्रकार की दुश्मनी, वैमनस्य, दुर्भावना पैदा करने का नहीं था। वास्तव में वो सिर्फ बंद की प्रथा की निन्दा कर रही थी जिसे न्यायालय द्वारा पहले से ही गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया है। यहां तक कि थाणे देहात के पुलिस अधीक्षक ने अपनी दिनांक 26.1.2013 की रिपोर्ट में अपना पक्ष रखा कि इन लड़कियों ने श्री बाला साहेब ठाकरे की मृत्यु के बाद अपनी टिप्पणियों को साझा

किया, जो सही समय नहीं था। हर व्यक्ति इन टिप्पणियों की अपनी समझ के अनुसार व्याख्या कर सकता है और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुसार इन टिप्पणियों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस अधिनियम के उपबंधों को आकृष्ट कर सके। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार प्रत्येक नागरिक के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि एक मौलिक अधिकार है। आवेदक द्वारा आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध जो शिकायत दर्ज कराई गई थी वो शिव सेना के कार्यकर्ताओं के बीच कुछ भ्रांति उत्पन्न होने की वजह से थी। जांच पूरी होने के पश्चात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 के तहत एक रिपोर्ट जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय, पालघार, थाणे को प्रस्तुत कर दी गई।

सभी तथ्य यही प्रकट करते हैं कि इन दो लड़कियों को गलती से गिरफ्तार किया गया था। इनके मानव अधिकारों का गंभीर रूप से उल्लंघन हुआ है। अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करते हुए इन दोनों ने फेसबुक पर अपने विचार प्रकट किए। पुलिस को इन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था और इससे निःसंदेह इन्हें मानसिक पीड़ा तथा कठिनाई हुई और इन्हें काफी समय तक पुलिस स्टेशन में रहना पड़ा। इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए हमारा यह मत है कि इन दोनों लड़कियों को पुलिस स्टेशन ले जाने और गैर-कानूनी तरीके से गिरफ्तार करने की सारी गलतियों का हर्जाना भरते हुए हमें तत्काल ही इन्हें यथोचित मुआवजा देना चाहिए।”

9.54 उपरोक्त प्रेक्षकों के मद्देनजर आयोग ने महाराष्ट्र सरकार से, दोनों लड़कियों को मौद्रिक राहत के रूप में 50,000/-रु0 (प्रत्येक को) की राशि का भुगतान करने की सिफारिश की। महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को निदेश दिया गया कि वे छः महीने की अवधि के अंदर भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

9.55 राज्य सरकार से अनुपालन रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

4. हरियाणा में कन्या भ्रूणहत्या तथा नवजात लड़कियों का परित्याग कर देने की घटनाओं में इजाफा (मामला सं0 3937/7/17/2012)

9.56 आयोग ने दिनांक 2 मई, 2012 के अंग्रेजी दैनिक 'दि पायोनियर' में 'कन्या भ्रूण हत्या के बाद अब नवजात कन्याओं का परित्याग' शीर्षक से प्रकाशित एक रिपोर्ट का संज्ञान लिया जिसे एक मानव अधिकार कार्यकर्ता ने ई-मेल के माध्यम से आयोग को अग्रेषित किया था। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य में हाल ही में नवजात कन्याओं के परित्याग की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। पिछले दस दिनों में चार नवजात कन्याओं को रोहतक के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती कराया गया है और इन सभी मामलों में परित्यक्त कन्याओं की हालत काफी गंभीर थी।

9.57 आयोग ने अपनी दिनांक 6 जुलाई, 2012 की कार्रवाई में हरियाणा सरकार के मुख्य मंत्री से इस मामले में रिपोर्ट तलब की। उन्हें यह निदेश भी दिया गया कि वे आयोग को यह सूचित करें कि (i) क्या राज्य

सरकार द्वारा देश में निम्न लिंग अनुपात के परिणामों के बारे में सुग्राही बनाने के संबंध में विगत में कोई कदम उठाए गए हैं; और (ii) राज्य सरकार द्वारा परित्यक्त नवजात शिशुओं को बचाने के लिए निराश्रित महिला गृहों/नर्सिंग होम/अस्पताल के बाहर पालने लगाने सहित और क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं।

9.58 आयोग के नोटिस के जवाब में हरियाणा सरकार के अपर मुख्य सचिव ने हरियाणा के महिला एवं बाल विकास विभाग के महानिदेशक से प्राप्त दिनांक 19 सितम्बर, 2012 की रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत की। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार, परित्यक्त नवजात शिशुओं को बचाने के लिए निराश्रित महिला गृहों/नर्सिंग होम/अस्पताल के बाहर पालने लगाने का कार्य कर रही है। लेकिन यह इंगित नहीं किया गया कि पालने में छोड़े गए बच्चों के कल्याण के लिए और उनके बेहतर भविष्य के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

9.59 उपरोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग ने राज्य सरकार को (i) हरियाणा राज्य में “दि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, 1971” के कार्यान्वयन तथा अधिनियम के तहत किए गए अभियोजन की संख्या के संबंध में स्थिति रिपोर्ट; (ii) हरियाणा राज्य के विभिन्न जिलों में कन्या भ्रूणहत्या संबंधी रिपोर्ट; और (iii) परित्यक्त कन्याओं के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में रिपोर्टें प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

9.60 जवाब में, राज्य सक्षम प्राधिकारी सह महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा ने आयोग के विचारार्थ, प्री-कन्सेप्शन एण्ड प्री नैटल डॉयग्नॉस्टिक टेक्नीक्स एक्ट के तहत सील किए गए और जब्त किए गए, न्यायालय मामलों की संख्या के संबंध में तथा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत न्यायालय मामलों की संख्या की जिला-वार जानकारी प्रस्तुत की।

9.61 आयोग ने अपनी दिनांक 29 जुलाई, 2013 की कार्रवाई में राज्य सरकार से राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों को इंगित करती हुए रिपोर्ट मांगी।

9.62 उपरोक्त निदेशों के अनुसरण में अपर निदेशक-II, निदेशक कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने तथा इसे समाप्त करने के संबंध में उठाए गए कदमों जैसे कि जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, लिंग सुग्राहीकरण के संबंध में कार्याशालाओं का आयोजन, दिनांक 20 अगस्त, 2005 के बाद दूसरी कन्या के जन्म के लिए लाडली प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की संख्या सहित एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।

9.63 महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा, पंचकुला ने भी अपने दिनांक 24 सितम्बर, 2013 के पत्राचार से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें राज्य में कन्या भ्रूणहत्या को रोकने के लिए हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में जून, 2013 तक पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट के प्रवर्तन संबंधी आंकड़े इंगित किए गए हैं।

9.64 आयोग ने दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 को मामले पर विचार किया और हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को राज्य में कार्यान्वित की गई विभिन्न स्कीमों के संबंध में तीन महीने की अवधि के अंदर-अंदर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

9.65 राज्य सरकार से स्थिति रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

5. *दिल्ली में किशोर न्याय गृह में ड्रग्स का दुरुपयोग, यौन शोषण तथा शारीरिक यातना/संत्रास*

(मामला सं० 7095/30/4/2013)

9.66 'दि टाईम्स ऑफ इंडिया' ने अपने दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 के अंक में 'फ्रीड माईनर टॉक्स ऑफ ड्रग्स एण्ड एब्यूज़, होप्स टू स्टडी' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट के अनुसार, न्यायालय के रिहाई आदेश के बाद नई दिल्ली के सेवा कुटीर कॉम्प्लेक्स से दिनांक 17.12.2013 (मंगलवार) को रिहा हुए एक किशारे ने आरोप लगाया कि किशोर न्याय गृह में रहना बहुत ही खतरनाक अनुभव था। वहां प्रतिदिन झगड़े होते थे और लड़कों को मारा-पीटा जाता था। अंदर रह रहे अधिकांश लड़के नशे के आदी हैं। जब उनकी नशे संबंधी मांगों को नकार दिया जाता है तो वे बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। उसने आगे आरोप लगाया कि सुधार गृह के अंदर यौन शोषण की घटनाएं भी होती हैं। जो लड़के काफी लम्बे समय से सुधार गृह में रह रहे हैं वो नए लड़कों का शोषण करते हैं। यह आरोप भी लगाया गया कि तिहाड़ से आए हुए लड़के, जेल के अनुभवों के कारण कठोर हो जाते हैं और वे अकसर बहुत ही बर्बर होते हैं।

9.67 प्रेस रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने अपनी दिनांक 19 दिसम्बर, 2013 की कार्रवाई में अपने महानिदेशक (अन्वेषण) से अनुरोध किया कि वो अन्वेषण प्रभाग से अपनी एक टीम को संस्थान के औचक निरीक्षण के लिए भेजे।

9.68 आयोग के दिशानिर्देश के अनुसरण में अन्वेषण प्रभाग की टीम ने दिसम्बर, 2013 में नई दिल्ली के सेवा कुटीर में बाल संप्रेक्षण गृह का तीन बार दौरा किया। जांच के दौरान निम्नलिखित बातें सामने आईं :

- (i) संप्रेक्षण गृह के अंदर नशीली दवाओं के सेवन के आरोप में बल है। कुछ किशोर नशा करते थे और गृह के अंदर कुछ गोलियां/तम्बाकू आदि लाने में सफल हो रहे थे। यह दर्शाता है कि आगंतुकों या किशोरों की जांच-पड़ताल में कुछ खामी है। गृह के अधिकारियों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया। निषिद्ध वस्तुओं का संप्रेक्षण गृह के अंदर पहुंचना, दिल्ली किशोर न्याय नियमों के नियम 51 का उल्लंघन है जो गृह के अंदर निषिद्ध वस्तुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करता है।
- (ii) कुछ झगड़ालू किशोरों द्वारा शारीरिक यातना/डराने-धमकाने के आरोप भी सही पाए गए। इस प्रकार के किशोर प्राथमिक रूप से अपराधी होते हैं जिन्हें किशोरावस्था के कारण तिहाड़/रोहिणी जेल से स्थानांतरित किया जाता है।

- (iii) संप्रेक्षण गृह का स्टॉफ अपनी स्वयं की सुरक्षा को लेकर चिंतित दिखा क्योंकि उनमें से कुछेक पर किशोरों ने अक्टूबर एवं दिसम्बर, 2013 में आक्रमण किया था।
- (iv) संप्रेक्षण गृह में किशोरों का औसत आवास 15–20 दिन का होता है। इस अवधि के दौरान शैक्षणिक दिशानिर्देश प्रदान करने और उनके प्रयोग की संभावनाएं बहुत सीमित होती हैं। इसलिए, उन्हें सृजनात्मक एवं मनोरंजनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखना चाहिए ताकि उनकी उर्जा को सकारात्मक तरीके से प्रयोग में लाया जा सके।
- (v) सेवा कुटीर, संप्रेक्षण गृह का अधिकतम स्टॉफ (34 में से 18) अनुबंध आधार पर है। समय पर वेतन का भुगतान न होना और उनका अस्थायी प्रकृति का होना, इन परिस्थितियों में हतोत्साहित करने वाले कारक हैं।
- (vi) संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा का प्रबंध निजी सुरक्षा एजेंसी के हाथ में है। गृह के अंदर ड्रग्स, सर्जिकल ब्लेड आदि पहुंचने को रोक पाने में सुरक्षा प्रबंध असफल रहे हैं।
- (vii) यौन शोषण के आरोपों के संबंध में अधिकारियों ने पिछले 6 महीनों के दौरान कुछेक घटनाओं (3–4 घटनाएं) का होना स्वीकार किया है।

9.69 संक्षेप में कहें तो संप्रेक्षण गृह के स्टॉफ के कथन से यह पता चलता है कि गृह के अंदर नशा करने की कोई घटना नहीं हुई, अपराधी किशोरों द्वारा अन्य किशोरों का शोषण तथा यौन शोषण की कुछेक घटनाओं में जे0सी0एल0 में बार–बार आने वाले किशोर शामिल थे जो किशोरावस्था के कारण तिहाड़/रोहिणी जेल से आए थे।

9.70 आयोग के अन्वेषण प्रभाग की टीम ने निम्नलिखित सिफारिशें की :

- क) विभिन्न परिस्थितियों जैसे कि जांच, किशोरों की माता/पिता/अभिभावकों के साथ बैठक, अनुशासन बनाए रखना, किशोरों को अलग करना, बर्बरता/हिंसा आदि जैसी स्थिति में पुलिस का हस्तक्षेप आदि से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) तैयार की जाएं।
- ख) संप्रेक्षण गृह से किशोर के रिहा होने के बाद किशोर दोबारा से अपराध न करने लगे और किसी व्यवसाय/पेशे/शिक्षा के माध्यम से समुदाय के साथ पुनःएकीकृत हो सके, को सुनिश्चित करने के लिए 'बाद की देखभाल' या 'अनुवर्ती सहायता' जैसी योजना तैयार की जानी चाहिए।
- ग) किशोरों के अधिकारों के सम्मान तथा अन्यो की सुरक्षा के बीच यथोचित संतुलन हेतु अनुशासनात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। संप्रेक्षण गृह में प्रवेश करने पर, किशोर को अनुशासन एवं नियंत्रण के क्षेत्र में जागरूक बनाया जाना चाहिए।

- घ) किशोरों के लिए अधिक से अधिक शारीरिक, मनोरंजनात्मक, पेशेवर तथा व्यस्त रखने वाली गतिविधियां शुरू की जानी चाहिए।
- ड.) ऐसे क्षेत्रों में पेशेवर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिसमें किशारों की रुचि हो और उन्हें भविष्य में रोजगार के लिए तैयार किया जाना चाहिए।
- च) प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास – स्टॉफ का क्षमता निर्माण।
- छ) तिहाड़/रोहिणी जेल से स्थानांतरित होने वाले किशारों को जे०सी०एल० में पहली बार आने वाले किशोरों से अलग रखा जाना चाहिए। इन्हें एक साथ नहीं रखा जाना चाहिए।
- ज) 40 से 50 बच्चों के लिए संप्रेक्षण गृहों की छोटी इकाईयों का सृजन किया जाना चाहिए ताकि उन्हें आसान से नियंत्रित किया जा सके।
- झ) आगंतुकों, किशोर अपराधियों की स्क्रीनिंग (जांच) सहित सुरक्षा एवं जांच की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए तथा गृह के अंदर ड्रग्स/तम्बाकू/सर्जिकल ब्लेड जाने के रास्ते को बंद किया जाना चाहिए।

9.71 आयोग ने दिनांक 6 मार्च, 2014 को मामले को उठाते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य सचिव को तत्काल ही आवश्यक कार्रवाई करने और छह महीने के अंदर-अंदर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया। चूंकि संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा, जो निजी सुरक्षा एजेंसी के हाथ में थी, ड्रग्स, सर्जिकल ब्लेड, तम्बाकू आदि की घुसपैठ को रोक पाने में असफल रही इसलिए आयोग ने सिफारिश की कि अनुबंध को अंतिम रूप दिए जाने के समय दिल्ली पुलिस को संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा की जांच करने का निदेश दिया जा सकता है और नई सुरक्षा एजेंसी को इन गृहों को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है और तैनात किए जाने वाले कर्मियों की संख्या की सिफारिश, दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जांच के अनुसार की जानी चाहिए।

9.72 आयोग ने आगे यह सिफारिश की कि दिल्ली के पुलिस आयुक्त द्वारा सभी संप्रेक्षण गृहों की सुरक्षा पुनरीक्षा के आदेश किए जा सकते हैं तथा अनुबंध के नवीनीकरण के समय उनके द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों पर विचार किया जाना चाहिए। जहां तक सुरक्षा एवं सुदृढ़ीकरण का संबंध है किशोर सुधार गृह के प्रशासन को अपनी पुनरीक्षा के बाद दिल्ली पुलिस की सिफारिशों का अनुपालन करने के निदेश दिए जाने चाहिए।

9.73 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार की प्रतिक्रिया अभी प्रतीक्षित है।

**6. मध्य प्रदेश के शाजापुर जिला में कनाद के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में वार्ड बॉय द्वारा दो वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार
(मामला सं० 556/12/42/2013)**

9.74 आयोग को श्री आर०एच० बंसल से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि दिनांक 15 मार्च, 2013 को मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में कनाद के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तैनात लखन योगी नामक एक वार्ड बॉय ने दो वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया। शिकायतकर्ता के अनुसार, लड़की अपनी माता के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में थी जो यहां पर प्रसव के लिए आई थीं। आयोग ने शिकायत को संज्ञान में लिया और मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव से और मध्य प्रदेश शाजापुर के पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की।

9.75 आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस के जवाब में शाजापुर के पुलिस अधीक्षक ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह खुलासा हुआ कि पीड़िता की मां श्रीमती भूरीबाई द्वारा की गई उनकी ढाई साल की बेटी के साथ लखन नाथ द्वारा किए गए तथाकथित बलात्कार की शिकायत प्राप्त होने के बाद दिनांक 15 मार्च, 2013 को कनाद के पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)जी एच, 366, 363; बच्चों की यौन अपराधों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 की धारा 5/6 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)5के तहत आपराधिक मामला एफ०आई०आर० संख्या 71/2013 दर्ज की गई। आरोपी को गिरफ्तार किया गया और दिनांक 30 मार्च, 2013 को न्यायालय में चार्जशीट भी दायर की गई। बाद में यह भी बताया गया कि पीड़ित को वित्तीय राहत के रूप में 25,000/-₹ की राशि का भुगतान भी किया गया और दोषी चिकित्सा कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया।

9.76 आयोग ने प्रेक्षण किया कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, अमानवीय, बर्बर तथा चौंकाने वाली घटना है जिसमें एक ढाई साल की मासूम, बेबस लड़की, जो अपनी मां के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आई थी, के साथ संस्थान के ही कर्मचारी द्वारा यौन शोषण किया गया। आयोग ने आगे यह प्रेक्षण किया कि यह घटना सरकारी संगठन में हुई और यह घृणित अपराध किसी अन्य द्वारा नहीं बल्कि संस्थान के ही एक कर्मचारी द्वारा किया गया है। इन परिस्थितियों में पीड़ित को हरजाना देने के लिए राज्य को जिम्मेदार मानते हुए आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को पीड़ित को 5,00,000/-₹ की राशि का भुगतान करने की सिफारिश की और मुख्य सचिव को छह महीने के अंदर-अंदर भुगतान के साक्ष्य को प्रस्तुत करने का निदेश दिया। इसके अतिरिक्त, मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का भी निदेश दिया गया कि पीड़िता को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के संशोधित उपबंधों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के तहत अधिदेशित वित्तीय राहत का भुगतान भी किया जाए और भुगतान का साक्ष्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को अग्रेषित किया जाए।

9.77 इसी दौरान उप-सचिव, जनजातीय कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल ने एक रिपोर्ट भेजी जिसमें कहा गया था कि पीड़िता को मौद्रिक राहत के रूप में 25,000/-₹0 की राशि का भुगतान किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि हरजाने के रूप में 5,00,000/-₹0 का भुगतान करने की आयोग की सिफारिश, राज्य के नियमों एवं विनियमों के अनुसरण में नहीं है।

9.78 आयोग ने मामले पर विचार किया और अपनी दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 की कार्रवाई में प्रेक्षण किया कि आयोग को यथोचित हरजाना निर्धारित करने के संबंध में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं और ऐसे मामलों में हरजाने के भुगतान के लिए आयोग, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा बाध्य नहीं है और इसलिए आयोग को, रिपोर्ट में दिया गया औचित्य कि 5,00,000/-₹0 का हरजाना नियमों के अनुरूप नहीं है, स्वीकार्य नहीं है।

9.79 आयोग ने एक बार फिर मध्य प्रदेश राज्य सरकार को उनके मुख्य सचिव के माध्यम से पीड़िता लड़की को उसके माता/पिता के माध्यम से राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग के कर्मचारी द्वारा किए गए उसके मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए छह माह के अंदर-अंदर हरजाने के रूप में 5,00,000/-₹0 का भुगतान करने के संबंध में निदेश दिया।

9.80 जिला मजिस्ट्रेट, शाजापुर, मध्य प्रदेश सरकार को यह भी सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया कि पीड़िता को उसके माता-पिता के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 12(4) और 12(6) के तहत दी जाने वाली सहायता और मौद्रिक राहत का भुगतान, अनुसूची के साथ लगे परिशिष्ट के अनुसार जल्द से जल्द किया जाए। उन्हें छह महीने के अंदर इस मामले से संबंधित स्थिति रिपोर्ट के साथ-साथ भुगतान का साक्ष्य भी आयोग को भेजने का निदेश दिया गया।

9.81 अनुपालन रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

7. आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अपनी बेटी को गुण्डों से बचाते हुए एक महिला की मृत्यु का मामला

(मामला सं० 490/1/6/2013-डब्ल्यू0सी0)

9.82 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दक्षिणी जोन-ए के विशेष प्रतिवेदक प्रोफेसर एस0के0 चालम ने दिनांक 11 अप्रैल, 2013 के 'दि हंस इंडिया' (हैदराबाद संस्करण) के अंक में प्रकाशित एक प्रेस रिपोर्ट को अग्रेषित किया। प्रेस रिपोर्ट में बताया गया कि 45 वर्षीय बी0 सुनीला अपनी बेटी जो बी-टेक की छात्रा है, के साथ दिनांक 8 अप्रैल, 2013 सोमवार की रात लगभग 9:00 बजे कुछ खरीदारी करके घर वापिस लौट रही थीं जब कुछ शराब पिए हुए आदमियों ने उन्हें गांधी चौक पर रोक लिया। उनमें से एक ने लड़की के साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया तो मां ने उसके कॉलर को पकड़ कर उसे धक्का दे दिया। इसके बाद, उस समूह के सारे सदस्यों ने सुनीला को एक चलती हुई लॉरी के सामने धक्का दे दिया। गंभीर रूप से घायल सुनीला को नजदीक के मंगलागिरी शहर के एन0 आर0 आई0 जनरल अस्पताल में ले जाया गया, किन्तु उनकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई।

9.83 मामले को संज्ञान में लेते हुए आयोग ने अपनी दिनांक 23 अप्रैल, 2013 की कार्रवाई में आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक तथा आंध्र प्रदेश के गुंटूर के पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी।

9.84 आयोग के नोटिस के जवाब में जिला गुंटूर (देहात), आंध्र प्रदेश के पुलिस अधीक्षक ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें जानकारी दी गई थी कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(ग) के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धाराओं 307, 302, 354, 509, 34 के तहत सभी आठ आरोपियों के खिलाफ एक आपराधिक मामला संख्या 37/2013 दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

9.85 रिपोर्ट में आगे यह उल्लेख किया गया कि सरकार ने मुख्य मंत्री राहत कोष से 10,00,000/-रु० का भुगतान पहले ही कर दिया है अर्थात् मृतक की दोनों पुत्रियों को पांच-पांच लाख रु० का भुगतान और इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के उपबंधों के अधीन 2,50,000/-रु० का भुगतान भी किया जा चुका है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि सरकार, मृतक की पुत्रियों के लिए आवास स्थल, निःशुल्क शिक्षा तथा शिक्षा पूरी हो जाने पर रोजगार भी उपलब्ध कराएगी।

9.86 आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के पुलिस अधीक्षक ने कुछ और जानकारी देते हुए यह बताया कि अपराध संख्या 37/2013 की जांच के बाद सभी आठों आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दिनांक 15 जुलाई, 2013 को न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की गई। पीड़ित के परिवार को राहत उपलब्ध कराने के लिए गुंटूर के समाहर्ता एवं जिला मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। गुंटूर के समाहर्ता ने अपने दिनांक 20 जुलाई, 2013 की रिपोर्ट के माध्यम से सूचित किया कि मुख्य मंत्री राहत कोष से स्वीकृत की गई 10,00,000/-रु० की राशि को मृतका बी०के० सुनीला की दोनों पुत्रियों के बीच बराबर बांट दिया गया है। इसके अलावा मौद्रिक राहत के रूप में स्वीकृत की गई 2,47,500/-रु० की राशि भी मृतका की बेटियों के बीच बांट दी गई। उन्होंने उपरोक्त राशियों के भुगतान संबंधी रसीदों – जिला गुंटूर के तेनानी मंडल के तहसीलदार द्वारा सत्यापित – की फोटोकॉपियां भी अग्रेषित की।

9.87 आयोग ने उपरोक्त रिपोर्टों पर विचार किया और अपनी दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 की कार्रवाई में प्रेक्षण किया कि अपराध से संबंधित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के अभियोजन के लिए न्यायालय में चार्जशीट भी कर दिया गया है। मृतका की दोनों पुत्रियों को मुख्य मंत्री के राहत कोष से 5,00,000/-रु० प्रत्येक को विशेष राहत का भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम तथा नियमों के तहत भी मृतका दोनों लड़कियों को मौद्रिक राहत का भुगतान किया जा चुका है।

9.88 उपरोक्त रिपोर्टों के मद्देनजर आंध्र प्रदेश के जिला गुंटूर (देहात) के जिला मजिस्ट्रेट/समाहर्ता को यह निदेश देते हुए मामले को बंद कर दिया गया कि राज्य सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के तहत दोनों लड़कियों को आवास, निःशुल्क शिक्षा तथा रोजगार उपलब्ध कराए जाने संबंधी किए गए वादे को सुनिश्चित किया जाए।

**8. छत्तीसगढ़ के धमात्री जिले में सरकारी हाई स्कूल में अध्यापक द्वारा छात्रा के साथ तथाकथित बलात्कार
(मामला सं० 28/33/4/2013-डब्ल्यू0सी0)**

9.89 आयोग को एक गैर-सरकारी संगठन से छत्तीसगढ़ के धमात्री जिले में सरकारी हाई स्कूल में अध्यापक द्वारा छात्रा के साथ तथाकथित बलात्कार की शिकायत प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने इस मामले में आयोग द्वारा हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था।

9.90 आयोग ने शिकायत को संज्ञान में लिया और छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव तथा छत्तीसगढ़ के धमात्री जिले के पुलिस अधीक्षक से पुलिस रिपोर्ट तलब की।

9.91 आयोग के नोटिस का जवाब देते हुए धमात्री के पुलिस अधीक्षक ने दो रिपोर्टें प्रस्तुत कीं जिसमें खुलासा किया गया कि एक 17 वर्षीय पीड़िता (नाम नहीं छापने की शर्त) के साथ स्कूल के अध्यापक हेमंत कुमार चौरसिया ने तथाकथित रूप से बलात्कार किया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 506 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(5) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दिनांक 13 जनवरी, 2013 को पुलिस स्टेशन बोराई में एक आपराधिक मामला एफ0आई0आर0 संख्या 03/2013 दर्ज किया गया और आरोपी अध्यापक को दिनांक 14 जनवरी, 2013 को गिरफ्तार किया गया। आरोपी अध्यापक को दिनांक 16 जनवरी, 2013 से निलंबित कर दिया गया है और धमात्री के जिला समाहर्ता द्वारा पीड़िता को भुगतान करने के लिए 60,000/-रु० की राशि स्वीकृत कर दी गई है।

9.92 आयोग ने मामले पर विचार किया और प्रेक्षण किया कि आरोपी के खिलाफ दर्ज किया गया आपराधिक मामला जांच के लिए लंबित पड़ा है और आरोपी अध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। आगे यह प्रेक्षण भी किया गया कि दुर्भाग्य से अवयस्क छात्रा का उसके ही अध्यापक द्वारा यौन शोषण किया गया जो कि विद्यालय में उनका अभिरक्षक होता है। एक जनजातीय अवयस्क छात्रा के मानव अधिकारों के उल्लंघन के बारे में पता चलने पर आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत उनके मुख्य सचिव के माध्यम से एक कारण बताओ नोटिस जारी किया कि इस मामले में पीड़ित को अंतरिम राहत का भुगतान करने की सिफारिश क्यों न की जाए। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को अपराधी के खिलाफ की गई विभागीय कार्रवाई के विवरण सहित मामले की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश भी दिया गया।

9.93 जवाब में, छत्तीसगढ़ के गृह विभाग (ग-अनुभाग) के संयुक्त सचिव ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह बताया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार पीड़ित को दिनांक 4 अप्रैल, 2013 तथा 21 मई, 2013 को 60,000/-रु० की राशि का भुगतान किया गया। संयुक्त सचिव ने यह भी कहा कि स्कूल के अध्यापक हेमंत

कुमार चौरसिया के खिलाफ दर्ज किया गया आपराधिक मामला, न्यायालय में अभियोजन के लिए लंबित पड़ा है तथा आरोपी अध्यापक को दिनांक 12 अप्रैल, 2013 से सरकारी सेवा से निलंबित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने कहा है कि उन्हें पीड़ित को अंतरिम राहत प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है।

9.94 हालांकि, अपराधी के खिलाफ यथोचित कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई की गई है और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत कानून द्वारा अधिदेशित अंतरिम राहत की निश्चित राशि का भुगतान भी पीड़ित को किया जा चुका है, फिर भी आयोग ने अपनी दिनांक 4 जुलाई, 2013 की कार्रवाई में प्रेक्षण किया कि, चूंकि राज्य सरकार को पीड़ित को अंतरिम राहत का भुगतान करने में कोई आपत्ति नहीं है इसलिए आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार से पीड़ित को 5,00,000/-₹ का भुगतान करने की सिफारिश की। पीड़िता के अवयस्क होने के कारण आयोग ने निदेश दिया कि राशि को सावधि जाम खाते में डाला जाए और अभिभावकों को अनुमति दी जाए कि वे उससे प्राप्त होने वाले ब्याज को निकाल सकें, वयस्कता प्राप्त हो जाने पर राशि का भुगतान लड़की को किया जाए।

**9. ओडिशा के रायगढ़ जिले में एक महिला अध्यापक के साथ उसके वरिष्ठ सहयोगी द्वारा यौन शोषण और प्राधिकारियों द्वारा कुछ कार्रवाई न करना
(मामला सं० 2458/18/32/2013-डब्ल्यू०सी०)**

9.95 आयोग को एक गैर सरकारी संगठन के ई-मेल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई जिसमें कहा गया कि ओडिशा के रायगढ़ जिले में एक महिला अध्यापक के साथ उसके वरिष्ठ सहयोगी द्वारा यौन शोषण किया गया और प्राधिकारियों को अनेकों बार की गई शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाद में, महिला को आरोपी अधिकारी के खिलाफ की गई शिकायत को वापिस लेने के लिए डराया-धमकाया गया और जब उसने ऐसा करने से मना कर दिया तो उस पर हमला किया गया और उसपर मिट्टी का तेल डाल कर जलाया गया। वह अस्पताल में जिन्दगी के लिए लड़ रही थी।

9.96 आयोग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस महानिदेशक, ओडिशा, भुवनेश्वर तथा सचिव, शिक्षा विभाग, ओडिशा सरकार से मामले के संबंध में रिपोर्ट मांगी।

9.97 गैर सरकारी संगठन ने ओडिशा के सरकारी दौरे पर गए आयोग के संयुक्त रजिस्ट्रार (विधि) को अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने कुछ तथ्यों का पता लगाया था। रिपोर्ट में कहा गया कि पीड़िता, 27 वर्षीय एक अनुबंधीय अध्यापिका थी और जब से उसने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था अर्थात् दिनांक 18 जून, 2011 से ही स्कूल के हैडमास्टर नेत्रानन्दा दंडसेना ने उसका यौन शोषण करना शुरू कर दिया था। पीड़िता ने दिनांक 18 जुलाई, 2013 को नेत्रानन्दा दंडसेना के खिलाफ टिकीरी पुलिस स्टेशन में एफ0आई0आर0 दर्ज कराई थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दिनांक 31 जुलाई, 2013 को वह पुलिस महानिदेशक के पास पहुंची। उसने दिनांक 19 सितम्बर, 2013 को एक बार फिर नेत्रानन्दा दंडसेना के परिवार के सदस्यों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज कराई क्योंकि उन्होंने उसे धमकी दी थी कि यदि

वो शिकायत वापिस नहीं लेगी तो जान से मार दी जाएगी। दिनांक 5 अगस्त, 2013 को वह अपनी सुरक्षा के लिए तथा आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाने रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची। उसने ओडिशा के मुख्यमंत्री को भी अपने पत्र की एक प्रति संबोधित की थी। उसने दिनांक 16 अगस्त, 2013 को आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज की और इस मामले में तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया। किसी प्रकार की कार्रवाई न किए जाने पर पीड़िता ने दिनांक 18 अगस्त, 2013 को मीडिया को सूचित किया कि उसकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बाद में, आरोपी व्यक्तियों ने उसे जला दिया जिसके कारण दिनांक 27 अक्टूबर, 2013 को उसकी मृत्यु हो गई। उसके पिता और बड़ी बहन ने आरोप लगाया कि स्थानीय सांसद द्वारा आरोपियों को बचाया जा रहा है।

9.98 संयुक्त रजिस्ट्रार (विधि) को ओडिशा सरकार द्वारा दिनांक 5 नवम्बर, 2013 को जारी किए गए आदेश की एक प्रति भी प्राप्त हुई जिसमें पुलिस स्टेशन टिकीरी के प्रभारी निरीक्षक सुजीत कुमार से और सहायक उप-निरीक्षक मुरलीधर प्रसाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2)(ख) के तहत सेवा से निलंबित कर दिया गया था।

9.99 आयोग ने दिनांक 8 नवम्बर, 2013 को मामले पर विचार किया जिसमें यह नोटिस किया गया कि पीड़िता ने लगभग हर संभव माध्यम तक गुहार लगाई लेकिन राज्य प्राधिकारियों ने उसकी शिकायत को दूर करने और उसके जीवन को बचाने के संबंध में कोई प्रयास नहीं किया। अतः आयोग ने ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव से मृतका के निकटतम संबंधी को 5,00,000/-रु० की अंतरित राहत उपलब्ध कराने और पूरे मामले की सी0बी0सी0आई0डी0 द्वारा जांच करवाने की सिफारिश की।

9.100 इसके जवाब में ओडिशा पुलिस की अपराध शाखा से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

9.101 आयोग ने दिनांक 2 जनवरी, 2014 को मामले को उठाया और ओडिशा सरकार के पुलिस महानिदेशक को आठ महीने के अंदर-अंदर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दिनांक 1 नवम्बर, 2013 को दर्ज सी0आई0डी0 अपराध शाखा पी0एस0 मामला संख्या 32 की जांच का अंतिम परिणाम भेजने का निदेश दिया। आयोग ने बाद में निदेश दिया कि ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव को याद दिलाया जाए कि आठ महीने के भीतर अंतरिम राहत के भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करना है।

9.102 प्राधिकारियों से प्राप्त जवाबों पर आयोग अभी विचार कर रहा है।

10. बिहार के जिला किशनगंज के ग्राम गिल्हाबादी में पंचायत के आदेश के बाद एक महिला चोर का सिर मूंड़ा गया।

(मामला सं० 1332/4/18/2012-डब्ल्यू0सी0)

9.103 'राष्ट्रीय सहारा' नामक एक हिन्दी दैनिक के दिनांक 22 जुलाई, 2011 के दिल्ली संस्करण में पंचायत के आदेश पर एक महिला चोर का सिर मुंडवाने की रिपोर्ट छपी थी। रिपोर्ट के अनुसार, बिहार के किशनगंज

जिले के गिल्हाबादी गांव की निवासी फातिमा पर एक रफीक आलम के घर से बर्तन चुराने का आरोप लगाया गया था। पंचायत बुलाई गई और पंचों ने पीड़िता के सिर के बाल मूँडने का आदेश दिया।

9.104 आयोग ने प्रेस रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए बिहार के किशनगंज के पुलिस अधीक्षक से मामले के संबंध में एक रिपोर्ट तलब की।

9.105 आयोग नोटिस का जवाब देते हुए किशनगंज के पुलिस अधीक्षक ने सूचित किया कि पुलिस स्टेशन ठाकुरगंज में दिनांक 21 जुलाई, 2011 को 17 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354/509/34 के तहत एफ0आई0आर0 संख्या 108/11 दर्ज की गई थी और जांच-पड़ताल समाप्त हो जाने के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 341/342/354/509/34 के तहत सभी 17 नामित आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी।

9.106 रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह मानव अधिकार के उल्लंघन का स्पष्ट मामला है क्योंकि पंचायत के आदेश पर पीड़िता का सिर मूँडा गया था इसलिए राज्य, पीड़िता को हरजाना देने के लिए बाध्य है। अतः आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18(क)(प) के तहत बिहार सरकार को उनके मुख्य सचिव के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी किया कि पीड़िता को मौद्रिक राहत के भुगतान की सिफारिश क्यों न की जाए।

9.107 कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए अवर सचिव, गृह विभाग (विशेष), बिहार सरकार ने बताया कि राज्य सरकार, आयोग द्वारा संस्तुत किए जाने वाले मुआवजे के आदेश का अनुपालन करने के लिए तैयार है। आयोग ने अपनी दिनांक 14 मई, 2013 की कार्रवाई में बिहार सरकार से उनके मुख्य सचिव के माध्यम से पीड़िता फातिमा बेगम को अंतरिम राहत के रूप में 20,000/-₹0 की राशि का जल्द से जल्द भुगतान करने की सिफारिश की।

9.108 अनुपालन रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

11. पंजाब के जिला अमृतसर में बलात्कार की पीड़िता द्वारा की गई शिकायत पर पुलिस द्वारा कार्रवाई न करना (मामला सं0 1763/19/1/2012)

9.109 पंजाब के अमृतसर जिले से संबंधित एक पीड़िता ने आयोग को भेजी अपनी एक शिकायत में आरोप लगाया कि दिनांक 6 अगस्त, 2012 को चार लड़कों ने उसका अपहरण किया और उसके साथ बलात्कार किया। उसके तथा उसके माता-पिता के द्वारा की गई शिकायत के बावजूद पुलिस ने एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की। इलाका मजिस्ट्रेट, अमृतसर द्वारा हस्तक्षेप करने पर दिनांक 27 सितम्बर, 2012 को एक मामला दर्ज किया गया किन्तु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत पुलिस द्वारा उसका बयान रिकार्ड नहीं किया गया और एफ0आई0आर0 दर्ज होने के 10 दिन बाद पुलिस ने संबंधित न्यायालय में इस मामले को खारिज करने संबंधी रिपोर्ट दर्ज करा दी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि चारों लड़कों ने बदला लेने के लिए यह कृत्य

किया क्योंकि पीड़िता ने दिनांक 31 जुलाई, 2012 को उन लड़कों के उपर प्रताड़ना, शोषण का इल्जाम लगाते हुए पुलिस में एक शिकायत दर्ज की थी जिसमें पुलिस स्टेशन सदर, अमृतसर में एक मामला भी दर्ज हुआ था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस आयुक्त, अमृतसर ने इस संबंध में उन्हें दी गई याचिकाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसने यह आरोप भी लगाया कि उपरोक्त दोनों मामलों में जांच अधिकारी ने कोई यथोचित कार्रवाई नहीं की। इसके अतिरिक्त, उसने यह आरोप भी लगाया कि उसे और उसके परिवार वालों को उक्त दो मामलों में समझौता न करने के कारण पुलिस डराया-धमकाया करती थी।

9.110 आयोग के दिनांक 10 मई, 2013 के निदेशों के अनुसरण में आयोग के अन्वेषण प्रभाग द्वारा एक औचक जांच की गई। जांच के दौरान निम्नलिखित तथ्य उजागर हुए

- (i) प्रताड़ना की इस घटना के संबंध में पुलिस स्टेशन सदर में एफ0आई0आर0 संख्या 154/2012 दर्ज कराने विलम्ब हुआ था। संबंधित पुलिस कर्मियों द्वारा विलम्ब के कारणों का सही तरह से स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका। साथ ही इस मामले में स्थानीय पुलिस द्वारा कोई गिरफ्तारी भी नहीं दिखाई। तथापि, विशेष अन्वेषण टीम ने दिनांक 4 और 5 मई, 2013 को चार तथाकथित आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला एफ0आई0आर0 संख्या 154/2012 अभी तक विशेष अन्वेषण टीम, पंजाब पुलिस, चंडीगढ़ की जांच के अधीन था।
- (ii) बलात्कार की तथाकथित घटना जो 6 अगस्त, 2012 को हुई थी के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जांच टीम ने पाया कि पीड़िता की मां द्वारा दिनांक 6 अगस्त, 2012 को लगभग 3:00 बजे अपराहन को पुलिस चौकी, फतेहगढ़ चूड़ियां बाईपास, अमृतसर में पीड़िता के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज थी किन्तु पुलिस ने इस संबंध में कोई एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की। साथ ही बलात्कार की घटना की भी कोई एफ0आई0आर0 पुलिस द्वारा दर्ज नहीं की गई जबकि पीड़िता की दिनांक 6 अगस्त, 2013 की एम0एल0सी0 रिपोर्ट में यौन कृत्य की पुष्टि हो चुकी थी। इस मामले में पुलिस थाना सदर में ए0सी0जे0एम0 अमृतसर के निर्देशों पर दिनांक 27 सितम्बर, 2012 को बलात्कार की घटना की एफ0आई0आर0 संख्या 200/2012 दर्ज हो सकी थी।
- (iii) एफ0आई0आर0 संख्या 200/2012 दर्ज हो जाने के बाद पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान रिकार्ड नहीं किया गया। जांच अधिकारी ने न तो घटना स्थल का दौरा किया और न ही मामले के संबंध में कोई सामग्री या परिस्थितिजन्य साक्ष्य एकत्रित किया। जांच अधिकारी ने मामले में केवल सामान्य तरीके से जांच की और तथाकथित आरोपियों के मोबाईल नम्बरों की कॉल डिटेल का रिकार्ड एकत्रित किया लेकिन किसी भी आरोपी व्यक्ति की जांच नहीं की।
- (iv) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ने प्रेक्षण किया कि मामला एफ0आई0आर0 संख्या 200/2012 के संबंध में फोरेन्सिक लेबोरेटरी, खरड़, पंजाब से पीड़िता की वेजार्नल स्वैब रिपोर्ट प्राप्त किए बिना

ही न्यायालय में मामले को बंद करने संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। वेजाइनल स्वेब के नमूने को दिनांक 17 अगस्त, 2012 को फोरेन्सिक लेबोरेटरी में भेजा गया था और दिनांक 17 नवम्बर, 2012 को रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें संभोग की पुष्टि की गई थी। यह मामला एफ0आई0आर0 संख्या 200/2012 पुलिस द्वारा दिनांक 27 सितम्बर, 2012 को दर्ज किया गया था और 7 अक्टूबर, 2012 को इसे बंद कर दिया गया अर्थात् केवल 10 दिनों में। इसके बाद गठित की गई विशेष अन्वेषण टीम ने न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें नए सिरे से जांच करने दी जाए किन्तु न्यायालय का निर्णय प्रतीक्षित है।

- (v) टीम ने यह प्रेक्षण भी किया कि पंजाब पुलिस ने बलात्कार संबंधी मामलों की जांच करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार नहीं की हैं।
- (vi) पीड़िता और उसके माता-पिता द्वारा अमृतसर के पुलिस आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई याचिकाओं को आवश्यक कार्रवाई हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को सौंप दिया गया। तथापि, एफ0आई0आर0 संख्या 200/2012 दर्ज हो जाने के बाद इन तीनों याचिकाओं का अनुपालन पुलिस आयुक्त, अमृतसर को भेजा गया।

9.111 विस्तृत जांच रिपोर्टें तथा जांच टीम द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद आयोग ने पुलिस महानिदेशक, पंजाब सरकार को निम्नलिखित निदेश दिए:

- (i) पुलिस थाना सदर, अमृतसर में दर्ज एफ0आई0आर0 संख्या 154/2012 तथा 200/2012 के संबंध में की गई जांच-पड़ताल की वर्तमान स्थिति की सूचना दी जाए।
- (ii) एफ0आई0आर0 संख्या 154/12 को दर्ज करने में हुई विलम्ब तथा बलात्कार के मामले को दर्ज करने के लिए जिम्मेदार संबंधित पुलिस कार्मिक/कार्मिकों के खिलाफ यथोचित कार्रवाई की जाए।
- (iii) पुलिस थाना सदर, अमृतसर में दर्ज एफ0आई0आर0 संख्या 154/2012 तथा 200/2012 के लिए जिम्मेदार संबंधित पुलिस अधिकारियों (जांच अधिकारी तथा पर्यवेक्षक अधिकारी) के खिलाफ यथोचित कार्रवाई की जाए।
- (iv) बलात्कार के मामलों की जांच-पड़ताल करने तथा इस संदर्भ में पुलिस बल को सुग्राही बनाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों को शामिल करते हुए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जाए।

9.112 आयोग अभी भी मामले पर विचार कर रहा है।

12. छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में टोही के शक में 65 वर्षीय वृद्ध महिला के साथ दुर्व्यवहार (मामला सं० 114/33/10/2014-डब्ल्यू०सी०)

9.113 आयोग ने दिनांक 15 फरवरी, 2014 के हिन्दी दैनिक 'नई दुनिया' में प्रकाशित 'टोही बताकर सिर मुंडवाया' शीर्षक वाली रिपोर्ट पर स्वतःसंज्ञान लिया। प्रेस रिपोर्ट में कहा गया कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में झीरामबाई नामक एक 65 वर्षीय वृद्ध महिला को एक टोही होने के शक में बुरी तरह से पीटा गया और उसके सिर को मूंडा गया।

9.114 आयोग ने इस घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और प्रेक्षण किया कि अखबार की रिपोर्ट की विषयवस्तु ने इस महिला के मानव अधिकारों के उल्लंघन के गंभीर मुद्दे को उठाया है। आयोग ने छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक से मामले के संबंध में रिपोर्ट तलब की। आयोग ने कोरबा के पुलिस अधीक्षक को यह सूचित करने का भी निदेश दिया कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 354(ख) के तहत कोई मामला दर्ज हुआ है या नहीं। पुलिस अधीक्षक, कोरबा से अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

9.115 जिला मजिस्ट्रेट, कोरबा से प्राप्त जवाब पर आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

वृद्धजनों के अधिकार

10.1 गत वर्षों में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बुजुर्गों के मानव अधिकारों पर पुरजोर विचार तथा कार्य के लिए महत्वपूर्ण वकालत की गई है। विश्व के लाखों बुजुर्गों की गंभीर हालत से निपटने के लिए विभिन्न भागीदारों ने और अधिक पारदर्शिता तथा मानव अधिकार मानकों के अधिक उपयोग की मांग कर रहे हैं।

10.2 बहुत पुरानी बात नहीं है जब वृद्धावस्था के मुद्दे को सिर्फ कुछ ही देशों द्वारा महत्व दिया जाता था। आज के दिन 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या में बहुत तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है और आशा की जा रही है कि वर्तमान में 740 मिलियन से बढ़कर इस दशक के अंत तक यह 1 बिलियन हो जाएगी। यह भी अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक दुनिया में बच्चों से ज्यादा संख्या बुजुर्गों की होगी। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन लोगों में महिलाएं पहले ही ज्यादा संख्या में हैं तथा 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु वर्ग में महिलाएं पुरुषों से दोगुनी संख्या में हैं। दुर्भाग्यवश बढ़ती संख्या ने अपर्याप्त सुरक्षा प्रबंध तथा बुजुर्गों की स्थिति से निपटने के लिए नीतियों तथा कार्यक्रमों में असमानता पर भी प्रकाश डाला है। वर्तमान में दुनिया के बुजुर्गों में दो तिहाई निम्न तथा मध्यम आय देशों में रहते हैं तथा यह अनुपात 2050 तक 80 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि सबसे ज्यादा एवं त्वरित विकासशील देशों में होगी जिसमें एशिया में बुजुर्गों की संख्या सबसे ज्यादा होगी।

10.3 बुजुर्ग लोग कोई समरूप वर्ग नहीं हैं तथा अपने मानव अधिकारों के संरक्षण अथवा उनके उपभोग में उन्हें कई विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग अपने समुदाय में एक सक्रिय जीवन व्यतीत करते हैं वहीं कई लोग बिना घर, देखभाल की कमी अथवा अकेलेपन से जूझते हैं।

10.4 किसी भी मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू बहु भेदभाव प्रतीत होता है और खासकर जब आयु आधारित भेदभाव को अन्य भेदभाव के आधारों के साथ जोड़ दिया जाता है जैसे की लिंग, सामाजिक-आर्थिक स्थिति अथवा स्वास्थ्य स्थिति।

10.5 संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों के उच्च आयुक्त का कार्यालय इस बात को सुनिश्चित करने पर जोर देता है कि अपेक्षित जनसंख्या समूहों को मानव अधिकार कार्यमसौदे में स्थान तथा भार दिया जाए तथा सरकार उनके मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सभी कदम उठाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव की रिपोर्ट पहली बार बुजुर्गों के मानव अधिकारों पर केन्द्रित है। बुजुर्गों द्वारा मानव अधिकारों से जुड़ी चार मुख्य परेशानियाँ दर्शाई जाती हैं — भेदभाव, गरीबी, हिंसा एवं उत्पीड़न एवं विशिष्ट उपायों और सेवाओं की कमी से। रिपोर्ट में परेशानियों को सुलझाने के लिए कई मुख्य क्षेत्रों पर जोर दिया है जैसे की

अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा रिजीम को मजबूत बनाना, आर्थिक शोषण एवं रोजगार में भेदभाव को हटाना, दीर्घकालिक देखभाल सहित पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं का गठन तथा राजनैतिक जीवन में भागीदारी।

10.6 जैसा की आयोग की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2012-13 में जिक्र किया गया है कि वर्ष 1982 से अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने अंतरराष्ट्रीय उद्घोषणाओं जैसे की वृद्धावस्था पर मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय कार्य योजना (महासभा द्वारा 2002 में पृष्ठांकन) में बुजुर्गों की स्थिति की जांच की जिसमें आयु से संबंधित भेदभाव, उपेक्षा, उत्पीड़न तथा हिंसा को मिटाने की बात की गई है। बुजुर्गों के अंतरराष्ट्रीय बाध्यता मुख्य मानव अधिकार संधियों में अंतर्निहित है जैसे कि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों तथा सिविल एवं राजनैतिक अधिकारों, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव से विलोपन अभिसमय तथा अशक्त व्यक्तियों के अधिकार अभिसमय जैसे दो अभिसमय हैं। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार प्रपत्रों को बुजुर्गों पर लागू करने का संदर्भ बहुत कम मिलता है।

10.7 भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में बुजुर्गों के कल्याण का अधिदेश दिया गया है जिसमें कहा गया है कि "राज्य अपनी आर्थिक क्षमता तथा विकास के दायरे में वृद्धावस्था के मामलों में लोक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रावधान बनाएगा"। ऐसे भी प्रावधान हैं जो राज्य को यह निर्देश देते हैं कि वह अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता सुधारे। संविधान में समता के अधिकार को मूलभूत अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। ये प्रावधान बुजुर्गों पर भी समान रूप से लागू होते हैं।

10.8 बुजुर्गों के अधिकारों के संबंध में आयोग हस्तक्षेप जैसा कि पिछले वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित किया गया है, आरम्भ में उनकी शिकायतों पर कार्रवाई करने से हुआ। आयोग का हस्तक्षेप धीरे-धीरे 2000 में बढ़ गया जब इसने सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय द्वारा गठित बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय परिषद के कार्य में भाग लिया तथा इसके कार्य योजना (2000-2005) के लिए बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय नीति पर सुझाव दिया। उस वर्ष के बाद से आयोग ने बुजुर्गों के अधिकारों के लिए कार्य कर रहे समूहों तथा संगठनों से निकट संबंध बनाए हुए है तथा आवश्यकता अनुसार समय-समय पर संघ सरकार को सुझाव अग्रेषित करता आ रहा है। उदाहरण के रूप में आयोग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अस्पतालों में वृद्ध व्यक्तियों के लिए अलग पंक्ति के प्रावधान के संबंध में जवाब मांगा। संबंधित मंत्रालय ने अपनी ओर से इस संस्तुति को बुजुर्गों के लिए अस्पतालों में अलग से पंक्ति के प्रावधान को सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में वितरित करवाया। आयोग ने समाज के कमजोर वर्ग खासकर असंगठित क्षेत्र के बुजुर्ग लोगों की परेशानी के ओर भी अपनी चिंता जाहिर की है। आयोग ने बुजुर्गों के लिए कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर स्वास्थ्य जागरूकता कैम्प तथा बढ़ती उम्र में विभिन्न बीमारियों पर केन्द्रित लेक्चर आयोजित कर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है। इसके अलावा आयोग ने अपना ध्यान उन मामलों पर केन्द्रित किया है जहां सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं हुआ है, देर से हुआ है अथवा आंशिक रूप में हुआ है तथा उन मामलों में जहां सेवानिवृत्त व्यक्ति मर गया है एवं उनके कानूनी वारिसों को सभी भुगतान समय पर दिलाना हो।

क. बुजुर्ग व्यक्तियों के संरक्षण एवं कल्याण के लिए कोर समूह की बैठक

10.9 बुजुर्गों से संबंधित मानव अधिकारों के महत्वपूर्ण मुद्दों को चिह्नित करना एवं उनका पुनरिक्षण करने के लिए आयोग ने बुजुर्गों के संरक्षण एवं कल्याण के लिए कोर समूह का गठन किया है जिससे उनके अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए उपाय सुझाए जा सकें। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोर समूह की बैठक 20 दिसम्बर, 2013 को माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की अनुपालन स्थिति तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे, 2013 के मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी। उक्त बैठक श्री एस. सी. सिन्हा, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

10.10 श्री टी. आर. मीणा, संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय, भारत सरकार जिन्होंने उक्त कोर समूह की बैठक में एक विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया था, ने माननीय सदस्य को सूचित किया कि माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के देखभाल एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के क्रियान्वयन की सम्पूर्ण संवीक्षा करना सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय के पास है जबकि उसका क्रियान्वयन राज्य सरकार तथा केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन के पास है जहां तक इस अधिनियम को विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के राजपत्र में अधिसूचित करने, नियमों को बनाने एवं प्रत्येक जिले में अधिकरण स्थापित करने की बात है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि कुछ राज्य अभी तक नियम नहीं बनाए हैं। श्री एस. सी. सिन्हा, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने श्री मीणा से कहा कि वे एक विस्तृत नोट बनाएं जिसमें 2007 के अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों ने क्या कार्य किया है तथा उनके द्वारा 2007 के अधिनियम को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने के लिए और क्या कदम उठाने हैं। श्री सिन्हा ने उनसे यह भी पूछा कि अभी तक कुल कितने मामलों/केसों को अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। श्री सिन्हा ने जोर दिया कि सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय तथा राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को 2007 के अधिनियम को शहरों, नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न माध्यमों से जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है तथा पी.आर.आई। म्यूनीसीपैलिटी/स्थानीय निकायों का सहयोग भी इस कार्य में लिया जाए। इसके अलावा उन्होंने सुझाव दिया कि सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय को सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में गैर-सरकारी संगठनों तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ संगोष्ठी आयोजित करनी चाहिए जिससे बुजुर्गों से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता फैलाई जा सके।

10.11 श्री आर. एन. मित्तल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कोर समूह के सदस्य तथा अध्यक्ष, अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक कानफेडरेशन (ए. आई. एस. सी. सी. ओ. एन.) ने सूचित किया कि माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल अधिनियम, 2007 के अनुपालन को जोरदार तरीके से लागू करने तथा वृहद रूप से प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है। इसी प्रकार, 2007 के अधिनियम में उल्लेखित जुर्माने को कठोर रूप से लागू करने की आवश्यकता है। उदाहरण के रूप में अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत अपने माता-पिता की देखभाल न करने पर 5000/- रुपए अधिकतम का जुर्माना अथवा तीन माह का कारावास है। ये दंड

पर्याप्त नहीं हैं। आश्रित वरिष्ठ नागरिकों की अनदेखी तथा उन्हें छोड़ देना एक बहुत अमानवीय अपराध है। कारावास को 3 माह के बजाए 5 वर्ष तथा जुर्माने को 5000/- रुपए के बजाए 50,000/- रुपए किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने जोर देकर कहा कि आश्रित वरिष्ठों के विरुद्ध अपराध को गैर जमानती, अशमनीय तथा संज्ञेय अपराध बनाने की आवश्यकता है जैसा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 अथवा दहेज निषेध अधिनियम 1961 अथवा भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए अथवा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में है।

10.12 प्रो० एस. पी. किंजावाडेकर, कोर समूह के अन्य सदस्य तथा भूतपूर्व अध्यक्ष, अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक कानफेडरेशन, मुम्बई ने पुनः कहा कि माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल एवं कल्याण अधिनियम, 2007 को जोरदार तरीके से सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू करने की आवश्यकता है क्योंकि वरिष्ठ लोगों के उत्पीड़न से जुड़े सिर्फ कुछ ही मामले सामने आते हैं। उन्होंने प्रत्येक जिले में एक वृद्ध आश्रम खोलने की बात पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि वरिष्ठ लोगों की देखभाल के लिए एक डिग्री पाठ्यक्रम तत्काल शुरू करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्यों द्वारा इस अधिनियम को ठीक से प्रभावी नहीं बनाया गया है। उन्होंने विशिष्ट रूप से कहा कि अधिनियम के अध्याय प्प्ट एवं ट को ठीक से प्रभावी नहीं बनाया गया है।

10.13 प्रो० पी. के. बी. नायर, कोर समूह के अन्य सदस्य एवं अध्यक्ष, सेंटर फॉर जिरॉन्टोलॉजिकल स्टडीज, तिरुवनंतपुरम ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के उत्पीड़न में इजाफा हुआ है। तथा अनुभव यह बताता है कि माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के अंतर्गत बहुत कम याचिकाएं दायर हुई हैं क्योंकि माता-पिता नहीं चाहते कि उम्र के इस पड़ाव पर उनके बच्चे किसी न्यायालय अथवा पुलिस द्वारा घसीटे जाएं तथा वे अंदर ही अंदर परेशानी झेलते रहें। उन्होंने यह भी कहा कि रिपोर्ट किए गए मामले किसी हिमशैल का सिर्फ शीर्ष मात्र हैं।

10.14 प्रो० नायर ने कहा कि इससे निपटने का एक तरीका यह हो सकता है कि वरिष्ठ नागरिक क्लब/वरिष्ठ फोरम/पड़ोसी समूह स्थानीय स्तर पर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए जो वरिष्ठ नागरिक एशोसिएसन से भिन्न हो क्योंकि इनका चरित्र पेशेवर होता है, और जिनके सदस्य अपने उन साथियों के घर में जाकर जिनके साथ कोई परेशानी हो, उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए हर प्रकार के उपाय कर सकें। यह लगातार हो रही उत्पीड़न से बचाव का अथवा कम से कम उसे कम करने का सबसे कारगर तरीका सिद्ध होगा। अतः सरकार को प्रत्येक ग्रामीण तथा शहरी समाज में इस प्रकार के क्लब के गठन को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि इस कार्य को सबसे अच्छे तरीके से स्थानीय पंचायत कर सकती है। इस संबंध में सामाजिक पुलिस भी सहयोग कर सकती है।

10.15 उन्होंने इसके अलावा यह भी कहा कि देश में बहु सेवा सामाजिक वृद्ध देखभाल केन्द्रों को गठित करने की आवश्यकता है जो वरिष्ठ नागरिकों द्वारा स्वयं संचालित हो जहां पर वृद्धों एवं उनकी देखभाल करने वालों को कई प्रकार की सेवाएं मुहैया करवाई जा सकें। ये सेवाएं स्वास्थ्य सेवाएं, आर्थिक सहयोग तथा

परामर्श वृद्धों तथा उनकी देखभाल कर रहे परिवारों को दी जा सकें। यह एक तरीका हो सकता है जिससे वृद्धों को उनके परिवार जनों से एवं एक वृहद स्तर पर समाज से जोड़ा जा सकता है। मौलिक शिक्षा जैसा कि हेल्प एज इंडिया द्वारा विभिन्न स्कूलों में सफलता से चलाया गया एक अन्य तरीका है जिससे बच्चों में पारिवारिक एवं सामाजिक मूल्यों को स्थापित किया जा सके। चूंकि हेल्प एज इंडिया योजना स्कूली पाठ्यक्रम से बाहर है, अतः इसे वर्तमान स्कूली शिक्षा प्रणाली में लेना फायदेमंद होगा। देश में विद्यमान वृद्ध आश्रमों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये बिना किसी नियम एवं विनियम के चलाए जाते हैं। देश में चल रहे करीब करीब सभी वृद्ध आश्रम कस्टोडियल केयर लाइन पर चल रहे हैं। उनकी संख्या में भविष्य में तेजी से वृद्धि होनी है और माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल एवं कल्याण अधिनियम, 2007 इस बात पर जोर देता है कि इस प्रकार का आश्रय भारत के हर जिले में कम से कम एक होना चाहिए, अतः यह आवश्यक है कि इन संस्थाओं को सरकारी नियम व विनियम के अंतर्गत सेवाओं की गुणवत्ता एवं वृद्ध लोगों की सुविधाओं सहित अवसंरचनात्मक सुविधाओं के मद्देनजर लाना चाहिए।

10.16 प्रो० नायर ने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल एवं कल्याण अधिनियम, 2007 में संशोधन एवं बढ़ती उम्र पर परिप्रेक्ष्यीय योजना बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा वे ऐसा मानते हैं कि सभी वरिष्ठ नागरिकों को आय सुरक्षा तुरंत प्रदान करना अत्यावश्यक है। जो व्यक्ति अपने वरिष्ठ माता-पिता की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, उन्हें आयकर में छूट दिया जाना चाहिए।

10.17 प्रो० सुगन भाटिया, अध्यक्ष, इंडियन यूनिवर्सिटी एशोसिएसन फॉर कांटीनुईंग एजुकेशन, दिल्ली तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कोर समूह की सदस्य ने कहा कि देश के कई भागों में अकेले रह रहे एवं असहाय वरिष्ठ नागरिकों के मानव अधिकारों का हनन हो रहा है तथा ऐसे लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है। यह मामला धार्मिक मान्यता से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है क्योंकि उस उम्र में वरिष्ठ नागरिकों को संयासश्रम ले लेना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते उनसे उनकी सम्पत्ति एवं धन ले लिया जाता है तथा उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सेवा व वृद्धावस्था देखभाल देने के बहाने दूसरे शहर में छोड़ दिया जाता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि वृंदावन की विधवाओं का मामला जग जाहिर है। उसी प्रकार वरिष्ठ नागरिकों को निराश्रित एवं छोड़ दिया जाता है और यहां तक कि उनके प्राण तक हर लिए जाते हैं यदि वे अपनी सम्पत्ति (कैश और काइंड दोनों), सामाजिक या निर्वाचित प्रविष्टा इत्यादि अपने बच्चों के नाम नहीं करते।

10.18 मानव अधिकारों से जुड़े एक अन्य मुद्दे पर प्रो० भाटिया ने प्रकाश डाला जो परिवारों द्वारा दी जा रही मुफ्त देखभाल की प्रक्रिया है। मुफ्त में की जा रही देखभाल को डेवेलपमेंट पॉलिसी प्लानिंग प्रोसेसेस द्वारा मान्यता नहीं दी गई है तथा ये ऐसी देखभाल कर रहे लोगों के अहित में सामान्यतः कार्य करती है जो भारत में मुख्यतः परिवार की महिला सदस्य होती हैं। भीषण गरीबी एवं मानव अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष संपर्ककर्ता ने भी राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं से इस मुद्दे की गंभीरता पर संस्तुति की थी। प्रो० नायर द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर प्रो० भाटिया ने कर में छूट/रियायत की बात उन लोगों के लिए की जो लोग अपने घरों में बीमार बुजुर्ग लोगों की देखभाल कर रहे हैं।

10.19 श्री टी. आर. मीणा ने यह आश्वासन दिया कि वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने हेतु और खासकर जो गरीब और जरूरतमंद हैं, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय वो सभी प्रयास करेगा जिससे उन्हें आर्थिक तथा खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, आवास तथा 12वें पंच वर्षीय योजना में अन्य आवश्यकताओं सहित उत्पीड़न एवं अत्याचार से संरक्षण के लिए सभी सहयोग प्रदान करेगा। उन्होंने श्री एस. सी. सिन्हा, सदस्य को यह भी आश्वासन दिया कि वह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भेजे गए वरिष्ठ नागरिकों पर सुझावों को 2012 में सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय द्वारा आयोजित वरिष्ठ नागरिकों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी के कार्यवृत्त सहित भेजेंगे।

10.20 हेल्प एज इंडिया, नई दिल्ली की सुश्री अनुपमा दत्ता तथा अनुग्राहा, नई दिल्ली से आभा चौधरी भी ऐसी दो सदस्य थीं जिन्होंने उक्त बैठक में भाग लिया।

ख. वरिष्ठ नागरिकों पर राष्ट्रीय नीति, 2013 पर केन्द्रीय टिप्पणी मसौदे पर टिप्पणियां

10.21 सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय, भारत सरकार देश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए नोडल मंत्रालय है जो विभिन्न मंत्रालयों से उनके द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के सहयोग को उनसे संबद्ध कार्यक्रम में समन्वय करत है। वर्ष 1999 में यह वरिष्ठ नागरिकों पर राष्ट्रीय नीति (एन पी ओ पी, 1999) लेकर आया। भारत में बढ़ती आयु के महत्वपूर्ण भौगोलिक परिवर्तन की संभावना को देखते हुए होने वाली उभरती परेशानियाँ, तथा वर्तमान शताब्दी में जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी बदलाव हुए हैं जिनमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण विकास हुए हैं, को देखते हुए मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों पर राष्ट्रीय नीति, 1999 के संवीक्षा की आवश्यकता महसूस की गई थी जिससे बदलते परिवेश में वरिष्ठ नागरिकों की बेहतरी के लिए इसका फोकस पुनः निर्धारित किया जा सके। इसके फलस्वरूप मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों पर राष्ट्रीय नीति, 1999 की संवीक्षा के लिए वर्ष 2010 में एक समिति गठित की। समिति ने अपनी रिपोर्ट 31 मार्च, 2011 को प्रस्तुत की। समिति द्वारा प्रस्तावित किए गए मसौदे के आधार पर मंत्रालय ने इसका परीक्षण करवाकर तथा बाद में होने वाले विकास एवं विमर्श को ध्यान में रखते हुए नीति के मसौदे में उपयुक्त बदलाव कर इसे वरिष्ठ नागरिकों पर राष्ट्रीय नीति मसौदा, 2013 के रूप में प्रस्तुत किया। वर्ष 2013 की नीति का उद्देश्य है कि इससे वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन के आखिरी पड़ाव में एक बेहतर जिन्दगी सुनिश्चित की जा सके। नीति अनुमोदन उपरान्त वर्तमान में लागू वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय नीति, 1999 को प्रतिस्थापित करेगी।

10.22 चूंकि नीति मसौदा 2013 को सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय द्वारा आयोग को इसकी टिप्पणी हेतु अग्रेषित नहीं किया गया था, अतः आयोग ने गृह मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वे आयोग को वरिष्ठ नागरिकों पर राष्ट्रीय नीति, 2013 का केन्द्र टिप्पणी मसौदा अग्रेषित करें। इसे गृह मंत्रालय के मानव अधिकार प्रभाग से 20 फरवरी, 2014 को प्राप्त किया गया। आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों पर राष्ट्रीय नीति,

2013 का केन्द्र टिप्पणी मसौदे का परीक्षण कर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, खाद्य सुरक्षा एवं लोक वितरण प्रणाली, आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों में बुजुर्गों को रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल एवं पोषण, संरक्षा एवं सुरक्षा, तथा उनके कल्याण के संबंध में अपनी टिप्पणी दी और इसे मानव अधिकार प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को वरिष्ठ नागरिकों पर अंतिम राष्ट्रीय नीति में अंगीकार करने हेतु अग्रेषित किया।

ग. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार से संबंधित मामले

1. राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों को लागू न करना (मामला संख्या 85/30/0/2014)

10.23 आयोग की जानकारी में यह बात आई कि कुछ राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों को सही मायने में लागू नहीं किया जा रहा है जिससे वृद्ध माता-पिता वरिष्ठ नागरिकों को उपयुक्त लाभ नहीं मिल पा रहा है और जिससे उनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है।

10.24 भारत के संविधान में निहित एवं गारंटीत माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल एवं कल्याण के प्रावधानों को और प्रभावी बनाने के लिए इस अधिनियम को संसद द्वारा पारित किया गया था।

10.25 इस अधिनियम के तहत वरिष्ठ नागरिक अथवा कोई माता-पिता जो अपने आय अथवा सम्पत्ति से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, वह अपने बच्चों अथवा रिश्तेदार जिनके पास पर्याप्त स्रोत हैं से अपने भरण पोषण हेतु अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत आवेदन करने के हकदार हैं। यह भी प्रावधान है कि राज्य सरकार जिला समाज कल्याण अधिकारी अथवा कोई अधिकारी जो जिला समाज कल्याण अधिकारी से नीचे स्तर का न हो को देखभाल अधिकारी मनोनीत करेगी।

10.26 अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि राज्य सरकार गरीब वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल हेतु वृद्ध आश्रम भी खोलेगी।

10.27 अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार की यह भी जिम्मेदारी है कि वे सरकारी अस्पताल अथवा सरकार द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक रूप से पोषित अस्पताल जहां तक संभव हो पुराने, अन्त्य एवं हवासी बिमारियों के इलाज हेतु वरिष्ठ नागरिकों को बेड उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगी।

10.28 आयोग की जानकारी में यह बात भी सामने आई है कि उप-प्रभाग स्तर पर जिन अधिकारियों को जिम्मेदार दी गई थी उनके पास वरिष्ठ नागरिकों के मुद्दों को देखने के लिए समय ही नहीं है। अतः देखभाल अधिकारी के रूप में उप-प्रभाग स्तर पर पूर्ण कालिक अधिकारी की आवश्यकता है।

10.29 अतः आयोग ने इस मुद्दे का संज्ञान स्वप्रेरणा से लिया तथा अपनी कार्यवाही दिनांक 07.01.2014 से भारत के सभी राज्य के मुख्य सचिवों तथा केन्द्र शासित प्रदेश के सभी प्रशासकों को निर्देश दिया कि वे अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों पर अपने जवाब प्रस्तुत करें –

- (i) अधिनियम की धारा 7(1) के अंतर्गत आवश्यकता अनुरूप क्या राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने देखभाल अधिकरण गठित किया है।
- (ii) अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत आवश्यकता अनुरूप क्या राज्य सरकारों ने अपीलीय अधिकरण गठित किया है।
- (iii) अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत आवश्यकता अनुरूप क्या राज्य सरकारों ने वृद्ध आश्रम स्थापित किए हैं।
- (iv) अधिनियम की धारा 20(1) (2) (5) के अंतर्गत आवश्यकता अनुरूप क्या राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सीय सहायता सुनिश्चित की है।

10.30 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासकों द्वारा भेजी गई रिपोर्टें आयोग के समक्ष विचाराधीन हैं।

2. दिल्ली में बेघर लोगों के लिए आश्रय घर की कमी **(मामला संख्या 1/30/0/2014)**

10.31 आयोग के समक्ष एक समाचार रिपोर्ट आया जिसका शीर्षक था “बेघरों के लिए कोई आश्रय नहीं” जो 29 दिसम्बर, 2013 को ‘जागरण सिटी प्लस’ में प्रकाशित हुआ था। समाचार रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के फुटपाथों एवं पुलों के नीचे करीब 1.5 लाख गरीब लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दिल्ली के सिर्फ 7000 बेघर लोगों को आश्रय देने भर के लिए यहां सिर्फ 175 आश्रय गृह हैं वो भी मूलभूत अवसंरचना एवं साफ सफाई की परेशानी से जूझ रहे हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण की योजना अनुसार प्रत्येक 1 लाख आबादी के लिए एक रात्रि आश्रय गृह होना चाहिए लेकिन इस योजना को प्रभावी नहीं किया गया है। समाचार में यह भी कहा गया है कि सरकार के आदेशों के अंतर्गत मेट्रो शहरों में आश्रय गृह तापमान सामान्य से नीचे गिरने पर तत्काल क्रियाशील हो जाने चाहिए लेकिन दिल्ली में सामान्य तापमान से 4 डिग्री नीचे गिरने की स्थिति में भी आश्रय गृह सुनसान पड़े थे।

10.32 समाचार रिपोर्ट पर 2 जनवरी, 2014 को स्व:प्रेरणा से संज्ञान लेते हुए आयोग ने दिल्ली के बेघर लोगों की भयावह स्थिति जो खुले आसमान के नीचे रात गुजारते हैं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।

10.33 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में उप सचिव, गृह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिनांक 19.02.2014 के प्रमुख सचिवों, शहरी विकास विभाग एवं सामाजिक कल्याण विभाग तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, दिल्ली शहरी आश्रय विकास बोर्ड, नई दिल्ली को संबोधित प्रत्राचार की एक प्रति आयोग को

पृष्ठांकित की जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि वे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का रिपोर्ट भेजें। हालांकि, उन प्राधिकारियों से अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

3. आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक भूतपूर्व एसोसिएट प्रोफेसर को सेवानिवृत्ति हितलाभ का भुगतान न करना तथा प्रताड़ना (मामला संख्या 6522/30/8/2013)

10.34 आयोग ने डॉ० राजेश मोहन, भूतपूर्व एसोसिएट प्रोफेसर, आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज, दिल्ली से एक शिकायत प्राप्त की थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कॉलेज तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राधिकारों ने उनके सेवानिवृत्ति हितलाभ को रोक रखा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ये उनके साथ लगातार हो रही प्रताड़ना की अगली कड़ी है।

10.35 आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार, दक्षिण परिसर के निदेशक तथा आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज के कार्यवाहक आचार्य से रिपोर्ट की मांग की है।

10.36 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में दिल्ली विश्वविद्यालय के उप रजिस्ट्रार ने आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज के आचार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आयोग ने शिकायतकर्ता से उक्त रिपोर्ट पर उनकी टिप्पणी मांगी है।

10.37 शिकायतकर्ता की टिप्पणी पर विचार करने के पश्चात आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार, दक्षिण परिसर के निदेशक, गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष तथा आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज के आचार्य से निम्नलिखित बिन्दुओं पर रिपोर्ट की मांग की है :—

- (क) शिकायतकर्ता को जारी किए गए 'आरोप-पत्र' की एक प्रति के साथ आरोप-पत्र की स्थिति; आरोप-पत्र जारी करने की तिथि, यदि कोई है तो वह स्पष्ट रूप से अंकित करें।
- (ख) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा शिकायतकर्ता के सेवानिवृत्ति हितलाभ को रोकने के संबंध में क्या आदेश पारित किए गए हैं; यदि इस प्रकार के आदेश हैं, तो उनकी प्रतियां उपलब्ध कराएं।
- (ग) शिकायतकर्ता के भविष्य निधि, छुट्टी नकदीकरण के सञ्चाये पर रोक लगाने का कारण;
- (घ) प्राधिकारियों द्वारा बनाए गए सेवानिवृत्ति हितलाभ के परिकलन-पत्र जैसे कि उपदान, पेंशन, छुट्टी नकदीकरण, इत्यादि।
- (ङ) उठाए गए मुद्दों का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा टिप्पणी में वर्तमान स्थिति।
- (च) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा टिप्पणी पर विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा जवाब दिया गया है और संस्था के रिपोर्ट पर उठाए गए कदम भी बताएं।

10.38 उप रजिस्ट्रार, दिल्ली विश्वविद्यालय, दक्षिण परिसर, नई दिल्ली ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो आयोग के समक्ष विचाराधीन है।

4. मृत्यु के 31 वर्षों बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के चतुर्थ श्रेणी के एक कर्मचारी के परिवार को मरणांतक बकाए की अदायगी न करना (मामला संख्या 20804/24/24/2010)

10.39 शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसके पति का देहांत 08.11.1979 को उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग में कार्य करते हुआ था। उसका पुत्र उस समय नाबालिग था। शिकायत में कहा गया है कि न तो उसके पति की बकाया राशि का भुगतान किया गया है और न ही बार-बार अनुरोध करने के बावजूद उसके पुत्र को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दी गई।

10.40 आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव से तथ्यात्मक रिपोर्ट की मांग की है।

10.41 समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने आयोग द्वारा भेजे गए समन के जवाब में एक रिपोर्ट भेजी क्योंकि मांगी गई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो रही थी।

10.42 रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात आयोग ने पाया कि कर्मचारी 8 नवम्बर, 1979 को उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी के दौरान मारा गया एवं निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर उसके मरणांतक बकाए का भुगतान करने में 31 वर्ष लगा दिए। इसके अलावा कर्मचारी की सुरक्षा जमा, ₹0 3835 की छुट्टी भुगतान तथा पेंशन एवं उपदान पर कोई ब्याज नहीं दिया गया है। वास्तव में पेंशन उपदान इत्यादि को 13 अप्रैल, 2011 को मंजूर किया गया था लेकिन उसका भुगतान अभी नहीं हुआ है। समाज कल्याण विभाग ने मृतक के सगे संबंधी को नौकरी न देने के लिए उसे समय द्वारा बाधित एक केस बताया।

10.43 आयोग ने यह जानकर चिंता जाहिर की कि उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग में इस प्रकार की उदासीनता से सरकार के दूसरे विभागों में इसी प्रकार के मामलों पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है। आयोग ने पाया कि मृतक कर्मचारी के सगे संबंधियों के मानव अधिकारों के हनन का यह एक गंभीर मामला है तथा निर्देश दिया कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार कारण बताएं कि श्री पुत्तुलाल के सगे संबंधियों को मुआवजा क्यों न दिया जाए के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18(ए) के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए।

10.44 आयोग ने इसके अलावा मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वे प्रस्तुत करें :-

- (क) मृतक कर्मचारी के परिवार को पेंशन भुगतान का विस्तृत विवरण तथा उन्हें देय उपदान का भुगतान तुरंत करें।

- (ख) आयोग को इसके उपरांत बताएं कि मृतक के सगे संबंधियों को पेंशन, उपदान, भुगतान की गई राशि अथवा जिस राशि का भुगतान अभी मृतक कर्मचारी के परिवार को करना है पर 1979 से देरी से किए गए भुगतान पर क्या ब्याज दिया गया है।
- (ग) परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने के लिए क्या कार्रवाई की गई है।
- (घ) मामले की इस प्रकार की देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम व पदनाम बताएं तथा
- (ङ.) विभाग के लापरवाह कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कोई विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ की गई है।

10.45 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है जिसमें यह उल्लेख किया जाता है कि 13 दिसम्बर, 2013 को स्वर्गीय श्री पुत्तुलाल की पत्नी श्रीमती रामजीलाई को रु0 54,320 का भुगतान श्री पुत्तुलाल के सेवानिवृत्ति हितलाभों के भुगतान में हुई देरी के लिए ब्याज के रूप में दिया गया।

10.46 रिकॉर्डों के अवलोकन से आयोग ने 27 जनवरी, 2014 की अपनी कार्यवाही में पाया कि:

- (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वर्गीय श्री पुत्तु लाल के सेवानिवृत्ति हितलाभ के भुगतान पर हुई देरी के लिए ब्याज का परिकलन शीट प्रस्तुत नहीं किया है।
- (ख) उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की रिपोर्ट ने सुश्री नीलम अहलावत, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विरोधाभास एवं तथ्यों को छुपाने पर किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं डालती जिससे उन्होंने तथ्यात्मक रूप से गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करके आयोग को भ्रमित किया।
- (ग) स्वर्गीय श्री पुत्तुलाल के सेवानिवृत्ति बकाए के भुगतान के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को राज्य सरकार ने चिन्हित नहीं किया है तथा
- (घ) स्वर्गीय श्री पुत्तुलाल के सगे संबंधियों को सेवानिवृत्ति हितलाभ 31 वर्षों के बाद मिला तथा उन्हें गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के अधिकार से वंचित रखा गया तथा यह मानव अधिकारों के हनन का एक गंभीर मुद्दा है।

10.47 अतः आयोग ने स्वर्गीय श्री पुत्तुलाल के सगे संबंधियों को रु0 50,000/- भुगतान करने की संस्तुति किया है।

10.48 आयोग ने तत्कालीन विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 16 के अंतर्गत यह भी निर्देश दिया कि वे कारण बताएं कि आयोग उत्तर

प्रदेश सरकार से उनके विरुद्ध आयोग को गुमराह करने हेतु गलत सूचना देने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने की सिफारिश क्यों न करे।

10.49 राज्य सरकार से जवाब की प्रतीक्षा की जा रही है।

**5. उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं सिविल आपूर्ति विभाग के कर्मचारी को सेवानिवृत्ति हितलाभ देने में अत्यधिक देरी
(मामला संख्या 42812/24/3/2012)**

10.50 आयोग ने जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश निवासी नगेन्द्र नारायण मिश्र से एक शिकायत प्राप्त की जिसमें उन्होंने उन्होंने कहा था कि वे 31 मई, 2010 को खाद्य एवं सिविल आपूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से सेवानिवृत्त हुए तथा संबंधित प्राधिकारियों से बार-बार अनुरोध करने के बाद भी उनकी जी पी एफ राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

10.51 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में उप महालेखाधिकारी (प्रशासन), महालेखाधिकारी का कार्यालय (लेखा एवं हकधारिता-1), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने दिनांक 24.06.2013 के अपने रिपोर्ट से सूचित किया है कि शिकायतकर्ता के जी पी एफ खाते के समाधान मामले को जिला आपूर्ति अधिकारी, बुलंदशहर से 17.06.2013 को प्राप्त करने के पश्चात् दिनांक 21.06.2013 को जिला आपूर्ति अधिकारी, बुलंदशहर को एक पत्र भेजा गया था जिसमें शिकायतकर्ता के जी पी एफ खाते में कुल धन रु0 9,03,593 के 90: का भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। जिला आपूर्ति अधिकारी, बुलंदशहर से यह भी अनुरोध किया गया था कि सीडीए 10: जी पी एफ का मामला अंतिम भुगतान के लिए महालेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश को भेजें। दिनांक 21.06.2013 के पत्र जिसमें जी पी एफ के 90: राशि का भुगतान करने का प्राधिकार दिया गया था की एक प्रति संलग्न है।

10.52 जिला आपूर्ति अधिकारी, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश ने दिनांक 27.06.2013 की एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि श्री नगेन्द्र नारायण मिश्र, सेवानिवृत्त आपूर्ति निरीक्षक ने अपना जी पी एफ पासबुक अलीगढ़, मेरठ एवं सहारनपुर जिलों से अपडेट कराने के लिए ले गए थे। उन्होंने कार्यालय में 15 मई, 2013 को जी पी एफ पासबुक जमा किया एवं 11 जून, 2013 को कुछ अन्य आवश्यक दस्तावेज भेजे।

10.53 जी. पी. एफ. पासबुक तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति पर कार्यालय ने सभी प्रविष्टियों को पूरा करने में त्वरित कार्रवाई की उसे संस्वीकृति हेतु विशिष्ट संदेशवाहक द्वारा भेजा।

10.54 महालेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 21.06.2013 के भुगतान आदेश की प्राप्ति के पश्चात् मामले को वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मेरठ को भेजा गया था जिन्होंने शिकायतकर्ता को 27.06.2013 को उनके खाते में रु0 8,13,234 जमा करवाए।

10.55 शिकायतकर्ता श्री नगेन्द्र नारायण मिश्र ने दिनांक 06.07.2013 के अपने पत्र द्वारा सूचित किया कि उन्होंने जी पी एफ खाते के संबंध में 27.06.2013 को रु0 8,13,234 प्राप्त किया। अब उन्हें इस मामले में विभाग से कोई शिकायत नहीं है।

10.56 उप महालेखाधिकारी (प्रशासन) ने दिनांक 23.07.2013 की अपनी रिपोर्ट द्वारा यह भी सूचित किया है कि शिकायतकर्ता के उसके जी पी एफ पर जून, 2013 तक ब्याज सहित रु0 2,49,654 देय राशि महालेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा भुगतान हेतु दिनांक 12.07.2013 को जिला आपूर्ति अधिकारी, बुलंदशहर को प्राधिकार पत्र द्वारा जारी कर दी गई थी। उक्त संस्वीकृति पत्र की एक प्रति संलग्न है।

10.57 अवर सचिव, खाद्य एवं सिविल आपूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ने दिनांक 16.08.2013 के अपने रिपोर्ट से यह समझाया है कि श्री नगेन्द्र नारायण मिश्र, सेवानिवृत्त आपूर्ति निरीक्षक के जी पी एफ राशि के भुगतान में देरी शिकायतकर्ता के स्वयं के कारण हुई क्योंकि वह मई, 2013 तक अपनी जी पी एफ पासबुक अपडेट नहीं करवा पाया था। जैसे ही श्री मिश्र ने जी पी एफ पासबुक सहित आवश्यक दस्तावेज जमा किए, विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महालेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र के अंतर्गत वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मेरठ क्षेत्र द्वारा 27.06.2013 को रु0 8,13,234 का भुगतान शिकायतकर्ता को कर दिया गया।

10.58 आयोग ने मामले पर समय-समय पर विचार करते हुए 3 फरवरी, 2014 की अपनी कार्यवाही में पाया तथा निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता के जी पी एफ राशि के भुगतान में हुई देरी को जिला आपूर्ति अधिकारी, बुलंदशहर तथा उप सचिव, खाद्य एवं सिविल आपूर्ति विभाग, राज्य सरकार ने पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है। आयोग ने निर्देश दिया कि उप महालेखाधिकारी (प्रशासन), महालेखाधिकारी का कार्यालय (लेखा एवं हकदारिता-1) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के दिनांक 23 जुलाई, 2013 के पत्र की एक प्रति के साथ अंतिम भुगतान पत्र दिनांक 12 जुलाई, 2013 को शिकायतकर्ता को सूचनार्थ भेजा जाए। जिला आपूर्ति अधिकारी, बुलंदशहर को निर्देश दिया गया कि वे शिकायतकर्ता के खाते 10: जी पी एफ राशि रु0 2,49,564 का भुगतान जल्द से जल्द कराना सुनिश्चित करें। इन निर्देशों के साथ आयोग ने इस मामले को बंद कर दिया।

6. मरणांतक हितलाभ निपटारे में अत्यधिक देरी (मामला संख्या 1529/1/2011)

10.59 शिकायतकर्ता ने एक प्रेस रिपोर्ट की प्रति अग्रेषित की जिसमें कहा गया था "रिकॉर्ड में व्यक्ति गोली से मरा, वृद्धावस्था पेंशन रोकी गयी", जो ट्रिब्यून, दिल्ली में 13 सितम्बर, 2012 को प्रकाशित हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार, मंगत राम, गांव-पनोड़ी, जिला-करनाल की वृद्धावस्था पेंशन फरवरी, 2010 में रोक दी गई और जब वह चंडीगढ़ के पेंशन एकक गया तो उसे पता चला कि सरकारी रिकॉर्ड में मृत बताया गया है।

10.60 आयोग ने इस मामले में उप-आयुक्त, करनाल, हरियाणा से रिपोर्ट की मांग की है।

10.61 चूंकि मांगी की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो रही थी, आयोग ने उप आयुक्त, करनाल, हरियाणा को समन जारी किया।

10.62 समन के जवाब में उप आयुक्त, करनाल ने बताया कि मंगत राम को अप्रैल, 2012 तक पेंशन संस्वीकृत की गई थी। उन्होंने इसके बाद बताया कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, करनाल ने बताया है कि ब्लाक विकास एवं पंचायत अधिकारी, घरौंदा से अनुरोध किया गया है कि वे पनोड़ी गांव के नम्बरदार बनारसी दास एवं चौकीदार नारत राम को मंगत राम को ए पी आर में मृत दिखाने के लिए उन दोनों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारम्भ करें।

10.63 रिकॉर्ड पर सामग्री पर विचार करने पर आयोग ने पाया कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, करनाल की रिपोर्ट ने दर्शाया कि पीड़ित को फरवरी, 2010 से मार्च, 2012 तक वृद्धावस्था पेंशन नहीं दी गई है। आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (a) (i) के अंतर्गत मुख्य सचिव, हरियाणा को नोटिस जारी कर पूछा कि मंगत राम को आर्थिक सहायता क्यों न दी जाए।

10.64 मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को यह भी निर्देश दिया गया था कि वे सुनिश्चित करें कि शिकायतकर्ता को फरवरी, 2010 से मार्च 2012 के अवधि की वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान किया जाए एवं आयोग को अनुपालन रिपोर्ट भेजें।

10.65 संयुक्त निदेशक, पेंशन, हरियाणा सरकार ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट दिनांक 11 फरवरी, 2013 प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने बताया कि फरवरी, 2010 से अप्रैल, 2012 तक की बकाया पेंशन रु0 13,600 की राशि शिकायतकर्ता को दे दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि वेबसाइट पर इंट्रीय करने की प्रक्रिया समाप्त हो गई थी इसलिए श्री मंगत राम की पेंशन रुक गई थी।

10.66 आयोग ने राज्य सरकार द्वारा दिए गए जवाब पर असंतोष व्यक्त किया तथा दिनांक 18 नवम्बर, 2013 के अपने कार्यवाही में सिफारिश की कि मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के मार्फत श्री मंगत राम को रु0 10,000 का हर्जाना दिया जाए।

10.67 आयोग के सिफारिश के अनुपालन के उपरान्त दिनांक 6 मार्च, 2014 की अपनी कार्यवाही में आयोग ने यह मामला बंद कर दिया।

.....

अशक्त व्यक्तियों के अधिकार

11.1 ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 65 करोड़ लोग, संसार की जनसंख्या का 10%, अशक्त हैं। आठ प्रतिशत विकासशील देशों में रहते हैं। इनमें से अधिकतर को भेदभाव, अपवर्जन, अकेलापन तथा प्रताड़ना तक सहना पड़ता है। कई अशक्त व्यक्तियों को घोर गरीबी, संस्थाएँ जहाँ न शिक्षा है और न ही रोजगार के अवसर हैं वहाँ रहना पड़ता है तथा कई अन्य प्रकार की परेशानियों से जूझना पड़ता है। भारत समेत कुछ देशों में ऐसे कई मामलों में उन्हें सम्पत्ति रखने के अधिकार से वंचित रखा जाता है तथा यह बहुत असाधारण बात नहीं है जब उन्हें स्वयं के बारे में निर्णय लेने से रोका जाता है। वे जिस प्रकार के भेदभाव झेलते हैं, वह वृहद हैं तथा किसी विशेष भू-भाग से संबद्ध न होकर वे जीवन तथा समाज के सभी वर्ग को प्रभावित करते हैं।

11.2 मई 2008 में सशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर समागम तथा इसके ऐच्छिक प्रोटोकाल के लागू होने से सभी अशक्त व्यक्तियों के सभी मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के संवर्धन, संरक्षण सुनिश्चित करने तथा उनमें अंतर्निहित गरिमा के संवर्धन का आदर करने के लिए एक नई पीढ़ी का प्रारम्भ है (अनुच्छेद-1)। हालांकि अशक्त व्यक्तियों को भी वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो की किसी अन्य व्यक्ति को, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत उनके अधिकारों को बाध्यकारी बनाया गया है।

11.3 समागम का विकास अशक्तता तथा अशक्त व्यक्तियों को देखने के रवैये में बदलाव को दर्शाता है। ऐतिहासिक रूप से अशक्तता को व्यक्ति के भीतर एक वैयक्तिक स्थिति माना जाता था। वैयक्तिक कमी के रूप में इसे इस रूप में देखा जाता था कि “अशक्त” होने का अभिप्राय कुछ लोगों के लिए उनका नियमित स्कूल न जा पाना, नौकरी न प्राप्त कर सकना अथवा सामाजिक जीवन में भाग न ले पाने से था। जब अशक्तता को इस रूप से देखा जाता है तो समाज की प्रतिक्रिया दो विकल्पों में से सिर्फ एक तक सीमित रह जाती है : व्यक्तियों का इलाज दवाईयों अथवा पुनर्वास से किया जा सकता है (चिकित्सीय विकल्प); अथवा उनकी देखभाल खैरात अथवा कल्याण कार्यक्रमों से की जा सकती है (खैराती विकल्प)।

11.4 पिछले कुछ दशकों में अशक्तता को समझने में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अब मुख्य बात यह नहीं रह गई है कि व्यक्ति के साथ गलत है। इसके बजाए अशक्तता को ऐसे जाना जाता है जो व्यक्ति के द्वारा वैसे वातावरण से वार्तालाप को दर्शाता है जो उस व्यक्ति की भिन्नता को अपने में स्थान नहीं दे सकता तथा समाज में उस व्यक्ति की भागीदारी को रोधक बनाता है। इस विकल्प को अशक्तता का मानव अधिकार मॉडल कहा जाता है। अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर समागम इस मॉडल को मानता है तथा इसे एक मानव अधिकार मुद्दे के रूप में मान्यता देकर आगे ले जाना चाहता है।

11.5 इस परिप्रेक्ष्य से अशक्त व्यक्तियों द्वारा उनके अधिकारों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में बाधक सामाजिक, कानूनी, आर्थिक, राजनैतिक तथा पर्यावरणीय स्थितियों को पहचान कर दूर करने की आवश्यकता

है। उदाहरण स्वरूप, उनका शिक्षा से हाशिए पर ढकेला जाना तथा दूर किया जाना उनके सीखने की अक्षमता का कारण नहीं है बल्कि यह अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण अथवा कक्षा तक न पहुँच पाना है; श्रम मार्केट से उनकी अनुपस्थिति उनके कार्य स्थल तक परिवहन के अभाव के कारण हो सकती है अथवा नियोक्ता एवं साथियों के नकारात्मक रवैये से हो सकती है कि आशक्त व्यक्ति कार्य करने में अक्षम होता है; तथा उनकी लोक कार्यों में भागीदारी की कमी ब्रेल अथवा आशक्त व्यक्तियों द्वारा वोटिंग बूथ पर न पहुँच सकने जैसे इलेक्टोरल सामग्री की कमी तक पहुँच न हो पाने से होती है।

11.6 अशक्तता को मानव अधिकार की दृष्टि से देखने के लिए राज्यों तथा समाज के सभी वर्गों द्वारा सोच तथा कार्य करने में विकास की आवश्यकता होती है जिससे अशक्त व्यक्तियों को खैरात प्राप्त करने वाले अथवा दूसरों के निर्णयों पर आश्रित रहने वाले नहीं बल्कि अधिकारों को रखने वालों के रूप में देखा जाए। अधिकार आधारित दृष्टिकोण सम्मान, सहयोग तथा मानव अनेकता को उल्लासित करने के उपाय अशक्त व्यक्तियों सहित कई लोगों के अर्थपूर्ण सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए स्थिति का निर्माण करना है। उनके अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन उन्हें सिर्फ अशक्तता संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना ही नहीं है। ये ऐसे अभिवृत्तियों तथा व्यवहारों को बदलने के तरीके अपनाना है जिससे अशक्त व्यक्तियों को कलंकित एवं हाशिए पर ढकेलती हैं। ये नीतियों, कानून तथा कार्यक्रमों को दूरस्त करना है जिससे अशक्त व्यक्तियों को उनके सिविल, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक अधिकारों को प्राप्त करना सुनिश्चित हो सके एवं बाधाएं हटाई जा सकें। अधिकारों का सही मायने में आनन्द लेने के लिए नीतियों, कानूनों तथा कार्यक्रमों को बदलना होगा जो अधिकारों को सीमित करते हैं। इसके अलावा जिस प्रकार समाज कार्य करता है तथा अशक्त व्यक्तियों को समाज में पूर्ण रूप से सम्मिलित होने के लिए रोकने वाले व्यवधानों को तोड़ने के लिए कार्यक्रमों, जागरुकता फैलाने तथा सामाजिक सहयोग की आवश्यकता है। इसके अलावा, अशक्त व्यक्तियों को समाज में पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान किए जाने चाहिए तथा उनके अधिकारों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साधन दिए जाने चाहिए।

11.7 भारत का संविधान सभी व्यक्तियों को समता, स्वतंत्रता, न्याय तथा गरिमा का अधिकार देता है जिसका अर्थ यह है कि सभी एवं विशेषकर जो सुविधाओं से वंचित हैं उनको एक समावेशित समाज मिल सके। संवैधानिक प्रावधानों के अलावा अशक्तता के विभिन्न पहलुओं पर तीन अधिनियम हैं, जो की – (i) भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 (ii) अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहयोग) अधिनियम, 1995 तथा (iii) स्वलीनता, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहुअशक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 हैं।

11.8 अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग गंभीर रूप से सचेत एवं संलग्न है। इसका दृढ़ निश्चय है कि अशक्त व्यक्ति दूसरों की भांति सभी मानव अधिकारों का आनन्द ले सकें। इस दिशा में, अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों से निपटने के लिए एक बहु उद्देशिय उपाय अपनाया है। पहला, इसने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वे अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों

का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को अंगीकार कर ठीक प्रकार कार्यान्वित कराएं। दूसरा, इसने व्यक्तिगत शिकायतों को निपटाया है। तीसरा, इसने अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों की जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास किए हैं।

11.9 पूर्व में आयोग ने अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र उद्घोषणा, 2006 (यू एन सी आर पी डी) के मसौदे को तैयार करने में एक अत्यंत सक्रिय भूमिका निभाई थी। यह उद्घोषणा अशक्तता को परिभाषित करने एवं समझने में एक मूलभूत बदलाव करती है जो चिकित्सीय एवं खैराती दृष्टि से हटकर मानव अधिकार आधारित तरीके पर अपना फोकस केन्द्रित करती है। भारत सरकार ने यू. एन. सी. आर. पी. डी. का अनुसमर्थन 1 अक्टूबर, 2007 को किया लेकिन इसके वैकल्पिक प्रोटोकाल का अनुसमर्थन अभी शेष है।

11.10 रिपोर्ट के अधीन अवधि में आयोग द्वारा केन्द्रिय किए गए गतिविधियों का ब्यौरा उत्तरावर्ती पैरा में है।

क. अशक्तता पर कोर समूह की बैठक

11.11 आयोग ने प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ अशक्तता पर एक कोर समूह गठित किया है। इस कोर समूह का मुख्य उद्देश्य है – (i) अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की उद्घोषणा में उल्लिखित अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में समय-समय पर आयोग को सुझाव देने के साथ-साथ क्रियान्वयन में कोई कमी, यदि कोई हो, (ii) केन्द्र तथा राज्यों द्वारा गठित फोकल प्वाइंट/समन्वय प्रणाली के प्रकार्य का अध्ययन तथा अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आयोग को सुधार सुझाएं तथा (iii) अशक्त व्यक्तियों के मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा वर्ष 1993 से दिए गए संस्तुतियों का पुनरीक्षण।

11.12 अशक्तता विभाग, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यू एन सी आर पी डी के प्रावधानों के प्रकाश में अशक्त व्यक्तियों का अधिकार बिल, 2012 के तैयार मसौदे पर चर्चा करने के लिए कोर समूह की एक बैठक 20 अगस्त, 2013 को आयोग में आयोजित की गई थी। यह बिल यदि अंगीकार कर लिया जाता है तो अशक्त व्यक्ति (समान अधिकार, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 को प्रतिस्थापित करेगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपनी टिप्पणी/सुझाव तैयार कर लिया था तभी अशक्तता विभाग ने 2012 अशक्तता बिल में बदलाव किए एवं इन्हें सार्वजनिक करने से पहले दिसम्बर, 2013 में मंत्रिमण्डल से बिल पास करवाकर संसद के समक्ष रख दिया। अशक्त व्यक्तियों का अधिकार बिल, 2013 को संसद में 2014 में प्रस्तुत किया गया था। हालांकि बिल को संसदीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण स्थायी समिति को भेजा गया है।

ख. कुष्ठ रोग पर जागरूकता कार्यक्रम

11.13 आयोग द्वारा की गई एक और पहल कुष्ठ रोग पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना था जिसे

दिल्ली स्थित गैर-सरकारी संगठन, सासाकावा इंडिया लेप्रोसी फाउंडेशन (एस आई एल एफ) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम, जैसा कि इसका नाम यंग पार्टनर्स प्रोग्राम है, का मुख्य उद्देश्य कुष्ठ रोग के बारे में स्कूल के प्रधानाचार्य, शिक्षकों तथा बच्चों को संवेदित करना था। यह कार्यक्रम विभिन्न चरणों में आयोजित किया गया। पहले चरण में 20 सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों तथा वरिष्ठ शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में एक संवेदनशील कार्यशाला भी सम्मिलित थी। दूसरा चरण दिल्ली के चिन्हित सरकारी स्कूलों के कक्षा VII तथा IX के छात्रों को संवेदित करने हेतु समर्पित था। संवेदन कार्यक्रम में संबंधित आई. ई. सी. सामग्री के प्रसार, एक चलचित्र को दिखाया जाना तथा कुष्ठ रोग पर एक पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन तथा इसे किस प्रकार मिटाया जा सकता है, सम्मिलित थे। पोस्टर प्रतियोगिता के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा एस. आई. एल. एफ. ने सामग्री उपलब्ध कराई तथा उत्कृष्ट पोस्टरों को पुरस्कार दिया गया एवं उन्हें डिस्प्ले बोर्ड पर लगाया गया। इस पूरे प्रयास में 20 सरकारी स्कूलों से करीब 2,000 छात्रों ने भाग लिया।

ग. कुष्ठ रोग के खिलाफ वैश्विक अपील में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष ने जकारता का दौरा किया

11.14 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री के. जी. बालाकृष्णन ने कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों से भेदभाव एवं कलंक समाप्ति के लिए 2014 वैश्विक अपील 27 जनवरी, 2014 के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए जकारता, इंडोनेशिया का दौरा किया। इस वैश्विक अपील को 39 देशों एवं क्षेत्रों के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं का समर्थन प्राप्त था। निपॉन फाउंडेशन के अध्यक्ष, योही सासाकावा जो 2006 से इन अपीलों को जन जागरूकता बढ़ाने एवं विश्व के नेताओं, कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के प्रतिनिधियों, तथा मानव अधिकारों से सरोकार रखने वाले संगठनों से सहयोग प्राप्ति के लिए चला रहे हैं।

घ. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा देखे गए अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के मामलों का विवरण

1. 55 वर्षीय मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को बिना उपचार जंजीर में बांध कर गांव अंबागुड़ा, जिला नबरंगपुर, ओड़िशा में रखना (मामला संख्या 3847/4/27/2013)

11.15 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष सम्पर्ककर्ता, पूर्वी क्षेत्र-I, श्री दामोदर षडंगी ने एक उड़िया दैनिक "समाज" में 10 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित समाचार रिपोर्ट की अनूदित प्रति अग्रेषित की। आरोप लगाया गया था कि मानसिक रूप से बीमार एक व्यक्ति जिनका नाम श्री बासू मांझी, उम्र 55 वर्ष, निवासी-गांव-अंबागुड़ा, जिला नबरंगपुर को पिछले 10 वर्षों से जंजीर में बांधकर बिना किसी उपचार के रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार, श्री बासु का परिवार भीषण गरीबी से जूझ रहा है तथा श्री बासु के उपचार के लिए सरकार से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं की है। विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत लाभ को भी इस परिवार को नहीं दिया गया है।

11.16 विशेष सम्पर्ककर्ता, श्री षडंगी द्वारा अग्रेषित की गई समाचार रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने अपनी कार्यवाही दिनांक 15 अक्टूबर, 2013 में ओड़िशा सरकार के मुख्य सचिव को रिपोर्ट की मांग की है।

11.17 आयोग के निदेश के अनुपालन में नबरंगपुर के जिला कलेक्टर ने दिनांक 2 दिसम्बर, 2013 को अपनी रिपोर्ट भेजी। ओड़िशा सरकार के गृह विभाग के विशिष्ट सचिव ने जिला कलेक्टर की रिपोर्ट की प्रति भी अग्रेषित की जिसमें बताया गया है कि श्री बासू मांझी उर्फ गोण्डा अपनी पत्नी, एक विवाहित पुत्र एवं दो नाबालिग पुत्रियों के साथ रहता था। हालांकि वह पिछले 10 वर्षों से मानसिक रूप से अस्वस्थ है लेकिन लगभग 8 वर्षों तक उसने किसी को परेशान नहीं किया। हालांकि पिछले दो वर्षों से वह लोगों पर हमला तथा निजी मकानों को क्षति पहुंचाने लगा था। लोगों एवं निजी मकानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तथा उसे सड़क दुर्घटना इत्यादि से बचाने के लिए श्री बासु मांझी के पुत्र ने उसे जंजीर में बांध दिया। यह भी बताया गया था कि श्री बासु अपने पुत्र एवं परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल तथा निगरानी में था एवं उसे प्रत्येक दिन उनके साथ उसके कृषि भूमि पर भी ले जाया जाता था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि श्री बासु मांझी 7.16 एकड़ के कृषि भूमि के मालिक हैं तथा उनका खुद का एक पक्का मकान है तथा उन्हें निःशुल्क चिकित्सीय उपचार के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड दिया गया है। उन्हें ए. ए. वाई. कार्ड भी दिया गया था जिससे उन्हें हर माह 35 किलोग्राम चावल मिलता है। उन्हें इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत खण्ड विकास अधिकारी द्वारा एक घर की मंजूरी दी गई है।

11.18 रिपोर्ट आयोग के समक्ष विचाराधीन है।

2. **बिहार के पुरनिया जिले में राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को पीटना**

(मामला संख्या 3847/4/27/2013)

11.19 “द हिन्दुस्तान टाइम्स” अंगरेजी दैनिक के दिनांक 24.10.2013 अंक में एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसका शीर्षक था “बिहार राजकीय रेलवे पुलिस ने मानसिक रूप से बीमार एक व्यक्ति को पीटा”। समाचार रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि ज्ञानेन्द्र चौधरी, उम्र 40 वर्ष एवं जो मानसिक रूप से बीमार हैं को पुनरिनिया में रेलवे लाइन पार करते समय चोट लग गई थी। राजकीय रेलवे पुलिस कर्मी उसे जिला अस्पताल ले गए। हालांकि, वह अस्पताल से भाग गया एवं खोजबीन के दौरान 400 मीटर दूरी पर स्थित सड़क के किनारे वाले मंदिर पर राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मियों द्वारा पाया गया। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि राजकीय रेलवे पुलिस कर्मियों ने उसे बेरहमी से पीटा एवं घसीटकर अस्पताल वापस ले आए। रिपोर्ट के अनुसार उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि वह चल भी नहीं पा रहा था।

11.20 उपर्युक्त समचार रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने दिनांक 30.10.2013 की अपनी कार्यवाही में कहा कि रिपोर्ट की सामग्री मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के मानव अधिकार के हनन का एक गंभीर मुद्दा है तथा मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को नोटिस जारी किया।

11.21 आयोग के नोटिस के जवाब में पुलिस महानिरीक्षक, बिहार, पटना से एक रिपोर्ट प्राप्त हुआ है जो आयोग के समक्ष विचाराधीन है।

**3. राम लाल आनंद कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक विकलांग प्रोफेसर के जीवन, स्वतंत्रता तथा गरिमा से संबंधित मानव अधिकारों का हनन
(मामला संख्या 5920/30/4/2013)**

11.22 दिल्ली विश्वविद्यालय के एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर, श्री मनोरंजन मोहंती तथा "मेनस्ट्रीम" साप्ताहिक के सम्पादक, श्री सुमित चक्रवर्ती ने आयोग के समक्ष एक शिकायत के साथ प्रस्तुत हुए जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के राम लाल आनंद कालेज के प्रोफेसर जो विकलांग हैं, डॉ० जी. एन. साईबाबा के मानव अधिकारों के हनन की बात उठाई है। यह आरोप लगाया गया था कि दिल्ली एवं महाराष्ट्र पुलिस कर्मियों की एक टीम संयुक्त रूप से 12 सितम्बर, 2013 को डॉ० जी. एन. साईबाबा के निवास पर छापा मारा क्योंकि उन्हें शक था कि उनके संबंध प्रतिबंधित नक्सलियों से हैं। पुलिस टीम ने उनका लैप टॉप, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, किताबें एवं पेन ड्राइव बिना सील बन्द किए हुए ले लिया जिसमें उनके शोध से संबंधित कार्य थे। यह भी आरोप लगाया गया था कि उनके घर के बाहर पुलिस कर्मियों को सादे वस्त्र में लगाया गया था जिससे उनपर निगरानी रखी जा सके, जिससे उनका परिवार डर के साये में रहता था। शिकायत के साथ दिनांक 17.09.2013 का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अंतर्गत नोटिस की एक प्रति भी संलग्न थी जिसमें अहेरी जिला, गढ़चोली, महाराष्ट्र के एस डी पी ओ ने कहा था कि उन्हें इस नोटिस की प्राप्ति के आठ दिन के भीतर दिल्ली के बाहर कहीं भी अथवा नागपुर में पूछताछ के लिए उपस्थित होना है।

11.23 शिकायत के अवलोकन पर आयोग ने अपनी कार्यवाही दिनांक 22.10.2013 में पाया कि पीड़ित के जीवन, स्वतंत्रता तथा गरिमा से संबंधित मानव अधिकारों के हनन के आरोप में आयोग द्वारा अंतःक्षेप की आवश्यकता है। आयोग ने यह भी पाया कि पीड़ित एक विकलांग व्यक्ति है जो 90: विकलांग है जैसा कि शिकायत में कहा गया है तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 160 में हए हालिया संशोधन में "पंद्रह वर्ष से कम उम्र अथवा महिला" शब्दों को "अट्ठारह वर्ष से कम उम्र अथवा पैंसठ वर्ष से ज्यादा उम्र अथवा महिला अथवा शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अशक्त व्यक्ति" से हटाया गया है अतः संबंधित एस डी पी ओ द्वारा डॉ० जी. एन. साईबाबा को पूछताछ के लिए दिल्ली से बाहर नहीं बुलाना चाहिए था।

11.24 आयोग ने निर्देश दिया कि पुलिस आयुक्त, दिल्ली तथा पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र को नोटिस जारी कर इस मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा जाए।

11.25 प्राधिकारियों से प्राप्त जवाब पर आयोग विचार कर रहा है।

**4. कुपोषण एवं चिकित्सीय सहायता के अभाव में पश्चिम बंगाल के खानाबदोश गृह के 32 निवासियों की पांच माह की अवधि में मृत्यु
(मामला संख्या 694/25/13/2013)**

11.26 श्री तपस कुमार रे ने अपनी शिकायत दिनांक 04.06.2013 के माध्यम से आयोग का ध्यान पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल खानाबदोशी अधिनियम, 1943 के अंतर्गत स्थापित किए गए 7 खानाबदोश गृहों के हाल की ओर आकृष्ट किया। शिकायतकर्ता ने आनंद बाजार पत्रिका में दिनांक 02.06.2013 को प्रकाशित हुए एक प्रेस क्लिप को संलग्न करते हुए दावा किया है कि महालांदी पागल खानाबदोश गृह, जिला मुरशीदाबाद, पश्चिम बंगाल में 5 माह की अवधि के भीतर 21 पुरुष एवं 11 महिलाओं सहित 32 निवासियों की मौत कुपोषण तथा चिकित्सीय सहायता के अभाव में हो गई है।

11.27 आयोग ने अपने महानिदेशक (अन्वेषण) से अनुरोध किया कि वे खानाबदोश गृहों के मौके पर जांच के लिए एक टीम निर्धारित करवाकर छः सप्ताह के भीतर मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

11.28 आयोग की पूछताछ टीम ने पाया :

- (i) ज्यादातर मानसिक रूप से बीमार, मानसिक रूप से अशक्त, वृद्ध, कमजोर एवं अकेले लोगों को पुलिस उठाती है तथा उन्हें मजिस्ट्रेट द्वारा खानाबदोश घोषित किया जाता है। बिना पुनर्वास, उचित चिकित्सीय अथवा मानसिक अथवा दिमागी उपचार के गृह में खानाबदोश अपनी मृत्यु होने तक रहते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले थे जिनमें गृह के निवासी उसमें 20 वर्षों से ज्यादा समय से रह रहे थे।
- (ii) मानसिक रूप से बीमार/अशक्त व्यक्ति करीब-करीब सभी खानाबदोश गृहों में रहते हैं। यह मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 तथा सर्वोच्च न्यायालय के कई आदेशों का उल्लंघन है; यह मानव अधिकारों का घोर हनन है।
- (iii) गृहों की जमीनी हालत खेदजनक एवं भयानक है।
- (iv) व्यक्तिगत साफ सफाई एवं देखभाल नदारद है। अधिकतर निवासी गंदे व फटे हुए यूनीफार्म पहनते हैं, कुछ नंगे थे क्योंकि कपड़े नियमित रूप से वितरित नहीं होते। महालांडी खानाबदोश गृह पर टीम ने पाया कि उनके दौरे के तीन दिन पहले (कमीज एवं कच्छे) वितरित किए गए थे।
- (v) उचित बिस्तर भी उपलब्ध नहीं है। अधिकतर निवासी जमीन पर बिना किसी बिछौने या दरी के सोते हैं। एक गृह में टीम के दौरे के तीन दिन पहले ही निवासियों को दरियाँ दी गई थीं।
- (vi) डारमिटरी, रसाई घर, शौचालय एवं आस-पास की जगहें गंदी, खराब व खेदजनक स्थिति में थीं।
- (vii) खाना बनाने व परोसने की स्थिति इतनी गंदी थी कि जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। इन गृहों में खाना बनाने व परोसने में मानवीय स्पर्श बिल्कुल नदारद था।
- (viii) पीने के स्वच्छ पानी का कोई प्रावधान नहीं है। इसके फलस्वरूप वर्ष 2012 में ढकुरिया गृह में ही कॉलरा से कई निवासी मर गए।
- (ix) सभी खानाबदोश गृह क्षमता से ज्यादा भरे हुए हैं।

- (x) सभी गृहों में कुशल स्टॉफ की अत्यधिक कमी है।
- (xi) व्यवहारिक रूप से खानाबदोश गृहों में पुनर्वास की सुविधा न के बराबर है। समाज में उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए वहां पर वोकेशनल अथवा जीवन कुशलता प्रशिक्षण न्यूनतम है।
- (xii) कुछ ही खानाबदोश जिनके परिवार का पता चल पाया है तथा वे उन्हें स्वीकार करना चाहते हैं को खानाबदोश गृह से छोड़ा जाता है। छोड़ने की शर्तें कठोर हैं।
- (xiii) गृह में किसी व्यक्ति के भर्ती होने पर सिर्फ एक मामूली सी चिकित्सीय जांच होती है। नए निवासी के शरीर की जांच के लिए उसके खून/एक्स रे/पेशाब इत्यादि का कोई जांच नहीं किया जाता।
- (xiv) हालांकि सभी निवासी किसी न किसी प्रकार के मानसिक रोग से पीड़ित हैं, उन्हें भर्ती करते समय उनके मानसिक अथवा दिमागी स्थिति की कोई जांच दिमागी डॉक्टर द्वारा नहीं की जाती।
- (xv) एक बार भर्ती हो जाने पर निवासियों को मानसिक काउंसलिंग नहीं किया जाता। ढकुरिया गृह में दिमागी डॉक्टर के दौरे का भी कोई प्रावधान नहीं है। दिमागी काउंसलिंग के लिए एक गैर-सरकारी संगठन से दिमागी डॉक्टर आते हैं लेकिन वे भी निवासियों की एक मनोनीत संख्या को ही देखते हैं।
- (xvi) खानाबदोश गृहों में उपयुक्त चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं है। जो है वह बिल्कुल प्राथमिक एवं आधारभूत है। कोई डॉक्टर नहीं है (सिर्फ ढकुरिया को छोड़कर) न ही निवासियों के उपचार हेतु कोई बेड है। यहां तक कि तुरंत खाली करने अथवा हास्पिटल में रेफर होने की स्थिति में एम्बुलेंस तक का कोई प्रावधान नहीं है।
- (xvii) दवाइयों का बजट बहुत कम है। औसतन एक दिन में एक निवासी के ऊपर 1 रुपए खर्च किए जाते हैं। यह गंभीर रूप से अपर्याप्त है।
- (xviii) अधिकतर निवासी 50-60 वर्ष आयु वर्ग के हैं। अतः अन्य दिमागी एवं शारीरिक परेशानियों के अलावा वे बहुत से बढ़ती आयु से संबंधित समस्या से जूझते हैं। हालांकि, इन परेशानियों का उपचार अथवा जांच करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है।
- (xix) निवासियों के लिए 'देखभाल करने वालों' की अत्यधिक कमी है। चूंकि महालांदी खानाबदोश गृह में अधिकतर निवासी (पुरुष एवं महिला) मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं, वे अपने व्यक्तिगत साफ-सफाई, खाने व पहनने सहित व्यक्तिगत आवश्यकताओं की देखभाल नहीं कर सकते। उन्हें 'देखभाल करने वाले' की आवश्यकता है जो उनकी देखभाल कर सकें।
- (xx) वर्तमान में निवासियों एवं देखभाल करने वालों का अनुपात 21:1 है (महालांदी खानाबदोश गृह में) जो अपर्याप्त है। कर्मियों में देखभाल करने की न तो अभिरुचि है और न ही प्रशिक्षण है जिसकी उन्हें आवश्यकता है।

(xxi) निवासियों के मनोरंजन के लिए कोई सुविधा नहीं है जिससे की उन्हें किसी उपयोगी कार्य में लगाया जा सके। किसी ऐसे गैर-सरकारी संगठन से संबंध नहीं है जिससे सहायता प्राप्त हो सके।

(xxii) वर्ष 2012 में खानाबदोश गृहों में बहुत अधिक मौतें हुईं, ढकुरिया गृह में 90 एवं महालांदी खानाबदोश गृह में 31। इसके मुख्य कारण खराब चिकित्सीय देखभाल, अस्वच्छ रहने की जगह तथा कुपोषण थे।

11.29 आयोग ने अन्वेषण टीम की रिपोर्ट पर विचार किया एवं पाया कि वर्षों तक उन गृहों में रह रहे निवासियों के मानव अधिकारों का घोर हनन हुआ है तथा सुधारात्मक कार्रवाई की शीघ्र आवश्यकता है। तदनुसार आयोग ने अपनी कार्यवाही दिनांक 20.11.2013 द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाने की संस्तुति की है :

(क) मूलभूत अवसंरचना एवं संभार-तंत्र का सुधार

11.30 गृहों की अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं के सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है और खासकर निम्नलिखित क्षेत्रों में :—

- (i) सभी निवासियों को नियमित रूप से साफ कपड़े जारी किए जाने चाहिए;
- (ii) सभी निवासियों को बेड अथवा उचित वेडिंग उपलब्ध करायी जानी चाहिए;
- (iii) प्रत्येक निवासी को स्वच्छ एवं प्रयोग में लाने लायक बर्तन जारी किए जाने चाहिए;
- (iv) भवन का जीर्णोधार कर उसका रखरखाव करना चाहिए;
- (v) शौचालय एवं रसोई घर स्वच्छ होने चाहिए;
- (vi) सभी गृहों में स्वच्छ पेय जल का प्रावधान होना चाहिए;
- (vii) छूआछूत एवं चर्म रोगों से संबंधित बीमारियों को नियंत्रण में रखने के लिए नियमित रूप से छिड़काव किए जाने चाहिए;
- (viii) गृहों को एम्बूलेंस सहित वाहन उपलब्ध किए जाने चाहिए;
- (ix) सर्दियों में निवासियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए।

ख. खानाबदोशों की पहचान, स्क्रीनिंग एवं वर्गीकरण

11.31 राम लखन बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य (137 (2007) डी एल टी 173) में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भिखारियों को चार वर्गों में; उनकी स्थिति एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभक्त किया है। बुजुर्ग एवं कमजोर, अशक्त एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ खानाबदोश लोगों के लिए हर वर्ग में विभिन्न सुविधाओं, अवसंरचना एवं पुनर्वास कार्यक्रम के साथ अलग-अलग गृह होने चाहिए।

ग. स्टाफ की आवश्यकता

11.32 चूंकि गृहों में स्टाफ की संख्या अपर्याप्त है तथा मौजूदा स्टाफ भली भांति प्रशिक्षित नहीं हैं :

- (i) सभी रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए;
- (ii) गृहों के प्रबंधक पूर्ण कालिक अधिकारी होने चाहिए। उन्हें अतिरिक्त पद/कार्यभार नहीं देना चाहिए;
- (iii) स्टाफ को उचित प्रशिक्षण एवं कौशल विकास की आवश्यकता है;
- (iv) काउंसलर्स की नियुक्ति की जानी चाहिए अथवा उन्हें भाड़े पर लेना चाहिए;
- (v) जो निवासी अपनी देखभाल स्वयं नहीं कर सकते एवं खासकर वृद्ध एवं कमजोर निवासी की देखभाल हेतु 'देखभाल करने वालों' की नियुक्ति की जानी चाहिए।

घ. चिकित्सा सुविधाएं

- (i) निवासियों की शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक गृह में नर्सों एवं पैरामेडिकल स्टाफ सहित डाक्टर होने चाहिए। चिकित्सीय डाक्टरों एवं अन्य स्टाफों का स्केल अस्पतालों/नर्सिंग होम द्वारा अपनाए जाने वाले मानक पर आधारित होना चाहिए;
- (ii) चूंकि प्रत्येक गृह में 200 से ज्यादा निवासी वास करते हैं इसलिए उचित चिकित्सा अवसंरचना जिसमें इन पेशेंट केयर के लिए बेड, जांच केन्द्र एवं अन्य उपकरण उपलब्ध करवाए जाने चाहिए;
- (iii) विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ जैसे की चर्म रोग विशेषज्ञ, दांत का डॉक्टर, जराविज्ञान विशेषज्ञ, इत्यादि प्रत्येक गृह के पैनल में होने चाहिए एवं उनका दौरा हर पखवाड़े होना चाहिए;
- (iv) दवाईयों के लिए बजट को वास्तविक स्तर पर तुरंत बढ़ाया जाना चाहिए।

(ड.) मानसिक रूप से बीमार निवासियों को मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल में रेफर करना

11.33 मानसिक रूप से बीमार निवासियों को उनके उचित उपचार के लिए मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल में रेफर करना चाहिए।

(च) पुनर्वास उपाय

11.34 यह अस्वीकार्य है कि गृहों की देखभाल में रह रहे निवासियों के पुनर्वास का कोई प्रावधान नहीं है। इसे सुधारने के लिए :

- (i) निवासियों के मनोरंजन एवं पुनर्वास को उचित सुविधा होनी चाहिए। जाने माने गैर-सरकारी संगठनों की सहायता लेने के लिए उन्हें नामबद्ध किया जा सकता है;

- (ii) समाज में पुनर्स्थापित होने में सहायता के लिए निवासियों को शैक्षणिक एवं वोकेशनल प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। गैर-सरकारी संगठनों को चिह्नित करना चाहिए जो उन्हें विषयों में प्रशिक्षण दें और उनके द्वारा बनाए गए सामानों को बेच सकें;
- (iii) आक्यूपेशनल बिहेवियोरल लर्निंग थेरेपी देने के लिए साइकोलाजिकल क्लीनिकल काउंसलरों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

(छ) बाहरी देखरेख प्रणाली

11.35 इत्येक गृह के नियमित एवं स्वतंत्र अनुवीक्षण के लिए दौरा करने वालों के एक बोर्ड का गठन करना चाहिए जिसमें इस क्षेत्र में काम कर रहे जाने माने समाज सेवी/सिविल सोसाइटी के लोग/गैर-सरकारी संगठन तथा जिला प्रशासन के अधिकारी हों।

(ज) बंगाल खानाबदोश अधिनियम, 1943 का पुनरीक्षण

11.36 बंगाल खानाबदोश अधिनियम, 1943 के अधिदेश एवं विषय-क्षेत्र की समीक्षा की जानी चाहिए। मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को खानाबदोश कह देना तथा जिससे उन्हें खानाबदोश गृहों में रख दिया जाता है, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

11.37 इन खानाबदोश गृहों में तत्काल सुधार के लिए उठाए गए कदमों पर आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट की मांग की है।

11.38 अनुस्मारक के बावजूद, पश्चिम बंगाल सरकार से मांगी गई की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

////

मानव अधिकार शिक्षा, प्रशिक्षण एवं जागरूकता

12.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन का अधिदेश है। धारा 12 (एच) कहती है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार साक्षरता को समाज के विभिन्न भागों तक प्रचारित करेगा तथा इन अधिकारों के संरक्षण के लिए मौजूद उपायों की जागरूकता प्रकाशनों, मीडिया, संगोष्ठियों तथा अन्य उपलब्ध स्रोतों से कराएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों के सरकारी महकमों और खासकर पुलिस के साथ-साथ छात्रों, गैर-सरकारी संगठनों तथा जन मानस के सदस्यों के बीच फैलाने में लगा हुआ है।

12.2 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रशिक्षण प्रभाग मानव अधिकार शिक्षण का प्रचार-प्रसार मानव अधिकार विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, राज्य मानव अधिकार आयोगों, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय तथा विश्वसनीय गैर-सरकारी संगठनों के संयुक्त तत्वावधान से करवा रहा है। इनके अलावा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा वर्ष में दो बार एक मासीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम अपने परिसर में ग्रीष्म तथा शीत में आयोजित करता है। इस प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के छात्र भाग लेते हैं तथा दो सप्ताह की अवधि वाले लघु प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे वर्ष आयोजित किए जाते हैं जो छात्र मानव अधिकारों के क्षेत्र में रुचि रखते हैं। लघु प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम सिर्फ़ उन दो माह में आयोजित नहीं किए जाते जब एक मासीय ग्रीष्म तथा शीत प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

12.3 2013-2014 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रायोजित मानव अधिकारों एवं संबंधित विषयों पर 108 प्रशिक्षण कार्यक्रम 77 संस्थाओं द्वारा करवाए गए। इसके अलावा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा ग्रीष्म एवं शीत प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाए गए जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से आए 96 छात्रों ने भाग लिया। इसके अलावा 195 छात्रों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ लघु प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्रदान किया गया। विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के छात्रों का प्रतिनिधिमण्डल तथा अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि/अधिकारी, जिन्होंने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दौरा किया तथा जिन्हें आयोग के कार्य तथा आयोग द्वारा देखे जा रहे महत्वपूर्ण मानव अधिकार मुद्दों की कुल संख्या 672 थी।

(क) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

12.4 अपने अधिदेश के द्वारा 2013-2014 के दौरान आयोग ने मानव अधिकार के विभिन्न मुद्दों पर 89

संस्थाओं के 131 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अनुमोदन प्रदान किया। इनमें से 71 संस्थाओं/राज्य मानव अधिकार आयोग/विश्वविद्यालय/पी टी आई/ एन एल आई/ गैर सरकारी संगठनों द्वारा 102 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इसके अलावा, वर्ष 2013-2014 में वर्ष 2012-13 के अनुमोदित 06 संस्थाओं के 06 प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिससे 77 संस्थाओं में कुल 108 प्रशिक्षण कार्यक्रम किए गए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण **अनुलग्नक-14** पर है।

(ख) ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अंतःशिक्षुता कार्यक्रम

12.5 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से एक मासीय दो प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए उनके ग्रीष्म एवं शीतकालीन छुट्टियों में आयोजित करता है। वर्ष 2013-2014 के दौरान ग्रीष्म प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम 27 मई से 25 जून, 2013 तक आयोजित किया गया। 31 लड़कियों तथा 19 लड़कों सहित कुल 50 छात्रों ने ग्रीष्म प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लिया। 50 प्रशिक्षुओं में से 14 विधि स्नातक के छात्र थे तथा बाकी 36 छात्र स्नातकोत्तर छात्र थे जो समाज विज्ञान में विभिन्न विषयों का अध्ययन कर रहे थे। छः छात्रों को बेस्ट इंटर्न पुरस्कार सम्मान दिया गया।

12.6 शीतकालीन प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 30 दिसम्बर से 28 जनवरी, 2014 तक किया गया। 23 महिलाओं तथा 23 पुरुषों सहित कुल 46 प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया। 46 प्रशिक्षुओं में से 22 विधि स्नातक के छात्र थे तथा बाकी 24 छात्र स्नातकोत्तर छात्र थे जो समाज विज्ञान में विभिन्न विषयों का अध्ययन कर रहे थे। चार छात्रों को बेस्ट इंटर्न पुरस्कार सम्मान दिया गया।

(ग) लघु प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दौरा

12.7 भारत के विभिन्न संस्थाओं, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों से 195 छात्र जिनमें ज्यादातर विधि संकाय के थे ने 15 दिवसीय लघु प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। लघु प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान छात्रों को आयोग के विभिन्न प्रभागों के कार्य के बारे में जानकारी के साथ-साथ विधि, अन्वेषण तथा अनुसंधान प्रभागों में कार्य करने का व्यावहारिक अनुभव भी दिया गया। इसके अलावा, करीब 672 छात्रों के समूहों ने भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दौरा किया जो विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों से थे।

(घ) स्थापना दिवस का आयोजन

12.8 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपने 20वें स्थापना दिवस को 12 अक्टूबर, 2013 को मनाया। स्थापना दिवस आयोजन के एक भाग में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कर्मियों के बच्चों के लिए एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। पेंटिंग प्रतियोगिता के लिए बच्चों को तीन आयु समूहों में विभाजित किया गया था—5-8 वर्ष; 9-13 वर्ष तथा 14-17 वर्ष। प्रत्येक वर्ग में उत्कृष्ट पेंटिंगों को तीन पुरस्कार दिए गए थे।

12.9 आयोजन का समापन एक उत्कृष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम से हुआ जिसका आयोजन 12 अक्टूबर, 2012 को फिक्की सभागार, नई दिल्ली में किया गया था। सांस्कृतिक कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकारी एवं कर्मी, उनके परिवार के सदस्य तथा पेशेवर गायक एवं नृतकों ने श्रोताओं को सम्मोहित कर दिया। न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसफ, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने समारोह की अध्यक्षता की। समारोह में अन्य गणमान्य व्यक्तियों के अलावा श्री एस. सी. सिन्हा, सदस्य भी उपस्थित थे। श्री एस. सी. सिन्हा ने इस अवसर पर सभी कलाकारों को स्मृति-चिह्न भेंट किया।

12.10 इसके पूर्व श्री जे. एस. कोचर, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अतिथियों का स्वागत किया तथा इस समारोह के महत्व पर प्रकाश डाला।

(ड.) मानव अधिकार दिवस आयोजन

12.11 आयोग ने मानव अधिकार दिवस का आयोजन विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 10 दिसम्बर, 2013 को एक विशेष कार्यक्रम के आयोजन द्वारा किया। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री एम. हामिद अन्सारी, भारत के उपराष्ट्रपति थे। 2013 के मानव अधिकार दिवस के थीम – “20 वर्ष : आपके अधिकारों के लिए कार्यरत”, के प्रकाश में माननीय श्री अन्सारी ने “मानव अधिकारों तथा मानव गलतियों” के ऊपर बोला। संयोगवश 2013 का मानव अधिकार दिवस मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त कार्यालय तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के 20 वर्ष पूर्ण होने के साथ पड़ा।

12.12 इस अवसर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री के. जी. बालाकृष्णन ने पिछले 20 वर्षों में आयोग के अस्तित्व से मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आयोग द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला।

12.13 कार्यक्रम में भाग लेते हुए सुश्री किरन मेहरा—कर्मलमैन, निदेशक, संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, श्री बान. की मून का संदेश पढ़ा जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों से आग्रह किया कि वे मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए वियना सम्मेलन में किए गए अपने वायदों को पूरा करें।

12.14. इसके पहले डॉ० परविन्दर सोही बिहुरिया, महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अतिथियों का स्वागत करते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला।

12.15 मानव अधिकार दिवस समारोह में सुश्री नैसी पॉवेल, यूनाइटेड स्टेट्स राजदूत, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र के अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भाग लिया।

12.16 इस अवसर पर उप-राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कई प्रकाशनों का लोकार्पण किया जिसमें अन्य के साथ-साथ हिन्दी में मानवाधिकार – नई दिशाएं; मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय मानव अधिकार

आयोग का अंगरेजी जर्नल; राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा मानव अधिकार समर्थक : बढ़ते सहक्रिया; कारागारों में कैदियों की स्थिति तथा मानव अधिकार, भुखमरी, कुपोषण तथा महाराष्ट्र के 15 अनुसूचित जनजाति जिलों में कुपोषण से हुई मृत्यु; अशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन पर रिपोर्ट थी।

12.17 इसके पूर्व सुबह के समय, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, सदस्यगण, अधिकारीगण तथा कर्मचारियों ने मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में प्रण लिया।

(च) भारतीय विधि संस्थान तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया

12.18 भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकार मुद्दों पर संयुक्त अनुसंधान एवं प्रशिक्षण करने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया। संवीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग के अनुसंधान प्रभाग द्वारा दो निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए :

- (i) 29 नवम्बर, 2013 को पुलिस कर्मियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम; तथा
- (ii) 19 दिसम्बर, 2013 को मीडिया कर्मियों के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम।

12.19 उपयुक्त कार्यक्रमों के प्रतिभागी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नव नियुक्त पुलिस कर्मी तथा प्रिंट, रेडियो तथा टेलीविजन के मीडिया कर्मी थे।

(छ) रेलवे सुरक्षा बल के प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

12.20 19 तथा 20 दिसम्बर, 2013 को रेलवे सुरक्षा बल के 05 सहायक सुरक्षा आयुक्तों (प्रशिक्षुओं) के लिए आयोग में दो दिवसीय संलग्नक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संलग्नक कार्यक्रम के दौरान आयोग के अध्यक्ष, सदस्यगण तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने रेलवे सुरक्षा बल प्रशिक्षुओं से चर्चा की।

(ज) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग प्रकाशन

12.21 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सूचना एवं जन सम्पर्क इकाई प्रत्येक माह अंगरेजी में मानव अधिकार न्यूजलेटर तथा हिन्दी में मानव अधिकार समाचार प्रकाशित करती है। इसे केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों, अकादमिक एवं तकनीकी संस्थाओं, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी संगठनों तथा आम जनता के बीच मानव अधिकारों तथा समय-समय पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किए गए अंतःक्षेपों एवं संस्तुतियों की महत्ता का प्रचार-प्रसार करने के लिए बिना शुल्क भेजा जाता है। न्यूजलेटर को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वेबसाइट पर बृहद प्रचार एवं मानव अधिकार मुद्दों पर जागरूकता के लिए अपलोड भी किया जाता है।

12.22 आयोग कई प्रकार के अन्य प्रकाशन भी निकालता है जिसमें अंगरेजी, हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं

में 54 बिना मूल्य के तथा 17 मूल्य के प्रकाशन सम्मिलित हैं। इन्हें आयोग द्वारा आयोजित सभी संगोष्ठियों, सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं के दौरान प्रदर्शित, वितरित एवं बेचा जाता है।

(झ) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अंगरेजी जर्नल

12.23 अंगरेजी में "राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का जर्नल" भाग 12 को 10 दिसम्बर, 2013 को भारत के उपराष्ट्रपति, माननीय श्री मोहम्मद हामिद अंसारी द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा मानव अधिकार दिवस के आयोजन पर लोकार्पण किया गया। अंगरेजी जर्नल आयोग के अनुसंधान प्रभाग द्वारा निकाला जाता है।

(ज) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग हिन्दी जर्नल

12.24 हिन्दी जर्नल "मानव अधिकार : नई दिशाएं" भाग 10 को 10 दिसम्बर, 2013 को भारत के उपराष्ट्रपति, माननीय श्री हामिद अंसारी द्वारा मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष्य पर लोकार्पण किया गया।

(ट) मीडिया विमर्श

12.25 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यह मानता है कि मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन में मीडिया उसका सहयोगी है। आयोग के पास मीडिया से चर्चा एवं बातचीत करने के लिए एक सुव्यवस्थित नीति है। आयोग के गतिविधियों, अंतःक्षेपों तथा सिफारिशों की सूचना से मीडिया से बांटने में विभिन्न उपाए किए जाते हैं। इनमें प्रेस विज्ञप्ति, चुने हुए मीडिया ब्रीफिंग, प्रेस वार्ता, अध्यक्ष एवं सदस्यगण के साक्षात्कार सम्मिलित हैं। मीडिया कर्मियों को भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संगोष्ठियों, सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं में आमंत्रित किया जाता है।

12.26 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के दौरान सूचना एवं जन सम्पर्क इकाई द्वारा आयोग विभिन्न अंतःक्षेपों एवं गतिविधियों के संदर्भ में 196 प्रेस विज्ञप्तियाँ/टिप्पणियाँ जारी की गईं। प्रेस सम्मेलन तथा प्रतिदिन मीडिया ब्रीफिंग को आवश्यक रूप से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा देश के विभिन्न भागों में प्रत्येक कैम्प बैठक तथा खुली सुनवाई के दौरान आयोजित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए। कुल 13 प्रेस सम्मेलन तथा अध्यक्ष एवं सदस्यगण के 11 साक्षात्कारों को ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन तथा अन्य मीडिया संस्थाओं के लिए आयोजित किए गए।

(ठ) हिन्दी में राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ

12.27 आमजनों में मानव अधिकारों की जागरूकता पैदा करने के प्रयास में आयोग मानव अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर भारत के विभिन्न भागों में हिन्दी में राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ आयोजित करता आ रहा है। इस कड़ी में वर्ष 2013-14 में 4 राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ आयोजित की गईं। पहली राष्ट्रीय संगोष्ठी इंदौर में 12-13 सितम्बर,

2013 को 'मानव अधिकारों की चुनौतियां, संवेदनशीलता का प्रश्न और 21वीं शताब्दी' पर आयोजित की गई थी। दूसरी राष्ट्रीय संगोष्ठी अगरतला में 15-16 नवम्बर, 2013 को 'मानव अधिकारों की भारतीय अवधारणा : एक संवाद' पर आयोजित की गई थी। तीसरी राष्ट्रीय संगोष्ठी कोचीन में 9-10 जनवरी, 2014 को 'महिला सशक्तीकरण, मीडिया तथा मानव अधिकार' पर आयोजित की गई थी। चौथी राष्ट्रीय संगोष्ठी आइजल में 28 फरवरी - 1 मार्च, 2014 को 'हाशिए का समाज तथा मानव अधिकार' पर आयोजित की गई थी।

(ड) मानव अधिकारों पर हिन्दी में द्विवार्षिक पुरस्कार योजना

12.28 इस योजना का मुख्य उद्देश्य मानव अधिकारों के विभिन्न विषयों पर मौलिक लेखन को बढ़ावा देना है। वर्ष 2012-13 के लिए डी ए वी पी के माध्यम से पुरस्कार योजना का विज्ञापन लगभग सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समाचार पत्रों में छपवाया गया है तथा योजना का विवरण आयोग के वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है।

(ढ) पुरस्कृत पुस्तकों एवं पांडुलिपियों का अनुवाद

12.29 आयोग द्विवार्षिक पुरस्कार योजना की पुरस्कृत पुस्तकों/पांडुलिपियों के प्रकाशन एवं प्रथम चरण में उन्हें बांग्ला, मराठी, मलयालम, तमिल तथा तेलुगू में अनुवाद करवाने की योजना बना रहा है जिससे बुद्धिजीवी उसका पूरा लाभ उठा सकें। इस कार्य में सहायता के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से अनुरोध किया गया है।

(ण) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में हिन्दी पखवाड़ा

12.30 संघ की राजभाषा को अपने दैनंदिनी कार्य में बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 14-28 सितम्बर, 2013 तक वार्षिक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया। प्रश्न मंच प्रतियोगिता, अनुवाद प्रतियोगिता, हिन्दी निबंध लेखन प्रतियोगिता, कविता पाठ, हिन्दी टाइपिंग तथा सुलेख प्रतियोगिता इत्यादि प्रतियोगिताएं पखवाड़े में करवाई गईं। विजेताओं को अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री के. जी. बालाकृष्णन द्वारा सम्मानित किया गया।

(त) दलितों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता

12.31 आम जन तक मानव अधिकारों की जागरूकता को फैलाने के अपने प्रयास में आयोग ने "आजादी के छः दशक तथा दलितों की स्थिति : एक मूल्यांकन" विषय पर दलितों के लिए एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की थी। योजना के विवरण को आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किया गया था तथा विभिन्न चैनलों को भी भेजा गया था। प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2013 थी। पूरे देश से कुल 130 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं तथा 12 अक्टूबर, 2013 को आयोजित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के स्थापना दिवस समारोह में निबंध लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को चार पुरस्कार दिए गए थे।

मानव अधिकार समर्थक

13.1 पूरे विश्व में मानव अधिकार आंदोलन के मुख्य बिन्दु पर मानव अधिकार समर्थक हैं। वे कमोबेश ऐसे व्यक्ति होते हैं जो या तो अकेले कार्य करते हैं अथवा कुछ लोगों के साथ मिलकर लोगों तथा व्यक्तियों के मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के हनन को रोकते हैं। वे विभिन्न पेशों, सरकार तथा गैर-सरकारी संगठनों के सदस्य हो सकते हैं। मानव अधिकारों के संघर्ष में जुड़े रहने से मानव अधिकार समर्थक ही मानव अधिकार हनन के पहले पीड़ित होते हैं जो राज्य के अधिकारियों अथवा गैर-राज्यीय संगठनों द्वारा की जाती है। उनके ऊपर होने वाली हिंसा का दायरा बहुत खतरनाक एवं बड़ा होता है जैसे की उनकी जान के ऊपर हमला, उनके व्यक्तिगत सुरक्षा तथा गरिमा के ऊपर हमला जिससे वे आमतौर पर उत्पीड़न, धमकियों, डराना के पीड़ित होते हैं तथा कई बार उनके जीवन की स्थिति के ऊपर भी पाबंदी लगा दी जाती है जिससे उनका रोजगार छिन जाता है।

13.2 मानव अधिकारों के कुछ समर्थक ज्यादा खतरे में हैं क्योंकि वे भिन्न प्रकार के अधिकारों के संरक्षण का प्रयास करते हैं। ये खासतौर पर महिला मानव अधिकार समर्थकों के साथ होता है। कई परिस्थितियों में महिलाएं संघर्ष की पहली पंक्ति में होती हैं, न सिर्फ अपने अधिकारों के लिए बल्कि अपने परिवार तथा समुदाय के अधिकारों के लिए भी। इन संघर्षों के बीच इन प्रकार की कई महिलाएं व्यक्तिगत रूप से जोखिम पर रहती हैं, उदाहरण के रूप में जब वे समाज के उस ढांचे को चुनौती देती हैं जो महिलाओं से भेदभाव करते हैं मुख्य रूप से यौन एवं जनन अधिकार। इन परिस्थितियों में 1995 में सरकारों के लिए कार्रवाई हेतु बीजिंग प्लेटफार्म से पुकार मानव अधिकारों की रक्षा के लिए लगी हुई महिलाओं का संरक्षण सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह खासतौर से महत्वपूर्ण है।

13.3 इसी प्रकार लोगों की जिम्मेदारी व अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की उद्घोषणा, सार्वभौम रूप से जाने माने मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समाज के वर्ग तथा समूह जिन्हें सामान्य रूप से मानव अधिकार समर्थकों पर उद्घोषणा कहा जाता है महत्वपूर्ण हैं। यह उद्घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसम्बर 1998 में अंगीकार किया गया था तथा यह सिर्फ राज्यों एवं मानव अधिकार समर्थकों को ही संबोधित नहीं है बल्कि यह हर किसी को संबोधित है। हालांकि यह उद्घोषणा कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है लेकिन इसके प्रत्येक प्रावधान को लागू करना एवं उनका सम्मान करना राज्यों की जिम्मेदारी है। इस उद्घोषणा की महत्ता तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन के संवर्धन की आवश्यकता संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मानव अधिकार निकायों द्वारा बार-बार जोर दिया गया है।

13.4 9 दिसम्बर, 1998 को मानव अधिकार समर्थकों पर उद्घोषणा के अंगीकार होने से मानव अधिकार समर्थकों के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन का आंदोलन दिनों दिन बलवती होता गया है। यह इस बात से स्पष्ट होता है कि मानव अधिकार समर्थकों को और संरक्षित करने के लिए मानव अधिकार परिषद ने 21 मार्च, 2013 को एक संकल्प लिया। संकल्प राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है कि वे यूनिवर्सल पिरियाडिक रिव्यू में उनकी गतिविधियों की रिपोर्ट दें तथा विभिन्न संघी निकायों की समितियों की रिपोर्टों सहित मानव अधिकार समर्थकों को एक सामर्थ्य पर्यावरण दें।

13.5 18 दिसम्बर, 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक अन्य संकल्प अंगीकार किया जिसमें सभी राज्यों से कहा कि वे मानव अधिकार समर्थकों पर उद्घोषणा का संवर्धन तथा पूर्ण रूप से अनुसरण करने के साथ-साथ महिला मानव अधिकार समर्थकों के संरक्षण के लिए पर्याप्त कदम उठाएं। इस संकल्प के माध्यम से इसने राज्यों से कहा है कि पुलिस अधिकारियों तथा कानून प्रवर्तन कर्मियों के लिए लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण सहित महिला, शांति एवं सुरक्षा पर 31 अक्टूबर 2000 का 1325, 19 जून, 2008 का 1820, 30 सितम्बर 2009 का 1888, 5 अक्टूबर 2009 का 1889, 16 दिसम्बर 2010 का 1960, 24 जून 2013 का 2106 तथा 18 अक्टूबर 2013 का 2122 के सुरक्षा परिषद संकल्प का प्रभावी एवं शीघ्रता से क्रियान्वयन करें।

क. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की भूमिका

13.6 राष्ट्रीय मानव अधिकार, आयोग भारत अपनी ओर से भारत में मानव अधिकार समर्थकों के संरक्षण एवं संवर्धन में मानवीयता के लिए कई कदम उठाए हैं। उनमें से कुछ हैं:—

- इसने लोक प्राधिकारियों द्वारा अथवा उनके कहने पर मानव अधिकार समर्थकों के अभिकथित प्रताड़ना की शिकायतों से निपटने के लिए मानव अधिकार समर्थक फोकल प्वाइंट का गठन किया है।
- वर्ष 2011 से प्रत्येक 9 दिसम्बर को यह एक संदेश जारी करता है, जिस दिन मानव अधिकार समर्थकों पर उद्घोषणा को अंगीकार किया गया था।
- जब कभी भी मानव अधिकार समर्थकों के हनन की शिकायत आयोग के समक्ष आती है, ये संबंधित राज्य को एक सख्त संदेश देता है कि उन्हें तंग न करें। इसी के अनुक्रम में, रिपोर्ट की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव ने सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर बताया है कि वे अपने पदधारियों को मानव अधिकार समर्थकों द्वारा झेली जा रही परेशानियों से जागरूक बनाएं तथा वे देश में मानव अधिकार पर्यावरण में एक सकारात्मक बदलाव लाने में उन्हें एक भागीदार के रूप में देखें।
- मानव अधिकार समर्थकों के आंदोलन को संरक्षित करने हेतु अभियोजन, क्षतिपूर्ति, इत्यादि सिफारिश करके अतिसक्रिय कदम उठाए हैं।

- मानव अधिकार समर्थकों के मामलों को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है तथा उन्हें नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग समय-समय पर आयोजित अपने कैम्प बैठकों तथा खुली सुनवाईयों में सुनिश्चित करता है कि वे मानव अधिकार समर्थकों से बात-चीत करे। मानव अधिकार समर्थकों द्वारा दिए गए सुझावों पर आयोग विचार करता है। वास्तव में समीक्षाधीन अवधि के दौरान मानव अधिकार समर्थकों के मामलों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी तथा गुण के आधार पर आवश्यक राहत भी प्रदान की गई।

13.7 जब से आयोग में मानव अधिकार समर्थकों के लिए फोकल प्वाइंट का गठन हुआ है, इसने मानव अधिकार समर्थकों द्वारा निभाई जा रही भूमिका के प्रचार प्रसार के साथ-साथ देश में मानव अधिकार समर्थकों की समस्याओं का निपटारा करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आयोग में फोकल प्वाइंट के लिए निर्धारित व्यक्ति श्री ए. के. पराशर, संयुक्त रजिस्ट्रार (विधि) हैं। मानव अधिकार समर्थकों के लिए फोकल प्वाइंट हमेशा (i) मोबाइल नं० 9810298900, (ii) फैक्स नं० — 24651334, तथा (iii) ई-मेल : hrd-nhrc@nic.in पर उपलब्ध रहता है। फोकल प्वाइंट यह सुनिश्चित करता है कि मानव अधिकार समर्थकों के अभिकथित हनन के प्रत्येक मामले में आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन तुरंत हो तथा उसे संबंधित मानव अधिकार समर्थक तक भी पहुंचाया जाए। इसके अलावा, मानव अधिकार समर्थकों की अभिकथित प्रताड़ना की शिकायतों की अद्यतन जानकारी आयोग के वेबसाइट पर अपलोड की जाती है।

13.8 संवीक्षाधीन अवधि के दौरान फोकल प्वाइंट ने देश के कोने कोने में जाकर मानव अधिकार समर्थकों के प्रयासों को सहयोग देने की दृष्टि से सिविल सोसाइटी संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य संगठनों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, रोड़ शो, संवेदना कार्यक्रमों में भाग लिया। फोकल प्वाइंट ने एक प्रकाशन भी निकाला है जिसका नाम “राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा मानव अधिकार समर्थक : बढ़ता सहयोग” है जिसे 10 दिसम्बर, 2013 को मानव अधिकार दिवस के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा लोकार्पण किया गया। यह प्रकाशन मानव अधिकार समर्थकों के संरक्षण एवं संवर्धन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डालता है। इस प्रकाशन को लोगों ने खूब सराहा है।

ख. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए मानव अधिकार समर्थकों के मामलों का विवरण

13.9 आयोग में प्राप्त मानव अधिकार समर्थकों के मामलों को देखने और निपटाने में आयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संवीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग में मानव अधिकार समर्थकों से संबंधित 57 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 13 का निपटारा आयोग ने गुण के आधार पर कर दिया। इसके अलावा, 31 मार्च, 2014 तक मानव अधिकार समर्थकों से संबंधित 88 मामले आयोग में विचाराधीन थे। कुछ महत्वपूर्ण मामले एवं उनमें लिए गए निर्णयों का उल्लेख नीचे किया गया है :-

**1. छेड़खानी करने वालों के खिलाफ विरोध के लिए छात्र मानव अधिकार समर्थक का बदमाशों द्वारा उत्पीड़न
(मामला संख्या 877/25/15/2013)**

13.10 पश्चिम बंगाल के एक समाचार रिपोर्ट की ओर शिकायतकर्ता ने आयोग का ध्यान आकृष्ट किया जिसमें आई.आई.टी. – गुवाहाटी के एक छात्र मानव अधिकार समर्थक – रिकी बिस्वास का उत्पीड़न बदमाशों द्वारा तब किया गया जब उसने स्कूल से घर लौट रही लड़की को छेड़े जाने का विरोध किया। यह घटना पश्चिम बंगाल के उत्तरी-24 परगना जिले की इच्चापुर इलाके में घटित हुई। प्रताड़ित छात्र मानव अधिकार समर्थक संबंधित पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने गया तो पुलिस ने उसे काफी देर तक पुलिस थाने में बैठाए रखा तथा उसके बाद भी उसका बयान सिर्फ सामान्य डायरी में लिखा। यह भी उल्लेख किया गया था कि पुलिस रिकी बिस्वास को किसी फर्जी मामले में फंसाना चाहती थी।

13.11 आयोग ने निर्देश दिया है कि पुलिस अधीक्षक, उत्तरी – 24 परगना को नोटिस जारी कर मामले में 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगा जाए। पुलिस अधीक्षक, उत्तरी – 24 परगना, बारासात से पत्राचार प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि घटना नोआपारा पुलिस थाने के क्षेत्राधिकार में हुई है जो पुलिस आयुक्त, बैरकपुर के अधीन है। आयोग ने अब पुलिस अधीक्षक, बैरकपुर से रिपोर्ट की मांग की है तथा उसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

**2. शिकायत करने के लिए मानव अधिकार कार्यकर्ता को उप-निरीक्षक के साथ आए बदमाशों ने धमकाया
(मामला संख्या 891/25/13/2013 – मुख्य फाइल 646/25/13/2013-डब्ल्यू.सी.)**

13.12 आयोग ने एक एस.एम.एस. शिकायत प्राप्त किया जिसमें आरोप लगाया गया था कि स्वरूप बिस्वास, रानीनगर पुलिस थाने के उप-निरीक्षक ने 15-16 बदमाशों के साथ जो बम एवं पाइप गन से लैस थे, अजीमुद्दीन सरकार, मानव अधिकार कार्यकर्ता के घर रात 10.45 बजे 16 जुलाई, 2013 को पहुंचे तथा उन्हें डराया – धमकाया क्योंकि उन्होंने पुलिस से उनकी शिकायत की थी। शिकायतकर्ता ने मानव अधिकार समर्थक के जीवन को खतरे की आशंका व्यक्त की है तथा इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की है।

13.13 आयोग ने अपने महानिदेशक (अन्वेषण) से अनुरोध किया है कि वे जल्द से जल्द मामले को देखें तथा पुलिस अधीक्षक, मुरशीदाबाद तथा रानीनगर पुलिस थाने के प्रभारी से सभी संबंधित तथ्य एकत्रित करें। यह मामला आयोग के समक्ष विचाराधीन है।

**3. मुंबई के भीवंडी इलाके में अनाधिकृत निर्माण पर सूचना मांगने के लिए आर.टी.आई. कार्यकर्ता की हत्या
(मामला संख्या 312/13/16/2014)**

13.14 शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि एक आर.टी.आई. कार्यकर्ता जिनका नाम अबरार अहमद जीमल अहमद था, जिसने ब्रिहनमुम्बई नगरपालिका परिषद् से आर.टी.आई. के द्वारा भीवंडी क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण की सूचना मांगी थी, को 17 दिसम्बर, 2013 को मार दिया गया।

13.15 आयोग ने निर्देश दिया है कि पुलिस आयुक्त, मुंबई को नोटिस जारी कर मामले में चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा जाए। रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

4. गुवाहाटी में पनबिजली बांध के विरोध में हो रहे शांतिपूर्ण विरोध पर पुलिस ने रोक लगाई

13.16 आयोग ने श्री वलीउल्लाह अहमद लशकर, निदेशक, लॉ एंड लीगल अफेयर्स, बरक मानव अधिकार संरक्षण समिति, गुवाहाटी, असम से एक शिकायत प्राप्त की। आरोप लगाया गया था कि कृष्णक मुक्ति संग्राम समिति तथा अन्य संगठनों के सदस्य जो एक पनबिजली विद्युत परियोजना के चल रहे निर्माण कार्य के विरुद्ध शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, को पुलिस की कठोरता सहन करनी पड़ी। पुलिस प्रताड़ना की एक अन्य घटना में उसी संगठन के 27 कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया तथा उनके अस्थायी शिविर को पुलिस एवं केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मियों द्वारा गिरा दिया गया।

13.17 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर तथा पुलिस उप महानिरीक्षक (आपरेशन्स-ए) से क्रमशः दो अलग-अलग रिपोर्ट प्राप्त हुए। उनके रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकर्ता पनबिजली विद्युत परियोजना के निर्माण के दौरान दिसम्बर 2011 से मई 2012 के बीच कई बार उग्र हो गए जिसमें वे बलवा, सरकारी कर्मचारियों को चोटिल करना एवं सरकारी एवं निजी वाहनों को क्षति पहुंचाई। इन घटनाओं पर कई मामले भी पंजीकृत किए गए हैं।

13.18 उनकी रिपोर्ट में यह भी उल्लिखित है कि प्रदर्शनकारियों ने घागर, तिनाली में एक अस्थायी शिविर बनाया था तथा यह शिविर उपद्रवी एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों का अड्डा बन गया था। इसके फलस्वरूप, उन्होंने उपद्रव करना प्रारम्भ कर दिया था एवं जांच के नाम पर वे राजमार्ग पर वाहनों को रोककर जांचते थे कि कहीं उन पर बांध के निर्माण हेतु सामग्री तो नहीं ले जाई जा रही है। वे राष्ट्रीय पनबिजली विद्युत कारपोरेशन परिसर, गेरुकामुख को ले जाई जा रही रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को भी रोकते थे। 11 मई, 2012 को बांध-विरोधी प्रदर्शनकारियों द्वारा एक डीजल टैंकर में आग लगा दी गई। कानून एवं व्यवस्था बनाने की दृष्टि से सिविल फोर्स द्वारा अनुरोध करने पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक टुकड़ी वहां तैनात कर दी गई। उसी रात पुलिस की सहायता से जिला प्रशासन ने अस्थायी शिविर को हटा दिया। पुलिस थाना बागीनाड़ी में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पांच आपराधिक मामले दर्ज किए गए तथा उनकी जांच की जा रही है।

13.19 आयोग ने दोनों रिपोर्टों पर विचार किया तथा पाया कि 11 मई, 2012 को 27 प्रदर्शनकारियों को पुलिस द्वारा पकड़े जाने के आरोप पर पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट शांत है। अतः आयोग ने निर्देश दिया कि पुलिस अधीक्षक इस बिन्दु पर अपनी रिपोर्ट दें। इन सप्ताहों बीच, दो रिपोर्टों की प्रतियाँ शिकायतकर्ता को उनकी टिप्पणी के लिए भेजी गईं। राज्य प्राधिकारियों एवं शिकायतकर्ता से जवाब की प्रतीक्षा की जा रही है।

**5. मानव अधिकार समर्थकों का मनमाना एवं गैर-कानूनी निरोध
(मामला संख्या 313/18/6/2014)**

13.20 शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि कोकासारा पुलिस ने ओड़िषा के कालाहांडी जिले में 31 दिसम्बर, 2013 को मानव अधिकार समर्थक दिगम्बर दुरिया, श्रीकान्त भरतीया, मानसिंह भरतीया, तीरथ नाग तथा कुछ अन्य का मनमाना तथा गैर-कानूनी निरोध इसलिए किया क्योंकि वे बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए कानून, घोर गरीबी तथा भूखमरी को दूर करने के उपाय, इत्यादि के कार्यान्वयन के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया था कि पीड़ितों पर राज्य के विरुद्ध जंग छेड़ने तथा देशद्रोह के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 358, 120 (बी), 121(ए), 124(ए) के अंतर्गत फर्जी मामला चलाया गया था। शिकायतकर्ता ने तुरंत आवश्यक कार्रवाई की मांग की थी।

13.21 पुलिस महानिदेशक, ओड़िशा को नोटिस जारी कर मामले में चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। मांगी गई रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

**6. जिला मुरशीदाबाद, पश्चिम बंगाल में मानव अधिकार मॉनीटर के निवास में अनाधिकार प्रवेश एवं लूटपाट
(मामला संख्या 1739/25/13/2012)**

13.22 शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि गांव – छुआपा – बरधानपुर, पुलिस थाना रानीनगर, जिला-मुरशीदाबाद, पश्चिम बंगाल के स्थानीय गांववालों ने 14 अक्टूबर, 2012 को मानव अधिकार मॉनीटर, अजीमुद्दीन सरकार के निवास में अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया, लूटपाट किया एवं उन्हें जान से मार देने के धमकी दी। मामला पुलिस को रिपोर्ट किया गया था परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई।

13.23 आरोप ने इस मामले का संज्ञान 21 नवम्बर, 2012 को लिया तथा पुलिस अधीक्षक, मुरशीदाबाद, पश्चिम बंगाल को नोटिस जारी कर रिपोर्ट की मांग की है।

13.24 चूंकि पुलिस अधीक्षक, मुरशीदाबाद, पश्चिम बंगाल से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ इसलिए आयोग ने यह निर्देश दिया है कि ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा-13 के प्रावधानों को लगाने के लिए बाध्य होगा।

13.25 पुलिस अधीक्षक, मुरशीदाबाद, पश्चिम बंगाल ने बताया है कि 21 जनवरी, 2013 को प्राथमिकी संख्या 50/13 रानीनगर थाना, जिला-मुरशीदाबाद, में दर्ज की गई थी एवं अन्वेषण अभी बाकी है।

13.26 आयोग ने इस बात पर गौर किया कि 14 अक्टूबर, 2012 की घटना पर 21 जनवरी, 2013 को प्राथमिकी संख्या 50/13 दर्ज की गई थी जो आयोग में शिकायत दर्ज करने के बाद की गई थी। पुलिस अधीक्षक, मुरशीदाबाद को निर्देश दिया गया कि वे प्राथमिकी संख्या 50/13 की जांच की स्थिति बताते हुए यह भी बताएं कि प्राथमिकी संख्या 50/13 इतनी विलम्ब से क्यों दर्ज की गई तथा विलम्ब करने के लिए जिम्मेदार दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।

13.27 आयोग ने 21 अक्टूबर, 2013 को संबंधित प्राधिकारी को अंतिम अनुस्मारक भेजकर कहा है कि चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें अन्यथा आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा-13 के प्रावधानों को लागू करेगा। हालांकि, आयोग ने 12 फरवरी, 2014 को निर्देश दिया कि पुलिस अधीक्षक, मुरशीदाबाद, पश्चिम बंगाल को एक और अनुस्मारक भेजकर आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उन्हें चार सप्ताह और दिए जाएं।

13.28 यह मामला अभी भी आयोग के समक्ष विचाराधीन है।

7. मानव अधिकार समर्थक को पुलिस द्वारा जान से मारने की धमकी
(मामला संख्या 16023/24/52/2013)

13.29 आयोग ने श्री आर. एच. बंसल, मानव अधिकार समर्थक से एक शिकायत प्राप्त की है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उन्हें अपनी शिकायत वापस लेने के लिए डराया है जिसमें उन्होंने मथुरा शहर के पुलिस अधीक्षक पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने ही एक कान्स्टेबल को लाठी मारकर उसका हाथ तोड़ दिया था। उन्होंने अपना जीवन खतरे में होना बताया है। आयोग ने इस घटना का संज्ञान लिया तथा महानिदेशक (अन्वेषण) को निर्देश दिया कि वे मामले को देखें।

13.30 मामला अभी भी आयोग के समक्ष विचाराधीन है।

8. मध्य प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेनीमाता के बाहर बच्चे को जन्म देने की घटना का विरोध कर रहे मानव अधिकार समर्थक की गिरफ्तारी
(मामला संख्या 1062/12/2/2013 एल एफ 1064/12/2/2013, 1065/12/2/2013, 1066/12/2/2013)

13.31 शिकायतकर्ता जा परंट लाइन डिफेन्डर्स, आयरलैंड की एक गैर-सरकारी संगठन का कर्मी है, ने आरोप लगाया है कि माधुरी रामाकृष्णस्वे, मानव अधिकार समर्थक को मध्य प्रदेश के बदवानी जिले की पुलिस ने 16 मई, 2013 को गिरफ्तार कर लिया। एक महिला जिसका नाम बनिया बाई था और जिसने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेनीमाता, जिला बदवानी, मध्य प्रदेश के बाहर बच्चे को जन्म देने की घटना पर वह विरोध प्रदर्शन कर रही थी।

13.32 अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भोपाल पुलिस मुख्यालय ने उजागर किया कि न्यायालय के आदेश के अनुसार माधुरी बेन, दलित आदिवासी संगठन की महिला कार्यकर्ता को पुलिस ने मध्य प्रदेश अस्पताल अधिनियम, 2008 के अंतर्गत अपराध के लिए गिरफ्तार किया था। उनको न्यायालय द्वारा 30 मई, 2013 तक न्यायिक हिरासत में रखा गया है। मेनीमाता सरकारी अस्पताल के एक अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

13.33 आयोग ने पाया कि रिपोर्ट में शिकायत के तत्व अथवा माधुरी रामाकृष्णस्वे की शिकायत पर कोई प्रकाश नहीं डालती जिसके लिए उन्हें अस्पताल प्राधिकारियों के खिलाफ विरोध करना पड़ा तथा जिसके प्राथमिकी पर पुलिस ने कार्रवाई की।

13.34 श्रीमती बनिया बाई को उनके ससुर द्वारा मेनीमाता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था। अगले दिन उनसे कहा गया कि वे घूस के रूप से 100 रुपए दें। चूंकि वह घूस नहीं दे पाई इसलिए अस्पताल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा तथा लोगों के सामने सड़क पर उसे बच्चे को जन्म देना पड़ा। मानव अधिकार समर्थक बनिया बाई को दूसरे अस्पताल ले गई जहां उनका उपचार किया गया। इसके बाद इस घटना के खिलाफ माधुरी रामाकृष्णस्वे ने विरोध प्रदर्शन प्रारम्भ किया।

13.35 आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है क्योंकि इसमें मानव अधिकारों की घोर अवहेलना प्रस्तुत हो रही है जिसमें जीवन के अधिकार एवं स्वास्थ्य के अधिकार सम्मिलित हैं। आयोग का यह मत है कि यदि लगाए गए आरोप सत्य हैं तो सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मियों को सजा होनी चाहिए तथा पीड़िता बनिया बाई को क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए।

13.36 आयोग ने भोपाल पुलिस मुख्यालय, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट पर विचार किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि माधुरी रामाकृष्णस्वामी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया था। हालांकि, कई बार नोटिस देने पर न्यायालय में उपस्थित न होने के लिए न्यायालय ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। रिपोर्ट में संलग्न दस्तावेज बताते हैं कि सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मियों के खिलाफ अपने कर्तव्यों का परित्याग करने के लिए विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। विजय कुमार, कम्पाउंडर को संदेह में रखा गया था तथा जांच समाप्त होने पर उन्हें संचयी प्रभाव के बिना एक सालान वेतन-वृद्धि रोकने से दंडित किया गया।

13.37 आयोग ने पाया कि वहां पर जीवन के अधिकार एवं स्वास्थ्य के अधिकार सहित मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मी, कम्पाउंडर विजय कुमार को उनकी लापरवाही के लिए सजा दी गई है। इसे ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसमें पूछा गया है कि पीड़िता बनिया बाई को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के अंतर्गत आर्थिक राहत की संस्तुति क्यों न की जाए।

13.38 राज्य सरकार के जवाब की प्रतीक्षा की जा रही है।

9 उपद्रवी लोगों के खिलाफ शिकायत करने के लिए थाना प्रभारी द्वारा मानव अधिकार समर्थक की प्रताड़ना एवं धमकाना

13.39 शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि मानव अधिकार समर्थक, मुहराम अली को अलीगंज के थाना प्रभारी द्वारा प्रताड़ित एवं धमकाया गया था। यह भी आरोप लगाया गया था कि आरोपियों के खिलाफ मामले को वापस लेने के लिए उनके ऊपर पुलिस ने दबाव डाला।

13.40 आयोग के निर्देशों के जवाब में संबंधित पुलिस प्राधिकारियों द्वारा बताया गया कि जहां तक उपद्रव का प्रश्न है, वहां 50-60 अनजान व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/435 के तहत प्राथमिकी संख्या 35/13 दर्ज की गई थी। पूछताछ के दौरान 14 व्यक्तियों की पहचान की गई तथा अन्वेषण अधिकारी को निर्देश दिया गया कि अन्वेषण को जल्द से जल्द पूरा करें। जहां तक पीड़ित को क्षतिपूर्ति/वित्तीय सहायता देने की बात थी उस बारे में जिला प्रशासन को निर्णय लेना था।

13.41 आयोग ने रिकॉर्ड पर प्रस्तुत सभी सामग्रियों पर विचार करने के साथ-साथ शिकायतकर्ता के उस आरोप पर भी विचार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि उपद्रवियों ने उसके घर को क्षति पहुंचाई है जिसपर एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी लेकिन पूछताछ बाकी है। आयोग ने दिनांक 25.07.2013 की अपनी कार्यवाही में पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त की गई रिपोर्ट को शिकायतकर्ता को उनकी टिप्पणी के लिए भेजा है। चूंकि पुलिस प्राधिकारियों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर शिकायतकर्ता ने कोई टिप्पणी नहीं दी है इसलिए पीड़ित मुहराम अली, निवासी – गांव अहलादादेपुर, थाना-अलीगंज, जिला-अम्बेडकर नगर, उ० प्र० को उनकी टिप्पणी, यदि कोई, के लिए रिपोर्ट की एक प्रति भेजी गई है।

13.42 यह मामला अभी भी आयोग के समक्ष विचाराधीन है।

10. चेन्नई पुलिस द्वारा मानव अधिकार समर्थकों का गैर-कानूनी निरोध, प्रताड़ना एवं उत्पीड़न
(मामला संख्या 61/22/13/2014)

13.43 उपर्युक्त मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि एक मानव अधिकार समर्थक जिसका नाम वी. गौथामन था, के साथ पांच विद्यार्थी परवई दसन, रेमण्ड, गौथम, वसन्थन तथा जोथीलिंगम को गैर-कानूनी रूप से निरोध किया गया था तथा एक व्यक्ति जिसका नाम तमिल इनियन था को प्रताड़ित व चेन्नई, तमिलनाडु में पुलिस द्वारा शारीरिक रूप से उत्पीड़ित किया गया था।

13.44 शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया था कि वी. गौथामन के साथ पांच छात्रों को पुलिस द्वारा गैर-कानूनी रूप से तथा डी. के. बासू बनाम पश्चिम बंगाल सरकार में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों को बिना माने निरोध किया गया था। तमिल इनियन नामक व्यक्ति को भी अतिथि गृह लाया गया था जहां उपर्युक्त छः व्यक्तियों को रखा गया था।

13.45 जब इन सारे लोगों को अतिथि गृह से किसी अनजान जगह ले जाया जा रहा था उसी समय पुलिस उपायुक्त, ज्ञानशेखरण वहां पहुंच गए। उन्होंने तमिल इनियन को प्रताड़ित एवं बुरी तरह उत्पीड़ित किया क्योंकि उसने मीडिया को अपनी गिरफ्तारी का एस. एम. एस. भेज दिया था। उसे उसके अंतरंगों पर भी वार किया गया था। पकड़े गए सभी व्यक्तियों को खाना नहीं दिया गया था एवं उन्हें भूखे रखा गया था। उन्हें उनके निरोध का कोई रिकॉर्ड भी नहीं दिया गया था। तमिल इनियन का इलाज राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में दो दिन चला। शिकायतकर्ता ने जिम्मेवार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तथा पीड़ितों को राहत देने की मांग की है।

13.46 आयोग ने अपने महानिदेशक (अन्वेषण) से अनुरोध किया है कि विधि प्रभाग के एक अधिकारी के साथ अन्वेषण प्रभाग की एक टीम भेजकर मामले में स्पॉट इंक्वायरी कराकर आयोग के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

13.47 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में अन्वेषण एवं विधि प्रभाग के अधिकारियों की एक टीम ने 21 से 24 जनवरी, 2014 को चेन्नई का दौरा स्पॉट इंक्वायरी के लिए किया। इंक्वायरी समाप्त करने पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ने निम्नलिखित जानकारीयां प्राप्त कीं :-

- (क) भारत के राष्ट्रपति की लोयोला कॉलेज, चेन्नई के दौरे को ध्यान में रखते हुए नुनगम्बकम के सहायक पुलिस आयुक्त, ज्ञानशेखरण तथा उनके टीम के अधिकारियों ने (वरिष्ठ अधिकारियों के कहने पर) संदिग्ध तमिल अन्धराष्ट्रभक्तों को गिरफ्तार किया जिनमें श्री लंकन तमिल के समर्थक छात्र भी थे और राष्ट्रपति के पूरे दौरे के दौरान उन्हें निवारक निरोध में रखा।
- (ख) पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी अच्छे इरादों से तथा न्यायिक आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर की गई थी जो खूफिया विभाग के भरोसेमंद सूचनाओं पर आधारित थी जिसमें तमिल अन्धराष्ट्रभक्तों द्वारा भारत के राष्ट्रपति का लोयोला कॉलेज, चेन्नई की उच्च विवरणिका राज्य दौरे में गतिरोध उत्पन्न करना था।
- (ग) गिरफ्तारी के रिकॉर्ड बताते हैं कि सरस्वती स्ट्रीट, महालिंगपुरम, चेन्नई से छः व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, पूछताछ से पता चला कि सभी छः व्यक्तियों की वास्तविक गिरफ्तारी उनके निवास/घर से की गई थी। यह पाया गया कि सर्वोच्च न्यायालय तथा दंड प्रक्रिया संहिता में दिए गए गिरफ्तारी संबंधी दिशानिर्देश/प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।
- (घ) मीडिया के विभिन्न व्यक्तियों को तमिल इनियन ने एक एस. एम. एस. भेजा था तथा आधी रात में हुई उनकी गिरफ्तारी को सार्वजनिक किया गया था। शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि तमिल इनियन जो अन्य के साथ वाहन में बैठे थे को बाहर निकाल लिया गया था तथा मीडिया को एस. एम. एस. भेजने के लिए सहायक पुलिस आयुक्त, ज्ञानशेखरण तथा निरीक्षक श्रीकान्त द्वारा बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था। हालांकि, चिकित्सीय जांच (जैसे की डाप्लर जांच, अल्ट्रा साउंड तथा सी. टी. स्कैन) में किसी चोट की पुष्टि नहीं हुई थी तथा इलाज कर रहे डाक्टरों ने भी किसी बाहरी चोट के निशान नहीं पाए थे। तमिल इनियन (मरीज) आर. जी. जी. जी. अस्पताल, चेन्नई से इलाज के दौरान भाग गया था।

13.48 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पीड़ितों द्वारा लगाए गए आरोप यथा उन्हें पुलिस द्वारा उनके घरों से रात में उठाया जाना सही था तथा उन सात व्यक्तियों को गिरफ्तार करते समय सर्वोच्च न्यायालय/दंड प्रक्रिया संहिता के दिशानिर्देशों तथा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ने तदनुसार सिफारिश की कि आयोग पुलिस

महानिदेशक, तमिलनाडु को निर्देश दे सकती है कि सहायक पुलिस आयुक्त, नुनगम्बकम, ज्ञानशेखरण तथा पुलिस अधिकारियों की उनकी टीम जिसमें निरीक्षक शीबू कुमार तथा श्रीकान्त भी सम्मिलित हैं को गिरफ्तारी में कानूनी प्रक्रिया का पालन न करते हुए 7 लोगों की गिरफ्तारी करने के लिए लापरवाह पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

13.49 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की इंक्वायरी टीम द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात आयोग ने पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु को निर्देश दे सकती है कि सहायक पुलिस आयुक्त, नुनगम्बकम, ज्ञानशेखरण तथा पुलिस अधिकारियों की उनकी टीम जिसमें निरीक्षक शीबू कुमार तथा श्रीकान्त भी सम्मिलित हैं को गिरफ्तारी में कानूनी प्रक्रिया का पालन न करते हुए 7 लोगों की गिरफ्तारी करने के लिए लापरवाह पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

13.50 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की इंक्वायरी टीम द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात आयोग ने पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु को निर्देश दिया कि वे सहायक पुलिस आयुक्त, नुनगम्बकम, ज्ञानशेखरण तथा पुलिस अधिकारियों की उनकी टीम जिसमें निरीक्षक, शीबू कुमार एवं श्रीकान्त थे को गिरफ्तारी पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तथा दंड प्रक्रिया संहिता में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन न करते हुए प्राथमिकी संख्या 2281 में दिनांक 20 जनवरी, 2013 को नुनगम्बकम पुलिस थाने में 7 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ करें तथा आयोग में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

13.51 यह मामला अभी भी आयोग के समक्ष विचाराधीन है।

////

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

14.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाएं जो राष्ट्रीय संस्थाओं के स्तर से जुड़े हुए सिद्धांतों जिन्हें आमतौर पर पैरिस द्विांत कहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय मानकों के संवर्धन एवं उनके प्रभावी कार्यान्वयन के अनुवीक्षण में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा इस भूमिका को पहचान मिल रही है। यूनिवर्सल पिरियाडिक रिव्यू, संधि अनुवीक्षण निकायों तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार प्रणालियों के द्वारा प्रत्येक राज्य को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे एक प्रभावी, स्वतंत्र राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्था स्थापित करें जो पैरिस सिद्धांतों का अनुपालन करती हो तथा जहां पहले से ये संस्थाएं हैं वे इन्हें और मजबूत करें। राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाएं विभिन्न भागीदारों के साथ सहयोग को बढ़ावा देते हैं जिनमें संयुक्त राष्ट्र तथा विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों के उच्च आयुक्त का कार्यालय (ओ एस सी एच आर), मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन पर राष्ट्रीय संस्थाओं के अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति (अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति), तथा राष्ट्रीय पैसिफिक फोरम (ए. पी. एफ.) महत्वपूर्ण हैं।

14.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत जो आई.सी.सी. का सदस्य है तथा ए. पी. एफ. का संस्थापक सदस्य है ने विभिन्न बैठकों में भाग लिया जिनका ब्यौरा नीचे आयोग द्वारा किए गए अंतरराष्ट्रीय बैठकों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं तथा विदेशी प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के साथ दिया जा रहा है।

क. आई सी सी –26 की वार्षिक आम बैठक तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के राष्ट्रकूट फोरम की द्विवार्षिक बैठक

14.3 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री के. जी. बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु बनी राष्ट्रीय संस्थानों की अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति की 26 वीं वार्षिक आम बैठक तथा जिनेवा में 6 से 10 मई 2013 को आयोजित राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के राष्ट्रकूट फोरम की द्विवार्षिक बैठक, 2013 में भाग लिया। इस प्रतिनिधिमंडल के दो अन्य सदस्यों के रूप में श्री सत्यव्रत पाल, सदस्य तथा श्री जे. एस. कोचर, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) शामिल थे।

14.4 विश्व के सभी भागों से राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के लिए आई.सी.सी. एक प्रतिनिधिक निकाय है। वर्ष 1993 में स्थापित आई.सी.सी. पैरिस सिद्धांतों के अनुरूप राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग संस्थानों को संवर्द्धित एवं सुदृढ़ करने का कार्य करता है। यह अपनी इस भूमिका का निर्वहन राष्ट्रीय मानव अधिकार

संस्थानों के बीच समन्वय एवं सूचना के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करके करता है, जिसमें शामिल है, वार्षिक बैठक एवं द्विवार्षिक सम्मेलनों के माध्यम से; यू.एन. मानव अधिकार परिषद एवं संधि निकायों के साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की संलिप्तता को समर्थन देना; पैरिस सिद्धान्तों के अनुरूप राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को प्रत्यायन का उत्तरदायित्व; राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की भूमिका को संयुक्त राष्ट्र तथा राज्यों एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय अभिकरणों के साथ सवर्द्धित करना; मानव अधिकारों के उच्चायुक्त कार्यालय के साथ सहभागिता में क्षमता निर्माण का प्रस्ताव देना तथा जहां से निवेदन आए राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की स्थापना के लिए सरकारों को सहायता देना।

14.5 ए.पी.एफ. एवं इसके सदस्य संस्थान आई.सी.सी. के संचालन एवं मानव अधिकार पहलों के लिए निरंतर सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। आई.सी.सी. स्विस कानून के तहत एक गैर-मुनाफा संगठन के रूप में संस्थापित है। आई.सी.सी. अधिनियम को मार्च 2009 में अंगीकृत किया गया, इसके उद्देश्य एवं संचालन निर्धारित किए गए।

14.6 वे राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान जो पैरिस सिद्धान्तों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं – तथा आई.सी.सी. ब्यूरो द्वारा जिन्हें 'ए' श्रेणी प्रदान की गई है – वे आई.सी.सी. के वोटिंग सदस्य बनने के योग्य हैं तथा अभिशासकीय पदों को धारण कर सकते हैं। वे राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान जो पैरिस सिद्धान्तों का आंशिक रूप से अनुपालन करते हैं – तथा जिन्हें आई.सी.सी. ब्यूरो द्वारा 'बी' श्रेणी प्रदान की गई है – वे आई.सी.सी. की बैठकों में भाग तो ले सकते हैं परन्तु वोट डालने के पात्र नहीं हैं अथवा अभिशासकीय पद धारण नहीं कर सकते।

14.7 आई.सी.सी. का संचालन का प्रबंधन आई.सी.सी. ब्यूरो द्वारा किया जाता है, जिसमें चार क्षेत्रीय समूह—अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप तथा एशिया प्रशांत में से प्रत्येक के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय समूह का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के चार 'ए' श्रेणी के चयनित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। हाल ही में आई.सी.सी. ब्यूरो के संबंध में ए.पी.एफ. को प्रतिनिधित्व कोरिया, मलेशिया, कतर एवं थाईलैण्ड द्वारा किया गया।

14.8 आई.सी.सी. की प्रमुख भूमिका आई.सी.सी. की सदस्यता हेतु आवेदन निर्धारित करना है। इसके अतिरिक्त यह प्रत्यायन संबंधी उप-समिति की सिफारिशों का अनुपालन करते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के प्रत्यायन श्रेणी की समीक्षा तथा निर्धारण करता है।

14.9 इसके अतिरिक्त, यू.एन. मानव अधिकार परिषद में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की सहभागिता सरल बनाने के लिए मानव अधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय, विशेष रूप से राष्ट्रीय संस्थानों एवं क्षेत्रीय यांत्रिक इकाइयों, के साथ सहयोग करता है। मानव अधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय (ओ.एच.सी.एच.आर.) के राष्ट्रीय संस्थान एवं क्षेत्रीय यांत्रिक इकाई आई.सी.सी. के सचिवालय के रूप में कार्य करते हैं। यू.एन. मानव अधिकार परिषद तथा इसके मानव अधिकार यांत्रिकी में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को समर्थन देने तथा उनकी सहभागिता को सुकर बनाने के लिए जिनेवा में आई.सी.सी. का स्थाई प्रतिनिधि है।

14.10 आई.सी.सी. की बैठकें सामान्यतः वर्ष में दो बार आयोजित की जाती हैं, पहली बैठक यू.एन. मानव अधिकार परिषद के प्रथम तिमाही सत्र के संयोजन से तथा दूसरी बैठक राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान के एक क्षेत्रीय नेटवर्क बैठक के संयोजन से। द्विवार्षिक आई.सी.सी. अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के संयोजन से भी एक बैठक आयोजित की गई थी। बाद वाली बैठक में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों के प्रतिनिधियों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों एवं नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के बीच समन्वय सुदृढ़ करना, समान चिंता के मानव अधिकार विषयों पर चर्चा करना तथा राष्ट्रीय स्तर पर अनुवर्तन करना है।

14.11 आई.सी.सी.-26 की आम बैठक, जिसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था, श्रीमती नवी पिल्लई, मानव अधिकारों के यू.एन. उच्चायुक्त, राजदूत श्री रेमिगियुस्ज एचिलेस हेंस जेल, मानव अधिकार परिषद के अध्यक्ष, सुश्री गेराल्डाइन फ्रांसेर-मोलकेटी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के डेमोक्रेटिक गवर्नेंस प्रेक्टिस के निदेशक तथा आई.सी.सी. के पदमुक्त अध्यक्ष डॉ० माउसा बुरायज़त ने इसमें भाग लिया। विश्वभर से आए राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों का डॉ० माउसा बुरायज़त ने स्वागत किया तथा बैठक के उद्घाटन सत्र में भाग लेने वाले उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति हेतु उनका आभार प्रकट किया।

14.12 इस अवसर पर श्रीमती नवी पिल्लैई, मानव अधिकारों संबंधी यू.एन. उच्चायुक्त ने मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 को वियेना घोषणा एवं कार्य योजना की 20 वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। वियेना ने अनेक ऐतिहासिक मानव अधिकार प्रतिबद्धता को आकार दिया है तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के महत्व के विषय में एक मजबूत वैश्विक पहचान संजोए रखी है। उन्होंने राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों का यू.एन. मानव अधिकार क्रियाविधि के साथ परस्पर संबंध का उदाहरण तथा इसके महत्व पर बल दिया। वास्तव में इसकी स्वायत्तता एवं प्रभावोत्पादकता को बनाए रखना मुख्य चुनौतियों में से एक है। उन्होंने दोहराया कि किसी भी प्रभावी राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता उनकी स्वतंत्रता, उनकी अनेकत्वता, उनकी अखण्डता एवं उनकी समावेशिता होनी चाहिए। मानव अधिकारों के हनन के पीड़ितों द्वारा लाभकारी एवं विश्वसनीय कार्यकर्ता के रूप में समझे जाने की दिशा में यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय संस्थान सभी व्यक्तियों के समूहों के लिए सुगम एवं खुले रहें – जिसमें कमजोर वर्ग एवं हाशिए पर पड़े वर्ग शामिल हों – तथा उन्हें नागरिक समाज के सहयोग से अवश्य कार्य करना चाहिए।

14.13 इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि अनेक मामलों में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को विधिक एवं संस्थागत बाधाओं का सामना करना पड़ता है जिससे अपने अधिदेश को सफलतापूर्वक पूरा करने में कठिनाई होती है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कदाचित् आई.सी.सी. के विद्यमान प्रत्यायन प्रक्रिया को सुधारने की भी आवश्यकता है। उन्होंने पुनः पुष्टि की कि ओ.एच.सी. एच.आर., प्रत्यायन प्रक्रिया को अधिक यथार्थ, स्पष्ट एवं अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से आई.सी.सी. के साथ मिलकर कार्य करना जारी रखेगा।

14.14 अपने संबोधन के अंत में उच्चायुक्त ने सुश्री गेरालडाइन फ़रासेर – मोलकेटी, निदेशक, के डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ग्रुप ऑफ यू.एन.डी.पी. के साथ-साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के साथ यू.एन.डी.पी. की संलिप्तता के प्रति भी आभार प्रकट किया।

14.15 तत्पश्चात्, राजदूत श्री हेंस जेल, प्रेसिडेंट, मानव अधिकार परिषद ने आई.सी.सी. की 26वीं वार्षिक बैठक में संबोधित करने के लिए निमंत्रण देने के लिए आई.सी.सी. अध्यक्ष की सराहना की। उन्होंने राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को यू.पी.आर. में बढ़ती सहभागिता, विशेष प्रक्रिया तथा परिषद के अन्य विषयगत चर्चाओं का उल्लेख किया। उन्होंने इस तथ्य का स्वागत किया कि बैठक का एजेंडा मानव अधिकार समर्थकों के विषय में विशेष संपर्ककर्ता की रिपोर्ट पर विचार करना है। उन्होंने आगे बताया कि परिषद मानव अधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण में लगातार सक्रिय भूमिका निभाने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को प्रोत्साहित करता है जैसा कि मानव अधिकार दस्तावेजों में व्यवस्था है तथा सदस्य राज्यों को प्रभावी, स्वतंत्र एवं अनेकवादी राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने मानव अधिकार परिषद की क्रियाविधि के साथ आई.सी.सी. एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की नियुक्ति को सुकर बनाने में ओ.एच.सी.एच.आर. की भूमिका पर टिप्पणी की तथा परिषद के कार्यों एवं उपलब्धियों में इसकी मुख्य स्थिति के विषय में बताया, विशेष रूप से राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों द्वारा एक जनरल परिषद के सत्रों के उपयोग तथा वास्तव में प्रबल मानव अधिकार स्थिति पर जागरूकता बढ़ाने के लिए अन्य मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के विषय में बताया।

14.16 सुश्री फ़रासेर-मोलकेटी, निदेशक, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस प्रेक्टिस ऑफ यूनाइटेड नेशनस डेवलपमेंट प्रोग्राम I ने याद दिलाया कि यू.एन.डी.पी. के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के साथ संबंध इसकी मानव विकास के कोर मिशन से गति मिलती है। ओ.एच.सी.एच.आर. यू.एन.डी.पी. – आई.सी.सी. के बीच त्रिपक्षीय साझेदारी संरचना से यू.एन.डी.पी. को राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों से समर्थन हेतु आग्रह के लिए जवाब देने के लिए प्रबंध करता है। उन्होंने मानव अधिकार क्षेत्र में साझेदारी में कार्य करने के महत्त्व पर जोर दिया, जैसे केन्द्रीय एशिया, यूक्रेन तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र में क्रियान्वित गतिविधियों द्वारा उद्धृत किया गया है। इसके अतिरिक्त सुश्री फ़रासेर-मोलकेटी ने पोस्ट – 2015 संरचना के विषय में बताया तथा यह भी बताया कि किस प्रकार मानव अधिकार आधारित बनाने के लिए उत्तरदायित्व की आवश्यक क्रियाविधि उपलब्ध कराई जाए। पोस्ट-2015 प्रक्रिया में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की समावेशी, सतत् एवं प्राप्य एजेंडा की दिशा में भूमिका का आगे सुदृढीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

14.17 सभी उच्चाधिकारियों के भाषण के बाद आई.सी.सी. की 26 वीं वार्षिक बैठक का एजेन्डा अंगीकृत किया गया था। एजेंडा 5 थीमों पर केन्द्रित था (i) 20 वर्ष – विएना घोषणा तथा प्रोग्राम ऑफ एक्शन, पैरिस सिद्धांत एवं आई.सी.सी. – भविष्य के लिए योजना (ii) मानव अधिकार समर्थकों पर विशेष संपर्ककर्ता की रिपोर्ट (iii) अम्मन घोषणा पर अनुवर्तन (iv) पोस्ट – 2015 डेवलपमेंट एजेन्डा तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की भूमिका (v) सहभागिता का अधिकार।

14.18 उद्घाटन समारोह के बाद पहले दिन (6 मई 2013) को प्रथम थीम अर्थात् “20 वर्ष – वियेना घोषणा एवं प्रोग्राम ऑफ एक्शन, पैरिस सिद्धांत एवं आई.सी.सी.-भविष्य के लिए योजना” से विचार-विमर्श हेतु लिया गया। इस सत्र में, श्री सत्यब्रत पाल, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत द्वारा प्रस्तुतीकरण के अंतःक्षेप किया गया। उन्होंने शुरुआत में दर्शकों को बताया कि भारतीय मानव अधिकार आयोग इस वर्ष अपनी 20वीं वर्षगांठ मना रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 के दौरान आयोग ने 107,655 शिकायतें प्राप्त की थी, यह आंकड़ा शिकायतों की बढ़ती हुई संख्या के साथ अपेक्षाओं को पूरा करने में आने वाली कठिनाई का उदाहरण है। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा वास्तव में सामना दिए जाने वाली कुछ चुनौतियों पर प्रकाश डाला। पहला विषय आधिकारिक-कल्प शक्ति से तथा मामला अथवा विषय क्या कहना चाहता है के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता से संबंधित था। आधिकारिक-कल्प शक्ति का उल्लेख करते हुए श्री पाल ने बताया कि इस विषय पर पैरिस सिद्धांत द्वारा प्रति सप्ताह चर्चा की गई तथा इसे अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। उन्होंने नई विषयगत चुनौतियों का उदाहरण दिया जैसे पर्यावरण, व्यवसाय तथा मानव अधिकार एवं आतंकवाद। उन्होंने कहा कि इन सभी विषयों के अंतरराष्ट्रीय पहलु हैं तथा ये सभी वैश्विक समस्याएं हैं।

14.19 इसके अलावा श्री पाल ने आई.सी.सी. को सिंहावलोकन हेतु आमंत्रित किया, विशेष रूप से इसकी प्रत्यायन प्रक्रिया के विषय में बताने के लिए जिसमें विधि एवं विधिक सुधारों में अत्यधिक बल दिया गया था। श्री पलालसो ने उल्लेख किया कि आई.सी.सी. को इसके सदस्यों को केवल प्रत्येक देश के मुट्ठीभर गैर सरकारी संगठनों की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए क्योंकि यह सत्य है कि गैर सरकारी संगठनों के लिए उनके पास कोई स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं है। अंततः उन्होंने याद दिलाया कि सभी राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान एक देश से दूसरे देश में भिन्न हैं तथा कोई एक किसी विशिष्ट घरेलू विषय पर अंतरराष्ट्रीय संरचना को बाध्य नहीं कर सकता। श्री सत्यब्रत पाल द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण का संपूर्ण पाठ **अनुलग्नक – 15** पर है।

14.20 दूसरे दिन (7 मई 2013) को आई.सी.सी. अध्यादेश के अनुच्छेद 34 के अनुपालन में, दक्षिण अफ्रीका के डॉ० लॉरेंस मुशवाना को नए अध्यक्ष तथा स्कॉटिश राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान से प्रो० एलान मिलर को नए सचिव के रूप में चुना गया।

14.21 आई.सी.सी. के सदस्यों के प्रत्यायन एवं उनके मध्यावधि समीक्षा पर भी विचार-विमर्श किया गया तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के मध्यावधि समीक्षा की प्रथा को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के दृष्टिकोण को स्वीकार किया गया। सदस्य श्री सत्यब्रत पाल द्वारा इस बात पर भी जोर दिया गया कि इसके अध्यादेश में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि केवल यू. एन. के सदस्य राज्यों से राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को आई.सी.सी. द्वारा प्रत्यायित किया जा सकता है।

14.22 बाद में श्री स्टीफेनोव, प्रमुख नए.आई.आर.एम.एस. – ओ.एच.सी.एच.आर. ने ओ.एच.सी.एच.आर. के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के साथ कार्य के विषय में जानकारी दी। उनकी मध्यस्थता में अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 तक की मानव अधिकार परिषद गतिविधियों के लिए महासचिव रिपोर्ट पर प्रकाश डाला गया।

उन्होंने राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को स्थापित एवं सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों द्वारा अंगीकृत की जाने वाली अच्छी आदतों की गतिविधियों के कुछ अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए। उन्होंने संधि निकायों, मानव अधिकार परिषद (यू.पी.आर. एवं विशेष प्रक्रियाएं) के साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की चर्च के विषय में भी जानकारी दी। अंत में उन्होंने महिलाओं एवं बालिकाओं के मानव अधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण पर अम्मन घोषणा एवं प्रोग्राम ऑफ एक्शन, नवम्बर, 2012 में जोर्डन में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में अंगीकृत, के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के क्रियान्वयन की मांग की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान संघर्ष की स्थिति में कार्य कर रहे हैं, उन्हें पैरिस सिद्धांतों के अनुसार, संघर्ष के प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण में सतर्क एवं सक्रिय होने को प्रोत्साहित करना चाहिए।

14.23 इनके बाद प्रो० माइकल ओ'फ्लाहेर्टी, मानव अधिकार विशेषज्ञ, ने "रिपोर्ट ऑन ट्रीटी बॉडी स्ट्रेंथनिंग" प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने संधि निकाय प्रक्रिया में पणधारियों को शामिल नहीं किए जाने के उच्च स्तर तथा रिपोर्टिंग में देरी के विषय में तथ्य प्रस्तुत किए। उन्होंने 10: तक संधि निकाय रिपोर्टिंग पर ध्यान दिया था जबकि यू पी आर में 40: था। प्रो० ओ'फ्लाहेर्टी ने इस तथ्य से संबंधित समितियों में गैर सरकारी संगठनों की नियुक्ति के लिए जगह दी गई है परन्तु राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के सीधे हस्तक्षेप की स्वीकृति दी गई है। अतः यह प्रस्ताव रखा गया कि आई.सी.सी. के अध्यक्ष को संधि निकायों के अध्यक्ष के साथ उनकी वार्षिक बैठक में मुलाकात करनी चाहिए।

14.24 तीसरे दिन (8 मई, 2013) को सुश्री मारग्रेट सेकागगा, यू.एन. स्पेशल रैपर्टियर ऑन ह्यूमन राइट्स डिफेंडर, ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उनके प्रस्तुतीकरण के पश्चात् सुश्री ईशा डायफेन, अध्यक्ष, वुमेंस राइट्स एण्ड जेंडर सेक्शन, ओ.एच.सी.एच.आर., ने "अम्मन घोषण के अनुवर्तन" पर जोर दिया। इसके बाद ओ.एच.सी.एच.आर. की सुश्री जुलिया केरचर द्वारा "पोस्ट-2015 डेवलपमेंट एजेंडा एण्ड गेल ऑफ एन.एच.आर.आई." पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। इस सत्र की अध्यक्षता प्रो० गिलियन ट्रिग्स, अध्यक्ष, आस्ट्रेलियाई मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई थी। बैठक का अंतिम सत्र "सहभागिता का अधिकार" विषय पर था। आई.सी.सी. 26 आम बैठक का समापन नए अध्यक्ष श्री लॉरेंस मुशवाना, अध्यक्ष दक्षिण – अफ्रीकी आयोग द्वारा किया गया था।

14.25 दिनांक 9 और 10 मई, 2013 को राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के राष्ट्रमंडल मंच की द्विवार्षिक बैठक जिनेवा, स्विटजरलैण्ड में आयोजित की गई थी। इस बैठक में 20 राष्ट्र मण्डल राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों से 52 प्रतिभागियों तथा ऑम बड्समैन कार्यालयों के साथ नागरिक समाज संगठनों तथा अन्य राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान नेटवर्क ने भाग लिया। दो दिवसीय बैठक में अनेक सत्रों का आयोजन किया गया जिसमें सदस्यों एवं बाहरी विशेषज्ञों से प्रस्तुतिकरण के साथ ही खुला विचार-विमर्श भी किया गया। इसमें लिए गए विषयों में मानव अधिकार एवं सामूहिक हिंसा; यौन अभिमुखीकरण एवं लिंग पहचान तथा राष्ट्र मंडल में वृद्धजनों के अधिकारों, जिसमें वृद्धजनों के अधिकारों संबंधी अभिसमय के विषय में चर्चा शामिल है, को शामिल किया गया था। सी.एफ.एन.एच.आर.आई. वर्किंग ग्रुप से "क्लाइमेट चेंज एण्ड ह्यूमन राइट्स" तथा "अशक्तता" पर अद्यतन जानकारी भी दी गई थी।

14.26 सी.एफ.एन.एच.आर.आई. की बैठक के दौरान न्यायमूर्ति श्री के. जी. बालाकृष्णन ने “मानव अधिकार एवं सामूहिक हिंसा” से संबंधित विषयगत सत्र को संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के कार्य के विषय में तथा इसके द्वारा लिए गए मानव अधिकारों के अनेक विषयों तथा इसके द्वारा बड़ी संख्या में प्राप्त की जाने वाली शिकायतों के विषय में भी बताया।

ख. राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया प्रशांत मंच के साथ सहयोग

14.27 जैसा कि आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2011-12 में उल्लेख था, राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों का एशिया प्रशांत मंच (ए.पी.एफ.) 1996 में स्थापित एक अग्रणी क्षेत्रीय मानव अधिकार संगठन है। यह एक सदस्य-आधारित संगठन है जो इस क्षेत्र में स्वतंत्र राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण का समर्थन करता है। इसका लक्ष्य सदस्य संस्थानों के नेटवर्क के जरिए एशिया प्रशांत क्षेत्र के लोगों के मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्द्धन करना है। इस वार्षिक रिपोर्ट को लिखते समय ए.पी.एफ. में 15 पूर्ण सदस्य एवं 7 सह-सदस्य थे। ये सदस्य संपूर्ण क्षेत्र के विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत जैसा कि ऊपर उद्धृत है, इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। ए.पी.एफ. का सदस्य बनने के लिए एशिया प्रशांत में स्थित कोई भी राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान आवेदन कर सकता है। सदस्यता के विषय में फोरम काउंसिल द्वारा निर्णय लिया जाता है, जो ए.पी.एफ. का शासी निकाय है।

14.28 एक पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए एक राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान को पैरिस सिद्धांतों में दिए गए न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करना चाहिए। इसके अलावा फोरम, ए.पी.एफ. सदस्यता की श्रेणी को मापने के लिए आई.सी.सी. के प्रत्यायन निर्णय को अपनाता है। वे राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान जो पैरिस सिद्धांतों को पूरी तरह से पालन करते हैं उन्हें ‘ए’ श्रेणी के रूप में प्रत्यायित किया जाता है, जो आंशिक रूप से पालन करते हैं उन्हें ‘बी’ श्रेणी के रूप में प्रत्यायित किया जाता है। ‘ए’ श्रेणी के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को यूनाइटेडनेशंस मानव अधिकार परिषद तथा इसके सहायक निकायों के कार्य एवं निर्णयों में भाग लेने की मंजूरी होती है।

ए.पी.एफ. की 18वीं वार्षिक बैठक तथा दूसरा द्विवार्षिक सम्मेलन

14.29 ए.पी.एफ. की 18 वीं वार्षिक बैठक तथा दूसरा द्विवार्षिक सम्मेलन 1 से 3 अक्टूबर, 2013 को दोहा, कतर में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी ऑफ कतर द्वारा किया गया तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया जिसमें न्यायमूर्ति श्री के. जी. बालाकृष्णन, अध्यक्ष, श्री एस.सी. सिन्हा, सदस्य तथा श्री बी. एस. नागर, अवर सचिव (समन्वय) शामिल थे। 1 अक्टूबर, 2013 को आयोजित वार्षिक बैठक में फोरम सभासद ने 2014 में नई दिल्ली में ए.पी.एफ. की 19वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के नामांकन को स्वीकृति दी। ए.पी.एफ. संविधान के नियम 11-1 (बी) तथा (सी) में “प्रारंभिक सदस्य” तथा उनकी ‘श्रेणी’ से संबंधित प्रावधानों को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के सुझावों को स्वीकृत किया गया।

14.30 जबकि एशिया प्रशांत में अनेक देश मूलभूत राजनैतिक परिवर्तन हो रहे हैं, ए.पी.एफ. का दूसरा द्वि वार्षिक सम्मेलन 2-3 अक्टूबर, 2013 को आयोजित किया गया तथा यह लोकतंत्र की शांतिपूर्ण प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करने में शामिल अवसरों एवं चुनौतियों पर आधारित था। एशिया प्रशांत के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों, सरकारों, नागरिक समाज संगठनों एवं यू.एन. अभिकरणों से लगभग 150 प्रतिनिधियों ने रणनीतियों तथा लोकतंत्र के वास्तविक एवं समेकित परिवर्तन के विषयों की श्रृंखला पर विचार-विमर्श किया। विचार-विमर्श के विषयों में “राजनैतिक एवं लोकतांत्रिक सुधार में महिलाओं की भूमिका”, “पुलिस एवं सुरक्षा बलों के साथ कार्य करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की भूमिका” तथा लोकतंत्र एवं सुशासन में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की भूमिका”, शामिल थे। ए.पी.एफ. एक्शन प्लान तथा अम्मन घोषणा के तहत किए गए वचन बद्धता के रूप में क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों द्वारा उठाए गए व्यावहारिक कदमों पर भी एक सत्र में ध्यानाकर्षण किया गया था।

14.31 इस अवसर पर न्यायमूर्ति श्री के. जी. बालाकृष्णन ने “अम्मन घोषणा तथा प्रोग्राम ऑफ एक्शन” तथा ए.पी.एफ. एक्शन प्लान ऑन ह्यूमन राइट्स ऑफ वुमेन एण्ड गर्ल्स : प्रमोटिंग जेंडर इक्वेलिटी” पर आयोग, द्वारा की गई पहलों के विषय में जानकारी दी। ‘पुलिस एवं सुरक्षा बलों के साथ कार्य करने में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की भूमिका’ विषय से संबंधित सत्र की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत पुलिस एवं सुरक्षा बलों के साथ कार्य करते समय तथा उनके कार्यों पर निरीक्षण करते समय उनके मानव अधिकारों का पालन को सुनिश्चित करने के बहुविध तरीकों को अपनाता है। ‘लोकतंत्र एवं सुशासन’ में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की भूमिका’ विषय पर बोलते हुए श्री एस.सी. सिन्हा ने उल्लेख किया कि अपने स्थापना काल से ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने देश में व्यवस्थाओं के क्रिया-कलापों की दिशा में अर्थपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रयास में, इसे गैर-सरकारी संगठनों एवं नागरिक समाज द्वारा मदद दी जा रही है, जिनके साथ इसके संतुलित संबंध हैं। इसके अलावा, इसके पास गैर सरकारी संगठनों का कोर समूह तथा अन्य विभिन्न विषयों के विशिष्ट कोर समूह एवं विशेषज्ञ समूह हैं, जो समय-समय पर आयोग को महत्वपूर्ण विषयों पर मशवरा देते हैं।

14.32 फोरम पार्षद ने एशियन एन.जी.ओ. नेटवर्क, ऑन ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन (ए.एन.एन.आई.) के प्रतिनिधियों के साथ मानव अधिकार समर्थकों को सहायता देने के विषय पर सेवा में भी भाग लिया। न्यायमूर्ति श्री बालाकृष्णन ने कहा कि ए.एन.एन.आई. की रिपोर्ट भ्रामक हैं तथा एन.एन.आई. को इनके प्रकाशन से पूर्व इसके मसौदा रिपोर्ट पर संबद्ध राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान की टिप्पणियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को अवश्य अपनाना चाहिए। श्री कियेरेन फिट्जपैट्रिक, निदेशक, ए.पी.एफ. इस सुझाव से सहमत थे तथा उन्होंने कहा कि ए.पी.एफ. ने इस विषय पर ए.एन.एन.आई. के साथ बात की है। इस अवसर पर उपस्थित ए.एन.एन.आई. के प्रतिनिधि ने भी तदनुसार कार्य करने के लिए सहमति प्रकट की।

सिडनी में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एस.ई.ओ. की वार्षिक गोलमेज बैठक

14.33 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया प्रशांत मंच (ए.पी.एफ.) द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों की वार्षिक गोलमेज बैठक 24 एवं 25 जून, 2013 को सिडनी, आस्ट्रेलिया में आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव डॉ० अशोक साहू ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक के 6 सत्रों के दौरान अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया जिसमें शामिल हैं 'एस.ई.ओ. की भूमिका एवं उत्तरदायित्व', 'क्षमता आकलन का क्रियान्वयन', 'सुशासन एवं भ्रष्टाचार', 'एस.ई.ओ. एवं मीडिया', 'संगठन, डिजाइन एवं विकास', तथा 'ए.पी.एफ. अपडेट तथा चर्चा सत्र'।

14.34 डॉ० अशोक साहू ने 'एस.ई.ओ. की भूमिका एवं दायित्व' पर प्रस्तुतीकरण दिया तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की संरचना, कार्य एवं गतिविधियों के विषय में पूरी जानकारी दी। उन्होंने 'सुशासन एवं भ्रष्टाचार' विषय सत्र को भी संबोधित किया तथा इस विषय पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत द्वारा निभाई जा रही भूमिका पर प्रकाश डाला। प्रस्तुतीकरण के दौरान डॉ० साहू ने भ्रष्टाचार निवारण एवं सुशासन को बढ़ाने के लिए भारत में निति मानकों एवं संस्थागत प्रबंधों पर बल दिया।

ग. आई.सी.सी. – 27 की वार्षिक आम बैठक तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के राष्ट्रमंडल फोरम की वार्षिक बैठक

14.35 न्यायमूर्ति श्री के.जी. बालाकृष्णन, अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने 12 से 14 मार्च, 2014 को जिनेवा में मानव अधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति की आई.सी.सी. – 27 फोरम की वार्षिक बैठक में भाग लिया। इस प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति श्री सीरियक जोसफ, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा डॉ० परविन्दर सोही बिहुरिया शामिल थे।

14.36 स्वागत एवं आई.सी.सी. ब्यूरो मीटिंग हेतु एजेंडा स्वीकार करने के बाद श्री वी. स्टीफेनोव, प्रमुख, नेशनल इंस्टीट्यूशन एण्ड रीजनल मेकेनिज्म सेक्शन (एन.आई.आर.एम.एस.) ओ.एच.सी.एच.आर. की ओर से एक वक्तव्य दिया, जिसमें इसके परिदृश्य एवं प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला गया था। इनमें अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार प्रणाली के साथ चर्चा तथा संधि निकायों, विशेष प्रक्रिया एवं सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (यू.पी. आर.) द्वारा दिए गए आदेशों एवं सिफारिशों पर अनुवर्तन करने में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को सहायता प्रदान करना शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि महत्वपूर्ण पणधारी होने के नाते राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को यू.पी.आर. में, मानव अधिकार परिषद (एच.आर.सी.) ने दूसरे यू.पी.आर. साइकल में सहभागिता के अधिकारों एवं 'ए' श्रेणी राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की प्रत्यक्षता को विस्तृत किया है। इन संस्थानों द्वारा दी गई सूचना को अब ओ.एच.सी.एच.आर. द्वारा तैयार 'पणधारियों का संक्षिप्त विवरण' शीर्षक से एक अलग खण्ड में देखा जा सकता है, जो समीक्षा को आधार प्रदान करने वाले तीन दस्तावेजों में से एक है। इसके अलावा मानव अधिकार काउंसिल प्लेनरी द्वारा समीक्षा के नतीजे को अपनाने के दौरान,

‘ए’ श्रेणी के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान समीक्षाधीन राज्य के तुरंत बाद हस्तक्षेप करने के पात्र होंगे। संधि निकायों के संबंध में भी, ओ.एच.सी.एच.आर. लिखित अथवा मौखिक सूचना उपलब्ध करने के लिए तथा सत्रों में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक सत्र से पहले राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के साथ संपर्क में रहेंगे। एन आई आर एम एस ने संधि निकायों के ध्यानाकर्षण हेतु संस्थानों के संबंध में विवरण भी तैयार किया।

14.37 श्री स्टीफनोव ने दोहराया कि एन.आई.आर.एम.एस. राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों क्षेत्रीय नेटवर्क के साथ निकट से कार्य करने के राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन देता रहेगा; यू.एन. एवं क्षेत्रीय मानव अधिकार यंत्रावली के साथ विचार-विमर्श करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को प्रोत्साहित करके क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को समर्थन; तथा बैठकों एवं एस.सी.ए. को सचिवालय के रूप में प्रत्यापन हेतु आई.सी.सी. को समर्थन देगा। उन्होंने कहा कि ओ.एच.सी.एच.आर. ‘ए’ श्रेणी के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों से सक्षम स्टॉफ को फेलोशिप कार्यक्रम के जरिए कुछ समय के लिए ओ.एच.सी.एच.आर. में कार्य करने के लिए निरंतर समर्थन देंगे तथा मानव अधिकारों के उनके ज्ञान को विकसित करेंगे, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार प्रणाली में। उन्होंने यह कह कर अपने वक्तव्य को विराम दिया हालांकि राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान सदस्यों को राष्ट्रीय अनुभव तथा एन.आई.आर.एम.एस. से अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ दल की बेहद सक्रिय एवं विविध सुविज्ञयता उपलब्ध करा रहे हैं, खासकर राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को समर्थन देने के ओ.एच.सी. एच.आर. अधिदेश के संबंध में।

14.38 आई.सी.सी. 27 का मुख्य विषय “मानव अधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण में निवारण की भूमिका” था, जिसे मानव अधिकार परिषद (एच.आर.सी.) प्रतिबद्धता 24/16 दिनांक 8 अक्टूबर, 2013 को ध्यान में रखकर लिया गया था। विचार-विमर्श किए गए अन्य विषय थे – मानव अधिकार परिषद की सार्वभौम आवधिक समीक्षा के दूसरे चक्र के साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों का अनुभव, राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों तथा सांसदों के बीच संबंधों पर बेलग्रेड सिद्धान्त, महिलाओं के अधिकार एवं मानव अधिकारों संबंधी एक्शन प्लान तथा आई.सी.सी. प्रत्यायन प्रक्रिया।

14.39 न्यायमूर्ति श्री बालाकृष्णन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, जिन्होंने प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की, आयोग की विभिन्न गतिविधियों तथा यू.पी.आर. के द्वितीय चक्र की सभी अवस्थाओं में इसके द्वारा निभाई जाने वाली प्रमुख भूमिका के विषय में बताया। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की समीक्षा हेतु प्रत्यायन की आई.सी.सी. उप-समिति के लिए तीन नई टिप्पणियों को शामिल किया जा सकता है, जिसमें राष्ट्रीय मॉनीटरिंग निवारक यंत्रावली के रूप में सेवा करने वाले राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान; राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की न्यायिक-कल्प क्षमता; तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के कार्य निर्धारित करना। हालांकि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का विरोध करते हुए अन्य सदस्य देशों द्वारा समर्थित, आई.सी.सी. के अध्यक्ष डॉ० लॉरेंस मुशवान ने इस बात पर सहमति प्रकट की कि आई.सी.सी. अधिदेश की धारा 15 में संशोधन के माध्यम से 5 वर्ष की अवधि के भीतर, राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों

की प्रत्यायन स्थिति की समीक्षा के लिए एस.सी.ए को अधिक शक्तियां प्रदान करने के प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

14.40 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने यह माना कि प्रत्यायन अवधि के भीतर राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के समीक्षा हेतु एस.सी.ए. को सशक्त करने के लिए आई.सी.सी. अधिदेशों में संशोधन हेतु प्रस्ताव, आई.सी.सी. की धारा 5 में दिए गए प्रत्यायन एवं पुनः प्रत्यायन की समग्र प्रक्रिया के विरुद्ध है, जिसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की प्रत्यायन प्रक्रिया को पूर्णतः विश्वसनीय बनाने के लिए सभी प्रकार के जांच एवं संतुलन हेतु पर्याप्त प्रावधान हैं।

14.41 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने कुष्ठ रोग आधारित भेदभाव से निपटने के विषय में आई.सी.सी. अध्यक्ष का समर्थन किया तथा निवेदन किया कि इसे आई.सी.सी. के नीतिगत योजना के 'लक्ष्यों' में शामिल किया जाए।

14.42 आई.सी.सी. बैठक के साथ आयोजित ए.पी.एफ. फोरम काउंसिल बैठक में न्यायमूर्ति श्री बालाकृष्णन ने "फोरम काउंसिलर वर्किंग ग्रुप ऑन ए.पी.एफ. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस 2015 टू 2020" हेतु साउथ एशिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए ए.पी.एफ. निदेशक श्री केइरेन फिटज़पोट्रिक के आग्रह को स्वीकार किया। 'पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा : द इंकलूशन ऑफ ह्युमन राइट्स' पर विषयक सत्र में सभी राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों का यह मत था कि विकास के एजेंडा में मानव अधिकारों को शामिल किया जाना चाहिए।

घ. द्वितीय सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा सिफारिशों का अनुवर्तन

14.43 सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा के दूसरे चक्र का शुभारंभ 2012 में हुआ। मानव अधिकार परिषद संकल्प 5/1, 18 जून, 2007 के अनुसार स्थापित यू.पी.आर. के वर्किंग ग्रुप ने अपना 13 वां सत्र 21 मई से 4 जून 2012 को आयोजित किया। भारत की समीक्षा दिनांक 24 मई 2012 को आयोजित की गई थी। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को वर्किंग ग्रुप ने 30 मई, 2012 को अपनी बैठक में स्वीकार किया। वर्किंग ग्रुप द्वारा स्वीकृत रिपोर्ट (ए/एचआरसी/21/10) को यू.एन. वेबसाइट (यू.एन.वेबसाइट) पर देखा जा सकता है। भारत की रिपोर्ट के अंतिम परिणाम को 20 सितम्बर, 2012 को आयोजित विषय की पूर्ण बैठक में 21 वें सत्र में अंगीकृत किया गया, जिसमें भारत सरकार द्वारा 67 सिफारिशों को स्वीकार किया गया। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों की सूची उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

14.44 भारत सरकार द्वारा स्वीकृत इन सिफारिशों पर अनुवर्तन एवं क्रियान्वयन यंत्रावली का अति महत्वपूर्ण पहलू है। इन सिफारिशों का शीघ्र सफलतापूर्ण क्रियान्वयन महत्वपूर्ण है। यह तभी लाभप्रद होगा, जब वर्ष 2016 में यू.पी.आर.-III के तहत समीक्षा हेतु भारत आगे आए। स्वीकृत सिफारिशों के उचित क्रियान्वयन को मॉनीटर करने के लिए एक ढांचा विकसित किया है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों में प्रत्येक में संकेतक/अनुश्रवण योग्य परिणामों सहित कार्रवाई बिन्दुओं की श्रृंखला सूचीबद्ध की गई है। इसके अलावा यह इनके क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी प्राधिकरण की पहचान कर सकता है।

14.45 सूचीबद्ध सिफारिशों में से प्रत्येक पर संबद्ध मंत्रालय द्वारा अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में, आयोग ने मार्च 2014 में सभी मंत्रालयों को निदेश दिया कि आयोग को सूचित करते हुए इसके बनाए गए ढांचे के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें। वे मंत्रालय मुख्यतः हैं – विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, मानव संसाधन विकास, विधि एवं न्याय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अल्पसंख्यक मामले, श्रम एवं रोजगार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, खाद्य एवं लोकवितरण, पेयजल एवं स्वच्छता, सूचना एवं प्रसारण, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन, वित्त एवं आदिवासी मामले मंत्रालय। आयोग इस कार्य की सराहना करेगा यदि सूचीबद्ध सिफारिशों पर उपरोक्त मंत्रालय समय से कार्रवाई करें क्योंकि इससे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत को मदद मिलेगी जब भारत 2016 में यू.पी.आर.-प्प के तहत समीक्षा हेतु आएगा।

ड. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की अंतरराष्ट्रीय बैठकों, सम्मेलनों एवं कार्यशालाओं में भागीदारी

14.46 श्री संजय कुमार जैन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिनांक 13 से 16 मई, 2013 तक मनीला, फिलीपीन्स में ए.पी.एफ. द्वारा आयोजित "राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान तथा प्रवासी कामगारों के अधिकारों का संवर्द्धन एवं संरक्षण" पर रीजनल ब्लेंडेड-लर्निंग पायलट कोर्स में भाग लिया।

14.47 श्री पुपुल दत्त प्रसाद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 3 से 7 जून, 2013 तक यनगोन, म्यांमार में ए.पी.एफ. द्वारा आयोजित रीजनल ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर (टी.ओ.टी.) ब्लेंडेड लर्निंग कोर्स 2013 पर फेस-टू-फेस कार्यशाला में भाग लिया।

14.48 न्यायमूर्ति श्री के. जी. बालाकृष्णन, अध्यक्ष, को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में 24 से 25 जून को आयोजित "अंतरराष्ट्रीय विधिवेत्ता सम्मेलन" में "मानव अधिकार एवं आतंकवाद" पर वर्किंग सत्र में पेपर प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया।

14.49 श्रीमती कंवलजीत दयोल, महानिदेशक (अन्वेषण), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 24 से 28 जून, 2013 को वियेना, ऑस्ट्रिया में "मानव अधिकार परिषद की विशेष प्रक्रिया" की 20 वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया।

14.50 श्री ए. के. पराशर, संयुक्त रजिस्ट्रार (विधि) तथा श्री दुष्यंत सिंह, निरीक्षक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने 27 सितंबर, 2013 से 13 अक्टूबर, 2013 को शिकायत पंजीकरण प्रक्रिया, शिकायत पंजीकरण के लिए तकनीक का इस्तेमाल तथा अन्वेषक तकनीकों एवं उपायों का प्रशिक्षण देने के लिए, ए.आई.एच.आर. सी., राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत तथा नेशनल इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, अफगानिस्तान के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर अनुवर्ती कार्रवाई के भाग के तौर पर, काबुल, अफगानिस्तान का दौरा किया।

14.51 न्यायमूर्ति श्री के.जी. बालाकृष्णन, अध्यक्ष, श्री एस. सी. सिन्हा, सदस्य तथा श्री बी.एस. नागर, अवर सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने 1 से 3 अक्टूबर, 2013 को दोहा, कतर में आयोजित ए.पी. एफ. की 18 वीं वार्षिक बैठक तथा द्विवार्षिक सम्मेलन में भाग लिया।

14.52 श्री के.एच.सी. राव, उपाधीक्षक पुलिस (अन्वेषण अनुभाग) तथा श्री टी. रवीन्द्रन, अनुभाग अधिकारी, (समन्वय एकक) ने 25 नवम्बर, 2013 से 5 दिसम्बर, 2013 को बेंगलूर, थाइलैण्ड में "ब्लेंडेड लर्निंग कोर्स फार एन.एच.आर.आई" विषय पर ए.पी.एफ. द्वारा राओल वॉलेनबर्ग इंस्टीट्यूट, स्वीडन के सहयोग से आयोजित कोर्स में भाग लिया।

14.53 श्री संजीव शर्मा, वरिष्ठ सिस्टम एनालिस्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने जांबिया मानव अधिकार आयोग (जेड.एच.आर.सी.) का, 16 से 20 दिसम्बर, 2013 को उनके आयोग में प्रभावी एवं सक्षम शिकायत एवं केस प्रबंधन प्रणाली की स्थापना हेतु, दौरा किया।

14.54 न्यायमूर्ति श्री के. जी. बालाकृष्णन, अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 27 से 28 जनवरी, 2014 को "कृष्ट रोग से प्रभावित व्यक्तियों के विरुद्ध निंदा एवं भेदभाव को समाप्त करने की वैश्विक अपील 2014" के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए जकारता, इंडोनेशिया का दौरा किया।

14.55 न्यायमूर्ति श्री के.जी. बालाकृष्णन, अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री सीरियक जोसफ, सदस्य तथा डॉ० परविन्दर सोडी बिहुरिया, महासचिव ने 12 से 14 मार्च, 2014 को जिनेवा में आयोजित मानव अधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण हेतु राष्ट्रीय संस्थानों की अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति (आई.सी.सी.) की आई, सी सी-27 वार्षिक आम बैठक तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के राष्ट्रमंडल फोरम की वार्षिक बैठक में भाग लिया।

च. आयोग में विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के साथ विचार-विमर्श

14.56 वर्ष 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत में निम्नालिखित व्यक्तियों एवं प्रतिनिधिमंडलों ने दौरा किया :-

14.57 सुश्री राशिदा मंजू, महिलाओं के प्रति हिंसा संबंधी यूनाइटेड नेशनंस की स्पेशल रैपर्टियर, ने 30 अप्रैल, 2013 को 'महिलाओं के प्रति हिंसा, इसके कारण एवं परिणाम' विषय पर विचार-विमर्श हेतु आयोग का दौरा किया।

14.58 मोहम्मद कामरुल इस्लाम, बांग्लादेश के स्टेट मिनिस्टर ऑफ लॉ, जस्टिस एण्ड पार्लियामेंट अफेयर्स, ने महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों से संबंधित आयोग के कार्यों की जानकारी प्राप्त करने हेतु 14 मई, 2013 को आयोग का दौरा किया।

14.59 श्री तोगरुल आलियेव, थर्ड सेक्रेट्री (इकॉनोमिक अफेयर्स), रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान के दूतावास ने आयोग के कार्यों के विषय में जानकारी हेतु 1 अगस्त, 2013 को आयोग का दौरा किया।

14.60 श्री डॉमिनिक बार एच, चीफ ऑफमिशन, यू.एन.हाई कमिशनर फॉर रिफ्यूजी इन इंडिया तथा मालदीव, ने 16 अगस्त, 2013 को शरणार्थियों की स्थिति पर आयोग की राय के विषय में चर्चा करने हेतु आयोग के अध्यक्ष से भेंट की।

14.61 दिनांक 19 नवम्बर, 2013 को श्री दीपक ओबराय, कनाडा में विदेश मामलों एवं अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकारों के मंत्री के संसदीय सचिव ने श्री ज़िम निकेल, कनाडा के उप-उच्चायुक्त तथा श्री पॉल होंग, वरिष्ठ निति परामर्शदाता, ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दौरा किया।

14.62 मलेशियाई मानव अधिकार अधिकार आयोग (सुहाकाम) से दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अध्ययन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 16 से 20 दिसम्बर, 2014 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दौरा किया।

14.63 प्रो० हेनर बाइलेफेडिट, यू. एन. स्पेशल रैपर्टियर ऑन फ्रीडम ऑफ रिलिजन और विलीफ, ने 20 फरवरी, 2014 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दौरा किया।

14.64 सुश्री सबीना लॉबेर, मानव अधिकार यूनाइटेड नेशंस उच्चायुक्त के कार्यालय में एशिया प्रशांत मंच हेतु मानव अधिकार अधिकारी, ने 24 फरवरी, 2014 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के कार्य सहित सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा से संबंधित राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के कार्यों की चर्चा क्षेत्र में बेहतर प्रक्रिया प्रलेखन के भाग के रूप में, आयोग का दौरा किया।

14.65 जैसा कि उपरोक्त पैरा 14.50 में उल्लेख है ए.आई.एच.आर.सी., राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत तथा यू.एन.डी.पी. के बीच हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. के भाग के रूप में, ए.आई.एच.आर.सी. के 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 26 फरवरी, 2014 का आपस में सूचना एवं अनुभवों को साझा करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का दौरा किया।

राज्य मानव अधिकार आयोग

15.1 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा, 21 में निर्धारित किया गया है कि सभी राज्य सरकारों के पास अपना स्वयं का राज्य मानव अधिकार आयोग होना चाहिए ताकि इस संस्थान को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग तथा अधिनियम के तहत इसे सौंपे गए कार्यों का निर्वहन किया जा सके। इसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा। इसका एक सदस्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रहा हो अथवा जिला जज के रूप 7 वर्ष के न्यूनतम अनुभव सहित राज्य में जिला जज होना चाहिए। इसका सदस्य उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाए जिसे मानव अधिकारों से संबंधित मामलों में ज्ञान हो अथवा व्यावहारिक अनुभव रखता हो। एक समिति, जिसमें राज्य विधायिका में सत्तारूढ़ दल एवं विपक्षी दल दोनों के नेता नियुक्ति हेतु गवर्नर को सिफारिश करते हैं, जो उन्हें नियुक्त करता है।

15.2 यहां एक सचिव भी होना चाहिए जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा तथा उसको दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा राज्य आयोग के कार्यों, जो भी उसे सौंपे गए हों, का निर्वहन करेगा। राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से उल्लेख करे। राज्य आयोग मानव अधिकार हनन से संबंधित केवल उन्हीं मामलों की जांच करेगा जो संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची ८ एवं सूची ९ में उल्लिखित प्रविष्टियों में से हों। बशर्ते यदि इस प्रकार के मामले में पहले ही आयोग द्वारा अथवा अन्य आयोग, जो किसी विधि के तहत स्थापित उस समय के लिए लागू हो, द्वारा जांच की जा रही हो, राज्य आयोग ऐसे मामले में जांच नहीं करेगा। अब तक भारत के 23 राज्यों के अपने राज्य मानव अधिकार आयोग हैं।

15.3 पी.एच.आर.ए. की धारा 21 के अनुरूप, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत दर्ज की गई किसी शिकायत अथवा मानव अधिकार आयोग के समक्ष लंबित शिकायत को निपटान हेतु उस राज्य को हस्तांतरित कर सकता है, जहां से वह आई हो। हालांकि यह राज्य मानव अधिकार आयोग को ऐसी कोई शिकायत नहीं अग्रेषित करता जो कार्रवाई करने के लिए उस राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत द्वारा हस्तांतरित शिकायतों पर राज्य मानव अधिकार आयोग, द्वारा कार्रवाई एवं निपटान इस प्रकार किया जाता है मानों वह शिकायत उसके समक्ष प्रारंभ में दर्ज की गई हो।

15.4 राज्य में मानव अधिकार आयोग का होना तथा इसके कार्यों से वास्तव में मानव अधिकारों के 'बेहतर' संरक्षण में मदद मिलती है। इसके अलावा, यह एक माना हुआ सच है कि सुशासन एवं मानव अधिकार साथ-साथ चलते हैं तथा एक-दूसरे के पूरक होते हैं। मानव अधिकार मानकों के प्रभावी क्रियान्वयन में राज्य मानव अधिकार आयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य सरकारों को इस बात की सराहना

करनी चाहिए कि राज्य आयोग मददगार हैं तथा राज्य सरकारों को लोगों के मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए उनके संवैधानिक बाध्यताओं एवं दायित्वों को पूरा करने में समर्थन देते हैं – जो सुशासन का वास्तव में एक महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य सरकारों को अतएव अपने-अपने राज्यों में अतिशीघ्र इन आयोगों को पूर्णतः क्रियाशील करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। ऐसा करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्य मानव अधिकार आयोगों को राष्ट्रीय संस्थानों के स्तर से संबंधित सिद्धांतों के अनुरूप, जो कि यू.एन. महासभा संकल्प 48/134 दिनांक 20 दिसम्बर, 1993 द्वारा समर्पित किया गया था, संरचनात्मक रूप से तथा वित्तीय रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना से अपेक्षित उद्देश्य तब तक सिद्ध नहीं हो सकता, जब तक उनके कार्य हेतु उन्हें पर्याप्त मानव शक्ति, वित्त एवं संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती।

15.5 इस वार्षिक रिपोर्ट को लिखने की अवधि तक 23 राज्यों ने अपने राज्य मानव अधिकार आयोग स्थापित कर लिए थे। इन राज्यों के नाम हैं – आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओड़िशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्य मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद रिक्त पड़े हैं। मेघालय राज्य मानव अधिकार आयोग में भी इसके गठन को अधिसूचित किया गया था परन्तु अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई थी।

15.6 निस्संदेह प्रत्येक राज्य द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई है। इस कारण यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सभी राज्यों, जिन्होंने अब तक आयोग का गठन नहीं किया है, में राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाए। इस संदर्भ में, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग लगातार उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों, जिन्होंने अब तक इसकी स्थापना नहीं की है, को उनके राज्य मानव अधिकार आयोग गठित करने के साथ-साथ अध्यक्ष, सदस्यों एवं अधिकारियों की नियुक्ति सहित अपेक्षित संसाधनों, मानव शक्ति, संरचना के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए लिखा है, ताकि वे स्वतंत्रतापूर्वक एवं प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य करने में सक्षम हो सकें। अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने पूर्व में इन मुख्य मंत्रियों का ध्यानाकर्षण पी.एच.आर.ए. की धारा 21 (6) में विद्यमान उपबंधों की ओर किया था, जिससे “दो अथवा अधिक राज्य सरकारें यदि चाहें, राज्य आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य की रजामंदी से अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं अथवा जैसा भी मामला हो, साथ-साथ अन्य राज्य आयोग के सदस्य यदि वह अध्यक्ष अथवा सदस्य इस प्रकार की नियुक्ति हेतु रजामंद हों: बशर्ते कि इस उप-धारा के अंतर्गत की गई प्रत्येक नियुक्ति उस राज्य के संबंध में धारा 22 की उप-धारा (1) में संदर्भित समिति से सिफारिशें प्राप्त करने के बाद, जिसके लिए साझा अध्यक्ष अथवा सदस्य अथवा दोनों, जैसा भी मामला हो, नियुक्त किया जाना है।” यह प्रावधान उस निकटवर्ती राज्य के लिए उपयोगी हो सकता है जिसमें राज्य मानव अधिकार आयोग नहीं है तथा जो अपने राज्य में उपयुक्त मानव शक्ति/सुविज्ञता की आवश्यकता के लिए किसी दूसरे राज्य के राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों को साझा करने में इच्छुक हों।

15.7 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नियमित रूप से राज्य मानव अधिकार आयोगों के साथ रिश्ते मजबूत बनाने तथा दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए विचार-विमर्श एवं बैठकें आयोजित करता है। इन बैठकों के दौरान सहयोगी कार्यों, राज्य मानव अधिकार आयोगों के कार्यों को प्रभावित करने वाले विषयों पर चर्चा करने के अतिरिक्त – विशेष रूप से संरचना, मानव शक्ति एवं वित्त के विषय भी लिए गए तथा इन विषयों की देख-रेख के लिए संभव उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों के क्षेत्र में राज्य आयोगों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए सामग्री एवं स्रोत व्यक्ति उपलब्ध कराने में राज्य मानव अधिकार आयोगों को सहायता देता है। इसके अलावा यह राज्य मानव अधिकार आयोगों को शिकायतों के त्वरित निपटान एवं प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करने के लिए उनकी शिकायत प्रबंधन प्रणाली को सरल एवं कारगर बनाने के लिए मदद करता है। इस उद्देश्य के लिए यह राज्य मानव अधिकार आयोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। आयोग द्वारा आयोजित सम्मेलनों, कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सभी राज्य मानव अधिकार आयोगों के अध्यक्ष, सदस्यों एवं वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित रूप से आमंत्रित करता है।

अन्य क्रियाविधि

16.1 आयोग ने देश के प्रत्येक भाग में अधिकतम पहुंच बनाने के लिए अनेक क्रियाविधि तैयार की है, इनमें से कुछ तो यूनाइटेड नेशंस द्वारा बनाई गई तर्ज पर है जबकि अन्य इसके अधिदेश पर आधारित हैं। इन क्रियाविधियों का मुख्य उद्देश्य देश में मानव अधिकारों की स्थिति का अनुवीक्षण करना है ताकि लोगों के मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्द्धन सुनिश्चित हो सके। ये क्रियाविधि हैं — विशेष संपर्ककर्त्ताओं की नियुक्ति, विभिन्न विषयों पर कोर/विशेषज्ञ समूहों का गठन, देशभर में शिविर बैठकों एवं खुली सुनवाईयों का आयोजन तथा सांविधिक पूर्ण आयोग बैठकों का आयोजन करना।

क. विशेष संपर्ककर्त्ता

16.2 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में विशेष संपर्ककर्त्ताओं की नियुक्ति की व्यवस्था करने का मुख्य उद्देश्य मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (पी.एच.आर.ए.) द्वारा अधिदेशित इसके कार्य में मदद देना है। वर्ष 2013-14 के दौरान भी यह कायम था। विशेष संपर्ककर्त्ता, जैसा कि इस वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 3 में उल्लेख है, भारत सरकार के सचिव के रूप में कार्य कर चुके हों अथवा पुलिस महानिदेशक रहे हों अथवा सुविख्यात अकादमीशियन अथवा ऐसा विद्वान व्यक्ति हो जिसे मानव अधिकारों से संबंधित मामलों की जानकारी अथवा व्यावहारिक अनुभव हो। इनका चयन इनकी सुविज्ञयता, अनुभव, स्वतंत्रता, निष्पक्षता, अखंडता, वस्तुनिष्ठता के आधार पर किया जाता है तथा सरकार के कार्यकारी अथवा विधायी शाखा अथवा अन्य किसी संगठन में किसी निर्णायक पद पर आसीन नहीं हो, ताकि इसके अधिदेश में नीहित उत्तरदायित्वों के साथ हितों का टकराव उत्पन्न नहीं हो। सरकार में निर्णायक पद पर आसीन होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति से विशेष संपर्ककर्त्ताओं की निष्पक्षता एवं वस्तुनिष्ठा को क्षति पहुंच सकती है।

16.3 आयोग में नियुक्त विशेष संपर्ककर्त्ताओं को या तो विशेष विषयों जैसे बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी, हिरासतीय न्याय, अशक्तता आदि से संबंधित कार्य सौंपा गया है, अथवा मानव अधिकार एवं उल्लंघनों के विषयों से संबंधित मामलों को देखने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के समूह को शामिल कर विशेष भौगोलिक जोन का कार्य दिया गया है। इनके महत्त्वपूर्ण कार्य हैं — आयोग द्वारा सौंपे गए विशेष शिकायतों की जांच करना; जेलों, पुलिस लॉक-अप तथा अन्य निरोध के स्थानों का, वहां के संवासियों की जीवनयापन की दशाओं का अध्ययन करने के लिए, दौरा करना; आयोग के निर्देश पर दिए गए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रासंगिक विषयगत मामलों अथवा स्थिति अथवा प्रोजेक्ट अथवा कार्यक्रम का विश्लेषण करना; संबद्ध केन्द्र/राज्य सरकार(रों) एवं अन्य संगत कार्यकर्त्ताओं द्वारा किए जाने वाले उपायों पर राय देना; मानव अधिकारों

के हनन के विशेष आरोपों का उत्तर देने तथा हर्जाना देने हेतु संबद्ध राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों द्वारा तत्काल कार्रवाई हेतु आयोग की ओर से वकालत करना तथा आयोग द्वारा समय-समय पर की गई सिफारिशों का अनुवर्तन। विशेष संपर्ककर्त्ताओं को लिंग, बाल/जीवन चक्र एवं अशक्तता परिप्रेक्ष्य का ध्यान रखना चाहिए तथा अपने कार्य में इन्हें पूर्णतः शामिल करना चाहिए।

16.4 वर्ष 2013-14 के दौरान आयोग में कुल मिलाकर 9 विशेष संपर्ककर्त्ता थे जो 9 ज़ोन से संबंधित कार्यों में लगे हुए थे। इन ज़ोनों में देश के लगभग सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र शामिल थे तथा आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों पर संबद्ध राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा की गई कार्रवाई की जांच करने के अलावा इन ज़ोनों में विशेष संपर्ककर्त्ताओं का फोकस 2013-14 के दौरान उन कार्यों को करने का था जिनके लिए आयोग ने विषय/थीमवार प्राथमिकता दी थी। विशेष संपर्ककर्त्ताओं की नियुक्ति प्रारंभ में 3 वर्ष की अवधि के लिए होती है तथा उनकी अवधि अधिकतम 6 वर्ष तक अथवा 70 वर्ष की आयु तक बढ़ाई जा सकती है, जो भी पहले हो। विशेष संपर्ककर्त्ताओं के कार्यों तथा उनके द्वारा किए गए दौरों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट के पूर्ववर्ती अध्यायों में दिया गया है। उनके दौरा रिपोर्टों को "रिपोर्ट्स" शीर्षक के अंतर्गत आयोग की वेबसाइट www.nhrc.nic.in पर देखा जा सकता है।

ख कोर/विशेषज्ञ समूह

16.5 कोर/विशेषज्ञ समूह में आयोग द्वारा स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, अशक्तता आदि कार्यक्षेत्र/क्षेत्र में सुविख्यात व्यक्तियों अथवा विषय के विशेषज्ञ अथवा सरकार के प्रतिनिधि अथवा तकनीकी संस्थानों अथवा गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया जाता है। ये समूह आयोग को उन दिए गए विषयों पर विशेषज्ञ सलाह देते हैं जिनके लिए वे सुविज्ञय होते हैं। इस समय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कोर/विशेषज्ञ समूह कार्यरत हैं :-

- स्वास्थ्य संबंधी कोर परामर्शी समूह
- मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कोर समूह
- अशक्ता संबंधी कोर समूह
- गैर-सरकारी संगठनों संबंधी कोर समूह
- अधिवक्ताओं संबंधी कोर समूह
- भोजन का अधिकार संबंधी कोर समूह
- वृद्धजनों के संरक्षण एवं कल्याण संबंधी कोर समूह
- सिलिकॉसिस संबंधी विशेषज्ञ समूह
- बंधुआ मजदूरी संबंधी कोर परामर्शी समूह

16.6 कोर/विशेषज्ञ समूहों की बैठक आयोग द्वारा नियमित अंतराल पर समय-समय पर आयोजित की जाती है अथवा जब भी आवश्यक हो सदस्यों के आदेश पर आयोग में आयोजित की जाती हैं। वार्षिक रिपोर्ट के पूर्ववर्ती अध्यायों से आयोग में आयोजित विभिन्न कोर /विशेषज्ञ समूह की बैठकों का विवरण दिया गया है।

ग. सांविधिक पूर्ण आयोग बैठक

16.7 पी.एच.आर.ए. की धारा 3 (3) के अनुसार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 के खंड (बी) से (जे) में दिए गए कार्यों के निष्पादन हेतु आयोग के डीम्ड सदस्य होंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष सांविधिक पूर्ण आयोग बैठकों में विशेष आमंत्रित होते हैं।

16.8 सांविधिक पूर्ण आयोग की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाती हैं। हालांकि, इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि आयोग के समक्ष प्रस्तुत मामलों की संख्या एवं विषयों की गंभीरता के आधार पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष द्वारा आवश्यकता पड़ने पर इसकी आवृत्ति को बदला जा सकता है तथा बैठकों की आवृत्ति अधिक शीघ्रता से आयोजित की जा सकती है।

16.9 सांविधिक पूर्ण आयोग की अंतिम बैठक 4 फरवरी, 2014 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में विचार-विमर्श हेतु लिए गए विषयों की श्रृंखला में शामिल थे – अन्य राष्ट्रीय आयोगों के साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के शिकायत प्रबंधन सूचना प्रणाली (सी.एम.आई.एस.) का अन्तर-संयोजन, अनुसूचित जातियों के प्रति अत्याचार निवारण पर आयोग की के.बी. सक्सेना रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई, भारत में मानव तस्करी की रोकथाम एवं सामना, बच्चों व महिलाओं के बीच कुपोषण, कोकराझार, असम में जातीय हिंसा के पीड़ितों के जीर्णोद्धार एवं पुनर्वास तथा गैर कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम 1967। इसके अतिरिक्त सांविधिक पूर्ण आयोग के सदस्यों ने मीडिया में महिलाओं की अशोभनीय छवि, किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000, नैदानिक परीक्षण तथा गुमशुदा बच्चों से संबंधित विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

डी. आयोग की शिविर बैठकें एवं खुली सुनवाईयां

16.10 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग वर्ष 2007 से राज्यों की राजधानियों में नियमित रूप से शिविर बैठकें आयोजित करता आ रहा है ताकि लंबित शिकायतों का त्वरित निपटान हो सके तथा समय-समय पर मानव अधिकारों के हनन से संबंधित आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध में राज्य कार्यकर्ताओं द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की जा सके। शिविर बैठकों से विषयों की श्रृंखला पर एक-दूसरे के विचार जानने में आयोग एवं राज्य प्राधिकारियों के बीच एक अच्छा अंतरापृष्ठ उपलब्ध होता है।

16.11 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने तीन शिविर बैठकें रायपुर (छत्तीसगढ़), इंफाल (मणिपुर) तथा लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में आयोजित की थी। इन शिविर बैठकों से संबंधित सूचना इस वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 2 में विस्तार से दी गई है। इन शिविर बैठकों से पहले आयोग ने जनवरी, 2007 में लखनऊ (उत्तर प्रदेश), मई 2007 में पटना (बिहार), 2010 में बंगलुरु (कर्नाटक), नवम्बर, 2011 में अहमदाबाद (गुजरात) जनवरी, 2011 में भुवनेश्वर (ओड़िशा) मई, 2012 में गुवाहटी (असम) तथा मई, 2012 में शिलांग (मेघालय) में शिविर बैठकें आयोजित की थी।

16.12 आयोग ने वर्ष 2012–2013 से देश के विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में अनुसूति जातियों के प्रति अत्याचार पर खुली सुनवाइयों का आयोजन करना प्रारंभ किया था। इन खुली सुनवाइयों का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के लोगों पर किए जाने वाले अत्याचारों के साथ-साथ दिए गए राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के सदस्यों पर प्रभाव डालने वाले अन्य महत्वपूर्ण लंबित मानव अधिकार विषयों की शिकायतों का समाधान करना है। वर्ष 2012–13 के दौरान आयोग ने 6 खुली सुनवाइयां भुवनेश्वर (ओड़िशा), अहमदाबाद (गुजरात), मदुरै (तमिलनाडु) जयपुर (राजस्थान) तथा नागपुर एवं मुंबई (महाराष्ट्र) में आयोजित की थी।

16.13 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने 25 एवं 26 नवम्बर, 2013 को उत्तर प्रदेश, वाराणसी में एक खुली सुनवाई आयोजित की। दूसरी खुली सुनवाई 12 दिसम्बर, 2013 को आयोग के परिसर में आयोजित की गई थी जिसमें उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर एवं गौतमबुद्ध नगर जिलों को शामिल किया गया था। अत्याचार के मामले, जो आयोग के संज्ञान में लाए गए, उनमें पुलिस निष्क्रियता, पुलिस अधिकारियों द्वारा पक्षपातपूर्ण अन्वेषण, महिलाओं के प्रति अपराध, यौन हमला, सिविल विवाद एवं सिविल मामलों से संबंधित थे।

प्रशासन एवं संभारकीय सहयोग

17.1 जैसा कि इस वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 3 में उल्लेख है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुरूप राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रशासन अनुभाग आयोग के स्थापना, प्रशासन एवं संबंधित आवश्यकताओं तथा इसके सचिवालय के कार्य जैसे संरचना, कार्मिक, लेखा, लाइब्रेरी आदि को देखता है ताकि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्य अबाध रूप से चलते रहें। वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 3 में जहां राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना तथा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया के साथ-साथ आयोग में विभिन्न अनुभागों के कार्यों का विवरण दिया गया है, वहीं यह अध्याय आयोग के स्टॉफ की स्थिति, लाइब्रेरी, आयोग में आर.टी.आई. अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त शिकायतों की स्थिति पर केन्द्रित है।

(क) कर्मचारी

17.2 दिनांक 31 मार्च, 2013 तक आयोग में सभी श्रेणियों के कुल मिलाकर 343 संस्वीकृत पदों की तुलना में 309 कर्मचारी कार्यरत थे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सालों से कर्मचारियों के चयन तथा अपने स्वर्ग के विकास तथा निर्णय के कई तरिकों का सहारा लिया है। इन तरिकों में प्रत्यक्ष नियुक्ति, पूर्व-नियुक्ति तथा संविदा के आधार पर नियुक्ति शामिल है।

ख. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पुस्तकालय

17.3 आयोग के पुस्तकालय की स्थापना वर्ष 1994 में मुख्यतः इसके सदस्यों एवं कर्मचारियों के लिए अनुसंधान एवं संदर्भ हेतु ही गई। आयोग ने अपने पुस्तकालय को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दस्तावेजी केन्द्र (पुस्तकालय) के रूप में उच्च कोटीकरण किया है जो कम्प्यूटर तथा इंटरनेट सुविधाओं के माध्यम से पुस्तकालय सेवाओं की वृद्धि तथा पूर्ति कराएगा। पाठकों के व्यापक प्रयोग के लिए पुस्तकों/दस्तावेजों की सामग्री एवं लेख इंटरनेट/इंटरनेट पर उपलब्ध है। इसका प्रयोग वर्तमान में, मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्य कर रहे अभिशिक्षुओं, विश्वविद्यालय शोधार्थियों तथा पाठकों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है।

17.4 आयोग के पुस्तकालय के पास विभिन्न विषयों पर 22,029 पुस्तकों तथा 1395 जर्नलों का संग्रह है। इसके पास 417 सी डी/डी वी डी/कैसटों का संग्रह है। यह 59 भारतीय एवं विदेशी जर्नलों, क्रमानुसार 106 प्रकाशनों, 26 पत्रिकाओं 24 राष्ट्रीय एवं श्रेणीय अखबारों का ग्राहक है। इसके पास मानव अधिकारों एवं संबंधित विषयों पर पुस्तकों एवं दस्तावेजों का व्यापक संग्रह है। इस अवधि के दौरान समीक्षा में मानव अधिकार

एवं संबंधित विषयों पर 1560 नयी पुस्तकों, मासिक पत्रिकाओं, दस्तावेजों को पुस्तकालय के संग्रह में शामिल किया गया।

17.5 आयोग का पुस्तकालय एस. सी. सी. ऑन लाइन (सर्वोच्च न्यायालय केस फाइंडर सी डी टोम), एयर सर्वोच्च न्यायालय 1950–2012 समविष्ट एयर इन्फोटेक; एयर उच्च न्यायालय 1950–2012, आपराधिक विधि जर्नल 1950–2012 एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित साफ्टवेयर पैकेज (ई-ग्रंथालय) से लैस है।

17.6 पुस्तकालय में उपलब्ध किसी पुस्तक/दस्तावेज मुख्यतः लेखक, शीर्षक, विषय, मुख्य शब्द एवं प्रकाशन के सहारे पता लगाने के लिए विशेषकर ई-ग्रंथालय खुली लोक पहुंच सूची (online open public Access cataloguing) का विकास किया गया है। पुस्तक/दस्तावेजों की प्राप्ति के लिए निबंधों के 'मुख्य शीर्षक', 'मुख्य शब्दों' एवं यहां तक 'लेखकों' के नाम द्वारा इस तरह से सजाए जाते हैं कि उनकी आसानी से प्राप्त किया जा सके। यह आयोग के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारी, शोधकर्ताओं को सामाज शास्त्र तथा मानव अधिकार से संबंधित नए पुस्तकों के बारे में जानकारी के लिए काफी मदद करता है।

17.7 यह पुस्तकालय ब्रिटिश काउन्सल तथा डेलनेट (डेलवर्पिंग लाइब्रेरी नेटवर्किंग, नई दिल्ली) का एक संस्थानिक सदस्य है जो विभिन्न पुस्तकालयों से विभिन्न संसाधनों को बांटने में बढ़ावा देता है। पुस्तक/दस्तावेजों एवं जर्नलों तक पहुंच एवं उधार के लिए अंतर पुस्तकालय कर्ज सुविधा का भी प्रचालन करता है।

ग. सूचना का अधिकार

17.8 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (आर.टी.आई. एक्ट) के सीमा क्षेत्र के तहत आने वाले प्रश्नों के उत्तर देने के लिए संस्थागत प्रणाली का तरीका निकाला। इस उद्देश्य हेतु आयोग के सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया तथा आर.टी.आई. अधिनियम के तहत संयुक्त सचिव (पी एण्ड ए) को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। वर्ष 2013 में भारत सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा ऑन लाइन आर.टी.आई. वेब पोर्टल की शुरुआत के साथ, प्रत्येक आर.टी.आई. आवेदन पर की जाने वाली कार्रवाई पर विचार करने, जिसमें आयोग में प्राप्त आर.टी.आई. आवेदनों की बढ़ती संख्या शामिल है तथा उनका समय पर उत्तर सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने अपने संस्थागत प्रणाली को पुनः संरचना की तथा आर.टी.आई. अधिनियम के अनुसार संगत प्राधिकारियों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नामित किया:—

(i) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

- महानिदेशक (अन्वेषण) – अन्वेषण अनुभाग से संबंधित आर.टी.आई. अपीलों के लिए।
- रजिस्ट्रार (विधि) – विधि अनुभाग से संबंधित आर.टी.आई. अपीलों के लिए।

- संयुक्त सचिव (का0 एवं प्रशा0) – प्रशासन, अनुसंधान (उप सचिव (प्रशासन) यूनिट के विषय) तथा सूचना एवं प्रकाशन से संबंधित आर.टी.आई. अपीलों के लिए।
- संयुक्त सचिव (प्रशि0 एवं अनु0) – प्रशिक्षण एवं अनुसंधान अनुभाग उप सचिव (अनुसंधान) तथा वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के विषय से संबंधित आर.टी.आई. अपीलों के लिए।

ये अपीलीय प्राधिकारी प्राप्त अपीलों को सीधे ही अथवा नोडल अधिकारियों के जरिये संबद्ध पी.आई.ओ. को मार्क करेंगे, जो आवेदक को उत्तर भेजने के लिए उन आवेदनों को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

- (ii) पारदर्शिता अधिकारी – श्रीमती शोभा जॉर्ज, अवर सचिव (स्थापना), वरिष्ठ सिस्टम एनालाइस्ट द्वारा सहायता प्राप्त
- (iii) नोडल अधिकारी –
 - श्री जैमिनि कुमार श्रीवास्तव, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी – डाक एवं दस्ती द्वारा प्राप्त आर.टी.आई. आवेदनों एवं अपीलों के लिए।
 - श्री यू.एन. सरकार, सहायक सूचना अधिकारी –ऑन लाइन प्राप्त आर.टी.आई. आवेदनों एवं अपीलों के लिए।

(iv) जन सूचना अधिकारी

- श्री सुनील अरोड़ा, उप-रजिस्ट्रार (विधि) – विधि अनुभाग से संबंधित आर.टी.आई. आवेदनों के लिए।

सभी सहायक पंजीयकों (विधि) को उनके अनुभागों/एककों से संबंधित आर.टी.आई. सूचना हेतु डीम्ड पी.आई.ओ. के रूप में नियुक्त किया गया है।

अन्वेषण अनुभाग

- श्री संजय कुमार जैन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक – अन्वेषण अनुभाग से संबंधित आर.टी.आई. आवेदनों के लिए।

सभी पुलिस उपाधीक्षकों को उनके ग्रुप से संबंधित आर.टी.आई. आवेदन हेतु डीम्ड पी.आई.ओ. के रूप में नियुक्त किया गया है।

प्रशासन अनुभाग

- अवर सचिव (स्थापना) – स्थापना अनुभाग से संबंधित मामलों के लिए।

अनुभाग अधिकारी (स्थापना) को स्थापना अनुभाग से संबंधित मामलों हेतु डीम्ड पी आई ओ नियुक्त

किया गया है।

- अवर सचिव (समन्वय) – समन्वय अनुभाग से संबंधित मामलों के लिए।
अनुभाग अधिकारी (समन्वय) को समन्वय अनुभाग से संबंधित मामलों हेतु डीम्ड पी.आई.ओ. नियुक्त किया है।
- अवर सचिव (सामान्य प्रशासन) – सामान्य प्रशासन अनुभाग से संबंधित मामलों के लिए।
अनुभाग अधिकारी (सामान्य प्रशासन) को सामान्य प्रशासन अनुभाग से संबंधित मामलों हेतु डीम्ड पी.आई.ओ. नियुक्त किया गया है।
- सहायक निदेशक (राजभाषा) – राजभाषा अनुभाग से संबंधित मामलों के लिए।
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक को राजभाषा अनुभाग से संबंधित मामलों हेतु डीम्ड पी.आई.ओ. नियुक्त किया गया है।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी – लेखा अनुभाग से संबंधित मामलों हेतु
- श्री एस. एस. गोसाई, सहायक लेखाधिकारी को लेखा अनुभाग से संबंधित मामलों हेतु डीम्ड पी.आई.ओ. नियुक्त किया गया है।

सूचना एवं प्रकाशन

- सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी – सूचना एवं जन संपर्क से संबंधित मामलों हेतु।
- सहायक सूचना अधिकारी – प्रकाशन आदि से संबंधित मामलों हेतु

अनुसंधान एवं प्रशिक्षण अनुभाग

- डॉ० सविता भाखड़ी, उप-सचिव (अनुसंधान) – उप-सचिव (अनुसंधान) एवं वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी यूनिट से संबंधित अनुसंधान विषयों हेतु
- डॉ० एस. के. जैन, परिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (प्रशिक्षण) – प्रशिक्षण एवं इंटर्नशिप मामलों हेतु।

17.9 नई प्रणाली के क्रियान्वयन के साथ नोडल अधिकारियों से ऑनलाइन के साथ-साथ डाक से आर.टी.आई. आवेदन प्राप्त करने पर नियुक्त किए गए पी.आई.ओ. अब सीधे ही आवेदक को सूचना देने हेतु पत्राचार करते हैं तथा उसकी एक प्रति आर.टी.आई. यूनिट को आवधिक रिपोर्ट के संकलन हेतु भेजते हैं। अपीलों के मामले में संबद्ध पी.आई.ओ. उन आवेदनों को उनके प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष रखते हैं तथा सी.आई.सी. में सुनवाईयों में भी उपस्थित रहते हैं।

17.10 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के दौरान आर.टी.आई. अधिनियम के तहत निम्नलिखित आवेदन एवं अपीलें प्राप्त हुई थी :-

आवेदनों का विवरण

क्रमांक		ऑनलाइन	डाक	कुल
1	प्राप्त आवेदनों की संख्या	215	2797	3012
2	30 दिनों के भीतर निपटाए गए आवेदनों की संख्या	140	2542	2682
3	लंबित किन्तु 1 माह के बाद निपटाए गए आवेदनों की संख्या	...		
4	लंबित किन्तु 1 माह के भीतर आवेदनों की संख्या	10	107	117
5	अन्य मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को हस्तांतरित आवेदनों की संख्या	69	144	213

प्रथम अपीलों का विवरण

क्रमांक		ऑनलाइन	डाक	कुल
1	अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या	21	108	129
2	एक माह के भीतर इन निपटाई गई अपीलों की संख्या	19	106	125
3	लंबित अपीलों की संख्या	02	02	04

सी.आई.सी. के पास द्वितीय अपीलों का विवरण

क्रमांक		ऑनलाइन	डाक	कुल
1	सी.आई.सी. से प्राप्त नोटिसों की संख्या	...	...	19
2	सी.पी.आई.ओ./अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भाग ली गई सुनवाइयों की संख्या	...	...	19
3	सी.आई.सी. को दी गई अनुपालन रिपोर्टों के संबंध में की गई सुनवाइयों की संख्या	...	...	04
4	सी.आई.सी. को नहीं दी गई अनुपालन रिपोर्टों के संबंध में सुनवाइयों की संख्या	...	...	शून्य

मुख्य सिफारिशों और प्रेक्षकों का सार

18.1 आयोग की वार्षिक रिपोर्टें, आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष की जाने वाली समग्र गतिविधियों के बारे में बताने के अलावा देश में मानव अधिकारों संबंधी जानकारी देने वाले प्रमुख स्रोत का भी कार्य करती हैं। वर्तमान वार्षिक रिपोर्ट में भी आयोग द्वारा मानव अधिकारों संबंधी विविध चिंताओं के साथ-साथ प्राप्त शिकायतों पर तथा आयोग की अन्य महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं तथा उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। (पैरा 1.6)

18.2 हमारे जैसे विविधता भरे समाज में मानव अधिकारों, चाहे वो सिविल तथा राजनीतिक अथवा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हों, की अविभाज्य तथा अंतःसंबंधी प्रवृत्ति स्वतः स्पष्ट है। भारत के संविधान में भी इस पहलू को काफी महत्व दिया गया है। वास्तविक परिस्थिति काफी अलग है क्योंकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के खिलाफ व्यापक भेदभाव अभी भी विद्यमान हैं। महिलाओं, बच्चों तथा अन्य संवेदनशील वर्गों के संबंध में भी यह बात सत्य है। यह विपथन केवल पीड़ितों के लिए ही नहीं बल्कि समग्र देश के लिए एक गंभीर खतरा है क्योंकि भेदभाव के कारण गंभीर असमानता जन्म लेती हैं और राष्ट्र की समग्र स्वतंत्रता एवं समृद्धि को खोखला कर देती हैं। पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक समूह की समस्याओं तथा चिंताओं पर आयोग द्वारा उचित ध्यान दिया गया है। (पैरा 1.7)

18.3 इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों, विशेषतः अभिरक्षा में हुई मृत्यु, अवैध गिरफ्तारी, पुलिस की बदसलूकी, पुलिस फायरिंग तथा मुठभेड़ में मृत्यु और कारावासों की परिस्थितियों सहित हिरासतीय हिंसा एवं प्रताड़ना पर प्रकाश डाला गया है। इसके बाद रिपोर्ट में आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों जैसे कि स्वास्थ्य, भोजन, शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के अधिकार के साथ-साथ महिलाओं, बच्चों, अशक्त व्यक्तियों तथा वृद्ध लोगों सहित अन्य संवेदनशील वर्गों के अधिकारों; मानव अधिकार संबंधी शिक्षा, प्रशिक्षण तथा जागरूकता; भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा मानव अधिकारों के संरक्षकों के प्रयासों के समर्थन में राज्य मानव अधिकार आयोगों तथा गैर सरकारी संगठनों की भूमिका के बारे में बताया गया है। आयोग द्वारा निपटाए गए, अधिकारों की प्रत्येक श्रेणी के अधीन हुए मानव अधिकारों के उल्लंघन के महत्वपूर्ण मामलों को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा ह्यूमन राइट्स काउंसिल, एशिया पेसेफिक फोरम ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन्स तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए सहयोग को भी शामिल किया गया है। (पैरा 1.8)

शिकायतों की संख्या और प्रकृति

18.4 आयोग को विगत की तरह ही देश के विभिन्न भागों से विभिन्न ऐसे मुद्दों पर शिकायतें प्राप्त होना जारी है जिनमें लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ या ऐसे उल्लंघन को रोकने में लोक-सेवक उदासीन रहे। इन शिकायतों में कथित हिरासतीय मौतों, प्रताड़ना, जाली मुठभेड़, पुलिस की ज्यादाती, सुरक्षा बलों द्वारा किया गया उल्लंघन, कारावास संबंधी परिस्थितियां, महिलाओं, बच्चों तथा अन्य संवेदनशील वर्गों पर किए जाने वाले अत्याचार, सामुदायिक हिंसा, बंधुआ एवं बाल मजदूरी, सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान न करना, लोक प्राधिकारियों की लापरवाही आदि से संबंधित मामले शामिल हैं। आयोग, पुलिस मुठभेड़ों तथा पुलिस अभिरक्षा, न्यायिक अभिरक्षा तथा सैन्य/अर्ध-सैनिक बलों की अभिरक्षा में होने वाली मौतों के संबंध में प्राप्त सूचनाओं पर भी संज्ञान लेता है। आयोग, देश के विभिन्न भागों के दौरों के दौरान आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, विशेष प्रतिवेदकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के नोटिस में आने वाले मामलों सहित प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्टों से संबंधित कई घटनाओं को स्वतः संज्ञान में लेता है। (पैरा 2.18)

मानव अधिकार उल्लंघन के मामले

18.5 वर्ष 2013-2014 के दौरान आयोग में 98,136 मामले पंजीकृत किए गए (**अनुलग्नक 1**)। आयोग ने 92,292 मामलों का निपटान किया जिसमें पिछले वर्षों के मामले भी शामिल थे। पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोग द्वारा निपटाए गए कुल मामलों में से 49,776 मामलों को 'प्रारंभिक स्तर' पर ही खारिज कर दिया गया था, जबकि 26,964 मामलों में यथोचित प्राधिकारियों को उपचारी उपाय करने संबंधी निदेश देते हुए उनका निपटान किया गया। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य मानव अधिकार आयोगों को कुल 5,787 मामले अंतरित किए गए। वर्ष 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार मामलों का विवरण **अनुलग्नक-2** पर है। रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति अर्थात् 31 मार्च 2014 को आयोग के पास 28,886 मामले लंबित थे। इसमें 2,316 मामले ऐसे थे जिनका प्रारंभिक विचारण प्रतीक्षित था तथा पिछले वर्षों के 26,570 मामले ऐसे थे जिनके संबंध में संबंधित प्राधिकारियों से रिपोर्ट प्रतीक्षित थीं या प्राप्त हो गई थीं लेकिन वो आयोग के भावी विचारण के लिए लंबित थीं (**अनुलग्नक-3**)। (पैरा 2.19)

हिरासतीय हिंसा निवारण

18.6 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान न्यायिक अभिरक्षा¹ में मृत्यु की 1,557 सूचना, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की 140 सूचना तथा अर्धसैनिक बलों/रक्षा बलों की अभिरक्षा में मृत्यु की दो सूचनाएं प्राप्त हुईं। आयोग ने अभिरक्षा में मौतों के 972 मामलों का निपटान किया जिसमें न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु के 867 मामले, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के 104 मामले तथा अर्धसैनिक बलों की अभिरक्षा में मृत्यु का एक मामला शामिल थे। इन आंकड़ों में पिछले वर्ष के मामले भी शामिल हैं। (पैरा 2.21)

¹ वार्षिक रिपोर्ट में न्यायिक अभिरक्षा का अर्थ है, न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में जेलों में बंद व्यक्ति।

वित्तीय सहायता तथा उसके अनुपालन के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिशें

18.7 दिनांक 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 की अवधि के दौरान आयोग ने 443 मामलों में पीडित/मृतक के निकटतम संबंधी को वित्तीय सहायता/मुआवजे के भुगतान के रूप में 15,19,53,086/—रु० की सिफारिश की। वित्तीय राहत की सिफारिश किए गए कुल मामलों में से केवल 83 मामलों के संबंध में ही अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिनमें पीडित/मृतक के निकटतम संबंधियों को 2,33,95,000/—रु० की कुल राशि का भुगतान किया गया। इन मामलों का राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार विवरण **अनुलग्नक-4** पर है। (पैरा 2.23)

18.8 पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने ऐसे 360 मामलों की अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जिनमें 12,85,58,086/—रु० की वित्तीय सहायता की सिफारिश की गई थी (**अनुलग्नक-5**)। आयोग एक बार फिर सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से, विशेषतः उत्तर प्रदेश सरकार से सिफारिश की है कि वे उनके पास अनुपालन के लिए लंबित पड़े मामलों पर शीघ्र कार्रवाई करें ताकि प्रत्येक मामले में संस्तुत वित्तीय सहायता तत्काल ही पीडित/निकटतम संबंधी को दी जा सके। अनुलग्नक से स्पष्ट है कि 2013-2014 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के पास कुल 125 मामले, असम सरकार के पास 29 मामले और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पास अनुपालन के लिए 25 मामले लंबित थे जिनमें आयोग द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में क्रमशः 4,39,15,000/—रु०, 1,84,20,000/—रु० तथा 40,50,000/—रु० की सिफारिश की गई थी। बिहार (18/ 35,80,000/—रु०), महाराष्ट्र (18/ 62,75,000/—रु०), मध्य प्रदेश (16/ 39,45,000/—रु०), मणिपुर (16/ 84,00,000/—रु०), हरियाणा (13/ 35,55,000/—रु०), राजस्थान (13/ 24,00,000/—रु०), आंध्र प्रदेश (13/ 23,85,000/—रु०), ओडिशा (12/ 45,85,000/—रु०) तथा पश्चिम बंगाल (11/ 37,60,000/—रु०) ऐसे अन्य राज्य अवरोही क्रम में थे जहां काफी संख्या में मामले लंबित थे। (पैरा 2.24)

18.9 जहां तक पिछले वर्षों के लंबित मामलों की अनुपालन रिपोर्ट का संबंध है, 105 मामलों में अनुपालन प्रतीक्षित थी, विस्तृत विवरण के लिए **अनुलग्नक 6 एवं 7** देखें। अनुलग्नक 6 में वर्ष 2012-2013 के वित्तीय सहायता अनुपालन संबंधी लंबित मामलों का विवरण दिया गया है। जैसा कि स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य एक बार फिर से सूची में अव्वल स्थान पर है क्योंकि आयोग को आज की तारीख तक 16 मामलों में भुगतान का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, जिनमें से अधिकांश मामले सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों से संबंधित हैं। झारखण्ड (5), मध्य प्रदेश (5), पश्चिम बंगाल (4), तमिलनाडु (4), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (4), आंध्र प्रदेश (3), महाराष्ट्र (3), ओडिशा (3), पंजाब (3), कर्नाटक (2), असम (2), बिहार (2), गुजरात (2), राजस्थान (2), जम्मू एवं कश्मीर (1), हरियाणा (1), छत्तीसगढ़ (1), तथा मणिपुर (1) जैसे अन्य राज्यों ने अभी भी इस संबंध में अपनी अनुपालन रिपोर्ट अग्रेषित नहीं की है। सेना/अर्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों द्वारा महिलाओं के यौन उत्पीड़न, महिलाओं का अपमान, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अस्पतालों में अनियमितताएं/कदाचार,

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं सहित महिलाओं का अपहरण/बलात्कार तथा पेंशन का भुगतान न करना जैसे कुछेक मामलों को छोड़कर इन राज्यों से संबंधित सभी मामले मुख्यतः सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों से संबंधित थे। इन मामलों का विस्तृत विवरण राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पिछली रिपोर्टों में दिया गया है। आयोग एक बार फिर से उपरोक्त सभी राज्य सरकारों को अपनी अनुपालन रिपोर्ट भेजने के लिए तत्काल कदम उठाने के साथ-साथ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित महिलाओं सहित महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा तथा भेदभाव के कृत्यों को रोकने के लिए विशेष उपायों सहित सिविल, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए व्यापक कदम उठाने की बात दोहराई है। (पैरा 2.25)

18.10 अनुलग्नक 7 में आयोग द्वारा 1998–1999 से 2011–2012 की अवधि के दौरान वित्तीय राहत, अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा अभियोजन के लिए की गई सिफारिशों पर किए जाने वाले अनुपालन संबंधी लंबित मामलों का विवरण दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि विनिर्दिष्ट अनुलग्नक में इंगित 41 मामलों में से नौ मामलों में संबंधित राज्य सरकारों ने अपने संबंधित उच्च न्यायालयों में आयोग की सिफारिशों को चुनौती दी है तथा इनमें से अधिकांश मामलों में अंतिम निर्णय प्रतीक्षित है। ये राज्य हैं केरल (3), ओडिशा (3), जम्मू एवं कश्मीर (2) तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (1)। आयोग ने फिर भी इन सरकारों से पुरजोर अपील की है कि वे अपने संबंधित उच्च न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों के निपटान में तेजी लाएं। आयोग इस बात पर विश्वास करता है कि अनुलग्नक 7 में सूचीबद्ध अन्य राज्यों की सरकारें भी आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का अनुपालन करेंगी और पीड़ित/निकटम संबंधी को जल्द से जल्द राहत उपलब्ध कराएंगी। (पैरा 2.26)

हिरासतीय हिंसा तथा यातना

18.11 हिरासतीय हिंसा, मानवीय गरिमा पर किया जाने वाला एक सुविचारित आघात है। आयोग, हिरासतीय मौतों में परिणित होने वाले मानव अधिकारों के घोर उल्लंघनों को समाप्त करने के अपने प्रयासों में सतत एवं सक्रिय रूप से कार्यरत रहा है। हिरासतीय हिंसा को नियंत्रित करने के लिए सुव्यवस्थित प्रयास करना आयोग की प्रमुख वरीयता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने वर्ष 1993 में हुए अपने गठन से लेकर अब तक सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनके अनुसार प्रत्येक जिले के जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक को पुलिस तथा न्यायिक अभिरक्षा में हुई सभी मौतों के बारे में, ऐसी मृत्यु के होने के या ऐसी घटना के पता चलने के 24 घंटों के भीतर आयोग को इसकी सूचना देना अनिवार्य है। ऐसे मामलों के बारे में तत्काल रिपोर्ट करने में असफल रहना इस संभावना को बल देगा कि घटना को दबाने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा, पुलिस कार्रवाई में होने वाली मौतों के सभी मामलों के बारे में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा ऐसी मृत्यु के 48 घंटों के अंदर-अंदर आयोग को सूचित करना होता है। तथापि, इन दिशानिर्देशों के बावजूद आयोग ने पाया है कि कुछ राज्य इनका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। आयोग एक बार फिर से पुलिस कार्रवाई में हुई मौतों के सभी मामलों के संबंध में दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध करता है। (पैरा 4.8)

18.12 यह नोट करना प्रासंगिक है कि हिरासतीय मौतों के सभी मामले हिरासतीय हिंसा या चिकित्सीय लापरवाही नहीं होते हैं। ऐसी अधिकांश मौतों का मुख्य कारण प्राकृतिक होता है जैसे कि लम्बे समय से चली आ रही बीमारी तथा उम्रदराज होना। शेष मामलों में चिकित्सीय लापरवाही के कारण बीमारी का बढ़ जाना, लोक सेवकों द्वारा हिंसा या कैदियों के बीच हिंसा, आत्महत्या आदि जैसे कुछ अन्य कारण भी होते हैं। (पैरा 4.9)

कारावास में रह रहे कैदियों का विश्लेषण

18.13 आयोग, कैदियों की दयनीय स्थिति तथा अन्य सुविधाओं जो कि समस्याओं से ग्रस्त हैं जैसे कि बड़ी संख्या में भीड़भाड़ – के बारे में बहुत चिंतित है। आयोग, कारावास में भीड़भाड़, स्वास्थ्य, निकासी, साफ-सफाई आदि की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए देश में कैदियों की जनसंख्या के संबंध में आंकड़े एकत्रित करता है और उनका विश्लेषण करता है। यह कार्य प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के कारागार मुख्यालय से प्रत्येक छह माह में एक निर्धारित प्रारूप में आंकड़े एकत्रित करके किया जाता है। (पैरा 4.338)

18.14 भिन्न-भिन्न के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं जैसे कि जेलों की संख्या, जेलों की क्षमता, दोषसिद्धियों की संख्या, अभियोगाधीनों की संख्या, कैदियों का स्वास्थ्य संबंधी प्रोफाईल आदि। इसके बाद उपरोक्त उल्लिखित चरों की प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण दर्शाता है कि अधिसंख्य राज्यों में कारावासों में अधिक भीड़-भाड़ की समस्या देखी गई। विशेषरूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा तथा छत्तीसगढ़ में भीड़-भाड़ अधिक देखी गई। (पैरा 4.339)

18.15 आगे यह भी प्रेक्षण किया गया कि कारावास में होने वाली भीड़-भाड़ का मुख्य कारण नियमित रूप से अभियोगाधीन कैदियों की संख्या का बढ़ना और लम्बे समय तक कारावास में रहना है। कुछ मामलों में यह पाया गया कि अभियोगाधीन कैदी, किए गए अपराध के संबंध में दांडिक कानून के तहत निर्धारित समय-सीमा से अधिक समय जेलों में सड़ते हुए गुजार देते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा तथा ओडिशा जैसे राज्यों से प्राप्त आंकड़ों से इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है क्योंकि यहां पर अभियोगाधीन कैदियों का प्रतिशत सबसे अधिक है। (पैरा 4.340)

18.16 उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु तथा झारखंड राज्य में महिला कैदियों की संख्या भी काफी अधिक हैं। (पैरा 4.341)

18.17 कारावास सांख्यिकी का तुलनात्मक विश्लेषण सभी राज्यों में कारावास की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गंभीर कदम उठाने की सतत आवश्यकता को दर्शाता है। कारावास में भीड़ को कम करने के लिए जेलों की क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ जेलों के संबंधित अधिकारियों द्वारा सांविधिक प्रावधानों (पैरोल, जमानत, अवकाश, अल्पकालिक अवकाश तथा अपील याचिका आदि) का उदारतापूर्वक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उपरोक्त प्रक्रिया को पूरा करने में जेल प्राधिकारियों की मदद के लिए कैदियों के प्रतिनिधियों वाली जेल समितियां भी गठित की जानी चाहिए। (पैरा 4.342)

एक मानव अधिकार के रूप में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन

18.18 स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता, उपलब्धता, गुणता और वहनीयता; महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों; नैतिक मुद्दों तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अवैध कार्यपद्धतियां; बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ पेयजल, साफ-सफाई एवं स्वच्छता का महत्व; तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी चिंताओं को प्रकाश में लाने के उद्देश्य से आयोग ने दिनांक 5 एवं 6 नवम्बर, 2013 को स्वास्थ्य देखभाल-एक मानव अधिकार विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। (पैरा 5.12)

18.19 उपरोक्त चार महत्वपूर्ण मुद्दों पर सत्रों में हुई चर्चा के अलावा सम्मेलन में इन मुद्दों से संबंधित कार्य समूहों ने भी चर्चा की। प्रत्येक कार्य समूह की अध्यक्षता आयोग के सदस्य द्वारा की गई। प्रत्येक कार्य समूह द्वारा की गई सिफारिशों को सम्मेलन के समापन सत्र में प्रस्तुत किया गया और उन्हें अंतिम रूप दिया गया। यह सभी सिफारिशें वार्षिक रिपोर्ट के **अनुलग्नक-8** पर दी गई हैं। बाद में, इन सिफारिशों को सभी प्रतिभागियों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालयों के संबंधित सचिवों को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित किया गया कि वे इसका अनुपालन करें और अपनी की गई कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करें। (पैरा 5.18)

18.20 वार्षिक रिपोर्ट लिखे जाते समय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से एक जवाब प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने आयोग को सम्मेलन का आयोजन करने की जिम्मेदारी उठाने और सिफारिशों के आदान-प्रदान के लिए धन्यवाद दिया है क्योंकि इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपेक्षित हस्तक्षेप करने में सहायता मिलेगी। जवाब के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की प्राप्ति की दिशा में अपनी कुछ हाल ही में की गई पहलों तथा उपलब्धियों को दर्शाते हुए एक लेख अग्रेषित किया। यह **अनुलग्नक-9** पर दिया गया है। तथापि, आयोग पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के जवाब का इंतजार कर रहा है। (पैरा 5.19)

मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की कार्यपद्धति को बेहतर बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का आवेदन

18.21 उपरोक्त पत्राचार के अनुसरण में आयोग ने वर्ष 2013 में अनुलग्नक-10 में रखे गए तेरह महत्वपूर्ण मुद्दों पर यथोचित दिशानिर्देश प्राप्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय में डब्ल्यू0पी0(सी आर एल) सं0 1981 का 1900, डॉ0 उपेन्द्र बख्शी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के संबंध में एक आवेदन (सी आर एल एम पी सं0 8032/2013) किया। दिनांक 8 जुलाई, 2013 को मामले की सुनवाई पर उच्चतम न्यायालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा सभी राज्य सरकारों को निदेश दिया कि वे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तुत आवेदन के जवाब में राष्ट्रीय एवं जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन के विस्तार, प्राप्त निधियों तथा इन कार्यक्रमों पर उपयोग की गई निधियों सहित अपनी स्थिति

रिपोर्ट प्रस्तुत दर्ज करें। वार्षिक रिपोर्ट के लिखे जाने के समय पर उच्चतम न्यायालय को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा कुछ राज्यों के जवाब प्राप्त हुए। हालांकि मामला अभी भी उच्चतम न्यायालय के विचारणाधीन है, आयोग सभी राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रशासनों से अनुरोध करता है कि वे इस मामले में अपना पूर्ण सहयोग दें। (पैरा 5.22)

जनजातीय क्षेत्रों में बेहतर मेडिकल तथा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं

18.22 आयोग ने देश के जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की बेहतर सुलभता सुनिश्चित करने के लिए अवैध चिकित्सीय प्रैक्टिस तथा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं विषय पर नई दिल्ली में सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के गृह सचिवों की एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया। बाद में इस बैठक में हुई चर्चा से निकल कर आई महत्वपूर्ण सिफारिशों को की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ सभी मुख्य सचिवों तथा पणधारियों को अनुपालन के लिए अग्रेषित कर दिया गया। आयोग की वर्ष 2010-2011 की वार्षिक रिपोर्ट में इन सिफारिशों का उल्लेख किया गया था। चूंकि केवल आंध्र प्रदेश, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मिजोरम तथा पश्चिम बंगाल ने अपनी की गई कार्रवाई की रिपोर्ट अग्रेषित की थी इसलिए शेष सभी मुख्य सचिवों को 2010 में तथा रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान अनुपालन एवं की गई कार्रवाई रिपोर्ट के लिए अनुस्मारक भेजे गए। की गई कार्रवाई रिपोर्ट के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं जनजातीय मंत्रालय के सचिवों को भी अनुस्मारक भेजे गए। (पैरा 5.24)

18.23 इस वार्षिक रिपोर्ट के लिखे जाने तक उपर उल्लिखित सात राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के अलावा जिन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने बार-बार किए गए अनुरोधों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, वो इस प्रकार हैं – पंजाब, छत्तीसगढ़, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, मेघालय तथा कर्नाटक। इसके अलावा, आयोग को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा दिल्ली मेडिकल काउंसिल से भी जवाब प्राप्त हुए। हालांकि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा अनुस्मारक जारी किए जाने के एक महीने के अंदर ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जवाब प्राप्त हो गए थे लेकिन उन्होंने कुछ सिफारिशों पर सीधे-सीधे जवाब नहीं दिया। ऐसी दो सिफारिशें हैं – “अवैध चिकित्सकों तथा झोलाछापों की समस्या को समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को एक एंटी-क्वेकरी बिल लाना होगा जिसमें ऐसी चिकित्सीय दुराचारों में शामिल लोगों के लिए सख्त सजा का प्रावधान हो” और “कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के कुछेक जनजातीय क्षेत्रों में उपलब्ध मानकीकृत स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को कुछ अन्य जनजातीय क्षेत्रों में दोहराने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालय इस प्रक्रिया में सहयोग करें”। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय मामले मंत्रालय तथा शेष सभी राज्य सरकारों एवं संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से एक बार फिर कहा गया कि वे हर प्रकार से पूर्ण अपनी अनुपालन रिपोर्ट को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। (पैरा 5.25)

भारत के चुनिन्दा 28 जिलों में मानव अधिकार जागरुकता तथा सुकर मूल्यांकन तथा मानव अधिकार कार्यक्रम का प्रवर्तन

18.24 आयोग ने पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की पिछड़ी क्षेत्र अनुदान निधि का लाभ उठाने वाले एवं तत्कालीन योजना आयोग द्वारा पृष्ठांकित चयनित जिलों की सूची से प्रत्येक राज्य से एक जिले का चयन किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चयनीत जिलों में मानव अधिकारों से संबंधित मुख्य मुद्दों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, रोजगार, स्वच्छता, राजनीतिक एवं सिविल अधिकार इत्यादि पर लोगों को जागरुक करना था आयोग ने अब तक 16 जिलों का दौरा किया है एवं वयानद एवं चम्बा जिलों में समीक्षा दौरा किया है। (पैरा 8.7)

18.25 समीक्षा अवधि के दौरान, मानव अधिकार जागरुकता एवं इसकी सुकर निर्धारण तथा मानव अधिकार कार्यक्रम के प्रवर्तन के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने श्री एस0सी0 सिन्हा, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 17 से 20 नवम्बर, 2013 को चम्बा, हिमाचल प्रदेश का पुनः दौरा किया। चम्बा में समीक्षा दौरे की प्रक्रिया के दौरान की गई अवलोकन एवं सिफारिशों का विवरण **संलग्नक-11** में सूचीबद्ध है। हिरासतीय न्याय, स्वास्थ्य, विद्यालय शिक्षा एवं मिड-डे मील, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, मनरेगा के तहत परियोजनाएं, भोजन एवं लोक वितरण प्रणाली एवं अन्य संबंधित मुद्दों पर अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए इन सिफारिशों को मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश शासन एवं उपायुक्त, चम्बा जिला को अग्रेषित की गई। चम्बा निवासियों के रहन-सहन में सहायता प्रदान करने में वहां के लोक प्राधिकारियों को सुकर बनाने के लिए, कथित अवलोकनों एवं सिफारिशों की प्रति को संबंधित सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास, महिला एवं बाल विकास एवं भोजन एवं लोक वितरण विभाग को अग्रेषित की गई। यह वार्षिक रिपोर्ट लिखते वक्त, आयोग में उपर उद्धृत मंत्रालयों से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है। आयोग दोबारा सभी मंत्रालयों से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत कहने को कहता है ताकि की गई अनुवर्ती कार्रवाई का निर्धारण किया जा सके। (पैरा 8.8)

महिलाओं के मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन

18.26 आयोग द्वारा दिनांक 18 और 19 फरवरी, 2014 को नई दिल्ली में महिलाओं के मानव अधिकारों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में चार मौलिक मुद्दों पर चर्चा की गई : छोटे परिवारों के मानदंडों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित या हतोत्साहित करने वाले प्रावधानों सहित महिलाओं के यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी अधिकार, महिलाओं और लड़कियों के प्रति हिंसा, महिला सशक्तिकरण तथा लिंग समानता, और महिलाओं एवं लड़कियों का अवैध मानव व्यापार। अनुलग्नक-13 पर रखी सम्मेलन की सिफारिशों को सभी प्रतिभागियों को अग्रेषित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संबंधित सचिवों/निदेशकों को तथा सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों तथा पुलिस महानिदेशकों को भी अनुपालनार्थ अग्रेषित

किया गया और उनसे अतिशीघ्र ही की गई कार्रवाई रिपोर्ट भेजने के लिए भी कहा गया ताकि आयोग को उपरोक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन के स्तर के बारे में अवगत कराया जा सके। आयोग ने सभी पणधारियों से इन सिफारिशों का ईमानदारी से अनुपालन करने और आयोग को संबंधित अनुपालन रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया। इससे आयोग को बीजिंग-20 में महिलाओं के अधिकारों के संबंध में हुई प्रगति के बारे में रिपोर्ट करने में सुविधा होगी क्योंकि वर्ष 2015 में महिलाओं के चौथे विश्व सम्मेलन एवं बीजिंग घोषणापत्र अभिग्रहण एवं कार्रवाई मंच की 20वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। (पैरा 9.6, 9.8 तथा 9.9)

जन्म पंजीकरण : प्रत्येक बच्चे का अधिकार

18.27 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, वर्ष 2012 में जिनिवा में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के तत्वावधान में आयोजित द्वितीय सार्वभौमिक आवधिक पुनरीक्षा में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करके अपने स्तर पर देश में जन्म पंजीकरण के मुद्दे की जांच कर रहा है। इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गई सभी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एक मॉनीटरिंग ढांचा तैयार किया है। इस ढांचे को अन्य पणधारियों के साथ विचार-विमर्श करके तैयार किया गया है तथा इस वार्षिक रिपोर्ट के लिखे जाने के समय तक आयोग ऐसे संबंधित मंत्रालयों के सचिवों/संयुक्त सचिवों के साथ बैठके आयोजित करने की प्रक्रिया में था जिनकी क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर की विचारगोष्ठियों की जांच की जानी थी। (पैरा 9.14)

अवैध मानव व्यापार तथा वेश्यावृत्ति का शोषण, विशेषतः बच्चों एवं महिलाओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए अवैध मानव व्यापार को रोकने तथा उससे लड़ने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत द्वारा विकसित एकीकृत कार्य योजना संबंधी जानकारी

18.28 आयोग ने, बच्चों एवं महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए अवैध मानव व्यापार से लड़ने और उसे रोकने के लिए एकीकृत कार्य योजना को, अपनी तरफ से अंतिम रूप दे दिया और उसे इस मामले में भावी अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित कर दिया। अब, जबकि एकीकृत कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है, आयोग ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से दोबारा कहा है कि वो इस प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा अंगीकृत किए जाने और महिलाओं एवं बच्चों के व्यावसायिक शोषण तथा अवैध मानव व्यापार से लड़ने के लिए 1998 की कार्य योजना के स्थान पर इसे प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तुत करें। (पैरा 9.23)

सी0ई0डी0ए0डब्ल्यू0 का वैकल्पिक प्रोटोकॉल तथा सी0ई0डी0ए0डब्ल्यू0 के पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 20 में संशोधन ।

18.29 भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने दिनांक 19 सितम्बर, 2013 को

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया था कि वो सी0ई0डी0ए0डब्ल्यू0 के वैकल्पिक नयाचार पर हस्ताक्षर करने और अभिपुष्टि करने के संबंध में आवश्यक कदम उठाएं। मंत्रालय ने निम्नलिखित जवाब दिया –

“भारत सरकार ने भारत की सार्वभौमिक आवधिक पुनरीक्षा के दौरान शिष्टमंडलों द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध में वर्ष 2008 से यह निर्णय लिया कि “भारत के संविधान में किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के हनन के समाधान के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय तक पहुंचने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, ऐसे उल्लंघनों को संबोधित करने के लिए हमारे पास राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोगों जैसे बहुत से अन्य सांविधिक तंत्र हैं। महिलाओं के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग तथा राज्य महिला आयोग हैं जिन्हें अन्य बातों के साथ-साथ महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों को संबोधित करने का अधिदेश प्राप्त है। अतः भारत में उल्लंघन के व्यक्तिगत मामलों को संबोधित करने के लिए प्रभावी विधिक एवं संवैधानिक ढांचा विद्यमान है।”

18.30 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिए गए उपरोक्त जवाब की एक प्रति को भी विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित कर दिया गया था। आयोग ने अपनी तरफ से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से अनुरोध किया कि वो द्वितीय सार्वभौमिक आवधिक पुनरीक्षा में भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों के आलोक में अपने वर्ष 2008 में लिए गए निर्णय की पुनरीक्षा करें। (पैरा 9.24 एवं 9.25)

मानव अधिकार समर्थकों की सुरक्षा

18.31 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने अपनी ओर से भारत में मानव अधिकारों के समर्थकों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कई कदम उठाए हैं। इसीको प्रोत्साहित करते हुए रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को अपने पदाधिकारियों को मानव अधिकारों के समर्थकों द्वारा झेली जा रही समस्याओं के बारे में सुग्राही बनाने और यह कि उन्हें देश के मानव अधिकार पर्यावरण में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए एक भागीदार के रूप में समझने के लिए एक पत्र लिखा। आयोग का विश्वास है कि उसके दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। (पैरा 13.6)

द्वितीय सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा सिफारिशों का अनुवर्तन

18.32 सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा के दूसरे चक्र का शुभारंभ 2012 में हुआ। मानव अधिकार परिषद संकल्प 5/1, 18 जून, 2007 के अनुसार स्थापित यू.पी.आर. के वर्किंग ग्रुप ने अपना 13 वां सत्र 21 मई से 4 जून 2012 को आयोजित किया। भारत की समीक्षा दिनांक 24 मई 2012 को आयोजित की गई थी। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को वर्किंग ग्रुप ने 30 मई, 2012 को अपनी बैठक में स्वीकार किया। वर्किंग ग्रुप द्वारा

स्वीकृत रिपोर्ट (ए/एचआरसी/21/10) को यू.एन. वेबसाइट (यूनैटड नेशन्स वेबसाइट) पर देखा जा सकता है। भारत की रिपोर्ट के अंतिम परिणाम को 20 सितम्बर, 2012 को आयोजित विषय की पूर्ण बैठक में 21 वें सत्र में अंगीकृत किया गया, जिसमें भारत सरकार द्वारा 67 सिफारिशों को स्वीकार किया गया। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों की सूची उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है। (पैरा14.43)

18.33 भारत सरकार द्वारा स्वीकृत इन सिफारिशों पर अनुवर्तन एवं क्रियान्वयन यंत्रावली का अति महत्वपूर्ण पहलू है। इन सिफारिशों का शीघ्र सफलतापूर्ण क्रियान्वयन महत्वपूर्ण है। यह तभी लाभप्रद होगा, जब वर्ष 2016 में यू.पी.आर.-III के तहत समीक्षा हेतु भारत आगे आए। स्वीकृत सिफारिशों के उचित क्रियान्वयन को मॉनीटर करने के लिए एक ढांचा विकसित किया है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों में प्रत्येक में संकेतक/अनुश्रवण योग्य परिणामों सहित कार्रवाई बिन्दुओं की श्रृंखला सूचीबद्ध की गई है। इसके अलावा यह इनके क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी प्राधिकरण की पहचान कर सकता है। (पैरा14.44)

18.34 सूचीबद्ध सिफारिशों में से प्रत्येक पर संबद्ध मंत्रालय द्वारा अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में, आयोग ने मार्च 2014 में सभी मंत्रालयों को निदेश दिया कि आयोग को सूचित करते हुए इसके बनाए गए ढांचे के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें। वे मंत्रालय मुख्यतः हैं – विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, मानव संसाधन विकास, विधि एवं न्याय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अल्पसंख्यक मामले, श्रम एवं रोजगार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, खाद्य एवं लोकवितरण, पेयजल एवं स्वच्छता, सूचना एवं प्रसारण, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन, वित्त एवं आदिवासी मामले मंत्रालय। आयोग इस कार्य की सराहना करेगा यदि सूचीबद्ध सिफारिशों पर उपरोक्त मंत्रालय समय से कार्रवाई करें क्योंकि इससे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत को मदद मिलेगी जब भारत 2016 में यू.पी.आर.-III के तहत समीक्षा हेतु आएगा। (पैरा14.45)

राज्य मानव अधिकार आयोग

18.35 इस वार्षिक रिपोर्ट को लिखने की अवधि तक 23 राज्यों ने अपने राज्य मानव अधिकार आयोग स्थापित कर लिए थे। इन राज्यों के नाम हैं – आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्य मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद रिक्त पड़े हैं। मेघालय राज्य मानव अधिकार आयोग में भी इसके गठन को अधिसूचित किया गया था परन्तु अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई थी। (पैरा15.5)

18.36 निस्संदेह प्रत्येक राज्य द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई है। इस कारण यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सभी राज्यों, जिन्होंने अब तक आयोग का गठन नहीं किया है, में राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाए। इस संदर्भ में, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग लगातार उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों, जिन्होंने अब तक इसकी स्थापना नहीं की है, को उनके

राज्य मानव अधिकार आयोग गठित करने के साथ-साथ अध्यक्ष, सदस्यों एवं अधिकारियों की नियुक्ति सहित अपेक्षित संसाधनों, मानव शक्ति, संरचना के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए लिखा है, ताकि वे स्वतंत्रतापूर्वक एवं प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य करने में सक्षम हो सकें। अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने पूर्व में इन मुख्य मंत्रियों का ध्यानाकर्षण पी.एच.आर.ए. की धारा 21 (6) में विद्यमान उपबंधों की ओर किया था, जिससे "दो अथवा अधिक राज्य सरकारें यदि चाहें, राज्य आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य की रजामंदी से अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं अथवा जैसा भी मामला हो, साथ-साथ अन्य राज्य आयोग के सदस्य यदि वह अध्यक्ष अथवा सदस्य इस प्रकार की नियुक्ति हेतु रजामंद हों: बशर्ते कि इस उप-धारा के अंतर्गत की गई प्रत्येक नियुक्ति उस राज्य के संबंध में धारा 22 की उप-धारा (1) में संदर्भित समिति से सिफारिशें प्राप्त करने के बाद, जिसके लिए साझा अध्यक्ष अथवा सदस्य अथवा दोनों, जैसा भी मामला हो, नियुक्त किया जाना है।" यह प्रावधान उस निकटवर्ती राज्य के लिए उपयोगी हो सकता है जिसमें राज्य मानव अधिकार आयोग नहीं है तथा जो अपने राज्य में उपयुक्त मानव शक्ति/सुविज्ञता की आवश्यकता के लिए किसी दूसरे राज्य के राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों को साझा करने में इच्छुक हों। (पैरा15.6)

.....

अनुलग्नक

अनुलग्नक - 8

पैरा 2.19

यह विवरण दिनांक 01/04/2013 से 31/03/2014 तक
पंजीकृत मामलों को दर्शाता है

राज्य संघशासित क्षेत्र का नाम	शिकायतों की संख्या	स्वतः संज्ञान	हिरासतीय मौतें / बलात्कार के विषय में प्राप्त सूचना			मुठभेड़ में मौतों के बारे में प्राप्त सूचना	कुल
			पुलिस हिरासत में हुई मौत / बलात्कार	न्यायिक हिरासत में हुई मौत / बलात्कार	अर्द्ध सैनिक / रक्षा हिरासत में हुई मौत / बलात्कार		
सम्पूर्ण भारत	73	2	0	0	0	0	75
आंध्र प्रदेश	1451	3	7	122	0	2	1585
अरुणाचल प्रदेश	39	0	1	2	0	6	48
आसाम	319	2	13	14	1	58	407
बिहार	4245	8	9	93	0	7	4362
गोवा	53	0	0	2	0	0	55
गुजरात	1526	2	10	47	0	0	1585
हरियाणा	10226	12	6	48	0	5	10297
हिमाचल प्रदेश	246	5	2	3	0	0	256
जम्मू एवं कश्मीर	380	3	0	6	0	0	389
कर्नाटका	690	4	0	2	0	2	698
केरला	527	3	3	50	0	0	583
मध्य प्रदेश	2262	3	6	117	0	4	2392
महाराष्ट्र	3039	5	20	99	0	1	3164
मणिपुर	89	1	0	0	0	3	93
मेघालय	45	1	4	2	0	7	59
मिजोरम	18	0	1	0	0	0	19
नागालैंड	16	1	0	3	0	0	20
ओडिशा	5368	3	4	48	0	12	5435
पंजाब	1730	2	3	171	0	2	1908
राजस्थान	2578	3	3	65	0	0	2649
सिक्किम	14	0	0	3	0	0	17
तमिलनाडु	2595	3	9	70	0	1	2678
त्रिपुरा	1033	1	1	5	0	0	1040
उत्तर प्रदेश	44397	37	15	347	0	4	44800
पश्चिम बंगाल	1352	3	11	97	1	1	1465
अंडमान एवं निकोबार	34	0	0	1	0	0	35
चंडीगढ़	162	1	0	2	0	0	165
दादर एवं नागर हवेली	18	0	0	0	0	0	18
दमन एवं दीप	13	0	0	0	0	0	13
दिल्ली	7108	17	4	36	0	3	7168
लक्षद्वीप	36	0	0	0	0	0	36
पुडुचेरी	75	0	0	0	0	0	75
छत्तीसगढ़	737	7	2	56	0	18	820
झारखंड	1575	1	6	51	0	12	1645
उत्तराखण्ड	1841	1	0	15	0	0	1857
विदेश	225	0	0	0	0	0	225
कुल	96135	134	140	1577	2	148	98136

अनुलग्नक - 2

पैरा 2.19

यह विवरण वर्ष 2013-14 के दौरान मामलों में निपटान को दर्शाता है

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	आरंभ में ही खारिज	निर्देशों के साथ निपटारा	रा.मा.अ. आ. को हस्तांतरित	रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद सहायता			कुल
				शिकायतें/ स्वतः मामले	हिरासतीय मौतें/ बलात्कार	मुठभेड़ में हुई मौतों के बारे में प्राप्त सूचना	
सम्पूर्ण भारत	64	11	0	5	0	0	80
आंध्र प्रदेश	755	198	167	103	52	4	1279
अरुणाचल प्रदेश	14	9	0	4	1	0	28
आसाम	160	48	18	70	16	12	324
बिहार	2573	593	466	426	58	5	4121
गोवा	27	17	2	18	3	0	67
गुजरात	882	319	175	100	41	0	1517
हरियाणा	7144	1745	466	469	32	2	9858
हिमाचल प्रदेश	102	52	18	31	7	0	210
जम्मू एवं कश्मीर	212	75	16	23	2	0	328
कर्नाटका	433	96	67	53	6	6	661
केरला	336	74	29	25	29	1	494
मध्य प्रदेश	1269	368	220	199	97	2	2155
महाराष्ट्र	1836	478	404	282	78	16	3094
मणिपुर	24	15	0	29	0	0	68
मेघालय	15	9	0	5	0	4	33
मिजोरम	3	3	0	7	0	0	13
नागालैंड	6	5	0	2	1	0	14
ओडिशा	703	4466	207	2791	19	9	8195
पंजाब	1184	318	178	70	74	1	1825
राजस्थान	1343	397	290	270	40	1	2341
सिक्किम	8	5	0	2	0	0	15
तमिलनाडु	1645	266	345	168	73	3	2500
त्रिपुरा	27	1011	0	17	1	0	1056
उत्तर प्रदेश	21382	13460	2294	2386	211	39	39772
पश्चिम बंगाल	735	192	196	164	28	0	1315
अंडमान एवं निकोबार	16	11	0	6	0	0	33
चंडीगढ़	97	37	0	21	2	0	157
दादर एवं नागर हवेली	14	1	0	2	0	0	17
दमन एवं दीप	10	2	0	2	1	0	15
दिल्ली	4303	1613	0	621	19	2	6558
लक्षद्वीप	6	5	0	0	0	0	11
पुडुचेरी	38	13	0	9	3	0	63
छत्तीसगढ़	357	123	51	80	31	2	644
झारखंड	842	318	156	111	37	2	1466
उत्तराखण्ड	1069	546	22	103	10	1	1751
विदेश	142	65	0	7	0	0	214
कुल	49776	26964	5787	8681	972	112	92292

अनुलग्नक - 3

पैरा 2.19

यह विवरण दिनांक 31/3/2014 तक के लम्बित मामलों की संख्या को दर्शाता है

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्रारंभिक विचार के लिए लम्बित मामलें				Pendency of Cases where Reports have either been Received or Awaited from the State Authorities				कुल जोड़
	शिकायतें / स्वतः संज्ञान	हिरासतीय बलात्कार / मौतें	मुठभेड में हुई मौत	कुल	शिकायतें / स्वतः संज्ञान	हिरासतीय बलात्कार / मौतें	मुठभेड में हुई मौत	कुल	
सम्पूर्ण भारत	0	0	0	0	5	0	0	5	5
आंध्र प्रदेश	30	0	0	30	455	256	21	732	762
अरुणाचल प्रदेश	0	1	0	1	26	8	10	44	45
आसाम	4	0	4	8	233	52	214	499	507
बिहार	71	2	1	74	864	223	11	1098	1172
गोवा	0	0	0	0	12	4	0	16	16
गुजरात	22	1	0	23	369	134	3	506	529
हरियाणा	200	1	0	201	1240	119	11	1370	1571
हिमाचल प्रदेश	4	0	0	4	96	10	0	106	110
जम्मू एवं कश्मीर	7	0	0	7	251	11	1	263	270
कर्नाटका	16	0	0	16	183	23	9	215	231
केरला	15	0	0	15	766	99	0	865	880
मध्य प्रदेश	62	0	0	62	620	195	21	836	898
महाराष्ट्र	72	2	0	74	634	292	29	955	1029
मणिपुर	1	0	1	2	164	6	42	212	214
मेघालय	0	0	0	0	37	8	29	74	74
मिजोरम	0	0	0	0	16	3	0	19	19
नागालैंड	1	0	0	1	10	5	0	15	16
ओडिशा	168	0	0	168	2131	80	22	2233	2401
पंजाब	17	2	0	19	332	184	3	519	538
राजस्थान	36	0	0	36	718	153	8	879	915
सिक्किम	0	0	0	0	3	3	0	6	6
तमिलनाडु	69	1	0	70	563	132	10	705	775
त्रिपुरा	0	0	0	0	41	10	3	54	54
उत्तर प्रदेश	1217	2	0	1219	9216	740	119	10075	11294
पश्चिम बंगाल	28	0	0	28	514	183	20	717	745
अंडमान एवं निकोबार	1	0	0	1	14	4	1	19	20
चंडीगढ़	1	0	0	1	57	7	0	64	65
दादर एवं नागर हवेली	0	0	0	0	3	0	0	3	3
दमन एवं दीप	0	0	0	0	3	0	0	3	3
दिल्ली	129	0	0	129	1811	75	18	1904	2033
लक्षद्वीप	0	0	0	0	26	0	0	26	26
पुडुचेरी	3	0	0	3	36	3	0	39	42
छत्तीसगढ़	17	0	1	18	359	118	40	517	535
झारखंड	37	0	0	37	467	105	36	608	645
उत्तराखण्ड	60	0	0	60	296	34	4	334	394
विदेश	9	0	0	9	35	0	0	35	44
कुल	2297	12	7	2316	22606	3279	685	26570	28886

वर्ष 2013-2014 के दौरान कुल मामलों की संख्या जहां पर रा.मा.अ.आ. द्वारा आर्थिक सहायता की सिफारिश की गई

क्रम सं.	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र का नाम	सिफारिश किए गए मामलों की संख्या की राशि	पीडित या उनके निकट संबंधी के लिए सिफारिश की	सिफारिश के अनुपालन में मामलों की संख्या	चुकाई गई राशि	अनुपालन के लिए लंबित मामलों की संख्या राशि	लंबित मामलों के अनुपालन में सिफारिश की गई
1	अंडमान एवं निकोबार	1	300000	1	300000	0	0
2	आंध्र प्रदेश	18	3585000	5	1200000	13	2385000
3	अरुणाचल प्रदेश	3	3600000	0	0	3	3600000
4	असम	30	18620000	1	200000	29	18420000
5	बिहार	21	4080000	3	500000	18	3580000
6	चंडीगढ़	1	15000	0	0	1	15000
7	छत्तीसगढ़	8	2950000	7	2450000	1	500000
8	दमन एवं दीप	1	100000	1	100000	0	0
9	दिल्ली	31	4980000	6	930000	25	4050000
10	गुजरात	7	4040000	3	440000	4	3600000
11	हरियाणा	16	3965000	3	410000	13	3555000
12	हिमाचल प्रदेश	1	500000	1	500000	0	0
13	जम्मू एवं कश्मीर	2	1100000	0	0	2	1100000
14	झारखण्ड	14	4650000	1	100000	13	4550000
15	कर्नाटक	7	1060000	2	200000	5	860000
16	केरल	8	1350000	1	100000	7	1250000
17	मध्य प्रदेश	19	5245000	3	1300000	16	3945000
18	महाराष्ट्र	19	6375000	1	100000	18	6275000
19	मणिपुर	17	9100000	1	700000	16	8400000
20	मेघालय	3	2000000	1	500000	2	1500000
21	ओडिसा	12	4585000	0	0	12	4585000
22	पुडुचेरी	1	300000	1	300000	0	0
23	पंजाब	6	2978086	3	1600000	3	1378086
24	राजस्थान	17	4130000	4	1730000	13	2400000
25	सिक्किम	1	300000	1	300000	0	0
26	तमिलनाडु	8	2015000	2	600000	6	1415000
27	त्रिपुरा	2	1200000	2	1200000	0	0
28	उत्तर प्रदेश	146	49370000	21	5455000	125	43915000
29	उत्तराखण्ड	6	3630000	2	110000	4	3520000
30	पश्चिम बंगाल	17	5830000	6	2070000	11	3760000
		443	151953086	83	23395000	360	128558086

वित्तीय राहतके भुगतान हेतु वर्ष 2013-14 के दौरान रा.मा.अ. आयोग के संस्तुतियों के अनुपालन हेतु लंबित मामलों का विवरण

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायत का स्वरूप	पीड़ितों/निकट संबंधियों के लिए सिफरिश की गई राशि	सिफरिश की तिथि
1	आंध्र प्रदेश	1042/1/5/2012-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	200000	25-03-2014
2	आंध्र प्रदेश	199/1/13/2012-एडी	822	पुलिस हिरासत में कथित हिरासतीय मौत	100000	16-05-2013
3	आंध्र प्रदेश	269/1/3/2011-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	24-09-2013
4	आंध्र प्रदेश	300/1/7/2012-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	23-12-2013
5	आंध्र प्रदेश	322/1/19/09-10-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	21-11-2013
6	आंध्र प्रदेश	352/1/23/09-10-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11-09-2013
7	आंध्र प्रदेश	358/1/3/2011-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	03-10-2013
8	आंध्र प्रदेश	373/1/7/2010-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	12-06-2013
9	आंध्र प्रदेश	451/1/20/2012-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	500000	05-07-2013
10	आंध्र प्रदेश	528/1/25/2012	817	अवैध निरोध	25000	30-01-2014
11	आंध्र प्रदेश	620/1/4/2011-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	27-08-2013
12	आंध्र प्रदेश	696/1/24/2011-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	80000	06-02-2014
13	आंध्र प्रदेश	9/1/10/2012-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	80000	10-02-2014
14	अरुणाचल प्रदेश	2/2/11/2012-एफ	1611	कथित फर्जी मुठभेड़ (रक्षा)	1500000	01-01-2014
15	अरुणाचल प्रदेश	28/2/2/2010-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	2000000	18-12-2013
16	अरुणाचल प्रदेश	4/2/14/08-09-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	01-11-2013
17	आसाम	127/3/24/09-10-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	12-12-2013
18	आसाम	141/3/24/07-08	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	13-06-2013
19	आसाम	142/3/4/2013-पीएफ	1704	शक्ति का दुरुपयोग	500000	06-08-2013
20	आसाम	142/3/5/2011	817	अवैध निरोध	20000	12-09-2013
21	आसाम	180/3/15/08-09-एफ	1611	कथित फर्जी मुठभेड़ (रक्षा)	500000	08-08-2013
22	आसाम	200/3/11/2010-एफई	813	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	08-01-2014

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायत का स्वरूप	पीड़ितों/निकट संबंधियों के लिए सिफरिश की गई राशि	सिफरिश की तिथि
23	आसाम	206/3/0/2011-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	01-01-2014
24	आसाम	209/3/1/2011-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	12-02-2014
25	आसाम	223/3/3/2010-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	30-01-2014
26	आसाम	224/3/8/2010-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	30-10-2013
27	आसाम	225/3/16/2010-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	12-12-2013
28	आसाम	226/3/11/2010-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	13-11-2013
29	आसाम	230/3/16/2010-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	12-12-2013
30	आसाम	240/3/3/2012-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	09-09-2013
31	आसाम	241/3/15/2011-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	10-02-2014
32	आसाम	242/3/22/2011-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	30-01-2014
33	आसाम	247/3/16/2011-पीएफ	1710	मुठभेड़ में मौत	2500000	08-01-2014
34	आसाम	250/3/11/2010-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	25-09-2013
35	आसाम	258/3/15/2011-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	30-01-2014
36	आसाम	258/3/16/2010-एफई	813	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	04-04-2013
37	आसाम	259/3/7/2011-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	05-12-2013
38	आसाम	26/3/11/2011-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	30-01-2014
39	आसाम	266/3/8/2011-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	06-02-2014
40	आसाम	40/3/16/2010-एफ	1609	सेना द्वारा फाइरिंग में मौत	500000	13-06-2013
41	आसाम	5/3/18/2010-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	02-01-2014
42	आसाम	54/3/8/2011-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	18-12-2013
43	आसाम	61/3/16/2011-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	11-07-2013
44	आसाम	65/3/5/2012-पीएफ	1709	फाइरिंग में मौत	500000	29-01-2014
45	आसाम	79/3/20/2010-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	21-11-2013
46	बिहार	1280/4/11/08-09	1500	विविध	200000	11-02-2014
47	बिहार	1332/4/18/2012-डब्ल्यूसी	1309	महिला का अपमान	20000	14-05-2013
48	बिहार	1507/4/23/09-10-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	27-08-2013
49	बिहार	1522/4/26/2012-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	50000	24-03-2014

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायत का स्वरूप	पीड़ितों/निकट संबंधियों के लिए सिफरिश की गई राशि	सिफरिश की तिथि
50	बिहार	1933/4/28/2011-एडी	822	पुलिस हिरासत में कथित हिरासतीय मौत	100000	11-07-2013
51	बिहार	2119/4/37/2011-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	07-06-2013
52	बिहार	2340/4/37/2011-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	22-01-2014
53	बिहार	2474/4/6/2012-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	22-10-2013
54	बिहार	2545/4/3/2011-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	12-06-2013
55	बिहार	2572/4/8/08-09-एडी	1716	कथित हिरासतीय मौत	500000	21-08-2013
56	बिहार	273/4/9/2012	1505	केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों की निष्क्रियता	600000	02-07-2013
57	बिहार	3264/4/32/2012-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	29-07-2013
58	बिहार	4085/4/26/2012	1508	केन्द्र/राज्य सरकार के कस्टम/आसीडीरी/प्रवर्तन/वन/आय कर/विभाग इत्यादि द्वारा अत्याचार	10000	17-02-2014
59	बिहार	4140/4/2/2012	809	हिरासत में उत्पीड़न	50000	07-11-2013
60	बिहार	4589/4/35/2012	1505	केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों की निष्क्रियता	200000	21-10-2013
61	बिहार	4608/4/23/2012-डब्ल्यूसी	1304	दहेज हत्या अथवा उसका प्रयास	50000	18-12-2013
62	बिहार	703/4/28/2012-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	14-06-2013
63	बिहार	979/4/23/09-10	112	होम में कथित मौत	300000	18-10-2013
64	चंडीगढ़	61/27/0/2011	804	शक्ति का दुरुपयोग	15000	19-11-2013
65	छत्तीसगढ़	28/33/4/2013-डब्ल्यूसी	1311	बलात्कार	500000	04-07-2013
66	दिल्ली	1232/30/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	29-01-2014
67	दिल्ली	1443/30/10/2012-डब्ल्यूसी	1309	महिला का अपमान	10000	21-01-2014
68	दिल्ली	1631/30/3/2010-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	13-03-2014
69	दिल्ली	2288/30/7/2012	821	उत्पीड़न	50000	18-06-2013
70	दिल्ली	3500/30/0/2011	800	पुलिस	100000	15-05-2013
71	दिल्ली	377/30/0/2011	804	शक्ति का दुरुपयोग	10000	20-11-2013
72	दिल्ली	378/30/9/2011-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	12-12-2013
73	दिल्ली	388/30/0/2013	814	कानून के अनुसार करवाई करने में असफलता	20000	27-02-2014

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायत का स्वरूप	पीड़ितों/निकट संबंधियों के लिए सिफरिश की गई राशि	सिफरिश की तिथि
74	दिल्ली	3895/30/0/2011	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	100000	24-02-2014
75	दिल्ली	4233/30/0/2011	1505	केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों की निष्क्रियता	325000	17-02-2014
76	दिल्ली	4434/30/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	20-11-2013
77	दिल्ली	4697/30/0/2011	1505	केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों की निष्क्रियता	100000	04-11-2013
78	दिल्ली	4722/30/9/2012	809	हिरासत में उत्पीड़न	15000	05-11-2013
79	दिल्ली	4794/30/9/2011	100	बच्चे	220000	29-10-2013
80	दिल्ली	4883/30/9/2010	814	कानून के अनुसार कर्वाई करने में असफलता	20000	21-01-2014
81	दिल्ली	494/30/9/07-08-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	11-06-2013
82	दिल्ली	5322/30/9/2011-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	31-12-2013
83	दिल्ली	5754/30/9/2010-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	04-03-2014
84	दिल्ली	6092/30/3/2012	200	स्वास्थ्य	150000	19-12-2013
85	दिल्ली	677/30/9/2012	814	कानून के अनुसार कर्वाई करने में असफलता	200000	07-06-2013
86	दिल्ली	6780/30/0/2011	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	400000	12-06-2013
87	दिल्ली	6801/30/2/2011	1505	केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों की निष्क्रियता	300000	29-04-2013
88	दिल्ली	897/30/9/2012	1508	केन्द्र/राज्य सरकार के कस्टम/आसीडीरी/प्रवर्तन/वन/आय कर/विभाग इत्यादि द्वारा अत्याचार	200000	22-01-2014
89	दिल्ली	918/30/1/2012	804	शक्ति का दुरुपयोग	20000	11-06-2013
90	दिल्ली	926/30/7/2012	814	कानून के अनुसार कर्वाई करने में असफलता	10000	10-02-2014
91	गुजरात	1012/6/9/2011	202	लोक स्वास्थ्य जोखिम	2500000	22-10-2013
92	गुजरात	2786/6/6/08-09-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	05-02-2014
93	गुजरात	6/6/2/09-10-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	06-02-2014
94	गुजरात	619/6/10/2010-एफई	813	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	15-05-2013
95	हरियाणा	1054/7/5/2012	804	शक्ति का दुरुपयोग	150000	30-11-2013

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायत का स्वरूप	पीड़ितों/निकट संबंधियों के लिए सिफरिश की गई राशि	सिफरिश की तिथि
96	हरियाणा	1413/7/9/09-10	804	शक्ति का दुरुपयोग	350000	12-12-2013
97	हरियाणा	1516/7/18/2013	809	हिरासत में उत्पीड़न	50000	05-03-2014
98	हरियाणा	1850/7/17/08-09-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	13-11-2013
99	हरियाणा	2037/7/6/2010-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	02-07-2013
100	हरियाणा	2201/7/7/08-09-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	06-12-2013
101	हरियाणा	2556/7/3/2011	1505	केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों की निष्क्रियता	600000	12-08-2013
102	हरियाणा	2570/7/16/08-09-एडी	822	पुलिस हिरासत में कथित हिरासतीय मौत	300000	07-08-2013
103	हरियाणा	2974/7/15/2011-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	10-07-2013
104	हरियाणा	2974/7/2006-2007	813	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	18-12-2013
105	हरियाणा	3405/7/0/2011	804	शक्ति का दुरुपयोग	5000	19-11-2013
106	हरियाणा	4415/7/1/2013	203	चिकित्सा व्यवसायियों की अपक्रिया	300000	24-01-2014
107	हरियाणा	5584/7/3/2012-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	26-02-2014
108	जम्मू एवं कश्मीर	103/9/2/2011	814	कानून के अनुसार कर्वाई करने में असफलता	500000	08-04-2013
109	जम्मू एवं कश्मीर	370/9/3/2012	203	चिकित्सा व्यवसायियों की अपक्रिया	600000	31-03-2014
110	झारखण्ड	1192/34/17/2011	104	बच्चों का शोषण	200000	04-06-2013
111	झारखण्ड	1249/34/6/08-09	817	अवैध निरोध	350000	20-05-2013
112	झारखण्ड	1310/34/6/2012-डब्ल्यूसी	1314	सेना/अर्धसैनिक कर्मियों द्वारा यौन शोषण	300000	29-10-2013
113	झारखण्ड	1445/34/4/2010-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	300000	16-05-2013
114	झारखण्ड	153/34/19/2010-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	23-05-2013
115	झारखण्ड	165/34/4/09-10	503	असामाजिक तत्वों द्वारा परेशानी	50000	06-02-2014
116	झारखण्ड	303/34/16/2011-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	04-07-2013
117	झारखण्ड	380/34/11/2010	1505	केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों की निष्क्रियता	150000	18-12-2013
118	झारखण्ड	468/34/8/08-09	811	पुलिस फाइरिंग में मौत	1000000	26-06-2013
119	झारखण्ड	646/34/4/2013-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	24-12-2013
120	झारखण्ड	746/34/11/09-10-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	28-11-2013

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायत का स्वरूप	पीड़ितों/निकट संबंधियों के लिए सिफरिश की गई राशि	सिफरिश की तिथि
121	झारखण्ड	765/34/16/2011	811	पुलिस फाइरिंग में मौत	400000	03-07-2013
122	झारखण्ड	954/34/18/2012-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	03-12-2013
123	कर्नाटका	1030/10/24/2011-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	22-05-2013
124	कर्नाटका	131/10/5/2012-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	26-03-2014
125	कर्नाटका	256/10/2004-2005	305	कैदियों का उत्पीड़न	60000	14-08-2013
126	कर्नाटका	322/10/15/09-10-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	07-08-2013
127	कर्नाटका	364/10/4/09-10-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	400000	28-11-2013
128	केरला	116/11/6/2012	205	राज्य में उचित चिकित्सा सुविधाओं की कमी	400000	28-05-2013
129	केरला	14/11/12/2012-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	08-04-2013
130	केरला	168/11/12/09-10-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	21-01-2014
131	केरला	191/11/13/2012	305	कैदियों का उत्पीड़न	50000	12-07-2013
132	केरला	28/11/2/2010-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	01-01-2014
133	केरला	85/11/13/2012	804	शक्ति का दुरुपयोग	200000	18-03-2014
134	केरला	91/11/7/2012-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	07-03-2014
135	मध्य प्रदेश	176/12/36/2012-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	20-01-2014
136	मध्य प्रदेश	181/12/10/2012	1505	केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों की निष्क्रियता	100000	18-04-2013
137	मध्य प्रदेश	1950/12/18/2011-एडी	822	पुलिस हिरासत में कथित हिरासतीय मौत	300000	30-05-2013
138	मध्य प्रदेश	2240/12/8/2011-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	05-04-2013
139	मध्य प्रदेश	2347/12/41/2011	1500	विविध	100000	18-04-2013
140	मध्य प्रदेश	2591/12/5/2012	104	बच्चों का शोषण	500000	20-01-2014
141	मध्य प्रदेश	2698/12/37/2012-डब्ल्यूसी	1307	सामूहिक बलात्कार	300000	31-10-2013
142	मध्य प्रदेश	365/12/27/2013-डब्ल्यूसी	1311	बलात्कार	200000	19-12-2013
143	मध्य प्रदेश	485/12/5/2012	104	बच्चों का शोषण	35000	31-10-2013
144	मध्य प्रदेश	519/12/40/2012	1500	विविध	60000	27-08-2013
145	मध्य प्रदेश	556/12/42/2013	106	यौन उत्पीड़न	500000	19-07-2013

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायत का स्वरूप	पीड़ितों/निकट संबंधियों के लिए सिफरिश की गई राशि	सिफरिश की तिथि
146	मध्य प्रदेश	562/12/33/2012	1505	केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों की निष्क्रियता	250000	03-01-2014
147	मध्य प्रदेश	72/12/2/2013-डब्ल्यूसी	1311	बलात्कार	300000	21-11-2013
148	मध्य प्रदेश	785/12/21/2010-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	03-10-2013
149	मध्य प्रदेश	92/12/8/2013-डब्ल्यूसी	1307	सामूहिक बलात्कार	300000	19-12-2013
150	मध्य प्रदेश	990/12/46/2012-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	06-06-2013
151	महाराष्ट्र	1031/13/16/2010-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	20-02-2014
152	महाराष्ट्र	1103/13/28/09-10-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	10-07-2013
153	महाराष्ट्र	1211/13/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	30-10-2013
154	महाराष्ट्र	1225/13/1/07-08-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	14-08-2013
155	महाराष्ट्र	1282/13/19/07-08-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	500000	06-08-2013
156	महाराष्ट्र	18/13/14/2012-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	29-05-2013
157	महाराष्ट्र	196/13/16/2011-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	20-01-2014
158	महाराष्ट्र	205/13/34/2011	1508	केन्द्र/राज्य सरकार के कस्टम/आसीडीपी/प्रवर्तन/वन/आय कर/विभाग इत्यादि द्वारा अत्याचार	25000	07-03-2014
159	महाराष्ट्र	2350/13/23/2012	1202	पेन्शन/मुआवजा का भुगतान नहीं करना	50000	19-08-2013
160	महाराष्ट्र	3069/13/16/2012	804	शक्ति का दुरुपयोग	100000	04-10-2013
161	महाराष्ट्र	334/13/2006-2007-सीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	08-08-2013
162	महाराष्ट्र	384/13/5/08-09-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	19-12-2013
163	महाराष्ट्र	420/13/30/07-08-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	06-03-2014
164	महाराष्ट्र	502/13/2005-2006	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	03-10-2013
165	महाराष्ट्र	558/13/11/08-09-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	01-01-2014
166	महाराष्ट्र	621/13/30/2011-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	21-11-2013
167	महाराष्ट्र	821/13/30/08-09-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	30-01-2014
168	महाराष्ट्र	862/13/23/2010-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	30-07-2013
169	मणिपुर	10/14/10/2010-एफई	813	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	20-02-2014

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायत का स्वरूप	पीड़ितों/निकट संबंधियों के लिए सिफरिश की गई राशि	सिफरिश की तिथि
170	मणिपुर	108/14/4/2011-एडी	309	न्यायिक हिरासत में मौत	200000	07-05-2013
171	मणिपुर	11/14/4/08-09-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	24-10-2013
172	मणिपुर	11/14/4/2010-एफई	813	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	08-01-2014
173	मणिपुर	16/14/14/2012-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	01-01-2014
174	मणिपुर	19/14/15/2012-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	24-10-2013
175	मणिपुर	20/14/14/2012-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	08-01-2014
176	मणिपुर	20/14/4/2010-एफई	813	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	03-04-2013
177	मणिपुर	21/14/12/2010-एफई	813	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	18-12-2013
178	मणिपुर	21/14/4/2011-पीएफ	1709	फाइरिंग में मौत	200000	21-10-2013
179	मणिपुर	22/14/13/07-08-एफ	1611	कथित फर्जी मुठभेड़ (रक्षा)	500000	05-02-2014
180	मणिपुर	31/14/12/07-08-पीएफ	1710	मुठभेड़ में मौत	500000	24-10-2013
181	मणिपुर	32/14/1/08-09-एफई	813	कथित फर्जी मुठभेड़	1000000	24-10-2013
182	मणिपुर	5/14/4/2011-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	06-02-2014
183	मणिपुर	53/14/4/07-08	811	पुलिस फाइरिंग में मौत	500000	15-05-2013
184	मणिपुर	6/14/4/2010-एफई	813	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	29-01-2014
185	मेघालय	19/15/5/2010-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	04-07-2013
186	मेघालय	9/15/2005-2006	1604	शक्ति का दुरुपयोग	500000	27-06-2013
187	ओडिशा	1225/18/4/2012	814	कानून के अनुसार कर्वाई करने में असफलता	10000	11-11-2013
188	ओडिशा	1479/18/5/2011	202	लोक स्वास्थ्य जोखिम	250000	03-06-2013
189	ओडिशा	1570/18/25/2011-डब्ल्यूसी	1309	महिला का अपमान	400000	20-01-2014
190	ओडिशा	1579/18/18/2012	203	चिकित्सा व्यवसायियों की अपक्रिया	200000	30-01-2014
191	ओडिशा	2209/18/1/2012	814	कानून के अनुसार कर्वाई करने में असफलता	300000	03-12-2013
192	ओडिशा	2458/18/32/2013-डब्ल्यूसी	1301	अपहरण, बलात्कार और हत्या	500000	08-11-2013
193	ओडिशा	2502/18/2/2011	1505	केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों की निष्क्रियता	300000	26-07-2013
194	ओडिशा	3013/18/31/2012	106	यौन उत्पीड़न	1300000	17-12-2013
195	ओडिशा	3147/18/8/2012-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	18-07-2013

क्रम सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायत का स्वरूप	पीड़ितों / निकट संबंधियों के लिए सिफरिश की गई राशि	सिफरिश की तिथि
196	ओडिशा	432/18/5/2012	1505	केन्द्र / राज्य सरकार के कर्मचारियों की निष्क्रियता	300000	13-01-2014
197	ओडिशा	4582/18/23/2012	1505	केन्द्र / राज्य सरकार के कर्मचारियों की निष्क्रियता	300000	07-11-2013
198	ओडिशा	613/18/2002-2003-एफ	1615	उत्पीड़न	625000	05-06-2013
199	पंजाब	17/19/1/2012-पीएफ	1707	हिरासत में उत्पीड़न	50000	11-06-2013
200	पंजाब	506/19/15/2011	1500	विविध	1028086	28-02-2014
201	पंजाब	52/19/15/2013-डब्ल्यूसी	1307	सामूहिक बलात्कार	300000	29-11-2013
202	राजस्थान	118/20/19/2012	204	सरकारी अस्पतालों / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	50000	29-05-2013
203	राजस्थान	1345/20/21/09-10-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	26-08-2013
204	राजस्थान	1404/20/5/09-10-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	06-02-2014
205	राजस्थान	1577/20/6/2011	203	चिकित्सा व्यवसायियों की अपक्रिया	50000	25-03-2014
206	राजस्थान	168/20/14/09-10-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	500000	18-12-2013
207	राजस्थान	1838/20/17/2011-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	27-01-2014
208	राजस्थान	2221/20/7/2011-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	13-09-2013
209	राजस्थान	2384/20/23/2010-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	01-05-2013
210	राजस्थान	2422/20/26/2011-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	09-05-2013
211	राजस्थान	431/20/5/2012	204	सरकारी अस्पतालों / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	100000	28-06-2013
212	राजस्थान	642/20/29/2013-डब्ल्यूसी	803	अपहरण / बलात्कार	300000	07-03-2014
213	राजस्थान	689/20/14/2010-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	23-07-2013
214	राजस्थान	834/20/7/2010-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	22-08-2013
215	तमिल नाडु	1350/22/36/2010-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	13-11-2013
216	तमिल नाडु	330/22/5/2011-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	14-08-2013
217	तमिल नाडु	534/22/41/09-10-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	28-11-2013
218	तमिल नाडु	565/22/34/2010-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	08-01-2014
219	तमिल नाडु	635/22/13/2010	809	हिरासत में उत्पीड़न	15000	09-09-2013

क्रम सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायत का स्वरूप	पीड़ितों/निकट संबंधियों के लिए सिफरिश की गई राशि	सिफरिश की तिथि
220	तमिल नाडु	71/22/53/2012-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	20-06-2013
221	उत्तर प्रदेश	1027/24/51/2012-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	27-03-2014
222	उत्तर प्रदेश	10564/24/9/2010-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	15-01-2014
223	उत्तर प्रदेश	10699/24/32/2013	1505	केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों की निष्क्रियता	400000	28-03-2014
224	उत्तर प्रदेश	11054/24/4/2011	809	हिरासत में उत्पीड़न	10000	07-11-2013
225	उत्तर प्रदेश	11898/24/31/2010-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	16-05-2013
226	उत्तर प्रदेश	11900/24/48/2010-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	28-11-2013
227	उत्तर प्रदेश	12/24/18/2010-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	15-01-2014
228	उत्तर प्रदेश	1236/24/42/2012-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	21-10-2013
229	उत्तर प्रदेश	13073/24/20/2012	204	सरकारी अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	100000	07-03-2014
230	उत्तर प्रदेश	1388/24/41/2010	816	गैरकानूनी गिरफ्तारी	50000	13-03-2014
231	उत्तर प्रदेश	14336/24/2005-2006	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	04-07-2013
232	उत्तर प्रदेश	14412/24/17/2013	804	शक्ति का दुरुपयोग	300000	29-10-2013
233	उत्तर प्रदेश	14607/24/30/2010-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	15-01-2014
234	उत्तर प्रदेश	14801/24/1/2012-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	17-02-2014
235	उत्तर प्रदेश	14844/24/39/2010	203	चिकित्सा व्यवसायियों की अपक्रिया	300000	25-09-2013
236	उत्तर प्रदेश	15025/24/30/2010	804	शक्ति का दुरुपयोग	20000	14-11-2013
237	उत्तर प्रदेश	1528/24/2006-2007-सीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	18-12-2013
238	उत्तर प्रदेश	15387/24/22/07-08-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	06-06-2013
239	उत्तर प्रदेश	1553/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	16-01-2014
240	उत्तर प्रदेश	15725/24/20/2011	816	गैरकानूनी गिरफ्तारी	50000	12-03-2014
241	उत्तर प्रदेश	16300/24/7/2012-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	01-05-2013
242	उत्तर प्रदेश	17656/24/2005-2006-एडी	822	पुलिस हिरासत में कथित हिरासतीय मौत	500000	04-04-2013
243	उत्तर प्रदेश	17781/24/4/2012	106	यौन उत्पीड़न	1500000	15-07-2013
244	उत्तर प्रदेश	17990/24/10/2010	817	अवैध निरोध	100000	29-07-2013
245	उत्तर प्रदेश	18684/24/22/2011	106	यौन उत्पीड़न	30000	27-08-2013

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायत का स्वरूप	पीड़ितों/निकट संबंधियों के लिए सिफरिश की गई राशि	सिफरिश की तिथि
246	उत्तर प्रदेश	19559/24/2006-2007	813	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	05-12-2013
247	उत्तर प्रदेश	20226/24/28/2011	804	शक्ति का दुरुपयोग	50000	26-03-2014
248	उत्तर प्रदेश	20332/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	16-01-2014
249	उत्तर प्रदेश	20413/24/22/2011	809	हिरासत में उत्पीड़न	25000	31-03-2014
250	उत्तर प्रदेश	20803/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	16-01-2014
251	उत्तर प्रदेश	20804/24/24/2010	1202	पेन्शन/मुआवजा का भुगतान नहीं करना	50000	27-01-2014
252	उत्तर प्रदेश	20922/24/31/2010-एफई	813	कथित फर्जी मुठभेड़	1000000	03-10-2013
253	उत्तर प्रदेश	21581/24/24/2011	1202	पेन्शन/मुआवजा का भुगतान नहीं करना	10000	26-09-2013
254	उत्तर प्रदेश	21598/24/57/2011	805	हत्या का प्रयास	10000	29-11-2013
255	उत्तर प्रदेश	21637/24/48/07-08	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	12-12-2013
256	उत्तर प्रदेश	21927/24/48/2011-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	07-11-2013
257	उत्तर प्रदेश	22654/24/7/2012-AR	823	पुलिस हिरासत में कथित बलात्कार	300000	11-12-2013
258	उत्तर प्रदेश	22682/24/48/2011	1505	केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों की निष्क्रियता	400000	07-08-2013
259	उत्तर प्रदेश	23388/24/2001-2002	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	15-01-2014
260	उत्तर प्रदेश	23692/24/50/08-09-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	16-01-2014
261	उत्तर प्रदेश	24089/24/12/08-09-एफई	813	कथित फर्जी मुठभेड़	1000000	17-04-2013
262	उत्तर प्रदेश	2456/24/67/2010-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	21-01-2014
263	उत्तर प्रदेश	25325/24/54/2010	814	कानून के अनुसार करवाई करने में असफलता	100000	23-07-2013
264	उत्तर प्रदेश	2547/24/4/09-10-डीएच	108	न्यायिक हिरासत में मौत	300000	27-09-2013
265	उत्तर प्रदेश	26146/24/2004-2005	813	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	05-06-2013
266	उत्तर प्रदेश	26418/24/24/2010-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	300000	02-05-2013
267	उत्तर प्रदेश	2655/24/34/2012-एडी	822	पुलिस हिरासत में कथित हिरासतीय मौत	300000	31-03-2014
268	उत्तर प्रदेश	2689/24/31/2012	817	अवैध निरोध	20000	21-10-2013
269	उत्तर प्रदेश	28200/24/4/2012	814	कानून के अनुसार करवाई करने में असफलता	25000	13-01-2014
270	उत्तर प्रदेश	28319/24/43/09-10	1501	गुमशुदगी	10000	24-01-2014
271	उत्तर प्रदेश	2888/24/2005-2006	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	20-11-2013

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायत का स्वरूप	पीड़ितों/निकट संबंधियों के लिए सिफरिश की गई राशि	सिफरिश की तिथि
272	उत्तर प्रदेश	29168/24/37/2012-डब्ल्यूसी	1301	अपहरण, बलात्कार और हत्या	100000	31-12-2013
273	उत्तर प्रदेश	29991/24/33/2012-डब्ल्यूसी	803	अपहरण/बलात्कार	300000	31-05-2013
274	उत्तर प्रदेश	30069/24/2005-2006	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	05-12-2013
275	उत्तर प्रदेश	30182/24/19/2010-एडी	822	पुलिस हिरासत में कथित हिरासतीय मौत	500000	17-09-2013
276	उत्तर प्रदेश	30410/24/52/2010	809	हिरासत में उत्पीड़न	100000	29-05-2013
277	उत्तर प्रदेश	3063/24/31/2012	814	कानून के अनुसार कर्वाई करने में असफलता	100000	31-03-2014
278	उत्तर प्रदेश	30738/24/71/2011	1505	केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों की निष्क्रियता	200000	21-11-2013
279	उत्तर प्रदेश	30783/24/48/2011	1508	केन्द्र/राज्य सरकार के कस्टम/आसीडीरी/प्रवर्तन/वन/आय कर/विभाग इत्यादि द्वारा अत्याचार	200000	01-05-2013
280	उत्तर प्रदेश	3104/24/79/2012-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	14-08-2013
281	उत्तर प्रदेश	32880/24/44/2010	801	शक्ति का दुरुपयोग	200000	16-01-2014
282	उत्तर प्रदेश	33018/24/20/2010-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	11-12-2013
283	उत्तर प्रदेश	33128/24/64/2012	814	कानून के अनुसार कर्वाई करने में असफलता	100000	13-01-2014
284	उत्तर प्रदेश	33342/24/70/09-10-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	17-07-2013
285	उत्तर प्रदेश	33397/24/2005-2006	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	16-01-2014
286	उत्तर प्रदेश	34109/24/24/2011-एडी	822	पुलिस हिरासत में कथित हिरासतीय मौत	100000	27-06-2013
287	उत्तर प्रदेश	34188/24/72/2013	1901	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग पर अत्याचार	200000	26-11-2013
288	उत्तर प्रदेश	34919/24/1/2012	1505	केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों की निष्क्रियता	400000	20-02-2014
289	उत्तर प्रदेश	35522/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	31-10-2013
290	उत्तर प्रदेश	36069/24/55/08-09-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	16-01-2014
291	उत्तर प्रदेश	3656/24/2005-2006	813	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	15-01-2014
292	उत्तर प्रदेश	38084/24/2005-2006	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	08-01-2014
293	उत्तर प्रदेश	38363/24/43/2011	809	हिरासत में उत्पीड़न	550000	16-01-2014
294	उत्तर प्रदेश	3885/24/45/2012-ईडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	16-01-2014

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायत का स्वरूप	पीड़ितों/निकट संबंधियों के लिए सिफरिश की गई राशि	सिफरिश की तिथि
295	उत्तर प्रदेश	39191/24/69/2011	814	कानून के अनुसार कर्वाई करने में असफलता	300000	25-07-2013
296	उत्तर प्रदेश	39410/24/61/09-10	814	कानून के अनुसार कर्वाई करने में असफलता	10000	10-12-2013
297	उत्तर प्रदेश	39641/24/46/2011-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	16-01-2014
298	उत्तर प्रदेश	39743/24/3/2010-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	03-04-2013
299	उत्तर प्रदेश	40079/24/38/2012-डब्ल्यूसी	1313	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (सरकारी कार्यालय)	50000	27-08-2013
300	उत्तर प्रदेश	40176/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	05-12-2013
301	उत्तर प्रदेश	40377/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	15-05-2013
302	उत्तर प्रदेश	40506/24/55/2011	817	अवैध निरोध	125000	21-10-2013
303	उत्तर प्रदेश	40795/24/31/2011-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	11-12-2013
304	उत्तर प्रदेश	41033/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	07-11-2013
305	उत्तर प्रदेश	4114/24/65/2012	804	शक्ति का दुरुपयोग	100000	03-06-2013
306	उत्तर प्रदेश	41224/24/1/2012	1508	केन्द्र/राज्य सरकार के कस्टम/आसीडीरी/प्रवर्तन/वन/आय कर/विभाग इत्यादि द्वारा अत्याचार	520000	22-11-2013
307	उत्तर प्रदेश	41496/24/2000-2001	816	गैरकानूनी गिरफ्तारी	1000000	05-12-2013
308	उत्तर प्रदेश	42032/24/27/2012-डब्ल्यूसी	1301	अपहरण, बलात्कार और हत्या	100000	20-01-2014
309	उत्तर प्रदेश	4206/24/22/2011-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	02-12-2013
310	उत्तर प्रदेश	42886/24/8/2012	1505	केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों की निष्क्रियता	600000	07-10-2013
311	उत्तर प्रदेश	42925/24/14/2011	804	शक्ति का दुरुपयोग	10000	30-12-2013
312	उत्तर प्रदेश	42961/24/46/2012-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	05-02-2014
313	उत्तर प्रदेश	43024/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	12-11-2013
314	उत्तर प्रदेश	43091/24/17/2012-डब्ल्यूसी	1311	बलात्कार	50000	17-09-2013
315	उत्तर प्रदेश	43592/24/26/2012	1505	केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों की निष्क्रियता	900000	31-03-2014
316	उत्तर प्रदेश	43952/24/3/2012	1505	केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों की निष्क्रियता	300000	16-09-2013
317	उत्तर प्रदेश	44122/24/40/2010-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	16-01-2014

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायत का स्वरूप	पीड़ितों/निकट संबंधियों के लिए सिफरिश की गई राशि	सिफरिश की तिथि
318	उत्तर प्रदेश	44449/24/31/2011-डब्ल्यूसी	1301	अपहरण, बलात्कार और हत्या	25000	07-06-2013
319	उत्तर प्रदेश	44971/24/51/2011	817	अवैध निरोध	50000	10-02-2014
320	उत्तर प्रदेश	452/24/37/2011-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	15-01-2014
321	उत्तर प्रदेश	47291/24/45/07-08	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	16-01-2014
322	उत्तर प्रदेश	4753/24/2005-2006	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	15-01-2014
323	उत्तर प्रदेश	47835/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	16-01-2014
324	उत्तर प्रदेश	49115/24/33/2011	814	कानून के अनुसार कर्वाई करने में असफलता	5000	21-01-2014
325	उत्तर प्रदेश	4951/24/2005-2006	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	01-05-2013
326	उत्तर प्रदेश	52724/24/41/2011	814	कानून के अनुसार कर्वाई करने में असफलता	350000	13-11-2013
327	उत्तर प्रदेश	53582/24/72/07-08	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	19-12-2013
328	उत्तर प्रदेश	5488/24/72/2010-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	20000	21-10-2013
329	उत्तर प्रदेश	5683/24/31/2011	809	हिरासत में उत्पीड़न	60000	21-01-2014
330	उत्तर प्रदेश	6057/24/30/2011-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	03-04-2013
331	उत्तर प्रदेश	6224/24/2005-2006-एडी	822	पुलिस हिरासत में कथित हिरासतीय मौत	500000	10-07-2013
332	उत्तर प्रदेश	6508/24/54/2011	816	गैरकानूनी गिरफ्तारी	10000	13-12-2013
333	उत्तर प्रदेश	6635/24/57/2011-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	16-01-2014
334	उत्तर प्रदेश	6774/24/27/2012	1500	विविध	150000	05-03-2014
335	उत्तर प्रदेश	6855/24/56/2012	203	चिकित्सा व्यवसायियों की अपक्रिया	300000	02-09-2013
336	उत्तर प्रदेश	699/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	16-01-2014
337	उत्तर प्रदेश	7562/24/32/2010-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	15-01-2014
338	उत्तर प्रदेश	786/24/56/2013-डब्ल्यूसी	1306	महिलाओं का शोषण	50000	09-09-2013
339	उत्तर प्रदेश	8136/24/31/07-08	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	20-11-2013
340	उत्तर प्रदेश	8319/24/28/2010-डब्ल्यूसी	1304	दहेज हत्या अथवा उसका प्रयास	10000	26-02-2014
341	उत्तर प्रदेश	8323/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	2500000	05-02-2014
342	उत्तर प्रदेश	8460/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	24-07-2013
343	उत्तर प्रदेश	8584/24/57/2012	814	कानून के अनुसार कर्वाई करने में असफलता	1000000	12-02-2014
344	उत्तर प्रदेश	9734/24/43/2011	811	पुलिस फाइरिंग में मौत	200000	19-03-2014

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायत का स्वरूप	पीड़ितों/निकट संबंधियों के लिए सिफरिश की गई राशि	सिफरिश की तिथि
345	उत्तर प्रदेश	981/24/54/2012	816	गैरकानूनी गिरफ्तारी	10000	29-07-2013
346	उत्तराखण्ड	1217/35/8/2010	814	कानून के अनुसार करवाई करने में असफलता	20000	12-02-2014
347	उत्तराखण्ड	1597/35/2006-2007	813	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	05-02-2014
348	उत्तराखण्ड	1941/35/11/2012	1505	केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों की निष्क्रियता	1000000	04-10-2013
349	उत्तराखण्ड	780/35/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	2000000	27-06-2013
350	पश्चिम बंगाल	1128/25/10/2012-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	22-01-2014
351	पश्चिम बंगाल	1147/25/13/2011-पीएफ	1715	उत्पीड़न	500000	12-08-2013
352	पश्चिम बंगाल	134/25/13/2012-पीएफ	1704	शक्ति का दुरुपयोग	50000	03-06-2013
353	पश्चिम बंगाल	1513/25/5/2012-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	20-12-2013
354	पश्चिम बंगाल	335/25/13/2013	804	शक्ति का दुरुपयोग	500000	23-01-2014
355	पश्चिम बंगाल	354/25/13/2011-पीएफ	1715	उत्पीड़न	500000	19-06-2013
356	पश्चिम बंगाल	420/25/19/2012	1508	केन्द्र/राज्य सरकार के कस्टम/आसीडीरी/प्रवर्तन/वन/आय कर/विभाग इत्यादि द्वारा अत्याचार	10000	14-08-2013
357	पश्चिम बंगाल	536/25/15/07-08	100	बन्धे	200000	14-03-2014
358	पश्चिम बंगाल	588/25/7/07-08-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	09-12-2013
359	पश्चिम बंगाल	700/25/13/2010	1505	केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों की निष्क्रियता	900000	06-06-2013
360	पश्चिम बंगाल	727/25/13/2010-पीएफ	1709	फाइरिंग में मौत	500000	31-10-2013



आर्थिक सहायताके भुगतान के लिए वर्ष 2012-2013 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संतुतियाँ के अनुपालन के लम्बित मामलों का विवरण

क्रम सं.	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	शिकायत की प्रकृति	सिफारिश राशि	सिफारिश की तिथि	टिप्पणी
1.	आंध्र प्रदेश	102/1/23/2011-पीसीडी	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	07/02/2013	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
2.	आंध्र प्रदेश	256/1/3/2011	अवैध निरोध	200000	31/03/2013	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
3.	आंध्र प्रदेश	586/1/11/08-09-एडी	न्यायिक हिरासत में मौत	30000	17/01/2013	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
4.	आसाम	115/3/2004-2005-एफ	सेना द्वारा फाइरिंग में मौत	500000	06/03/2013	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
5.	आसाम	273/3/13/2010-इडी	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1500000	24/01/2013	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
6.	बिहार	1817/4/32/2011	केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों की निष्क्रियता	1400000	19/11/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
7.	बिहार	1818/4/1/2011	केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों की निष्क्रियता	400000	30/08/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
8.	छत्तीसगढ़	533/33/5/2011	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	2300000	18/05/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
9.	दिल्ली	1244/30/2/2010	विविध	150000	27/06/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
10.	दिल्ली	1366/30/3/2012	यौन उत्पीड़न	500000	15/11/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
11.	दिल्ली	1523/30/0/2011-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	17/12/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
12.	दिल्ली	5494/30/0/2010	केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों की निष्क्रियता	900000	15/10/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
13.	गुजरात	395/6/3/08-09-पीसीडी	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	14/06/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
14.	गुजरात	580/6/14/2010-डब्ल्यूसी	अपहरण/बलात्कार	400000	04/09/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
15.	हरियाणा	1866/7/11/2011	स्वास्थ्य	7200000	11/04/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
16.	जम्मू एवं कश्मीर	42/9/0/2012	चिकित्सा व्यवसायियों की अपक्रिया	100000	13/02/2013	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
17.	झारखण्ड	1014/34/3/2010-डब्ल्यूसी	यौन शोषण (सामान्य)	50000	23/04/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
18.	झारखण्ड	108/34/2005-2006	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	22/11/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
19.	झारखण्ड	1264/34/2004-2005-सीडी	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	10/05/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है

क्रम सं.	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	शिकायत की प्रकृति	सिफारिश राशि	सिफारिश की तिथि	टिप्पणी
20.	झारखण्ड	1311/34/18/2012-डब्ल्यूसी	सेना/अर्धसैनिक कर्मियों द्वारा यौन शोषण	50000	14/02/2013	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
21.	झारखण्ड	1620/34/16/2011-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	500000	12/11/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
22	कर्नाटका	683/10/19/07-08	पुलिस फाइरिंग में मौत	1000000	14/06/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
23.	कर्नाटका	993/10/7/07-08-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	31/12/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
24.	मध्य प्रदेश	1812/12/21/2011-डब्ल्यूसी	महिला का अपमान	20000	22/10/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
25.	मध्य प्रदेश	2172/12/46/2011-जेसीडी	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	21/12/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
26.	मध्य प्रदेश	283/12/47/2011-जेसीडी	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	07/02/2013	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
27.	मध्य प्रदेश	447/12/18/2012	केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों की निष्क्रियता	300000	18/12/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
28.	मध्य प्रदेश	670/12/28/07-08	कानून के अनुसार कर्तवाई करने में असफलता	140000	25/06/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
29.	महाराष्ट्र	188/13/2005-2006-सीडी	हिरासत में मौत (पुलिस)	200000	13/06/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
30.	महाराष्ट्र	1943/13/2002-2003-डब्ल्यूसी	यौन शोषण (सामान्य)	100000	29/06/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
31.	महाराष्ट्र	658/13/30/2010-इडी	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	03/05/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
32.	मणिपुर	8/14/2004-2005-एफ	हिरासत में मौत (रक्षा)	1000000	26/07/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
33.	ओडिशा	1186/18/6/2011	केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों की निष्क्रियता	500000	27/09/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
34.	ओडिशा	157/18/24/09-10	केंद्र/राज्य सरकार के कस्टम/आसीडीरी/प्रवर्तन/वन/आय कर/विभाग इत्यादि द्वारा अत्याचार	400000	27/12/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
35.	ओडिशा	408/18/32/2011-डब्ल्यूसी	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के साथ बलात्कार	1200000	31/08/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
36.	पंजाब	377/19/8/09-10-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	30/11/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
37.	पंजाब	506/19/15/2011	विविध	900000	14/08/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
38.	पंजाब	519/19/8/09-10-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/04/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
39.	राजस्थान	2585/20/2/2011-डब्ल्यूसी	यौन शोषण (सामान्य)	100000	27/06/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
40.	राजस्थान	762/20/1/2011	हिरासत में उत्पीड़न	50000	27/11/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
41.	तमिल नाडु	106/22/13/2010	गैरकानूनी गिरफ्तारी	20000	26/04/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है

क्रम सं.	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	शिकायत की प्रकृति	सिफारिश राशि	सिफारिश की तिथि	टिप्पणी
42.	तमिल नाडु	1703/22/5/2012	कानून के अनुसार कर्वाई करने में असफलता	25000	13/12/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
43.	तमिल नाडु	270/22/46/2011-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	400000	13/03/2013	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
44.	तमिल नाडु	844/22/15/2011-एडी	पुलिस हिरासत में कथित हिरासतीय मौत	100000	27/02/2013	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
45.	उत्तर प्रदेश	11000/24/34/2011-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	26/11/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
46.	उत्तर प्रदेश	17622/24/2006-2007	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	24/01/2013	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
47.	उत्तर प्रदेश	19603/24/57/2010	हिरासत में उत्पीड़न	30000	24/08/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
48.	उत्तर प्रदेश	22474/24/18/07-08	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	12/12/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
49.	उत्तर प्रदेश	23879/24/48/2011	उत्पीड़न	25000	03/12/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
50.	उत्तर प्रदेश	28329/24/45/09-10	अवैध निरोध	10000	15/11/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
51.	उत्तर प्रदेश	31558/24/56/2010-डब्ल्यूसी	महिला का अपमान	50000	22/05/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
52.	उत्तर प्रदेश	34605/24/57/09-10	गैरकानूनी गिरफ्तारी	20000	08/06/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
53.	उत्तर प्रदेश	36256/24/61/2010	चिकित्सा व्यवसायियों की अपक्रिया	300000	10/12/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
54.	उत्तर प्रदेश	40001/24/48/2011	विविध	50000	08/06/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
55.	उत्तर प्रदेश	41459/24/1/2010	कानून के अनुसार कर्वाई करने में असफलता	100000	28/03/2013	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
56.	उत्तर प्रदेश	42103/24/48/2011-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	06/03/2013	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
57.	उत्तर प्रदेश	44192/24/24/2011	पेन्शन/मुआवजा का भुगतान नहीं करना	25000	29/10/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
58.	उत्तर प्रदेश	45214/24/20/2011	कानून के अनुसार कर्वाई करने में असफलता	100000	19/02/2013	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
59.	उत्तर प्रदेश	9217/24/48/07-08-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	23/11/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
60.	उत्तर प्रदेश	9839/24/2006-2007-सीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/05/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
61.	पश्चिम बंगाल	197/25/4/2012-डब्ल्यूसी	महिला का अपमान	50000	11/02/2013	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
62.	पश्चिम बंगाल	422/25/5/2011-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	26/02/2013	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
63.	पश्चिम बंगाल	457/25/8/2011	पेन्शन/मुआवजा का भुगतान नहीं करना	25000	17/12/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
64.	पश्चिम बंगाल	868/25/13/2010-एफ	उत्पीड़न	25000	08/10/2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है

वर्ष 2011-12 के दौरान रा.मा.अ. आयोग द्वारा आर्थिक राहत के भुगतान/अनुशासनिक कार्रवाई/ अभियोजन के लिए की गई सिफारिशों के अनुपालन के लिए लंबित मामलों का विवरण

क्रम संख्या	राज्य/ संघशासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	शिकायत की प्रकृति	सिफारिश राशि	सिफारिश की तिथि	टिप्पणी
1.	ओडिशा	123/18/1999-2000	पुलिस द्वारा कथित शारीरिक उत्पीड़न तथा अवैध निरोध	अनुशासनात्मक कार्रवाई	31.07.2000	राज्य सरकार ने आयोग की संस्तुतियों, जो विचारण हेतु लंबित है, के विरुद्ध उड़ीसा उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं० ओ.जे.सी. सं० 8776/2000 दायर की।
2.	केरला	235/11/98-99 एफसी	कथित तौर पर झूठे मामले में फंसाना	10000	14.03.2001	राज्य सरकार ने आयोग की संस्तुतियों, जो विचारण हेतु लंबित है, के विरुद्ध अपील दायर की।
3.	दिल्ली	102/30/2005-2006 एफसी	के.स.य. डिस्पेंसरी द्वारा गलत दवाइयों की आपूर्ति के कारण एक लड़की को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ	100000	30.07.2007	शिकायतकर्ता द्वारा दवाइयों के नहीं लेने; याचिकाकर्ता को उसका पक्ष स्पष्ट करने का अवसर नहीं देने; तथा गलत दवाइयों देने के कारण रोगी की हालत अधिक बिगड़ जाने के आशय पर दिल्ली उच्च न्यायालय में इसे चुनौती देने के कारण अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं० 9776/07 के आदेश लंबित।
4.	केरला	95/11/1999-2000 एफसी	समय पर चिकित्सा देखरेख की कमी के कारण एक हेड कांस्टेबल की झूटरी पर मौत	50000	29.08.2007	केरल प्रशासनिक अभिकरण को हस्तांतरित रिट याचिका सं० 36890/07 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के उपबंधों के अनुपालन नहीं किये जाने के आधार पर केरल उच्च न्यायालय में इसे चुनौती देने के कारण अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी।
5.	उत्तर प्रदेश	30217/24/2002-2003-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (संवासी)	10000	20.02.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
6.	केरला	43/11/2002-2003-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	150000	12.09.2008	आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों के विरुद्ध केरल सरकार द्वारा केरल उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं० 21305/08 दायर की गई। रिट याचिका के परिणाम आने की प्रतीक्षा है।

क्रम संख्या	राज्य/ संघशासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	शिकायत की प्रकृति	सिफारिश राशि	सिफारिश की तिथि	टिप्पणी
7.	उत्तर प्रदेश	12969/24/2002-2003 (एफसी)	पुलिस मुठभेड़ में मौत (शिकायत)	300000	27.05.2009	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है।
8.	उत्तर प्रदेश	39058/24/2003-2004 (एफसी)	फर्जी मुठभेड़ में पुलिस द्वारा हत्या (शिकायत)	600000 (3,00,000/- each 2 persons)	27.07.2009	मृतक प्रभात कुमार के संबंध में भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है।
9.	जम्मू एवं कश्मीर	55/9/2003-2004-ad	जम्मू पुलिस की हिरासत में कथित मौत (शिकायत)	500000	19.08.2009	राज्य सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में आयोग की संस्तुतियों को चुनौती दी है।
10.	उत्तर प्रदेश	37802/24/2006-2007 एम-5	पुलिस द्वारा कथित रूप से उत्पीड़न (शिकायत)	25000	24.08.2009	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है।
11.	उत्तर प्रदेश	38166/24/2006-2007-सीडी एम-5	न्यायिक हिरासत में मौत (संवासी)	100000	31.10.2009	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है।
12.	जम्मू एवं कश्मीर	206/9/2003-2004 एम-4	सरकार द्वारा घरों को नुकसान (शिकायत)	200000	23.11.2009	राज्य सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में आयोग की संस्तुतियों को चुनौती दी है।
13.	उत्तर प्रदेश	14303/24/2006-2007 एम-5	पुलिस द्वारा एक प्रेस रिपोर्टर का उत्पीड़न एवं शोषण क्योंकि उसने तत्कालिन पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी के विरुद्ध प्रेस में रिपोर्ट दी थी (शिकायत)	500000	04.02.2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है।
14.	उत्तर प्रदेश	6384/24/2003-2004	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	05.05.2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
15.	केरला	49/11/2006-2007-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (संवासी)	300000	27.09.2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
16.	अरुणाचल प्रदेश	3/2/14/08-09-बीसीडी	पुलिस हिरासत में मौत (संवासी)	100000	12.11.2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
17.	महाराष्ट्र	1122/13/2005-2006-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (संवासी)	300000	05.01.2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
18.	महाराष्ट्र	511/13/2003-2004	कानून के अनुसार कार्रवाई करने में विफलता	1430000	06.01.2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
19.	ओडिशा	256/18/2/09-10	केन्द्र / राज्य सरकार के कस्टम / आबकारी / प्रवर्तन / वन / आय कर / विभाग इत्यादि द्वारा अत्याचार	700000	31.03.2011	रा.मा.अ.आयोग के आदेशों को न्यायालय में चुनौती दी गई तथा इसके आदेशों को आगे के आदेश आने तक लंबित रखा गया।
20.	महाराष्ट्र	1110/13/2006.2007.सीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	26.04.2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
21.	पंजाब	982/19/9/08.09.जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	10.05.2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है

क्रम संख्या	राज्य/ संघशासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	शिकायत की प्रकृति	सिफारिश राशि	सिफारिश की तिथि	टिप्पणी
22.	तमिल नाडु	534/22/37/07.08	अवैध निरोध	50,000.00	10.05.2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
23.	मध्य प्रदेश	921/12/2/09.10	चिकित्सा व्यवसायियों की अपक्रिया	13,25,000.00	05.07.2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
24.	जम्मू एवं कश्मीर	25/9/4/07.08.पीसीडी	हिरासत में मौत (पुलिस)	5,00,000.00	27.07.2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
25.	हिमाचल प्रदेश	39/8/12/09.10.पीसीडी	हिरासत में मौत (पुलिस)	1,00,000.00	03.08.2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
26.	चंडीगढ़	25/27/0/09.10.एडी	पुलिस हिरासत में कथित हिरासतीय मौत	1,00,000.00	10.08.2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
27.	उत्तर प्रदेश	20645/24/40/09.10.जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000.00	26.08.2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
28.	दिल्ली	4951/30/8/2010	मजदूर	3,00,000.00	01.09.2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
29.	उत्तर प्रदेश	3583/24/2002.2003	राज्य में उचित चिकित्सा सुविधाओं की कमी	44,20,000.00	28.09.2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
30.	उत्तर प्रदेश	15143/24/66/07.08.डब्ल्यूसी	अल्पसंख्यक महिला से बलात्कार	5,25,000.00	07.10.2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
31.	पश्चिम बंगाल	511/25/13/09.10.जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000.00	11.10.2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
32.	तमिल नाडु	2349/22/36/08.09.एडी	पुलिस हिरासत में कथित हिरासतीय मौत	5,00,000.00	16.11.2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
33.	पंजाब	363/19/2/08.09.पीसीडी	हिरासत में मौत (पुलिस)	5,00,000.00	04.01.2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
34.	ओडिशा	176/18/6/2011	केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों की निष्क्रियता	3,00,000.00	05.01.2012	राज्य सरकार ने उड़ीसा उच्च न्यायालय में आयोग की संस्तुतियों को चुनौती दी है।
35.	आसाम	144/3/16/2010.इडी	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000.00	11.01.2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
36.	दिल्ली	2843/30/1/2010	केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों की निष्क्रियता	1,00,000.00	20.01.2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
37.	उत्तर प्रदेश	6153/24/56/2011.पीएफ	शक्ति का दुरुपयोग	25,000.00	23.01.2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
38.	महाराष्ट्र	2155/13/30/2010	हिरासत में उत्पीड़न	10,000.00	30.01.2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
39.	महाराष्ट्र	1734/13/4/2010.पीसीडी	हिरासत में मौत (पुलिस)	5,00,000.00	06.03.2012	खण्ड पीठ को रेफर किये गए मामले में सरकार द्वारा एक लाख रुपये की संस्वीकृति
40.	चंडीगढ़	43/27/0/2010	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	50,000.00	19.03.2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
41.	बिहार	1683/4/8/2010	बच्चे	2,00,000.00	24.03.2012	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है

अनुलग्नक – 8

पैरा 5.18

मानव अधिकार के रूप में स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिशें

I. स्वास्थ्य देखभाल की सुलभता, गुणवत्ता तथा वहनीयता

(क) आवश्यक विधिक ढांचे के संबंध में प्राथमिक सिफारिशें

राष्ट्रीय तथा राज्य सरकारों को निम्नलिखित आवश्यक विधिक ढांचे तथा जवाबदेही ढांचे को अपनाना चाहिए जो निम्नलिखित को सुनिश्चित करे :

1. सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रूप में स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक निःशुल्क पहुंच।
2. स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति के सभी स्तरों के लिए सेवा संबंधी अधिकारों के संबंध में मरीजों के अधिकार पत्र सहित मेडिकल, सर्जिकल देखभाल, नैदानिक तथा अन्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं सहित स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए श्रेणीबद्ध मानदंड एवं मानक।
3. जरूरतमंद मरीजों के लिए गुणतापूर्ण आवश्यक औषधियों की उचित एवं किफायती अधिप्राप्ति तथा इनके संगत उत्पादन, निर्देश तथा प्रयोग के लिए आवश्यक तंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा निःशुल्क आपूर्ति कराने के लिए प्रबंध।
4. इनमें से प्रत्येक सत्त्व के लिए विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर सार्वजनिक तथा निजी दोनों प्रकार के संभरक तथा स्थापनाओं के विनियमन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य संबंधित सेवाओं के यथोचित विनियमन के लिए प्रबंध।
5. विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं तथा समझौतों के माध्यम से देश में अपनाए गए स्वास्थ्य संबंधी अन्य सभी मानव अधिकार।
6. इन सभी पहलों में संनिहित तंत्र के माध्यम से सभी जरूरतमंद एवं संवेदनशील जनसंख्या समूहों को कवर करना।
7. स्वामित्व तथा निरीक्षण के लिए समुदाय का इन पहलों पर उचित तंत्र के माध्यम से पूर्ण स्वामित्व तथा निरीक्षण है और शिकायत समाधान के लिए प्रतिक्रियात्मक तंत्र सहित उनकी चिंताओं और शिकायतों को उठाने के लिए एक मंच मौजूद है।
8. एक अंतःनिर्मित फीडबैक तथा करेक्शन लूप सहित उपर्युक्त सभी के लिए उचित मॉनीटरिंग एवं सूचना प्रणाली स्थापित करना।

9. पर्याप्त एवं कुशल मानव संसाधन तथा उपर्युक्त सभी को सुनिश्चित करने के लिए भौतिक अवसंरचना एवं संस्थागत प्रबंधों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य तथा राष्ट्रीय सरकारों की प्रतिबद्धता।
10. इन सभी को पूरा करने के लिए अपेक्षित वित्त तथा अन्य संसाधनों के पर्याप्त, कुशल एवं समयबद्ध प्रावधान के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य सरकारों की प्रतिबद्धता।
 - सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के संबंध में योजना आयोग द्वारा गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह ने इनके संबंध में विवरण तैयार किया है; इन्हें निरूपित करने के दौरान सज्जा हेतु विस्तृत वर्णन के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है।
 - विरोधाभासों तथा पुनरावर्ती से बचने के लिए विद्यमान कानूनी ढांचे की पुनः जांच की जा सकती है।
 - सिफारिशों के कार्यान्वयन को केवल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सीमित की ही जिम्मेदारी नहीं समझना चाहिए बल्कि बड़े पैमाने जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के सभी संबंधित अनुभागों की जिम्मेदारी है।

(ख) स्वास्थ्य प्रणाली के विभिन्न विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के संबंध में सिफारिशें

आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवा पात्रता

- यथोचित कानूनी दस्तावेजों के माध्यम से सरकार द्वारा सभी नागरिकों को आवश्यक प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय स्तर की स्वास्थ्य सेवा देखभाल की पात्रता की गारंटी दी जानी चाहिए; इसमें आम बीमारियों के लिए ओपीडी तथा आईपीडी देखभाल, दुर्घटना एवं इमरजेंसी देखभाल, प्रसूति एवं स्त्रीरोग संबंधी देखभाल, मूलभूत सर्जिकल देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, रैफरल ट्रांसपोर्ट सेवाएं, समुदाय आधारित देखभाल तथा अन्य आवश्यक सेवाएं शामिल होनी चाहिए। इसमें सभी आवश्यक निवारक, प्रोत्साहक तथा पुनर्वासात्मक देखभाल सेवाएं भी शामिल होनी चाहिए। विभिन्न संवेदनशील वर्गों – महिलाओं, बच्चों, किशोरियों, जनजातीय जनसंख्या, संवेदनशील रोजगार में लिप्त व्यक्तियों तथा अन्यो के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- सेवाओं के प्रत्येक स्तर पर सभी आकस्मिक एवं आवश्यक औषधियों संबंधी पात्रता तथा आपूर्ति अति सूचित होनी चाहिए।
- ओपीडी तथा आईपीडी के सभी मरीज चाहे वो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के हों या वित्तीय समस्याओं के कारण खर्च का वहन न कर सकते हों – को सभी आम नैदानिक परीक्षण जैसे कि पैथोलॉजिकल टेस्ट, एक्स-रे, ईसीजी आदि निःशुल्क सुलभ होने चाहिए। जो लोग इस खर्च को वहन कर सकते हैं उन्हें यह सेवाएं कुछ रियायती दरों पर उपलब्ध कराना उचित होगा ताकि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा पीजीआई की तरह कुछ स्रोतों का सृजन किया जा सके।

- सुविधाओं के स्तरों की क्षमताओं तथा मानकों के आधार पर सुविधाओं के विभिन्न स्तरों के लिए इन पात्रताओं को श्रेणीगत बनाया जाना चाहिए।
- सभी सुविधा केन्द्रों द्वारा उनके स्तर पर उपलब्ध सेवाओं के संबंध में नागरिकों के लिए नागरिक अधिकार पत्र को विशेषरूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- नागरिक अधिकार पत्र में दी गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में असफल रहने पर अधिकारियों तथा विभाग या स्थापना की जवाबदेही विनिर्दिष्ट और निर्धारित की जाए।

जवाबदेही तथा शिकायत समाधान तंत्र

- सरकारी के साथ-साथ निजी सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल पात्रता के उपबंधों को लागू करने के लिए तथा इनके इर्द-गिर्द शिकायत समाधान का संचालन करने के लिए स्वतंत्र निकाय/प्राधिकारी।
- इन निकायों के प्रति स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं की जवाबदेही उचित प्रकार से निर्धारित की जाए।
- विभिन्न सुविधाओं के स्तर पर नागरिक स्वास्थ्य अधिकार परिषदों जैसे प्रबंध किए जाएं।
- गैर-सरकारी संगठनों, सिविल समाज तथा चुने गए प्रतिनिधियों के समर्थन के माध्यम से नियमित सामाजिक संयोजन गतिविधियां।
- समुदाय आधारित निगरानी तथा सार्वजनिक सुनवाई, अंतर की पहचान के लिए शिकायत समाधान निकाय का समर्थन कर सकती है।
- इन सभी प्रबंधों को यथोचित मानव संसाधन, भौतिक अवसंरचना तथा अन्य संसाधनों के माध्यम से पर्याप्त समर्थन दिया जाना चाहिए।

आवश्यक औषधियां तथा आपूर्ति

- देखभाल के विशेष स्तर पर सभी आकस्मिक तथा आवश्यक दवाइयों, सर्जिकल, घाव सिलने तथा अन्य उपभोग किए जाने वाले उत्पादों की उपलब्धता को सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में निःशुल्क रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- मेडिकल एण्ड हेल्थ सप्लाइज़ कॉरपोरेशन, ड्रग वेयरहाउसिंग सुविधाओं तथा सॉफ्टवेयर आधारित इन्वेटरी मैनेजमेंट अरेंजमेंट्स जैसी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए औषधियों की निष्कपट अधिप्राप्ति तथा आपूर्ति के लिए पारदर्शी तंत्र की स्थापना करना।
- मानक उपचार दिशानिर्देशों, आवश्यक औषधि सूची, औषधि फॉर्मूला, औषधि का सचेतन प्रयोग तथा साक्ष्य आधारित दवाइयों को अपनाना और उनका प्रयोग सुनिश्चित करना।

- विनिर्माण लागत के आधार पर सभी आवश्यक औषधियों का मूल्य विनियमन सुनिश्चित करना।
- टीकों तथा आवश्यक औषधियों की गुणवत्ता एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की औषधि एवं टीका इकाइयों को सुदृढ़ बनाना।
- बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेशन द्वारा घरेलू कंपनियों के अभिग्रहण तथा विलय की अनुमति प्रदान न करना।
- घरेलू स्तर पर प्रजातिगत औषधियों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना।

मानव संसाधन

- देश के जरूरतमंद क्षेत्रों में, सार्वजनिक क्षेत्र में, जिला पंचायत के सहयोग से जिला स्तर पर, शैक्षणिक संस्थानों के रूप में जिला अस्पतालों के साथ नए मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग तथा फार्मसी कॉलेजों की स्थापना करना।
- सक्षम फैकल्टी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सरकार द्वारा राज्यों को सहायता।
- गुणवान विद्यार्थियों का स्थानीय चयन तथा निर्धन विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सहायता।
- प्राथमिक स्तर की स्वास्थ्य देखभाल के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य में 3 वर्ष के बी0एस0सी0 पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करना और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को उप-केन्द्रीय स्तर पर नियुक्त करना जहां वर्तमान में मेडिकल डॉक्टर का कोई पद नहीं है।
- विशेषताओं, सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा, पारिवारिक चिकित्सा तथा मल्टी-स्किलिंग को तत्काल भरने पर विचार करना।
- नर्सों, नर्स प्रैक्टीशनर विकास को वरीयता देना।
- लैब-टैक्नीशियनों तथा अन्य पैरामेडिकल कार्मिकों के विकास एवं तैनाती के संबंध में पेशेवर उन्नति के अवसरों सहित ध्यान केन्द्रित करना।
- तैनाती और स्थानांतरण नीतियों का निर्धारण तथा विशुद्ध प्रवर्तन।
- हस्तक्षेप आदि से बचने के लिए शिक्षा के बाद स्टॉफ की प्रथम तैनाती मेरिट सह विकल्प प्रणाली पर आधारित होनी चाहिए।
- तमिलनाडु/कर्नाटक के परामर्शी मॉडल, विकल्प हो सकते हैं।
- लोगों की तैनाती के दौरान अवसंरचना-मानव संसाधनों तथा सुविधाओं का परस्पर अनुकूलन सही तरीके से किया जाना चाहिए।

- सभी स्वास्थ्य देखभाल स्टॉफ के लिए यथोचित भत्ते तथा पर्याप्त प्रोत्साहन; सभी स्तरों पर 'कोई पद रिक्त नहीं' की स्थिति को प्राप्त करने के लिए दुर्गम क्षेत्रों के लिए आकर्षक अतिरिक्त भत्तों तथा प्रोत्साहन पैकेज सहित विशेष कैडर।
- सभी स्तरों पर प्रबंधकीय/संचालन कार्यबल की संख्या को बढ़ाना।
- देख-रेख करने वालों के रूप में आयुष डॉक्टरों को मुख्य रूप से शामिल करना।

पेशेवर अंदाज तथा उत्कृष्टता का संवर्धन करना

- मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, फार्मसी आदि जैसी सभी पेशेवर परिषदों को एकीकृत करना।
- सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा ज्ञान तथा कौशल प्रदान करना सुनिश्चित करना।
- उच्च कोटि का पेशेवर आचार तथा आचार नीति का संवर्धन करना और अनाचार को रोकना।
- निर्धारित कार्यक्रमों के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा जारी रखना सुनिश्चित करना।
- परिषद/परिषदों में पंजीकृत सभी पेशेवरों के लिए आवधिक मूल्यांकन (क्षमता तथा कौशल का) तथा लाईसेंस नवीनीकरण तंत्र की स्थापना करना।
- नए मेडिकल कॉलेजों को खोलने के मानदंडों में संशोधन करना ताकि जरूरत के अनुसार पर्याप्त संख्या में एमबीबीएस, विशेषज्ञ तथा सुपर-स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध हो सकें।
- पूर्वस्नातकों की कम से कम 1 वर्ष के लिए अनिवार्य ग्रामीण तैनाती की जानी चाहिए – इन लोगों की तैनाती समय पर सुनिश्चित होनी चाहिए।

देख-रेख की गुणवत्ता

- सुविधाओं के सभी स्तरों के लिए, पात्र सेवाओं के लिए अनिवार्य गुणता मानदंडों को तैयार करना।
- एक निश्चित समयावधि में अनिवार्य आधिकारिक मान्यता तथा वार्षिक नवीनीकरण करना।
- राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए स्वतंत्र प्रमाणन प्राधिकारियों के माध्यम से नवीनीकरण।
- संस्थानों के उद्देश्यों के आधार पर निजी तथा सार्वजनिक सुविधाओं के लिए मानदंडों में भिन्नता हो सकती है।
- रैफरल प्रणाली

- स्वास्थ्य सुविधाओं को एक अंतःसंबद्ध नेटवर्क के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए सुविधाओं के सभी स्तरों पर आरंभिक एवं अंतिम बिन्दुओं पर रैफरल प्रणाली स्थापित करना।
- दस्तावेजों के समर्थन तथा स्थानांतरण को सुविधाजनक बनाने हेतु रैफरल कार्ड।
- रैफरल परिवहन की सुविधा।
- निःशुल्क सेवाएं देने वाले धर्मार्थ अस्पताल भी सार्वजनिक संस्थानों के समान रैफरल गंतव्य के रूप में कार्य कर सकते हैं।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी/स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए निजी क्षेत्र का प्रवेश

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी/खरीदी गई निजी सेवाओं एक पारदर्शी तंत्र की स्थापना सहित निष्पक्ष अधिप्रापण प्रक्रिया के तहत लाया जाना चाहिए।
- सार्वजनिक निजी भागीदारी, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में सरकार के प्रयासों की प्रतिस्थापना न होकर अनुपूरक होनी चाहिए।
- ऐसे क्षेत्रों में अपनाया जाए जहां सार्वजनिक सुविधाएं कम मात्रा में हैं – ऐसे स्पष्ट साक्ष्य होने चाहिए कि इससे उपलब्धता, सुलभता और वहनीयता में सुधार आया है।

निजी क्षेत्र का प्रभावी विनियमन

- निजी तथा कॉरपोरेट स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं का यथोचित विनियमन सुनिश्चित करना।
- निर्धारित समयसीमा के अंदर सभी राज्यों द्वारा क्लीनिकल एस्टेबलिशमेंट एक्ट का प्रवर्तन तथा कार्यान्वयन।
- सभी निजी तथा कॉरपोरेट प्रदाताओं के लिए अवसंरचना, मानव संसाधन, सेवाओं, लागत के संबंध में मानक तथा देख-रेख की गुणवत्ता लागू करना।
- निजी एवं कॉरपोरेट सुविधाओं को शिकायत समाधान तंत्र के तहत लाना।
- ऐसे निजी अथवा धर्मार्थ अस्पतालों जिनके पास भूमि है अथवा कोई अन्य सार्वजनिक सहायता प्राप्त है, को उनकी वचनबद्धता के अनुसार वंचित लोगों को निःशुल्क तथा रियायती सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बाध्य करना।

भौतिक अवसंरचना

- पात्रता पैकेज में स्वास्थ्य सुविधाओं को शामिल करने के लिए दूरी तथा जनसंख्या, दोनों मानदंडों के आधार पर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता; राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में किए गए उल्लेख के अनुसार दोनों के लिए भिन्न मानदंड होना।

- लोगों को 3–5 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना।
- भौतिक अवसंरचना के समयबद्ध रखरखाव तथा यथोचित साफ–सफाई सुनिश्चित करने का तंत्र।

निगरानी तथा उपचारात्मक कार्यवाही

- एक आई0टी0 आधारित स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली स्थापित करना।
- स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक उपलब्धता, सुलभता, सेवाओं की गुणवत्ता तथा परिणामों की आवधिक निगरानी सुनिश्चित करना।
- मासिक आधार पर निगरानी तथा फीडबैक लूप।
- सेवाओं के विफल हो जाने के मामले में मूल्यांकन, त्वरित एवं प्रभावित उपचारात्मक उपायों के साथ जोड़ा जाए।
- समय पर आना–जाना सुनिश्चित करने तथा अनुपस्थिति की जांच सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में बायोमीट्रिक उपस्थिति यंत्र लगाना।
- संसाधनों के संगत आबंटन को सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों, मानव संसाधनों, सेवाओं तथा केस लोड का राज्य स्तरीय अद्यतन स्वास्थ्य देखभाल डाटाबेस तैयार करना।

(ग) सतर्कता

अवसंरचना

- नई सुविधाओं की स्वीकृति से पूर्व उचित मूल्यांकन अपेक्षित है – विद्यमान संसाधनों को विभक्त या दोहराया न जाए।
- नई अवसंरचना की घोषणा से पूर्व विद्यमान अवसंरचना की जी0आई0एस0 मैपिंग करना।

वित्त

- निजी सेवा प्रदाताओं की प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय विकल्पों पर विचार करते समय सार्वजनिक वित्त मॉडलों पर विचार किया जाए – लाभ कमाने वाले निकायों जो सार्वजनिक निधि का आंशिक प्रयोग निर्धारित प्रयोजन से इतर करते हैं, द्वारा प्रबंधित बीमा कार्यक्रमों से बचने के लिए पूरा ध्यान रखा जाए।
- कर्नाटक सरकार लोक संस्थान आधारित गैर–बीमा, रिस्क पूलिंग अरेंजमेंट (स्वर्ण आरोग्य ट्रस्ट) – निजी प्रतिपूर्ति का एक तरीका हो सकता है।
- लेखापरीक्षा के वर्तमान प्रबंधों तथा लोक हित सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र निगरानी करना।

II- महिला एवं बाल स्वास्थ्य – महत्वपूर्ण मुद्दे

(क) नीति:

1. कल्याणकारी या लाभ आधारित दृष्टिकोण की अपेक्षा अधिकार आधारित दृष्टिकोण।
2. सभी नीतियों के लिए प्रोत्साहन/गैर-प्रोत्साहन के रूप में दो बच्चों के मानदंड को हटाना।
3. स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच के लिए गरीबी रेखा से उपर तथा गरीबी रेखा से नीचे के बीच के अंतर को समाप्त करना।
4. राज्यों तथा केन्द्र की बच्चा एवं जच्चा स्वास्थ्य योजनाओं को एकीकृत एवं अभिसरित करना।
5. एक समग्र दृष्टिकोण के लिए सभी सामाजिक एवं आर्थिक स्वास्थ्य निर्धारकों को भी संबोधित करने की आवश्यकता है। महिलाओं के प्रति भेदभाव को अविरत बनाए रखने वाले संरचनात्मक कारकों तथा स्वास्थ्य देखभाल पर पड़ने वाले प्रभावों का नीति में विभाजन करना चाहिए।
6. मानव संसाधन के अंतर को भरने के लिए विधायी समर्थकारिता, प्रशिक्षित पेशेवर मिड वाईव्स/प्रसूति में प्रशिक्षित नर्से/बिना किसी विशेषज्ञ अपेक्षाओं के एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर। लोक स्वास्थ्य सेवा तथा लोक स्वास्थ्य संवर्ग की आवश्यकता।
7. सभी जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। प्रभावी नीति के लिए आंकड़ों की आवश्यकता।
8. महिलाओं को बच्चे जन्म से तीन महीने पहले तथा जन्म के छः महीने बाद मातृत्व भत्ते के बराबर शर्त रहित भत्ता उपलब्ध कराया जाए।
9. नीतियों में गृह आधारित प्रसव को नजरअंदाज न किया जाए। गृह आधारित नवजात शिशु संबंधी तथा मातृत्व देखभाल संबंधी प्रशिक्षण दिया जाए।
10. नीतिगत स्तर पर उच्च प्राथमिकता वाले जिलों/तालुकों पर ध्यान केन्द्रित किया जाए।
11. बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 18 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों से संबंधित है। स्वास्थ्य नीति में भी ऐसा ही होना चाहिए।

(ख) कार्यान्वयन :

12. मोबाईल हेल्थ क्लिनिक के प्रावधान वाले ऐसे दूरस्थ इलाकों जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं, के 15 किलोमीटर के दायरे में प्रसव संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
13. योजना तथा तैयारी सुनिश्चित करने के लिए गर्भवती महिलाओं की अग्रसक्रिय ट्रेकिंग की जानी चाहिए। प्रसव की संभावित तारीख के बारे में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जानकारी होनी चाहिए।

14. कम से कम प्रथम प्रतिक्रिया यूनिट (एफ आर यू) के स्तर तक रक्त भंडारण सुविधा पहुंचनी चाहिए।
15. एफ0आर0यू0 में तकनीकी सुविधाओं का उन्नयन। तकनीकी दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन।
16. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर विटामिन ए तथा फॉलिक एसिड की गोलियों की निश्चित आपूर्ति होनी चाहिए।
17. डाटा ट्रेकिंग, मॉनिटरिंग तथा अद्यतन रिकार्ड रखना आवश्यक है।
18. एन0आर0एच0एम0 की राज्य पी0आई0पी0 प्रक्रिया में अधिक लचीलापन।
19. निजी क्षेत्र तथा पेशेवरों के साथ संपर्क बनाना, अनुबंध करना। गरीब लोगों को निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निजी अस्पतालों/कॉलेजों में तंत्र इजाद करना।
20. एक यूनिट से दूसरी यूनिट में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्ड को स्थानांतरित करने की सुविधा।
21. अग्रसक्रिय परिवहन प्रबंध।
22. कर्नाटक राज्य की तरह मैटरनिटी किट उपलब्ध कराना।
23. वंचित तथा गंभीर रूप से कुपोषित महिलाओं और बच्चों की पहचान करना और ढूंढना।
24. गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए भी इसी प्रकार के प्रावधान करना।
25. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सभी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे जन्म के छः माह तक आंगनवाड़ी के माध्यम से पका हुआ गरम भोजन दिया जाएगा ताकि अधिनियम की अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम पोषक मानकों की पूर्ति की जा सके।
26. क्षमता निर्माण/ए0एन0एम0 (कौन किसके लिए जवाबदेह है) को प्रशिक्षण तथा परिवारों को शिक्षित बनाना।
27. महिलाओं के बीच अंतःपीढ़ी अन्याय का मूल्यांकन किया जाए और समाधान किया जाए और इसकी पूर्ति के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को अभिसरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
28. माहवारी स्वास्थ्य तथा स्वच्छता का ध्यान रखा जाए।
29. स्टॉफ को व्यावहारिक कौशल में प्रशिक्षित किया जाए।
- (ग) जवाबदेही तथा समाधान :
 30. उच्च स्तर पर अपर्याप्त प्रबंधन एवं विनियामक संरचना।

31. सभी स्तरों पर जवाबदेही।
32. आंकड़ों की स्वतंत्र माध्यमों से निगरानी तथा जिला एवं राज्य स्तरों पर पर्याप्त निगरानी।
33. अनुपस्थिति की समस्या का समाधान करने की जरूरत – मॉनीटरिंग तथा जवाबदेही।
34. जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य लोकपाल।
35. इनपुट स्कीमों का नियमित रूप से आकलन और तदनुसार पाठक्रम में संशोधन।

III स्वच्छ पेयजल, साफ-सफाई तथा स्वच्छता

ऐसे लोग जिनके लिए सरकारी कार्यक्रम बनाए जाते हैं वे ही मुख्य रूप से इन कार्यक्रमों के बारे में जागरूक नहीं होते हैं। बुनियादी स्तर पर लोगों को समर्थन देने के लिए जानकारी प्रदान करने हेतु संगठित माध्यमों तथा समूहों की आवश्यकता है ताकि वे इन कार्यक्रमों का लाभ उठा सकें।

(क) स्वच्छ पेयजल :

1. आर्थिक स्थिति, जाति, धर्म आदि पर ध्यान दिए बिना सभी लोगों को पानी का एक समान आबंटन।
2. विद्यमान जल स्रोतों का संरक्षण ताकि उनका प्रयोग पेयजल के लिए किया जा सके।
3. स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विशेषतः दूरदराज वाले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए जैसे कि आदिम जनजातीय समूहों के लिए स्थानीय रूप से उचित एवं उपलब्ध तकनीक का प्रयोग।
4. पहाड़ी क्षेत्रों में झरनों का संरक्षण का शोषण पेयजल का अच्छा स्रोत हो सकता है। इस स्रोत का प्रयोग तथा इसके संरक्षण का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए।
5. जल के अप्राधिकृत दोहन के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि इससे जल प्रदूषण हो सकता है।
6. जल की गुणवत्ता जांचने की प्रणाली केवल स्रोत स्तर पर ही नहीं बल्कि उपभोक्ता के स्तर पर भी होनी चाहिए। पेयजल की नियमित एवं आवधिक जांच आवश्यक है।
7. अंतर-क्षेत्रीय सहयोग तथा विभिन्न प्रयोगों एवं उपभोक्ताओं के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
8. जल को प्रदूषित करने वालों के खिलाफ तथा जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

9. लोगों को जल के उपयोग तथा दुरुपयोग के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए और अपेक्षित व्यवहार को प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
10. उद्योगों द्वारा भूजल के अतिदोहन को रोका जाना चाहिए। लाईसेंस देने से पहले उद्योग को अपने जल पुनरुत्पादन योजना का खुलासा करना चाहिए।

(ख) स्वच्छता :

11. स्वच्छता तभी सफल होगी जब शौचालयों में पानी उपलब्ध होगा। जल की उपलब्धता जरूरी है।
12. स्कूल के शौचालयों का रखरखाव तथा संचालन स्कूल प्राधिकारियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। विद्यार्थियों को श्रम की गरिमा की तर्ज पर तथा बिना किसी भेदभाव के स्कूल के शौचालयों को साफ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
13. स्नानगृह उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि महिलाएं अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता एवं गरिमा बनाए रख सकें।
14. व्यक्तिगत स्वच्छता पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों के लिए जागरुकता कार्यक्रम विकसित किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता सहित स्वच्छता पर बल दिया जाना चाहिए।
15. भूमि-शीर्ष के बावजूद भी सरकार द्वारा सभी को पेयजल तथा शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अप्राधिकृत क्षेत्रों में रहने वाले गरीब-वंचित लोगों के प्रयोग के लिए सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए भूमि-शीर्ष किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए।
16. सिर पर मैला ढोने वाली प्रथा के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोगों को अग्रसक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए।
17. मलिन बस्तियों में रहने वालों को साफ-सफाई के बारे में शिक्षित/जागरुक करने के लिए अभियान।
18. स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में पर्याप्त पानी और स्वच्छता सुविधाएं होनी चाहिए।
19. पेयजल तथा साफ-सफाई तक सार्वभौमिक एवं समान सुलभता हेतु यथोचित एवं समर्थकारी विधायन लाया जाना चाहिए।

IV—व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

सिलिकॉसिस के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा एक विशेष रिपोर्ट तैयार की गई थी। और उसे वर्ष 2011 में गृह मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। मानव अधिकारों के रूप में स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। कुशल व्यक्तियों, सरकार के संबंधित विभागों से जुड़े हुए अधिकारियों तथा विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने के बाद आयोग ने व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मुद्दे पर निम्नलिखित सिफारिशें की :

1. यह सिफारिश की गई कि फैक्टरी एक्ट, 1948 की धारा 2(ग) के अनुसार राज्य सरकारें, निम्नलिखित ऐसी यूनिटों/कार्यस्थलों जिनमें एक या उससे अधिक मजदूर कार्यरत हैं, को फैक्टरी अधिनियम, 1948 के दायरे में लाने के लिए फैक्टरी अधिनियम, 1948 की धारा 85 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक नियम बना सकती हैं। चर्चा के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नोटिस में यह लाया गया कि जहां एक या एक से अधिक मजदूर कार्यरत हैं और विभिन्न व्यावसायिक बीमारियों से त्रस्त हैं उन यूनिटों के लिए धारा 85 की तर्ज पर ही मानदंड दिए गए हैं। उदाहरण के लिए इकाईयां हैं जैसे रैमिंग मॉस (क्वार्टज ग्राइंडिंग), स्टोन क्रशर, आयरन ओर क्रशर, बॉक्साइट ग्राइंडिंग, स्पांज आयरन प्लांट, रिफैक्टरीज़ फाउंडरीज़, जेम्स तथा ज्वैलरी।
2. हालांकि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम मुख्यतः मजदूरों को भुगतान किए जाने से संबंधित है, तात्कालिक एवं अपेक्षित चिकित्सा सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कार्यभार के कारण चोटिल तथा बीमार होने वाले मजदूरों को यह सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यह सिफारिश की गई कि नियोक्ता द्वारा अपने संबंधित मजदूरों को ऐसे तात्कालिक एवं अपेक्षित उपचार उपलब्ध कराने के संबंध में राज्य द्वारा आवश्यक नियम भी बनाए जाने चाहिए।
3. कर्मचारी मुआवजा अधिनियम की संरचना पर विचार करते हुए आयोग ने सिफारिश की कि मजदूर द्वारा दायर किए गए आवेदन के निपटान हेतु समयसीमा निर्धारित करते हुए तथा आयुक्त के आदेशों का अनुपालन करते हुए राज्य द्वारा आवश्यक नियम बनाए जा सकते हैं।
4. यह सिफारिश की गई कि धारा 13 की उप-धारा (2) को ध्यान में रखते हुए बाल श्रम (निषेध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत शामिल बच्चों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा हेतु यथोचित सरकारों को नियम बनाने चाहिए।
5. हालांकि बंधुआ मजदूरी (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 की धारा 26 केन्द्र सरकार को नियम बनाने की शक्तियां प्रदान करती है किन्तु उक्त नियमों में मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रावधान शामिल नहीं हैं और न ही ऐसे कोई नियम अभी तक बनाए गए हैं। इसलिए, सिफारिश की जाती है कि बंधुआ मजदूरी (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के संगत उपबंधों

को यथोचित रूप से संशोधित किया जाए और केन्द्र सरकार को इस संबंध में नियम बनाने में समर्थ बनाया जाए।

6. चर्चा और विचार-विमर्श के बाद सरकार से सिफारिश की गई कि विभिन्न अधिनियमों के निम्नलिखित उपबंधों का अनुपालन किया जाना चाहिए :

क) फैक्टरी अधिनियम की धारा 7, 7(क), 8, 9, 10, 11 से 20, 41(ग), 41(च), 85, 87, 89, 90, 91(क), 101(क), 113

ख) खदान अधिनियम की धारा 2, 5 से 9, 11, 16, 22, 9(क), 23, 25, 26, 27, 48. यह सिफारिश भी की गई कि खदान कर्मचारी कल्याण बोर्ड में खदान में काम करने वाले अवयस्कों को भी शामिल किया जाए।

ग) कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 3

घ) ई0एस0आई0 एक्ट, 1948 की धारा 2(8), 51(क), 52(क)

7. यह भी सिफारिश की गई कि सरकार को डॉक्टर, पैरा मेडिकल तकनीशियनों, सपोर्ट स्टॉफ की तैनाती के लिए तथा सभी सरकारी एवं ई0एस0आई0 अस्पतालों में यथोचित अवसंरचना सहित पृथक व्यावसायिक व्याधि पहचान केन्द्र खोलने के लिए प्रावधान करने चाहिए।

.....

अनुलग्नक – 9

पैरा 5.19

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करने की दिशा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की हाल ही की पहलों को उजागर करता हुआ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अग्रेषित विवरण

स्वास्थ्य के प्रति लोगों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के विजन के मद्देनजर, लोक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता के लिए कार्यान्वयन तंत्र में सुधार लाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अपने आपको अभिमुख कर रहा है। जनसंख्या के गरीब, वंचित एवं संवेदनशील वर्ग की आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित करने सहित स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति प्रणाली को मजबूत बनाने पर बल दिया जा रहा है, पात्रता आधारित स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने के संबंध में यह एक वृद्धिशील दृष्टिकोण है।

पिछली पंचवर्षीय योजना के दौरान मंत्रालय ने ग्रामीण जनसंख्या की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्यमान अवसंरचना के उन्नयन तथा नवीन अवसंरचना निर्माण पर अधिक बल देते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति में विभिन्न कदम उठाए हैं। देश भर में 8330 से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चौबीस घंटे तथा सातों दिन कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एन0आर0एच0एम0 के तहत मानव संसाधनों में भी पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है और परिणामतः 22,812 डॉक्टरों/विशेषज्ञों, 33,582 स्टॉफ नर्सों, 16,447 पैरामेडिकल स्टॉफ सहित 1.4 लाख स्वास्थ्य कार्मिक हैं। इन स्वास्थ्य कार्मिकों के अलावा कार्यक्रम प्रबंधन के लिए मानव संसाधन समर्थन में 10,249 से अधिक कार्मिकों की बढ़ोतरी हुई है जिसमें 579 जिला कार्यक्रम प्रबंधक, 598 जिला लेखा प्रबंधक, ब्लॉक स्तर पर 4,807 एकाउंटेंट तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर 3,756 लेखा शामिल हैं। आशा, जो एन0आर0एच0एम0 की रीढ़ है और प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई में सर्वप्रथम है – को भी ड्रग किट्स सहित प्रभावी रूप से प्रशिक्षित किया गया है। नवजात शिशुओं तथा माताओं की मृत्युदर को कम करने की एम0डी0जी0 को प्राप्त करने के उद्देश्य से जननी सुरक्षा योजना तथा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। मंत्रालय द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों तथा जिला अस्पतालों के उन्नयन की दिशा में समर्थन दिया जा रहा है और उचित महत्व भी दिया जा रहा है। मंत्रालय, लोक स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से निःशुल्क औषधियों उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को और अधिक वित्त पोषित करने की योजना भी बना रहा है। शहरी जनसंख्या के स्वास्थ्य के स्तर में सुधार विशेषतः शहरी गरीबों तथा अन्य संवेदनशील वर्गों को गुणतापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुलभ कराते हुए उनके स्वास्थ्य में सुधार करने करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन0यू0एच0एम0) की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत सभी राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों तथा 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले अन्य शहरों/कस्बों (2011 की जनगणना के अनुसार) को चरणबद्ध रूप से शामिल किया जाएगा।

वर्तमान में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने की दिशा में उठाए गए कदमों के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बड़ी संख्या में सेवाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है तथा कई अन्य सेवाओं को निःशुल्क सेवाओं की सूची में जोड़ा जा रहा है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

1. सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यू0आई0पी0) : वार्षिक रूप से 27 मिलियन जन्मे बच्चों को निःशुल्क टीकाकरण उपलब्ध कराना।

क) बच्चों को 7 बीमारियों के खिलाफ निःशुल्क टीकाकरण की गारंटी

ख) गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क टीकाकरण

ग) टीकों की सूची में विस्तार, उदाहरणतः पेंटावैलेंट, जे0ई0

2. परिवार नियोजन सेवाएं : जानकारी, निःशुल्क प्रजनन स्वास्थ्य आपूर्ति तथा बंध्याकरण।

3. निःशुल्क बाल स्वास्थ्य सेवाएं :

क) आवास आधारित नवजात शिशु की देखभाल

ख) सुविधा आधारित नवजात शिशु की देखभाल

ग) पोषणात्मक पुनर्वास

घ) सप्लीमेंटेशन : आई0एफ0ए0 तथा विटामिन ए

ड.) निःशुल्क ओ0आर0एस0 तथा जिंक सहित अतिसार प्रबंधन

च) एंटीबायोटिक्स सहित निमोनिया प्रबंधन

4. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम :

क) लोक स्वास्थ्य सेवाओं में सी-सेक्शन सहित निःशुल्क एवं शून्य व्यय डिलीवरी की गारंटी

ख) लाने-लेजाने की निःशुल्क परिवहन सेवा की पात्रता

ग) निःशुल्क औषधियां, आभूषण, नैदानी, रक्त तथा खुराक

घ) बीमार नवजात शिशु के लिए भी इसी प्रकार की गारंटी है

जे0एस0एस0के0 के तहत लगभग 16.6 मिलियन महिलाएं सरकारी अस्पतालों में बच्चों को जन्म देती हैं तथा संबंधित सुविधाओं का लाभ उठाती हैं। मातृत्व तथा बच्चों के जन्म के बढ़ते हुए भार को सेवाएं प्रदान करने के लिए लोक स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु 28,000 से अधिक बिस्तरों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

5. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम :

- क) हाल ही में की गई पहल का लक्ष्य जन्म के समय होने वाले विकारों, बीमारियों, खामियों, विकास में होने वाले विलम्ब और उसके साथ-साथ अक्षमता की पहले से ही पहचान करने के माध्यम से व्यापक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना और बच्चों की जिन्दगी की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- ख) देश भर में शून्य से अठारह वर्ष के बीच के आयवर्ग के लगभग 270 मिलियन बच्चों को आंगनवाड़ी तथा स्कूलों, दोनों को चरणबद्ध तरीके से कवर किए जाने की संभावना है।
- ग) इन पहलों के तहत तृतीय स्तर पर इलाज सहित कोई भी इलाज निःशुल्क होगा।

6. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम :

- क) किशोरों एवं किशोरियों के समग्र हस्तक्षेप
- ख) छः वरीयता (कार्यक्रम) क्षेत्र : पोषण, यौन प्रजनन स्वास्थ्य, एन0सी0डी0 के लिए स्थिति, वस्तु दुरुपयोग, चोट तथा हिंसा एवं मानसिक स्वास्थ्य।
- ग) संचालनात्मक घटक : व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण, सेवाओं का प्रावधान, वस्तुओं का प्रावधान, क्षमता निर्माण, मॉनीटरिंग तथा विकास, कार्यक्रम प्रबंधन।
- घ) हस्तक्षेप : समुदाय आधारित हस्तक्षेप; सुविधा आधारित हस्तक्षेप, अभिसारिता, समर्थन, बी0सी0सी0 तथा आई0पी0सी0.
- ड.) किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य (अर्श) क्लीनिक के माध्यम से किशोर अनुकूल सेवाएं।
- च) डब्ल्यू0आई0एफ0एस0 (डीवॉर्मिंग सहित लौह तथा फॉलिक एसिड के साप्ताहिक अनुपूरक)।
- छ) माहवार स्वच्छता के लिए सैनिटरी नैपकिन (107 जिलों में शुरू, प्रवर्धित)

7. आकस्मिक मरीज परिवहन एवं रैफरल प्रणाली :

- क) गर्भवती महिलाओं, बीमार बच्चों तथा अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता वाले मरीजों को निःशुल्क रैफरल तथा मरीज परिवहन उपलब्ध कराया जाए।
- ख) सभी राज्यों में 20,000 से अधिक एम्बुलेंस/मरीज परिवहन वाहन चलाए जा रहे हैं। इनमें गर्भवती महिलाओं को बच्चे के जन्म हेतु सरकारी अस्पताल तक ले जाने और वापिस लाने के लिए 7293 वाहन 108 डॉयल वाले तथा 8122 (102 डॉयल वाले) मरीज परिवहन सेवा वाहन तथा 4769 पैनलबद्ध वाहन (जननी एक्सप्रेस, ममता वाहन आदि) हैं।

8. एन0एच0एम0 के तहत निःशुल्क औषधियों तथा डॉयग्नॉस्टिक का प्रावधान
 - क) स्वास्थ्य देखभाल के कुल व्यय का लगभग 70 प्रतिशत दवाईयों का होता है।
 - ख) एन0एच0एम0, सभी सरकारी सुविधाओं में निःशुल्क आवश्यक दवाईयों को उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को निधियां उपलब्ध करा रहा है।
 - ग) राज्यों को निःशुल्क औषधियां तथा डॉयग्नॉस्टिक हेतु निधियां उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन – निःशुल्क औषधि सेवा तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन – निःशुल्क नैदानिक सेवाएं आदि जैसी पहल की शुरुआत की गई है।
 - घ) इसके अतिरिक्त, निःशुल्क दवाईयों की शुरुआत करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन के तौर पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त निधियां (सामान्य आबंटन के अतिरिक्त) उपलब्ध कराई जा रही हैं।
 - ड.) अभी तक 28 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने सीमित या संपन्न एन0एच0एम0 सहयोग से आवश्यक दवाईयों को निःशुल्क प्रदान करने की शुरुआत करने की नीति को अधिसूचित किया है।
9. संचारी रोग :
 - क) मलेरिया, काला अजर, फिलारिया, डेंगू, जे0ई0 तथा चिकनगुनिया के लिए निःशुल्क जांच एवं इलाज।
 - ख) एम0डी0आर0-टी.बी. सहित तपेदिक के लिए निःशुल्क आवास एवं इलाज।
 - ग) कुष्ठरोग के लिए निःशुल्क आवास एवं इलाज।
 - घ) एच0आई0वी0/एड्स के लिए निःशुल्क आवास, इलाज तथा परामर्श।
10. गैर संचारी रोग :
 - क) दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए मोतियाबिन्द की निःशुल्क सर्जरी – प्रतिवर्ष 6 मिलियन से अधिक निःशुल्क मोतियाबिन्द सर्जरी की जाती है।
 - ख) कॉर्निया का निःशुल्क प्रतिरोपण।
 - ग) निःशुल्क ग्लॉकोमा/डाइबेटिक रेटिनोपैथी।
 - घ) बच्चों के लिए निःशुल्क चश्में (केवल गरीबी रेखा से नीचे के लिए)।
 - ड.) एन0सी0डी0 के लिए निःशुल्क स्क्रीनिंग (प्रायोगिक चरण में)।

11. मानव संसाधनों की वृद्धि – यू0एच0सी0 के लिए महत्वपूर्ण :

- क) वर्ष 2009 से चिकित्सा शिक्षा में नीतिगत सुधार शुरु किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप लगभग 18412 एम0बी0बी0एस0 (55:) सीटें तथा 10,093 पी0जी0/सुपर स्पेशियलेटी (55:) सीटें जोड़ी गई हैं और प्रतिवर्ष कुल 51,979 एम0बी0बी0एस0 सीटों तथा 23,931 पी0जी0 सीटों की क्षमता हो गई है।
- ख) 6 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों सहित 97 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है, जिससे देश में मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या 387 हो गई है।
- ग) 137 नए जनरल नर्सिंग मिडवाइफ (जी एन एम) स्कूल तथा 117 नए ऑब्जिजलरी नर्सिंग मिडवाइफ (ए एन एम) स्कूलों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, एक नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस तथा 8 रीजनल इंस्टीच्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस को अनुमोदन दिया जा चुका है। यह इंस्टीच्यूट प्रतिवर्ष लगभग 20,000 नर्सिंग तथा संबंधित पेशवरों का सृजन करेंगे।
- घ) वर्ष 2004-05 के 2.03 लाख के आधार में एन0एच0एम0 के तहत 1,55,000 अतिरिक्त मानव संसाधन जोड़े गए।
- ड.) एन0आर0एच0एम0 के तहत लगभग 8,88,000 मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) जोड़े गए जो कि सामुदायिक कार्यकर्ता भी हैं और समुदाय और लोक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक कड़ी की भूमिका निभाते हैं।

12. मोबाईल मेडिकल यूनिट (एम एम यू)

- क) मोबाईल मेडिकल यूनिट, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घरों तक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित कराते हैं।
- ख) वर्तमान में 424 जिलों में 2,062 मोबाईल मेडिकल यूनिट संचालन में हैं।

12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक ग्रामीण तथा शहरी, दोनों क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य प्रणाली में सार्वजनिक क्षेत्र में प्राथमिक, गौण तथा तृतीय देखभाल सेवा के जबर्दस्त उपबंधों सहित व्यापक विस्तार हो जाएगा और यह काफी सुदृढ़ भी हो जाएगा।

अनुलग्नक - 10

पैरा 5.22

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित तेरह मुद्दों पर दिशानिर्देश चाहने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर आवेदन

(रिट याचिका संख्या 1981 के 1900 में सी0आर0एल0एम0पी0 संख्या 8032/2013, डॉ0 उपेन्द्र बख्शी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग)

- स्पष्ट डाटा बेस के अभाव में यथोचित नीतिगत हस्तक्षेप तथा संसाधनों के यथोचित आबंटन को उचित प्राथमिकता नहीं मिल रही है। इसलिए, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या के परिमाण की पहचान करने के लिए एक देश-व्यापी मरक-वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है। यह आवश्यक और वांछनीय है कि समस्या की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कर्तव्य, वित्तीय निहितार्थ, समय-सीमा आदि को शामिल करते हुए भावी योजनाएं बनाई जाएं (कार्रवाई : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)
- देश में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान/अस्पताल गंभीर वित्तीय अवरोधों से जूझ रहे हैं क्योंकि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधनों का आबंटन नहीं किया गया है। केन्द्र और राज्य सरकारों को इन संस्थानों की भौतिक अवसंरचना के नियमित रखरखाव तथा उन्नयन, दोनों के लिए वित्तीय संसाधनों के आबंटन में प्राथमिकता देनी चाहिए। वित्तीय आबंटन करते समय अवसंरचना और मानवशक्ति, दोनों की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। (कार्रवाई : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकारें)
- मानसिक रोग अस्पतालों के निदेशकों तथा अधीक्षकों की अपर्याप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां उनकी कार्यपद्धति को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही हैं। इसलिए, इन संस्थानों को अपने कार्यों के प्रबंधन में पूरी तरह से स्वायत्त बना देना चाहिए और इन संस्थानों की प्रबंधन समिति के पास अपने कार्यों को प्रभावी रूप से करने के लिए पर्याप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां होनी चाहिए। (कार्रवाई : राज्य सरकारें)
- वर्तमान में राज्य द्वारा संचालित किए जा रहे मानसिक रोग अस्पतालों को पर्याप्त वित्तीय एवं मानव संसाधनों के साथ शिक्षण-सह-प्रशिक्षण संस्थानों में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। (कार्रवाई : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकारें)
- संबंधित राज्य सरकारों को निदेश दिया जाना चाहिए कि वे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई संस्तुति के अनुसार बिना किसी विलम्ब के इन संस्थानों को मेडिकल तथा पैरा-मेडिकल मानवशक्ति स्वीकृत करें। (कार्रवाई : राज्य सरकारें)

- मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के विद्यमान मानदंडों में छूट देकर एम0डी0 साईकेट्री, एम0फिल क्लीनिकल साईकॉलिजी तथा साईकेट्रिक सोशल वर्क विषयों में मेडिकल कॉलेजों में यथोचित संख्या में सीटों का सृजन किया जाना चाहिए। (कार्रवाई : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)
- देश में मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों तथा जिला अस्पतालों के प्रबंधन के लिए अपेक्षित साईकेट्रिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, क्लीनिकल साईकोलॉजिस्ट, साईकिएट्रिक सोशल वर्कर, नर्स तथा अन्य कार्मिकों की एक एकीकृत टीम को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। (कार्रवाई : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकारें)
- केन्द्र तथा राज्य सरकारों को स्थापित अस्पतालों में अपने चिकित्सा अधिकारियों के लिए साईकेट्री विषय में 3 से 12 महीने की अवधि का एक अल्पकालीन कार्यक्रम शामिल करना चाहिए ताकि प्रत्येक ऐसे जिले, जहां कोई साईकिएट्रिक उपलब्ध नहीं हैं, वहां प्रशिक्षित डॉक्टर उपलब्ध कराया जा सके। (कार्रवाई : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकारें)
- साईकेट्री तथा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को एम0बी0बी0एस0 की परीक्षा में एक अनिवार्य स्वतंत्र विषय बना देना चाहिए ताकि युवा मेडिकल पेशेवर शुरुआती स्तर पर ही समस्या की पहचान करने में सक्षम हो सकें। (कार्रवाई : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)
- प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के पास मानदंडों के अनुसार नवीनतम उपकरणों, सुविकसित अवसंरचना तथा पर्याप्त चिकित्सीय एवं पैरा-मेडिकल मानवशक्ति से पूर्णतः सुसज्जित कम से कम एक मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल होना चाहिए। (कार्रवाई : राज्य सरकारें)
- प्रत्येक राज्य सरकार को स्थानीय भाषा में मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी, शिक्षा तथा संदेश आदि तैयार करने और जनता बीच प्रसारित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करना करना चाहिए। (कार्रवाई : राज्य सरकारें)
- रहन-सहन की परिस्थितियों, पौष्टिक एवं संतुलित आहार उपलब्ध कराने, जल आपूर्ति, साफ-सफाई तथा स्वच्छता, पर्यावरण, निकासी, मनोरंजन आदि के संबंध में विद्यमान मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालों में हर प्रकार की खामियों को समयबद्ध तरीके दूर करने के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। (कार्रवाई : राज्य सरकारें)
- केन्द्र सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में सेवाओं तथा मानव संसाधन शक्ति का एक राष्ट्रीय डाटा बेस का सृजन किया जाना चाहिए जिसको आवधिक आधार पर अद्यतन किया जाना चाहिए। (कार्रवाई : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)

.....

अनुलग्नक – 11

पैरा 8.8

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का पुनरीक्षण
दौरा (17 – 20 नवम्बर, 2013)

श्री एस0एस0 सिन्हा, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अध्यक्षता वाली

टीम के प्रेक्षण तथा सिफारिशें

क. हिरासतीय न्याय

जेल के संबंध में प्रेक्षण

राजपुरा के नए जेल परिसर में मुलाकात की प्रणाली संतोषजनक नहीं पाई गई। इसमें किसी अकस्मात स्थिति में अभियोगाधीन या दोषसिद्ध कैदी के उपचार के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं। न्यायालय में लाए जाने वाले अभियोगाधीन कैदियों के नाम को दर्शाने वाले बोर्ड पर कोई दैनिक चार्ट प्रदर्शित नहीं किया हुआ था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकारियों के दौरे के दौरान यह देखा गया कि कैदी अपनी खाने की प्लेटों तथा अखबारों को अपनी बैरेक में ला रहे थे।

सिफारिश

भारत में कारागार प्रशासन तकनीकी दृष्टि के 'राज्य' का विषय है। इसलिए, अपने भू-भाग में स्थित कारगारों के प्रशासन के संबंध में अपने नियम एवं विनियम तैयार करने की शक्तियां तथा जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। जिला जेल प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि कारागार अभिरक्षा के लिए प्रतिबद्ध कैदियों की नजरबंदी उनके सुधार एवं पुनर्वास के लक्ष्य को ध्यान में रखकर की जाए। इसलिए, लिंग, आयु, अपराध आदि को ध्यान में रखते हुए कैदियों के इलाज के लिए व्यक्तिगत गरिमा के सिद्धांत के अनुरूप न्यूनतम मानक सुविधाओं की गारंटी दी जानी चाहिए। जहां तक कैदियों के परिवार के सदस्यों द्वारा मिलने का संबंध है, जेल प्राधिकारियों को कारागार की सुरक्षा तथा अनुशासन पर उचित विचार करना चाहिए।

गैर-प्राधिकृत कारागार आगंतुकों के संबंध में प्रेक्षण

गैर-प्राधिकृत कारागार आगंतुकों को अपनी भूमिका तथा जिम्मेदारियां पता होनी चाहिए जो कि कारागार प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करके कारागार में सुधारात्मक कार्य को बेहतर बनाना, समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य कैदियों की व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं को संबोधित करना।

सिफारिश

जिला जेल प्राधिकारियों को यह संस्तुति की जाती है कि प्राधिकृत तथा गैर-प्राधिकृत आगंतुकों के बीच एक सार्थक भागीदारी की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, गैर-प्राधिकृत आगंतुकों को उनके द्वारा किए जाने वाले

कार्यों के बारे में सुग्राही बनाने की तत्काल आवश्यकता है। यदि आगंतुक बोर्ड निष्क्रिय है तो उसे सक्रिय किया जाए। गैर-प्राधिकृत कारावास आगंतुकों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लोग प्राधिकृत आगंतुकों, जो अन्य जिम्मेदारियों के चलते इस कार्य पर अधिक समय नहीं दे पाते हैं, के आंख एवं कान की तरह होते हैं।

पुलिस कार्मिकों के स्वीकृत पदों को भरना

पुलिस अधीक्षक, जिला चम्बा द्वारा दी गई प्रस्तुति के दौरान यह प्रेक्षण किया गया कि माध्यमिक तथा निचले स्तर पर पुलिस कार्मिकों के 67 स्वीकृत पद रिक्त पड़े हुए हैं।

सिफारिश

जिल प्रशासन को तत्काल ही सभी रिक्त पदों अर्थात् निरीक्षक (2), उपनिरीक्षक (1), सहायक उपनिरीक्षक (18), हैड कांस्टेबल (16), कांस्टेबल (26), श्रेणी III (1) तथा श्रेणी IV (3) को भरने का निदेश दिया गया है।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराध

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वर्ष 2012 के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत केवल 2 मामले ही रजिस्टर किए गए थे।

सिफारिश

पुलिस अधीक्षक को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत निपटाए गए दो मामलों का विवरण प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पिछले पांच वर्षों के दौरान उपरोक्त अधिनियम के तहत चम्बा पुलिस द्वारा रजिस्टर किए गए मामलों का विवरण देने का निदेश भी दिया गया है।

महिलाओं के प्रति अपराध

दिनांक 17 नवम्बर, 2013 को बैठक में भाग लेने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ दिनांक 20 नवम्बर, 2013 को कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने बताया कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2013 को आयोग के समक्ष की गई एक प्रस्तुति द्वारा इस बात की पुष्टि की गई।

सिफारिश

महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के संबंध में चम्बा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा, पुलिस द्वारा महिलाओं को सुरक्षा की भावना उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पुलिस को महिलाओं के प्रति किए जाने वाले अपराधों की व्यापक प्रकृति तथा ऐसे विभिन्न कानूनों जिनके तहत महिलाओं को न्याय दिलाया जा सकता है, के बारे में सुग्राही भी बनाया जाना चाहिए।

जिला चम्बा की आपराधिक प्रवृत्ति के संबंध में वर्ष 2012 की तालिका में दिए गए आंकड़ों तथा दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 की स्थिति के अनुसार सभी अपराधों के विवरण को प्रदर्शित करने वाली तालिका के बीच के अंतर संबंधी प्रेक्षण

चम्बा पुलिस की कार्यशीलता के बारे में पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई प्रस्तुति के दौरान उपरोक्त उल्लिखित दो तालिकाओं में वर्ष 2012 से संबंधित आंकड़ों में एकरूपता नहीं थी विशेषतः 'दंगों', 'महिलाओं के प्रति क्रूरता', 'बलात्कार', 'अपहरण', 'सड़क दुर्घटना', 'चोरी', 'डकैती' तथा 'शीलभंग' जैसे मामलों के संबंध में। इसके अतिरिक्त, अपराध रुझान संबंधी 2012 की तालिका में अपराधों की कुल संख्या 829 दिखाई गई जबकि पंचवर्षीय अपराध रुझान में यह संख्या 821 दर्शाई गई।

सिफारिश

पुलिस अधीक्षक को विभिन्न अपराध शीर्षों के तहत दिए गए आंकड़ों की जांच करने और आयुक्त को वर्ष 2012 में चम्बा में हुए विभिन्न अपराधों की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी देने का निदेश दिया गया।

गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में प्रेक्षण

पुलिस अधीक्षक ने दिनांक 18 नवम्बर, 2013 को आयुक्त के समक्ष अपनी प्रस्तुति के दौरान एक स्लाइड में इंगित किया था कि चम्बा में 'गुमशुदा व्यक्तियों' के मामले विशेषतः गुमशुदा महिलाओं के मामलों (34) में वर्ष 2011 में बढ़ोतरी हुई। तथापि, मुक्त कराई गई महिलाओं की संख्या के बारे में स्लाइड में कुछ स्पष्ट नहीं है। वर्ष 2012 में गुमशुदा महिलाओं की संख्या कम होकर 30 हो गई किन्तु कितनी महिलाओं को मुक्त कराया गया, यह स्पष्ट नहीं है। वर्ष 2012 में (अक्टूबर तक) गुमशुदा महिलाओं की संख्या कम होकर 26 रह गई। दूसरी ओर गुमशुदा पुरुषों की संख्या लगातार बढ़ रही है अर्थात् 2011 में यह 25 थी जो 2012 तथा 2013 में बढ़कर क्रमशः 26 और 29 हो गई।

सिफारिश

पुलिस अधीक्षक को निदेश दिया गया कि वो आयोग को सूचित करें कि चम्बा में महिलाएं और पुरुष 'गुमशुदा' क्यों हो रहे हैं। बच्चों के संबंध में भी यही हो रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा भारत में महिलाओं और लड़कियों के संबंध में अवैध मानव व्यापार संबंधी कार्यवाहक अनुसंधान में यह दर्शाया गया है कि अवैध मानव व्यापार और 'गुमशुदा व्यक्तियों' के बीच गहरा संबंध है। गुमशुदा व्यक्तियों के मुद्दे पर चम्बा की विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, पुलिस कार्मिकों तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा सतर्कता एवं सर्वेक्षण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

ख. स्वास्थ्य

स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना पर प्रेक्षण

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सी एम ओ) द्वारा की गई प्रस्तुति के दौरान यह पाया गया कि चम्बा में सात स्वास्थ्य ब्लॉक्स थे। तथापि, तीन ब्लॉक्स नामतः चूरी (मेहला), तिस्सा एवं समोटे (भाटीयत) में तथा अधिसंख्य लोक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में नहीं पाया गया।

सिफारिश

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना को त्रि-स्तरीय प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है और यह निम्नलिखित जनसंख्या मानदंडों पर आधारित है :

जनसंख्या मानदंड

केन्द्र	समतल क्षेत्र	पहाड़ी/जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र
उप-केन्द्र	5000	3000
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30,000	20,000
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1,20,000	80,000

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ मिलकर चूरी में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिस्सा में एक बाल स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामोटे में दो बाल स्वास्थ्य केन्द्रों को जल्दी से जल्दी स्थापित करना सुनिश्चित किया।

स्वास्थ्य कार्मिकों के स्वीकृत पदों को भरना

दिनांक 18 नवम्बर, 2013 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई प्रस्तुति के दौरान तथा बाद में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किए गए विभिन्न उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सुन्डाला) तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के फील्ड दौरों के दौरान यह प्रेक्षण किया गया कि इन केन्द्रों में विभिन्न कारणों से चिकित्सा अधिकारी, लोक स्वास्थ्य कार्मिक तथा पैरा-मेडिकल स्टाफ के अधिसंख्य स्वीकृत पदों भरे नहीं गए हैं।

सिफारिश

राज्य प्रशासन को स्वास्थ्य कार्मिकों के सभी रिक्त पदों को तत्काल भरने का निदेश दिया गया है – ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी (01), चिकित्सा अधिकारी (35), दंत चिकित्सा अधिकारी (07), पुरुष स्वास्थ्य कार्मिक (101), पुरुष स्वास्थ्य सुपरवाइजर (18), महिला स्वास्थ्य कार्मिक (46), महिला स्वास्थ्य सुपरवाइजर (10), स्वास्थ्य शिक्षक (02), नर्सिंग स्टाफ (30) तथा पैरा-मेडिकल स्टाफ – चीफ लैब टेक्नीशियन (01), सीनियल

लैब टैक्नीशियन (27), चीफ फार्मासिस्ट (09), फार्मासिस्ट (30), सीनियर रेडियोग्राफर (02), रेडियोग्राफर (05), तथा ओटी0ए0 (05)।

चम्बा में आशा की सेवाएं लेना

अभी तक हिमाचल प्रदेश राज्य में आशा के कोई कार्यकर्ता नहीं हैं। हाल ही में, राज्य सरकार ने एन0आर0एच0एम0 के दिशानिर्देशों के अनुसार आशा कार्यकर्ताओं की सेवाएं लेने का निर्णय लिया है।

सिफारिश

एन0आर0एच0एम0 के दिशानिर्देशों के अनुसार आशा कार्यकर्ताओं की सेवाएं तत्काल ही ली जानी चाहिए।

सुन्दाला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से संबंधित प्रेक्षण

सुन्दाला ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्वीकृत डॉक्टरों की संख्या दो है – एक एलोपैथिक डॉक्टर तथा दूसरे आयुर्वेदिक डॉक्टर। फील्ड दौरे के दौरान यह नोटिस किया गया कि यहां पर केवल आयुर्वेदिक डॉक्टर ही था। डॉक्टर ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम को बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आयुर्वेदिक दवाईयां उपलब्ध न होने के कारण उन्हें मरीजों को एलोपैथिक दवाईयां ही देनी पड़ती हैं। इस तथ्य को जिला प्राधिकारियों के संज्ञान में लाया गया किन्तु इस पहलू पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई है।

सिफारिश

मुख्य चिकित्सा अधिकारी तत्काल ही डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरें। इसके अलावा, उपायुक्त/मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा बाल स्वास्थ्य केन्द्रों जहां आयुर्वेदिक डॉक्टर कार्यरत हैं, में आयुर्वेदिक दवाईयों की आपूर्ति के बारे में राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से दिशानिर्देश प्राप्त करें। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को अलग से लिखेगा क्योंकि एन0आर0एच0एम0 आयुष को लोक स्वास्थ्य प्रणाली की मुख्यधारा में लाना चाहता है।

सुन्दाला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के बारे में अन्य प्रेक्षण

सुन्दाला ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मरीजों के लिए कोई बिस्तर नहीं है। बाल स्वास्थ्य केन्द्र के अभाव में मरीजों को आपात स्थिति में पुखरी के बाल स्वास्थ्य केन्द्र या चम्बा के जिला अस्पताल को रैफर कर दिया जाता है। यह सूचित किया गया कि मरीजों का पुखरी और चम्बा ले जाने के लिए 108 आकस्मिक एम्बूलेंस सेवा का प्रयोग किया गया। इसके अलावा इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कोई फार्मासिस्ट नहीं है।

सिफारिश

राज्य सरकार को सुन्दाला गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए एक रैफरल केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए जल्द से जल्द एक बाल स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करनी चाहिए। ऐसा करते समय सरकार को इसके

लिए निर्धारित न्यूनतम मानदंडों का पालन करना चाहिए अर्थात् चार चिकित्सा विशेषज्ञ – शल्य चिकित्सक, चिकित्सक, स्त्री रोग विशेषज्ञ, तथा बाल रोग विशेषज्ञ और सहायता के लिए पैरा-मेडिकल एवं अन्य स्टॉफ। इसमें एक ऑपरेशन थियेटर, एक्स-रे, प्रसूति कक्ष तथा लेबोरेटरी सुविधाओं के साथ-साथ 30 आंतरिक बिस्तर भी होने चाहिए। इसके अलावा, सुन्दाला गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को अवसंरचनात्मक रूप से सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए और फार्मिस्ट के तथा अन्य रिक्त पदों को तत्काल ही भरा जाना चाहिए।

कलसुइन उप-केन्द्र में ओ0आर0एस0 का उपलब्ध न होना

कलसुइन उप-केन्द्र के दौरे में यह सामने आया कि यहां प्रसूति कक्ष सहित पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की देखभाल के लिए छोटी-मोटी बीमारियों के लिए बुनियादी दवाइयों सहित भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के तहत स्टॉफिंग संरचना के रूप में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जटिल मामलों में उप-केन्द्र द्वारा गर्भवती महिलाओं को सी0एच0सी0/जिला अस्पताल रैफर कर दिया जाता है। पुरुष तथा महिला स्वास्थ्य कर्मिकों द्वारा यह जानकारी दी गई कि जच्चा और बच्चा की देखभाल, परिवाल कल्याण, पोषण, प्रतिरक्षीकरण, अतिसार नियंत्रण तथा संचारी रोगों के नियंत्रण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दोनों की आवश्यकता है। तथापि, उप-केन्द्र में ओ0आर0एस0 और फॉलिक एसिड की गोलियां उपलब्ध नहीं थीं।

सिफारिश

जिला प्राधिकारी विशेषतः मुख्य चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कलसुइन उपकेन्द्र तथा चम्बा में कार्यरत अन्य उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सी0एच0सी0 तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों में ओ0आर0एस0 के पैकेट तथा फॉलिक एसिड की गोलियां उपलब्ध हों।

पांगी जनजातीय ब्लॉक के बारे में प्रेक्षण

दिनांक 20 नवम्बर, 2013 को आयोजित कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने सूचित किया कि सर्दी के मौसम के दौरान पांगी जनजातीय ब्लॉक छः महीने के लिए देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह से कट जाता है। पांगी के सी0एच0सी0 में डॉक्टरों के छः स्वीकृत पद हैं लेकिन केवल दो डॉक्टर उपलब्ध थे। सी0एच0सी0 में स्वीकृत अन्य पद भी रिक्त पड़े थे। सी0एच0सी0 में एक्स-रे मशीन थी लेकिन रेडियोग्राफर का पद रिक्त था। उपकेन्द्र में भी महिला तथा पुरुष स्वास्थ्य कर्मियों के पद रिक्त थे। अकस्मात् स्थिति में मरीज को एयर-लिफ्ट करने के लिए जिला प्राधिकारियों द्वारा हेलीकॉप्टर की सेवाएं उपलब्ध कराई गईं लेकिन सन्तुष्ट मौसम पर निर्भर था। इसके अलावा, मरीजों ने तरेला ग्राम (पांगी ब्लॉक में) में एक उपकेन्द्र खोलने का अनुरोध किया किन्तु जिला प्रशासन की प्रतिक्रिया उदासीन रही।

सिफारिश

यह सिफारिश की गई कि पांगी बाल स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पड़े सभी स्वीकृत पदों को जिला प्राधिकारियों

द्वारा तत्काल भरा जाए। स्थानीय निवासियों के साथ विचार-विमर्श करके ब्लॉक की मदद से तैयार किया गया स्वास्थ्य प्लान में उपलब्ध भौतिक अवसंरचना को बेहतर बनाने की तत्काल जरूरत को उजागर किया गया है। एक जनजातीय ब्लॉक होने के नाते जिला प्राधिकारियों को भरमौर जनजातीय ब्लॉक, जो सर्दियों में देश के बाकी हिस्सों से कट जाता है, के साथ-साथ इस ब्लॉक पर भी काफी ध्यान देने की आवश्यकता है। पांगी और भरमौर में पूरे साल ही अग्रिम प्रबंध करके बच्चों, किशोरों, महिलाओं तथा बुजुर्गों में खून की कमी तथा अन्य विकारों की पहचान करने के लिए मोबाईल हैल्थ कैम्प लगाना उचित होगा। चम्बा के अन्य विकास ब्लॉकों में भी इस प्रकार के स्वास्थ्य कैम्प लगाना उचित होगा। डॉक्टरों को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है ताकि वे अपनी इच्छा से दूरस्थ इलाकों में तैनाती स्वीकार करें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निदेश दिया गया है कि वे डॉक्टरों को ऐसी तैनाती के लिए आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं तैयार करें।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तरेला ग्राम में एक नए उप-केन्द्र को खोलने के संबंध में पुनःजांच करने का निदेश दिया गया।

इसके अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निदेश दिया गया कि वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आने वाले जनजातीय लोगों के बारे में आयोग को अवगत कराएं।

चम्बा के क्षेत्रीय अस्पताल के बारे में प्रेक्षण

जिले में केवल एक ही क्षेत्रीय अस्पताल है जो कि चम्बा में है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ने अपने दौरे के दौरान दिनांक 17 नवम्बर, 2013 को पाया कि यहां पर विशेषज्ञ मानवशक्ति की कमी थी। फार्मसी में उपलब्ध दवाइयों पर मोहर नहीं लगी हुई थी और इसलिए उनका दुरुपयोग हो सकता है।

सिफारिश

मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निदेश दिया गया कि वो चम्बा क्षेत्रीय अस्पताल में व्याप्त खामियों की जांच करें और कार्मिकों, तकनीक तथा अवसंरचना से संबंधित उन्नयन सुनिश्चित करें ताकि जिले के सभी निवासियों को सुविधाएं सुलभ एवं उपलब्ध हो सकें।

कुष्ठरोग तथा तपेदिक के संबंध में प्रेक्षण

कुष्ठेक प्रतिनिधियों द्वारा सूचित किया गया कि चम्बा जिले की चुराह घाटी एक बहुत की पिछड़ा क्षेत्र था और वहां के निवासी कुष्ठरोग एवं तपेदिक से त्रस्त थे।

सिफारिश

मुख्य चिकित्सा अधिकारी को समस्या का मूल्यांकन करने तथा उपचारी कदम उठाने के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। एक पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण जिला प्राधिकारियों को यहां के निवासियों के संबंध में जीवन के हर क्षेत्र में विशेष ध्यान देने के लिए जागरुकता शिविर आयोजित करने की आवश्यकता पड़ी।

ग. स्कूली शिक्षा तथा मिड डे मील स्कीम

उदयपुर के सरकारी सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल के संबंध में प्रेक्षण (कक्षा VI से X)

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ने प्रेक्षण किया कि कुल 500 छात्रों के लिए 09 कक्षाएं अपर्याप्त हैं। इसके अलावा, एक औसत कक्षा की तुलना में यह नौ कक्ष छोटे हैं।

स्कूल में कम्प्यूटर एवं विज्ञान प्रयोगशालाएं थीं लेकिन उनमें साफ-सफाई तथा बेहतर रखरखाव की जरूरत थी। स्कूल में छात्रों को मिड डे मील के लिए न तो स्टील की प्लेटें उपलब्ध कराई जाती थी और न ही कांच के गिलास। छात्रों को प्रतिदिन प्लेट और गिलास अपने घर से लाना होता है। कमोबेश, शौचालय साफ सुथरे नहीं थे और उनमें साबुन या मग्गा इत्यादि नहीं था, हांलांकि नल के पानी का प्रावधान था। स्कूल में लड़कों एवं लड़कियों के लिए दो-दो शौचालय थे लेकिन केवल एक-एक शौचालय (लड़कों तथा लड़कियों के लिए) की कार्यशील था। अन्य शौचालय, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम के भ्रमण वाले दिन ठहरे हुए/अवरुद्ध थे और इसलिए प्रयोग में नहीं थे। छात्रों की संख्या को देखते हुए शौचालयों की संख्या अपर्याप्त है।

जहां तक पेयजल का संबंध है, स्कूल में कोई वॉटर फिल्टर नहीं था। सीमेंट का एक बहुत बड़ा टैंक था जिसमें पानी पीने के लिए नल लगे हुए थे। एक अध्यापक ने बताया कि क्लोरीन की गोलियां डाल कर पानी का साफ किया जाता है, यह बात सही है या नहीं, इसकी पुष्टि की जानी बाकी है।

एक अध्यापक और एक रसोइये ने बताया कि मिड डे मील स्कीम के संबंध में जिला प्रशासन से निधियां विलम्ब से प्राप्त हुई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यह विलम्ब 5-6 महीने का रहा। इस विलम्ब के कारण वे स्थानीय उचित दर की दुकान से तथा स्थानीय मंडी या उधार पर चावल, सब्जियां, दालें, मसाले, गैस आदि खरीदने के लिए बाध्य हुए। जैसे ही स्कूल के खाते में पैसा जमा हुआ, देनदारों को भुगतान कर दिया गया। अध्यापक ने बताया कि मिड डे मील स्कीम के संबंध में स्कूल को पिछली बार भुगतान मई, 2013 में प्राप्त हुआ था।

छात्रों को प्रतिवर्ष स्कूल की वर्दी के दो सेट दिए जाते हैं। इसमें लड़कों के लिए पतलून तथा कमीज होती है तथा लड़कियों के लिए सलवार एवं कमीज होती है। तथापि, राज्य के सर्द मौसम को देखते हुए इन्हें गर्म कपड़े जैसे कि स्वेटर आदि उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं।

सिफारिश

उपायुक्त को शिक्षा विभाग के अपने अधिकारियों की एक टीम के साथ मिलकर अतिरिक्त कक्षाओं, शौचालयों का निर्माण करके, गर्म वर्दी सहित स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराते हुए, वॉटर फिल्टर, सेनेटरी नैपकीन, लौह तथा फॉलिक एसिड की गोलियां आदि उपलब्ध कराके उदयपुर के सरकारी सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल की अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना होगा। इसके लिए उन्हें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा निर्मल भारत अभियान के तहत मिलने वाली सहायता का उपयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जिला प्रशासन को निर्मल भारत अभियान के तहत बेहतर स्वच्छता एवं साफ-सफाई के प्रचार-प्रसार के लिए स्टॉफ और छात्रों के बीच जागरुकता अभियान शुरू करना चाहिए।

उपरोक्त सिफारिश को चम्बा जिले के सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के डॉक्टरों द्वारा स्कूलों में नियमित रूप से चिकित्सा जांच किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए एक सहवर्ती निगरानी तंत्र भी स्थापित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, स्कूल के परिसर में निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र का संपर्क नम्बर (इमरजेंसी और एम्बुलेंस संपर्क नम्बर सहित) प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

मिड डे मील स्कीम के संबंध में जिला प्राधिकारियों को पूरे चम्बा जिले के स्कूलों में मिड डे मील के लिए बच्चों को स्टील की प्लेटें तथा गिलास उपलब्ध कराने पर विचार करना चाहिए। सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ोतरी के मद्देनजर प्राधिकारियों को प्रति छात्र प्रतिदिन की लागत को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार को लिखना चाहिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भी इस विषय पर तथा मिड डे मील स्कीम के तहत समय पर अनुदान रिलीज करने के संबंध में अलग से केन्द्र सरकार को लिखना चाहिए।

भनौटा तथा सिद्धपुरा में प्राथमिक स्कूलों के संबंध में प्रेक्षण (कक्षा I से V)

उदयपुर के सरकारी सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल के संबंध में किए गए प्रेक्षण की तरह ही भनौटा और सिद्धपुरा के प्राइमरी स्कूलों के शौचालयों के रखरखाव की स्थिति सही नहीं थी, जबकि सिद्धपुरा के प्राइमरी स्कूल में शौचालय का निर्माण हाल ही में हुआ है। तथापि, सिद्धपुरा में प्राइमरी स्कूल के शौचालय में लड़कों एवं लड़कियों के लिए एक ही प्रवेश द्वार है। इन स्कूलों में जूनियर बेसिक टीचर्स की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है।

सिफारिश

जिला प्रशासन को लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग शौचालयों की उपलब्धता और आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए सभी स्कूलों का सर्वे करना चाहिए। तदनुसार, उसे अपेक्षित शौचालयों के निर्माण को सुनिश्चित करना चाहिए और इस कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सिद्धपुरा में प्राइमरी स्कूल में नवनिर्मित शौचालय में विभाजन का प्रावधान होना चाहिए। स्कूल स्टॉफ और छात्रों के बीच बेहतर साफ-सफाई तथा स्वच्छता का प्रचार करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्कूलों को साबुन की नियमित आपूर्ति और/या इसके लिए पर्याप्त बजटीय राशि सुनिश्चित करनी चाहिए।

जिला शिक्षा अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन स्कूलों में नियुक्त किए गए जूनियर बेसिक टीचर्स के पास सभी अपेक्षित योग्यताएं हों जैसे कि बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या बी0एड डिग्री। इसके अलावा, जिला प्राधिकारियों को अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया को सुकर बनाने की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान में यहां प्राइमरी असिस्टेंट टीचर्स (2002 में शुरू), पेरेन्ट्स-टीचर्स एसोसिएशन द्वारा नियुक्त किए गए टीचर्स (2006 में शुरू) तथा पैरा टीचर्स अर्थात् अस्थायी टीचर्स जिन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया है — के रूप में टीचर्स को नियुक्त किया गया है।

सिद्धपुरा के सरकारी मिडिल स्कूल के संबंध में प्रेक्षण (कक्षा VI, VII तथा VIII)

दौरे वाले दिन अर्थात् 19 नवम्बर, 2013 को स्कूल में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा था और छात्रों ने पर्यावरण संबंधी विभिन्न विषयों पर अपशिष्ट वस्तुओं का प्रयोग करते हुए प्रदर्शनी लगाई हुई थी। स्कूल की हैड मिस्ट्रेस बताया कि उनके स्कूल ने निर्मल भारत अभियान के तहत साफ-सफाई के लिए पहला पुरस्कार प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, स्कूल डॅवलेपमेंट प्लान के तहत बच्चों के उपयोग के लिए कम्प्यूटर उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया गया। उन्होंने आगे बताया कि स्कूल प्रबंधन समिति में ऐसे माता-पिता भी शामिल हैं जिन्होंने स्कूल की समग्र कार्यप्रणाली में सक्रिय भाग लिया। फर्स्ट एड बॉक्स, दवाईयां तथा विटामिन जैसे कि लौह एवं फॉलिक एसिड उपलब्ध थे।

सिफारिश

सिद्धपुरा के सरकारी मिडिल स्कूल को एक आदर्श स्कूल के रूप में कहा जा सकता है और इस स्कूल की बेहतर कार्यप्रणालियों को चम्बा जिले के अन्य स्कूलों में अपनाया जा सकता है।

सरोल के सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल के संबंध में प्रेक्षण (कक्षा VI से XII)

स्कूल में कुल मिलाकर 367 छात्र थे और तीनों विषय अर्थात् कला, वाणिज्य एवं विज्ञान उपलब्ध थे। स्कूल का भवन अच्छा है, सुसज्जित पुस्तकालय एवं खेल का मैदान है। तथापि, स्कूल की प्रयोगशाला संतोषजनक नहीं पाई गई और यह बात अध्यापकों के साथ-साथ जिला शिक्षा अधिकारियों को बता दी गई थी। यह अधिकारी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम के साथ स्कूल के दौरे पर गए थे।

सिफारिश

उपनिदेशक, शिक्षा सुनिश्चित करें कि उपरोक्त स्कूल तथा विज्ञान विषय की शिक्षा प्रदान करने वाले अन्य स्कूलों में प्रयोगशालाएं पूर्णतः सुसज्जित होंग तथा एक अध्यापक को पुस्तकालय की साफ-सफाई सहित समग्र सुचारु कार्यशीलता की जिम्मेदारी सौंपी जाएं।

आर0एम0एस0ए0 के तहत मॉडल स्कूल तथा लड़कियों के हॉस्टल

आयोग के समक्ष की गई प्रस्तुति के दौरान उपनिदेशक, शिक्षा ने यह जानकारी दी कि चम्बा जिले में आर0एम0एस0ए0 के तहत लड़कियों के लिए चार मॉडल सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल तथा लड़कियों के लिए चार हॉस्टल हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ने दिनांक 18 नवम्बर, 2013 को एक गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित किए जा रहे लड़कियों के हॉस्टल का भी दौरा किया। हॉस्टल में अलग-अलग आयुवर्ग की 15-16 लड़कियां थीं। इनमें से अधिकांश लड़कियां गरीब परिवारों से थीं। जिस भवन में हॉस्टल चलाया जा रहा था वह बहुत ही जर्जर हालत में था और जिला प्राधिकारियों ने गैर सरकारी संगठन को निदेश भी दिया था कि वो लड़कियों को किसी अन्य स्थान पर ले जाएं।

सिफारिश

जिला प्राधिकारियों को जिला चम्बा मुख्यालय में एक उचित स्थान की खोज करने में गैर सरकारी संगठन की मदद करनी चाहिए ताकि लड़कियों को अपनी शिक्षा संबंधी सुविधाओं से महरूम न होना पड़े। चूंकि जिला चम्बा काफी बड़ा है इसलिए यहां लड़कों एवं लड़कियों, दोनों के लिए अधिक संख्या में मॉडल सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल तथा हॉस्टल खोलने की आवश्यकता है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इन स्कूलों में सभी विषय अर्थात् कला, वाणिज्य तथा विज्ञान पढ़ाए जाएं। इस प्रकार के स्कूल तथा हॉस्टल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त बच्चों के लिए भी खोले जाने चाहिए। इन स्कूलों में केरल सरकार की तर्ज पर नाश्ता स्कीम भी शुरू की जानी चाहिए। इस संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी मुख्य सचिव को अलग से लिखेगा।

मेहला ब्लॉक में लड़कों के हॉस्टल (बालाश्रम) के संबंध में प्रेक्षण

उपरोक्त बालाश्रम को गद्दी हॉस्टल के नाम से भी जाना जाता है और इसे हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसमें 16 वर्ष की आयु के 30 लड़के हैं। इनमें सबसे छोटा लड़का 10 वर्ष का है। इनमें से बहुत से बच्चे वंचित परिवारों से हैं, कुछ के माता-पिता हैं कुछ के नहीं। बालाश्रम का संचालन 11 स्टाफ सदस्यों द्वारा किया जा रहा था जिसमें बालाश्रम के अधीक्षक शामिल हैं। उन्होंने जानकारी दी कि साल भर में एक बच्चे के उपर लगभग 13000 रु० खर्च किए गए। बढ़ती हुई मंहगाई के मद्देनजर एक बच्चे के पालन-पोषण के लिए यह राशि पर्याप्त नहीं है। अधीक्षक सहित स्टॉफ का वेतन बहुत ही कम है और इसे कई वर्षों से बढ़ाया नहीं गया है।

सिफारिश

जिला प्राधिकारी बालाश्रम की समस्याओं पर ध्यान दें और उन्हें एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत मदद उपलब्ध कराएं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी इस संबंध में महिला और बाल विकास मंत्रालय को अलग से लिखेगा।

जिला प्रशासन, चम्बा जिले में किशोर न्याय बोर्ड तथा बाल विकास समिति की कार्यपद्धति की स्थिति के बारे में आयोग को भी अवगत कराए।

घ. एकीकृत बाल विकास सेवा योजना

चम्बा विकास ब्लॉक में सरोल ग्राम में आंगनवाड़ी केन्द्र के संबंध में प्रेक्षण

सरोल ग्राम का आंगनवाड़ी केन्द्र प्रातः 10 बजे से सांय 3 बजे तक कार्य करता था। इसमें 6 वर्ष की आयु के 33 पंजीकृत बच्चे थे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार इसमें बच्चों के लिए अलग कमरा, अलग रसोई, खाद्य सामग्री रखने के लिए अलग जगह तथा अलग शौचालय था। तथापि, बच्चों के बैठने का कमरा आकार में छोटा था। शौचालय भी काफी छोटा था और उसमें न तो पानी और न ही

बिजली की सुविधा थी। आंगनवाड़ी केन्द्र के पड़ोस में एक निजी स्कूल से पानी लाना होता था। आंगनवाड़ी के आस-पड़ोस का इलाका साफ-सुथरा नहीं था। यहां आंतरिक या बाह्य खेल खेलने के लिए कोई स्थान नहीं था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने जानकारी दी कि उन्हें आंगनवाड़ी केन्द्र चलाने में सुपरवाइजर तथा समुदाय का पूर्ण सहयोग प्राप्त है। जिले में बाल विकास परियोजना अधिकारी का स्वीकृत पद पिछले कुछ समय से भरा नहीं गया है। वर्ष 2002 में एक कठिन प्रशिक्षण से गुजरने और बाद में वर्ष 2011 में एक नए प्रशिक्षण के बाद ए0डब्ल्यू0डब्ल्यू0 ने आई0सी0डी0एस0 स्कीम के उद्देश्यों का विवरण देते हुए अपना विश्वास व्यक्त किया है, जिस तरीके से उन्होंने बच्चों को प्री-स्कूल शिक्षा दी, नए डब्ल्यू0एच0ओ0 विकास चार्ट में बच्चों के पोषण की स्थिति को दर्शाया है और प्रत्येक माह की 6 तारीख को ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के रूप में आयोजित किया है वो तारीफ के काबिल है। आंगनवाड़ी केन्द्र में दवाईयां और प्री-स्कूल सामग्री पर्याप्त मात्रा में थी। उन्होंने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम को बताया कि आंगनवाड़ी केन्द्र के आसपास चारदीवारी का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि चूंकि आंगनवाड़ी केन्द्र को उपलब्ध कराया गया गैस सिलेंडर चोरी हो गया था इसलिए उन्हें स्टोव पर भोजन पकाना पड़ा और अपने पैसों से मिट्टी का तेल खरीदना पड़ा। आंगनवाड़ी केन्द्र में 14 से 18 वर्ष के आयुवर्ग की बाईस किशोरियां पंजीकृत हैं और सबला के तहत पौष्टिक आहार ले रही हैं।

सिफारिश

इस बात को मान्यता देते हुए कि आई0सी0डी0एस0 एक प्रमुख कार्यक्रम है, उपायुक्त को निदेश दिया गया है कि वो बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी0डी0पी0ओ0) के रिक्त पद को तत्काल ही भरें। इसके अतिरिक्त उपरोक्त उल्लिखित आंगनवाड़ी केन्द्र को मूल सुविधाएं भी उपलब्ध कराएं जैसे कि बच्चों के अनुकूल शौचालय, पानी की आपूर्ति तथा स्वच्छ पेयजल। आंगनवाड़ी केन्द्र के सामने की जगह को सजाया-संवारा जाए और उसे एक बगीचे में विकसित किया जाए ताकि बच्चे वहां खेलकूद कर सकें और आंगनवाड़ी केन्द्र के आसपास चारदीवारी का निर्माण भी किया जाए क्योंकि इससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। आंगनवाड़ी केन्द्र को एक अतिरिक्त गैस सिलेंडर भी उपलब्ध कराया जाए।

उदयपुर में आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या 21 का दौरा

इस आंगनवाड़ी केन्द्र में 6 वर्ष की आयु से कम के 27 बच्चे पंजीकृत हैं। दौरे वाले दिन आंगनवाड़ी केन्द्र साफ-सुथरा था। तथापि यह प्रेक्षण किया गया कि जिस कमरे में बच्चों को प्री-स्कूल शिक्षा दी जाती है और अनुपूरक आहार दिया जाता है वो कमरा छोटा और तंग था। शौचालय, साफ-सुथरे थे और उनका रखरखाव सही था। शौचालय में चालू पानी का कोई प्रावधान नहीं था और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने जानकारी दी कि हर सुबह बालटी में पानी भर कर शौचालय में रखना एक आंगनवाड़ी हैल्पर की ड्यूटी है। शौचालय में स्टॉफ और बच्चों के लिए कोई साबुन उपलब्ध नहीं था। इनके पास यूनिसेफ का भारतोलक था (छत से लटका हुआ)। बच्चों की लम्बाई मापने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कोई मापन टेप उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

जिला प्रशासन ने आंगनवाड़ी केन्द्र को डब्ल्यू0एच0ओ0 का नया ग्रोथ चार्ट उपलब्ध कराया हुआ था। इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने जानकारी दी कि उन्हें उक्त चार्ट को भरने के संबंध में विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया। केन्द्र में पंजीकृत प्रत्येक बच्चे के संबंध में मई, 2012 (आंगनवाड़ी केन्द्रों को चार्ट उपलब्ध कराने की तारीख) से ग्रोथ चार्ट पर नियमित रूप से आंकड़े भरे गए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्रोथ चार्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार यह पता चला कि 3-6 वर्ष के आयुवर्ग के पांच बच्चे कुपोषित थे। तथापि, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि इन बच्चों के संबंध में उनकी तरफ से कोई विशेष कदम उठाए जाने चाहिए या नहीं।

आंगनवाड़ी केन्द्र प्रातः 10:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक संचालित किए जाते हैं इसलिए बच्चों को दो वक्त का भोजन अर्थात् नाश्ता जिसमें न्यूट्रीमिक्स (प्रातः 10:30 बजे) और दोपहर का भोजन (1:15 बजे) दिया जाता था। दौरे वाले दिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि केन्द्र में न्यूट्रीमिक्स का स्टॉक खत्म हो गया था इसलिए बच्चों को पिछले कुछ दिनों से सुबह का नाश्ता उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए न्यूट्रीमिक्स के स्टॉक हेतु पहले ही अनुरोध किया जा चुका है किन्तु स्टॉक अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि आंगनवाड़ी केन्द्र को पिछले छः महीने से दाल और/या सब्जियां या सोया ग्रेनुअल/गोलियां उपलब्ध नहीं कराई गई थीं। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस दिन बच्चों को पुलाव दिए जाने थे उस दिन उन्होंने सादे चावल खाए और उनके चावल में न तो दाल थी, न कोई सब्जी और न ही सोया मिलाया गया था। इसका अर्थ यह है कि बच्चों को अपेक्षित पोषण नहीं मिल रहा था जो उन्हें आंगनवाड़ी केन्द्र में मिलना चाहिए था। कार्यकर्ता ने यह भी सूचित किया कि जिला प्राधिकारियों ने अक्टूबर, 2013 से किशोर लड़कियों के लिए दलिया उपलब्ध नहीं कराया है जिसके कारण इन लड़कियों ने आंगनवाड़ी केन्द्र में आना छोड़ दिया है। आंगनवाड़ी केन्द्र में कुल इक्कीस किशोर लड़कियां पंजीकृत थीं।

सिफारिश

जिला प्राधिकारी को सुझाव दिया गया है कि वो उपरोक्त उल्लिखित आंगनवाड़ी केन्द्र के उन पांच बच्चों के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्रोथ चार्ट की जांच करें जो कुपोषित श्रेणी के तहत थे और आवश्यक कार्रवाई करें। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी सुपरवाइजर्स तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए ग्रोथ चार्ट को भरने संबंधी उन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे भविष्य में आई0सी0डी0एस0 के माध्यम से सेवाओं की आपूर्ति में सुधार हेतु अपने स्तर पर ही कार्रवाई करने के लिए आश्वस्त बन सकें। आई0सी0डी0एस0 स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों के लिए समय समय पर उन्मुखी एवं पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

जिला प्रशासन द्वारा सभी आंगनवाड़ियों में बिजली, स्वच्छ पेयजल, शिशुओं के भार तोलन, दवाईयां, स्टेशनरी आदि की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रशासन को जिले में स्थित सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों को तत्काल ही ऐसी खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति करनी चाहिए जो समाप्त हो गई हों। सबसे

महत्वपूर्ण यह है कि आंगनवाड़ी केन्द्रों के सुपरवाईजर्स सहित जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे अपने अधिकारक्षेत्र में आने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों का नियमित रूप से दौरा करें और सुनिश्चित करें कि उनकी आवश्यकताएं तथा शिकायतें, संबंधित जिला अधिकारियों को शीघ्र ही अग्रेषित की जाएं तथा यह भी सुनिश्चित करें कि उपरोक्त जैसी स्थिति अर्थात् छः महीने तक दाल, सोया आदि प्राप्त न होना, भविष्य में दोबारा न हो।

जिला प्राधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आंगनवाड़ी केन्द्र – स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं के अभिसरण बिन्दु के रूप में कार्य करें।

पुखरी के आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या 57 का दौरा

उपरोक्त आंगनवाड़ी केन्द्र एक पुराने भवन में था जहां बिजली और पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने सूचित किया कि गांव के प्रधान द्वारा एक नए आंगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण कराया गया है लेकिन अभी तक आंगनवाड़ी को नया भवन सौंपा नहीं गया था। नए आंगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण आंगनवाड़ी केन्द्र के पुराने भवन के साथ में ही कराया गया था।

सिफारिश

उपायुक्त को निदेश दिया गया कि वह मामले की जांच करें ताकि बच्चों को नया आंगनवाड़ी केन्द्र जल्द से जल्द मिल सके।

ड. महात्मा गांधी नेशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत आने वाली परियोजनाएं

चम्बा में मनरेगा की समग्र स्थिति

जिला प्राधिकारियों द्वारा यह सूचित किया गया कि 2012–2013 के दौरान मनरेगा के तहत 1,03,199 वयस्कों/परिवारों को रोजगार कार्ड उपलब्ध कराए गए थे जिनमें से केवल 65,472 परिवारों को ही 100 में से 58 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा सका था। इसके अलावा, चम्बा जिले ने 2012–2013 की अवधि के दौरान केवल 67.57 प्रतिशत निधियों का ही उपयोग किया था।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ने हरिपुर पंचायत में गैला गांव की एक परियोजना का दौरा किया जहां भू-क्षरण को रोकने के लिए 27 अकुशल श्रमिकों (छः पुरुष तथा शेष महिलाएं) को बड़े-बड़े शिलाखंड काटने तथा उनसे एक दीवार बनाने का रोजगार दिया गया। इस कार्य का पर्यवेक्षण 2 अर्द्धकुशल श्रमिकों (एक पुरुष तथा एक महिला) द्वारा किया गया था। इस कार्य को 15 अक्टूबर, 2012 से शुरू किया गया और कई चरणों में पूरा किया गया। इन अकुशल श्रमिकों को 138/—रु0 तथा अर्द्धकुशल श्रमिकों को 192/—रु0 का भुगतान किया गया था। तथापि, जिस दिन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ने स्थल का दौरा किया था उस दिन श्रमिकों के पास रोजगार कार्ड नहीं था और इस बात का आकलन नहीं हो सका कि क्या रोजगार कार्ड में समय-समय पर रोजगार एवं भत्तों से संबंधित प्रविष्टियां की जाती हैं या नहीं।

मजदूरों और ग्राम रोजगार सेविका ने बताया कि मनरेगा के तहत सभी परियोजनाओं का चयन एवं अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। अनुमोदित परियोजना को ब्लॉक समिति के समक्ष अग्रेषित किया जाता है जो इसे जिला परिषद को भेज देती है। वर्ष 2014 से सभी कार्य ग्राम सभा के स्तर पर ही किए जाएंगे।

राजपुरा तथा हरीपुर ग्राम पंचायत के कार्य की जांच करने के लिए भी एक दौरा किया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ने एन0आर0ई0जी0एस0 के तहत किए गए कार्यों के बारे में ग्रामीणों तथा सीडान पंचायत के सदस्यों के साथ बातचीत की।

सिफारिश

जिला प्राधिकारियों को चम्बा के विभिन्न विकास ब्लॉकों में एन0आर0ई0जी0एस0 के बारे में तथा परियोजना के चयन के लिए संबंधित ग्राम सभा में ग्रामीणों की भागीदारी के महत्व के बारे में जागरूकता का सृजन करना चाहिए क्योंकि उनका हस्तक्षेप तथा योगदान अंततः स्थायी एवं सतत परिसंपत्तियों का सृजन करेगा, चाहे वो जल संरक्षण और जल सिंचाई, भूमि विकास, ग्रामीण संपर्कता परियोजना हो या पंचायत भवन, कृषि संबंधी कार्य, पशुधन आदि किसी से भी संबंधित हो। जिला प्राधिकारियों को भी ग्राम पंचायत के सदस्यों के लिए नियमित रूप से संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए ताकि उनके समक्ष एक लक्ष्य हो और वे तदनुसार कार्य की मांग कर सकें और उसे कार्यान्वित भी करवा सकें।

इसके अतिरिक्त, जिला प्राधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वो जिले में एन0आर0ई0जी0एस0 के तहत चलाई जा रही परियोजनाओं की स्थिति के बारे में अर्थात् परियोजना के अनुमोदन, प्रदान की गई राहत, खर्च की गई वास्तविक राशि, कार्यरत श्रमिकों विशेषतः कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को रोजगार दिया है, कितने जाडब्ल्यूसी कार्ड धारकों जिनके पास रोजगार नहीं किन्तु उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया के बारे में आयोग को जानकारी उपलब्ध कराए। इसके अतिरिक्त आयोग को इस बात से भी अवगत कराया जाए कि क्या चम्बा जिले में शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए कोई ओम्बड्समैन नियुक्त किया गया है या नहीं। यह सब इसलिए क्योंकि जिला प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 1,00,000 से अधिक लोगों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराए गए थे तथापि, रोजगार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत कम थी और वर्ष 2012-13 के दौरान 30 प्रतिशत निधियां अप्रयुक्त रह गई थी।

एन0आर0ई0जी0एस0 के तहत चमेरा बांध पर चल रहे कार्य के संबंध में प्रेक्षण

दिनांक 20 नवम्बर, 2013 को आयोजित कार्यशाला में भाग लेने वाले एक प्रतिभागी द्वारा जानकारी दी गई कि जब चमेरा बांध-2 निर्माणाधीन था तब ग्रामीणों को कोई रोजगार नहीं दिया गया था। इसके विपरीत एन0एच0पी0सी0 द्वारा गोपनीय तरीके से शमशान भूमि सहित उनकी भूमि छीन ली गई थी। यहां तक कि चमेरा-1 बांध के लिए, 192 व्यक्तियों को विस्थापित किया गया था और उन्हें किसी प्रकार का रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया था।

सिफारिश

जिला प्राधिकारियों को सुझाव दिया गया कि वे चमेरा-1 तथा चमेरा-2 बांध परियोजनाओं के दौरान विस्थापित एवं पुनर्वासित किए गए व्यक्तियों के संबंध में तीन महीने के अंदर तथ्यान्वेषी रिपोर्ट तैयार करें और उसे आयोग को अग्रेषित करें।

ड. भोजन का अधिकार

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में प्रेक्षण

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ने विभिन्न पी0डी0एस0 दुकानों का दौरा किया और पाया कि पिछले दो महीनों के दौरान लाभार्थियों को चीनी उपलब्ध नहीं कराई गई है। कुछ पी0डी0एस0 दुकानों में लाभार्थियों को मिट्टी के तेल और आयाडाईज्ड नमक की उपलब्धता के संबंध में समस्या आ रही है।

सिफारिश

उपायुक्त तथा जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे आयोग को इस बात से अवगत कराएं कि पिछली बार बी0पी0एल0 तथा ए0ए0वाई0 परिवारों की पुनरीक्षा कब की गई थी, ए0पी0एल0 / बी0पी0एल0 / ए0ए0वाई0 परिवारों से संबंधित मानदंड क्या थे / क्या हैं। वर्ष 2012-13 तथा अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2013 के दौरान खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा पी0डी0एस0 दुकानों पर किए गए औचक दौरो, मारे गए छापो तथा छापो के दौरान पाए गए अंतरों पर की गई कार्रवाई के बारे में भी आयोग को जानकारी उपलब्ध कराएं।

च. अन्य मुद्दे

इंदिरा आवास योजना के संबंध में प्रेक्षण

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ने ऐसे कुछ निर्माणाधीन घरों का दौरा किया जिसके लिए जिला प्राधिकारियों द्वारा इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा था। इन घरों का निर्माण व्यक्तिगत लाभार्थी द्वारा स्वयं कराया जा रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने नोटिस किया कि सेनेटरी लैट्रीन के लिए स्थाना छोड़ा गया है लेकिन धुआं रहित चूल्हों के बारे में कोई आकलन नहीं किया जा सका क्योंकि इन मकानों का अभी निर्माण कार्य चल रहा है।

सिफारिश

जिला प्राधिकारी, आयोग को उन 680 घरों की स्थिति से अवगत कराएं जिसके लिए इंदिरा आवास योजना के तहत निधियां स्वीकृत की गई थी। साहो जैसे दूरस्थ एवं दुर्गम स्थानों पर प्राथमिक आधार पर सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है ताकि इन क्षेत्रों में जरूरतमंद लाभार्थियों की पहचान की जा सके और उन्हें इंदिरा

आवास योजना तथा राजीव गांधी आवास योजना (राज्य योजना) के तहत परस्परानुबंधन से अनुदान दिया जा सके। वास्तव में, सेनेटरी लैट्रीन उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा आवास योजना के साथ निर्मल भारत अभियान निधियों का परस्परानुबंधन किया जाना चाहिए।

चुराहा विकास ब्लॉक में हो रहे बाल विवाह के संबंध में प्रेक्षण

एक गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि द्वारा यह सूचित किया गया कि चुराहा विकास ब्लॉक में 15 वर्ष से कम आयु की युवा लड़कियों का उनके माता-पिता द्वारा विवाह कराया जा रहा है। इसके अलावा, हाल ही में गैर-कानूनी शपथपत्रों की मदद से कुछ शादियां की गईं।

सिफारिश

जिला तंत्र को निदेश दिया गया है कि वे चम्बा के सभी गांवों/ब्लॉकों विशेषतः चुराहा में बाल-विवाह के दुष्परिणामों के बारे में तथा शादियों के पंजीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता/शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करें। इन जागरूकता कार्यक्रमों में ग्रामीणों को शादियों के पंजीकरण करने वाले व्यक्ति के बारे में भी बताया जाना चाहिए। गांववालों को अन्य सामाजिक मुद्दों के बारे में भी जानकारी दी जाए ताकि सामाजिक बुराईयों का अंत हो सके।

.....

अनुलग्नक – 12

पैरा 8.9

सिर पर मैला ढोने तथा स्वच्छता के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिशें

1. अधिनियम में निवारण, पुनर्वास तथा पर्यवेक्षण के लिए व्यापक उपबंध हैं। प्रत्येक व्यक्ति का यह लक्ष्य होना चाहिए कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए। विभिन्न उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न समितियों का गठन करने हेतु राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार, दोनों को ही प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
2. हालांकि धारा 36 तथा धारा 37 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने अधिनियम की योजना के अनुसार नियम/आदर्श नियम बनाए हैं, राज्य सरकारों को भी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक नियम बनाने चाहिए विशेषतः अधिनियम की धारा 24 के तहत गठित होने वाली सतर्कता समिति सहित उप-मंडलीय/जिला/राज्य स्तरीय समितियों के गठन के संबंध में।

संबंधित राज्यों द्वारा इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए नियम बनाना आवश्यक है क्योंकि राज्य सरकारों के लिए इन समितियों को अधिसूचित करने संबंधी अधिदेश राजपत्र में है, नियमों की अनुपस्थिति में यह संभव नहीं हो सकता है।

3. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दिए गए लाभ विशेषतः अभियोजन तथा मुआवजे संबंधी लाभों को उन सभी तक पहुंचाना चाहिए जो वर्तमान अधिनियम के तहत “सिर पर मैला ढोने वाले” की परिभाषा के तहत आते हैं।
4. जिला मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, को शिकायत की पूरी जानकारी होने की तीन माह की अवधि को धारा 10 के तहत हटा दिया जाना चाहिए और दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परिसीमन के लिए निर्धारित उपबंधों को अपनाना चाहिए।
5. कारावास की सजा सुनाने के साथ-साथ धारा 8 एवं 9 के अनुसार जुर्माना लगाने के उपबंध को भी निर्धारित करना चाहिए। लगाए गए और एकत्रित किए गए जुर्माने की राशि को पीड़ित के अर्थात् सिर पर मैला ढोने वाले के लाभ के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि उनका पुनर्वास सही तरीके से किया जा सके। यह भुगतान, अधिनियम के तहत या विभिन्न स्कीमों के तहत पहले से ही उपलब्ध कराए गए लाभों के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए।
6. प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी स्थानीय निकायों सहित सभी स्तरों पर समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति/अधिकारी इसके प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध होने चाहिए।

7. सिविल समाज के बीच अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के बारे में जागरूकता सृजन करने के लिए स्थानीय क्षेत्रों में विशिष्ट आई0ई0सी0 गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर का अभियान आयोजित किया जाना चाहिए।
8. प्रभावित व्यक्तियों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सक्षम बनाने हेतु जिला एवं उपमंडलीय स्तर पर एक नोडल अधिकारी को अधिसूचित किया जाना चाहिए।
9. अधिनियम के समन्वय एवं कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर एकल खिड़की प्रणाली होनी चाहिए।
10. अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार सभी संबंधित विभागों तथा एजेंसियों की सभी गतिविधियों को अभिसारित करने की आवश्यकता है।
11. जिला प्रशासन द्वारा सिर पर मैला ढोने वालों की पहचान करते समय भारतीय रेलवे में सिर पर मैला ढोने वालों को शामिल करना चाहिए।
12. अधिनियम के तहत पहचान के साथ-साथ पुनर्वास के लिए गैर सरकारी संगठनों को सक्रिय रूप से संलिप्त करने की आवश्यकता है।
13. 40,000 /-रु० की एकमुश्त वित्तीय सहायता के समाप्त हो जाने से पहले ही वोकेशनल ट्रेनिंग जैसी किसी अन्य स्कीम से इसे परिपूर्ण किया जाना चाहिए।
14. रेलवे की प्रस्तुति देखने के बाद यह संस्तुति की जाती है कि ध्यान को केवल साफ-सफाई तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि सिर पर मैला ढोने वालों तथा उनके पुनर्वास की ओर भी ध्यान देना चाहिए।
15. अधिनियम की धारा 2(छ) के तहत केन्द्र और राज्य सरकारें, दोनों "ऐसे अन्य स्थानों या परिसरों" को अधिसूचित कर सकती हैं। ऐसी अधिसूचनाएं सिर पर मैला ढोने की परिभाषा को पूर्ण अर्थ देने के लिए अविलम्ब तैयार की जा सकती हैं।
16. वर्ष 2021-22 तक डिस्चार्जबल शौचालयों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए रेलवे द्वारा निर्धारित समय-सीमा बहुत लंबी अवधि है तथा इसे केवल पांच वर्षों के अंदर पूरा किया जाना चाहिए।
17. स्थानीय शहरी निकायों द्वारा सिर पर मैला ढोने वालों की पहचान करने के लिए अलग से दिशानिर्देश जारी करने की आवश्यकता है क्योंकि स्थानीय निकायों द्वारा सर्वेक्षण करना केवल तभी अपेक्षित होता है जब उनके पास अधिनियम के तहत भरोसा करने के कारण मौजूद हों।
18. राष्ट्रीय सर्वेक्षण : निम्नलिखित को पहचानने तथा उनकी गणना करने के लिए सभी राज्यों को दो माह के अंदर-अंदर एक सर्वेक्षण पूरा कर लेना चाहिए :

- I. सिर पर मैला ढोने वाले;
 - II. जो सिर पर मैला ढोते थे और जिन्हें पुनर्वासित किया गया है;
 - III. जो सिर पर मैला ढोते थे और जिन्हें अभी तक पुनर्वासित नहीं किया गया है;
 - IV. उन परिवारों के सदस्य जो सिर पर मैला ढोते हैं।
19. सभी राज्यों को अप्रैल, 2014 तक इस सर्वेक्षण में की गई खोजों को संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को भेज देना चाहिए।
20. अप्रैल, 2014 से तिमाही अद्यतन –प्रत्येक राज्य द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को निम्नलिखित के संबंध में एक तिमाही रिपोर्ट जरूर भेजी जानी चाहिए—
- I. उन व्यक्तियों की संख्या जिनकी पहचान पिछली तिमाही में पुनर्वास हेतु की गई थी;
 - II. पिछली तिमाही में पुनर्वासित किए गए व्यक्तियों की संख्या;
 - III. नकद सहायता, परियोजना समर्थन, कौशल विकास आदि सहित उपलब्ध कराए गए पुनर्वास का विवरण;
 - IV. पुनर्वासित किए गए सिर पर मैला ढोने वालों को आजीविका कमाने के संबंध में उपलब्ध कराए गए प्रशिक्षण का विवरण;
 - V. इंदिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना तथा कॉंगनेट राज्य स्कीमों के तहत भूतपूर्व सिर पर मैला ढोने वालों को उपलब्ध कराए गए अनुदानों या घरों की संख्या;
 - VI. वर्तमान में सिर पर मैला ढोने वाले या विगत में ऐसा करने वालों के बच्चों को छात्रवृत्ति सहित उपलब्ध कराई गई शैक्षणिक सहायता;
 - VII. अपने कार्य के दौरान मारे गए सिर पर मैला ढोने वालों के परिवारों को उपलब्ध कराई गई राहत।
21. नोडल प्राधिकारी – सभी राज्यों द्वारा अप्रैल, 2014 तक यह सुनिश्चित किया जाए कि –
- I. प्रत्येक जिले में एक अधिकारी नियुक्त किया जाए जो अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल अधिकारी होगा; यह अधिकारी सिर पर मैला ढोने की प्रथा को रोकने तथा सिर पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए जिम्मेदार होगा;
 - II. राज्य के नोडल अधिकारियों की उनके नाम, सरकारी पते, दूरभाष संख्या आदि सहित एक सूची तैयार की जाए और इंटरनेट सहित उसका बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार किया जाए;

- III. इस सूची को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को भेजा जाए।
22. सतर्कता समितियां – सभी राज्य यह सुनिश्चित करें कि दिनांक 1 अप्रैल, 2014 तक –
- I. प्रत्येक जिले में सतर्कता समितियों की नियुक्ति हो जाए;
 - II. उनके नाम, पदनाम, दूरभाष संख्या आदि संग्रहित किए जाएं और इंटरनेट सहित बड़े पैमाने पर उनका प्रचार-प्रसार हो;
 - III. इस सूची को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के पास भेजा जाए।
23. विशेष उपबंध –जिन लोगों ने दिनांक 6 दिसम्बर, 2013 से पहले सिर पर मैला ढोने का कार्य छोड़ दिया है लेकिन जिन्हें न तो सरकार और न ही बैंक से अभी तक कोई पुनर्वास संबंधी लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें एक-मुश्त नगद सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
24. बी0पी0एल0 कार्ड – यदि कोई व्यक्ति सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है जिसे पी0ई0एम0एस0एण्ड आर0 एक्ट की धारा 13(क) के तहत फोटो-परिचय पत्र जारी किया हुआ है और उसके परिवार, आश्रितों का विवरण उस पर अंकित है, को साथ के साथ ही बी0पी0एल0 कार्ड भी जारी कर दिया जाना चाहिए।
25. इंदिरा आवास योजना, जिसमें कहा गया है कि सिर पर मैला ढोने वाले पुनर्वासित व्यक्तियों को अनुदान आबंटन करने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए – की तर्ज पर सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में संशोधन करना चाहिए और निम्नलिखित उपबंध किए जाने चाहिए :
- I. राजीव आवास योजना में यह गारंटी दी जानी चाहिए कि सिर पर मैला ढोने वाली प्रथा से पुनर्वासित किए गए व्यक्तियों को शहरी क्षेत्रों में आवास या अनुदान प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी;
 - II. पुनर्वासित किए गए सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत रोजगार में प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इस प्रथा से मुक्त हो जाने के बाद पांच वर्षों में 200 दिन के रोजगार की अनुमति दी जानी चाहिए;
 - III. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम में ग्रामीण साफ-सफाई के लिए स्कीम बनानी चाहिए जिसके लिए सिर पर मैला ढोने वाली प्रथा से मुक्त हो गए परिवारों और व्यक्तियों को रोजगार में प्राथमिकता दी जानी चाहिए;

- IV. यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सामाजिक कल्याण योजनाओं – जिनका प्रयोग सिर पर मैला ढोने की प्रथा से मुक्त कराए गए व्यक्तियों का पुनर्वास करने में किया जाता है, को शामिल करते हुए सभी योजनाओं को अभिसारित करने की आवश्यकता है।
26. सिर पर मैला ढोने वालों के बच्चों को शिक्षा :
- I. सुनिश्चित किया जाए कि वे सभी स्कूल जाएं और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें; इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि वे भेदभाव के कारण या आजीविका कमाने के बोझ के कारण स्कूल छोड़ न दें; यह सब सतर्कता समिति के कार्य का एक भाग होना चाहिए।
 - II. आंगनवाड़ी केन्द्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए; सुनिश्चित किया जाए कि सिर पर मैला ढोने वालों के आवासों के पास ही आंगनवाड़ी केन्द्र हों;
 - III. उनके लिए विशेष पोषण कार्यक्रम शुरू किए जाएं;
 - IV. सिर पर मैला ढोने वाले या विगत में यह कार्य करने वालों के बच्चों को उनकी स्कूली शिक्षा के दौरान, उनकी भिन्न धार्मिक मान्यताओं के होते हुए भी छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाएगी।
27. जो लोग सिर पर मैला ढोते थे उनके लिए विशेष स्वास्थ्य उपाय :
- I. विशेषतः ऐसे क्षेत्रों में जहां सिर पर मैला ढोने वालों की अधिकता है, मोबाईल वैन के माध्यम से महीने में एक बार स्वास्थ्य जांच करना;
 - II. सिर पर मैला ढोने वालों को प्रभावित करने वाली व्यावसायिक स्वास्थ्य समस्याओं की जांच करना और उनके उपचार के लिए चिकित्सा एवं वित्तीय संसाधनों का प्रावधान;
 - III. सिर पर मैला ढोने वालों के कार्य में स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभाव को देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इनके लिए अधिकतम सीमा को और बढ़ाया जाना चाहिए।
28. सिर पर मैला ढोने का कार्य करते समय मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाले किसी व्यक्ति के परिवार के लिए राहत :
- I. निकटतम संबंधी को कम से कम 10 लाख रु0 का तत्काल भुगतान;
 - II. तीन महीनों के लिए निःशुल्क राशन;
 - III. परिवार के एक सदस्य को अनुकम्पा आधार पर एक स्थायी सरकारी पद;
 - IV. विधवा के लिए 5000/-रु0 प्रतिमाह की दर से पेंशन;
 - V. बच्चों के लिए विश्वविद्यालय स्तर तक छात्रवृत्ति, दो बच्चों की सीमा से मुक्त।

29. कॉरपोरेट सी0एस0आर0 का 5: सिर पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए समर्पित किया जाए।
30. वित्तीय सहायता, क्योंकि पुनर्वास के लिए वित्तपोषण बहुत जरूरी है और अभी तक बैंक आदि सिर पर मैला ढोने वालों या उनके परिवारों को इस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के प्रति उदासीन रहे हैं;
- I. अधिनियम के तहत दी जाने वाली सभी परियोजना सहायता को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास कॉरपोरेशन के माध्यम से दिया जाना चाहिए;
 - II. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास कॉरपोरेशन द्वारा सिर पर मैला ढोने वालों को दिए जाने वाले कर्ज के लिए राज्य सरकारों को गारंटी देनी चाहिए;
 - III. सिर पर मैला ढोने की प्रथा से मुक्त हुए व्यक्तियों को कर्ज उपलब्ध कराने के संबंध में जिला स्तर के सभी बैंकों के प्रबंधकों को सुलभ कर्ज स्वीकृत करने की अपनी शक्ति का 1 प्रतिशत सिर पर मैला ढोने की प्रथा से मुक्त हुए व्यक्तियों के लिए निर्धारित करना चाहिए।
31. लेखापरीक्षा निष्पादन – सिर पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए सरकारी निधियां प्राप्त करने वाले सभ्य समाज के सभी संस्थानों की स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से नियमित रूप से लेखापरीक्षा होनी चाहिए ताकि पैसे का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके।

अनुलग्नक – 13

पैरा 9.9

महिलाओं के मानव अधिकारों के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिशें

1. छोटे परिवार के मानदंडों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन तथा हतोत्साहन के प्रावधानों सहित महिलाओं का यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकार

1. अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या एवं विकास सम्मेलन, 1994 का हस्ताक्षरकर्ता होने के कारण भारत को यह स्वीकार करते हुए कि व्यक्ति विशेष की इच्छा का आदर करना चाहिए और उस इच्छा को पूरा करने के लिए एक उचित तंत्र का सृजन करना चाहिए – अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या एवं विकास सम्मेलन कार्यक्रम में दिए गए सिद्धांतों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।
2. दिनांक 9 से 19 जनवरी, 2003 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन जिसमें राज्य सरकारों तथा सभ्य समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ने मानवीय गरिमा की बुनियाद पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई घोषणा में प्रजनन संबंधी अधिकारों को मान्यता दी थी। इसमें कई पहलू निहितार्थ थे, जैसे कि –
 - बिना किसी डर तथा भेदभाव के सुविज्ञ निर्णय लेने का अधिकार।
 - नियमित रूप से सुलभ, वहनीय, गुणवत्तापूर्ण तथा भरोसेमंद प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का अधिकार।
 - दंपतियों के लिए जन्म को नियंत्रित रखने के विकल्प को चुनने हेतु चिकित्सा सहायता एवं परामर्श का अधिकार।
 - लिंग आधारित हिंसा से मुक्त यौन एवं प्रजनन विकल्पों का अधिकार।

घोषणा के उपरोक्त पहलुओं की पुनःपुष्टि करने की आवश्यकता है।

3. दो बच्चों के मानदंड को लागू करने तथा प्रोत्साहन या हतोत्साहन के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष के प्रजनन संबंधी निर्णय के साथ जबरदस्ती करना या छल-कपट करना – स्वैच्छिक सुविज्ञ विकल्प के सिद्धांत का तथा व्यक्ति मानव अधिकारों का विशेषतः बच्चे पैदा करने के अधिकार का उल्लंघन है। इसे ध्यान में रखते हुए फकीर चंद बनाम हरियाणा राज्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संबंध में पुनरीक्षा याचिका की आवश्यकता है। इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने पंचायत का चुनाव लड़ने की पात्रता के लिए दो बच्चों के मानदंड को लागू करने वाले विधायन को सही ठहराया था जो कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के साथ-साथ आई0सी0पी0डी0 के सिद्धांतों के खिलाफ है।

4. एक अधिकार के रूप में सुरक्षित गर्भपात की सुविधाओं सहित बहुत सी सेवाओं को कवर करता हुआ प्रजनन न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए क्योंकि यह प्रजनन अधिकारों के संवर्धन एवं सुरक्षा के लिए समर्थकारी परिस्थितियों का सृजन करेगा।
5. सरोगेट महिला के हित एवं अधिकारों की रक्षा के लिए व्यावसायिक सरोगेसी के प्रचलन को विनियमित करना अपेक्षित है। इस संबंध में सभी संबंधित पणधारियों के साथ एक परामर्शी प्रक्रिया के बाद आवश्यक संशोधनों सहित लंबित पड़े सहायक प्रजनन तकनीक विधेयक को लागू करना चाहिए।
6. बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के हर प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने का यौन अल्पसंख्यकों (एल जी बी टी) का अधिकार तथा स्वतंत्र रूप से यौन एवं प्रजनन विकल्पों को चयन करने के अपने अधिकार को स्वीकार किया जाना चाहिए।
7. अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी वयस्क के अधिकार को अक्सर गौड़ संवैधानिक प्राधिकारियों द्वारा उल्लंघन किया जाता है। ऐसे युगल जिन्हें इस प्रकार के उल्लंघन की आशंका हो उन्हें विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सुरक्षा सहित मददगार उपाय उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
8. न्यायपालिका, पुलिस, नीति-निर्माताओं सहित सभी पणधारियों को शादी के संबंध में स्वतंत्र रूप से अपने अधिकार का प्रयोग तथा बिना किसी बाधा के गरिमा से जीवन जीने के अधिकार के संबंध में सुग्राही बनाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करने की आवश्यकता है।
9. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, 1971 का सही कार्यान्वयन तथा सख्त प्रवर्तन अपेक्षित है क्योंकि बड़ी संख्या में अप्राधिकृत तथा अनुपयुक्त गर्भपात केन्द्र विद्यमान हैं जिसके कारण बड़ी संख्या में असुरक्षित परिस्थितियों में गर्भपात होने की पूरी संभावनाएं हैं। केन्द्र सरकार को लाईसेंसशुदा/प्राधिकृत तथा सुसज्जित गर्भपात सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो महिलाओं को वहनीय दरों पर सुलभ हो सकें।
10. पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट के अधिनियमित होने के लगभग दो दशकों के बाद पूरे देश में व्यापक रूप से लिंग जांच तथा लिंग चयन हो रहा है जोकि गिर रहे बाल लिंग अनुपात से स्पष्ट है। अतः राज्य एवं जिला स्तर पर यथोचित प्राधिकारियों को जवाबदेह बनाकर पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट का यथोचित एवं सख्त कार्यान्वयन अपेक्षित है।
11. “पुत्र संबंधी प्राथमिकता” से निपटने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने वाले तथा उनके हितों की रक्षा करने वाले अन्य संबंधित कानूनों जैसे कि दहेज निषेध अधिनियम, उत्तराधिकार कानून और महिला घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम को भी प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने की जरूरत है।

12. स्कूलों में विशेषरूप से किशोर/किशोरियों के लिए यथोचित आयु लिंग सचेतन, लैंगिकता तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसी प्रकार का ध्यान उन बच्चों पर भी देने की आवश्यकता है जो स्कूल नहीं जाते हैं।
13. महिलाओं को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु एकल खिड़की के रूप में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत स्थापित किए गए पूर्ण शक्ति केन्द्रों को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।
14. यथोचित सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को उसकी वैवाहिक स्थिति के चलते लोक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों में मौजूद गर्भनिरोधक सुविधाओं तक पहुंच को वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
15. जनसंख्या नीति में एक लक्षित समूह के रूप में पुरुषों के लिए उचित, स्वीकार्य तथा वहनीय प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता को भी समान रूप से संबोधित किया जाना चाहिए क्योंकि इन आवश्यकताओं को नजरअंदाज करने से महिलाओं के अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा। निःसंतान महिलाएं, अविवाहित महिलाएं, एकाकी महिलाएं जैसे अन्य समूहों की आवश्यकताओं को भी समान रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है।
16. केवल प्रजनन स्तर पर ही ध्यान केन्द्रित करने की अपेक्षा सम्पूर्ण जीवन के दौरान महिलाओं के लिए व्यापक वहनीय एवं स्वीकार्य स्वास्थ्य सेवाओं का होना आवश्यक है। रजोनिवृत्ति के बाद तथा उससे पहले महिलाओं की समस्याओं में जीवनशैली संबंधी बीमारियां, मनोवैज्ञानिक समस्याएं आदि शामिल होती हैं।
17. महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा का उनके शारीरिक, मानसिक, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सहित उनके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः विशेषतः सार्वजनिक अस्पतालों में ग्राम पंचायत/अन्य स्थानीय निकाय के हस्तक्षेप सहित एक आपदा केन्द्र की आवश्यकता है जो उनकी आवश्यकताओं जैसे कि मनोवैज्ञानिक परामर्श, चिकित्सा तथा अन्य सामाजिक सहायता आदि में मदद कर सके। हिंसा की घटनाओं के संबंध में प्रतिक्रिया करने के लिए ग्राम स्तर के अन्य पदाधिकारियों के साथ ग्राम पंचायत को सुग्राही बनाने और प्रशिक्षित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
18. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर राज्य मानव अधिकार आयोगों तथा राज्य महिला आयोगों के पदाधिकारियों तथा सभी पणधारियों का आवधिक क्षमता निर्माण किया जाना चाहिए।

II. महिलाओं एवं लड़कियों के प्रति हिंसा

1. महिलाओं और लड़कियों से संबंधित विद्यमान समर्थकारी विधायनों का प्रभावी कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। शिकायत की विश्वसनीयता पर प्रश्न न करते हुए यौन शोषण की सभी शिकायतों को

रजिस्टर किया जाना चाहिए और उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि साक्ष्यों से अपराध की पुष्टि नहीं होती है तो न्यायालय के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए।

2. न्यायपालिका, पुलिस, सेना तथा लोक अभियोक्ता सहित सरकारी अधिकारियों तथा पेशेवरों के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, न्याय, रक्षा तथा महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध संबंधी अप्रवासन के क्षेत्र में कार्यरत लोगों का सुग्राहीकरण, प्रशिक्षण तथा क्षमता सुदृढीकरण। महिलाओं और लड़कियों से संबंधित कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन नहीं करने वाले लोक प्राधिकारियों को भी जवाबदेह ठहराना चाहिए। सुग्राहीकरण प्रशिक्षण का मॉड्यूल प्रभावी होना चाहिए और पदाधिकारी के कार्यकाल के विभिन्न स्तरों पर इसे कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है।
3. कानूनों के कार्यान्वयन के लिए तथा पीड़ित महिलाओं एवं लड़कियों तथा हिंसा के उत्तरवर्तियों के पुनर्वास एवं पुनःएकीकरण के लिए वित्तीय एवं मानव संसाधनों का पर्याप्त आबंटन करना आवश्यक है। पीड़ित महिलाओं के लिए पर्याप्त सुरक्षा गृहों की स्थापना करना अपेक्षित है।
4. हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि जैसे क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति भेदभाव और हिंसा को बढ़ाने वाली पुरुष-प्रधान सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रथाओं को संबोधित किया जाना चाहिए। प्राधिकारियों की तरफ से प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए जाने चाहिए।
5. विधि प्रवर्तन में अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए और सरकार की संबंधित एजेंसियों में नियुक्त करना चाहिए।
6. हिंसा संबंधी मुद्दों पर न्याय तथा प्रभावी विधिक सहायता तक महिलाओं और लड़कियों की अबाधित पहुंच सुनिश्चित करना। उन्हें हुई हानि के लिए प्रभावी उपचार तक पहुंच सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
7. महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा का समाधान अभिसारिता मॉडलों के बहुविध दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए जिसमें सभी मंत्रालयों (महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, योजना आयोग, गृह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ग्रामीण एवं शहरी विकास, विधि एवं न्याय, श्रम एवं रोजगार, वित्त आदि) विभागों, सरकारी संस्थानों, विधिक निकायों को एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ना चाहिए।
8. राज्य द्वारा संचालित किए जा रहे सुरक्षा गृहों में रहने वाली महिलाओं, एकाकी महिला, विधवाओं, सशस्त्र संघर्ष वाले इलाकों में फंसी महिलाओं, विस्थापित महिलाओं, शरणार्थी महिलाओं, यौन अल्पसंख्यक महिलाओं, निःशक्त महिलाओं, डायन तथा आत्मसम्मान से संबंधित अपराधों जैसी प्रथाओं से प्रभावित महिलाओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ सामुदायिक हिंसा से प्रभावित महिलाओं,

संगठित क्षेत्र की महिलाओं, अवैध मानव व्यापार के जाल में फंसी महिलाओं, एचआईवी/एड्स से प्रभावित महिलाओं, सरोगेट माताओं आदि के लिए हिंसा से प्रभावित अति संवेदनशील एवं वंचित महिलाओं के लिए एक नया विधायी हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।

9. महिलाओं और लड़कियों के प्रति होने वाले यौन अपराधों तथा अन्य प्रकार की हिंसा के संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पेशेवरों को सुग्राही बनाना और प्रशिक्षण देना।
10. महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को संबोधित करने के लिए जिला स्तर पर कार्य योजना तैयार की जाए और विभिन्न सरकारी एजेंसियों तथा गैर सरकारी संगठनों को शामिल करते हुए जिला स्तरीय समन्वय समिति की मदद से उन्हें कार्यान्वित किया जाए।
11. कार्यस्थल पर यौन शोषण संबंधी कानून को असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों के संबंध में भी लागू किया जाना चाहिए और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में शिकायत तंत्र को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।
12. महिलाओं एवं लड़कियों के प्रति हिंसा से संबंधित मामलों से निपटने के लिए सभी पणधारियों (पुलिस, न्यायाधीशों, वकीलों, परामर्शदाताओं, डॉक्टरों) के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं इजाद की जानी चाहिए।
13. दृष्टिकोण संबंधी बदलाव के लिए स्कूल स्तर पर ही हस्तक्षेप करना जरूरी है। औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों तरह की शिक्षा के लिए अध्यापक शिक्षण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सामग्री विकसित करने की आवश्यकता है।
14. निराश्रय तथा मानसिक रूप से अस्थिर निराश्रय महिलाओं की सुरक्षा के लिए अवसंरचना तथा आवास का प्रावधान करना आवश्यक है। मानसिक रूप से कमजोर/निःशक्त महिलाओं तथा लड़कियों के लिए अलग आश्रय/गृह बनाए जाने चाहिए।
15. मामलों के प्रभावी अधिनिर्णयन के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय, महिला थाना, तथा पुलिस स्टेशनों में जेंडर सेल्स आदि बनाकर महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित स्थान बनाना।
16. हर पहलू से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने के लिए अवसंरचना सृजन किया जाना चाहिए ताकि प्रभावी महिला उन्मुखी नीतियां तैयार की जा सकें और संबंधित विधायन तैयार हों, इसके साथ-साथ महिलाओं तथा बच्चों के प्रति हो रही हर प्रकार की हिंसा संबंधी डाटाबेस विकसित किया जाए। यह जानकारी राज्यवार होनी चाहिए तथा इसमें उच्चतम एवं नवीनतम अनुसंधान/आंकड़े शामिल होने चाहिए।
17. पीड़ितों का पुनर्वास तथा उन्हें मुआवजा दिया जाना प्राथमिक कार्रवाई होनी चाहिए। महिला राहत आश्रयों, नारी निकेतनों आदि में महिलाओं के शोषण से संबंधित मुद्दे चिंता का विषय हैं तथा ऐसे संस्थानों में शोषणात्मक तत्वों के खिलाफ नियमित जांच की जानी चाहिए।

18. आपूर्ति तंत्रों (न्यायालय तथा विधिक सहायता एकक) को मजबूत करते हुए न्याय तक पहुंच को सुलभ बनाना और मांग का सृजन (विधिक साक्षरता और जागरुकता) करना।
19. गलियों में रहने वाले मानसिक रूप से अस्थिर तथा निराश्रय बच्चों के प्रति हिंसा पर भी बिना किसी अपवाद के ध्यान दिया जाना चाहिए। उपरोक्त उद्देश्य के लिए पुलिस अधीक्षक के स्तर के पुलिस अधिकारी, जिले के चिकित्सा अधिकारी, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। प्रत्येक जिले में विशेषतः मानसिकरूप से अस्थिर लोगों के लिए अस्पताल होने चाहिए जिसमें इस प्रकार की बीमारियों का इलाज करने की विशेषज्ञता रखने वाले डॉक्टर होने चाहिए। स्वाधार तथा उज्ज्वला जैसी योजनाओं को सुदृढ़ एवं कार्यान्वित किया जाना चाहिए।
20. स्वायत्ता, गुणवत्ता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही को सर्वर्धित करने वाले पुलिस सुधारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
21. सभी विधायी व्यवस्थाओं में हिंसा के समाधान तथा एवजी मुआवजे को शामिल करने की आवश्यकता को शामिल किया जाना चाहिए।
22. वरिष्ठ महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा से संबंधित अपराध कम ही नजर आते हैं। वृद्धाश्रमों में वरिष्ठ महिलाओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रबंध किया जाना चाहिए। ऐसी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ नागरिक योजनाओं को भी विस्तारित करना सुनिश्चित किया जाए।
23. महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के बारे में मीडिया द्वारा की जाने वाली रिपोर्टिंग को सनसनीखेज नहीं बनाया जाना चाहिए। महिलाओं को वस्तु रूप में प्रदर्शित करने तथा यौन प्रदर्शन वाले चित्रों को प्रदर्शित करने से बचा जाना चाहिए। मीडिया द्वारा स्व-विनियमन संहिता बनाई जानी चाहिए। जागरुकता के लिए लोक सेवा संदेश भी दिए जाने चाहिए।
24. शिशुहत्या तथा भ्रूणहत्या की समस्या को आक्रामकता से निपटाया जाना चाहिए। क्रेडल प्वाइंट (अनचाहे बच्चे को किसी अन्य को गोद लेने के लिए जमा करना), बेटी के जन्म पर प्रोत्साहन, गोद लेने की प्रक्रिया का सरलीकरण तथा जन्म से पहले बच्चे के लिंग का पता लगाने पर सख्त कार्रवाई जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
25. सार्वजनिक स्थलों तथा सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुरक्षित बनाने की जरूरत है। एक सुरक्षित एवं महिला अनुकूल सेवा बनाने के लिए परिवहन प्रणाली में महिलाओं की नियुक्ति की जानी चाहिए।
26. मीडिया तथा सेमिनार/नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जनता तथा समाज में जागरुकता का सृजन।

27. महिलाओं, बच्चों तथा वृद्धों के प्रति होने वाली हिंसा के लिए अलग से न्यायालय निर्धारित किए जाने चाहिए। ऐसे मामलों के लिए नियुक्त किए गए लोक अभियोजक को इस प्रकार के मुद्दों की जानकारी होनी चाहिए। ऐसे सभी पीड़ितों को निःशुल्क कानूनी सलाह दी जानी चाहिए।
28. न्यायिक अधिकारियों को औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सुग्राही बनाया जाना चाहिए।
29. समुदाय को एकजुट करके शामिल करना महत्वपूर्ण है। संवेदनशील क्षेत्रों और परिवारों की पहचान करने के लिए तथा सामुदायिक जागरूकता का सृजन करने के लिए आसपड़ोस के स्तर पर महिला सुरक्षा समूहों का गठन किया जाना चाहिए।
30. किशोर न्याय गृहों में आने पर विशेषज्ञों द्वारा किशोरों के व्यवहार, आदत, मानसिकता का अध्ययन एवं मूल्यांकन करना अनिवार्य किया जाना चाहिए और इसे सही तरीके से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। आयु निर्धारण के संबंध में किशोर न्याय समिति को सक्षम बनाने हेतु एकसमान नियमों को अपनाया जाना चाहिए।

III. महिला सशक्तिकरण तथा लिंग समानता

भारत के संविधान में लिंग समानता, महिलाओं के अधिकारों तथा महिला सशक्तिकरण की गारंटी है। यह सभी उन विश्वव्यापी संधियों तथा अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में निहित हैं जिनका भारत पक्षकार है। तथापि, बहुत कुछ करना बाकी है। इसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया गया है जिसमें कहा गया है कि “बारहवीं योजना में लड़कियों तथा महिलाओं के प्रति लिंग आधारित असमानताओं, भेदभाव तथा हर प्रकार की हिंसा को समाप्त करने को अधिभावी प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं को विकास प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने के लिए सक्षम बनाने के लिए और उनके सामाजिक, आर्थिक, सिविल तथा राजनीतिक अधिकारों को पूरा करने के लिए यह अतिमहत्वपूर्ण हैं।”

महिलाओं के मानव अधिकारों के राष्ट्रीय सम्मेलन में यह याद किया गया कि वर्ष 1995 में चौथे महिला विश्व सम्मेलन में अंगीकृत किए गए बीजिंग प्लेटफार्म ऑफ एक्शन में चिंता के बारह गंभीर क्षेत्रों को रेखांकित किया गया जो इस प्रकार हैं – महिलाएं तथा निर्धनता; महिलाओं की शिक्षा तथा प्रशिक्षण; महिलाएं तथा स्वास्थ्य; महिलाओं के प्रति हिंसा; महिलाएं तथा सशस्त्र संघर्ष; महिलाएं तथा अर्थव्यवस्था; सत्ता तथा निर्णय निर्माण में महिलाएं; महिलाओं के उत्थान के लिए संस्थागत तंत्र; महिलाओं के मानव अधिकार; महिलाएं तथा मीडिया; महिलाएं तथा पर्यावरण; तथा बालिकाएं।

महिलाएं सशक्त बनेंगी, उनके अधिकार पूरी तरह सुरक्षित होंगे, और भारत में लिंग समानता केवल तभी होगी जब चिंता के इन क्षेत्रों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से पूरी तरह संबोधित किया जाएगा और ऐसे कदम उठाए जाएंगे जो एक दूसरे के पूरक होंगे और संबल प्रदान करेंगे।

सम्मेलन में नोट किया गया कि निर्धनता उन्मूलन तथा महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण; सामाजिक सशक्तिकरण एवं शिक्षा; स्वास्थ्य एवं पोषण; लिंग संबंधी अधिकार; लिंग आधारित हिंसा तथा विधि प्रवर्तन; लिंग आधारित बजटिंग; लिंग संबंधी मुख्यधारा तथा लिंग संबंधी लेखापरीक्षा तथा संवेदनशील एवं वंचित समूहों और कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं का सशक्तिकरण करने के अधिदेश सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन की स्थापना की गई है। सभी पणधारियों के बीच यह सहमति बनी है कि अल्पकालिक समय में अनुश्रवण करने योग्य लक्ष्यों सहित इन सभी क्षेत्रों के लिए बहुत कुछ करना बाकी है।

सम्मेलन में नोट किया गया कि राष्ट्रीय मिशन ने महिलाओं द्वारा सामना की जा रही निम्नलिखित चुनौतियों की तथा महिलाओं को सशक्त बनाने के अभियान की पहचान की :

- विधिक एवं नीतिगत ढांचे :
 - लिंग आधारित अंधविश्वासी कानून
 - समर्थक समष्टि आर्थिक नीतियों का अभाव – व्यापार, वित्तीय प्रबंधन, कर्ज वित्तपोषण, बैंकिंग नीति
 - कार्यान्वयन एजेंसियों बीच अभिसारिता का अभाव
 - संसाधनों तक महिलाओं की सीमित पहुंच एवं नियंत्रण
 - कानूनों का सीमित प्रवर्तन
- सेवाएं प्रदान करने की चुनौती :
 - प्रवर्तन एजेंसियों की संवेदनहीनता तथा गहरी पैठ जमा चुकी सांस्कृतिक मानसिकता जो महिलाओं के प्रति भेदभाव करती है
 - कार्यान्वयन एवं सुविधा प्रदान करने वाले ढांचे की दयनीय क्षमता
 - अहितकारी वातावरण
 - शीर्ष पाद दृष्टिकोण, मांग आधारित नहीं
- अपवर्जन की चुनौती :
 - निर्धनता के संबंध में अशुद्ध अनुमान
 - अतिवंचनीय वर्ग का अपवर्जन
 - अवास्तविक बजटीय आबंटन

- अभिगम में बाधाएं
 - अधिकारों तथा पात्रताओं के बारे में ज्ञान एवं जागरुकता का अभाव
 - जटिल आपूर्ति तंत्र
 - जटिल प्रक्रियाएं
 - गरीबों को गरीब सिद्ध करने पर ही केन्द्रित

सम्मेलन में इस बात को माना गया कि जब तक इन बाधाओं को तत्काल ही दूर नहीं किया जाएगा, महिलाओं का सशक्तिकरण या लिंग समानता के संबंध में होठ हिला देने से अधिक कुछ करना बहुत ही मुश्किल होगा।

सम्मेलन में नोट किया गया कि भारत में महिलाओं की स्थिति के संबंध में उच्च स्तरीय समिति ने एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें तीन ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों अर्थात् महिलाओं के प्रति हिंसा, गिरते हुए लिंगानुपात तथा महिलाओं के आर्थिक निःसशक्तिकरण पर प्रकाश डाला गया है जिन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। सम्मेलन ने इस मूल्यांकन पर सहमति व्यक्त की है।

सम्मेलन में यह भी नोट किया गया कि उच्च स्तरीय समिति ने निम्नलिखित सहित कई क्षेत्रों में तत्काल कार्रवाई की सिफारिश की है :

- निर्णय लेने वाले सभी निकायों में 50 प्रतिशत सीटों को आरक्षित करने के लिए कानून लागू करना।
- महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना तैयार करना।
- संस्थागत तंत्र को मजबूत बनाना और उसे उचित संसाधनों से सुसज्जित करना।
- लिंग आधारित चिंताओं के लिए अधिक संसाधनों का आबंटन करना।
- महिला सशक्तिकरण संबंधी संसदीय समिति द्वारा सभी प्रस्तावित विधायनों के लिंग संबंधी प्रभावों की जांच करना।
- लिंग संबंधी लेखापरीक्षा के साथ-साथ लिंग प्रतिक्रियात्मक बजटिंग करना।
- विकास प्रतिमानों को विकेन्द्रिकृत करना; इससे विकास की प्रक्रिया में अधिक संख्या में महिलाओं की भागीदारी होगी।
- भारत में महिलाओं की स्थिति के संबंध में हर दो वर्ष में मूल्यांकन किया जाए और लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

सम्मेलन ने इन सिफारिशों का समर्थन किया।

राष्ट्रीय सम्मेलन ने यह सिफारिश भी की कि :

कानून एवं नीतियां

- ✓ महिलाओं के प्रति भेदभाव करने वाले कानूनों, विनियमों तथा नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संबंधी दस्तावेजों की तर्ज पर लाने के लिए उनकी पुनरीक्षा की जाए, संशोधन किया जाए या उन्हें समाप्त कर दिया जाए।
- ✓ लिंग समानता प्राप्त करने के लिए कानूनों, नीतियों तथा कार्यक्रमों को तैयार करने, योजना बनाने तथा उनकी मॉनीटरिंग करते हुए भेदभाव तथा पार्श्वीकरण के उन सभी स्वरूपों को संबोधित किया जाए जिनका सामना एक विशिष्ट जनजातीय, ग्रामीण, वंचनीय समाज की महिलाओं को तथा वृद्ध महिलाओं, अल्पसंख्यक महिलाओं तथा अशक्त महिलाओं को लगातार करना पड़ता है।
- ✓ एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए जिसमें उद्देश्यों तथा प्रतिबद्धताओं को विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए और उन्हें पूरा करने संबंधी नीतियों का, किए जाने वाले निवेश तथा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाले उपायों तथा उन्हें मानीटर करने संबंधी विवरण दिया जाना चाहिए।
- ✓ बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन में चिंता के बारह गंभीर क्षेत्रों को संबोधित करने करने वाली रणनीतियों का राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर स्पष्ट संधि-योजना होना चाहिए।
- ✓ संविधान और घरेलू कानूनों के द्वारा या भारत द्वारा स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में शामिल कानूनों द्वारा सभी महिलाओं को दिए गए गारंटीशुदा अधिकारों निर्दिष्ट करते हुए लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण संबंधी राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुनःपुष्टि के रूप में एक महिला अधिकार विधेयक अंगीकृत किया जाना चाहिए।
- ✓ लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों को आरक्षित करने के लिए 16वीं लोकसभा द्वारा शीघ्र ही संविधान (108वां संशोधन) विधेयक पारित किया जाना चाहिए। इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए कि राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन में तथा सत्ता एवं निर्णय लेने में महिलाओं का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व अन्य नीतियों की सफलता के लिए भी महत्वपूर्ण होगा।
- ✓ सरकार की कार्यकारी, विधायी तथा न्यायपालिका जैसी शाखाओं में चयन किए जाने वाले तथा नियुक्त किए जाने वाले पदों पर महिलाओं का यथोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कुछ अस्थायी विशेष उपायों को अपनाया जाना चाहिए।

- ✓ अधिक से अधिक महिला अभ्यर्थियों को समर्थन देने के लिए राजनीतिक पार्टियों को सकारात्मक उपाय अपनाने चाहिए।
- ✓ लिंग संबंधी दृष्टिकोण को ऐसे कानूनों, नीतियों, कार्यक्रमों, परियोजनाओं तथा प्रक्रियाओं में मुख्यधारा विषयक बना दिया जाना चाहिए जिसकी मॉनीटरिंग एक जेंडर लेंस के माध्यम से हो सके।
- ✓ जाति, वर्ग, धर्म या नृजातीयता से परे महिलाओं के संपत्ति के अधिकार का संहिताकरण होना चाहिए जो सभी व्यक्तिगत कानूनों एवं परम्परागत प्रथाओं से उपर होगा।

योजना, बजट तथा कार्यान्वयन

- ✓ महिलाओं और लड़कियों की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों की विविधता को देखते हुए संसाधनों के आबंटन को ध्यान में रखते हुए तथा स्थानीय मांग एवं आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रिया करने वाली लक्षित गतिविधियों के लिए आवश्यक मानवीय, वित्तीय तथा वस्तुगत संसाधन उपलब्ध कराने हेतु लिंग प्रतिक्रियात्मक योजना एवं बजटिंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाना चाहिए।
- ✓ कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के बीच अधिक अभिसारिता होनी चाहिए तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच में गहन समन्वय होना चाहिए ताकि सहक्रिया का सृजन हो सके।
- ✓ लिंग समानता के लिए मंत्रालयों, राजनीतिज्ञों, न्यायपालिका, राष्ट्रीय तथा राज्य मानव अधिकार संस्थानों, सिविल समाज, निजी क्षेत्र तथा मीडिया सहित भिन्न-भिन्न पणधारियों के बीच परामर्शी प्रक्रिया की मजबूती तथा गहन समन्वय होना चाहिए।
- ✓ बेहतर कार्यप्रणालियों की पहचान करके उन्हें सभी राज्यों में अपनाया जाना चाहिए।
- ✓ महिलाओं के अधिकारों की ईष्टतम प्राप्ति के लिए बाधाओं को दूर करने हेतु कार्यान्वयन की नियमित रूप से पुनरीक्षा की जानी चाहिए।
- ✓ सभी नीतियों, कार्यक्रमों तथा रणनीतियों की योजना, विकास, कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन में प्रभावी रूप से भाग लेने के साथ-साथ आंकड़ों को एकत्रित करने और उनके विश्लेषण के लिए लिंग समानता हेतु राष्ट्रीय तंत्र की क्षमता को मजबूत किया जाना चाहिए।
- ✓ लिंग तथा आयु के भिन्न-भिन्न किस्म के आंकड़ों को एकत्रित करने को तथा लिंग-संवेदी सूचकों के विकास, जहां बहुत फर्क रह जाता है, को महत्व दिया जाना चाहिए। आंकड़ों को एकत्रित करने और उनके विश्लेषण के लिए और अधिक संसाधन आबंटित किए जाने चाहिए।

आर्थिक सशक्तिकरण

- ✓ चूंकि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना लिंग समानता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है इसलिए आर्थिक संसाधनों तक महिलाओं की समान पहुंच एवं नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए समष्टि आर्थिक नीति ढांचा तथा आर्थिक ढांचे को तैयार करना चाहिए।

- ✓ आर्थिक नीतियों की योजना, विकास, कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन में महिलाओं तथा लड़कियों की प्राथमिकताओं एवं आवश्यकताओं पर करीब से ध्यान दिया जाना चाहिए।
- ✓ महिलाओं को उनके अधिकारों और भूमि तथा आवास सहित उत्पादक परिसंपत्तियों में महिलाओं के स्वामित्व को बढ़ाने के लिए अंगीकृत किए गए कानूनों एवं नीतियों के बारे में जागरूक करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आर्थिक स्रोतों पर महिलाओं के समान नियंत्रण पर इन कानूनों एवं नीतियों को पूरी तरह से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।
- ✓ श्रम बाजार तथा मर्यादित कार्यस्थल तक महिलाओं की पहुंच बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि, हाल ही के वर्षों में रोजगार अवसरों तक महिलाओं की पहुंच बढ़ी है, वे कम सुरक्षित स्थानों पर कम वेतन के साथ कार्य कर रही हैं जबकि व्यावसायिक पृथक्कीकरण और लिंग भत्ता अंतर विद्यमान है। इसमें बदलाव आना चाहिए, और व्यवहार में समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत होना चाहिए।
- ✓ चूंकि महिलाओं एवं पुरुषों के बीच देखभाल करना सहित भुगतान न किए जाने वाले कार्य का असमान सहभाजन, महिलाओं को श्रम बाजार में पूरी तरह से भागीदारी करने की क्षमता को बाध करता है, इसलिए ऐसी प्रणालियों को संवर्धित करना महत्वपूर्ण है जो दोनों लिंगों के लिए पितृत्व/मातृत्व अवकाशा नीतियों सहित महिलाओं और पुरुषों के बीच भुगतान न किए गए कार्य को पुनःवितरित कर सके।
- ✓ श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने वाले अवसरचरणात्मक सुविधाओं जैसे कि उर्जा, जल एवं स्वच्छता, बाल देखभाल सुविधाएं तथा परिवहन प्रणालियों में ज्यादा निवेश किया जाना चाहिए।
- ✓ लिंग समानता तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले समाजिक सुरक्षा के उपायों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए जैसे कि बेरोजगार बीमा योजना, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवर तथा सोशल पेंशन।
- ✓ महिलाओं की निर्धनता से निपटने के लिए नकद अंतरण, सस्ते उर्वरक का प्रावधान, माईक्रो क्रेडिट स्कीम, महिला सहकारिताओं की स्थापना और महिला स्व-सहयोग समूहों के लिए आरक्षण एवं आबंटन के माध्यम से मदद करते हुए सहित महिला सहकारिता तथा महिला उद्यमों का प्रचार जैसे उपाय किए जाने चाहिए।
- ✓ रोजगार अवसरों के अन्वेषण हेतु तथा जरूरतमंद महिलाओं संबंधी आंकड़े तैयार करने के लिए एकल खिड़की उपलब्ध कराने के संबंध में विशेषरूप से महिलाओं के लिए रोजगार एक्सचेंज की स्थापना करना सभी राज्यों के लिए उपयोगी होगा।
- ✓ निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों में महिलाओं के अधिकारों तथा सशक्तिकरण पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।

शिक्षा, जागरुकता—निर्माण तथा संवेदीकरण

- ✓ शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका पर गहन रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। हालांकि राज्यों के स्कूलों के पाठ्यक्रमों में भिन्नता हो सकती है लेकिन सभी राज्यों को पाठ्य पुस्तकों की पुनरीक्षा करते हुए, लिंग संबंधी रुढ़िवादिता को बढ़ावा देने वाले गद्यांशों को हटाते हुए और बच्चों के दिमाग में लिंग संबंधी मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए आधुनिक दृष्टिकोण अपनाते हुए लिंग समानता पर समान संदेश अंगीकृत करना चाहिए।
- ✓ लड़कियों की शिक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन का उत्प्रेरक होने के कारण अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा तक लड़कियों की पहुंच, विशेषतः प्राथमिक स्तर पर जहां राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के बीच में प्रगति एक समान नहीं है, को बेहतर बनाने संबंधी राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करना बहुत ही आवश्यक है।
- ✓ लड़कियों के लिए सेकेन्ड्री, सीनियर सेकेन्ड्री तथा यूनीवर्सिटी स्तर की शिक्षा सुनिश्चित करना भी इतना ही जरूरी है।
- ✓ औपचारिक शिक्षा के अनुपूरक के रूप में वोकेशनल ट्रेनिंग तथा कौशल उन्नयन सहित अनौपचारिक शिक्षा काफी महत्व रखती है और इस पर गहन ध्यान दिया जाना चाहिए।
- ✓ महिलाओं एवं लड़कियों को अपने शिक्षा संबंधी लाभ को बेहतर रोजगार अवसरों में परिवर्तित करना चाहिए।
- ✓ महिलाओं को सार्वजनिक एवं राजनीतिक भागीदारी के रास्ते में आने वाली बाधाओं जैसे कि निरक्षरता, भाषा, निर्धनता और आवागमन की स्वतंत्रता संबंधी बाधाओं को दूर करने में सहायता दी जानी चाहिए।
- ✓ महिलाओं के प्रति भेदभाव करने वाली प्रथाओं एवं रीति-रिवाजों का उन्मूलन बहुत ही जरूरी है।
- ✓ जनता को लिंग समानता के संबंध में शिक्षित करने और उनकी मानसिकता को बदलने के लिए सतत आधार पर एक अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि अपने अधिकारों का दावा करने या अपने अधिकारों के उल्लंघन हो जाने पर अपनी आपत्ति जताने के लिए आगे आने वाली महिलाओं एवं लड़कियों पर किसी प्रकार का लांछन न लगाया जाए।
- ✓ महिलाओं के प्रति भेदभाव करने वाली प्रथाओं तथा रीति-रिवाजों के उन्मूलन के प्रयासों में सामुदायिक नेताओं को शामिल करने के नूतन तरीकों का अपनाया जाना चाहिए।
- ✓ कन्या भ्रूणहत्या के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर का अभियान चलाया जाना चाहिए। इससे लोगों में जागरुकता बढ़ेगी और पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट का अधिनियमन सुनिश्चित होगा।

- ✓ समुदायों को इस अपराध के विरुद्ध गतिशील बनाने के लिए जागरुकता सृजन कार्यक्रमों तथा विवाह के अनिवार्य पंजीकरण सहित बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से बाल विवाह को समाप्त किया जाना चाहिए।
- ✓ भारत सरकार को महिलाओं के प्रति भेदभाव उन्मूलन संबंधी अभिसमय को स्वीकार करते समय की गई अपनी उन घोषणाएं को वापिस लेना चाहिए जो उसके अनुच्छेद 5(क), 16(1) तथा 16(2) की स्वीकार्यता को उचित ठहराती हैं।
- ✓ न्यायिक अधिकारियों तथा पुलिस सहित लोकसेवकों को महिलाओं के अधिकारों तथा कानूनों के तहत उनकी सुरक्षा करने संबंधी कर्तव्यों के संबंध में सुग्राही बनाने की आवश्यकता है।
- ✓ महिलाओं के लिए बनाए गई परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के संबंध में सेवा प्रदान करने के लिए नियुक्त लोक सेवकों को भी उनके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों में प्रशिक्षित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
- ✓ सभी पणधारियों को नए कानूनों, परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के बारे में उनके द्वारा समझी जाने वाली सरल भाषा में बताया जाना चाहिए।
- ✓ निधियों का 50 प्रतिशत जिसे कंपनियां वर्तमान में सी0एस0आर0 गतिविधियों पर खर्च करती हैं, को ऐसी परियोजनाओं तथा गतिविधियों के लिए निर्धारित कर दिया जाना चाहिए जो महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से लाभांशित करती हैं एवं सशक्त बनाती हैं।

IV. महिलाओं एवं लड़कियों का अवैध मानव व्यापार

शुरुआत से ही कार्यसमूह-IV के अध्यक्ष को महिलाओं एवं बच्चों के अवैध मानव व्यापार के संबंध में सिफारिशें/सुझाव तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उसने अपनी विवेचनाओं एवं सिफारिशों के लिए एक संरचना कोअंगीकार करने का निर्णय लिया। नीचे दी गई संरचना पर निर्णय लिया गया :

1. महिलाओं और लड़कियों के अवैध व्यापार की समस्या का विस्तार क्षेत्र, जटिलता तथा विभिन्न आयाम।
2. इस समस्या से निपटने के लिए विद्यमान विधिक संरचना की उपयुक्तता या अन्यथा।
3. प्रवर्तन संबंधी मुद्दे अर्थात् पुलिस, अभियोजन, न्यायपालिका में प्रवर्तन अधिकारियों का प्रशिक्षण तथा संबंधित क्षेत्रों में क्षमता निर्माण।
4. बचाव तथा पुनर्वास संबंधी मुद्दे।
5. अवैध मानव व्यापार की समस्या की गंभीरता के बारे में जागरुकता का सृजन तथा मांग को कम करने के दृष्टिकोण से जनता को शिक्षा देना।

6. अवैध मानव व्यापार को रोकने तथा उससे लड़ने के लिए अपनी परिस्थिति का फायदा उठाने की तकनीक।
7. समन्वय एवं मॉनीटरिंग के लिए संस्थागत संरचना का सृजन।

1. देश के भीतर तथा देश के बाहर, दोनों जगहों पर समस्या का विस्तार क्षेत्र तथा जटिलता

देश के अंदर तथा बाहर बुनियादी वास्तविकता को जानने के लिए अनुसंधान अध्ययनों, सर्वेक्षणों, कार्य अनुसंधान तथा संवेदनशीलता अन्वेषण के रूप में आवश्यकता-आधारित परिस्थिति मूल्यांकन करना।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा अवैध मानव व्यापार के संबंध में विगत में किया गया कार्य अनुसंधान एक दशक से भी पुराना है और 10 वर्ष की अवधि के दौरान अवैध व्यापार तथा अवैध व्यापार रोधी गतिविधियों के आयामों में व्यापक परिवर्तन आ गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को अवैध मानव व्यापार के सभी पहलुओं पर व्यापक अनुसंधान/सर्वेक्षण करना चाहिए या ऐसा करने में मदद करनी चाहिए। इस संदर्भ में टी0आई0एस0एस0 द्वारा अवैध व्यापार पर व्यापक अनुसंधान करने का प्रस्ताव प्रासंगिक है।

एकत्रित की जाने वाली जानकारी अधिक स्पष्ट होनी चाहिए, उसका लक्ष्य नीतियों को प्रभावित करना तथा अवैध व्यापार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों तथा उपलब्ध पहलों में विद्यमान अंतर को समाप्त करना होना चाहिए। ऐसी जानकारी में कारण, अवैध व्यापार के प्रकार तथा तरीके, अवैध व्यापार के संबंध में सामुदायिक प्रतिक्रिया, लिंग भेद तथा लिंग-विशिष्ट आधारित हिंसा तथा अवैध व्यापार करने वाले संघों की कार्यशैली का मूल्यांकन शामिल होना चाहिए।

सूचना एकत्रित करने का परिणाम होगा – राष्ट्रीय डाटाबेस तथा केन्द्रीकृत इन्फो-फोकल प्वाइंट का विकास। इसमें भिन्न-भिन्न प्रकार के आंकड़े जैसे कि लिंग, आयु तथा श्रेणी, पीड़ित से संबंधित, आरंभ, पारगमन तथा गंतव्य स्थान, अवैध व्यापार के मार्ग, तौर-तरीके, अवैध व्यापार के पैटर्न, सीमा पार तथा पारदेशीय, अभियोजनों की संख्या तथा परिणाम आदि शामिल किए जाने चाहिए।

आंकड़ों में अवैध व्यापार के नवीनतम रुझान भी शामिल किए जाने चाहिए जैसे कि साईबर प्रोनोंग्राफी, बच्चों का अवैध व्यापार, माईक्रोइक्नॉमिक पॉलिसी तथा अवैध व्यापार प्रवासन पर प्रभाव आदि को भी शामिल किया जाना चाहिए।

2. विद्यमान विधिक संरचना की उपयुक्तता

अवैध व्यापार के संबंध में विद्यमान घरेलू विधायन – अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 को निरस्त करना।

अनैतिक व्यापार प्रोटोकॉल, बच्चों के अधिकार संबंधी अभिसमय तथा महिलाओं के प्रति होने वाले हर प्रकार के भेदभाव का समाप्त करने संबंधी अभिसमय के अनुसरण में लिंग एवं अधिकारों के नजरिये से अवैध मानव व्यापार के संबंध में एक नया व्यापक विधान बनाना।

अवैध व्यापार संबंधी घरेलू विधायन की विषयवस्तु में एजेंट्स या दलाल, कोठे के स्वामी तथा मैनेजर के साथ-साथ संगठित अपराध में प्रयोग किए जाने वाले संस्थागत नेटवर्क सहित अवैध व्यापार करने वालों को सख्ती से अपराधी घोषित करना चाहिए।

अपराध की पीड़ादायक प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने के लिए सख्त दंड दिया जाना चाहिए। इसमें अवैध व्यापार करने वालों के साथ तथा व्यावसायिक यौन शोषण के अन्य अपराधियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने वाले या साठ-गांठ करने वाले व्यक्तियों को सख्त दंड दिया जाना शामिल होना चाहिए।

‘पीड़ित सेवाओं’ के लाभ के लिए परिसंपत्तियों को जब्त करने के लिए उपबंध किए जाने चाहिए। जब्त की गई परिसंपत्तियों को अवैध व्यापार के पीड़ितों के पुनः एकीकरण हेतु तथा सेवा प्रावधान का वित्त पोषण के लिए भी किया जा सकता है।

अवैध व्यापार के पीड़ितों को निःशुल्क विधिक सहायता सहित हर प्रकार का समर्थन और सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसमें उनके अधिकारों तथा कानूनी समाधान तक पहुंच और न्यायालय प्रक्रियाओं संबंधी जानकारी को उस भाषा जिसे वे समझ सकते हैं, को शामिल किया जाना चाहिए।

अवैध व्यापार के पीड़ितों को उनका अवैध व्यापार करने वालों द्वारा किसी भी प्रकार की बदले की कार्रवाई से बचाने को ध्यान में रखते हुए उनकी पहचान तथा हमेशा सुरक्षित रखी जानी चाहिए।

यदि पीड़ित गवाहों को अवैध व्यापार करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाईयों में सुरक्षित तरीके से गवाह के रूप में प्रस्तुत करना है तो राज्य द्वारा उनकी सुरक्षा की आवश्यकता होगी। इसलिए यह जरूरी है कि पीड़ितों तथा उनके परिवार की सुरक्षा के लिए गवाह सुरक्षा कार्यक्रम बनाए जाए। राष्ट्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे कार्यक्रमों से पीड़ितों की गरिमा तथा अधिकारों का हनन न हो।

3. प्रवर्तन

प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ बनाना

प्रत्येक जिले में एक समर्पित अवैध मानव व्यापार रोधी यूनिट होनी चाहिए। इन यूनिटों में समर्पित मानवशक्ति एवं संसाधन होने चाहिए। गुमशुदा बच्चों का पता लगाने पर पूरा जोर देते हुए गुमशुदा बच्चों का एकक/स्कॉड तथा अवैध मानव व्यापार रोधी यूनिट का सही तरह से काम करना। चार्ड्ड हैल्पलाइन, बाल कल्याण समितियों तथा उज्ज्वला के बीच के संबंधों को मजबूत बनाया जाना चाहिए।

प्रशिक्षण पर बल

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विधि प्रवर्तन प्राधिकारियों तथा अधिकारियों को गैर सरकारी/सिविल सोसाइटी आर्गेनाइजेशन के साथ नियमित आधार पर अवैध व्यापार के मामलों की जांच एवं अभियोजन में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

अवैध व्यापार की समस्या के संबंध में पुलिस, न्यायिक प्राधिकारियों, अभियोक्ताओं, सीमा प्रवासन तथा सामाजिक एवं लोक स्वास्थ्य कार्मिकों को सुग्राही बनाने के संबंध में विशेष जोर दिया जाना चाहिए। उनके प्रशिक्षण में अवैध व्यापार के मामलों को रोकने पर, संवेदनशील व्यक्तियों की पहचान करने, अवैध व्यापार से लड़ने तथा पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा करने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।

उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों चलाने के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों के एक पैनल की आवश्यकता होगी। अवैध मानव व्यापार संबंधी बी०पी०आर०डी० प्रशिक्षण को और सुदृढ़ बनाना चाहिए। अवैध व्यापार संबंधी कार्यक्रमों के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने की जिम्मेदारी भी सौंपी जानी चाहिए।

दृष्टिकोण में बदलाव

पुलिस, अभियोक्ता, न्यायिक अधिकारी, डॉक्टर, समाज सेवक, सेवा प्रदाता आदि सहित सभी स्तरों पर लिंग सुग्राहीकरण के संबंध में नियमित प्रशिक्षण होना चाहिए।

4. बचाव एवं पुनर्वास

अवैध व्यापार के पीड़ितों को सहायता

व्यापक विधान में सुनिश्चित किया जाए कि पुनर्वास अनिवार्य है और इसे जवाबदेह बनाया जाए।

पुनर्वास संबंधी उपाय में पीड़ितों की मनोवैज्ञानिक, आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मानवों पर इस संगठित अपराध के विशिष्ट प्रभावों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और मानवीय गरिमा बनाए रखना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

अवैध व्यापार के पीड़ितों को सेवाएं उपलब्ध कराने वाले सरकारी तथा पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों को उनके लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करना चाहिए और आवश्यक सेवाओं की तत्काल उपलब्धता की गारंटी दी जानी चाहिए। इसमें निम्नलिखित शामिल होना चाहिए –

आपत्ति में हस्तक्षेप तथा दीर्घकालिक परामर्श के लिए मनोवैज्ञानिक/परामर्शी सेवाएं; आवश्यकता पड़ने पर जांच एवं देखभाल के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को रैफर करना; निःशुल्क कानूनी सहायता तथा जानकारी तक पहुंच; जीविका के लिए वित्तीय सहायता; तथा अवैध व्यापार करने वालों द्वारा बदला लेने संबंधी कार्रवाई से पीड़ित या उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस सुरक्षा/सहायता।

पीड़ित के अधिकारों तथा निजता की सुरक्षा के लिए और लांछन की स्थिति से बचाने के लिए पीड़ित को न्यायालय में गवाही के दौरान 'इन कैमरा/वीडियो कांफ्रेंसिंग' की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।

अवैध मानव व्यापार संबंधी मामलों की निर्धारित समय के अंदर सुनवाई पूरी करने के लिए फॉस्ट ट्रेक न्यायालयों की स्थापना करना। पीड़ित को गंतव्य देश में अस्थायी कानूनी सहायता उपलब्ध कराना ताकि उसकी तात्कालिक भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक जरूरतें पूरी हो सकें।

अवैध व्यापार के पीड़ितों का पुनर्वास एवं पुनःएकीकरण एक लंबी प्रक्रिया है और इसलिए पीड़ित विशेष की दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई जानी चाहिए। यह प्रयास दंडात्मक नहीं होने चाहिए तथा इनका लक्ष्य पीड़ित के अधिकारों की सुरक्षा करना होना चाहिए।

अवैध व्यापार के पीड़ितों को अक्सर घर वापिस आने पर उनके समुदाय द्वारा समाज से बेदखल कर दिया जाता है। अवैध व्यापार की पीड़ित महिलाओं को पुनःएकीकृत करने के लिए सामुदायिक समर्थन एवं भागीदारी की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि परिवारों और समुदायों को अवैध व्यापार के बारे में जागरूक बनाते हुए और किसी व्यक्ति पर अवैध व्यापार के प्रभाव के बारे में बताते हुए उन्हें इस कार्य के लिए तैयार करना। पीड़ित एक बार फिर अवैध व्यापार का शिकार न हो जाए, इससे बचने के लिए परिवारों तथा समुदायों को पीड़ित के साथ समझ-बूझ सुनिश्चित करने, उसे स्वीकार करने के संबंध में सुग्राही बनाया जाना चाहिए।

अवैध व्यापार के पीड़ितों को राज्य द्वारा औपचारिक तथा अनौपचारिक, दोनों प्रकार की शिक्षा तक पहुंच उपलब्ध कराई जानी चाहिए। वयस्कों को भी शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

लिंग संवेदनशील, बाजार द्वारा उत्प्रेरित पेशेवर प्रशिक्षण बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने चाहिए और इसमें कृषि, माइक्रोक्रेडिट, सूचना प्रौद्योगिकी, तथा वित्तीय प्रबंधन लक्षित प्रशिक्षण शामिल किया गया है। पुनःएकीकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में प्रशिक्षण सुविधा प्रशिक्षण तथा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं के साथ भागीदारी विकसित करने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी पणधारियों को एकजुट होकर कार्य करना होगा।

5. शिक्षा

अवैध व्यापार के मुद्दे विशेषरूप से महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों पर इसके विपरीत प्रभाव के प्रति जागरूकता तथा संवेदीकरण – निवारण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा विशेषतः संवेदनशील समूहों के बीच जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद भी उन्हें ऐसी जगहों पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है जहां यह समस्या तेजी से बढ़ रही है।

इसके अलावा, लिंग संबंधी तथा अधिकार संबंधी किसी भी प्रशिक्षण में आर्थिक अधिकारों के संबंध में कानूनी साक्षरता जरूर होनी चाहिए, विशेषरूप से महिलाओं के लिए। जीवन को प्रभावित करने वाले संसूचित विकल्पों के संबंध में संभाव्य पीड़ितों के पास पर्याप्त जानकारी एवं ज्ञान नहीं है। अवैध मानव व्यापार के अधिकांश पीड़ित यह समझते हैं कि वे घरेलू कार्य में मदद करने, वेट्रेस का कार्य करने, बच्चों को पालने, नर्सिंग कार्य करने जा रहे हैं और उन्हें अच्छा वेतन मिलेगा। वास्तव में सच्चाई कुछ और ही होती है – बलात् वेश्यावृत्ति, बंधुआ मजदूरी और यात्रा दस्तावेजों का छीन लिया जाना।

समुदायों तथा समूहों में सभी स्तरों पर जागरूकता का सृजन करने के प्रयास किए जाने चाहिए। संवेदनशील समूहों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसा करते समय संभाव्य पीड़ितों को अवैध व्यापार के खतरों के बारे

में जागरुक बनाया जाना चाहिए और उसे संभाव्य प्रवासन के संबंध में संसूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाया जाना चाहिए।

लोगों को अखबारों, रेडियो तथा संचार के अन्य तरीकों से सूचना देने और शिक्षित करने की अहम भूमिका—मीडिया की है और अवैध व्यापार से लड़ने के लिए मीडिया को प्रमुख भागीदार के रूप में देखा जाना चाहिए। संस्तुति की जाती है कि मीडिया के व्यक्तियों को इसके दृग्बिषय एवं जटिलताओं के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। इससे आम जनता में इस समस्या की सही रिपोर्टिंग सुनिश्चित होगी।

स्कूलों और यूनीवर्सिटी के पाठ्यक्रमों की पुनरीक्षा करने तथा उसमें संशोधन करके संबंधित मानव अधिकारों एवं लिंग संवेदनशीलता को शामिल करने की आवश्यकता है।

सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्तियों एवं कानून प्रवर्तन कार्मिकों जैसे कि न्यायपालिका, पुलिस, प्रवासन एवं कस्टम अधिकारियों के लिए लिंग एवं अधिकार संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाए। ऐसा करने से इस मुद्दे के बारे में अधिक जानकारी का प्रचार—प्रसार होगा और इस प्रक्रिया से अवैध व्यापार किए गए व्यक्तियों की सुरक्षा एवं हित में सुधार होगा।

पीड़ितों की मनोवैज्ञानिक—सामाजिक एवं व्यवहारिक आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए जांच एवं अभियोजन की तकनीकों पर भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ऐसा करने से विधि प्रवर्तन अधिकारियों को महिलाओं के अधिकारों एवं गरिमा के साथ—साथ अपराधी की अपेक्षा 'पीड़ित' को पहचानने और उसका ख्याल रखने में मदद मिलेगी।

शिक्षा एवं जागरुकता—अवैध व्यापार में बढ़ोतरी का लक्ष्य एयरलाईन्स, होटल, ट्रेवल एजेंट, बार, पैकेज हॉलिडे कंपनियों आदि सहित पर्यटन उद्योग पर भी लक्षित होती है।

अवैध व्यापार के विभिन्न स्वरूपों की मांग को लक्ष्य बनाने के लिए लक्षित संचार रणनीतियों को लागू करना चाहिए।

शिक्षा, ग्रामीण विकास आदि जैसे सभी मंत्रालयों को अपने नियमित प्रयासों में अवैध व्यापार संबंधी सहयोगी कारकों को मुख्यधारा में लाना चाहिए।

6. अवैध व्यापार तथा संबंधित मुद्दों से लड़ने के लिए परिस्थिति का लाभ उठाने की तकनीक

जांच, प्रलेखन, निवारण, प्रस्तुति आदि सहित विधि प्रवर्तन के सभी पहलुओं में तकनीक का समावेशन करना।

मामलों की सुनवाई के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा की मदद लेना ताकि पीड़ित और गवाहों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

बी0बी0ए0 बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय तथा मामले की गंभीरता पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की चिंता के आलोक में गुमशुदा बच्चों के मुद्दे को संबोधित करने के लिए विधि प्रवर्तन

एजेंसियों को तकनीक से सुसज्जित करना आवश्यक है। इस संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा भारत में ट्रेक दि मिसिंग चाईल्ड, जिपनेट के साथ-साथ अन्य नूतन कार्यक्रम जैसे कि 'मिसिंग चाईल्ड अलर्ट' जैसे अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकता जैसी विभिन्न योजना परियोजना को मदद दी जा सकती है। डाटा की डिजिटल रिकार्डिंग तथा उसके प्रसार-प्रदान में मदद की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग; गृह मंत्रालय, एम0डब्ल्यू0सी0डी0, एम0ओ0एल0, एन0सी0पी0सी0आर0, एन0सी0डब्ल्यू0, अंतर्राष्ट्रीय योजना आदि के साथ-साथ विभिन्न तकनीकी एजेंसियों सहित योगुमशुदा बच्चों के मुद्दे को संबोधित करने में शामिल सभी पणधारियों का एक सम्मेलन आयोजित कर सकता है और पणधारियों को एक साझा मंच पर लाकर बेहतर से बेहतर तरीके से तकनीकी एकीकरण में मदद कर सकता है।

निवारणात्मक रणनीतियों के प्रयोजनार्थ तथा अपराध की पहचान करने के लिए तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए।

7. समन्वय एवं मॉनीटरिंग तंत्र के लिए संस्थागत संरचना का सृजन करना

अवैध मानव व्यापार के संबंध में विशेषतः महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार के संबंध में किए गए असाधारण कार्य के लिए जिला एवं राज्य प्राधिकारियों द्वारा पुरस्कार प्रणाली को संस्थागत बनाना।

विशालजीत तथा गौरव जैन मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर सभी राज्य सरकारों ने राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तथा जिला स्तरों पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में समितियों का गठन कर लिया है। सृजन हो जाने के बाद भी यह निकाय वर्तमान में कार्यशील नहीं हैं। इन्हें सक्रिय एवं मजबूत बनाया जाना चाहिए। राज्य मानव अधिकार आयोगों द्वारा इनके कार्यों की मॉनीटरिंग की जा सकती है।

देश भर में तथा क्षेत्रीय स्तर पर गतिविधियों के कार्यान्वयन, समन्वयन तथा मॉनीटरिंग विशेषतः अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवैध मानव व्यापार मुद्दों की मॉनीटरिंग करने की आवश्यकता है। इस निकाय को तत्काल ही स्थापित करने की आवश्यकता है और इसे राष्ट्रीय अवैध मानव रोधी एजेंसी (एन ए एच टी ए) नाम दिया जा सकता है।

अवैध मानव व्यापार से बचाए गए व्यक्तियों के प्रभावी पुनर्वास के लिए कौशल निर्माण संबंधी एजेंसियों का देखभाल उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों के साथ संस्थागत संबंध आवश्यक है। राष्ट्रीय कौशल निर्माण प्राधिकरण को अवैध व्यापार के पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु विशेष योजनाएं तैयार करने के लिए कहा जा सकता है और उसे सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों को उपलब्ध कराया जा सकता है। राज्य मानव अधिकार आयोगों द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में एक फोकल प्वाइंट द्वारा मदद की जा सकती है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा राष्ट्रीय कौशल निर्माण प्राधिकरण सहित संबंधित पणधारियों की एक बैठक का आयोजन किया जा सकता है।

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि देश और क्षेत्र में अवैध मानव व्यापार को रोकने तथा इससे लड़ने के लिए भारत सरकार के कई मंत्रालय एवं विभाग, विभिन्न राज्य सरकारें, गैर सरकारी संगठन, कॉरपोरेट, महिला आयोग, बाल अधिकार आयोग, आई0एन0जी0ओ0 आदि विभिन्न गतिविधियों में शामिल हैं, ऐसा महसूस किया गया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अवैध मानव व्यापार रोधी फोकल प्वाइंट को पुनःप्रचालित करना, कार्यशील और प्रभावी बनाना आवश्यक है।

उपसंहार

अवैध मानव व्यापार की समस्या विशेषतः महिलाओं एवं लड़कियों के अवैध व्यापार की समस्या का आयाम बहुत ही विशालकाय है। इसे बड़े पैमाने पर नजरअंदाज, रिपोर्ट नहीं किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप इसकी तरफ उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। हालांकि अवैध मानव व्यापार से लड़ने और रोकने में उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं, किन्तु प्रतिक्रिया बहुत ही असमान रही है। समग्र रूप से देखा जाए तो वर्तमान प्रतिक्रिया प्रणाली इस कार्य के लिए अपर्याप्त है। अब समय आ गया है कि अवैध मानव व्यापार — जो अवैध व्यापार किए गए व्यक्ति के शरीर एवं मस्तिष्क, दोनों का हनन करता है, पर यथोचित ध्यान दिया जाए और उस गंभीरता से निपटारा किया जाए जो इसके लिए जरूरी है।

महिलाओं और बच्चों पर विशेषरूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा युनिसेफ के साथ मिलकर वर्ष 2007-08 में अवैध मानव व्यापार को रोकने तथा इससे लड़ने के लिए एक व्यापक एवं एकीकृत कार्य योजना तैयार की थी। उपरोक्त सिफारिशों ने उक्त एकीकृत कार्ययोजना को मूर्त रूप दिया उसमें की गई सिफारिशों का समर्थन किया। एकीकृत कार्य योजना की पुनरीक्षा करने और इसमें संशोधन करने के लिए इन सिफारिशों को एम0डब्ल्यू0सी0डी0 को अग्रेषित करने की आवश्यकता है।

////

अनुलग्नक - 14

पैरा 12.4

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा वर्ष 2013-2014 के दौरान आयोजित किए गए कार्यक्रम

क्र.सं.	संस्थान/संगठन का नाम	आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संख्या	स्थान	कार्यक्रम की तारीख तथा प्रतिभागियों की संख्या
1.	केरल विकास सोसाईटी, दिल्ली (के0डी0एस0) 811-ए, टी0सी0 जैना टॉवर-1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058	मानव अधिकारों के संबंध में दो (एक दिवसीय) जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	टोंक एवं करौली	12 एवं 16 दिसम्बर, 2013 116 एवं 128 प्रतिभागी
2.	जन मित्र न्याय एस0ए0 4/2ए, दौलतपुर, वाराणसी-221002 (उत्तर प्रदेश)	मानव अधिकारों के संबंध में दो (एक दिवसीय) सेमिनार।	वाराणसी मिर्जापुर	18 जनवरी, 2014 16 फरवरी, 2014 450 प्रतिभागी
3 ^ए	ऑल इंडिया डिजास्टर मिटिगेशन इंस्टीच्यूट, 411, साकार फाईव, नटराज सिनेमा के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009 गुजरात	असम, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, बिहार, लक्षद्वीप, ओडिशा तथा तमिलनाडु राज्यों में "मानव अधिकार तथा आपदा जोखिम प्रबंधन" के संबंध में आयोजित किए जाने वाले छः (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	असम ओडिशा अंडमान एवं निकोबार द्वीप बिहार लक्षद्वीप, एवं तमिलनाडु	20 नवम्बर, 2013 49 प्रतिभागी 31 अक्टूबर, 2013 119 प्रतिभागी 8 जनवरी, 2014 28 जनवरी, 2014 12 फरवरी, 2014 14 फरवरी, 2014
4.	डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	मानव अधिकारों के संबंध में प्रशिक्षकों का एक (तीन दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी	21 से 23 अक्टूबर, 2013 50 प्रतिभागी
5 ^ए	हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन, करनाल, हरियाणा	मानव अधिकारों के संबंध में चार (दो दिवसीय) एडवांस्ड लेवल प्रशिक्षण कार्यक्रम		25 से 26 नवम्बर, 2013 489 प्रतिभागी 29 से 30 नवम्बर, 2013 500 प्रतिभागी 30 से 31 दिसम्बर, 2013 171 प्रतिभागी 16 से 17 जनवरी, 2014 72 प्रतिभागी

क्र.सं.	संस्थान/संगठन का नाम	आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संख्या	स्थान	कार्यक्रम की तारीख तथा प्रतिभागियों की संख्या
6'	उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग, 1सी, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून (उत्तरांचल)	कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों के लिए मानव अधिकारों के संबंध में एक (दो दिवसीय) संवेदीकरण कार्यक्रम	होटल मधुबन, देहरादून	20 एवं 21 दिसम्बर, 2013
7.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, बरेली भाखा, 35-डी/3, रामपुर गार्डन, सिविल लाईन्स, बरेली-243001	मानव अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) सेमिनार	खंडेलवाल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस एण्ड टेक्नॉलजी, बरेली	03 अक्टूबर, 2013 127 प्रतिभागी
8.	पश्चिम बंगाल मानव अधिकार आयोग, भवानी भवन (दूसरा तल), अलीपुर, कोलकाता-700027 (पश्चिम बंगाल)	मूल मानव अधिकार जागरूकता सृजन संबंधी एक (एक दिवसीय) उन्मुखी कार्यक्रम दक्षिण 24 परगना, नादिया, बीरभूम, मुर्शिदाबाद तथा दार्जिलिंग के लिए मानव अधिकार जागरूकता सृजन संबंधी पांच (एक दिवसीय) जिला स्तरीय उन्मुखी कार्यक्रम	मैनक टूरिस्ट लॉज, कांफ्रेंस हॉल, सिलिगुड़ी दक्षिण 24 परगना नादिया बीरभूम मुर्शिदाबाद दार्जिलिंग	30 नवम्बर, 2013 14 फरवरी, 2014 27 दिसम्बर, 2013 10 जनवरी, 2014 17 जनवरी, 2014 21 फरवरी, 2014
9.	हंसराज जीवनदास कॉलेज ऑफ एजुकेशन, डॉ० माधुरी शाह परिसर, रामकिशन मिशन मार्ग, खार (पश्चिम) मुम्बई-400052	“महिला एवं मानव अधिकार – क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम” के संबंध में एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	हंसराज जीवनदास कॉलेज ऑफ एजुकेशन	23 दिसम्बर, 2013 100 प्रतिभागी
10.	मिजोरम विधि कॉलेज, टुईकॉल सी, आइजॉल, मिजोरम-796001	कमजोर वर्गों के मानव अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) मूल प्रशिक्षण कार्यक्रम	इन्फार्मेशन एण्ड पब्लिक रिलेशन कांफ्रेंस हॉल, आइजॉल	12 मार्च, 2014
11.	भगवान परशुराम तकनीकी संस्थान, एरिया-4, सैक्टर-17, डॉ० के.एन. काटजू मार्ग, रोहिणी, दिल्ली-110089	मानव अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) मूल प्रशिक्षण कार्यक्रम	भारतीय ब्राह्मण चैरिटेबल ट्रस्ट, सैक्टर-17, रोहिणी दिल्ली	13 नवम्बर, 2013 124 प्रतिभागी
12.	डॉ० अनुष्का विधि महाविद्यालय, ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे, प्रताप नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर-313001 (राजस्थान)	मानव अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	इंस्टीच्यूट का सेमिनार हॉल	16 नवम्बर, 2013 128 प्रतिभागी
13.	मेवाड़ विधि संस्थान, 4-सी, वसुंधरा, गाजियाबाद-201012, उत्तर प्रदेश	मानव अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	कॉलेज ऑडिटोरियम	11 दिसम्बर, 2013 416 प्रतिभागी
14.	आर०जी० (पी.जी.) कॉलेज, विजय नगर के सामने, वेस्टर्न कचहरी रोड, मेरठ-250001, उत्तर प्रदेश	मानव अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम : सामाजिक-राजनीतिक सुविचारों का मापदंड	कॉलेज	16 दिसम्बर, 2013 250 प्रतिभागी

क्र.सं.	संस्थान/संगठन का नाम	आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संख्या	स्थान	कार्यक्रम की तारीख तथा प्रतिभागियों की संख्या
15.	उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क, जनार्दन राय नगर, राजस्थान विद्यापीठ, प्रतापनगर, उदयपुर-313001 (राजस्थान)	समाजिक कार्य के छात्रों के लिए मानव अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	इंस्टीच्यूट का सेमिनार हॉल	28 मार्च, 2014
16.	ह्यूमन राइट्स फ्रंट, 298, गंगा नगर, यूनिट-6, भुवनेश्वर-751003 (ओडिशा)	तीन जिलों के लिए मानव अधिकारों के संबंध में तीन (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	डी0आर0डी0ए0 कांफ्रेंस हॉल, जिला गंजम डी0आर0डी0ए0 कांफ्रेंस हॉल, जिला बोलनगीर मृदा संरक्षण सम्मेलन कक्ष, जिला नौपद	25 जनवरी, 2014 102 प्रतिभागी 29 जनवरी, 2014 114 प्रतिभागी 31 जनवरी, 2014 106 प्रतिभागी
17.	इंस्टीच्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट, आदित्य एन्क्लेव, कानन विहार के नजदीक, फेस-2, पोस्ट ऑफिस पटिआ, भुवनेश्वर, ओडिशा	मानव अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) मूल प्रशिक्षण कार्यक्रम	जिला परिषद सम्मेलन कक्ष, फूलबानी, कांधामल	22 जनवरी, 2014 130 प्रतिभागी
18.	पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, दरोह, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)	मानव अधिकारों के संबंध में दो (एक दिवसीय) एडवांस्ड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, दरोह	21 एवं 22 फरवरी, 2014 तथा 17 एवं 18 मार्च, 2013
19.	बेथेनी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज, नूजीबालथिला, पुत्तुर तालुक (डी0के0)-574221	मानव अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	बेथेनी कॉलेज साईंस ऑडिटोरियम	20 दिसम्बर, 2013 109 प्रतिभागी
20.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, नयनमरमूला, विद्यानगर पोस्ट ऑफिस, कसारागोद-671123 (केरल)	मानव अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कसरगोड़	10 दिसम्बर, 2013
21.	चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, न्याय नगर, मीठापुर, पटना-800001 (बिहार)	महिलाओं के अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	मूट कोर्ट हॉल, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी	1 दिसम्बर, 2013 207 प्रतिभागी
22.	क्राईस्ट यूनिवर्सिटी, होसुर रोड, बंगलौर-560029 (कर्नाटक)	मानव अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	सामाजिक कार्य विभाग, क्राईस्ट यूनिवर्सिटी	3 दिसम्बर, 2013 100 प्रतिभागी
23.	मनोनमणियम सुंदरानार यूनिवर्सिटी, अभिशोकपट्टी, तिरुनेलवेली-627012 (तमिलनाडु)	मानव अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	यूनिवर्सिटी का सीनेट हॉल	10 दिसम्बर, 2013
24.	धेम्पे कॉलेज ऑफ आर्ट्स एण्ड साईंस, मीरामार, पंजिम, गोवा-403001	मानव अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	गोवा साईंस सेंटर ऑडिटोरियम, मीरामार-पंजिम, गोवा	30 जनवरी, 2014
25.	कुरुनजी वेंकटरमन्ना गौडा लॉ कॉलेज, सुल्लिआ, डी0के0-574239 (कर्नाटक)	पत्रकारिता के मानव अधिकार संबंधी पहलुओं के संबंध में एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	के0वी0जी0 लॉ कॉलेज	15 फरवरी, 2014 132 प्रतिभागी

क्र.सं.	संस्थान/संगठन का नाम	आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संख्या	स्थान	कार्यक्रम की तारीख तथा प्रतिभागियों की संख्या
26.	महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, महाराजा अग्रसेन चौक, प्लॉट सं० 1, सैक्टर-22, रोहिणी, दिल्ली-110086	भारत में मानव अधिकार: के संबंध में एक मौलिक उन्मुखी कार्यक्रम	कॉलेज का कैम्पस ऑडिटोरियम	8 मार्च, 2014
27.	मार इवानिओस कॉलेज, मार इवानिओस विद्या नगर, बेथेनी हिल्स, नालनचीरा, थिरुवनंथपुरम, (केरल)	महिलाओं के मानव अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	मार ग्रेगोरियस सम्मेलन कक्ष	5 दिसम्बर, 2013 100 प्रतिभागी
28.	एन0एस0एस0 ट्रेनिंग कॉलेज, पंडालम, पटानमथिट्टा जिला, (केरल)	मानव अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	एन0एस0एस0 प्रशिक्षण कॉलेज	12 दिसम्बर, 2013 156 प्रतिभागी
29.	स्कूल ऑफ लॉ, के0आई0आई0टी0 यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर-751024 (ओडिशा)	मानव अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	विश्वविद्यालय परिसर	8 फरवरी, 2014 लगभग 125 प्रतिभागी
30.	शेषाद्रिपुरम लॉ कॉलेज, शेषाद्रिपुरम, बंगलौर-560020 (कर्नाटक)	मानव अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) मूल प्रशिक्षण कार्यक्रम	ए0सी0 सेमिनार हॉल, शेषाद्रिपुरम एजुकेशनल ट्रस्ट, बंगलौर	15 फरवरी, 2014 108 प्रतिभागी
31.	श्री नारायण कॉलेज, नेदुवरमकोडू पोस्ट ऑफिस, चेन्नानुर-689508 (केरल)	बच्चों के अधिकार: एक अंतरावलोकन के संबंध में एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	सेमिनार हॉल, एस0एन0 कॉलेज, छेंगन्नूर	9 जनवरी, 2014
32.	श्री नारायण ट्रेनिंग कॉलेज, नेदुनगंदा, थिरुवनंथपुरम (केरल)	बच्चों के अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	कॉलेज ऑडिटोरियम	6 जनवरी, 2014 100 प्रतिभागी
33.	सेंट माईकल्स कॉलेज, माईथारा पोस्ट ऑफिस, छेरथाला-688539 (केरल)	महिलाओं के अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	सेमिनार हॉल, सेंट माईकल्स कॉलेज	28 जनवरी, 2014 102 प्रतिभागी
34.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, बदायूं भाखा, राम कुटीर, मुख्य गुरुद्वारा के पास, बदायूं-243601 (उत्तर प्रदेश)	मानव अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	बी0आई0एम0टी0 कॉलेज, ककराला रोड, बदायूं	10 फरवरी, 2014 125 प्रतिभागी
35.	पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण महानिदेशालय, जयपुर (राजस्थान)	मानव अधिकारों के संबंध में आठ (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम पी0टी0सी0 जोधपुर (2), खेरवाड़ (1), झालावाड़ (4) तथा बीकानेर (1) पुलिस अकादमी, जयपुर के लिए मानव अधिकारों के संबंध में एक (दो दिवसीय) एडवांस्ड लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम	पी0टी0सी0 जोधपुर (2 कार्यक्रम) पी0टी0एस0- खेरवाड़ा पी0टी0एस0 - जालावार (4 कार्यक्रम) पुलिस मोटर ड्राइविंग स्कूल, बीकानेर (1 कार्यक्रम)	24 जनवरी, 2014 28 फरवरी, 2014 28 जनवरी 2014 16 फरवरी, 2014 30 जनवरी, 2014 12 फरवरी, 2014 27 फरवरी, 2014 28 फरवरी 2014 20-21 मार्च, 2014

क्र.सं.	संस्थान/संगठन का नाम	आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संख्या	स्थान	कार्यक्रम की तारीख तथा प्रतिभागियों की संख्या
36.	महाराष्ट्र राज्य पुलिस मुख्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, कोलाबा, मुम्बई-400001 (महाराष्ट्र)	पी0टी0सी0 खंडाला के लिए मानव अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) मूल प्रशिक्षण कार्यक्रम	पी0टी0सी0 खंडाला, ट्रेनिंग ड्रिल शेड हॉल, जिला पुणे	8 फरवरी, 2014
37.	महाराजा रंजीत सिंह पंजाब पुलिस अकादमी, फिल्लौर-144410, जालंधर (पंजाब)	मानव अधिकारों के संबंध में एक (दो दिवसीय) एडवांस्ड लेवल प्रशिक्षण कार्यक्रम	मुख्य कांफ्रेंस हॉल, एम0आर0एस0पी0पी0 अकादमी परिसर, फिल्लौर	10 एवं 11 मार्च, 2014
38.	सैकरेड हार्ट कॉलेज, थेवारा, कोच्चि-682013 (केरल)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 तथा भारत में मानव अधिकार संरक्षण विषय पर एक (एक दिवसीय) कार्यशाला	सेमिनार हॉल, एस0एच0 कॉलेज	29 नवम्बर, 2013 263 प्रतिभागी
39.	श्रीराम कॉलेज ऑफ लॉ, सर्कुलर रोड, मुजफ्फरनगर-251002 (उत्तर प्रदेश)	मानव अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) मूल प्रशिक्षण कार्यक्रम	एस0आर0 कॉलेज ऑफ लॉ, मुजफ्फरनगर	16 एवं 17 नवम्बर, 2013 108 प्रतिभागी
40.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, दूसरा तल, कार्य सौध, गुलबर्गा विश्वविद्यालय परिसर, गुलबर्गा-585106 (कर्नाटक)	मानव अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	यूनिवर्सिटी कैम्पस	22 फरवरी, 2014
41.	चन्द्रप्रभु जैन कॉलेज ऑफ हॉयर स्टडीज एण्ड स्कूल ऑफ लॉ, प्लॉट नं0 ओ.सी.एफ., सैक्टर ए-8, नरेला, नई दिल्ली-110040	महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा : अंतर्राष्ट्रीय एवं भारतीय दृष्टिकोण विषय पर एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	सी0पी0जे0 कैम्पस, नरेला, दिल्ली	28 फरवरी, 2014
42.	दलित मित्र कदम गुरुजी साईंस कॉलेज, मंगलवेधा ताल, मंगलवेधा शोलापुर-413305 (महाराष्ट्र)	बच्चों के अधिकार या महिलाओं के अधिकार – किसी एक विषय पर एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	दलित मित्र कदम गुरुजी साईंस कॉलेज	9 मार्च, 2014
43.	दयानन्द ब्रिजेन्द्र स्वरूप (पी0जी0) कॉलेज, देहरादून-248001 (उत्तराखंड)	मानव अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम मानव अधिकार जागरुकता एक मूल्य विकास – वर्तमान मुद्दे पर एक (एक दिवसीय) राष्ट्रीय सेमिनार	गोल्डन जुबली ऑडिटोरियम, डी0बी0एस0 कॉलेज, देहरादून डी0बी0एस0 कॉलेज, देहरादून	20 नवम्बर, 2013 100 प्रतिभागी 14 एवं 15 फरवरी, 2014
44.	सेंट जॉन्स कॉलेज, अंचल, कोल्लम-691306 (केरल)	भारत में महिलाएं तथा मानव अधिकार विषय पर एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	ऑडियो विजुअल थियेटर	4 फरवरी, 2013
45.	गवर्मेन्ट कॉलेज, अतिंगल, थिरुवनंथपुरम-689101 (केरल)	महिलाओं के अधिकार तथा राज्य का विकास विषय पर एक (एक दिवसीय) सेमिनार	कॉमर्स सेमिनार हॉल, गवर्मेन्ट कॉलेज, अतिंगल	17 जनवरी, 2014

क्र.सं.	संस्थान/संगठन का नाम	आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संख्या	स्थान	कार्यक्रम की तारीख तथा प्रतिभागियों की संख्या
46.	जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर-342001 (राजस्थान)	मानव अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	सेमिनार हॉल, गांधी शांति प्रतिष्ठान, रेजिडेंसी रोड, जयपुर	3 फरवरी, 2014
47.	के0एल0ई0 सोसाईटीज बी.वी. बेलॉड लॉ कॉलेज, बेलगाम-590001 (कर्नाटक)	मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य के अधिकार के संबंध में एक (एक दिवसीय) सेमिनार	के0एल0ई0 सोसाईटीज बी.वी. बेलॉड लॉ कॉलेज	15 मार्च, 2014 151 प्रतिभागी
48.	के0एल0ई0 सोसाईटीज लॉ कॉलेज, पोस्ट बॉक्स:1059, दूसरा ब्लॉक, राजाजीनगर, बंगलौर-560010 (कर्नाटक)	बच्चों के अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	कॉलेज का शारदा सभागान ऑडिटोरियम	10 फरवरी, 2014
49.	लिंगया ललिता देवी इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड साईंस, 847-848, मंडी रोड, मंडी, नई दिल्ली-110047	व्दम :व्दम.क्लंद्ध छंजपवदंसैमउपदंत वद भनउंद त्पहीजे जूतमदमे.ध्वबने वद बिपसक त्पहीजे	एल0ए0डी0 आई0एम0एस0 ऑडिटोरियम	7 फरवरी, 2014 110 प्रतिभागी
50.	महर्षि दयानन्द कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पी0बी0 संख्या 14, बी.एस.एफ. के नजदीक, हनुमानगढ़ रोड, अबोहर-152116 (पंजाब)	महिलाओं के अधिकार-मानवता के लिए क्रएक लड़ाई विषय पर एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	कॉलेज ऑडिटोरियम	21 फरवरी, 2014
51.	पेरियार ई0वी0आर0 कॉलेज, तिरुचिरापल्ली-620023 (तमिलनाडु)	मानव अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) मूल प्रशिक्षण कार्यक्रम	कॉलेज ऑडिटोरियम	8 जनवरी, 2014 113 प्रतिभागी यू0सी0 प्राप्त हुआ
52.	श्री विजयसिन्हा यादव आर्ट्स एण्ड साईंस कॉलेज, लटवडे रोड, पेठ-वदगांव, ताल: हतकनंगले, कोल्हापुर-416112 (महाराष्ट्र)	मानव अधिकार: महत्व, आवश्यकता तथा चुनौतियां विषय पर एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	ऑडिटोरियम श्री शाहू शिक्षाने प्रसारक सेवा मंडल, जिला कोल्हापुर	7 जनवरी, 2014 163 प्रतिभागी
53.	विद्यान महाविद्यालय, संगोला, ताल, संगोला, शोलापुर-413307 (महाराष्ट्र)	बच्चों के अधिकारों या महिलाओं के अधिकारों में से किसी एक विषय पर एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	शांतिनिकेतन हॉल, विद्या महाविद्यालय संगोला	3 फरवरी, 2014 105 प्रतिभागी
54.	भारती विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, यशवंतराव चव्हाण इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल साईंस एण्ड रिसर्च, एरांदावाने, पुणे (महाराष्ट्र)	मानव अधिकारों के संरक्षण के बारे में एक (एक दिवसीय) जागरूकता कार्यक्रम।	कांफ्रेंस हॉल, वाई0सी0आई0एस0 एस0आर0, पुणे	25 फरवरी, 2014
55.	न्यू होराइजेंस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, 100 फुटा रोड, इन्दिरानगर, बंगलौर-560008 (कर्नाटक)	मानव अधिकार तथा शिक्षा विषय पर एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	न्यू होराइजेंस कॉलेज ऑफ एजुकेशन	3 मार्च, 2014 104 प्रतिभागी
56.	बरेली कॉलेज, बरेली-243001 (उत्तर प्रदेश)	मानव अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) मूल प्रशिक्षण कार्यक्रम	बरेली कॉलेज	10 मार्च, 2014 100 प्रतिभागी

क्र.सं.	संस्थान/संगठन का नाम	आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संख्या	स्थान	कार्यक्रम की तारीख तथा प्रतिभागियों की संख्या
57.	अमेटी लॉ स्कूल-2, अमेटी यूनिवर्सिटी, अमेटी यूनिवर्सिटी कैम्पस, सैक्टर-125 नौएडा गौतम बुद्ध नगर, (उत्तर प्रदेश)	मानव अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) मूल प्रशिक्षण कार्यक्रम	1-2 ब्लॉक, मूट कोर्ट हॉल, अमेटी यूनिवर्सिटी कैम्पस, उत्तर प्रदेश	10 मार्च, 2014
58.	गवर्मेन्ट पी0जी0 कॉलेज, लांसडाउन (जयहरीखाल), पौड़ी गढ़वाल-246193 (उत्तराखंड)	मानव अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	गवर्मेन्ट पी0जी0 कॉलेज	3 मार्च, 2014 222 प्रतिभागी
59.	रोज़ेरी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एण्ड आर्ट्स, नवेलिम, सालसेट, गोवा-403707	“महिलाओं के अधिकारों” के संबंध में एक (एक दिवसीय) राष्ट्रीय मानव अधिकार सेमिनार	कॉलेज	8 मार्च, 2014
60.	नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल वर्क एण्ड सोशल साइंस, 3, चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर-751023 (ओडिशा)	कमजोर वर्गों के मानव अधिकार विषय पर दो (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	निसवॉस, मुख्य कैम्पस, 3 चन्द्रशेखरपुर निसवॉस का ट्राईबल कैम्पस, गंगपुर, सुंदरगढ़	8 फरवरी, 2014 22 फरवरी, 2014
61.	अलूमनी एसोसिएशन – सेंट जोसेफ हाई स्कूल, जिला एरनाकुलम, केरल	मानव अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	एम0ए0एम0 ऑडिटोरियम, पिरावोम	16 फरवरी, 2014 192 प्रतिभागी
62.	इंस्टीच्यूट ऑफ पार्लियामेंटरी अफेयर्स, केरल सरकार, थिरुवनंथपुरम	स्कूल समन्वयकों के लिए तीन उन्मुखी कार्यक्रम जिला समन्वयकों मानव अधिकार शिक्षा क्लबों के संसाधन व्यक्तियों के लिए एक (दो दिवसीय) उन्मुखी कार्यक्रम	कांग्रेस हॉल, सरकारी गेस्ट हाउस, थिरुवनंथपुरम सरकारी गेस्ट हाउस, बेन्क्वेट हॉल, एरनाकुलम कोझिकोड, सिटी सर्विस बैंक ऑडिटोरियम, छलाप्पुरम बेन्क्वेट हॉल, सरकारी गेस्ट हाउस, थिरुवनंथपुरम	17 फरवरी, 2014 22 फरवरी, 2014 25 फरवरी, 2014 25 एवं 26 मार्च, 2014
63.	इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक, अनुप्पुर-484 886, (मध्य प्रदेश)	जनजातीय छात्रों के मानव अधिकार विषय पर एक (एक दिवसीय) संवेदीकरण कार्यक्रम	इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक	11 मार्च, 2014 100 प्रतिभागी
64.	सेंट टेरेसा इंस्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन, एस0वी0 रोड, सांता क्रूज (पश्चिम) मुम्बई-400054 (महाराष्ट्र)	मानव अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	सेंट टेरेसा इंस्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन	18 मार्च, 2014
65.	के.एल0ई0 सोसाईटी गुरुसिदप्पा कोटाम्बरी लॉ कॉलेज, विद्यानगर, हुबली-580031 (कर्नाटक)	महिलाओं के अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) कार्यशाला	कॉलेज ऑडिटोरियम, जी0के0 लॉ कॉलेज	11 मार्च, 2014
66.	लॉ कॉलेज दुर्गापुर, जी0टी0 रोड, राजबंघ, दुर्गापुर-713212, बुर्दवान	मानव अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) मूल प्रशिक्षण कार्यक्रम	लॉ कॉलेज, दुर्गापुर	15 मार्च, 2014 150 प्रतिभागी

क्र.सं.	संस्थान/संगठन का नाम	आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संख्या	स्थान	कार्यक्रम की तारीख तथा प्रतिभागियों की संख्या
67.	लॉ सेंटर – 1, फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली	एक (तीन दिवसीय) नेशनल मूट कोर्ट कम्पीटीशन	एल0सी0-1, फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली यूनिवर्सिटी	7-9 मार्च, 2014
68.	बिशब मूर कॉलेज, मावेलीकारा, केरल	महिलाओं एवं लड़कियों के मानव अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	कॉलेज सेमिनार हॉल	22 मार्च, 2014
69.	सत्यबामा यूनिवर्सिटी, जेप्पिआर नगर, राजीव गांधी, सलाई, चेन्नई, तमिलनाडु	महिलाओं के अधिकारों के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	सत्यबामा यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम	24 मार्च, 2014 100 प्रतिभागी
70.	यूनिवर्सिटी कॉलेज, त्रिवेन्द्रम	मानव अधिकार तथा विकास के संबंध में एक (एक दिवसीय) कार्यशाला	यूनिवर्सिटी कॉलेज, त्रिवेन्द्रम	21 मार्च, 2014
71.	ट्रेनिंग एण्ड स्पेशल यूनिट, महाराष्ट्र राज्य पुलिस मुख्यालय, कोलाबा, मुम्बई	दो (एक दिवसीय)	पी0टी0सी0 तुराची, तासगांव	24 मार्च, 2014

2013-14 के दौरान आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम (वित्त वर्ष 2012-13 में अनुमोदित)

72.	उदयनारायणपुर मधाबिलाता महाविद्यालय, पोस्ट ऑफिस उदयनारायणपुर (जंगलपारा) हावड़ा-711226 (पश्चिम बंगाल)	मानव अधिकारों के संबंध में एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	उदयनारायणपुर मधाबिलाता महाविद्यालय	10 अप्रैल, 2013 को अपने कॉलेज के परिसर में 100 प्रतिभागी
73.	के0जी0 उडान कॉलेज ऑफ कॉमर्स एण्ड आर्ट्स, जिला उडान, रायगढ़	एक (एक दिवसीय) जिला स्तरीय सेमिनार	उडान कॉलेज ऑफ कॉमर्स एण्ड आर्ट्स	30 सितम्बर, 2013 111 प्रतिभागी
74.	सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, स्वामी विवेकानन्द सुभारती यूनिवर्सिटी, सुभारतीपुरम, दिल्ली, हरिद्वार-मेरठ बाईपास रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश	मानव अधिकारों के संबंध में एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार	सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ	6 मई, 2013
75.	आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, मुत्थीगंज, इलाहबाद-211003, उत्तर प्रदेश	मानव अधिकारों के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	आर्य कन्या डिग्री कॉलेज	23 नवम्बर, 2013 100 प्रतिभागी
76.	अंजुमन आर्ट्स, साईंस एण्ड कॉमर्स कॉलेज, धारवाड़	मानव अधिकार : उल्लंघन, संरक्षण तथा जागरूकता के संबंध में एक (एक दिवसीय) कार्यशाला	अंजुमन आर्ट्स, साईंस एण्ड कॉमर्स कॉलेज	8 फरवरी, 2014 130 प्रतिभागी
77.	विलियम मेमोरियल कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, जिला कोल्लम, केरल	मानव अधिकारों के संबंध में एक दिवसीय सेमिनार।	विलियम मेमोरियल कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन	22 अप्रैल, 2013

अनुलग्नक – 15

पैरा 14.19

**“विना घोषणा, पेरिस सिद्धान्तों और आईसीसी – भविष्य के लिए आयोजना” पर
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तुतिकरण****आईसीसी 26 पालिस डेस नेशनस, जिनेवा, 6 मई, 2013**

वीडीपीओ, आईसीसी और पेरिस सिद्धान्तों की तरह ही हमारे आयोग ने इस वर्ष 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह समारोह का समय है लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सामने कितनी मुश्किलें हैं तथा कितनी और चुनौतियां आनी बाकी हैं, इसका पता लगाने में हमने काफी लम्बा समय ले लिया।

2. पहली चुनौती है आशाओं पर खरा उतरना। हमारी स्थापना के एक वर्ष बाद सन् 1994 में ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को 496 शिकायतें प्राप्त हुईं। पिछले वर्ष इनकी संख्या 107,655 थी। एक आदर्श भविष्य में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को तभी सफल माना जाएगा जब वे अनावश्यक हो जाएंगे। हालांकि, पूर्वाभासी भविष्य के लिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान जितने प्रभावी होंगे, इन पर उतना ही अधिक भार होगा। इस भार को पूरा करने का दायित्व हम सभी पर होगा। जिन संसाधनों की हमें आवश्यकता है वे चरघटांकी तरीके से बढ़ेंगे और सरकारें इस कार्य को जारी रखने से इन्कार कर सकती हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को अपने बढ़ते हुए दायित्वों का निर्वहन करने के लिए वित्तपोषण, अवसंरचना, कौशल और अधिदेश प्राप्त होता रहेगा।

3. ये शिकायतें विशिष्ट समस्याओं का समाधान चाहने वाले व्यक्तियों अथवा समूहों से प्राप्त होंगी। हमारे अनुभव के अनुसार, सहायता करने के लिए हमें हमारी अर्ध न्यायिक शक्तियों के हर अंश की जरूरत पड़ी है जिसमें सम्मन भेजना, शपथ पर साक्ष्य, अपेक्षित दस्तावेजों के लिए अनुरोध करना और आवश्यकता पड़ने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करना भी शामिल हैं। पेरिस सिद्धान्त की एक गम्भीर खामी यह है कि राहत पहुंचाने के लिए जो शक्तियां राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, पेरिस सिद्धान्त में केवल वैकल्पिक हैं और उनके द्वारा संस्तुत अर्ध-न्यायिक कार्रवाईयों की रेंज हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान सहित कुछेक राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के पास उपलब्ध शक्तियों की तुलना में अत्यन्त सीमित हैं। यदि राहत प्रदान करने की शक्ति सहित पेरिस सिद्धान्तों को संशोधित किया जाता है तो इससे राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान और अधिक मजबूत और प्रभावशाली होंगे।

4. तथापि, अर्ध-न्यायिक शक्तियों वाले सभी राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को संरक्षण और संवर्धन के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए संघर्ष करना होगा। हम मामले से संचालित होंगे या मुद्दे से? यदि हम संरक्षण पर ध्यान केन्द्रित करते हैं, और ऐसा करना इतना कठिन भी नहीं है, क्योंकि यह व्यक्तिगत समस्याएं हैं जिनका सामना मनुष्यों द्वारा किया जाता है, हम ऐसे प्रणालीगत दोशों को नज़रअंदाज करने का जोखिम उठा रहे हैं जिनके कारण यह समस्याएं उभरी हैं। तो क्या हमें संरक्षण, रक्षण साधनों के निर्माण और हमारे मामलों द्वारा तय किए गए विधिशास्त्र के माध्यम से मानकों का निर्धारण करके उन्नयन करना चाहिए अथवा हमें जागरूकता उत्पन्न करने और मनःस्थिति में बदलाव पर अधिक ध्यान केन्द्रित करते हुए संरक्षण द्वारा

उन्नयन करना चाहिए? हमने एक को दूसरे के साथ मिलाने की कोशिश की है किन्तु यह सहजीविता आसान नहीं है; जैसे-जैसे हमारे मामलों का भार बढ़ता जाएगा, संतुलन स्थापित करना अधिक मुश्किल होता जाएगा।

5. हमारे द्वारा निपटाए जाने वाले मामले और उनकी जटिलता भी बढ़ती जाएगी। मैं तीन बातों का उदाहरण देता हूँ — पर्यावरण, व्यापार और आतंकवाद। पर्यावरण, जीवन के अधिकार का केवल केन्द्र-बिन्दु नहीं है अपितु यह एक पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाला अधिकार भी है। यदि कोई राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान, जो यहां अपनी जिम्मेदारी का त्याग कर देता है, वर्तमान और भविष्य दोनों को धोखा देता है। भारत में हमने स्थानीय समस्याओं जैसे कि किसी क्षेत्र विशेष में पानी या हवा की गुणवत्ता पर ध्यान-केन्द्रित करने की कोशिश की है किन्तु हमें जल-निकायों को संरक्षण प्रदान करने के लिए संतुलन की आवश्यकता जैसे और बड़े मुद्दों — उदाहरणार्थ उन्हें भोगने वालों के अधिकारों पर अथवा वन संरक्षण के लिए वनों में काम करने वालों के अधिकारों पर ध्यान देना होगा।

6. हम में से अधिकांश को व्यापार, मुख्यतः परिभाषित, मानव अधिकार संबंधी समस्याओं से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करना होगा जिन्हें वीडियोपीए0 में प्राथमिकता नहीं दी गई है किन्तु वे अब हमारी चिंताओं का केन्द्र बिन्दु हैं। इस मुद्दे पर आई0सी0सी0 का एक कार्यदल है, जो कि होना भी चाहिए। भारत में, अन्य बातों के साथ-साथ हम श्रम संरक्षण कानूनों, औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापित लोगों के मानव अधिकारों पर प्रभाव और स्वास्थ्य पर व्यापार के प्रभाव सम्बन्धी कानूनों के कार्यान्वयन को मॉनिटर करते हैं। हम भारत के उद्योग जगत के लिए एक आचार-संहिता तैयार कर रहे हैं। यह जटिल मुद्दों का एक व्यापक रूप है।

7. आतंकवाद, जो कि 20 वर्ष पहले की तुलना में अब बहुत अधिक व्यापक रूप ले चुका है, की अनुक्रिया की मॉनिटरिंग करने वाले राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान ने बताया कि राष्ट्र, किसी प्रकार से अधिकारों की परवाह न करने वालों की तुलना में अपने नागरिकों के मानव अधिकारों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। हालांकि, ऐसा करते समय राज्यों ने मानव अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से समझौता कर लिया है और यह सुनिश्चित करना राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें संरक्षण प्रदान करने के प्रयास में मानव अधिकारों का हनन न हो। यह वास्तव में नैतिक, विधिक और राजनीतिक जटिलताओं से भरी एक कठिन समस्या है।

8. इन तीनों मुद्दों के अन्तर्राष्ट्रीय पहलू हैं और यह वैश्विक समस्याएं हैं। और यह उन अनेकों उदाहरणों में से मात्र तीन उदाहरण ही हैं, जिन्हें हम लोगों में से कोई भी दे सकता है। कोई इकलौता राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान इसका समाधान नहीं निकाल सकता; उन्हें अपने अनुभव साझा करने होंगे और एक दूसरे से सीखना होगा।

9. अतः, इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के लिए घरेलू कार्य के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय बैठकें भी अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। अन्यथा, इनके अस्तित्व को औचित्यपूर्ण बनाने वाले उनके घरेलू अधिदेश जो विलासित बन गए हैं, को इनके अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के साथ संतुलित करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जिनेवा में होना, अध्यक्ष महोदय और मेरे लिए एक सुखद बात है, किन्तु हम दूर हैं इसलिए हमारी

सामान्य वाद-सूची के 600 मामले लगभग तीन महीने पीछे चले गए हैं। हमें खुद से यह पूछना होगा कि एक संस्थान होने के कारण हमें मिलने वाले लाभों की कीमत पीड़ितों को अपने मामलों में हुई देरी से चुकानी होगी।

10. अतः, आई0सी0सी0 को आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। इसे केवल एक चर्चा का मंच नहीं होना चाहिए अपितु इसके द्वारा वर्तमान में दी जा रही सेवाओं से अधिक सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। ऐसा करने और अपने सदस्यों के कार्य के प्रति प्रासंगिक रहने के लिए इसे विषय वस्तु को मूर्तरूप देने से शुरुआत करनी चाहिए। फिलहाल आई0सी0सी0, सदस्यों का आकलन उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर नहीं अपितु प्रमाणन संबंधी उप-समिति के माध्यम से करती है किन्तु ऐसा कब तक चलेगा, जिस प्रकार से यह उप समिति गठित की गई है उसमें शीघ्र ही कोई आदर्श परिवर्तन करना ही होगा।

11. इस बात पर भी अधिक जोर दिया जाता है कि आसान कार्य क्या है – कानूनों की निगरानी करना और सुधार के लिए सुझाव देना या सरकारों से अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का अनुसरण एवं अनुपालन करने का अनुरोध करना। यदि हम विशेषकर विकासशील देशों में ऐसा करते हुए अपनी अंतरआत्मा को अपराधबोध से मुक्त करते हैं तो हमारी सार्वजनिक रूप से निन्दा की जानी चाहिए। यहां प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक देश में ऐसे कानून हैं जो लगभग हर प्रकार के मानव अधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हैं। समस्याएं तब पैदा होती हैं जब इन अधिकारों का आदर नहीं किया जाता। यहीं पर राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें इसी दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है, कानूनों को परिपूर्ण बनाने या उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप बनाने में समय, ऊर्जा और संसाधन गंवाने की नहीं। यदि आई0सी0सी0 को अपने अधिकांश सदस्यों द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में प्रासंगिक बने रहना है तो उसे यह सत्य स्वीकार करना ही होगा।

12. आई0सी0सी0 को अनिवार्यतः यह समझना होगा कि हममें से कुछेक उन राष्ट्रीय निकायों के साथ समन्वय स्थापित करने की चुनौती का सामना कर रहे हैं जिन पर महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संवर्धन करने की जिम्मेदारी है जिनके बारे में वीडीडीडीडीड में अलग-अलग उपबंध हैं। भारत में, इन आयोगों के पास वही शक्तियां हैं जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास हैं किन्तु वे पेरिस सिद्धान्तों से आबद्ध नहीं हैं। दो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कुछेक कानून के अन्तर्गत सुसज्जित नहीं हैं, उनमें से कोई एक जब किसी मामले का पूर्व संज्ञान लेता है तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को नीचा देखना पड़ता है और एक साझा डाटाबेस, जो हम बनाने के लिए प्रयासरत हैं, के अभाव में हमेशा प्रयासों की पुनरावृत्ति की समस्या होगी। किन्तु इसका यह अर्थ भी है कि आई0सी0सी0, जिसमें सदस्य के रूप में एक पदनामित राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान है, देश के मानव अधिकार संस्थानों द्वारा किए जा रहे कार्य की रेंज के आंशिक भाग को ही देख पाता है।

13. आई0सी0सी0 ने अपने सदस्यों को प्रत्येक देश के मुट्ठीभर गैर सरकारी संगठनों, जो अपने-अपने राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के कार्य के स्वयंभू मॉनिटर हैं और अन्यो द्वारा मुख्यतः इसी प्रयोजनार्थ वित्त-पोषित किए जाते हैं, की नजर से देखने की गलती की है। उदाहरणार्थ, भारत में हजारों गैर सरकारी

संगठन ऐसे हैं जिनके साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने कंधे से कंधा मिलाकर बुनियादी स्तर पर कठिन कार्य किया है। सरकार के कई आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम इनके बिना कार्य नहीं कर सकेंगे; ये भी इसकी खामियों के तीव्र आलोचक हैं। ये गैर सरकारी संगठन अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों में भाग नहीं लेते; उनके पास धन नहीं है और वे इसे समय की बर्बादी मानते हैं।

14. आई0सी0सी0 और यू0एन0 द्वारा सुनी जाने वाली शिकायतें, जिन्हें वे सभ्य समाज की शिकायतें समझते हैं, उनकी शिकायतें हैं जिन्हें आक्षेप करने के लिए भुगतान किया जाता है। आई0सी0सी0 के पास ऐसा स्क्रीनिंग तन्त्र तक भी नहीं है जैसा कि यू0एन0 के पास है, परन्तु यदि यह उन गैर सरकारी संगठनों के विचारों को मान्यता देगा जिन्हें इसने ही विशेष स्थान दिया है तो इसे स्वयं को ही इस बात से संतुष्ट करना होगा कि ये गैर सरकारी संगठन उस जगह के योग्य हैं जहां वे हैं।

15. तथापि, राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान सभ्य समाज के बल पर ही बने हैं। हमें वर्तमान में उनकी आवश्यकता है, और भविष्य में और अधिक आवश्यकता होगी। उनके बिना कोई भी राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सकता। भारत में, वे हमारे कार्य के हर पहलू में हमारे भागीदार हैं। किन्तु, जैसा कि हमारे सहयोगी पुष्टि करते हैं कि गैर सरकारी संगठनों की गुणवत्ता असमान है और इससे भी बढ़कर यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां अनेक संगठन पैसा कमाने के लिए आते हैं। चूंकि भारत में कानून के तहत सभी कम्पनियों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे अपने लाभांश का कुछ प्रतिशत सी0एस0आर0 के लिए अलग रखें। यह राशि लगभग 100 बिलियन डॉलर बनती है जिसे सरकार प्रतिवर्ष समाज कल्याण के कार्यक्रमों में निवेश करती है, अब यह एक बहुत ही फायदेमंद क्षेत्र बन गया है। कौन से गैर-सरकारी संगठन विधि सम्मत है और कौन से नहीं; राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के लिए यह पहले से ही एक बड़ी समस्या है और भविष्य में यह और विकराल रूप ले लेगी।

16. चूंकि, राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की समस्याएं पहले से ही काफी जटिल हैं, अतः उन्हें उनके द्वारा निपटाए जाने वाले मुद्दों के संबंध में स्पष्ट अवधारणात्मक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है और उन्हें भ्रान्ति अथवा अन्यों के एजेन्डा से अलग किए जाने की आवश्यकता है। सभी मानव अधिकार सार्वभौमिक हैं, परन्तु प्रत्येक देश में उनके उल्लंघन का रूप भिन्न-भिन्न है। किसी स्थानीय समस्या का हल किसी विदेशी तरीके से नहीं निकाला जा सकता। दूसरे, संयुक्त राष्ट्र का झुकाव सिविल और राजनीतिक अधिकारों की ओर है, किन्तु अधिकांश विकासशील देशों के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान यह जानते हैं कि मूल रूप से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता अधिक है। चूंकि संयुक्त राष्ट्र के लिए यह प्राथमिकता नहीं है और न ही यह आई0सी0सी0 के लिए प्राथमिकता है, परन्तपु इस स्थिति में बदलाव जरूर होना चाहिए।

17. अंतिम चुनौती। यह वर्ल्ड वाईड वेब की 20वीं वर्षगांठ भी है। वी0डी0पी0ए0 को अंगीकार करने के एक दशक उपरान्त डिजिटल युग अपने शैशवकाल में था, सोशल मीडिया विद्यमान नहीं था। अब हम सभी इसमें रच-बस गए हैं। हम एक ऐसे सार्वजनिक गलियारे में रह रहे हैं जिसकी वी0डी0पी0ए0 और पेरिस सिद्धान्त ने कल्पना भी नहीं की थी। एक राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान दो चुनौतियों का सामना करता है। प्रथमतः

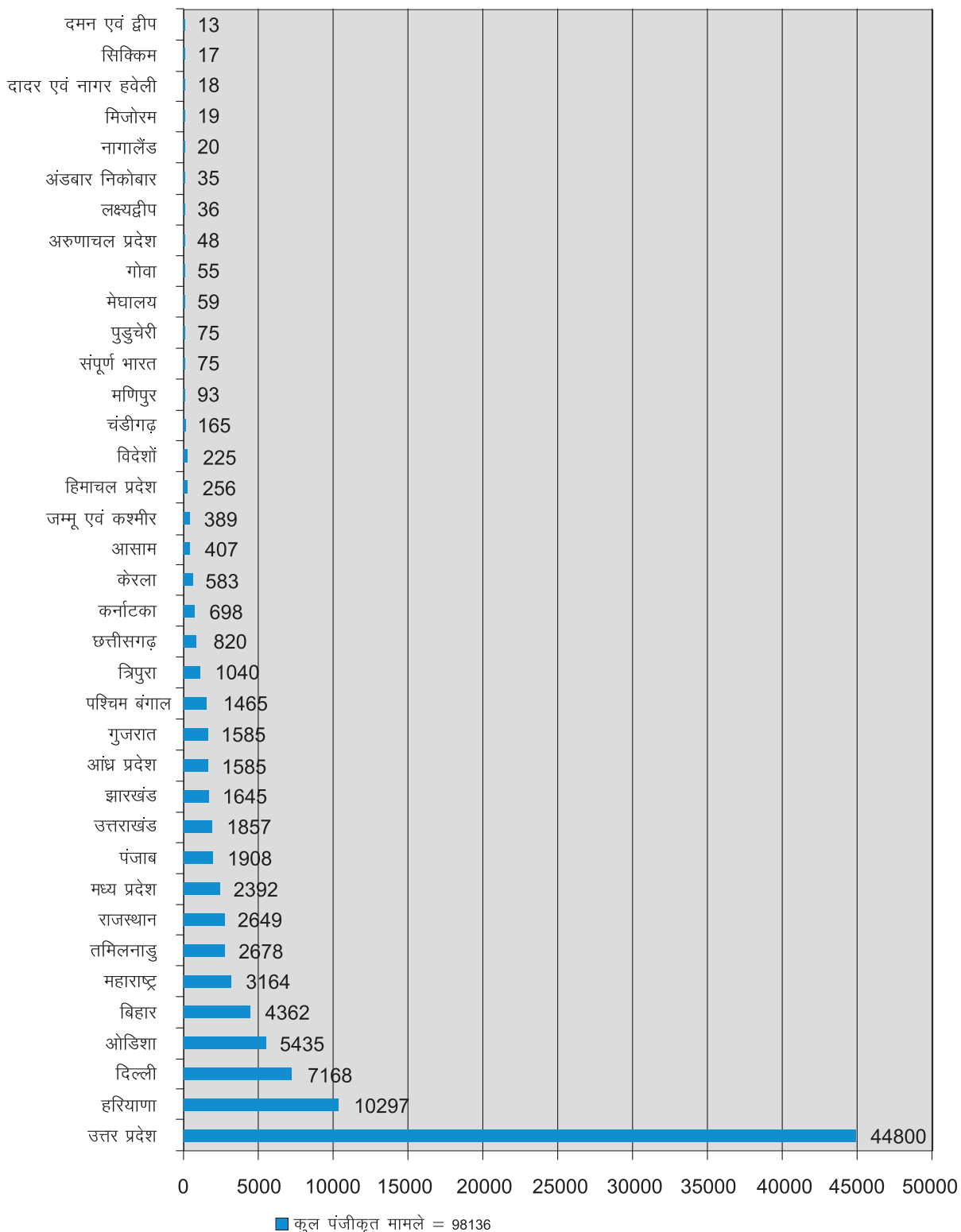
चूंकि एक समस्या रीयल टाईम पर संसूचित की जाती है और यह आशा की जाती है कि इसका समाधान तुरन्त किया जाए, जो कि हमेशा संभव नहीं है। दूसरे, सोशल मीडिया व्यक्तियों के अधिकारों का गम्भीर रूप से हनन कर सकता है, किन्तु इसके अनाकार होने की वजह से जिम्मेदारी तय करना अथवा पीड़ित को कोई राहत प्रदान कर पाना प्रायः असम्भव है। किन्तु फिर भी यह एक ऐसा सशक्त अस्त्र है जिसका उपयोग राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को अवश्य करना चाहिए। आखिर हम सोशल मीडिया का दुरुपयोग किए बिना इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं ?

.....

चार्ट एवं ग्राफ

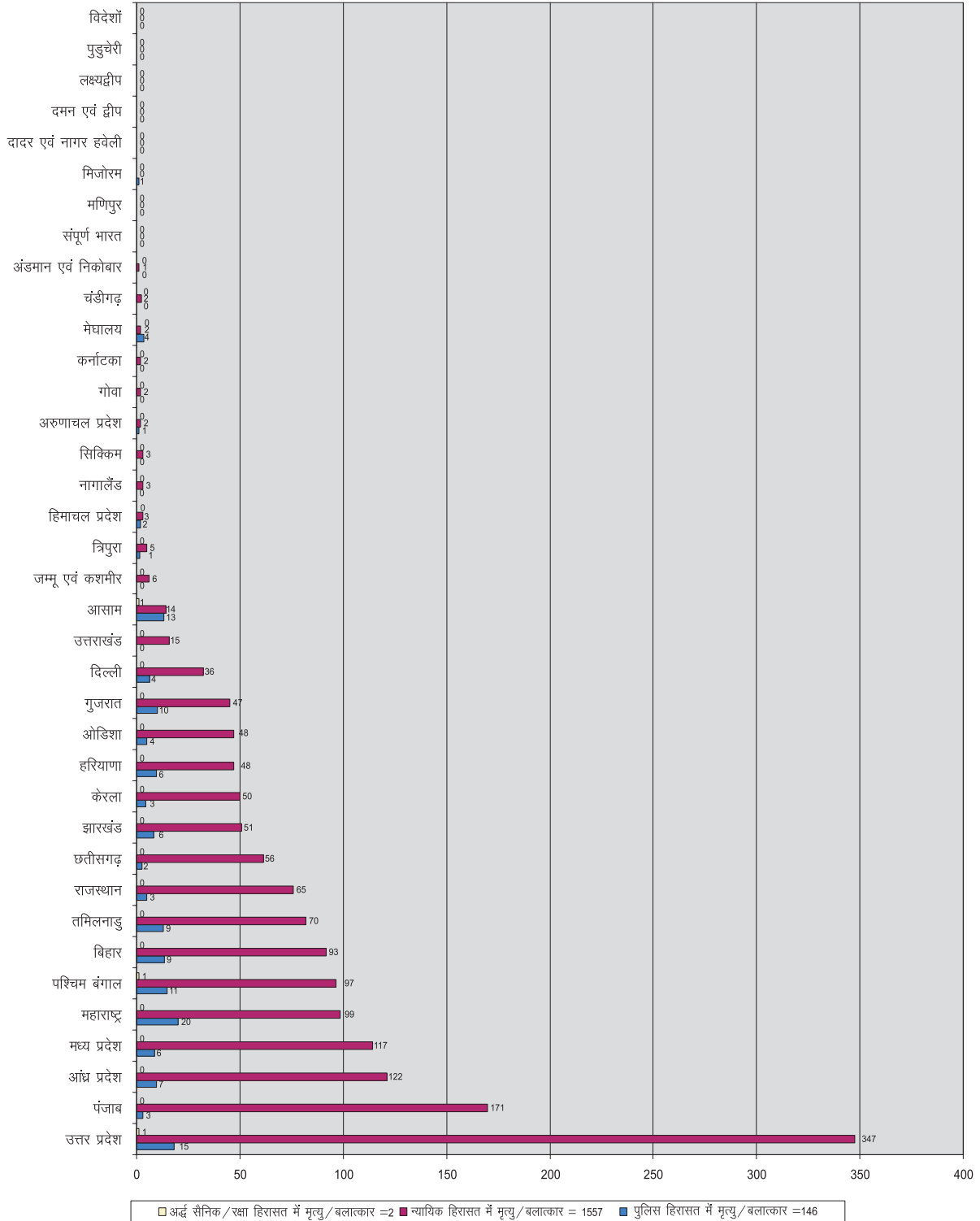
1

रा.मा.अ. आयोग ने वर्ष 2013-14 के दौरान दर्ज किए गए मामलों की राज्य/संघ शासित क्षेत्र वार संरचना



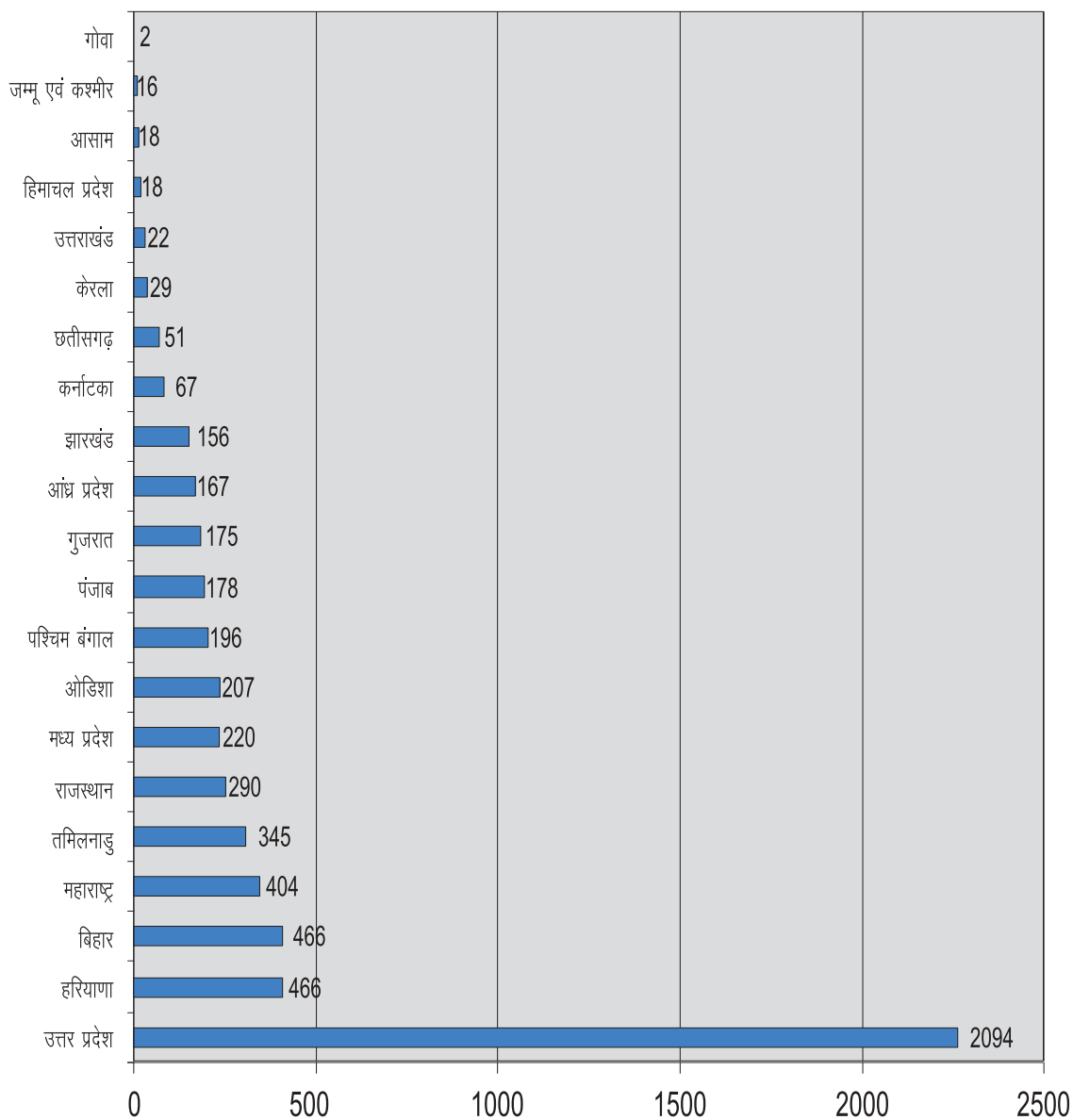
2

रा.मा.अ. आयोग ने वर्ष 2013-14 के दौरान हिरासत में हुई मौतों से संबंधित दर्ज की गई राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार सूचना, कुल मामले = 1719



3

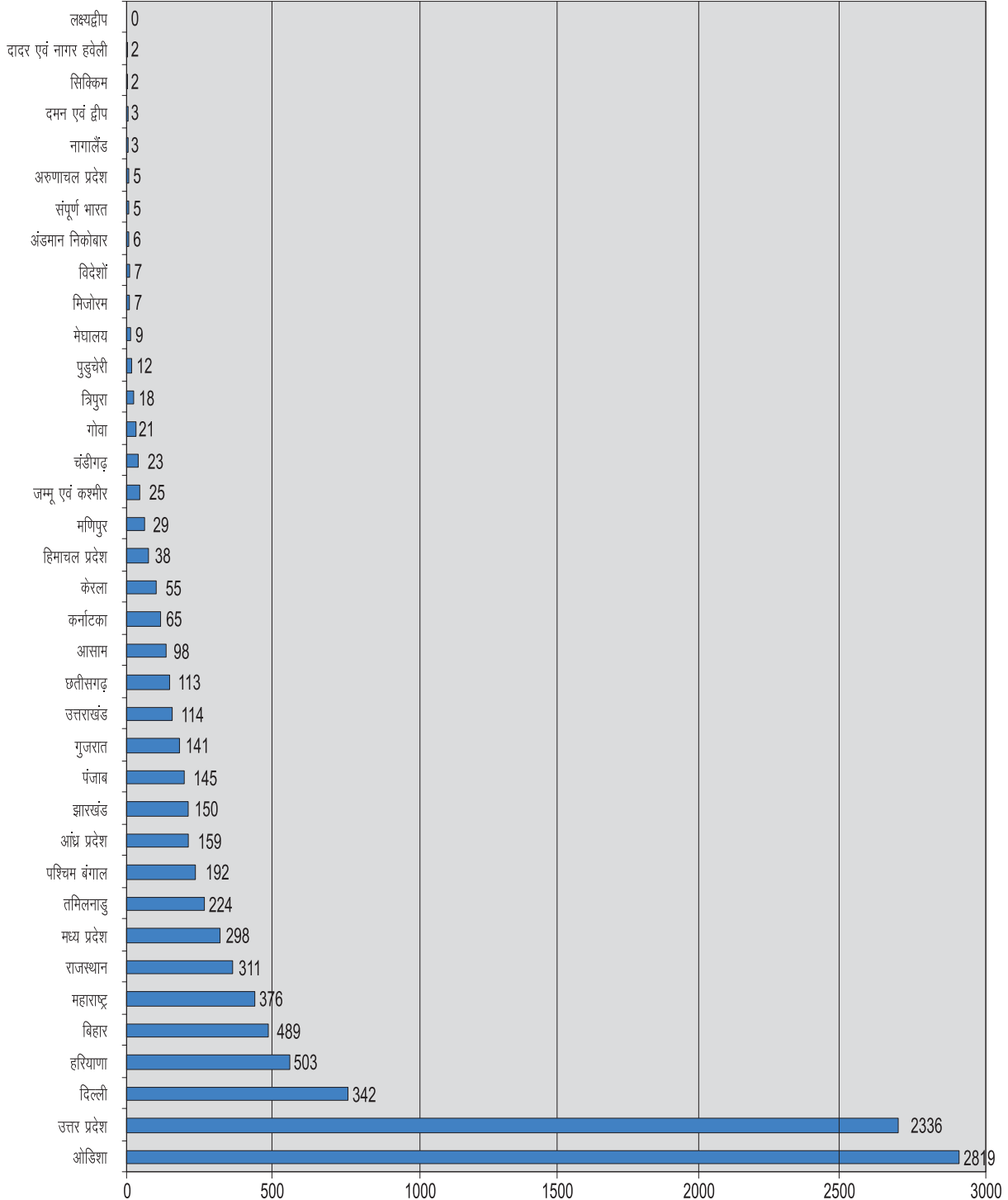
रा.मा.अ. आयोग द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य मानवाधिकार आयोगों को हस्तांतरित मामले



■ कुल मामले = 5787

4

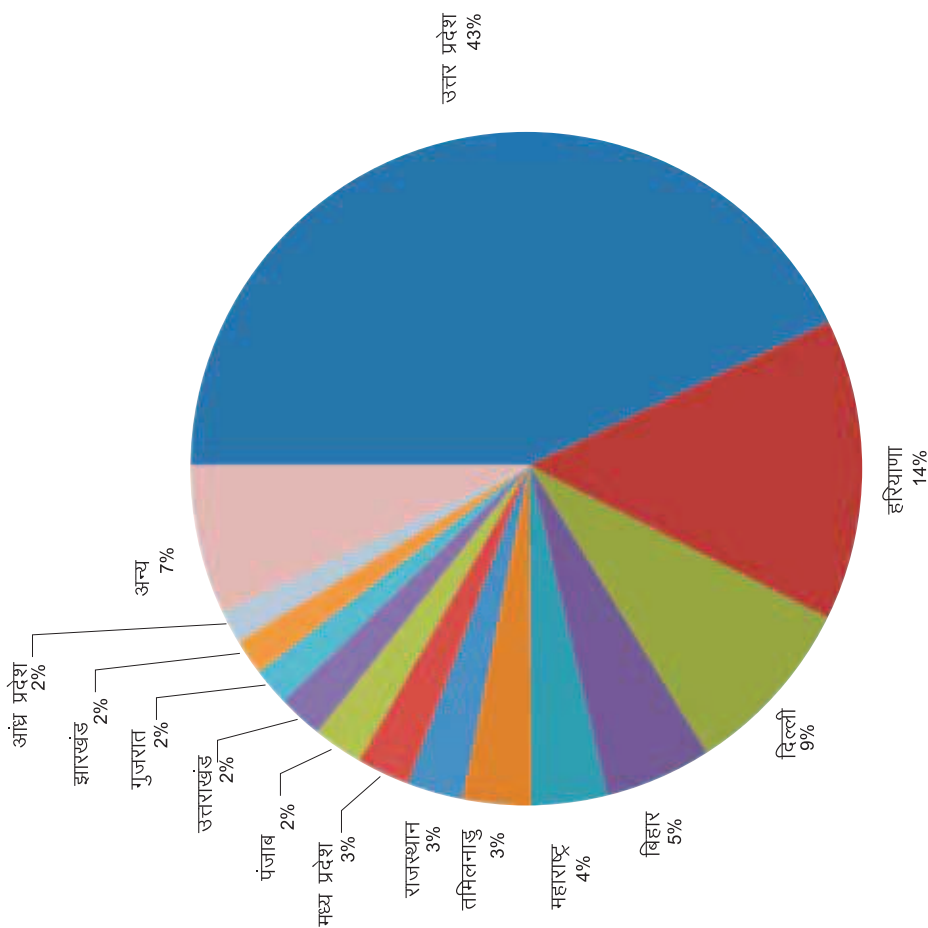
रा.मा.अ. आयोग द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान निपटाए गए रिपोर्ट मामलों की प्रकृति एवं वर्गीकरण



■ कुल मामले = 7908* (*पिछले वर्षों के मामले भी समाहित)

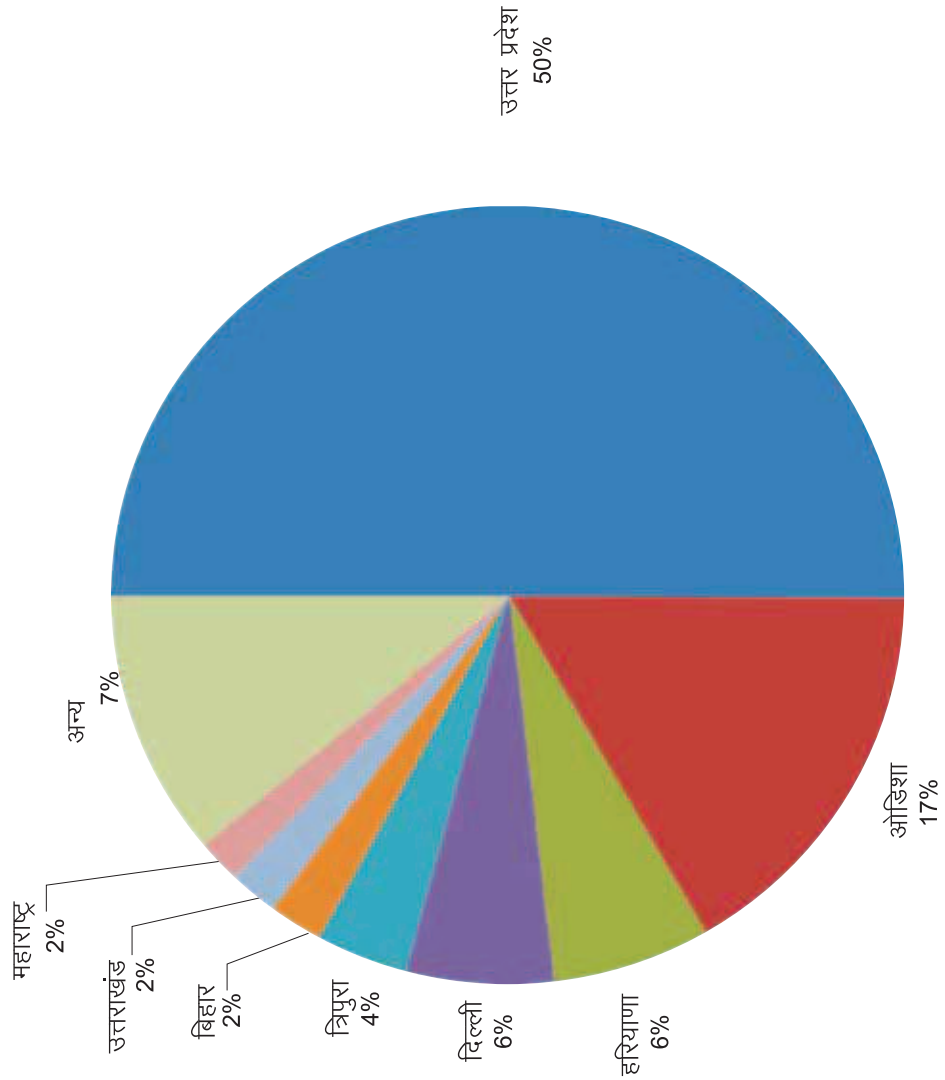
5

रा.मा.अ. आयोग द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 2 प्रतिशत से अधिक खारिज दर सहित प्रारंभ से ही खारिज किए गए मामले



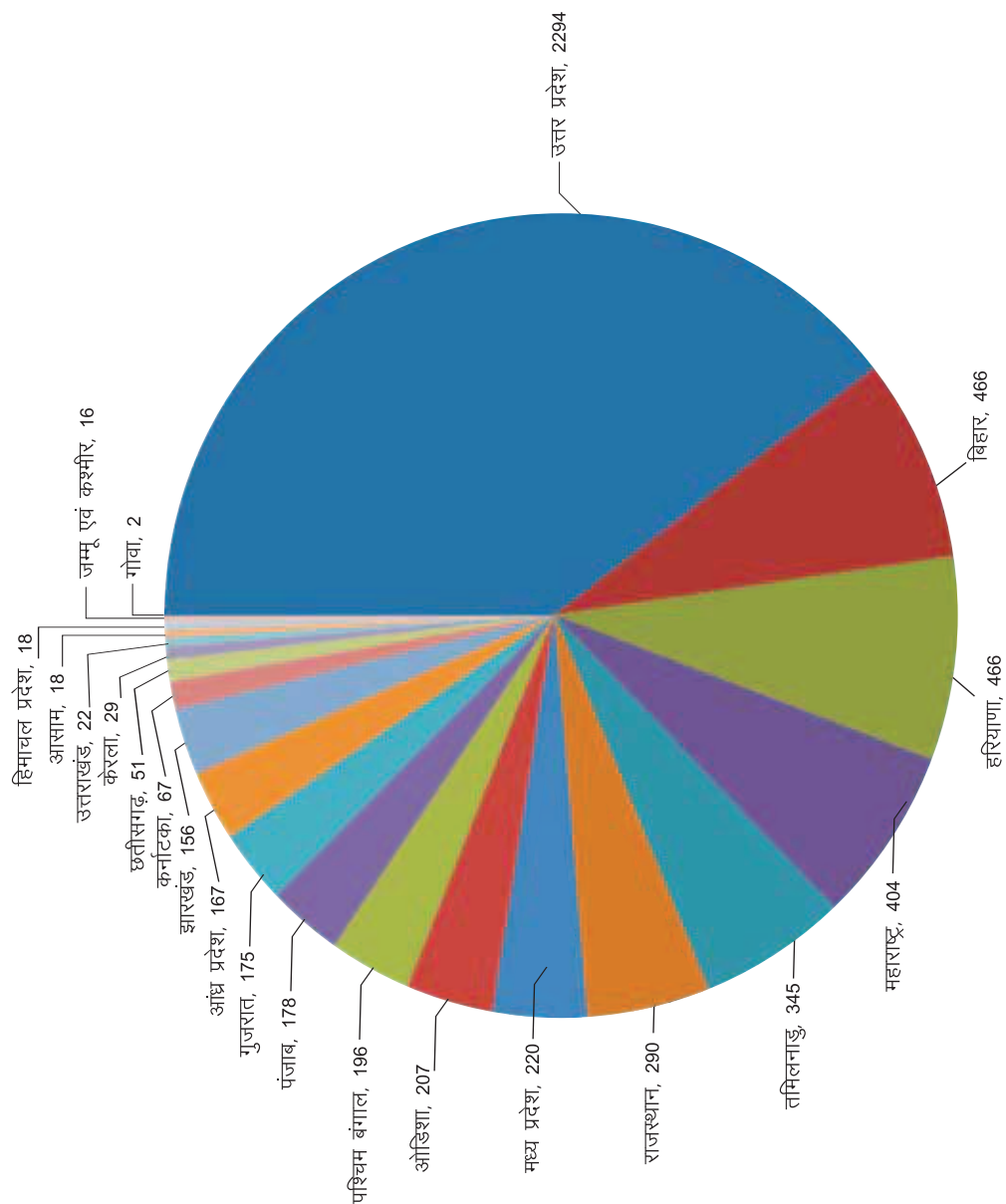
6

रा.मा.अ. आयोग द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान राज्यों /संघ शासित क्षेत्रों में 2 प्रतिशत से अधिक निपटान दर सहित निर्देशों सहित निपटाए गए मामले



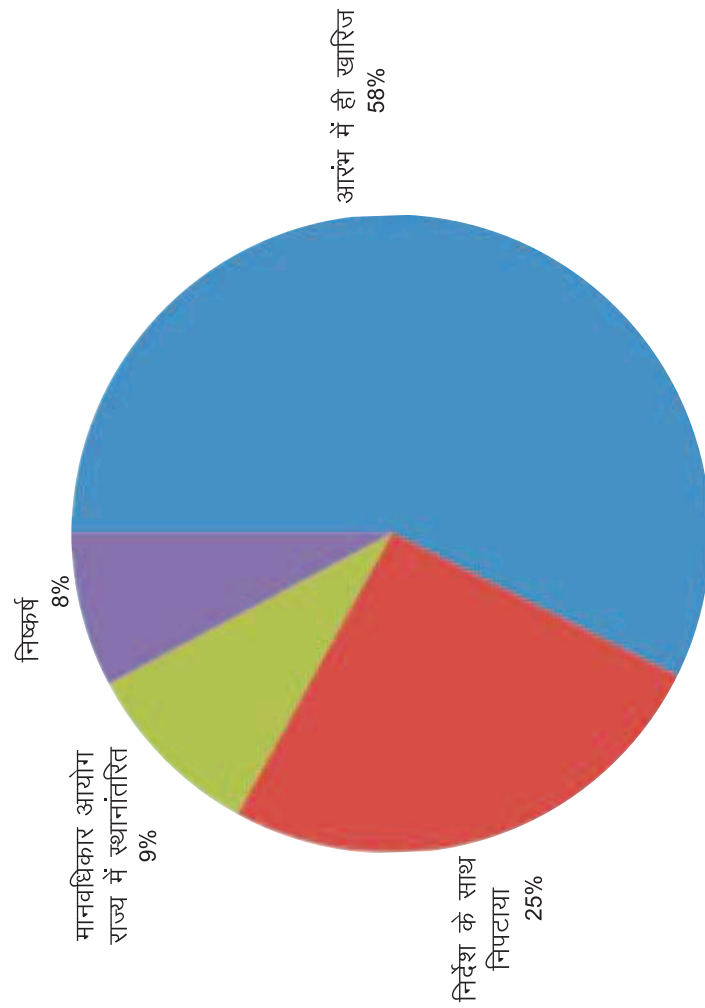
7

रा.मा.अ. आयोग द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य मानव अधिकार आयोगों को हस्तांतरित मामले कुल मामले = 5787



8

रा.मा.अ. आयोग द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान निपटाए गए/
निपटान हेतु लंबित मामले



संक्षिप्तियाँ

ए ए वाई	:	अंतोदेय अन्न योजना
ए सी जे एम	:	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अनु०	:	अनुच्छेद
अनु०	:	अनुच्छेदों
ए टी आर	:	की गई कार्रवाई की रिपोर्ट
ए एस आई	:	सहायक उप-निरीक्षक
बी पी एल	:	गरीबी रेखा के नीचे
सी आर पी सी	:	दण्ड प्रक्रिया संहिता
सी आर पी एफ	:	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
डी जी पी	:	पुलिस महानिदेशक
डी एम	:	जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी
एफ आई आर	:	प्रथम सूचना रिपोर्ट
जी पी एफ	:	उपदान भविष्य निधि
एच ई पी	:	हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट
मुख्या०	:	मुख्यालय
आई ओ	:	जांच अधिकारी
सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी	:	सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी
आई पी सी	:	भारतीय दण्ड संहिता
जे सी एल	:	विधि के संघर्ष में किशोर
जे जे आर	:	किशोर न्याय नियम (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण)
एल एफ	:	लिंक फाइल

एम ए सी पी	:	अश्वोर्ड कैरियर प्रोग्रेस
मनरेगा योजना	:	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एन सी आर	:	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एन सी टी	:	राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र
ओ बी सी	:	अन्य पिछड़ा वर्ग
पी डी एस	:	लोक वितरण प्रणाली
पी एच आर ए	:	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
पी एस	:	पुलिस स्टेशन
आर/ओ	:	निवासी
आर/डब्ल्यू	:	सह-पठित
एस एच ओ	:	थाना प्रभारी
एस/ओ	:	सुपुत्र
एस सी	:	अनुसूचित जाति
यू एस	:	धारा के तहत
पी सी एण्ड पी एन डी टी ए	:	गर्भधारण-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग निर्धारण की रोकथाम) अधिनियम 1994
आर टी ई	:	शिक्षा का अधिकार
एस डी एम	:	उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट
एस एम एस	:	लघु संदेश सेवा
एस टी	:	अनुसूचित जनजाति
यू टी पी	:	विचाराधीन बंदी
डब्ल्यू/ओ	:	पत्नी

////



राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
मानव अधिकार भवन
सी-ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लैक्स, आईएनए
नई दिल्ली-110023, भारत

ISSN 0973-7553

